सेवाओं में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण सम्बन्धी

विवरणिका

सातवां संस्करण

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली

1989

सम्पादन : **श्री बाटा के०डे०**

निदेशक, भारत सरकार

सहयोग : **श्री एस० के० दास गुप्ता**

अवर सचिव, भारत सरकार

विषय सूची

भाग I

		पृष्ठ
भूमिका		v
अध्याय		
1	संविधानिक उपबंध	1
2	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतताएं	2
3	छूट और अपवर्जन	15
4	रोस्टर	28
5	पदों का समूहीकरण	90
6	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट और रियायतें	97
7	आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई	130
8	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या विज्ञापन द्वारा भर्ती में आरक्षित रिक्तियों के भरने की कार्यविधि	149
9	पदोन्नतियां-आरक्षण और रियायतें	157
10	आरक्षण समाप्त करना	222
11	आरक्षणों को आगे ले जाना तथा आरक्षणों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों में परस्पर आदान-प्रदान	288
12	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की परिभाषा और सूचियां	312
13	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के दावों का सत्यापन	314
14	वार्षिक विवरण	336
15	सम्पर्क अधिकारी	362
16	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का सख्ती से अनुपालन	382
17	अन्य अनुदेश	392
	— प्रशासनिक निरीक्षण	392

		पृष्ठ
	— पुष्टिकरण	392
	— विभागीय पदोन्नति समितियां, चयन बोर्ड आदि	393
	— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के समूह-क श्रेणी-I अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था	395
	— भर्ती किए गए अनुसूचित जातियों और जन जातियों के उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण देना	396
	— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	397
	— अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के आवेदन-पत्र अग्रेषित करना	398
	— कर्मचारियों की छंटनी संबंधी अनुदेश	399
	— अधिशेष कर्मचारियों का अभ्यर्पण	400
	— भर्ती नियमावली	401
	— परीक्षाओं के लिए भर्ती नियमावली/विनियम	401
	— परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को भर्ती के लिए परीक्षा की सूचना	402
	— बैचों में की गई सीधी भर्ती का रोस्टर	402
	— विदेशों में तैनात करने के लिए व्यक्तियों का चयन	403
	— मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टें	403
18	— फाइलें और रिकार्ड मंगवाने तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन मंगवाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त की शक्तियां और उसकी रिपोर्टें, पत्रों इत्यादि पर तुरन्त कार्रवाई करने से संबंधित अनुदेश	445
19	— भारत से सहायता—अनुदान प्राप्त करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सांविधिक और अर्ध-सरकारी निकायों, स्वैच्छिक एजेन्सियों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण	453
	भाग II	
	परिशिष्ट	468
	सूची	620

भूमिका

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषा

किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कौन होगा इसकी परिभाषा भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में दी गई हैं । संगत संवैधानिक अनुच्छेद नीचे उद्धृत किए जाते हैं :—

"341. (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा जन जातियों, मूलवंशों या जन जातियों अथवा जातियों, मूलवंशों या जन जातियों के भागों या उनमें के वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जन जातियां समझा जाएगा ।"

"341. (2) संसद् विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जन जाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उनमें के ग्रुप को खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"

"342. (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, लोक अधिसूचना द्वारा उन जन जातियों या जन जाति समुदायों अथवा जन जातियों या जन जाति समुदायों के भागों या उनमें के ग्रुपों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जन जातियां समझा जाएगा ।"

अन्तर्राज्यीय क्षेत्र के प्रतिबंध इसलिए लागू किए गए है ताकि किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विशिष्ट समुदाय के लोग ही, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कहलाने के पात्र समझे गए हों, उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित हों । चूंकि विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रहने वाले एक ही जाति के लोगों के संबंध में यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी एक ही प्रकार की अशक्तताओं से ग्रस्त हों बल्कि यह भी सम्भव हो सकता है कि अलग-अलग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में रहनेवाले एक ही जाति के

दो व्यक्तियों में से दोनों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का न समझा जाए । इस प्रकार किसी विशिष्ट इलाकों में किसी विशिष्ट व्यक्ति के आवास का विशेष महत्व हो जाता है किन्तु आवास का आशय उसके शाब्दिक अथवा सामान्य अर्थों में नहीं समझा जाना चाहिए । इसके विपरीत आवास का आशय उस इलाके के सम्बन्ध में व्यक्ति विशेष की जाति/जनजाति को अनुसूचित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तारीख को उस व्यक्ति के स्थायी आवास से होगा ।

> "342. (2) संसद् विधि द्वारा, किसी जनजाति, या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के ग्रुप को खण्ड (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खण्ड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।"

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 (समय-समय पर संशोधित) में यह उल्लेख किया गया है कि हिन्दू अथवा सिख धर्म से अलग किसी धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जा सकता है तथापि अनुसूचित जनजाति के रूप में समझे जाने के लिए कोई धार्मिक रुकावट नहीं है । इस समय आरक्षण केवल जाति तथा जनजाति के आधार पर ही दिया जाता है ।

संवैधानिक सुरक्षोपाय

2.1 सरकार के सिविल पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण दिए जाने का मुख्य उद्देश इन समुदायों के कुछ व्यक्तियों को नौकरियां देना और इससे सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाना ही नहीं है (यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण, तत्काल लक्ष्य रहा था बल्कि इन लोगों को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से ऊपर उठाना और समाज में इनके लिए कुछ स्थान बनाना है । यह "आरक्षणों" का अपेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य था और आरक्षण विधान मंडलों में भी लागू किए गए, इसी उद्देश्य से संविधान ने राज्य की नीति के निदेशात्मक सिद्धान्तों में और अन्यत्र कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास पर विचार किया था ।

सेवाओं/पदों में आरक्षण

3.1 आरक्षण के समूचे तंत्र को शामिल करने वाले संविधान के संगत अनुच्छेद निम्नानुसार है ;

अनुच्छेद 16 (4)

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछडे हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी ।"

अनुच्छेद 46

"राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा ।"

अनुच्छेद 335

"संघ, या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा ।"

3.2 इस संवैधानिक पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार ने केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की है । संविधान का अनुच्छेद 16(4) नागरिकों के पिछड़े वर्गों के हित में आरक्षण की अनुमति देता है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में विशेष रूप से उल्लेख नहीं करता है । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के जिस विषय का उल्लेख अनुच्छेद 335 में किया गया है उस पर अनुच्छेद 16(1) तथा 16(2) के साथ पठित अनुच्छेद 16(4) के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए । अनुच्छेद 16(2) केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में किसी नागरिक के प्रति भेदभाव का निषेध करता है । अनुच्छेद 16 "समता का अधिकार" के शीर्षक के नीचे रखा गया है, जिसका अनुच्छेद 14 सामान्य अनुच्छेद है, जिसके अन्तर्गत "विधि के समक्ष समता" और "विधियों के समान संरक्षण" की संकल्पनाएं आती हैं । ये दो वाक्यांश राज्य को कुछ न्यायसंगत प्रयोजनों

के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की अनुमति देते हैं । यद्यपि न्यायोचित वर्गीकरण स्वीकार्य होता है तो भी ऐसा वर्गीकरण अनिवार्यत: किसी ऐसे वास्तविक तथा ठोस अन्तर पर आधारित होना चाहिए जिसका वांछित लक्ष्य के साथ समुचित और न्यायोचित मेल बैठता हो और किसी ठोस आधार के बिना मनमाने ढंग से कोई वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए । इस क्षेत्र में चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ (1950) एस० सी० आर० 869 के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय संगत है । इस निर्णय का एक अंश नीचे दिया जाता है :—

> "विधायिका (विधान मंडल) का क्षेत्र नि:सन्देह अपने विधियों के विषय को निर्धारित करने तथा वर्गीकृत करने के लिए व्यापक है और यदि विधि किसी विशिष्ट वर्ग के सभी सदस्यों के लिए एक समान रूप से लागू की जाती है तो समान संरक्षण के मना किए जाने का आरोप सामान्यत: आपत्तिजनक नहीं होगा, किन्तु वर्गीकरण कभी भी मनमाने ढंग का नहीं होना चाहिए । यह हमेशा कुछ ऐसे वास्तविक तथा ठोस अन्तर पर आधारित होना चाहिए जिसका उन बातों के साथ समुचित और न्यायोचित मेल बैठता है जिनके लिए वर्गीकरण किया जा रहा है और किसी ठोस आधार के बिना किया गया वर्गीकरण अवैध माना जाना चाहिए ।"

बहुत से मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे न्यायोचित वर्गीकरण का अनुमोदन कर दिया गया है । इस प्रकार अनुच्छेद 14 "क्लास लेजिसलेशन" का तो निषेध करता है, लेकिन कानून के प्रयोजनों के लिए न्यायोचित वर्गीकरण का निषेध नहीं करता । इस प्रकार यदि राज्य व्यक्तियों के न्यायोचित वर्गीकरण पर ध्यान देता है और यदि यह किसी "सुपरिभाषित" वर्ग के सभी व्यक्तियों के साथ समान रूप से व्यवहार करता है, तो उस पर विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण से वंचित किए जाने का आरोप इस आधार पर लगाया जा सकता है कि विधि अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होती ।

3.3 उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह दावा किया गया था कि क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अधीन आरक्षण के लाभ का पात्र बनाने के उद्देश्य से उन्हें पिछले वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ? उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजनों से अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जन जातियाँ अपने सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अपने आप में एक वर्ग बनी हुई हैं । अत: आरक्षण के प्रयोजन के लिए इस समूह का वर्गीकरण न्यायोचित वर्गीकरण की कसौटियों का उल्लंघन नहीं करता है । त्रिलोकी नाथ बनाम जम्मू व कश्मीर राज्य (1969) आई० एस० सी० आर० 103 ए० 1960 एस० सी० आई० के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था :

"अनुच्छेद 16 के खण्ड (2) में प्रथमत: लिखा गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभेद नहीं किया गया जाएगा और नागरिकों के पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण के मामले में आपवादिक रूप से अनुमति होगी । "पिछड़े वर्ग" का प्रयोग "पिछडी जाति" या "पिछड़े समुदाय" के समानार्थक रूप में नहीं किया जाता है । किसी समस्त जाति या समुदाय के सदस्य किसी दिए गए समय में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मानदण्डों के आधार पर पिछड़े हो सकते हैं और इस कारण उन्हें पिछड़ी श्रेणी के रूप में समझा जा सकता है । लेकिन यह इस लिए नहीं कि वे किसी जाति या समुदाय के सदस्य हैं बल्कि इसलिए कि उनसे एक वर्ग बनता है । साधारण अर्थों में "वर्ग का आशय कुछेक एक रूपताओं तथा सामान्य विशेषताओं के कारण समूहबद्ध किए गए लोगों की सदृश श्रेणी से होता है जिसकी पहचान हैसियत, स्तर, व्यवसाय, किसी इलाके में निवास, मूलवंश, धर्म और इसी प्रकार की कुछ अन्य सामान्य विशेषताओं के आधार पर की जा सकती है ।"

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की योजना के महत्वपूर्ण पहलू

4.1 स्वतंत्रता प्राप्ति पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने वाली भर्ती के सम्बन्ध में 12½% रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए जाने के बारे में 21-9-47 को अनुदेश जारी किए गए थे । खुली प्रतियोगिता से इतर माध्यमों से की जाने वाली भर्ती के मामले में, यह प्रतिशतता 16⅔ निर्धारित कर दी गई थी । संविधान प्रख्यापित किए जाने के बाद, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 13-9-50 के संकल्प में अनुसूचित जातियों के लिए पहले ही निर्धारित की गई प्रतिशतता के अलावा अनुसूचित जन जातियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दिया । 1951 की जनगणना से यह प्रकट हुआ था कि कुल जन संख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 15.05 और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिशत 6.31 था । आरक्षण की इन प्रतिशततताओं में उस समय कोई वृद्धि नहीं की गई क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूचियों को संशोधित करने वाला एक व्यापक विधेयक विचाराधीन था । प्रतिशततताओं में संशोधन न करने का एक अन्य कारण यह था कि सीधी भर्ती से इतर माध्यमों से की जाने वाली भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66 प्रतिशत पद आरक्षित थे और किसी एक इलाके तथा एक क्षेत्र से श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV के पदों पर उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए एक क्षेत्रीय तथा स्थानीय प्रतिशतता लागू करने से संबंधित अनुदेश भी जारी कर दिए गए थे । 1961 की जनगणना से यह प्रकट होता था कि भारतीय जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जनजाति की जनसंख्या क्रमश:14.64 प्रतिशत तथा 6.80 प्रतिशत थी । तद्नुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए 25-3-70 को आरक्षण की प्रतिशतता 12½ और 5 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमश: 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत कर दी गई थी ।

पदोन्नति के अन्य माध्यमों में चरणबद्ध रूप में आरक्षण लागू कर दिया गया है । 1957 में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण कर दिए गए थे । समूह "ग" तथा "घ" में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में 1963 में आरक्षण किए गए थे । और उसी वर्ष विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण केवल श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV के लिए सीमित कर दिया गया था । 1968 में इस स्थिति में किंचित परिवर्तन किया गया जब श्रेणी-II, III तथा IV की सीमित विभागीय परीक्षा में और श्रेणी-III तथा IV में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में यह शर्त लगा दी गई कि सीधी भर्ती की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति बशर्ते योग्य हो, में 1972 में इस शर्त पर आरक्षण किया गया था कि सीधी भर्ती की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी । 1974 में समूह "ग" से समूह "ख" में, समूह "ख" के भीतर और समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी में चयन द्वारा पदोन्नती में इस शर्त पर आरक्षण लागू किया गया था कि सीधी भर्ती की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक न हो । सीधी भर्ती में 50 प्रतिशत की सीमा 1976 में बढ़ाकर 66½ प्रतिशत कर दी गयी थी ।

4.2 इन वर्षों में अग्रेनीत से संबंधित नियम में भी परिवर्तन किए गए हैं । 1952 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की न भरी गई आरक्षित रिक्तियां एक अनुवर्ती भर्ती वर्ष तक, 1955 में दो भर्ती अनुवर्ती वर्ष तक अग्रेषित की जा सकती थी । 1970 से समूह "ग" से समूह "ख" में, समूह "ख" के भीतर और समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी में चयन द्वारा पदोन्नति को छोड़कर जहां अग्रेनीत किए जाने का सिद्धान्त लागू नहीं होता है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की न भरी गई आरक्षित रिक्तियां तीन अनुवर्ती भर्ती वर्षों तक अग्रेनीत की जा सकती है । अग्रेनीत के सिद्धान्त के साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बीच रिक्तियों की अदला-बदली से सम्बन्धित उपबन्ध को भी बदला गया है । 1955 में स्थिति यह थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षित रिक्तियों की अदला-बदली एक ही भर्ती वर्ष में की जाती थी । अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जन जाति आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1962 में यह व्यवस्था रद्द कर दी गई थी । 1970 से समूह "ग" से समूह "ख", समूह "ख" के भीतर और समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी में चयन द्वारा पदोन्नति को छोड़कर जहां ऐसी अदला-बदली की अनुमति भर्ती के उसी वर्ष में होती है अनुसूचित जाति तथा अनूसूचित जनजाति के बीच आरक्षित रिक्तियों की अदला-बदली अग्रेनीत किए जाने के तृतीय तथा अन्तिम वर्ष में की जा सकती है ।

लगभग तीन दशकों के बीत जाने के बाद वर्तमान प्रतिशतताओं को एक सुनिश्चित रूप मिल सका है जो निम्नानुसार है :

वर्तमान निर्धारित प्रतिशतता	अनु० जा०	अनु० ज० जा०
1	2	3
(i) अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती :		
(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा (अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ली जाने वाली खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा)	15½%	7½%
(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा	16⅔%	7½%
(ii) समूह ग और समूह घ (श्रेणी-III तथा IV) के ऐसे पदों पर सीधी भर्ती जिनके प्रति सामान्यत: स्थानीय या क्षेत्रीय उम्मीदवार आकृष्ट होते हैं ।	संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या के अनुपात में ।	
(iii) उन ग्रेडों अथवा सेवाओं में पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, जिनमें सीधी भर्ती यदि कोई हो, 66⅔ से अधिक नहीं होती है		
(क) समूह ख, ग तथा घ (श्रेणी-II, III तथा IV) में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ।	15%	7½%
(ख) समूह ख (श्रेणी-II) से समूह क (श्रेणी-I) की निम्नतम सीधी अथवा वर्ग में और समूह ख, ग तथा घ (श्रेणी II, III और IV) में चयन द्वारा	15%	7½%
(ग) वरिष्ठता के आधार पर उपयुक्तता के अध्यधीन समूह क, ख, ग और घ (श्रेणी I, II, III तथा IV) में	15%	7½%

5. आरक्षण दिए जाने के अलावा सरकार ने पदोन्नति के साथ-साथ सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को बहुत सी रियायतें भी दी हुई हैं और आन्तरिक ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) भी ऐसा बना दिया गया है, जिसमें प्रक्रियात्मक तथा संस्थागत सुरक्षोपाय है जिन्हें संक्षेप में निम्नलिखित पैराग्राफों में वर्णित किया गया है :

I. **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों को रियायत**

(1) **आयु में छूट** : किसी सेवा अथवा पद में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित की गई अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है ।

(2) **शुल्क में रियायत** : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भर्ती/चयन के लिए निर्धारित शुल्कों के भुगतान से छूट प्रदान की गई है ।

II. **आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए मानकों में छूट तथा किए गए अन्य उपाय**

(1) **उपयुक्तता के मानकों में छूट** : इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि सीधी भर्ती के मामले में चाहे वे परीक्षा द्वारा हो अथवा अन्यथा, यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानकों के आधार पर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो इन समुदायों के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए चुना जा सकता है बशर्ते कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए उपयुक्त पाए गए हों ।

(2) **सीधी भर्ती में "अनुभव" संबंधी अर्हता में छूट** : दिनांक 5 सितम्बर, 1975 के कार्यालय ज्ञापन में अनुदेश जारी किए गए हैं कि यदि चयन के किसी चरण में संघ लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हो पाने संभव नहीं हैं तो संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में "अनुभव" संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है ।

(3) **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का अलग साक्षात्कार** : साक्षात्कार के माध्यम से अथवा साक्षात्कार के साथ परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए किसी अलग दिन अथवा चयन समिति की किसी अलग बैठक में बुलाया जाएगा ।

(4) **श्रेणी-III तथा IV के गैर तकनीकी तथा अर्ध तकनीकी पदों के मानकों में और आगे रियायत** : 24 सितम्बर, 1968 को इस आशय के अनुदेश जारी

किए गए हैं कि जहां लिखित परीक्षा से इतर माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली श्रेणी-III और IV की गैर-तकनीकी और अर्ध-तकनीकी सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती के लिए यदि मानकों में रियायत दिए जाने के बावजूद उक्त समुदायों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते है तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों में से जो किसी ऐसी सेवा/पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं रखते हों, ऐसे वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों तक चयन कर दिया जाएगा । ऐसे उम्मीदवारों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर तक लाने के उद्देश्य से उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

III. अनुसंधान के लिए श्रेणी-I की न्यूनतम सीढ़ी तक के अपेक्षित वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को आरक्षण आदेशों के अधीन लाया जाना

1975 से पहले अनुसंधान के संचालन अथवा अनुसंधान आयोजित करने, मार्ग-निर्देशन करने तथा निदेश करने के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों के क्षेत्र से बाहर रखा गया था । किन्तु 1975 में उपर्युक्त आदेशों को संशोधित कर दिया गया और यह निर्णय किया गया था कि संबंधित सेवाओं में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी पद आरक्षणों की योजना से बाहर रखे गये थे श्रेणी-I के निम्नतम ग्रेड सहित तथा उस ग्रेड तक के वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर की जाने वाली भर्ती भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की योजना के अधीन लाई जानी चाहिए । किन्तु ये संशोधित आदेश अन्तरिक्ष विभाग, इलेक्ट्रोनिक विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशिक्षण स्कूल के प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती के संबंध में लागू नहीं किए गए थे । बाद के विभागों के मामले में 1975 से पूर्व लागू आदेश लागू रहेंगे ।

IV पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अन्य रियायतें

(1) **श्रेणी-I के अन्तर्गत आने वाले ऐसे पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में जिनका अंतिम वेतन 2000 रु० प्रति मास या इससे कम (संशोधित वेतनमान रु० 2250 प्रति मास अथवा उससे कम) है :** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन अधिकारियों को, जो पदोन्नति के विचार में इतने वरिष्ठ हैं कि जितनी रिक्तियों की प्रवर सूची बनायी जानी है, उनके भीतर आते हैं, इस सूची में शामिल किया जायेगा बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के लिए अयोग्य न माना जाए ।

(2) **विभागीय परीक्षा में मानकों में रियायत** : 23 दिसम्बर, 1970 को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से की जाने वाली पदोन्नतियों में आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है जिन्होंने परीक्षा में सामान्य अर्हक मानक प्राप्त किए हैं, बशर्ते कि वे ऐसी पदोन्नति के लिए अयोग्य न पाए जाएं । स्थायीकरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निश्चय करने के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षाओं में और पदोन्नति के लिए विभागीय अर्हक परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इसी प्रकार की ढील दी गई ।

पदोन्नति के लिए विभागीय अर्हक परीक्षा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अर्हक मानकों में रियायत देने के लिए ऐसे ही अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

(3) **पदोन्नति के पदों में आयु संबंधी छूट** : सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट की जो रियायत स्वीकार्य थी उसे अब पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर भी लागू कर दिया गया है । 8 दिसम्बर, 1971 को इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि जहां किसी सेवा/पद में पदोन्नति के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं है, वहां उन पदों को छोड़कर जिनके साथ दुर्गम क्षेत्रीय ड्यूटी जुड़ी है अथवा जो सांग्रामिक सुरक्षा के लिए हैं अथवा अर्ध्द सैन्य संगठनों में हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पांच वर्ष की छूट दे दी जाएगी ।

(4) **पदोन्नति में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिक्रमण के संबंध में सुरक्षोपाय** : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की पात्रता तथा उपलब्धता के होते हुए भी आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नतियों के लिए अस्वीकार किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के अस्वीकार किए जाने के संबंध में संरक्षण प्रदान कराने के उद्देश्य से इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि उनके मामले मंत्रियों/उप-मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/विभागाध्यक्षों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं या उन्हें इन मामलों की रिपोर्ट की जाए । अब ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं कि अनारक्षित पदों पर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अधिक्रमण की सूचना दी जानी चाहिए ।

V(क). **प्रक्रियात्मक संरक्षण** :

(1) **आरक्षण के लिए माडल रोस्टर** : अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों में आरक्षणों को प्रभावी बनाने के लिए 40-40 प्वाइंट के माडल रोस्टर

निर्धारित किए गए हैं । श्रेणी-III तथा IV पदों में स्थानीय अथवा क्षेत्रीय भर्ती में आरक्षण के लिए 100-100 प्वाइंट का रोस्टर निर्धारित किया गया है । नियोक्ता प्राधिकारियों को इस रोस्टर के अनुसार रिक्तियों को आरक्षित अथवा अनारक्षित मानना होता है ।

(2) **सम्पर्क अधिकारी तथा विशेष एकक** : मंत्रालयों तथा विभागों ने सम्पर्क अधिकारियों का कार्य करने के लिए उप-सचिव के रैंक के अधिकारियों को नामित किया हुआ है जो अपने मंत्रालय तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित सर्व कार्य प्रभारी हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि इससे संबंधित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है । उनके प्रभार के अधीन कार्यालयों में रखे गए रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करने और आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के प्रस्तावों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में भेजने से पहले उनकी संवीक्षा करने के लिए भी सम्पर्क अधिकारी को विशेष रूप से उत्तरदायी बनाया गया है । अनारक्षण के प्रत्येक प्रस्ताव पर इस आशय की एक टिप्पणी लिखी जाती है कि अनारक्षण सम्पर्क अधिकारी की पूरी जानकारी में है और इस पर सम्पर्क अधिकारी की सहमति है । सम्पर्क अधिकारी को नामित करने की यह पद्धति प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अधीन विभागों के अध्यक्षों पर भी लागू कर दी गई है ।

मंत्रालयों/विभागों को 1969 में सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में मंत्रालय/विभाग में एक छोटा सा एकक बनाए जाने के लिए भी कहा गया है । इस एकक का मुख्य कार्य सम्पर्क अधिकारी को अपना कार्य कारगर रूप से निपटाने के लिए उसकी सहायता करना है ।

(3) **वार्षिक विवरण** : नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत किए जाने के लिए एक वार्षिक विवरण निर्धारित किया हुआ है जिसमें भरी गई रिक्तियों की संख्या तथा उसमें भर्ती किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या के ब्यौरे दर्शाए जाते हैं ।

(4) **अनारक्षण के लिए पूर्व अनुमोदन** : जब कभी सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण स्थायी तथा लम्बी अवधि की अस्थायी नियुक्तियों के लिए रोस्टर में शामिल किसी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करना आवश्यक हो जाता है तब नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है । फिर भी पदोन्नति में अनारक्षण की शक्ति निम्नलिखित शर्तों पर अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं :—

(क) पोषक संवर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध न हो ।

(ख) प्रत्येक प्रस्ताव की एक प्रति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त और कार्मिक विभाग को भेज दी गई हो ।

(ग) प्रस्ताव पर मंत्रालय के सम्पर्क अधिकारी द्वारा अपनी सहमति दे दी गई हो ।

(घ) अनारक्षण भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम रैंक के अधिकारी द्वारा न किया गया हो ।

(ङ) सम्पर्क अधिकारी और नियोक्ता प्राधिकारी के बीच असहमति के मामले में कार्मिक विभाग की सलाह मांग ली जानी चाहिए ।

V(ख). **संस्थागत संरक्षण :**

(1) **सम्पर्क अधिकारी और विशेष एकक :** मंत्रालयों तथा विभागों ने सम्पर्क अधिकारियों का कार्य करने के लिए उप-सचिव के रैंक के अधिकारियों को नामित किया हुआ है, जो अपने मंत्रालय/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित सर्व कार्य प्रभारी है और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि इससे संबंधित अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है । उनके प्रभार के अधीन कार्यालयों में रखे गए रोस्टरों के वार्षिक निरीक्षण करने और आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के प्रस्तावों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में भेजने से पहले उनकी संवीक्षा करने के लिए भी सम्पर्क अधिकारी को विशेष रूप से उत्तरदायी बनाया गया है । अनारक्षण के प्रत्येक प्रस्ताव पर इस आशय की एक टिप्पणी लिखी जानी है कि अनारक्षण सम्पर्क अधिकारी की पूरी जानकारी में है और इस पर सम्पर्क अधिकारी की सहमति है । सम्पर्क अधिकारी को नामित करने की यह पद्धति प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के अधीन विभागों के अध्यक्षों पर भी लागू कर दी गई है ।

(2) **अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त :** संविधान के अनुच्छेद 338 में बताए अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की गई है । यह आयुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नतियों आदि के मामलों के संबंध में रिकार्ड/सूचना मंगा सकता है । इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण से संबंधित प्रत्येक प्रस्ताव की एक प्रति अनिवार्यतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भेज दी जानी चाहिए

और यदि ऐसे प्रस्ताव पर आयुक्त द्वारा कोई विचार व्यक्त किए गए हों तो ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन करने से पहले उन्हें ध्यान में रखा जाएगा । आयुक्त अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि द्वारा रखे गए रोस्टरों का निरीक्षण करता है । हाल ही में जारी किए गए अनुदेशों द्वारा मंत्रालयों/विभागों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे आयुक्त के सुझावों/सिफारिशों के बारे में यथासंभव 6 महीने के भीतर "की गई कार्रवाई" दर्शाने वाली रिपोर्ट भेजें ।

(3) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग :** भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक आयोग का गठन किया है ।

(4) **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति :** उपर्युक्त सरकारी निकायों के अलावा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी एक संसदीय समिति भी है । यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सरकारी संगठनों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में स्थिति की परीक्षा करती है और इसमें सुधार लाए जाने के संबंध में या अध्ययन के दौरान उसे पता लगी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करती हैं ।

भर्ती की प्रक्रिया :

सामान्यतया यह देखने में आता है कि कुछ नियोक्ता प्राधिकारी सीधी भर्ती में अथवा पदोन्नति द्वारा भर्ती करने के लिए निर्धारित उपायों का अनुपालन नहीं करते हैं । भर्ती की प्रक्रिया का वर्णन इस विवरणिका के अध्याय 8 और 9 में किया गया है और अध्याय 12 में पदोन्नति के मामलों में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया के ब्यौरे दिए गए हैं । विभिन्न छूट तथा रियायतें अध्याय 7 में दी गई हैं । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्धारित उपायों का अनुपालन करने में नियोक्ता प्राधिकारियों की सहायता के लिए इस विवरणिका में 2 फ्लो चार्ट जोड़ दिए गए हैं । पहले चार्ट में सीधी भर्ती के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की एक विहंगम दृष्टि दी गई है और दूसरे चार्ट में पदोन्नति के मामले में अनुपालन की जाने वाली क्रियाविधि दी गई है ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की योजना में हुई नई-नई महत्वपूर्ण बातें दर्शाने वाला विवरण

संख्या	उपबन्ध	आदेशों की तारीख
1	2	3
	पदोन्नति	
1.	विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 12½% और 5% की दर से आरक्षण	4-1-57
2.	(क) श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV में चयन द्वारा पदोन्नति में (ख) श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV में विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जहाँ नई सीधी भर्ती नहीं थी—में आरक्षण	8-11-63
3.	(क) जहां सीधी भर्ती की मात्रा 50% से अधिक नहीं होती वहां श्रेणी-II, III तथा IV में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा पदोन्नति में (ख) जहां सीधी भर्ती की मात्रा 50% से अधिक नहीं होती वहां श्रेणी-III तथा IV में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण	11-7-68
4.	जहां पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर है बशर्ते कि योग्य है, वहां सभी समूहों में आरक्षण बशर्ते कि सीधी भर्ती की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक न हो	27-11-72
5.	समूह ग से समूह ख में, समूह ख के भीतर और समूह ख से समूह क की निम्नतम सीढ़ी तक चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण बशर्ते कि सीधी भर्ती की मात्रा 50% से अधिक न हो	20-7-74
6.	पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—उन ग्रेडों या सेवाओं में लागू किया जाना जिनमें सीधी भर्ती की मात्रा 66⅔% से अधिक न हो (50% से बढ़ाकर 66⅔%)	25-2-76
	अग्रेनीत किया जाना	
1.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किन्तु जिन्हें सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरा गया हो, ऐसी रिक्तियों का आरक्षण एक अनुवर्ती भर्ती वर्ष तक अग्रेनीत किया जाना	28-1-52

1	2	3
2.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किन्तु जिन्हें सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरा गया हो, ऐसी रिक्तियों के आरक्षण को दो अनुवर्ती भर्ती वर्षों तक अग्रनीत किया जाना	1-7-55
3.	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किन्तु जिन्हें सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरा गया हो, ऐसी रिक्तियों के आरक्षण को तीन अनुवर्ती वर्षों तक अग्रनीत किया जाना ।	25-3-70

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों की अदला-बदली

1.	भर्ती के उसी वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षित रिक्तियों की अदला-बदली	7-5-55
2.	उसी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों की अदला-बदली का उपबन्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में निरस्त किया जाना ।	24-9-62
3.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों की अदला-बदली भर्ती के तीसरे अनुवर्ती वर्ष में की जा सकती है ।	25-3-70

प्रतिशतता

1.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्रमशः 12½% और 5% निर्धारित की गई थी ।	13-9-50
2.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता 12½% और 5% से बढ़ाकर क्रमशः 15% और 7½% कर दी गयी थी ।	25-3-70

प्रतियोगिता परीक्षाओं में रियायती मानक

1.	सीधी भर्ती में	25-7-70
2.	पदोन्नति के लिए विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में	23-12-70
3.	जहां योग्यता परीक्षा द्वारा नियत की जाती है वहां वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए, बशर्ते कि योग्य हो, अर्हक परीक्षा	21-7-77
4.	जहां योग्यता क्रम परीक्षा द्वारा नियत किया जाता है, वहां चयन द्वारा पदोन्नति के लिए अर्हक परीक्षा ।	19-4-79

1	2	3
	अकेली रिक्ति	
1.	किसी आरक्षित प्वाइंट पर आई अकेली रिक्ति अनारक्षित समझी जानी चाहिए और आरक्षण विद्यमान आदेशों के अनुसार अग्रेनीत किया जाएगा ।	4-12-63 और 2-9-65
2.	प्रारम्भिक भर्ती वर्ष में किसी आरक्षित प्वाइंट पर आई अकेली रिक्ति अनारक्षित समझी जाएगी और आरक्षण तीन अनुवर्ती भर्ती वर्षों तक अग्रेनीत किया जाएगा, लेकिन यदि अनुवर्ती भर्ती वर्ष में भी फिर कोई अकेली रिक्ति है तो इसे अग्रेनीत आरक्षण में आरक्षित किया जाएगा । समूह ग से समूह ख में समूह "ख" के भीतर और समूह ख से समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी पर चयन द्वारा पदोन्नति के मामलें में भी यही बात लागू होगी ।	

भाग I

भाग I

अध्याय I

सांविधानिक उपबन्ध

संविधान के अनुच्छेद 335 और 16(4) में निम्नलिखित उपबन्ध हैं :—

335. संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा ।

16(4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता

2.1 तीसरे अध्याय में उल्लिखित छूटों और अपवर्जनों के अधीन रहते हुए भारत सरकार के अधीन रिक्त पदों और सेवाओं को भरने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
गृह मंत्रालय का तारीख 25-3-1970 का संकल्प संख्या 27/25/68-स्था० (एस०सी०टी०), कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 5-10-81 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/33/81-स्था० (एस० सी०टी०) । कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 24-5-85 का का० ज्ञा० संख्या 36013/4/84-स्थापना (एस०सी०टी०) ।	(i) अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती :—	15%	7½%
	(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा (अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ली गई खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा)		
	(ख) उपर्युक्त (क) के अलावा अन्य तरीकों से	16⅔%	7½%
परिशिष्ट 3 में बताए अनुसार (सामान्यत: संबंधित राज्यों/क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनु०जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में) । 11-7-68 का का०ज्ञा०सं० 1/12/67-स्थापना (ग) और तारीख 25-3-70	(ii) समूह ग और समूह घ (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी) पदों पर जिनके लिए सामान्यत: स्थानीय या क्षेत्रीय व्यक्ति ही उम्मीदवार होते हैं, सीधी भर्ती द्वारा		
	(iii) पदोन्नति द्वारा भरे गये पद :—	15%	7½%
	(क) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा		

	समूह ख, ग और घ में (द्वितीय श्रेणी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी), जिन ग्रेडों या सेवाओं में सीधी भर्ती (यदि कोई हो) 66⅔ प्रतिशत से अधिक न हो		
का 27/25/68-स्था० (एस०सी०टी०) और कार्मिक और प्र०सु० विभाग का दिनांक 20-7-1974 का कार्यालय ज्ञापन सं० 10/1/73-स्था० (एस० सी०टी०) तथा दिनांक 25-2-1976 का सं० 36021/7/75-स्थापना (एस०सी०टी०)	(ख) चयन (सेलेक्शन) द्वारा समूह "ख" में (श्रेणी-II) और समूह "क" (श्रेणी-I) के सबसे नीचे के पद या श्रेणी में और समूह ख, ग और घ (श्रेणी II, III और IV) के पदों के उन ग्रेडों अथवा सेवाओं में, जिनमें सीधी भर्ती (यदि कोई हो) 66⅔ प्रतिशत से अधिक नहीं है,	15%	7½%
कार्मिक विभाग का तारीख 27-11-72 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71-स्था० (एस० सी०टी०) और तारीख 25-2-1976 का संख्या 36021/7/75-स्था० (एस०सी०टी०)	(ग) उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर समूह क, ख, ग और घ (श्रेणी I, II, III और IV) के पदों पर, ग्रेडों या सेवाओं में जिनमें सीधी भर्ती (यदि कोई हो), 66⅔ प्रतिशत से अधिक न हो ।	15%	7½%

गृह मंत्रालय का तारीख 28-1-52 का का०ज्ञा०सं०42/21/49-एन०जी०एस० के परिशिष्ट (क) का नियम VIII

टिप्पणी:—(1) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो जो उपर्युक्त प्रकार से आरक्षित नहीं है और उसकी नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जाती है जो आरक्षित है तो इस विवरणिका के चौथे अध्याय में उल्लिखित तरीके से रोस्टर रखने के लिए इस नियुक्ति को सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्ति माना जाएगा ।

गृह मंत्रालय के तारीख 8-2-68 के का० ज्ञा० सं० 8/4/68-स्था० (ग)

(2) यदि कोई पद सीधी भर्ती से भरा जाना हो, तो आरक्षण आदेश उस स्थिति में भी लागू होंगे यदि पहले से ही सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए उसने आवेदन किया है और जिस पर सीधी भर्ती से उसका चयन हुआ है ।

कार्मिक और प्र०सु० विभाग का दिनांक 5-10-81 का का०ज्ञा० सं० 36011/33/81-स्थापना (एस०सी०टी०)

2.2 उपर्युक्त पैराग्राफ में दिए गए "खुली प्रतियोगिता द्वारा" शब्दों से अभिप्रेत है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सम्पूर्ण भर्ती, चाहे वह लिखित परीक्षा द्वारा हो अथवा साक्षात्कार द्वारा अथवा दोनों ही माध्यमों द्वारा और कर्मचारी चयन आयोग सहित किसी अन्य नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा अथवा टेस्ट (परन्तु अकेले साक्षात्कार द्वारा ही नहीं) द्वारा की गई भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा न की गई । कोई भी भर्ती अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिए गए लिखित प्रतियोगिता टैस्ट का अभिप्राय होगा खुली प्रतियोगिता से अन्यथा की गई सीधी भर्ती ।

कार्मिक विभाग तारीख 28-10-79 का का० ज्ञा० सं० 27/2/ 71-स्था० (एस० सी० टी०)

2.3 यदि किसी नवगठित सेवा की संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार सेवा के प्रारंभिक गठन के समय की जाने वाली नियुक्तियां केवल ऐसे विभागीय उम्मीदवारों में से की जानी हो, जो उन पदों पर पहले से ही काम कर रहे हैं और जिन्हें बाद में नवगठित सेवा में शामिल कर लिया गया हो तो इन नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी नियम लागू नहीं होंगे । तथापि, यदि सेवा के आरंभिक गठन के समय बाहरी स्रोतों से भर्ती का भी प्रावधान हो, अर्थात् उस सेवा के पदधारियों को छोड़कर जिसका पुनर्गठन हुआ है अथवा उन पदों के पदधारियों को छोड़कर जिन्हें किसी न किसी रूप में संवर्ग में शामिल कर लिया गया है अन्य स्रोतों से भर्ती की जा सकती हो तो बाहरी स्रोतों से होने वाली भर्ती सीधी भर्ती के समान ही होगी अतः इस प्रकार की भर्ती करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी आदेश तदनुसार सेवा के आरंभिक गठन के समय प्रत्येक मामले पर उसकी विशेषताओं के आधार पर विचार किया जाए । ताकि इस बात का निर्धारण हो सके कि आरंभिक स्तर पर सेवा संबंधी नियम बनाते समय कोई पद बाहरी स्रोतों से भरा जाना हो तो अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण किया जाएगा या नहीं । यदि मंत्रालय/विभाग के अधीन किसी अखिल भारतीय या केन्द्रीय सेवा का गठन किया जाना हो तो सेवा के गठन के समय आरंभ में ही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से इस प्रश्न पर विचार कर लिया जाए कि इस सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी आदेश लागू होंगे या नहीं ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 22-8-1975 का०ज्ञा०सं० 8/7/74-स्था०(एस०सी०टी०)

2.4 सरकारी औद्योगिक स्थापनाओं में औद्योगिक कामगारों के पद

भारत सरकार की औद्योगिक स्थापनाओं और इन स्थापनाओं में पदों और ग्रेडों पर भी चाहे ये ग्रुप क, ख, ग और घ (श्रेणी I, II, III और IV) के रूप में वर्गीकृत हों या न हों अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण की योजना लागू होगी ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 10-2-1977 का का०ज्ञा०सं० 36021/9/76-स्था० (एस० सी०टी०)

2.5 जब तक संभव हो सामान्यत: कार्य प्रभारित पदों पर भी अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण का सिद्धांत समुचित रूप से लागू किया जाए, किन्तु आपातकालीन स्थितियों में जैसे बाढ़ सहायता कार्य तथा दुर्घटना के कारण अस्त-व्यस्त स्थिति को व्यवस्थित करने का कार्य और सहायता कार्य इत्यादि के लिए आवश्यक पदों पर नियुक्ति करते समय यह आरक्षण न किए जाएं कार्य प्रभारित पदों पर नियुक्तियों के संबंध में आरक्षण की प्रतिशतता ग्रुप ग और घ (श्रेणी-III और श्रेणी IV) के संबंध में लागू प्रतिशतता के अनुरूप हो सकती हैं ।

2.6 दैनिक दर कर्मचारी

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 16-7-81 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/18/81-स्था०(एस०सी०टी०)

अब यह निर्णय किया गया है कि जब भी दैनिक दर कर्मचारियों के संबंध में आरक्षण के आदेशों को पूर्णतया लागू करना व्यवहार्य नहीं हो तो यहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की भर्ती इस प्रकार की जाए कि उनका सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता से नीचे न जाए । इस प्रयोजन के लिए कोई मोडल रोस्टर रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दैनिक मजदूरी वालों के लिए इस प्रकार की कोई रिक्तियां नहीं हैं बल्कि इनकी संख्या निष्पादित किए जाने वाले काम की अत्यावश्यकता के आधार पर नियत की जाती है । उदाहरणार्थ, यदि कोई विशिष्ट संगठन लगभग 100 दैनिक वेतनवालों को भर्ती करता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केन्द्र में अथवा स्थानीय तथा क्षेत्रीय भर्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए नियत प्रतिशतता के अनुसार उन्हें रोजगार पर लिया जाता है ।

अध्याय 2 में

कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

संकल्प संख्या 42/21/49-एन०जी०एस०	13-9-50
संकल्प संख्या 27/25/68स्था०(एस०सी०टी०)	25-3-70 (अध्याय 11 के बाद)
का०ज्ञा०सं० 27/25/68-स्था०(एस०सी०टी०)	25-3-70
का०ज्ञा०सं० 27/2/71-स्था०(एस०सी०टी०)	28-10-72
का०ज्ञा०सं० 36021/9/76-स्था०(एस०सी०टी०)	10-2-77
का०ज्ञा०सं० 36011/18/81-स्था०(एस०सी०टी०)	16-7-81
का०ज्ञा०सं० 36011/33/81-स्था०(एस०सी०टी०)	5-10-81

गृह मंत्रालय का तारीख 13 सितम्बर 1950 का संकल्प संख्या 42/21/49-एन०जी०एस०

नये संविधान के लागू होने से ठीक पहले, सेवाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के संबंध में भारत सरकार की यह नीति थी कि खुली प्रतियोगिता द्वारा की गई नियुक्तियों में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का 12½ प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था, जबकि उन पदों और सेवाओं के बारे में जिनमें भर्ती देश के प्रमुख सम्प्रदायों को उनकी आबादी के अनुपात में नौकरियां दी जाती थी, प्रतियोगिता के अलावा अन्य तरीकों से की जाती थी । उन सेवाओं में आंग्ल-भारतीयों के लिए भी कुछ आरक्षण किये जाते थे, जिनके साथ उनका विशेष पहला संबंध रहा था ।

2. भारत सरकार ने अब इस संबंध में भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार अपनी नीति की समीक्षा की है, जिसमें दूसरी बातों के साथ साथ यह भी उल्लेख किया गया है, कि कुछ अपवादों के रहते, राज्य के अंतर्गत सेवाओं में नियुक्तियों के मामले में वंश, धर्म और जाति आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा । वे अपवाद ये है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सभी सेवाओं में तथा जिन सेवाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए 14 अगस्त, 1947 के पहले विशेष आरक्षण रहता था, उन सेवाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी । 1951 की जनगणना के समय जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का निर्धारण होने तक भारत सरकार ने अपने अधीन पदों और सेवाओं में भर्ती के लिए निम्नलिखित आरक्षण करने का निर्णय लिया है ।

(क) **अनुसूचित जातियां** :— खुली प्रतियोगिता द्वारा अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्राधिकारी द्वारा ली जाने वाली खुली प्रतियोगिता टेस्ट के आधार पर अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए रिक्तियों का विद्यमान 12½ प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा जहां पर खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य प्रकार से भर्ती की जाती है वहां अनुसूचित जातियों के लिए रिक्तियों के 16⅔ प्रतिशत विद्यमान आरक्षण जारी रहेंगे ।

(ख) **अनुसूचित जन जातियां** :— दोनों खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती किये जाने वाले तथा खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य प्रकार से की जाने वाली भर्ती के मामले में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों का 5% अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रखा जाएगा ।

(ग) **आंग्ल-भारतीय** :— 14 अगस्त, 1947 को रेल सेवाओं, डाक व तार विभाग और सीमा शुल्क विभाग में आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण लागू थे वे संविधान के अनुच्छेद 336 के उपबंधों के अधीन जारी रहेंगे ।

3. पिछले पैरे में निर्धारित आरक्षण अखिल भारतीय आधार पर की गई भर्ती के मामले में, लागू होंगे । संविधान के अंतर्गत, अधिवास या जन्मस्थान का ध्यान किये बिना भारत के सभी नागरिकों के बारे में केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर और सेवाओं में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है और किसी ऐसी केन्द्रीय सेवा में भर्ती नहीं की जा सकती, जो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के निवासियों के लिए नियमानुसार परिसीमित हो । परन्तु व्यवहार में श्रेणी-I और II की सेवाओं और पदों की भर्ती के लिए भारत भर से उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांगे जा सकते हैं और भर्ती ठीक अखिल भारतीय आधार पर होगी, जबकि केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों और सेवाओं के अलावा श्रेणी III की अधिकांश सेवाओं और पदों के लिए सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों से आवेदन पत्र मांगे जाने की संभावना है, जो कि उस क्षेत्र में या स्थान पर रहते हैं, जहां कि कार्यालय है । दूसरे प्रकार के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता उस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा नियत की जाएगी ।

4(i) विभिन्न समुदायों के लिए रिक्तियों के आरक्षण संबंधी आदेश पदोन्नति द्वारा भर्ती पर लागू नहीं होंगे । पदोन्नति साम्प्रदायिक विचारों का ख्याल किये बिना तथा वरिष्ठता और/या गुण के आधार पर जैसी भी स्थिति हो पहले ही की तरह जारी रहेगी ।

(ii) सभी मामलों में, अर्हताओं का निम्नतम स्तर निर्धारित किया जाएगा और आरक्षण इस व्यापक शर्त पर किये जाएंगे कि निर्धारित योग्यताओं वाले और उक्त नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त अपेक्षित समुदायों के उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए काफी संख्या में मिल रहे हैं ।

(iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमाओं में तीन वर्ष की वृध्दि की जाएगी और उनके मामले में किसी परीक्षा में बैठने या चयन में भाग लेने के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई ही लिया जाएगा ।

(iv) इन आदेशों के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को यथा-स्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों का सदस्य तभी माना जाएगा जबकि वह संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 या संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के अंतर्गत ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित है, जिसे उस क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है, जहां और/या उसका परिवार साधारणतया रहता है । इन आदेशों के प्रयोजनों के लिए भाग 'ग' राज्यों और भाग 'घ' क्षेत्रों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तौर पर समझे जाने वाली जातियों और जनजातियों की घोषणा करने संबंधी हिदायतों को अलग से जारी किया जाएगा ।

(v) संविधान की पहली अनुसूची के भाग 'ग' के राज्यों में पदों और सेवाओं सहित, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन सभी सेवाओं पर ये आदेश लागू हैं और उन्हें 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ माना जाएगा ।

(vi) गृह मंत्रालय के तारीख 21 अगस्त, 1947 के संकल्प सं० 16/10/47-स्था० और तारीख 22 अगस्त, 1947 के कार्यालय ज्ञापन सं० 31/93/47-स्था० में दर्ज आदेश और इन आदेशों के आधार पर जारी किये गए अन्य आदेश, इसके द्वारा रद्द कर दिये गए हैं ।

गृह मंत्रालय का तारीख 25 मार्च, 1970 का संकल्प संख्या 27/25/68-स्था०(एस०सी०टी०)

भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों से संबंधित भारत सरकार की नीति गृह मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प सं० 42/21/49-एन०जी०एस० में निर्धारित की गई थी ।

भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 161 की जनगणना में बताई गई इन समुदायों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उनके आरक्षण के प्रतिशत का पुनर्रीक्षण करने का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है । तारीख 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प के पैरा 2 और 4(1) में दिये गये निर्णयों का संशोधन करते हुए अब यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अब निम्नलिखित आरक्षण किए जाएंगे :—

अनुसूचित जातियां :—खुली प्रतियोगिता द्वारा अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली खुली प्रतियोगिता के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों के लिए रिक्तियों के विद्यमान 12½ प्रतिशत आरक्षण की बजाय 15 प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा । जहां खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य प्रकार से भर्ती की जाती है वहां अनुसूचित जातियों के लिए विद्यमान 16⅔ प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा ।

अनुसूचित जनजातियां :—अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती किए जाने वाले, तथा खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य प्रकार से सीधी भर्ती किए जाने वाले दोनों प्रकार के पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विद्यमान 5 प्रतिशत के बदले 7½ प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा ।

2. जिन पदों तथा सेवाओं के लिए स्थानीय क्षेत्रीय आधार पर भर्ती की जाती है, वहां 1961 की जनगणना के आधार पर विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की प्रतिशतता में संशोधन किया जाएगा ।

3. भारत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के जिन पदों के लिए गृह मंत्रालय के तारीख 11 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-स्था० (सी०) के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनकी अब आरक्षण की प्रतिशत संख्या अनुसूचित जातियों के लिए 12½ प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7½ प्रतिशत कर दी जाएगी ।

4. ये आदेश इस संकल्प के जारी होने की तारीख से लागू होंगे । किन्तु इसमें वे पद शामिल नहीं होंगे जिनके बारे में प्रतियोगिता परीक्षा के नियम पहले से ही प्रकाशित

हो चुके हों अथवा जहां इन आदेशों के जारी होने के पहले ही सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए पहले ही चयन किया जा चुका हो ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 28 अक्तूबर, 1972 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय:—नयी अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं का निर्माण—उनके प्रारंभिक गठन के समय नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण संबंधी प्रश्न ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को ज्ञात है गृह मंत्रालय के तारीख 25-3-1970 के का०ज्ञा०सं० 27/25/68-स्था० (एस०सी०टी०) के साथ पठित उक्त मंत्रालय के तारीख 11-7-1968 के का०ज्ञा०सं० 1/12/67-स्था० (सी०) में निर्धारित सीमा तक सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों और पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है । परन्तु गृह मंत्रालय के तारीख 27-9-67 के का०ज्ञा०सं० 16/12/67-स्था०(सी०) के अनुसार प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों में इन समुदायों के सदस्यों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है । जब भी नई सेवाओं का निर्माण किया जाता है तो उनके प्रारंभिक गठन पर रिक्तियों को आमतौर पर विभागीय उम्मीदवारों से भरा जाता है न कि सीधी भर्ती द्वारा । इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेश सेवाओं के प्रारंभिक गठन के समय प्रतिनियुक्तियों के संबंध में लागू होंगे । सेवा के प्रारंभिक गठन के समय नियुक्तियां संबंधित सेवा के नियमानुसार ही की जाती हैं । यदि नई बनाई गई सेवा के संबंधित नियमों के अनुसार सेवा के प्रारंभिक गठन पर नियुक्तियों को इस समय नई सेवा में शामिल पदों को धारण करने वाले केवल विभागीय उम्मीदवारों से ही भरा जाना है तो ऐसी नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं किया जाएगा । तथापि जहां सेवा के ऐसे प्रारंभिक गठन में बाहरी स्रोतों से अर्थात् पुनर्गठित सेवा में या नई सेवा में एक या दूसरे रूप में संवर्ग में शामिल पदों पर काम करने वालों के अतिरिक्त व्यक्तियों की भर्ती की भी व्यवस्था हो, वहां बाहरी स्रोतों से भर्ती, सीधी भर्ती के समान ही होगी और इसलिए उसके संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने संबंधी आदेश लागू होंगे । इसलिए यह

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 12-3-84 का का०ज्ञा० सं० 36011/28/83-स्था० (अनु० जा०)

विषय :—स्थायीकरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में आगे और स्पष्टीकरण ।

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण संबंधी विवरणिका, छठा संस्करण, 1982 के अध्याय 4 के पैरा 4.3 की ओर दिलाने का निदेश हुआ है, जिन्हें नीचे उद्धृत किया जाता है :—

"(i) स्थायी नियुक्तियों का और जिन अस्थाई नियुक्तियों को स्थाई किए जाने या अनिश्चित काल तक चलने की संभावना हो, उनका सामान्य रोस्टर रखा जाना चाहिए ।

(ii) जो 45 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाली पूर्णतः अस्थाई नियुक्तियां हो, और जिनको स्थाई किए जाने या जिन्हें अनिश्चित काल तक चलने की कोई संभावना न हो, उनका अलग रोस्टर रखा जाना चाहिए ।

(iii) प्रारंभिक नियुक्ति के समय रोस्टर में शामिल किए गए अस्थाई पद को जब बाद में स्थायी पद के रूप में रूपांतरित कर दिया गया हो तो इस रूपांतरण के बाद उसे रोस्टर में दुबारा नहीं दिखाया जाएगा, अपितु मूल रूप से भरे जाने के समय वह जिस प्वाइंट पर आती थी, उसके अनुसार ही उसे आरक्षित या अनारक्षित माना जाएगा ।

(iv) मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र दिए जाने या किसी अन्य कारण से उत्पन्न स्थायी रिक्तियां, जो प्रत्यक्ष रिक्तियां भी हैं, रोस्टर में उपर्युक्त (i) के स्थान पर दिखाई जाएंगी और उसी के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा ।"

2. दिनांक 25-6-1982 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/12/82-स्था० (अनु० जा०) (प्रतिलिपी संलग्न) द्वारा आगे यह भी प्रावधान किया गया था कि मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र दिए जाने या किसी अन्य कारण से उत्पन्न स्थायी रिक्तियां, जो प्रत्यक्ष रिक्तियां भी हैं, स्थिति अनुसार 40 प्वाइंट या 100 प्वाइंट के पृथक रोस्टर में दिखाई जाएंगी और उसी के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा ।

है । कर्मचारी चयन आयोग ने इस विभाग को सूचित किया है कि उनके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में दो प्रकार के नामांकन शामिल हैं —एक तो एकल जोनवार सूचियों पर (सम्पूर्ण देश को कई जोनों में विभाजित किया गया है जहां प्रत्येक जोन कुछ अंश तक एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरूप है) जो केन्द्र-संयोजित-जोनल योजना के अनुसरण में तैयार की गई हैं और जिनके अधीन उम्मीदवार उन्हीं जोनों में स्थित कार्यालयों में पदों पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र हैं जिनमें उम्मीदवार द्वारा चुना गया परीक्षा केन्द्र पड़ता है, चाहे परीक्षा कामन है । कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि सामान्यत: उम्मीदवारों द्वारा अपने ही राज्य में स्थित केन्द्र को चुना जाता है । उदाहरण के लिए लिपिक श्रेणी परीक्षा "x", "y" तथा "z" वर्गों, के लिए आयोजित की जाती है । "x" तथा "z" वर्गों के लिए उम्मीदवारों की सूची अखिल भारतीय आधार पर होती है । जबकि "y" ग्रुप के लिए नामांकन केन्द्र-संयोजित-जोनल आधार पर होते हैं जहां उम्मीदवारों को उन्हीं जोनों में आबंटित किया जाता है जहां पर उन्होंने परीक्षा दी है ।

3. उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय किया गया है कि जिन प्रतिष्ठानों में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार की गई अखिल भारतीय सूची से उम्मीदवार दिए जाते हैं, वे परिशिष्ट-1 में दिया गया 40 पाइंट का रोस्टर रखेंगे जिसमें अनु० जातियों तथा अनु० जन जातियों के लिए क्रमश: 15% तथा 7½% रिक्तियां निर्धारित हैं । जिन प्रतिष्ठानों में केन्द्र-सहयोजित जोनल आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार की गई सूची से उम्मीदवार दिए जाते हैं वे 100 पाइंट का रोस्टर रखेंगे जो उन राज्यों में जहां वे स्थित हैं, अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों की जनसंख्या पर आधारित होंगे । फिर भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि उम्मीदवारों का आबंटन उनके द्वारा चुने गए केन्द्र पर निर्भर करता है इसलिए उम्मीदवार के अपने राज्य से भिन्न राज्य का केन्द्र चुन लेने पर उसकी नियुक्ति उस राज्य में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी, जिसमें उसके द्वारा चुना गया केन्द्र स्थित है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब कोई विशेष प्रतिष्ठान एक से अधिक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में फैला हो, तो ऐसे प्रतिष्ठान इन क्षेत्रों में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर 100 पाइंट का रोस्टर तैयार करें । ऐसा 100 पाइंट का रोस्टर तैयार करते समय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की सहायता भी ली जा सकती है ।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस का०ज्ञा० की विषय वस्तु को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में ला दें ।

सामान्यतया एक ही इलाके/स्थान अथवा एक ही क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए वर्ग ग तथा घ के पदों पर सीधी भर्ती	इन स्थानों/क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के जनसंख्या पर आधारित आरक्षण की प्रतिशतता के आधार पर परिशिष्ट 3 में दिया गया 100 प्वाइंट रोस्टर ।

2. उपर्युक्त पैरा में दिए गए "खुली प्रतियोगिता द्वारा" शब्दों से अभिप्रेत है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सम्पूर्ण भर्ती चाहे वह लिखित परीक्षा द्वारा हो अथवा साक्षात्कार द्वारा अथवा दोनो ही माध्यमों द्वारा और कर्मचारी चयन आयोग सहित किसी अन्य नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा अथवा टेस्ट (परन्तु अकेले साक्षात्कार द्वारा ही नहीं) द्वारा की गई भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा न की गई कोई भी भर्ती अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिए गए लिखित प्रतियोगिता टेस्ट का अभिप्राय होगा खुली प्रतियोगिता से अन्यथा की गई सीधी भर्ती ।

3. वित्त मंत्रालय आदि भविष्य में अपने मार्गनिर्देशन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन को देखें और इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने अधीन सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं ।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 8-2-83 का का०ज्ञा० संख्या 36011/9/82-स्था० (अनु०जा०)

विषय :—कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की गई भर्ती के लिए रोस्टर को लागू किया जाना ।

मंत्रालयों तथा विभागों का ध्यान इस विभाग के दिनांक 5-10-81 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/33/81-स्था० (अनु०जा०) (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि "खुली प्रतियोगिता द्वारा" शब्दों से यह अभिप्रेत है कि सं०लो०से० आयोग द्वारा की गई सम्पूर्ण भर्ती चाहे वह लिखित परीक्षा के माध्यम से हो या साक्षात्कार द्वारा अथवा दोनों ही माध्यमों द्वारा और कर्मचारी चयन आयोग सहित किसी अन्य नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा ली गई लिखित प्रतियोगिता परीक्षा अथवा टेस्ट द्वारा की गई भर्ती । अत: ऐसी स्थिति में, अनु० जातियों के लिए 15% तथा अनु० जन जातियों के लिए 7½% रिक्तियां आरक्षित किए जाने के लिए परिशिष्ट-1 में दिया गया 40 पाइंट का रोस्टर रखना होगा ।

2. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता के आधार पर की गई भर्ती के सम्बन्ध में कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से इस विभाग में अब जांच कर ली गई

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में ला दें।

टिप्पणी :—*पैरा 3 दिनांक 12-5-84 के का०ज्ञा०सं० 36011/28/83-स्था० (एस०सी०टी०) द्वारा अधिक्रमित किया गया।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 5-10-1981 का का०ज्ञा०सं० 36011/33/81-स्थापना (अनु०जा०)

विषय :—अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा और खुली प्रतियोगिता से अन्यथा द्वारा भर्ती के लिए 40 प्वाइंट के दो रोस्टरों को लागू करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त ने मंत्रालयों और विभागों द्वारा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण संबंधी पुस्तिका (1978) संस्करण के परिशिष्ट 1 और 2 में दिए गए 40 प्वाइंट को दो रोस्टर रखने और लागू करने के सम्बन्ध में संदेह प्रकट किया है। पुस्तक में दी गई वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

भर्ती की पद्धति	पालन किया जाने वाला रोस्टर
अखिल भारतीय आधार खुली प्रतियोगिता द्वारा अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ली गई खुली प्रतियोगिता द्वारा की गई सीधी भर्ती	अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियों के लिए 7½ प्रतिशत की दर से आरक्षण के लिए परिशिष्ट-1 के अनुसार 40 प्वाइंट रोस्टर।
खुली प्रतियोगिता से अन्यथा अखिल भारतीय आधार पर की गई सीधी भर्ती	अनुसूचित जातियों के लिए 16⅔ प्रतिशत और अनुसूचित जन जातियों के लिए 7½ प्रतिशत की दर से आरक्षण के लिए परिशिष्ट-2 के अनुसार 40 पाइंट रोस्टर।

"(i) स्थायी नियुक्तियों और स्थायी होने वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए या जिन रिक्तियों के अनिश्चित समय तक चलने की संभावना है उनका एक सामान्य रोस्टर रखना चाहिए ।

(ii) .....45 दिन या इससे अधिक दिनों तक चलने वाली पूर्णतया अस्थायी नियुक्तियों के लिए जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलने की कोई संभावना नहीं है, एक अलग रोस्टर रखना चाहिए ।

(iii) प्रारम्भिक नियुक्ति के समय रोस्टर में शामिल किये गए अस्थायी पद को, जब बाद में स्थायी पद में रूपान्तरित कर दिया जाता है तो उस पद को ऐसे रूपांतरण के बाद रोस्टर में दुबारा नहीं दिखाया जाएगा अपितु प्रारम्भ में भर्ती के समय वह जिस प्वाइंट पर पड़ता था उसके अनुसार ही उसे आरक्षित या अनारक्षित माना जाएगा ।

(iv) मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से होने वाली स्थायी रिक्तियों को तथा प्रत्यक्ष रिक्तियों को भी रोस्टर में उपर्युक्त (1) के अनुसार दिखाया जाएगा और उसी के अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा ।"

2. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाते रहे हैं कि रोस्टर में स्थायीकरण के लिए प्वाइंटों को कैसे दर्शाया जाए । अब यह निर्णय किया गया है कि पैरा 4.3(1) में उल्लिखित प्रत्यक्ष रिक्तियों के लिए 40 प्वाइंट अथवा 100 प्वाइंट का एक अलग रोस्टर जैसी भी स्थिति हो, अर्थात् प्रारम्भिक भर्ती के समय रखे गए रोस्टर जैसा एक रोस्टर इस कार्यालय ज्ञापन के जारी करने के बाद रखा जाना चाहिए । पिछले स्थायीकरणों से आग्रेनीत आरक्षणों को नए रोस्टरों में अग्रेनीत किया जाना चाहिए । सभी नियुक्तियों की तरह, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29-4-75 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/9/74-स्था० (अनु०जा०) में दी गई एकल रिक्ति से संबंधित आदेश तथा दिनांक 9-2-82 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/78-स्था० (अनु०जा०) में दिए गए 50% के आरक्षण को सीमित करने से संबंधित आदेश ऐसे स्थायीकरणों में भी लागू होंगे ।

*3. अस्थायी पदों को स्थायी पदों में रूपांतरण करने के मामले उक्त विवरणिका के पैरा 4.3 (III) द्वारा शासित होते रहेंगे । दूसरे शब्दों में, जब अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित किया जाता है तो उन्हें रोस्टर में पुनः दिखाने की आवश्यकता नहीं है अपितु उन्हें प्रारम्भिक भर्ती के समय पड़ने वाले आरक्षित या अनारक्षित प्वाइंट के अनुसार माना जाएगा ।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब ऐसे प्रारंभिक आरक्षित प्वाइंट को, जिस पर अनुकंपा से अथवा अधिशेष एकक से नियुक्ति की गई है, अगले प्वाइंट में बदल दिया जाता है तो आद के प्वाइंट को आरक्षित माना जाएगा चाहे उस भर्ती वर्ष में केवल एक रिक्ति हो और कार्मिक विभाग के दिनांक 29-4-75 के का०ज्ञा०सं० 1/9/74-स्थापना (अनु०जा०) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे । उदाहरणार्थ 40 प्वाइंट रोस्टर के प्वाइंट 8 पर किसी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की गई है, तो प्वाइंट 8 अनारक्षित नहीं किया जाएगा बल्कि इसे अगले प्वाइंट में बदल दिया जाएगा, प्वाइंट 9 जिसे अगले भर्ती अवसर वर्ष में भरा जा सकता है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित समझा जाएगा और इसे एक एकल रिक्ति होने पर भी आरक्षित माना जाएगा न कि अनारक्षित जैसा कि दिनांक 29-4-75 के कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की गैर-उपलब्धता की स्थिति में ही अनारक्षण तथा अग्रेनीत की प्रक्रिया प्वाइंट 9 को भरे जाने के समय शुरू की जाएगी ।

2.4 आरक्षित प्वाइंट पर पड़ने वाली एकल रिक्ति पर अनुकंपा के आधार पर अथवा अधिशेष एकक की सिफारिशों के कारण नियुक्त सामान्य वर्ग के उम्मीदवार

किन्तु जहां आरक्षित प्वाइंट पर पड़ने वाली एकल रिक्ति को अनुकंपा नियुक्ति से अथवा अधिशेष एकक से किसी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार द्वारा भरा जाना है, तो एकल रिक्ति होने पर भी यह रिक्ति 29-4-75 के आदेशों की शर्तों के अनुसार अनारक्षित तथा अग्रेनीत मानी जाएगी और उपर्युक्त पैरा 2.3 के अनुसार प्वाइंट बदलने के लिए कोई अवसर नहीं होगा । वित्त मंत्रालय आदि से भी अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के अनुपालन के लिए उनकी जानकारी में लाएं ।

सभी मंत्रालयों/विभागों को सम्बंधित कार्मिक तथा प्र०सु० विभाग का दिनांक 25-6-82 का का०ज्ञा०सं० 36011/12/82-स्था० (अनु०जा०)

विषय :—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए स्थायीकरण में आरक्षण के रोस्टरों का रख रखाव ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण संबंधी विवरणिका (1978, 5वां संस्करण) के अध्याय 4 के नीचे उद्धृत पैरा 4.3 की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है :—

जब अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को रोस्टर के अनारक्षित स्थानों पर अनुकंपा के आधार पर अथवा अधिशेष एकक की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी नियुक्तियों को भावी भर्ती वर्षों में होने वाली आरक्षित स्थानों के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा । उदाहरणार्थ 40 प्वाइंट रोस्टर के अनारक्षित प्वाइंट संख्या 6 पर पड़ने वाली रिक्ति अनुकंपा के आधार पर किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा भरी जाती है तो अनुसूचित जाति के इस उम्मीदवार की अनारक्षित प्वाइंट पर नियुक्ति को रोस्टर के भविष्य में होने वाले आरक्षित प्वाइंट 8 के लिए समायोजित नहीं किया जायेगा ।

2.2 स्थिति (I)(ख) अनुकंपा के आधार पर अथवा अधिशेष एकक की सिफारिशों के अनुसरण में आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार

किंतु यदि कोई आरक्षित प्वाइंट अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति (अथवा अधिशेष एकक) के ऐसे व्यक्ति द्वारा भरा जाता है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य है तो आरक्षण का उपयोग समझा जाएगा और कोई अग्रेनीत स्वीकार्य नहीं होगा यदि आरक्षित प्वाइंट पर ऐसी कोई रिक्ति किसी वर्ष की एकल रिक्ति होती है तो भी इसे अनारक्षित नहीं समझा जाएगा परन्तु यदि इसका लाभभोगी वास्तव में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का सदस्य है तो इसे आरक्षित समझा जाएगा ।

2.3 स्थिति (II) अनुकंपा के आधार पर अथवा अधिशेष एकक की सिफारिशों पर आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त सामान्य वर्ग के उम्मीदवार ।

जब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार (उम्मीदवारों) को रोस्टर के आरक्षित प्वाइंट (प्वाइंटों) पर अनुकंपा के आधार पर अथवा अधिशेष एकक की सिफारिशों पर नियुक्त किया जाता है, तो रोस्टर में अगले प्वाइंट (प्वाइंटों) को आरक्षित प्वाइंट (प्वाइंटों) में बदल दिया जाये और उन्हें अनारक्षित अथवा अग्रेनीत न किया जाए ताकि अगले भर्ती अवसर पर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार की नियुक्ति अनारक्षण, अग्रेनीत आदि की प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के बिना सुनिश्चित की जा सकें । अनारक्षण तथा अग्रेनीत की प्रक्रिया ऐसे भावी भर्ती वर्ष (वर्षों) से उस स्टेज पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में शुरू की जाएगी । अगले भर्ती अवसर से अनारक्षित समय गिने जाने से आरक्षित समुदायों के उम्मीदवारों के लिए एक भर्ती वर्ष की हानि बच जाएगी ।

के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए रख दिया गया है और आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार द्वारा उस रिक्ति को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है और उसमें प्रगति हो रही है । जब तक आरक्षित समुदाय का उम्मीदवार कार्यभार न संभाल ले या जब तक आरक्षित रिक्ति का अनारक्षण न किया जाए, तब तक उस आरक्षित प्वाइंट को अस्थायी रूप से खाली रखने में कोई आपत्ति नहीं है । इसे रोस्टर में खाली स्थान छोड़ना न माना जाए । उपर्युक्त अनुदेश संख्या 4 में जिसके अनुसार रोस्टर में कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए यह अपेक्षा की जाती है कि रिक्तियों को अधिसूचित करते समय कोई खाली स्थान छोड़े बिना, रोस्टर में क्रमिक प्वाइंटों को ध्यान में रखा जाए । जिस प्वाइंट पर पिछली भर्ती वास्तव में समाप्त हुई थी उससे अगले प्वाइंट से ही नई भर्ती शुरू की जाए ।

कार्मिक तथा प्र० सु० विभाग के दिनांक 4-2-82 का का०ज्ञा०सं० 36011/46/81-स्थापना (अनु०जा०)

विषय :—अनुकम्पा के आधार पर अथवा अधिशेष एकक से सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरे गए आरक्षित स्थानों का रोस्टर में समायोजन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

इस विभाग का ध्यान निम्नलिखित दो स्थितियों पर दिलाया जाता है :—

(I) जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को रोस्टर के (क) अनारक्षित (ख) आरक्षित स्थानों पर अनुकम्पा के आधार पर अथवा अधिशेष एकक की सिफारिशों के कारण नियुक्त किया जाता है, और

(II) जहां सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों को रोस्टर के आरक्षित स्थानों पर अनुकम्पा के आधार पर अथवा अधिशेष एकक की सिफारिशों के कारण नियुक्त किया जाता है तो यह निर्णय किया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में आरक्षित स्थानों का समायोजन किस प्रकार करना होगा । संबंधित मुद्दों की जांच कर ली गई है और नीचे दिए गए स्पष्टीकरण आवश्यक मार्गनिर्देशन तथा अनुपालन के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाए जाते हैं ।

2.1 **स्थिति 1 (क) अनुकम्पा के आधार पर अथवा अधिशेष एकक की सिफारिशों के अनुसरण में अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार ।**

का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाए । यह पहलू सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में लाया जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 30 मई, 1977 का०ज्ञा०सं० 36011/11/75-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए रोस्टरों के रखने के बारे में स्पष्टीकरण ।

मुझे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विवरणिका के परिशिष्ट-5 में दिये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए रोस्टरों के रखने संबंधी विस्तृत अनुदेशों के अनुदेश संख्या 3 और 4 का हवाला देने का निदेश हुआ है जो इस प्रकार है :—

अनुदेश संख्या 3.—नियुक्ति किये जाने के तुरन्त बाद, नियुक्त व्यक्तियों के ब्यौरे, रजिस्टर के उचित कालमों में भरे जाएंगे और प्रविष्टियों पर नियुक्ति प्राधिकारी या हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे ।

अनुदेश संख्या 4.—रोस्टर भरने में कोई स्थान खाली न छोड़ा जाए । उदाहरण के तौर पर यदि कोई आरक्षित रिक्ति जैसे 25 प्वाइंट पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार न मिलने पर अनारक्षित मान ली जाती है तो उसी प्वाइंट के सामने वस्तुतः नियुक्त उम्मीदवार दिखाया जाएगा । वर्ष में अनारक्षित प्वाइंट के प्रति बाद में भर्ती किया गया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार, उस प्वाइंट के सामने दिखाया जाएगा ।

इस विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों को इस बारे में शंका है कि क्या उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अथवा गुण के ठीक अनुसार रोस्टर में प्रविष्टियां की जाएं, चाहे इसके परिणामस्वरूप रोस्टर में आरक्षित रिक्तियों में चुने गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के नाम रोस्टर में अनारक्षित प्वाइंटों के सामने दिखाये जाएंगे । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षित रिक्तियों में चुने गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा उनके कार्यभार संभालने पर रोस्टर में संबंधित आरक्षित प्वाइंटों के सामने दिखाये जाएं । उन मामलों में जहां रोस्टर में कोई प्वाइंट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों को उनके अधीन सभी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों की जानकारी में लायें ।

सभी मंत्रालय आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 6 मार्च, 1976 का का०ज्ञा०सं० 36011/1/76-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित आदेशों का कड़ाई से पालन—रोस्टरों का उचित रखरखाव ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग की जानकारी में ऐसे मामले आये हैं जहां कुछ कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से सम्बन्धित आदेशों को लागू करने के बारे में निर्धारित रोस्टरों को ठीक तरह से या निर्धारित फार्म में नहीं रखा गया है या प्रविष्टियों पर नियुक्ति प्राधिकारी ने या आदेश प्राधिकृत अधिकारी आदि ने हस्ताक्षर नहीं किये थे । ऐसे मामले भी जानकारी में आये हैं जहां सम्पर्क अधिकारियों ने रोस्टरों का निरीक्षण नहीं किया था, हालांकि इस विभाग के तारीख 3 सितम्बर, 1970 के का०ज्ञा०सं० 27/4/(11)/70-स्था० (एस०सी०टी०) और तारीख 22 अप्रैल, 1971 के का०ज्ञा०सं० 8/8/71-स्था० (एस०सी०टी०) में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों या विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों के सम्पर्क अधिकारियों को निर्धारित प्रोफार्मा में रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करना चाहिये । अतः वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने अधीन नियुक्ति प्राधिकारियों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और उनके प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित अन्य आदेशों और रोस्टरों आदि के रख-रखाव और वार्षिक निरीक्षण के निश्चित रूप से पालन किये जाने की आवश्यकता पर जोर दें । सम्पर्क अधिकारियों द्वारा रोस्टरों आदि का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए । की गयी जांचों के अभिलेखों और रिपोर्टों को भी अच्छी तरह रखना चाहिए । इस बारे में इस विभाग के तारीख 24 मार्च, 1972 के का०ज्ञा०सं० 27/2/71-स्था० (एस०सी०टी०) में उल्लिखित अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार सम्पर्क अधिकारियों द्वारा की गई जांच या अन्य प्रकार की जांच के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण या प्रतिनिधित्व से संबंधित अन्य आदेशों के पालन के मामलों में बरती गई लापरवाही या की गई गलतियों के जिन मामलों का पता लगे उन्हें सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों में भारत सरकार के सचिव/अपर सचिव तथा विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यालयों के बारे में विभागाध्यक्षों को भेजा जाए । इन रिपोर्टों पर सचिव/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष जैसा भी आदेश करें, सम्बद्ध नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा इन आदेशों

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 24 अई, 1974 के का०ज्ञा०सं० 10/52/73-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—आरक्षण रोस्टर तथा नियुक्तियों के आदेश ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जो रोस्टर तारीख 22-4-1970 के का०ज्ञा०सं० 1/11/69-स्थापना (एस०सी०टी०) और तारीख 12-3-1973 के का०ज्ञा०सं० 1/3/72-स्थापना (एस०सी०टी०) द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों को लागू किए जाने के लिए निर्धारित किए गए हैं, वे किसी भी विशेष परीक्षा भर्ती आदि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई रिक्तियों की संख्या को निर्धारित करने के लिए हैं और वे रोस्टर वास्तविक नियुक्ति के आदेश को निर्धारित करने अथवा वरिष्ठता को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये नहीं हैं । रोस्टर के आधार पर आरक्षित रिक्तियों की संख्या को निर्धारित करने के बाद चयन किए गए दोनों ही प्रकार के उम्मीदवारों को जिसमें सामान्य उम्मीदवार तथा साथ ही साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार भी शामिल हैं, उनके परस्पर गुणावगुण के अनुसार रखा जाता है । चूंकि परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में सामान्यता सभी चयन किए गए उम्मीदवारों को साथ-साथ नियुक्त किया जाता है, इसलिए यह प्रश्न कि आरक्षित रिक्तियों पर किस क्रम से नियुक्तियां की जायें, सामान्यता नहीं उठेगा । फिर भी एक मामला इस विभाग के ध्यान में आया है, जिसमें परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए चयन किए गए सभी उम्मीदवारों को एक ही समय में नियुक्त नहीं किया जा सका था और नियुक्ति पत्र केवल थोड़े से उम्मीदवारों को ही भेजे गए और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों को ध्यान में नहीं रखा गया था, जो उन नियुक्तियों पर पृथक् रूप से आरक्षित करने पड़ते । शेष उम्मीदवारों को बाद के बैचों में नियुक्त कर लिया गया था । इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कुछ उम्मीदवार, जो पहले बैच में नियुक्त होने चाहिए थे, उन्हें केवल दूसरे बैच में ही नियुक्त किया गया था । जहां सीधी भर्ती के लिए परीक्षा के माध्यम से सभी नियुक्तियां साथ-साथ नहीं की जा सकतीं, वहां सही कार्यविधि यह होगी कि रोस्टर के अनुसार नियुक्तियों के प्रत्येक बैच में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखी जाने वाली रिक्तियों की संख्या को पृथक् रूप से निर्धारित किया जाए और उस बैच में सामान्य तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अपेक्षित संख्या में नियुक्त किया जाए ।

अनुबन्ध

[तारीख 15/5/1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/72-स्था० (एस०सी०टी०)]

जिन मामलों में स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर भर्ती की जाती है, उनमें 100 प्वाइंट के रोस्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्वाइंट का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		आरक्षण की प्रतिशतता	100 प्वाइंट के रोस्टर में आरक्षित किये जाने वाले वास्तविक प्वाइंट	आरक्षण की प्रतिशतता	100 प्वाइंट के रोस्टर में आरक्षित किये जाने वाले वास्तविक प्वाइंट
1.	राज्य असम	6	4, 19, 38, 54, 73, 89.	11	1, 10, 21, 30, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94.
2.	संघ राज्य क्षेत्र *मिजोरम	—	—	45	1, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 96, 99.

टिप्पण :—*कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29-5-1983 के का०ज्ञा०सं० 36013/4/85-स्थापना (एस०सी०टी०) द्वारा अधिक्रमित ।

जिला था) के सम्बन्ध में आरक्षण की प्रतिशततायें अब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए पृथक्-पृथक् निर्धारित कर दी गई हैं । असम राज्य तथा मिजोराम संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में ये प्रतिशततायें तथा 100 प्वाइंट रोस्टर अनुबंध में दिखाए गए हैं ।

2. संशोधित रोस्टर पहली जून 1974 से लागू होंगे । उस तारीख को अथवा इसके बाद भरी गई रिक्तियां अब इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में निर्धारित रोस्टरों में दिखाई जानी चाहिएं । पुराने रोस्टर 31 मई, 1974 से समाप्त हुए माने जाएंगे और नये रोस्टर उस प्वाइंट के अगले प्वाइंट से लागू होंगे जिस प्वाइंट पर पहले के रोस्टर में भर्ती बन्द कर दी गई थी । ऐसे आरक्षण जो पहले के रोस्टर में अग्रेनीत किए जाने थे अब वे नये रोस्टर में आगे ले जाए जाएंगे ।

12. क्या गृह मंत्रालय के तारीख 25 मार्च, 1970 के का०ज्ञा०सं० 27/25/68-स्था० (एस०सी०टी०) में की गई व्यवस्था के अनुसार, व्यपगत होने से पहले आरक्षणों को अगले तीन वर्षों तक अग्रेनीत किया गया है और अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बीच आरक्षणों का परस्पर आदान-प्रदान किया गया है।

13. कोई अन्य अभ्युक्ति।

संक्षिप्त विवरण

14. रोस्टरों के रख-रखाव में पाए गए दोषों और त्रुटियों का सार और पिछले निरीक्षण के दौरान की गई अभ्युक्तियों के विशेष संदर्भ में निरीक्षण अधिकारी द्वारा किये जाने वाले अन्य सुझाव।

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम
तारीख

विभागाध्यक्ष/मंत्रालय के सचिव
की अभ्युक्तियां----------

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 15 मई, 1974 के का०ज्ञा०सं० 1/3/72-स्थापना (एस०सी०टी०) की प्रति सभी मंत्रालयों आदि को प्रेषित

विषय :—स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण प्रतिशतताओं में संशोधन—आरक्षण की संशोधित प्रतिशतताओं को लागू करने के लिए माडल रोस्टर।

मुझे इस विभाग के तारीख 12 मार्च, 1973 के का०ज्ञा०सं० 1/3/72-स्था० (एस०सी०टी०) के संदर्भ में जिसमें स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की संशोधित प्रतिशतताओं को वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर निर्धारित किया गया है, यह कहने का निदेश हुआ है कि इसके आंशिक संशोधन किए जाने से असम राज्य तथा मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र (जो पहले असम राज्य का मिजो

3. क्या (1) स्थायी नियुक्तियों और स्थायी होने वाली अथवा अनिश्चित काल तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों और (2) 45 दिनों या इससे अधिक अवधि की पूर्णत: अस्थायी नियुक्तियों के लिये अलग-अलग रोस्टर रखे जा रहे हैं ।

4. क्या निर्धारित फार्म में अर्थात् गृह मंत्रालय के तारीख 22 दिसम्बर, 1969 के का०ज्ञा०सं० 1/1/69-स्था० (एस०सी०टी०) के साथ जारी की गई विवरणिका के परिशिष्ट 6 में रोस्टर रखे जा रहे हैं ।

5. क्या विशेष प्रकार की भर्ती के लिए निर्धारित मॉडल रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोस्टर में ठीक तरह से प्वाइंट रखे गए हैं ।

6. क्या नियुक्ति के तत्काल बाद नियुक्त व्यक्ति का विवरण, रजिस्टर के उपयुक्त कालमों में दर्ज किया गया है, और प्रविष्टि पर नियुक्ति प्राधिकारी या हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के दस्तखत किये गए हैं ।

7. क्या रोस्टर में कोई खाली जगह छोड़ी गई है ।

8. क्या रोस्टर, वर्षानुवर्ष चालू लेखा-फार्म में रखा जा रहा है ।

9. क्या आरक्षित रिक्ति पर सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति से पहले (i) स्थायी नियुक्तियों और स्थायी होने वाली या अनिश्चित काल तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल रिक्तियों के मामले में कार्मिक विभाग का पुर्वानुमोदन प्राप्त किया गया था और (ii) क्या बिलकुल अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल रिक्तियों के मामले में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए, विवरणिका के पैरा 16 में निर्धारित उपाय किये गए थे ।

10. क्या गृह मंत्रालय के तारीख 27-3-63 और 2-5-1963 के का०ज्ञा०सं० 31/10/63-एस०सी०टी० (1) में दर्ज आदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती से भरे गए पदों में स्थायीकरण संबंधी आरक्षण सही तौर पर निर्धारित किया गया है ।

11. क्या भर्ती वर्ष में अन्तिम प्रविष्टि के बाद ऐसा सार दिया गया है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से, अगले वर्ष अग्रेनीत आरक्षणों की संख्या दिखाई गई हो । क्या अगले वर्ष के रोस्टर के प्रारम्भ में इन आरक्षणों को अग्रेनीत के तौर पर दिखाया गया है ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 22 अप्रैल 1971 का का०ज्ञा०सं० 8/8/71 स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए रोस्टरों का रखें-रखाव-संपर्क अधिकारियों द्वारा वार्षिक निरीक्षण के लिए प्रोफार्मा ।

वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान, इस विभाग के तारीख 3 सितम्बर, 1970 के का०ज्ञा०सं० 27/4/(II)/70-स्था०(एस०सी०टी०) प्रतिलिपि संलग्न है, की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया जाता है, कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण करने संबंधी आदेशों का समुचित पालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी मंत्रालयों/विभागों/विभागीय अध्यक्षों के कार्यालयों में रखे गए रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेंगे । इन रोस्टरों के प्रभावी और पूरी-पूरी जांच पड़ताल के लिए रोस्टरों के निरीक्षण के लिए प्रोफार्मा तैयार किया गया है जिसे इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न कर दिया गया है । वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वह संपर्क अधिकारियों को, निरीक्षण करते समय इस प्रोफार्मा के इस्तेमाल की हिदायत करें । यदि निरीक्षण रिपोर्टों में कोई दोष बताये जाएं, तो उन्हें दूर करने के लिए प्रभावी उपाय भी किये जाएं ।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण करने के लिए रखे गए रोस्टरों का निरीक्षण करने का प्रोफार्मा

कार्यालय का नाम

1. क्या (i) सीधी भर्ती और (ii) पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों (जहां पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पदों पर आरक्षण लागू होता है) के संबंध में प्रत्येक ग्रेड या पदों के वर्ग और ऐसे ग्रेड/वर्ग के लिए अलग-अलग रोस्टर रखे जा रहे हैं और क्या निरीक्षण के अंतर्गत अवधि के दौरान की गई सभी नियुक्तियों को रोस्टर में दिखाया गया है ।

2. क्या उपयुक्त माडल रोस्टर, अर्थात (1) खुली प्रतियोगिता से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती, (2) खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती, (3) स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर सीधी भर्ती, या (4) पदोन्नति के मामलों में (जैसा मामला हो) रखे गए उक्त रोस्टर के अनुसार काम किया जा रहा है ।

अनुबंध II

खुली प्रतियोगिता के अतिरिक्त अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के लिए मॉडल रोस्टर

रोस्टर में प्वाइंट	क्या अनारक्षित है या आरक्षित	रोस्टर में प्वाइंट	क्या अनारक्षित है या आरक्षित
1.	अनुसूचित जाति	21.	अनारक्षित
2.	अनारक्षित	22.	अनारक्षित
3.	अनारक्षित	23.	अनारक्षित
4.	अनुसूचित जनजाति	24.	अनारक्षित
5.	अनारक्षित	25.	अनुसूचित जाति
6.	अनारक्षित	26.	अनारक्षित
7.	अनुसूचित जाति	27.	अनारक्षित
8.	अनारक्षित	28.	अनारक्षित
9.	अनारक्षित	29.	अनुसूचित जनजाति
10.	अनारक्षित	30.	अनारक्षित
11.	अनारक्षित	31.	अनारक्षित
12.	अनारक्षित	32.	अनुसूचित जाति
13.	अनुसूचित जाति	33.	अनारक्षित
14.	अनारक्षित	34.	अनारक्षित
15.	अनारक्षित	35.	अनारक्षित
16.	अनारक्षित	36.	अनारक्षित
17.	अनुसूचित जनजाति	37.	अनुसूचित जाति
18.	अनारक्षित	38.	अनारक्षित
19.	अनारक्षित	39.	अनारक्षित
20.	अनुसूचित जाति	40.	अनारक्षित

टिप्पणी :—उपर्युक्त रोस्टर के प्रत्येक तीसरे चक्र में 37 वें प्वाइंट को अनारक्षित माना जाएगा ।

2. यदि किसी विशेष वर्ष में केवल दो ही रिक्तियां भरी जानी हों, तो एक से अधिक रिक्ति को आरक्षित माना जाए और यदि केवल एक ही रिक्ति हो तो उसे अनारक्षित समझा जाना चाहिए । यदि इस कारण किसी आरक्षित प्वाइंट को अनारक्षित माना गया हो तो आरक्षण को बाद के तीन भर्ती वर्षों में अग्रेनीत किया जाएगा । आरक्षण प्वाइंट पर आने वाली एकल रिक्ति दिनांक 29-4-75 के का० ज्ञा० संख्या 1/9/74-स्था०(एस०सी०टी०) द्वारा शासित होगी ।

अनुबंध I

खुली प्रतियोगिता से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के लिए मॉडल रोस्टर

रोस्टर में प्वाइंट	क्या अनारक्षित है या आरक्षित	रोस्टर में प्वाइंट	क्या अनारक्षित है या आरक्षित
1.	अनुसूचित जाति	21.	अनारक्षित
2.	अनारक्षित	22.	अनुसूचित जाति
3.	अनारक्षित	23.	अनारक्षित
4.	अनुसूचित जनजाति	24.	अनारक्षित
5.	अनारक्षित	25.	अनारक्षित
6.	अनारक्षित	26.	अनारक्षित
7.	अनारक्षित	27.	अनारक्षित
8.	अनुसूचित जाति	28.	अनुसूचित जाति
9.	अनारक्षित	29.	अनारक्षित
10.	अनारक्षित	30.	अनारक्षित
11.	अनारक्षित	31.	अनुसूचित जनजाति
12.	अनारक्षित	32.	अनारक्षित
13.	अनारक्षित	33.	अनारक्षित
14.	अनुसूचित जाति	34.	अनारक्षित
15.	अनारक्षित	35.	अनारक्षित
16.	अनारक्षित	36.	अनुसूचित जाति
17.	अनुसूचित जनजाति	37.	अनारक्षित
18.	अनारक्षित	38.	अनारक्षित
19.	अनारक्षित	39.	अनारक्षित
20.	अनारक्षित	40.	अनारक्षित

टिप्पणी :—यदि किसी विशेष वर्ष में केवल दो ही रिक्तियां भरी जानी हों, तो एक से अधिक रिक्ति को आरक्षित न माना जाए और यदि केवल एक ही रिक्ति हो तो उसे अनारक्षित समझा जाना चाहिए । यदि इस कारण किसी आरक्षित प्वाइंट को अनारक्षित माना गया हो तो आरक्षण को बाद के तीन भर्ती वर्षों में अग्रेनीत किया जाएगा । आरक्षण प्वाइंट पर आने वाली एकल रिक्ति दिनांक 21-4-75 के का० ज्ञा० संख्या 1/9/74-स्था०(एस०सी०टी०) द्वारा शासित होगी ।

मुझे इस मंत्रालय के तारीख 25 मार्च, 1970 के संकल्प सं० 27/25/68-स्था०(एस०सी०टी०) के पैरा 1 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ा दी गई है । इस मंत्रालय के तारीख 21 दिसम्बर, 1963 के कार्यालय ज्ञा० सं० 1/13/63-एस०सी०टी०(1) के I और II अनुबन्ध में निर्धारित किए गए आदर्श (मॉडल) रोस्टर अब संशोधित कर दिए गए हैं ताकि आरक्षण की बढ़ी हुई प्रतिशतता को लागू किया जाए । संशोधित रोस्टरों की प्रतियां (अनुबन्ध I और II) संलग्न हैं ।

2. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले जिन पदों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वहां इस मंत्रालय के तारीख 21 दिसम्बर, 1963 के कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध I में निर्धारित रोस्टर के अनुसार एक अलग रोस्टर तैयार किया गया था, जिसका पालन इस मंत्रालय के तारीख 11 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/12/67-स्था०(ग०) के पैरा 3(3) के अनुसार किया जाए । पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण की प्रतिशतता बढ़ाए जाने के संबंध में इस मंत्रालय के तारीख 25 मार्च, 1970 के संकल्प के पैरा 3 में दिए गए निर्णय के अनुसरण में इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के अनुबन्ध I में निर्धारित रोस्टर का अनुपालन भी पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के आरक्षण के लिए किया जाए ।

3. 25 मार्च, 1970 को अथवा उसके बाद भरी गई रिक्तियों को अब निर्धारित किए गए फार्मों में खोले जाने वाले रोस्टरों में दिखाया जाना चाहिए जब तक कि ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली 25 मार्च, 1970 से पहले अधिसूचित न कर दी गई हो अथवा ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए 25 मार्च, 1970 से पहले चयन न कर लिया गया हो । पुराने रोस्टरों को उस तारीख से बन्द किया गया समझा जाएगा । यदि पुराने रोस्टरों में कोई न भरे गए आरक्षण हो तो उन्हें नए रोस्टरों में ले जाना चाहिए ।

इस मंत्रालय के तारीख 27 मार्च, 1965 के का०ज्ञा०सं० 31/10/63 एस०सी०टी० (1) द्वारा जारी किये गये आदेशों के संबंध में ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उस तारीख के बारे में पूछताछ की गई है, जब से उक्त का०ज्ञा० में निर्धारित नए रोस्टरों को लागू किया जाना है, जिस तरीके से पुराने रोस्टरों में अनारक्षित माने गये आरक्षणों पर कार्रवाई की जानी है और क्या स्थायी की गई अस्थायी रिक्तियों को नये रोस्टर में फिर से दिखाया जाना है । इन प्वाइंटों से संबंधित स्थिति को नीचे स्पष्ट किया जाता है :—

(क) इस मंत्रालय के तारीख 27-3-63 के उपर्युक्त का०ज्ञा० में निर्धारित नये रोस्टर, उक्त का०ज्ञा० के जारी किये जाने की तारीख अर्थात् 27-3-63 से शुरू किये जाने चाहिए और पुराने रोस्टरों को उस तारीख से बन्द कर दिया जाए ।

(ख) पुराने रोस्टरों में अनारक्षित माने गए आरक्षणों को नये रोस्टरों में अग्रेनीत किया जाए ।

*(ग) ऐसे पद को, जो कि पहले अस्थायी हो और बाद में उसे स्थायी कर दिया गया हो, भले ही उसे नए रोस्टरों के लागू करने से पहले या बाद में भरा जाना हो, तो उसे उस प्वाइंट के अनुसार आरक्षित या अनारक्षित माना जाए, जिस पर यह पद पहले भरे जाने के समय था । दूसरे शब्दों में बाद में स्थायी बनाया गया अस्थायी पद, परिवर्तन के बाद, रोस्टर में दोबारा न दिखाया जाये ।

2. कृपया उपर्युक्त स्पष्टीकरण, सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में लाए जायें ।

---

* पैरा 1(ग) को कार्मिक तथा प्रशा० सुधार विभाग के दिनांक 12-3-84 के का०ज्ञा० संख्या 36011/28/83-स्था० (एस०सी०टी०) द्वारा अधिक्रमित किया गया है ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 22 अप्रैल, 1970 का कार्यालय ज्ञापन सं० 1/11/69-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कार्यान्वित करने के लिए आदर्श रोस्टर-आरक्षण की बढ़ी हुई प्रतिशतता के अनुसरण में संशोधन ।

बना दिया जाता है । इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि आगे से पदों के प्रत्येक वर्ग या समूह संबंधी रोस्टर निम्न प्रकार से रखे जाये :—

(I) स्थायी नियुक्तियों और स्थायी होने वाली या अनिश्चित काल तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए एक सामान्य रोस्टर रखा जाये । इस रोस्टर में शामिल, स्थायी होने वाले या अनिश्चित काल तक चलने वाले अस्थायी पदों को उन प्वाइंटों के अनुसार आरक्षित या अनारक्षित माना जाएगा, जिन पर वे मूल रूप से भरे जाने के समय रोस्टर में पड़ते हैं । आरक्षित प्वाइंटों पर रहने वाले ऐसे पदों को विज्ञापित करते समय, यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि पद स्थायी होने वाले हैं या अनिश्चित काल चलने वाले हैं । जब भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के लगातार उपलब्ध न होने के कारण, इस रोस्टर में शामिल किसी पद को अनारक्षित करना आवश्यक हो जाए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की स्थिति सुरक्षित करने के लिए किये गए उपायों के बारे में इस मंत्रालय को लिखा जाए और पद के अनारक्षण के संबंध में उसका पूर्वानुमोदन ले लिया जाए ।

(II) जिन पूर्णतया अस्थायी नियुक्तियों के स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलने की संभावना नहीं है उनका अलग रोस्टर रखा जाए । यह सुनिश्चित करने के बाद कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों को पाने के लिए विवरणिका के पैरा 16 में निर्धारित उपाय किये गये हैं और फिर भी ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए, स्वयं मंत्रालय, इस वर्ग में शामिल आरक्षित पदों को अनारक्षित मान सकते हैं ।

2. मंत्रालयों आदि से यह अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में उपर्युक्त निर्णयों को लाने की कृपा करें ।

सभी मंत्रालयों आदि के सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 2 मई, 1963 का का०ज्ञा०सं० 31/10/63 एस०सी०टी० (1)

विषय :—केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए रखे गये आरक्षणों को लागू करने के लिए रोस्टरों का रख-रखाव ।

में आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या 7 होगी (6.8 को 7 गिना जाएगा)।

अथवा

*(3) किसी राज्य या मंडल अथवा क्षेत्र की आबादी में अनुसूचित जन जातियों के अनुपात का विचार किये बिना अनुसूचित जन जातियों के मामले में 40 के प्रत्येक रोस्टर में कम से कम 5 प्रतिशत आरक्षण या दो रिक्तियां रखी जाए यदि अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों हेतु उनकी काफी संख्या उपलब्ध न हो तो, गृह मंत्रालय के तारीख दिसम्बर, 1954 के कार्यालय ज्ञापन सं० 42/32/53-एन०जी०एस० (एस०सी०टी०) के अनुसार उक्त रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरा जाए।

2. तारीख 28 जनवरी, 1952 के कार्यालय ज्ञापन सं० 42/21/49-एन०जी०एस० में निर्धारित मॉडल सामुदायिक रोस्टरों में उपर्युक्त पैरा 1 में दर्ज हिदायतों के अनुसार यथावश्यक संशोधन किए जाए। रोस्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्वाइंटों को समान तरीके से वितरित किया जाए और किसी भी हालत में उन्हें ऐसी निचली स्थिति में न रखा जाए, जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में देरी हो।

---

*दिनांक 14-10-55 के का०ज्ञा० के पैरा 1 तथा 3 को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24-5-85 के का०ज्ञा० संख्या 36013/4/85-स्था० (एस०सी०टी०) द्वारा अधिक्रमित किया गया है।

सभी मंत्रालयों को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 27 मार्च, 1963 का का०ज्ञा०सं० 31/10/63-एस०सी०टी० (1)

विषय :—केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए रखे गये आरक्षणों को लागू करने के लिए रख-रखाव।

इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/2/61-एस०सी०टी० (1) द्वारा जारी की गई विवरणिका के परिशिष्ट 7 के साथ पठित पैरा 9 के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित आरक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए, पदों के प्रत्येक वर्ग में स्थायी और अस्थायी नियुक्तियों के लिए अलग अलग रोस्टर रखे जाने हैं। अनुभव से यह ज्ञात हुआ है कि कई अस्थायी पद, वर्ष प्रति वर्ष आधार पर चालू रखे जाते हैं और उन्हें चन्द वर्षों के बाद स्थायी पद

गृह मंत्रालय के तारीख 28 जनवरी, 1952 के का० ज्ञा० संख्या 42/21/49-एन०जी०एस०के पैरा 5(1) की अपेक्षा के अनुसार गृह मंत्रालय से परामर्श करके उक्त पदों को अपवादात्मक परिस्थिति तथा उनके विशेष स्वरूप के कारण आरक्षण आदेशों को लागू किए जाने की छूट दी गई थी ।

मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे अपने अधीन किसी ऐसे पद की सूचना इस मंत्रालय को दें जिसे कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के परामर्श से आरक्षण आदेशों के लागू किये जाने की सीमा से बाहर रखा गया है ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 14 अक्टूबर, 1955 का का० ज्ञा० सं० 7/2/55-एस०सी०टी०

गृह मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प सं० 42/21/49-एन०जी०एस० के पैरा 3 के संदर्भ में, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती के अलावा अन्य तरीके से श्रेणी-III और श्रेणी-IV की सेवाओं में और पदों पर की जाने वाली स्थानीय भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिये गए हैं :—

*(1) सिवाय दिल्ली के जहां अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतताओं के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए वहां साधारणतः आरक्षण राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की आबादी के अनुपात पर आधारित होगा । 40 रिक्तियों के प्रत्येक मॉडल रोस्टर में आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(2) जहां एक राज्य से अधिक राज्यों के मंडलों या क्षेत्रों के लिए भर्ती की जाती है वहां सारे मंडल या क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की आबादी को ध्यान में रखकर ही प्रतिशतताएं निश्चित की जायेंगी । 40 के प्रत्येक मॉडल रोस्टर में आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का परिक्कलन करते समय, 0.3 से कम की भिन्न को छोड़ दिया जाएगा और 0.3 या इससे अधिक की भिन्नों को अगले पूर्णांक तक गिन लिया जाएगा । इस प्रकार, यदि किसी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की आबादी कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत है, तो 40 के रोस्टर

9. सहायक सौलिसीटर
10. सरकारी एजेंट
11. उप सरकारी एजेंट
12. सहायक सरकारी एजेंट
13. विधि सलाहकार
14. विधि अधिकारी, मुख्य संगठन
15. माननीय मंत्री का निजी सचिव
16. परिषद् रिपोर्टर

(xv) **योजना आयोग**

1. उप सभापति
2. सदस्य
3. सलाहकार
4. मंडलप्रधान
5. अनुसंधान कार्यक्रम समिति का सदस्य सचिव
6. विशेष कार्य अधिकारी
7. सभापति का निजी सचिव
8. उप सभापति का निजी सचिव
9. सदस्य का निजी सचिव
10. उप सभापति/मंत्री का सहायक निजी सचिव
11. मंत्री का विशेष सहायक

(xvi) **रक्षा मंत्रालय**

पंडित/मौलवी/पादरी (स्कूल इंस्ट्रक्टर)

(xvii) **वित्त मंत्रालय**

भारत सरकार टकसाल, अलीपुर, बम्बई और हैदराबाद के गोरखा गार्ड ।

परिशिष्ट I

ऐसे पद, जिनके सम्बन्ध में आरक्षण के आदेश लागू नहीं हैं :—

(i) राष्ट्रपति गृह नियंत्रक

(ii) राष्ट्रपति का शल्य चिकित्सक

(iii) प्रधान मंत्री का निजी सचिव

(iv) प्रधान मंत्री का सहायक निजी सचिव

(v) प्रधान मंत्री का वैयक्तिक सहायक

(vi) प्रधान मंत्री का प्रधान सचिव का निजी सचिव

(vii) प्रधान मंत्री के विशेष सहायक का निजी सचिव

(viii) प्रधान मंत्री के विशेष सहायक का वैयक्तिक सहायक

(ix) गोपनीय कार्य सहायक (राजपत्रित)

(x) गोपनीय कार्य सहायक (अराजपत्रित)

(xi) मंत्री/उपमंत्री का निजी सचिव

(xii) मंत्री/उपमंत्री का सहायक निजी सचिव

(xiii) भारत सरकार के विभिन्न टकसालों में सहायक बुलियन कीपर

(xiv) **विधि मंत्रालय**

1. सचिव
2. संयुक्त सचिव
3. उप सचिव
4. संयुक्त सचिव और नक्शानवीस
5. अपर नक्शानवीस
6. नक्शानवीस
7. सौलिसीटर
8. द्वितीय सौलिसीटर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(II)
आदि

(ग) अधीनस्थ कार्यालय
(I)
(II)
आदि
कुल

II. **केन्द्रीय सेवाएं**
श्रेणी-II (जैसा कि केन्द्रीय सेवा
श्रेणी-I के अंतर्गत है)

III. **केन्द्रीय सेवाएं**
श्रेणी-III
अधीनस्थ सेवा में
(ऊपर की तरह ही)
(उपरोक्त के समान)

अस्थायी

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....

* उन सेवाओं या ग्रेड के लिए नहीं है, जहां आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था नहीं की गई है ।

परिशिष्ट "ज"

विवरण II

आरक्षण : अनुसूचित जातियां.....
अनुसूचित जनजातियां .....
*आंग्ल-भारतीय .....

पहली जनवरी से 31 दिसम्बर, 19..... तक की अवधि के दौरान ..... मंत्रालय/कार्यालय में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संचितरण को दिखाने वाला विवरण

सेवा आदि का नाम	भरी गई रिक्तियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		*आंग्ल-भारतीय		खुली प्रतियोगिता द्वारा या अन्यथा	अभ्युक्तियां
		सं०	%	सं०	%	सं०	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				स्थायी					
I. केन्द्रीय सेवाएं									
श्रेणी-I									
(क) मुख्य मंत्रालय									
(ख) सम्बद्ध कार्यालय									
(I)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9

(II)
आदि
जोड़

II. **केन्द्रीय सेवाएं**
श्रेणी-II (जैसा कि केन्द्रीय सेवा
श्रेणी-I के अंतर्गत है)

III. **केन्द्रीय सेवाएं**
श्रेणी-III
(अधीनस्थ सेवाएं) जैसा कि केन्द्रीय
सेवा श्रेणी-I के अंतर्गत है ।

उपर्युक्त की तरह ही	अस्थायी

हस्ताक्षर .....
पदनाम.....

* रेलवे, सीमाशुल्क और डाक व तार सेवाओं के मामले में, जहां आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था की गई है उनकी संख्या और कर्मचारियों की कुल संख्या की प्रतिशतता का यहां उल्लेख किया जाए ।

परिशिष्ट "छ"

विवरण I

पहली जनवरी, 19.....को .....मंत्रालय/कार्यालय की सामुदायिक संरचना को दिखाने वाला विवरण

सेवा आदि का नाम	कुल संख्या	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		अन्य समुदाय		अभ्युक्तियां
		सं०	%	सं०	%	सं०	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				स्थायी				
I. केन्द्रीय सेवाएं								
श्रेणी-I								
(क) मुख्य मंत्रालय								
(ख) सम्बद्ध कार्यालय								
(I)								
(II)								
आदि								
(ग) अधीनस्थ कार्यालय								
(I)								

ग. केवल विवरण-II के संबंध में लागू होने वाली हिदायतें

1. पदोन्नति या स्थानांतरण के परिणामस्वरूप भरी जाने वाली रिक्तियों को तब तक शामिल न किया जाए, जब तक कि पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा की गई किन्हीं नियुक्तियों को सामुदायिक प्रतिनिधित्व के प्रयोजनों के लिए सीधी भर्ती नहीं माना जाता ।

2. यदि एक वर्ष की अवधि के दौरान, किसी पद पर एक से अधिक व्यक्ति रहे हों, तो रिपोर्ट में दी गई तारीख को नियुक्त व्यक्ति को ही लिया जाए, यद्यपि अन्य पदधारियों का विवरण अभ्युक्ति कालम में दिया जाएगा ।

3. तीन महीनों से कम अवधि की नियुक्तियों को विवरणों में शामिल करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि बाद में तीन महीने की अवधि में वृद्धि नही कर दी जाती ।

4. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा खाली की गई रिक्ति को, उस वर्ष में खाली हुआ समझा जाएगा, जिसमें उसे परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था, न कि उस वर्ष में जबकि उसे स्थायी किया जाता है ।

5. परिवीक्षावधि के दौरान, जिन व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी, उनके स्थान पर की गई नियुक्तियों को इन विवरणियों के प्रयोजनार्थ न लिया जाए ।

6. विवरण II के अभ्युक्ति कालम में, गत वर्ष से अग्रेनीत आरक्षणों की संख्या, यदि कोई हों, और वर्ष के दौरान व्ययगत आरक्षणों की संख्या, यदि हों, को दिखाया जाए ।

7. मंत्रालयों और कार्यालयों को प्रत्येक सेवा, ग्रेड या श्रेणी तथा रोस्टर के उस प्वाइंट (पहले, पांचवें या सातवें अथवा, जो भी हो), जिस पर उस वर्ष में भर्ती शुरू हुई थी, का उल्लेख विवरण II के अभ्युक्ति कालम में करना चाहिए ताकि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय आलोच्य वर्ष के दौरान इस बात की जांच करने में समर्थ हो सके कि आदेशों का उपयुक्त रूप से पालन किया गया है या नहीं ।

8. जिन मामलों में, निर्धारित मानक रोस्टरों पर अमल नहीं किया जाता (जैसे वे सेवाएं, जिन में स्थानीय तौर पर भर्ती की जाती है), निर्धारित सामुदायिक अनुपातों का विवरण II के ऊपर दिखाया जाए ।

ख. केवल विवरण I के संबंध में लागू होने वाली हिदायतें

1. विवरण-I में अन्य समुदायों के अन्तर्गत दिखायें गए व्यक्तियों के समुदायों का ब्यौरा देने की जरुरत नहीं है ।

2. स्थायी होने वाली और सामुदायिक रोस्टर के प्रयोजनार्थ स्थायी माने वाली रिक्तियों के ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति को, स्थायी कर्मचारियों के साथ दिखाया जाए और इस बारे में अभ्युक्ति कालम में उपयुक्त कैफियत दे दी जाए ।

3. मूल कार्यालय या सेवा में सक्रिय लियन रखने वाले प्रतिनियुक्त व्यक्ति को, अभ्युक्ति कालम में समुचित प्रविष्टि करते हुए मूल कार्यालय, सेवा या मंत्रालय को स्थायी स्थापना और सेवा उधार लेने वाले मंत्रालय या कार्यालय को अस्थायी स्थापना के आंकड़ों में भी दिखाया जाए । परन्तु यदि मूल सेवा, मंत्रालय या कार्यालय में उसका लियन समाप्त कर लिया गया हो, तो अभ्युक्ति कालम में केवल समुचित कैफियत देकर, उसे सेवा उधार लेने वाले मंत्रालय या कार्यालय की अस्थायी स्थापना में ही दिखाया जाए ।

4. किसी ग्रेड या सेवा में अनन्तिम रूप से स्थायी व्यक्तियों को, अभ्युक्ति कालम में समुचित अभ्युक्ति देकर तब तक केवल अस्थायी स्थापना में ही शामिल किया जाए जब तक कि उनके स्थायी होने की सम्भावना न हो । उस स्थिति में उन्हें स्थायी स्थापना में शामिल किया जाए ।

5. चूंकि केवल अस्थायी व्यक्ति ही केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1949 के अंतर्गत "स्थायीवत" घोषित किये जाने के पात्र हैं, अतएव ऐसे व्यक्तियों को केवल अस्थायी स्थापना में ही सम्मिलित किया जाए ।

6. उच्च ग्रेडों में स्थानापन्न रूप से या अस्थायी पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों को, उनकी स्थानापन्न या अस्थायी नियुक्तियों में न दिखाया जाए । उन्हें केवल उन्हीं ग्रेडों में दिखाया जाए, जिनमें वे स्थायी हैं । परन्तु यदि अस्थायी नियुक्ति को सामुदायिक प्रतिनिधित्व के प्रयोजनों के लिए सीधी भर्ती माना जाता है (जैसे, आशुलिपिक के तौर पर लिपिक (क्लर्क) की नियुक्ति), तो उन्हें केवल उन ग्रेडों में दिखाया जाए, जिनमें वे स्थानापन्न तौर पर या अस्थायी नियुक्तियों पर काम कर रहे हैं ।

7. ये विवरणियां मुख्य रूप से व्यक्तियों से संबंधित हैं, न कि पदों से, इसलिए रिक्त पदों की संख्या, सेवा निवृत्त और त्याग पत्र आदि देने वाले व्यक्तियों की संख्या जैसी जानकारी देना आवश्यक नहीं है ।

परिशिष्ट "च"

सेवाओं में सामुदायिक प्रतिनिधित्व—वार्षिक सामुदायिक विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना—संबंधित हिदायतें

क. दोनों (I और II) विवरणों पर लागू होने वाली हिदायतें

1. ये विवरणियां संबंधित वर्ष के अगले वर्ष की पहली मार्च (रेल मंत्रालय के मामले में पहली जून) तक हर हालत में गृह मंत्रालय के पास पहुंच जानी चाहिएं ।

2. मंत्रालयों के सम्बध्द और अधीनस्थ कार्यालय, अपनी अपनी विवरणियां संबंधित मंत्रालयों को भेजेंगे और मंत्रालय इन सभी विवरणियों को गृह मंत्रालय के पास, अलग अलग न भेजकर एक साथ इकट्ठे भेज देंगे । मंत्रालय स्वयं अपने और अपने सम्बध्द तथा अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में समेकित विवरण-I और समेकित विवरण-II भी भेजेंगे, जिनमें उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं (अर्थात् श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III/अधीनस्थ सेवाएं) के अलग अलग आंकड़े दिये गए होंगे ।

3. विवरणों में (समेकित विवरणों सहित) स्थायी और अस्थायी कर्मचारी अलग अलग दिखाये जाएं ।

4. जिन सेवाओं या पदों पर आदेश लागू नहीं होते, उनकी सूचना अलग विवरणी में (अर्थात् अलग कागज पर) प्रस्तुत की जाये और उसे समेकित विवरणियों में शामिल न किया जाए ।

5. कालमों को जोड़ दिया जाए और इन जोड़ों पर आधारित प्रतिशतताओं का दशमलवों के प्रथम स्थान तक परिकलन किया जाए । स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों के अलग अलग जोड़ दिये जाएं, तथा दोनों का इकट्ठा जोड़ (कुल जोड़) भी दिया जाए ।

6. यदि किन्हीं संक्षिप्त रूपों का प्रयोग किया जाए, तो उनका स्पष्टीकरण किया जाए । परन्तु यदि किन्हीं संक्षिप्त रूपों का इस्तेमाल न किया जाए तो बेहतर होगा ।

7. विवरणियों में पाई गई गलतियों और असंगतियों को संबंधित मंत्रालय के ध्यान में लाया जाएगा और उन्हें उनका स्पष्टीकरण देना अपेक्षित होगा ।

8. चूंकि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और सम्बध्द तथा अधीनस्थ कार्यालयों की ब्यौरेवार विवरणियों की जांच पड़ताल एक काफी बड़ा काम है, अतएव मंत्रालयों से आशा की जाती है कि वे इन विवरणियों को ध्यान से तैयार करेंगे और वे अपनी तथा अपने सम्बध्द और अधीनस्थ कार्यालयों की विवरणियों के फार्म और विषय की परिशुद्धता के लिए जिम्मेवार होंगे ।

परिशिष्ट "ङ"

सेवाओं में सामुदायिक प्रतिनिधित्व—पदों का वर्गीकरण-संबंधित हिदायतें

(1) जिस सेवा में सीधी भर्ती (खुली प्रतियोगिता या किसी अन्य प्रकार से) की जाती है, यदि उसके संवर्ग, वर्ग या श्रेणी में बीस पदों से कम पद हों, तो इन पदों को सेवा मंत्रालय या कार्यालय के उन समान पदों के साथ वर्गीकृत किया जाए, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है ।

(2) वर्गीकरण करने में, सेवा की विभिन्न श्रेणियों के पदों को साधारणतया इकठ्ठा न रखा जाए (जैसे केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-I के पदों को साधारणतया केन्द्रीय सेवा श्रेणी-II के पदों के साथ वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए) ।

(3) एक वर्ग में साधारणतया 25 पदों से कम पद नहीं होने चाहिए ।

(4) साधारणतया, पदों को मुख्य रूप से पद और वेतन के अनुसार वर्गीकृत किया जाए । सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताओं को भी ध्यान में रखा जाए ।

(5) यह अभीष्ट नहीं है कि किसी अलग पद को केवल अन्य अलग पदों के साथ ही वर्गीकृत किया जाए । इन हिदायतों में दूसरी शर्तों के अनुसार इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि यदि किसी सेवा के संवर्ग, वर्ग या श्रेणी के 20 से अधिक पद हों, तो उनके साथ किसी अलग पद का वर्गीकरण किया जाए ।

(6) वर्ग बनाए जाने के बाद, सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के उस वर्ग में कभी रिक्तियां, वास्तविक पदों का विचार किये बिना, लागू किये जाने वाले उस सामुदायिक रोस्टर के अनुसार ही भरी जाएंगी, जिनमें रिक्तियां होती हैं, परन्तु ऐसा समुचित रूप से योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर ही किया जाएगा ।

(7) अलग पदों के वर्गीकरण के प्रस्तावों के लिए, गृह मंत्रालय से पूर्वानुमोदन लेना होगा, और इस प्रयोजन के लिए सभी मंत्रालय और मुख्य आयुक्त, गृह मंत्रालय को इन हिदायतों के अनुसार उनके मंत्रालय में वर्गीकृत किये जाने वाले सभी अलग पदों के नाम और संख्या, इन पदों के वेतनमान, कार्य की किस्में और सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित अर्हताओं के बारे में सूचना देंगे तथा उन्हें सुविधापूर्वक वर्गीकृत करने के तरीकों के बारे में सुझाव भी देंगे ।

परिशिष्ट "घ"

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिये आवेदन देने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि ..... सुपुत्र ..... ग्राम ..... जिला/डिवीजन ..... राज्य ..... समुदाय ..... का है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश/1950/संविधान (अनुसूचित जाति) (भाग ग राज्य आदेश, 1951 संविधान) अनुसूचित जनजाति (भाग ग राज्य) आदेश 1951 के अधीन अनुसूचित जाति/जनजाति माना गया है । श्री ..... और/या उनका परिवार सामान्यतया ..... जिला/डिवीजन ..... राज्य में रहता/रहते हैं ।

जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त

तारीख .....
मोहर ..... राज्य

विशेष ध्यान दीजिये : (क) यहां पर प्रयोग किये गये शब्द "सामान्यतया रहता है" का अर्थ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार माना जायेगा ।

(ख) जहां पर प्रमाण पत्र संघ सरकार या राज्य सरकारों के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किये जाते हैं वे उसी रूप में ही होने चाहिये किन्तु उस पर जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर कराये जाने चाहियें (राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किये गये तथा जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त द्वारा साक्ष्यांकित किये गये प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं हैं) ।

परिशिष्ट "ग"

भारत सरकार के अधीन सेवाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित आदेशों के प्रयोजन के लिये अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यताप्राप्त संगठन, संस्थायें आदि ।

(क) दि आल इंडिया शैड्यूल्ड कास्ट्स फैडरेशन, 207, घोरपडे पथ, पुना-2 ।

(ख) दि आल इंडिया स्टेट्स सब्जेक्टस शैड्यूल्ड कास्ट्स फैडरेशन, यूनाइटेड नेशन, सिकंदराबाद (दक्षिण) ।

(ग) दि बंगाल शैड्यूल्ड कास्ट्स फैडरेशन 1/2, सीताराम घोष स्ट्रीट, कलकत्ता ।

(घ) दि यूनाइटेड प्रोविंसिस शैड्यूल्ड कास्ट्स फैडरेशन, परमत, कानपुर (यू०पी०) ।

(ङ) दि आल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासिज लीग तथा उसकी सभी शाखाएं ।

1	2	3	4	5	6	7

* न लागू होने वाले अंश को काट दिया जाए ।

परिशिष्ट "ख"

क. पिछले वर्ष से अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियों की संख्या

अनुसूचित जातियां .....
अनुसूचित जनजातियां.....
आंग्ल-भारतीय .....

सेवा, पदों का ग्रेड या समूह

*खूली प्रतियोगिता द्वारा की गई भर्ती का विवरण

आरक्षण :

अनुसूचित जातियां.....%
अनुसूचित जनजातियां.....%
आंग्ल-भारतीय .....%

.....वर्ष 19 .....के दौरान .....के विभाग/कार्यालय में खुली प्रतियोगिता के अलावा

ख. रोस्टर का प्वाइंट जिस पर वर्ष में भर्ती शुरू हुई थी

निर्धारित सामुदायिक रोस्टर	नियुक्त उम्मीदवार का नाम	नियुक्त उम्मीदवार का समुदाय	नियुक्ति की तारीख	यदि सही समुदाय का उम्मीदवार आरक्षित रिक्ति में नियुक्त नहीं किया गया, तो इस के कारण	अभ्युक्तियां	नियोक्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

VIII. ऐसा पद धारण करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति, जिस पर नियम लागू नहीं होते परन्तु उस पद पर लागू होते हैं जिसके लिए वह आवेदन करता है, तो दूसरे पद पर उसी की नियुक्ति रोस्टर के अनुसार ही की जाए ।

IX. परिवीक्षा या मुकदमें के दौरान सेवा समापन को छोड़कर चाहे किसी भी कारण से रिक्तियां क्यों न हों, उन्हें नई रिक्तियां माना जाए ।

X. कालम (3) में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल-भारतीयों के अलावा अन्य समुदायों के व्यक्तियों को "रेलवे, तार और सीमाशुल्क सेवाओं में भर्ती के मामले में, जहां उनके लिए आरक्षण किये गए है" अन्य समुदायों का व्यक्ति दिखाया जाए ।

XI. इन फार्मों को खुले पत्रों में न रखकर 20, 30 या 50 सीटों के रजिस्टर में सजिल्द रखा जाए । मुद्रित रजिस्टर प्राप्त होने पर समुचित हिदायतें जारी की जाएंगी जिनमें इन रजिस्टरों के प्राप्ति स्थान का उल्लेख किया जाएगा ।

परिशिष्ट "क"

विशेष ध्यान दीजिए:—सीधी भर्ती से नियुक्ति करने से पहले, नियोक्ता प्राधिकारी को सामुदायिक रजिस्टर देखकर यह मालूम कर लेना चाहिए कि क्या रिक्ति आरक्षित है या अनारक्षित और यदि आरक्षित है तो यह किस समुदाय के लिए आरक्षित है। नियुक्ति के तुरन्त बाद, यह ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज करना चाहिए और प्रविष्टि पर नियोक्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिएं।

रोस्टर रखने के बारे में, पालन किये जाने वाले नियम

I. उपर्युक्त दो वर्गों के बारे में खुली प्रतियोगिता से और अन्यथा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में अलग-अलग रोस्टर रखे जाएं। स्थायी और अस्थायी नियुक्तियों के लिए भी अलग रोस्टर रखे जाएं।

II. चूंकि रोस्टर में वर्ष प्रति वर्ष का हिसाब रखा जाता है, इसलिए इसी के अनुसार इसे रखा जाए। उदाहरणार्थ यदि किसी वर्ष में क्रम के प्वाइंट 6 पर भर्ती रुक जाए, तो अगले वर्ष की भर्ती प्वाइंट 7 पर शुरू होगी।

III. रिक्तियां भरने के संबंध में, रोस्टर में कोई स्थान खाली न रखा जाए और यदि किसी आरक्षित रिक्ति को, (जो कि मानियें रोस्टर के 25 वें प्वांइट पर है उपर्युक्त अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के कारण अनारक्षित माना जाता है, तो नियुक्त उम्मीदवार को उस प्वाइंट के सामने दिखाया जाए। परन्तु यदि वर्ष में, बाद में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को अनारक्षित रिक्ति में भर्ती नहीं किया जा सकता है, तो आरक्षणों को अगले वर्ष में अग्रेनीत किया जाए और पिछले वर्ष के लिए अनुसूचित जाति के कोटे के भरे जाने पर उस वर्ष में पहली अनारक्षित रिक्ति (मानियें, 32वां प्वाइंट) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित मानी जाए।

IV. तीन महीने से कम अवधि की अस्थायी नियुक्तियाँ, रोस्टर में न दिखाई जाएं।

V. जब तक पदोन्नति या स्थानान्तरण को सीधी भर्ती न मान लिया जाए, पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा की जानेवाली नियुक्ति को रोस्टर में न दिखाया जाए (उदाहरणार्थ लिपिक (क्लर्क) की आशुलिपिक के तौर पर नियुक्ति)।

VI. किसी अस्थायी कर्मचारी की नई अस्थायी रिक्ति में नियुक्ति एक नई नियुक्ति है और उसे फिर से रोस्टर में लिया जाए।

VII. किसी अस्थायी कर्मचारी की स्थायी हैसियत में नियुक्ति एक नई नियुक्ति है और उसे स्थायी नियुक्तियों के रोस्टर के अनुसार किया जाए।

प्राप्त करने में काफी समय लग जाता है, क्योंकि एक समय पर एक समुदाय के एक ही सदस्य द्वारा एक पद प्राप्त किया जा सकता है और छोटे संवर्गों के मामले में अनुसूचित जातियों आदि के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व पाने के लिए रिक्तियों की काफी बारम्बरता नहीं हो सकती । इस कठिनाई को दूर करने के लिए एक ही दर्जे और वेतन वाले पदों का वर्गीकरण और इस प्रकार के बनाये गए वर्गों पर इन आदेशों का लागू करना आवश्यक है । पदों के वर्गीकरण संबंधी हिदायतें परिशिष्ट "इ" में दी गई हैं ।

7. **सामुदायिक विवरणियां :** संकल्प में व्यवस्थित आरक्षण, भारतीय संविधान के अनुबन्धों पर आधारित है और इसलिये यह नितांत आवश्यक है कि इनका सख्ती से पालन किया जाए । मंत्रालयों को चाहिए कि वे संलग्न फार्मों (परिशिष्ट छ और ज) में सामुदायिक विवरणियाँ, भरकर गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करें ताकि भारत सरकार इन आदेशों के अनुपालन पर नजर रख सकें । परिशिष्ट "च" में इन विवरणियों के प्रस्तुत करने संबंधी हिदायतें दर्ज हैं ।

8. मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत की गईं सामुदायिक विवरणियों से केवल यही ज्ञात होगा कि क्या विभिन्न जातियों, जनजातियों आदि के लिए निर्धारित आरक्षणों की प्रतिशतताओं के अनुसार उस वर्ष के दौरान भर्ती की गई, जिससे विवरणियां संबंधित हैं और इन विवरणियों में यह दिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है कि सामुदायिक रोस्टर (उपर्युक्त पैरा 2 और 3) में वह कौन सा प्वाइंट है जिस पर प्रत्येक ग्रेड, सेवा या ग्रुप में वर्ष के दौरान भर्ती शुरू हुई थी । इस प्रयोजन के लिए नियोक्ता अधिकारी, परिशिष्ट क और ख में दी गई हिदायतों के अनुसार फार्म में सामुदायिक रजिस्टर और वार्षिक नियुक्तियों का रिकार्ड रखेंगे ।

9. ये हिदायतें, आवश्यक परिवर्तनों सहित, सभी भाग ग राज्यों पर भी लागू होंगी इसलिए इन राज्यों को भी इन हिदायतों का पालन करना चाहिए और अपनी विवरणियाँ गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करनी चाहिए ।

10. 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प और कार्यालय ज्ञापन में दर्ज आदेश, 26 जनवरी, 1950 को लागू हुए समझे जाएं और उन वर्गों और सेवाओं में अगली भर्ती, यथावश्यकता, फिर से समुचित रूप से समायोजित की जाए जिनमें 26 जनवरी को या उसके बाद और उन आदेशों के जारी किये जाने से पहले रिक्तियां भरी गई थीं ताकि केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और आंग्ल-भारतीयों के हितों की रक्षा की जा सकें ।

ऐसे व्यक्ति और/या उनके परिवार साधारणतया रहते हों । चयनकर्त्ता/नियोक्ता **अधिकारियों के स्वविवेकानुसार** निम्नलिखित को भी दावों के लिए पर्याप्त प्रमाण माना जा सकता है ।

(क) उम्मीदवारों की जाति या समुदाय और निवास स्थान दिखाने वाले मैट्रीकुलेशन या स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्रों या जन्म प्रमाणपत्रों की मूल या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित प्रतियाँ ।

(ख) केन्द्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किये गए और उम्मीदवारों के जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र ।

ये प्रमाण-पत्र परिशिष्ट "घ" में दिए गए फार्म में होने चाहिए ।

(8) (क) इन आदेशों के प्रयोजनार्थ, "आंग्ल-भारतीय" से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है, जिसका पिता या पुरुष वंशक्रम में कोई अन्य पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंशज है या था, परन्तु भारत में बस गया है या यहां के निवासी माता-पिता की संतान है या था और केवल अस्थायी प्रयोजनों के लिए नहीं रह रहा है ।

(ख) आंग्ल-भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के दावों की जांच पड़ताल के लिए निम्नलिखित कार्यविधि का अनुपालन किया जाएगा :—

(i) यदि कोई संदेह का कारण न हो तो उम्मीदवार का आंग्ल-भारतीय होने का दावा स्वीकार कर लिया जाए ।

(ii) संदिग्ध मामलों के बारे में, अखिल भारतीय आंग्ल-भारतीय संघ की निकटतम शाखा से संपर्क किया जाए और उम्मीदवारों को आंग्ल-भारतीय होने के प्रमाण-स्वरूप जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र तथा जिम्मेदार और विख्यात आंग्ल-भारतीयों द्वारा दिये गए प्रमाण-पत्रों के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए । इस प्रकार प्राप्त किये गए साक्ष्य के आधार पर नियोक्ता अधिकारी यह निर्णय करेंगे कि क्या दावों को स्वीकार किया जाए या नहीं ।

6. **पदों का वर्गीकरण** : अलग-अलग पदों या केवल कुछ पदों के संवर्गों के मामले में सेवाओं में सामुदायिक प्रतिनिधित्व संबंधी आदेशों को लागू करने में अपेक्षित परिणाम

भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो । विभिन्न राज्यों में इन संगठनों की शाखाओं के पतों संबंधी ब्यौरेवार हिदायतें, अलग से जारी की जाएंगी ।

परन्तु इन संगठनों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि उनके कार्य निम्नलिखित तक ही सीमित है :—

(i) उपयुक्त उम्मीदवारों के ध्यान में उन परीक्षाओं को लाना जिनमें सेवाओं में भर्ती के लिए वे उपयोगी रूप से प्रवेश पा सकते हैं और चुनाव द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों के बारे में कोई विज्ञापन ध्यान में लाना ।

(ii) सेवाओं में भर्ती के लिए ली जाने वाली उन परीक्षाओं के बारे में उम्मीदवारों को सलाह देना जिनके लिए उन्हें आवेदन करना चाहिए और

(iii) किसी ऐसे मामले के बारे में उम्मीदवारों को सलाह देना जो कि सेवाओं में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में प्रवेश हेतु तैयारी करने या आवेदन करने के बारे में उनके लिए सहायक हो सकते हैं, और यह उनका काम नहीं होगा कि वे उन उम्मीदवारों के दावों के बारे में दबाव डाले जिन्होंने नियोक्ता अधिकारियों को सीधे ही अपने आवेदन पत्र भेजे हों ।

(ग) विज्ञापनों की प्रतियां क्षेत्रीय या स्थानीय रोजगार कार्यालयों को भेजी जायें । यदि स्थानीय रोजगार कार्यालय उपयुक्त उम्मीदवारों की व्यवस्था न कर सके, तो इस संबंध में पुनर्व्यवस्थापन तथा रोजगार महानिदेशालय को लिखा जाएगा, जहां अनुसूचित जातियों के उन सदस्यों की अखिल भारतीय आधार पर सूची रखी जाती है, जिन्होंने भारत सरकार के अन्तर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालयों में अपना नाम दर्ज कराया है । रोजगार कार्यालय/पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय द्वारा अनुशासित उम्मीदवारों के नामों पर, विज्ञापन के उत्तर में और परिशिष्ट "ग" में उल्लिखित संगठनों के कहने पर सीधे आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के नामों के साथ विचार किया जाएगा ।

(7) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के तौर पर माने जाने वाले उम्मीदवारों के रोज़गार के लिए दावों की जांच पड़ताल साधारणतया उस स्थान के जिला मजिस्ट्रैटों के माध्यम से नियोक्ता अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जहां

2.	बम्बई	दि टाइम्स आफ इन्डिया, बम्बई । दि प्रेस जनरल, बम्बई । दि बम्बई क्रानीकल, बम्बई । दि भारत, बम्बई ।
3.	पश्चिमी बंगाल	दि हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड, कलकत्ता । दि स्टेट्समैन, कलकत्ता । दि अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता ।
4.	उत्तर प्रदेश	दि अमृत बाजार पत्रिका, इलाहाबाद । दि पायोनिअर, लखनऊ । दि नेशनल हैराल्ड, लखनऊ । दि फ्रंटियर मैल, देहरादून ।
5.	उड़ीसा	दि न्यू उड़ीसा, कटक ।
6.	असम	दि असम ट्रिब्यून, गोहाटी ।
7.	बिहार	दि इंडियन नेशन, पटना ।
8.	मध्य प्रदेश	दि हितवाद, नागपूर । दि नागपूर टाइम्स, नागपूर ।
9.	पंजाब	दि ट्रिब्यून, दिल्ली ।
10.	दिल्ली	दि स्टेट्समैन, दिल्ली । दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दिल्ली ।

टिप्पणी :—उपर्युक्त सूची अनन्तिम है और इसमें संशोधन किया जा सकता है ।

पैरा 4 (क) के अनुसार स्थानीय भर्ती के मामले में, विभागों के स्थानीय अध्यक्ष, उन समाचार पत्रों के बारे में निर्णय कर सकते हैं, जिनमें उनके कार्यालय में रिक्तियों के बारे में विज्ञापन प्रकाशित किये जाएंगे ।

(ख) ऐसे सभी मामलों में जिनमें यह अनुभव किया गया हो कि किसी विशेष समुदाय के उपयुक्त रूप में योग्य उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विज्ञापन द्वारा उपलब्ध नहीं होगी, तो वहां विभाग के स्थानीय अध्यक्ष को परिशिष्ट (ग) में उल्लिखित संगठनों और ऐसे अन्य संगठनों से परामर्श करना चाहिए । जिन्हें आरक्षित रिक्तियां पाने वाले समुदायों के प्रतिनिधि के तौर पर समय समय पर

अधिकारियों द्वारा हर तरह से उपयुक्त समझा गया हो, काफी संख्या में उपलब्ध न हो तो न भरी गई रिक्तियों को अनारक्षित माना जाएगा । तथा उन पर प्राप्त योग्यतम उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी, परन्तु अगले वर्षों में उन समुदाओं के लिए रिक्तियों के समान संख्या आरक्षित की जाएगी । जिनकी रिक्तियां इस प्रकार इन रिक्तियों के अलावा भरी गई हैं, जिन्हें संकल्प में दर्ज आदेशों के अनुसार साधारणतया उनके लिए आरक्षित किया जाएगा । (कृपया अधिक स्पष्टीकरण के लिएं परिशिष्ट "क" का नियम iii देखें) ।

(4) जिन समुदायों के लिए आरक्षण किये गए हैं यदि उन समुदायों के उचित रूप से योग्य उम्मीदवार, उपर्युक्त खंड (3) के अन्तर्गत गत वर्ष से अग्रेनीत रिक्तियों के भरने के लिए फिर उपलब्ध न हों तो उनके द्वारा न भरी गई रिक्तियों को अनारक्षित माना जाएगा और उन रिक्तियों के लिए किये गए आरक्षण व्यर्थ हो जाएंगे ।

(5) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं समाप्त होने के कारण हुई रिक्ति को नई रिक्ति न मानकर अनारक्षित या आरक्षित के तौर पर मूल रूप से मानी गई रिक्ति के अनुसार (i) अनुसूचित जातियों या (ii) अनुसूचित जन जातियों या (iii) आंग्ल भारतीयों के लिए (क) अनारक्षित या (ख) आरक्षित समझा जाए ।

(6) इस विवरण को उचित ठहराने के लिए कि किसी समुदाय के उपयुक्त उम्मीदवारों की काफी संख्या उपलब्ध नहीं है और इसलिए रिक्ति को अनारक्षित समझा जाए यह अत्यावश्यक है कि उन समुदायों के उम्मीदवारों के ध्यान में रिक्तियों को लाने के लिए पर्याप्त उपाय किये जायें । इस प्रयोजन के लिए समाचार पत्रों में रिक्तियों का विज्ञापित किया जाना और इस मामले में सहायक एजेंसियों से परामर्श करना भी आवश्यक है । इस संबंध में अगले उप पैरों में दी गई हिदायतों का ध्यान से पालन किया जाए ।

(क) अगले आदेश होने तक, अखिल भारतीय आधार पर सेवाओं और पदों की सभी रिक्तियों में भर्ती के बारे में निम्नलिखित समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाए :

1. मद्रास — दि मैल, मद्रास ।
दि हिन्दू, मद्रास ।
दि इंडियन एक्सप्रेस, मद्रास ।

टिप्पणी :—उपर्युक्त रोस्टर के प्रत्येक तीसरे चक्र में 37वां बिन्दु (प्वाइंट) अनारक्षित माना जाएगा ।

(ii) रोस्टर के रखरखाव के बारे में हिदायतें, परिशिष्ट क और ख में दी गई हैं ।

4. **स्थानीय भर्ती**

(क) यदि आस पास के क्षेत्रों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की सम्भावना हो तो गृह मंत्रालय के परामर्श से संबंधित मंत्रालयों द्वारा आरक्षणों की प्रतिशतताएं निर्धारित की जाएंगी । 1951 की जनगणना के परिणामों के प्राप्त होने तक, आरक्षणों की प्रतिशतताएं, 1941 की गणना रिपोर्ट में दिये गए जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर आधारित होंगी । इस संबंध में प्रस्तावों को यथाशीघ्र गृह मंत्रालय भेज दिया जाए और नियंत की जाने वाली प्रतिशतताओं के बारे में फैसला होने तक, अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए निर्धारित आरक्षणों को कार्यान्वित किया जाए ।

(ख) दैनिक और मासिक दर पर काम करने वाले व्यक्तियों सहित निर्माण कार्य प्रभारित कर्मचारियों जैसी पूर्णत: अस्थायी स्थापनाओं पर सेवाओं में सामुदायिक प्रतिनिधित्व संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे ।

5. **सामान्य**

(1) यदि निर्णय किया गया है कि पदों और सेवाओं के संबंध में इन आदेशों के क्षेत्र से छूट नहीं दी जाएगी, परन्तु अपवादात्मक मामले निर्णय के लिए गृह मंत्रालय के पास भेजे जाएंगे ।

(2) सामुदायिक प्रतिनिधित्व संबंधी आदेश अलग से लागू होंगे :

(क) स्थायी रिक्तियां और

(ख) स्थायी या अस्थायी पदों के संबंध में तीन महीने या उससे अधिक अवधि की अस्थायी रिक्तियों पर ।

(3) जिन समुदायों के लिए आरक्षण किए गए हैं यदि उन समुदायों के ऐसे उम्मीदवार जो उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र हों तथा जिन्हे रिक्तियों के आरक्षित कोटे में नियुक्ति के लिए, भर्ती करने वाले

25 अनुसूचित जातियाँ
26-32 अनारक्षित
33 अनुसूचित जातियाँ
34-40 अनारक्षित

उन सेवाओं में भर्ती के मामलों में जिसमें आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं, संबंधित मंत्रालयों को गृह मंत्रालय के परामर्श से रोस्टर तैयार करने चाहियें ।

(ग) रोस्टरों के रखरखाव संबंधी हिदायतें, परिशिष्ट क और ख में दी गई है ।

3. **खुली प्रतियोगिता के अलावा अन्य तरीकों से भर्ती**

(i) निम्नलिखित रोस्टर पर उन सेवाओं के संबंध में अमल किया जाए, जिनमें खुली प्रतियोगिता के अलावा किसी अन्य तरीके से अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाती है ।

1 अनुसूचित जनजातियां
2 अनुसूचित जातियाँ
3-6 अनारक्षित
7 अनुसूचित जातियाँ
8-12 अनारक्षित
13 अनुसूचित जातियाँ
14-18 अनारक्षित
19 अनुसूचित जातियाँ
20 अनारक्षित
21 अनुसूचित जनजातियाँ
22-24 अनारक्षित
25 अनुसूचित जातियाँ
26-30 अनारक्षित
31 अनुसूचित जातियाँ
32-36 अनारक्षित
37 अनुसूचित जातियाँ
38-40 अनारक्षित

सभी मंत्रालयों आदि को भेजा गया गृह मंत्रालय का तारीख 28 जनवरी, 1952 का का०ज्ञा०सं० 42/21/49-एन०जी०एस०

विषय :—सेवाओं में सामुदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में आदेशों से संबंधित अनुपूरक अनुदेश ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प संख्या 42/21/49-एन०जी०एस० के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवाओं में सामुदायिक प्रतिनिधित्व संबंधी आदेश निम्नलिखित हिदायतों के अनुसार लागू किये जाएंगे ।

2. **खुली प्रतियोगिता से भर्ती**

(क) यदि प्रतियोगिता में बैठने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंगल भारतीय समुदाय के उम्मीदवारों को, अपने लिए आरक्षित रिक्तियों से कम स्थान प्राप्त हुए हों, तो इन जातियों, जनजातियों और समुदायों के अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों, अर्थात् इन समुदायों आदि के उन उम्मीदवारों के नामांकन से यह कमी पूरी की जाएगी, जिन्होंने इस प्रयोजन के लिए ली गई परीक्षा और चयन आदि में अर्हता तो प्राप्त कर ली है, परन्तु अन्य समुदायों के उन उम्मीदवारों से निचले स्थान प्राप्त किये हैं, जिनके लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए 40 रिक्तियों का रोस्टर आवश्यक होगा और निम्नलिखित रोस्टर को उन सेवाओं के लिए माडल रोस्टर के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाए, जिनमें आंगल भारतीयों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ।

1	अनुसूचित जातियाँ
2	अनुसूचित जातियां
3-8	अनारक्षित
9	अनुसूचित जनजातियाँ
10-16	अनारक्षित
17	अनुसूचित जातियाँ
18-20	अनारक्षित
21	अनुसूचित जनजातियाँ
22-24	अनारक्षित

अध्याय 4 में

कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/21/49-एन०जी०एस०	28-1-52
कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/2/55-स्था०(एस०सी०टी०)	14-10-55
कार्यालय ज्ञापन संख्या 31/10/63-स्था०एस०सी०टी०(1)	27-3-63
कार्यालय ज्ञापन संख्या 31/10/63-स्था०एस०सी०टी०(1)	2-5-63
कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/11/69-स्था०(एस०सी०टी०)	22-4-70
कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/8/71-स्था०(एस०सी०टी०)	22-4-71
कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/3/72-स्था०(एस०सी०टी०)	15-5-74
कार्यालय ज्ञाप संख्या 10/52/73-स्था०(एस०सी०टी०)	24-5-74
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/1/76-स्था०(एस०सी०टी०)	6-3-76
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/11/75-स्था०(एस०सी०टी०)	30-5-77
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/33/81-स्थापना(एस०सी०टी०)	5-10-81
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/12/82-स्थापना(एस०सी०टी०)	25-6-82
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/9/82-स्थापना(एस०सी०टी०)	18-2-83
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/28/83-स्थापना(एस०सी०टी०)	12-3-84
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36013/4/85-स्थापना(एस०सी०टी०)	24-5-85
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36013/4/85-स्थापना(एस०सी०टी०)	12-2-86

कार्मिक विभाग का तारीख 22-4-71 का का०ज्ञा०सं० 8-8-71-स्था० (एस०सी०टी०)

4.5 मंत्रालयों/विभागों में और विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ कार्यालयों में नामित संपर्क अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करेंगे । रोस्टरों के निरीक्षण का प्रोफार्मा परिशिष्ट-7 में दिया गया है (अध्याय 15 में संपर्क अधिकारी की ड्यूटियां विस्तार से दी गई हैं) ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 6-3-76 का कार्यालय ज्ञापन सं० 36011/1/76-स्था० (एस०सी०टी०)

4.6 संपर्क अधिकारियों को रोस्टरों इत्यादि का निरीक्षण प्रति वर्ष करना चाहिए और इन निरीक्षणों का रिकार्ड रखना चाहिए । निरीक्षण संबंधी रिपोर्टों को भी सही ढंग से रखना चाहिए ।

गृह मंत्रालय का तारीख 22-4-70 का का०ज्ञा० संख्या 1/11/69-स्था० (एस०सी०टी०)

4.7 सीधी भर्ती और पदोन्नती द्वारा की गई नियुक्तियों के मामले में आरक्षित पदों की संख्या निश्चित करने के लिए अलग रोस्टर रखे जाएं । (प्रत्येक प्रकार की पदोन्नति के लिए अलग रोस्टर रखे जाएं, उदाहरणार्थ, सीमित प्रतियोगिता परीक्षाएं, चयन, वरिष्ठता व उपयुक्तता इत्यादि,)

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 24-5-74 का का०ज्ञा०सं० 10/52/73-स्था० (एस० सी०टी०)

4.8 रोस्टर रखने का अभिप्राय यही है कि आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या निश्चित करने में सहायता मिल सके । इसका प्रयोग नियुक्ति या वरिष्ठता का क्रम निर्धारित करने के लिए न किया जाए ।

जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7½% आरक्षण) सामान्यत: आरक्षण की प्रतिशतता संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनु० जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में होती है ।

4.2 किसी पद पर भर्ती करते समय अनुसूचित जाति और अनु० जनजाति के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या रोस्टर पाइंट के आधार पर निश्चित की जाए और संख्या निश्चित करते समय पिछले वर्ष से आगे लाये गये आरक्षणों को भी ध्यान में रखा जाए किन्तु आरक्षण रिक्तियों की कुल संख्या उस वर्ष में भरी जाने वाली कुल रिक्तियों के 50% से अधिक न हो ।

4.3 **रोस्टर रखना**

सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों के रोस्टर इस प्रकार रखे जाएंगे :—

गृह मंत्रालय के ता० 27-3-63 और 2-5-63 के का०ज्ञा०सं० 31/10/63-एस०सी०टी०) ।

(i) स्थायी नियुक्तियों और स्थायी होने वाली अस्थायी नियुक्तियों या अनिश्चित काल तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों का एक ही रोस्टर रखा जाए ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 4-2-82 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/46/81-स्था०(एस०सी०टी०) ।

(ii) 45 दिन या इससे अधिक दिनों तक चलने वाली पूर्णत: अस्थायी नियुक्तियों के लिए जिनकी किन्हीं भी परिस्थितियों में स्थायी होने या अनिश्चित काल तक ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 25-6-82 का का०ज्ञा० संख्या 36011/12/82-स्थापन (एस०सी०टी०)

(iii) वास्तविक रिक्ति तथा अस्थायी पद से स्थायी पद में परिवर्तन से उत्पन्न रिक्ति के अन्तर को समाप्त कर दिया गया है । अब स्थायीकरण के लिए सभी स्थायी रिक्तियां, चाहे वे किसी की मृत्यु, सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र अथवा किसी अन्य कारण अथवा अस्थायी पद से स्थायी पद में परिवर्तन से उत्पन्न हुई हो, अलग रोस्टर में दिखायी जानी चाहिए ।

का० तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 12-3-84 का का० ज्ञा० संख्या 36011/28/83-स्थापन (एस०सी०टी०)

4.4 रोस्टर परिशिष्ट-4 में दिए गए फार्म के एक रजिस्टर में विस्तार के लिए विवरणिका के परिशिष्ट 4, 5, 6 और 7 को देखिए । रोस्टर रखने संबंधी विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट 5 में दिए गए हैं । परिशिष्ट 6 में एक काल्पनिक रोस्टर का उदाहरण दिया गया है ।

अध्याय 4

रोस्टर

4.1 माडल रोस्टर

निर्धारित आरक्षणों को उचित रूप देने के लिए प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी नीचे बताए अनुसार 40/100 पाइंट के माडल रोस्टर के अनुसार रिक्तियों को "आरक्षित" या "अनारक्षित" मानेगा :—

(i)** अखिल भारतीय स्तर पर की गई सीधी भर्ती ।

गृह मंत्रालय तारीख 24-4-70 का का०ज्ञा० सं० 1/11/69-स्था० (एस०सी०टी०)

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 24-5-85 का का०ज्ञा० संख्या 36013/4/85-स्था० (एस०सी० टी०)

(क) खुली प्रतियोगिता द्वारा अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा परिशिष्ट-1 में बताए अनुसार 40 पाइंट रोस्टर के अनुसार (अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7½% आरक्षण) ।

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 5-10-81 का का०ज्ञा० सं० 36011/83/81-स्थापना (एस०सी०टी०)

(ख) खुली प्रतियोगिता के अलावा किसी अन्य तरीके से जैसा परिशिष्ट-2 में बताए गए 40 पाइंट रोस्टर के अनुसार (अनुसूचित जाति के लिए 16⅔% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7½% आरक्षण) ।

दिनांक 18-2-83 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/9/82-स्थापना (एस०सी०टी०)

(ii) समूह ग और घ (श्रेणी-III) और (IV) के जिन पदों पर सामान्यतया सीधी भर्ती के लिए किसी विशेष स्थान या क्षेत्र के उम्मीदवार आते हैं उनके लिए परिशिष्ट-3 में दिए गए 100 पाइंट के रोस्टर के अनुसार (सामान्यत: आरक्षण की प्रतिशतता संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में होती है) ।

(iii) वे पदोन्नतियां, जिन पर आरक्षण किए जाते हैं [पैरा 2.1(iii)] परिशिष्ट-1 में दिए गए नमूने के अनुसार तैयार किए गए अलग रोस्टर के हिसाब से (अनुसूचित

प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या का विवरण और ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या (1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक) की अवधि के लिए

मंत्रालय/विभाग.....(इसमें सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय भी शामिल हैं)

सेवाओं का समूह/श्रेणी	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों की सं०, यदि कोई हो, जिनके नाम दूसरे कर्मचारियों के साथ ऐसी प्रति-नियुक्तियों के लिए भेजे गए थे	पदों पर नियुक्त किए गए अनु० जा०/अनु० जनजाति के व्यक्तियों की संख्या		अभ्युक्तियां
			अनु० जातियों के उम्मीदवारों की संख्या	अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या	
1	2	3	4	5	6
I					
II					
III					
IV					

का चयन करते समय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उन पात्र कर्मचारियों की बाबत जिनका नाम अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन पदों पर प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण पर नियुक्ति के लिए अन्य पात्र कर्मचारियों के साथ भेजा गया है, विधिवत विचार करें । यदि नियुक्ति करने वाले किसी मंत्रालय या कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले पदों की संख्या काफी हों, वहां नियुक्ति करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इनमें से पर्याप्त पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा भरने की कोशिश करनी चाहिए बशर्ते कि इन समुदायों के अर्हता प्राप्त व्यक्ति उन वर्गों में उपलब्ध हों, जहां से उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाता है ।

2. मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे दिये गए अनुदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गए पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की संख्या बताने वाला (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए) वार्षिक विवरण संलग्न प्रोफार्मा में इस विभाग को भेजें । उनसे यह भी अनुरोध है कि वे मंत्रालय/विभाग और अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ आदि कार्यालयों के बारे में एक ही समेकित विवरण भेजें । पिछले कैलेंडर वर्ष के बारे में विवरण प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल तक इस विभाग को भेज दिए जाए ।

विषय में भी विचार किया जाना चाहिए जो प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के पात्र हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की, सेवाओं में भर्ती सम्बन्धी कार्य निष्पादन पर समीक्षा करने के लिए, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की 17 सितम्बर, 1975 की बैठक में इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ था । विचार-विमर्श के बाद समिति ने सिफारिश की कि उपयुक्त अनुदेशों की ओर मंत्रालयों/विभागों आदि का ध्यान फिर से आकृष्ट किया जाना चाहिए । अतः तारीख 27 सितम्बर, 1967 के का०ज्ञा०सं० में दिए गए अनुदेशों की ओर मंत्रालयों/विभागों आदि का ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है तथा यह अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो उम्मीदवार प्रतिनियुक्ति के पात्र हैं, उनके मामलों पर विधिवत् विचार किया गया है ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को भेजा गया कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 21-1-78 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/7/77-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व, प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति ।

मुझे वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान, गृह मंत्रालय के तारीख 27 सितम्बर, 1967 के का०ज्ञा०सं० 16/2/67-स्था० (ग) में उल्लिखित अनुदेशों की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिनके अनुसार, यद्यपि प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किये जाते हैं तथापि जब कभी किसी मंत्रालय/विभाग आदि का अपने अन्तर्गत या अधीन सेवा करने वाले किसी अधिकारी को लोकहित की दृष्टि से किसी अन्य मंत्रालय/विभाग आदि के अन्तर्गत या अधीन प्रतिनियुक्त करने का प्रस्ताव हो, तो सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग में या उसके अधीन सेवा करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उन कर्मचारियों पर भी, जो प्रतिनियुक्ति के पात्र हैं, इस प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र अन्य कर्मचारियों के साथ विचार किया जाए । इस विभाग के तारीख 9-10-1975 के का०ज्ञा०सं० 36021/6/75-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुसार इन अनुदेशों को मंत्रालयों/विभागों आदि के ध्यान में दोबारा लाया गया था ।

इन अनुदेशों के क्रम में, जिन मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पद होते हैं उनको परामर्श दिया जाता है कि वे भी प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले ऐसे पद (पदों) के लिए व्यक्तियों

यदि कोई हो, तत्काल रद्द मानी जाए और उन पदों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की तुरन्त व्यवस्था की जाए । उन पदों में आरक्षित रिक्तियों का विज्ञापन इस विभाग के तारीख 31-7-70 के का०ज्ञा०सं० 1/1/70-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुसार दो बार न देकर केवल एक ही बार दिया जाए । आरक्षित समुदायों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा ऐसे पदों की रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाए और ऐसे अनारक्षण के लिए इस विभाग के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त और इस विभाग को आरक्षण समाप्त करने की सूचना दी जाए और ऐसा करने के कारण भी ब्यौरे वार बताएं जाएं ।

4. उपर्युक्त पैरा 1.3 में उल्लिखित निर्णय अन्तरिक्ष विभाग और इलेक्ट्रानिक विभाग के पदों पर तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन प्रशिक्षण विद्यालय के लिए प्रशिक्षार्थियों की भर्ती के बारे में लागू नहीं होंगे । इन विभागों में, अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी पदों पर गृह मंत्रालय के तारीख 2-11-1963, 17-7-1964 और 6-10-1959 के का०ज्ञा० में दिए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे ।

5. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णयों को उचित कार्रवाई के लिए अपने अधीन सभी प्राधिकारियों की जानकारी में लाए ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 9 अक्तूबर, 1975 का का०ज्ञा०सं० एफ 36021/6/75-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण ।

मुझे वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान गृह मंत्रालय के तारीख 27 सितम्बर, 1967 के का०ज्ञा०सं० 16/2/67-स्था० (सी०) (प्रति संलग्न) में दिए गए अनुदेशों की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है कि जिसमें उल्लेख है कि जब कभी कोई मंत्रालय/विभाग आदि अपने यहां कार्य कर रहे या अपने अधीन कार्य कर रहे किसी अधिकारी को लोक हित की दृष्टि से किसी अन्य मंत्रालय या विभाग में या उसके अधीन किसी पद पर, प्रतिनियुक्ति पर भेजने का प्रस्ताव हो तो ऐसी प्रतिनियुक्ति के बारे में अन्य पात्र कर्मचारियों के विषय में विचार करते समय संबद्ध मंत्रालय/विभाग में या उसके अधीन कार्य कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऐसे कर्मचारियों के

करना आवश्यक है । यह प्रश्न इस विभाग के विचाराधीन रहा है कि क्या मौजूदा आदेशों के अधीन जिन वैज्ञानिक व तकनीकी पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए जाएं या नहीं । उपर्युक्त अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, अब यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण योजना अब संबंधित सेवाओं में श्रेणी-1 के निम्नतम दर्जे तक के (इसमें श्रेणी-1 का निम्नतम दर्जा भी शामिल है) उन वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भी लागू होगी जिन पर अब तक आरक्षण संबंधी आदेश इस वजह से लागू नहीं होते थे कि ये पद अनुसंधान कार्य करने/निदेशन व मार्गदर्शन कार्य करने के लिये हैं । अब यह निर्णय भी किया गया है कि वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में आरक्षित रिक्तियाँ, जो इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण योजना की सीमा में लायी जाएगी, गृह मंत्रालय के 31-7-70 के का०ज्ञा०सं० 1/1/70-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुसार दो की बजाए केवल एक बार विज्ञापित की जाए । आरक्षित समुदायों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का अनुमोदन प्राप्त किये बिना आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाए ।

2. उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन उन वैज्ञानिक और तकनीकी पदों की सूचियों की समीक्षा करें जिन पर इस समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं होते । केवल उन्हीं वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों पर आरक्षण संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं ।

(I) वो पद संबंधित सेवा के श्रेणी-1 में निम्नतम ग्रेड से ऊंचे ग्रेडों के पद हो

(II) उन पदों को मंत्रिमण्डल सचिवालय (मंत्रिमण्डल कार्य विभाग) के ता० 28-12-1961 के का०ज्ञा०सं० 85/11/सी०एफ०-61 (1) के अनुसार "वैज्ञानिक अथवा तकनीकी" वर्गीकरण किया गया हो और

(III) पद अनुसंधान कार्य करने अथवा अनुसंधान कार्य के संगठन, मार्गदर्शन तथा निदेशन करने के लिए होने चाहिए,

उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी पद को आरक्षण योजना की सीमा से मुक्त करने से पहले संबंधित मंत्री के आदेश प्राप्त किये जाएं ।

3. किसी सेवा के श्रेणी-1 के निम्नतम ग्रेड तक के और इस ग्रेड को शामिल करते हुए वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के लिए आरक्षण आदेशों से दी गई मौजूदा छूट

शामिल हो जाएं, जिनके लिये प्राकृतिक/परिशुद्ध विज्ञानों, या व्यावहारिक विज्ञानों अथवा तकनीकी संबंधी योग्यताएं निर्धारित की गई है और जिनके पदधारियों को अपने कार्य में उस ज्ञान का उपयोग करना होता है । समिति ने संशोधित परिभाषा के अनुसार मंत्रालयों/विभागों से अभी तक प्राप्त पदों की सूचियों की जांच की है और इस संबंध में लिये गए निर्णय की सूचना संबंधी मंत्रालयों/विभागों को दे दी गई है और उसकी प्रतियां गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है ।

3. यदि मंत्रालयों/विभागों में, उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कोई ऐसे और पद तथा सेवाएं हों, जिनकी वे संशोधित परिभाषा के अनुसार "वैज्ञानिक या तकनीकी" पदों के तौर पर वर्गीकृत किये जाने की सिफारिश करना चाहते हों, तो इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि उन पदों की अनुपूरक सूचियां, संलग्न प्रोफार्मा (प्रपत्र) में तैयार की जाएं और सूची की 10 प्रतियां, सचिवों की समिति द्वारा जांच के लिए इस सचिवालय में भेज दी जाए ।

पहली परिभाषा के आधार पर अब तक तैयार की गई पदों की सूचियों को दुबारा जांच के लिए रोके रखने की जरूरत नहीं है । अनुरोध है कि उन सूचियों को, सचिवों की समिति द्वारा जांच के लिए इस सचिवालय में भेज दिया जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को भेजा गया कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23 जून, 1975 का का०ज्ञा०सं०9/2/73-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण—वैज्ञानिक व तकनीकी पदों को इस शर्त से मुक्त करना ।

गृह मंत्रालय के 6 अक्टूबर, 1969 के का०ज्ञा०सं० 9/4/69-स्था० (एस०सी०टी०) के साथ, पठित 2 नवम्बर, 1963 के का०ज्ञा०सं० 9/2/63 एस०सी०टी०(1) और 17 जुलाई 1964 के का०ज्ञा०सं० 9/2/63-एस०सी०टी० (1) के अनुसार अनुसंधान कार्य करने अथवा अनुसंधान कार्य के संगठन मार्गदर्शन तथा निदेशन करने के लिए उन वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों को, जो उक्त ज्ञापनों में विहित शर्तें पूरी करते हों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण करने से संबंधित आदेशों के क्षेत्र से छूट दी जा सकती है । उपर्युक्त आदेशों के अनुसार ऐसे राजपत्रित पदों के संबंध में जो उपर्युक्त का०ज्ञा० में विहित शर्तें पूरी करते हों, स्वयं मंत्रालयों/विभागों द्वारा संबंधित मंत्री के आदेश प्राप्त करके छूट दी जा सकती है । जबकि समान प्रकृति के अराजपत्रित पदों के संबंध में छूट देने से पहले कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श

4. जहां तक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों का संबंध है ये आदेश नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं ।

निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय, सिंचाई व बिजली मंत्रालय/खान और ईंधन विभाग/सूचना व प्रसारण मंत्रालय/वाणिज्य और उद्योग/स्वास्थ्य/वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य विभाग/सी०डी०एण्ड ए० विभाग/कृषि विभाग/शिक्षा/श्रम व रोजगार मंत्रालय/आदिम विभाग और आर्थिक कार्य विभाग आदि के सचिवों को सम्बोधित भारत सरकार, मंत्रिमण्डल सचिवालय (मंत्रिमंडल कार्य विभाग) का तारीख 28 दिसम्बर, 1961 का कार्यालय ज्ञापन सं० 85/11/सी०एफ०-61(1)

विषय :—सेवा निवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद, सेवा बढ़ाने के प्रयोजनार्थ वैज्ञानिक या तकनीकी तौर पर पदों का वर्गीकरण ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल के संयुक्त सचिव के तारीख 29 दिसम्बर, 1960 के पत्र संख्या 164/सी०एफ०/59-60 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है । उस पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि 20 दिसम्बर, 1960 को हुई सचिवों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सेवा-निवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद सेवा बढ़ाने के प्रयोजनार्थ, वैज्ञानिक या तकनीकी तौर पर वर्गीकृत किये जाने वाले वे पद होने चाहिए, जिन पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को अपना काम करने में परिशुद्ध/प्राकृतिक विज्ञानों या तकनीकी विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करना होता है और जोकि अनुसंधान विकास, रूपांकन, निर्माण, उत्पादन, निरीक्षण, सर्वेक्षण, परीक्षण या अध्यापन कार्य में लगे हुए है या इन कार्यों में से किसी कार्य के इन्चार्ज है मंत्रालयों/विभागों को उपर्युक्त निर्णय के अनुसार अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत पदों और सेवाओं की सूचियाँ तैयार करने से पहले तैयार सूचियों को संशोधित करने तथा उन्हें इस सचिवालय में सचिवों की समिति द्वारा जांच के लिए भेजने का अनुरोध किया गया था ।

2. कुछ मंत्रालयों/विभागों से संशोधित सूचियों के प्राप्त होने के बाद, सचिवों की समिति में मामले पर पुनर्विचार किया । इस देश में सभी प्रकार के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की मौजूदा व्यापक कमी को देखते हुए, निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा अपनी 20 दिसम्बर, 1960 की बैठक में तैयार किये गए वैज्ञानिक या तकनीकी पदों की परिभाषा को इस प्रकार उदार बनाया जाए, कि इसमें वे सभी पद

उनके अन्तर्गत पद पर प्रतिनियुक्ति करने का प्रस्ताव करे तो उसमें या उसके अधीन कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के, प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के लिए पात्र कर्मचारियों के मामले में भी ऐसी प्रतिनियुक्ति के लिये अन्य पात्र कर्मचारियों के साथ-साथ विचार किया जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 24 सितम्बर, 1968 का का०ज्ञा०सं० 27/4/67-(11)(स्था०)/(एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों की भूमि आबंटन तथा सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित उपायों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए कार्य-दल की सिफारिश संख्या 18—अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण ।

अनुसूचित जातियों को भूमि के आबंटन तथा सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित उपायों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए श्री एम०आर०यार्दी, अपर सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित कार्य दल ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश सं० 18

"आरक्षण के नियम पूर्णतया अस्थायी पदों पर भी लागू किये जाने चाहिए । इससे अल्पकालिक रिक्तियों पर लगे हुए अनुसूचित जाति के आवेदकों को अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जिससे बाद में नियमित रिक्तियों में उन्हें लगाने में सुविधा होगी ।"

2. वर्तमान आदेशों के अनुसार तीन मास से कम चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों को छोड़कर बाकी सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किए जाते हैं । कार्य दल की सिफारिशों पर विचार करके यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त आरक्षण आदेश भविष्य में 45 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों पर भी लागू होंगे । तदनुसार इस कार्यालय ज्ञापन को जारी किए जाने की तारीख से 45 दिन से कम चलने वाली नियुक्तियों को छोड़कर बाकी सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किए जाने चाहिए ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेश अपने अधीन सभी प्राधिकारियों की जानकारी में लाए ।

सकता । परन्तु यह महसूस किया गया है कि लम्बे अर्से तक चलते रहने वाले संवर्ग बाह्य पदों के मामले में उन्हें संवर्ग में शामिल करने के प्रश्न पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाए । जब ऐसे पदों को किसी विशेष सेवा या संवर्ग में रखा जाएगा तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण इस मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों में किये गये उल्लेखानुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में और इस मंत्रालय के तारीख 8 नवम्बर 1963 के का०ज्ञा०सं०1/10/61-स्था०(घ) में उल्लिखित सीमा तक पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली नियुक्तियों में भी उपलब्ध होगा ।

3. मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पैरा 1 में उद्धृत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की सिफारिश और उपर्युक्त पैरा 2 में किए गए उल्लेखानुसार उस सिफारिश पर इस मंत्रालय के विचारों को समुचित कार्रवाई के लिए ध्यान में रखें ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित, गृह मंत्रालय का तारीख 27 सितम्बर, 1967 का का०ज्ञा०सं० 16/2/67-स्था० (ग)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण-प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियां—इसके बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की सिफारिश ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को ज्ञात है :

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों और इस मंत्रालय के तारीख 8-11-63 के का०ज्ञा०सं० 1/10/61-स्था०(घ) में निर्धारित सीमा तक पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों के लिये आरक्षण हैं । परन्तु प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की विधि से भरे जाने वाले पदों की रिक्तियों में इन समुदायों के सदस्यों के लिए आरक्षण नहीं है ।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपनी 1964-65 वर्ष की रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 160 में लिखा है कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किये जाएं । यद्यपि ऐसी प्रतिनियुक्ति पर कोई आरक्षण नहीं किया जाता, तथापि यह सुझाव है कि कोई मंत्रालय/विभाग आदि अपने अधीन कार्य करने वाले किसी अधिकारी को जनहित में किसी अन्य मंत्रालय/विभाग आदि में या

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 20 सितम्बर, 1965 का का०ज्ञा०सं०16/1(3)65 स्थापना (ग)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—संवर्ग बाह्य पदों पर नियुक्ति—इसके बारे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की सिफारिशें ।

इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के का०ज्ञा०सं०1/2/61-एस०सी०टी०(1) के साथ जारी की गई विवरणिका के पैरा 16(1) के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेश, पैरा 3 और उसके अन्तर्गत टिप्पणियों में उल्लिखित सीमा को छोड़कर स्थानान्तरण द्वारा भरी गई रिक्तियों पर लागू नहीं होते । इसके कारण विशिष्ट अवधियों के लिए स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने वाले संवर्ग बाह्य पदों पर आरक्षण आदेश लागू नहीं होते । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने वर्ष 1962-63 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की हैं :—

सिफारिश सं० 217

"चूंकि संवर्ग बाह्य पद, अन्य संवर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति से भरे जाते हैं इसलिए ये नियुक्तियां अवश्य ही सीधी भर्ती मानी जायें और आरक्षण आदेशों के उपबन्धों के अनुसार की जाएं अन्यथा यह आरक्षण आदेशों का उल्लंघन होगा और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को इन पदों पर नियुक्ति के वैध अवसरों से वंचित करना होगा । जिनकी काफी अधिक संख्या है और उनका दर्जा और परिलब्धियां भी अधिक हैं । इन नियुक्तियों की समीक्षा करने और इन पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के वास्ते गृह मंत्रालय को तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए ।"

2. इस मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की उपरोक्त सिफारिश पर ध्यानपूर्वक विचार किया है । विशिष्ट अवधियों के लिए अन्य संवर्गों से अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले संवर्ग बाह्य पदों को सीधी भर्ती से भरे गये पद नहीं माना जा सकता और इसलिए ऐसे पदों पर आरक्षण आदेश लागू नहीं होते इसके कारण और उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित विवरणिका के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों को इन संवर्ग बाह्य पदों के बारे में लागू नहीं किया जा

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 21-1-78 का का०ज्ञा०सं० 36012/7/77-स्था०(एस०सी०टी०)

3.6 जिन मंत्रालयों/विभागों के अधीन प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानांतरण के आधार पर पद भरे जाने हों, उन्हें भी इन पदों पर व्यक्तियों का चयन करते समय अनुसूचित जाति और जनजाति के उन पात्र कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में विधिवत विचार करना चाहिए जिनके नाम अन्य पात्र कर्मचारियों के नामों के साथ अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण के आधार पर नियुक्त करने के लिए भेजे गए हों । यदि किसी मंत्रालय या कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या काफी हो, तो संबंधित नियोक्ता मंत्रालय/कार्यालय के प्रधान यह देखने का प्रयत्न करें कि इनमें से पर्याप्त पद अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को नियुक्त करके भरे जाएं । लेकिन इस संबंध में यह शर्त होगी कि इस समुदाय के अर्हता प्राप्त व्यक्तियों के वर्ग में से ये कर्मचारी उपलब्ध हों ।

3.7 सभी मंत्रालय और विभाग प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को परिशिष्ट 19 में दिए गए प्रोफार्मा में एक वार्षिक विवरण भेजे जिसमें उक्त अनुदेशों के अनुपालन में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गए उन पदों की संख्या दिखाई जाए, जिन पर अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों की प्रतिनियुक्ति की गई है इसके अतिरिक्त मंत्रालयों और विभागों से यह भी अनुरोध है कि वे अपने मंत्रालय/विभाग का जिसमें उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय आदि शामिल हैं, केवल एक समेकित विवरण भेजें ।

अध्याय 3 में

कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/1(3)/65-स्था० (ग)	20-9-65
कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/2/67-स्था० (ग)	27-9-67
कार्यालय ज्ञापन संख्या 27(4)/67-(II)स्था० (एस०सी०टी०)	24-9-68
मंत्रिमण्डल सचिवालय (मंत्रिमण्डल कार्य विभाग) का०ज्ञा०सं० 85/11/सी०एफ० 61(1) सी०एफ० 61(1)	28-12-61
कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/2/73-स्था० (एस०सी०टी०)	23-6-75
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/16/75-स्था० (एस०सी०टी०)	9-10-75
कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/7/77-स्था० (एस०सी०टी०)	21-1-78

(ii) मंत्रिमण्डल सचिवालय (मंत्रिमंडल कार्य विभाग) के ता० 28-12-61 के का०ज्ञा०सं० 85/11/सी०एफ० 61(1) के अनुसार ये पद "वैज्ञानिक या तकनीकी" के रूप में वर्गीकृत किए गए हों, और

(iii) ये पद अनुसंधान का संचालन या अनुसंधान का संगठन मार्गदर्शन और निर्देशन करने वाले हों ।

उक्त शर्तों को पूरा करने वाले सभी पदों को आरक्षण योजना के नियमों से छूट देने से पहले संबंधित मंत्री से आदेश प्राप्त कर लिये जाएं ।

3.4 अनुसंधान के लिए आवश्यक किसी सेवा के समूह-क (श्रेणी-1) के सबसे नीचे के ग्रेड के वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के मामले में जिन्हें आरक्षण संबंधी आदेशों के पालन में छूट नहीं मिली है, निम्नलिखित स्थितियों को छोड़कर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बनाई गई आरक्षण योजना के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की जाए :—

(i) इन पदों की आरक्षित रिक्तियां केवल एक बार विज्ञापित की जाएं न कि पैरा 9.1 में दिए अनुसार दो बार ।

(ii) यदि इन पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इन पदों का आरक्षण समाप्त कर दें । इस प्रकार आरक्षण समाप्त करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं होगा । तथापि इस प्रकार आरक्षण समाप्त करने की सूचना अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को दे दी जाए । सूचना भेजते समय मामले का ब्यौरा दिया जाए अर्थात आरक्षण समाप्त करने के कारण बताए जाएं ।

3.5 प्रतिनियुक्ति

गृह मंत्रालय का ता० 27-9-67 का का०ज्ञा० सं० 16/2/67-स्था० (ग) और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 9-10-75 का का०ज्ञा०सं० 36021/6/75-स्था० (एस०सी०टी०)

प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में आरक्षण संबंधी नियम लागू नहीं होते हैं किन्तु जब कभी किसी मंत्रालय/विभाग आदि द्वारा अपने अन्तर्गत या अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों को लोकहित की दृष्टि से किसी अन्य मंत्रालय/विभाग इत्यादि में या उसके अधीन प्रतिनियुक्ति करने का प्रस्ताव हो, तो संबंधित मंत्रालय/विभाग में या उसके अधीन सेवा करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिनियुक्ति के पात्र कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति के पात्र अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ विचार किया जाए ।

अध्याय 3

छूट और अपवर्जन

3.1 जब तक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिए गए विशेष या सामान्य अनुदेशों द्वारा किन्हीं पदों के लिए छूट न दी गई हो सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले सभी पदों पर पैरा 2.1 (III) में दी गई सीमा तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण अवश्य किया जाए ।

3.2 निम्नलिखित रिक्तियों के संबंध में आरक्षण के आदेश लागू नहीं होते हैं :—

(i) स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी गई रिक्तियां;

(ii) पैरा 2.1 (III) के अंतर्गत आने वाले पदों को छोड़कर पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां;

(iii) 45 दिन से कम अवधि की अस्थायी नियुक्तियां;

(iv) आपात स्थिति में जैसे बाढ़ सहायता-कार्य और दुर्घटना के कारण हुई अस्त-व्यस्त स्थिति को पूर्ववत बनाने का कार्य करने के लिए तथा राहत आदि आवश्यक कार्य प्रभारित पद ।

3.3 अनुसंधान आदि के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी पद

का० और प्रशा० सु० विभाग का तारीख 23-6-75 का का०ज्ञा०सं० 9/2/73-स्था० (एस० सी० टी०)

"वैज्ञानिक और तकनीकी" पदों इनमें समूह क (श्रेणी-1) के निम्नतम ग्रेड के पद शामिल हैं, पर की जाने वाली नियुक्तियों पर भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का नियम लागू होगा । इन पदों पर भी आरक्षण संबंधी आदेश लागू होंगे ।

केवल ऐसे "वैज्ञानिक और तकनीकी" पदों को जो नीचे दी गई शर्तें पूरी करते हैं मंत्रालय/विभागों के आदेशों से आरक्षण के नियमों में छूट दी जा सकती है :—

(i) ये पद संबंधित सेवा के समूह क (श्रेणी-1) में सबसे नीचे के ग्रेड से ऊपर के ग्रेडों में हों ।

आयोग के माध्यम से अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ली गई खुली प्रतियोगिता द्वारा की गई सीधी भर्ती	प्रतिशत की दर से आरक्षण के लिए परिशिष्ट 1 के अनुसार 40 प्वाइंट रोस्टर ।
खुली प्रतियोगिता से अन्यथा अखिल भारतीय आधार पर की गई सीधी भर्ती	अनुसूचित जातियों के लिए 16⅔ प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत की दर से आरक्षण के लिए परिशिष्ट 2 के अनुसार 40 प्वाइंट रोस्टर ।
सामान्यतया एक ही इलाके/स्थान अथवा एक ही क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए समूह ग तथा घ के पदों पर सीधी भर्ती	इन स्थानों/क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पर आधारित आरक्षण की प्रतिशतता के लिए परिशिष्ट 3 में दिया गया 100 प्वाइंट रोस्टर ।

2. उपर्युक्त पैरा में दिए गए "खुली प्रतियोगिता द्वारा" शब्दों से अभिप्रेत है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सम्पूर्ण भर्ती चाहे वह लिखित परीक्षा द्वारा हो अथवा साक्षात्कार द्वारा अथवा दोनों ही माध्यमों द्वारा और कर्मचारी चयन आयोग सहित किसी अन्य नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा अथवा टेस्ट (परन्तु अकेले साक्षात्कार द्वारा ही नहीं) द्वारा की गई भर्ती/संघ लोक सेवा आयोग द्वारा न की गई कोई भी भर्ती अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा लिए गए लिखित प्रतियोगिता टेस्ट का अभिप्राय होगा खुली प्रतियोगिता से अन्यथा की गई सीधी भर्ती ।

3. वित्त मंत्रालय आदि भविष्य में अपने मार्गनिर्देशन के लिए इस कार्यालय ज्ञापन को देखें और इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने अधीन सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं ।

2. अब यह निर्णय किया गया है कि जबकि दैनिक दर कर्मचारियों के सम्बन्ध में आरक्षण के आदेशों को पूर्णतया लागू करना व्यवहार्य नहीं हो तो यहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती इस प्रकार की जाए कि उनका सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता से नीचे न जाए । इस प्रयोजन के लिए कोई मोडल रोस्टर रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दैनिक मजदूरी वालों के लिए इस प्रकार की कोई रिक्तियां नहीं हैं अपितु इनकी संख्या निष्पादित किए जाने वाले काम की अत्यावश्यकता के आधार पर नियत की जाती है । उदाहरणार्थ, यदि कोई विशिष्ट संगठन लगभग 100 दैनिक वेतन वालों को भर्ती करता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केन्द्र में अथवा स्थानीय तथा क्षेत्रीय भर्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नियत प्रतिशतता के अनुसार उन्हें रोजगार पर लिया जाता है ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/33/81-स्थापना (अनु०जा०) तारीख 5-10-1981

विषय :—अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगिता द्वारा और खुली प्रतियोगिता से अन्यथा द्वारा भर्ती के लिए 40 प्वाइंट के दो रोस्टरों को लागू करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने मंत्रालयों और विभागों द्वारा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी पुस्तिका (1978) संस्करण के परिशिष्ट I और II में दिए गए 40 प्वाइंट के दो रोस्टर रखने और लागू करने के संबंध में संदेह प्रकट किया है । पुस्तक में दी गई वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :—

भर्ती की पद्धति	पालन किया जाने वाला रोस्टर
अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा अर्थात संघ लोक सेवा	अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½

किया कि अन्य विभाग भी जो निर्माण कार्य प्रभारित स्टाफ काम पर लगाते हैं, इसी प्रकार की कार्यविधि अपनाएंगे ।

अब यह निर्णय किया गया है कि सिवाय उन निर्माण कार्य प्रभारित पदों के, जिनकी बाढ़ सहायता कार्य, दुर्घटना के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति तथा राहत कार्य आदि आपात-कालीन स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यकता है, अन्य निर्माण कार्य प्रभारित पदों पर भी आम तौर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का सिद्धांत, यथा संभव सीमा तक समुचित रूप से लागू किये जाएं ।

इसलिये वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रण के अधीन स्थापनाओं में निर्माण कार्य प्रभारित पदों पर भर्ती करते समय, उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखें ताकि ऐसी नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समुचित आरक्षण किये जाएं । इस प्रकार की नियुक्तियों में आरक्षण की प्रतिशतता, समूह ग और समूह घ पदों के बारे में लागू प्रतिशतता के अनुरूप हो सकती है ।

संख्या 36011/18/81-स्था०(अनु०जा०)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई, 1981

कार्यालय ज्ञापन

विषय:—दैनिक दर कर्मचारियों के बारे में आरक्षण आदेशों का लागू किया जाना ।

कार्मिक विभाग के दिनांक 10-2-1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/9/76-स्था० (अनु०जा०) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है,जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बन्धी नियमों की सामान्यत: यथासम्भव सीमा तक कार्य प्रभारित पदों पर भी उपयुक्त रूप से लागू किया जाए, किन्तु ये उन पदों पर लागू नहीं होंगे, जो बाढ़ राहत कार्य, दुर्घटना पुन: स्थापन तथा राहत आदि जैसे आपात कार्यों के लिए अपेक्षित हैं ।

निर्णय लिया गया है कि सेवा के प्रारंभिक गठन के प्रत्येक मामले पर गुण-अवगुण के अनुसार अलग अलग विचार किया जाए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उन मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किया जाए जहां प्रारंभिक गठन के समय शामिल पदों में से किसी के बाहर से भरे जाने का प्रस्ताव है । इसलिये वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि जब भी अपने नियंत्रणाधीन किसी नयी अखिल भारतीय या केन्द्रीय सेवा के निर्माण का उनका प्रस्ताव हो, इस विभाग से परामर्श करके उक्त सेवा के प्रारंभिक गठन के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने संबंधी आदेशों के लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 10 फरवरी, 1977 का का०ज्ञा०सं० 36021/9/76-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—निर्माण कार्य प्रभारित स्थापना/दिहाड़ी पर लगे कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 28 जनवरी, 1952 के का०ज्ञा०सं० 42/21/49-एन०जी०एस० के पैरा 4(ख) में दिए गए अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसके अनुसार पूरी तरह से अस्थायी स्थापनाएं जैसे कि निर्माण कार्य प्रभारित स्टाफ तथा दिहाड़ी और मासिक दर पर काम करने वाले कर्मचारियों पर, सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी आदेश लागू नहीं होते थे ।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष, उसकी 12 नवम्बर, 1976 को हुई बैठक में, कार्य-प्रभारित स्थापनाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों का प्रश्न विचारार्थ आया था ।

समिति ने नोट किया कि निर्माण कार्य-प्रभारित स्टाफ को काम पर लगाने वाले प्रमुख विभाग, अर्थात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल और रक्षा मंत्रालय तथा डाक-तार विभाग अपनी निर्माण कार्य प्रभारित स्थापनाओं में व्यक्तियों की भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए, पहले ही कार्य विधि का पालन कर रहे थे । समिति ने इस मामले में विचार

---

3 पैरा 4.3 (iii) के अनुसार प्रारंभिक नियुक्ति के समय रोस्टर में शामिल किए गए पद को जब बाद में स्थाई पद के रूप में रूपांतरित कर दिया गया हो तो इस रूपांतरण के बाद उसे रोस्टर में दुबारा नहीं दिखाया जाएगा अपितु मूल रूप से भरे जाने के समय वह जिस प्वाइंट पर आती थी उसके अनुसार ही उसे आरक्षित या अनारक्षित माना जाएगा । इस विभाग में इस आशय के पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि स्थायीकरण के समय उत्पन्न होने वाली विभिन्न रिक्तियों के स्वरूप के आधार पर स्थायीकरण की पृथक प्रक्रिया का अनुपालन करने से नियुक्त प्राधिकारियों के लिए अनेक जटिलताएं और कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं क्योंकि स्थायीकरण के समय यह पता लगाना होता है कि क्या स्थायीकरण वाली रिक्ति प्रत्यक्ष रिक्ति है अथवा उक्त रिक्ति अस्थाई पद को स्थायी पद में रूपांतरित करने के कारण उत्पन्न हुई है ? इस विभाग को यह भी जानकारी दी गई है कि अनेक मामलों में नियुक्तियां बहुत पहले की गई हैं और जिन मामलों में अस्थाई पदों को स्थाई पदों के रूप में रूपांतरित किया गया है, उनमें स्थायीकरण का आधार जो संगत रोस्टर है, वह या तो सही रूप में रखा नही गया है और अथवा उसका अता-पता नहीं है जिसके कारण यह पता लगा पाना संभव नहीं है कि मूल रूप से भरे जाने के समय उक्त रिक्ति आरक्षित थी या अनारक्षित । इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और अब यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्यक्ष रिक्ति और अस्थाई पद को स्थायी पद में रूपांतरित करने के कारण उत्पन्न रिक्ति के बीच का अंतर मिटा दिया जाना चाहिए । इसके बाद, स्थायीकरण संबंधी सभी रिक्तियां, जो मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र दिए जाने या किसी अन्य कारण से अथवा अस्थायी पद को स्थायी पद में रूपांतरित करने की वजह से उत्पन्न होती हों, प्रत्यक्ष रिक्तियों के लिए रखे जा रहे एक पृथक रोस्टर में दिखाई जाएं और आरक्षित रिक्तियों की सीमा उसी के अनुसार निश्चित की जाए । अब लिए गए निर्णय को ध्यान में रखकर दिनांक 25-6-82 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/12/82-स्था० (अनु० जा०) का पैरा 3 अधिक्रमित माना जाए । किन्तु, उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन का पैरा 2, किए जाने वाले सभी स्थायीकरणों पर लागू होता रहेगा ।

4. इस तरह के संदर्भ भी प्राप्त हुए हैं कि क्या स्थायीकरण के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण उन मामलों में भी लागू होगा जिनमें सीधी भर्ती वालों (अर्थात् परिवीक्षाधीनों) की प्रारंभिक नियुक्ति "मूल रिक्तियों" पर की गई हो । सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है चूंकि प्रारंभिक नियुक्ति मूल रिक्तियों पर की गई है, अतः परिवीक्षाधीनों को नई रिक्तियों के होने तक प्रतीक्षा नहीं करनी है और परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति पर उन्हें स्थायी किया जाना है और चूंकि वरिष्ठता का निर्धारण प्रारंभिक नियुक्ति के समय तैयार की

गई योग्यताक्रम सूची के आधार पर किया जाता है, अत: ऐसे मामलों में स्थायीकरण के समय नया आरक्षण अपेक्षित नहीं है ।

5. इस तरह के संदर्भ भी प्राप्त हुए हैं कि स्थायीकरण के समय ऐसे मामलों में आरक्षण आदेशों को कैसे लागू किया जाए जिनमें किसी ग्रेड में नियुक्ति अंशत: सीधी भर्ती द्वारा और अंशत: पदोन्नति द्वारा की जा रही हो । विद्यमान अनुदेशों के अनुसार स्थायीकरण के समय आरक्षण केवल सीधी भर्ती द्वारा की जा रही प्रारंभिक नियुक्ति पर ही लागू है । इसलिए ऐसे मामलों में यद्यपि पदोन्नत व्यक्तियों के स्थायीकरण के समय आरक्षण लागू नहीं होगा तथापि सीधी भर्ती वालों के स्थायीकरण के समय आरक्षण लागू होगा । इस तरह के मामलों में स्थायीकरण के समय अपनाई जानेवाली प्रक्रिया निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी :

मान लीजिए कि किसी खास ग्रेड में सीधी भर्ती और पदोन्नति का कोटा पचास-पचास प्रतिशत है । जिन अधिकारियों का स्थायीकरण नहीं किया गया है उनकी सूची में नाम निम्नलिखित रूप से दिए गए हैं । "सी" का आशय "सीधी भर्ती वालों" और "प" का आशय "पदोन्नति वालों" से है ।

1. सी-1	9. सी-5
2. प-1	10. प-5
3. सी-2	11. सी-6
4. प-2	12. प-6
5. सी-3	13. सी-7 (अनु० जाति)
6. प-3	14. प-7
7. सी-4	15. सी-8 (अनु० जनजाति)
8. प-4	16. प-8

मान लीजिए कि स्थायीकरण के लिए 8 रिक्तियां उपलब्ध हुई हो तो उसमें प-4 तक के अधिकारी आ जाएंगे । इन 8 अधिकारियों में से 4 पदोन्नति वाले हैं और 4 सीधी भर्ती वाले हैं । चूंकि पदोन्नति वालों के लिए स्थायीकरण में कोई आरक्षण नहीं है अत: वे अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी किए जाएंगे । इन 4 पदोन्नत व्यक्तियों अर्थात प-1, प-2, प-3 और प-4 की पारस्परिक वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

पदोन्नति वालों और सीधी भर्ती वालों के हिस्से में जाने वाली रिक्तियों का पता लगा लेने के बाद, सीधी भर्ती वालों के हिस्से में जाने वाली 4 शेष रिक्तियों के मामले

में आरक्षण लागू करना होगा । ये 4 रिक्तियां अलग रोस्टरों में दिखाई जानी हैं और मान लीजिए कि वे प्वाइंट 1-4 पर आती हैं, जहां प्वाइंट 1 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है और प्वाइंट 4 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है । इन परिस्थितियों में सी-7 (अनु० जा०) और सी-8 (अनु० जन जा०) स्थायीकरण में सी-3 और सी-4 से आगे हो जाएंगे । स्थायी किए गए अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार होगी :—

1. सी-1
2. प-1
3. सी-2
4. प-2
5. प-3
6. प-4
7. सी-7(अनु० जा०)
8. सी-8(अनु० जनजा०)

स्थायी न बनाए गए अधिकारियों की वरिष्ठता सूची में सी-7 और सी-8 कनिष्ठ होने के कारण स्थायी किए गए अधिकारियों की सूची में सबसे नीचे रखे जाएंगे ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दे दें ।

उपर्युक्त अनुदेश इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगे सिवाय उन मामलों के जहां इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पूर्व ही स्थायीकरण संबंधी प्रवर सूची पहले ही तैयार कर ली गई है तथा उपर्युक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है ।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 24मई, 1985 का का० ज्ञा० संख्या 36013/4/85-स्था० (अनु० जा०)

विषय :—स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर की जाने वाली भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतताओं में संशोधन—आरक्षण की संशोधित प्रतिशतता को कार्यान्वित करने के लिए माडल रोस्टर ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर सभी मंत्रालयों इत्यादि को जारी किए गए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1973 और 15 मई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/3/72-स्था० (अनु० जा०) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें 1971 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा

अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की प्रतिशतता को संशोधित किया गया था । वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए अब इस प्रतिशतता की पुनरीक्षा की गई है । आरक्षण की प्रतिशतता के संशोधन के अनुसरण में, असम को छोड़कर जिसके संबंध में वर्ष 1981 की जनगणना के आंकड़े अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, इस विभाग के दिनांक 12-3-73 और 15-5-74 के कार्यालय ज्ञापन में, सभी राज्यों के लिए निर्धारित 100 पाइन्ट के रोस्टरों को संशोधित कर दिया गया है । ये संशोधित रोस्टर इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में दर्शाए गए हैं । संशोधित रोस्टर पहली जून, 1985 से लागू होंगे । उस तारीख को अथवा उसके बाद भरी जाने वाली रिक्तियों को इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में अब निर्धारित किए गए रोस्टरों में दर्शाया जाना चाहिए । पुराने रोस्टर को पहली जून, 1985 से समाप्त हुआ समझा जाएगा और नया रोस्टर इस प्वाइंट से अगले प्वाइंट से शुरू होगा जहां पर पिछले रोस्टर में भर्ती रोक दी गई थी । ऐसे आरक्षण जिन्हें पिछले रोस्टर में अग्रेनीत किया जाना था, उन्हें अब नये रोस्टर में ही अग्रेनीत किया जाएगा ।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग ने वर्ष 1980-81 से संबंधित अपनी तीसरी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश सं० 53

"यह वांछनीय होगा कि आरक्षण की प्रतिशतता को राज्यों में अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुरूप ही निर्धारित किया जाए ताकि भर्ती की प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब न हो" ।

सरकार ने आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है । अत: अब निर्धारित किए गए 100 पाईंट के नए रोस्टरों में, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की प्रतिशतता, राज्यों और शासित क्षेत्रों की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक अनुपात के अनुरूप है और वह पहले की भांति राज्य/संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों के अनुपात को अनदेखी करके 5 प्रतिशत का न्यूनतम आरक्षण नहीं है ।

3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अखिल भारतीय प्रतिशतता में तथा असम के 100 पाइंट के रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

4. गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में ला दें ।

अनुबंध

जहां भर्ती स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर की जाती है उन मामलों में 100 पाइन्ट रोस्टर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पाइन्टों को दर्शाने वाला माडल रोस्टर ।

क्रम सं०	नाम तथा राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र — अनु० जा० /अनु० ज० जा० के आरक्षण की प्रतिशतता		अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 100 पाइन्ट रोस्टर में आरक्षित किए जाने वाले वास्तविक पाइन्ट
1	2		3
1.	**आन्ध्र प्रदेश**		
	15 अनु०जा०/6 अनु०जा०ज०	अनु०जा०	1, 8, 14, 20, 27, 33, 38, 44, 51, 57, 64, 70, 77, 84, 90.
		अनु०ज०जा०	4, 23, 40, 60, 79, 96.
2.	**बिहार**		
	15 अनु०जा०/9 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 8, 14, 20, 27, 33, 39, 44, 51, 57, 64, 70, 77, 84, 90.
		अनु०ज०जा०	4, 16, 25, 37, 48, 59, 68, 80, 93.
3.	**गुजरात**		
	7 अनु०जा०/14 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	4, 18, 32, 46, 60, 74, 88.
		अनु०ज०जा०	1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92.
4.	**हरियाणा**		
	19 अनु०जा०/शून्य अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91.
		अनु०ज०जा०	शून्य
5.	**हिमाचल प्रदेश**		
	25 अनु०जा०/5 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 6, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97.
		अनु०ज०जा०	4, 23, 43, 63, 83.

1	2	3
6. जम्मू तथा कश्मीर		
9 अनु०जा०/शून्य अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89.
	अनु०ज०जा०	शून्य
7. कर्नाटक		
15 अनु०जा०/5 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 8, 14, 20, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 64, 70, 77, 84, 90.
	अनु०ज०जा०	4, 29, 54, 79, 94.
8. केरल		
10 अनु०जा०/1 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
	अनु०ज०जा०	4.
9. मध्य प्रदेश		
14 अनु०जा०/23 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	4, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87.
	अनु०ज०जा०	1, 6, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 90
10. महाराष्ट्र		
7 अनु०जा०/9 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	4, 18, 32, 46, 60, 74, 88.
	अनु०ज०जा०	1, 12, 23, 34, 44, 56, 67, 79, 91.
11. मणिपुर		
1 अनु०जा०/27 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	4.
	अनु०ज०जा०	1, 6, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 37, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 67, 71, 75, 79, 83, 86, 89, 92, 95, 98.
12. मेघालय		
1 अनु०जा०/44 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	4.
	अनु०ज०जा०	1, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 59, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98.

1	2	3
13. **नागालैंड**		
शून्य अनु०जा०/45 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	शून्य.
	अनु०ज०जा०	1, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 96, 99.
14. **उड़ीसा**		
15 अनु०जा०/23 अनु०ज० जा०	अनु०जा०	4, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87, 95.
	अनु०ज०जा०	1, 6, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 90.
15. **पंजाब**		
27 अनु०जा०/ शून्य अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 6, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 33, 37, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 67, 71, 75, 79, 83, 86, 89, 92, 95, 98.
	अनु०ज०जा०	शून्य
16. **राजस्थान**		
17 अनु०जा०/12 अनु०ज० जा०	अनु०जा०	1, 7, 13, 19, 26, 32, 38, 43, 50, 56, 62, 67, 74, 80, 86, 92, 98.
	अनु०ज०जा०	4, 11, 21, 28, 35, 45, 52, 59, 69, 76, 83, 94.
17. **सिक्किम**		
6 अनु०जा०/23 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	4, 24, 42, 59, 77, 93.
	अनु०ज०जा०	1, 6, 10, 14, 18, 22, 27, 31, 35, 40, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 70, 75, 79, 83, 87, 91, 95.

1	2		3
18.	**तमिल नाडु**		
	19 अनु०जा०/1 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91.
		अनु०ज०जा०	4.
19.	**त्रिपुरा**		
	15 अनु०जा०/29 अनु०ज० जा०	अनु०जा०	4, 11, 18, 24, 31, 38, 45, 53, 59, 65, 72, 78, 84, 90, 96.
		अनु०ज०जा०	1, 6, 9, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 33, 36, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 61, 63, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 92, 94.
20.	**उत्तर प्रदेश**		
	21 अनु०जा०/शून्य अनु०ज० जा०	अनु०जा०	2, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 90, 95, 99
		अनु०ज०जा०	शून्य
21.	**पश्चिम बंगाल**		
	22 अनु०जा०/6 अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 6, 10, 14, 18, 22, 27, 31, 35, 40, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 70, 75, 79, 83, 87, 92
		अनु०ज०जा०	4, 24, 43, 63, 85, 98
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह**		
	अनु०जा० शून्य/अनु०ज०जा० 12	अनु०जा०	शून्य
		अनु०ज०जा०	1, 9, 17, 26, 34, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91
2	**अरुणाचल प्रदेश**		
	अनु०जा० 1/अनु०ज०जा० 44	अनु०जा०	4
		अनु. ज०जा०	1, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 59, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

1	2		3
3.	**चण्डीगढ़**		
	अनु०जा० 14/ अनु०ज०जा० शून्य	अनु०जा०	1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92.
		अनु०ज०जा०	शून्य
4.	**दादरा तथा नागर हवेली**		
	अनु०जा० 2/अनु०ज०जा० 43	अनु०जा०	4, 54.
		अनु०ज०जा०	1, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 98.
5.	**दिल्ली**		अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए यथानिर्धारित रोस्टर का पालन किया जाना है ।
6.	**गोआ, दमन तथा दियु**		
	अनु०जा० 2/अनु०ज०जा० 1	अनु०जा०	1, 50.
		अनु०ज०जा०	4.
7.	**लक्षद्वीप**		
	अनु०जा० शून्य/अनु०ज०जा० 45	अनु०जा०	शून्य
		अनु०ज०जा०	1, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 96, 99.
8.	**मिजोरम**		
	अनु०जा० शून्य/अनु०ज०जा० 45	अनु०जा०	शून्य
		अनु०ज०जा०	1, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 96, 99.

1	2		3
9. **पांडिचेरी**			
अनु०जा०	16/अनु०ज०जा०	अनु०जा०	1, 7, 13, 20, 26, 32, 38, 45, 51
शून्य			57, 63, 69, 75, 81, 87, 93.
		अनु०ज०जा०	शून्य

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 12-2-1986 का का० ज्ञा० संख्या 36013/4/85-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—प्रतिशतता में संशोधन—आरक्षण की प्रतिशतता में संशोधन लागू करने के लिए माडल रोस्टर ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर, सभी मंत्रालयों इत्यादि को भेजे गए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिनांक 24 मई, 1985 के का० ज्ञा० संख्या 36013/4/85-स्था० (अनु० जा०) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग द्वारा वर्ष 1980-81 की अपनी तीसरी रिपोर्ट में की गई सिफारिश संख्या 53 के आधार पर और वर्ष 1981 की जन गणना द्वारा दर्शाए गए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जन संख्या के वास्तविक अनुपात को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की प्रतिशतता को संशोधित कर दिया गया था । इस संबंध में पुनः विचार करने पर अब यह निर्णय किया गया है कि 1981 की जनगणना के अनुसार जिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के कुछ सदस्य रहते हैं और जहां जनजातियों की ऐसी जनसंख्या का अनुपात 0.3 से कम हो, उन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 प्रतिशत का न्यूनतम आरक्षण प्रदान किया जाएगा । तदनुसार उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में निर्धारित उत्तर प्रदेश के 100 प्वाइंट रोस्टर को एतद्द्वारा निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश

अनु०जा० 21/अनु०ज०जा० 1	अनु०जाति	2, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 90, 95, 99.
	अनु० जनजाति	4.

संशोधित रोस्टर पहली फरवरी 1986 से लागू होगा । उस तारीख की अथवा उस तारीख के बाद भरी जाने वाली रिक्तियों को अब ऊपर निर्धारित किए गए रोस्टर में दर्शाया जाना चाहिए । पुराने रोस्टर को पहली फरवरी 1986 से समाप्त हुआ समझा जाएगा और नया रोस्टर उस प्वाइंट से अगले प्वाइंट से शुरू होगा जिस पर पिछले वर्ष भर्ती बन्द कर दी गई थी । जिन आरक्षणों को पिछले रोस्टर में अग्रनीत करना पड़ा था अब उन्हें नये रोस्टर में दर्शाया जाएगा ।

गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लायें ।

पदों का समूहीकरण

गृह मंत्रालय का तारीख 28-1-52 का का० ज्ञा० सं० 42/21/49* एन० जी० एस० के पैरा 6 और परिशिष्ट-इ तथा कार्मिक विभाग का ता० 11-11-71 का का० ज्ञा० सं० 1-4-70 स्थापना (एस० सी० टी०) और ता० 20-12-1974 का का० ज्ञा० सं० 8-1-74 स्थापना (एस० सी० टी०)।

5.1. सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों, इक्के-दुक्के अलग-अलग पदों और छोटे संवर्गों को आरक्षण के प्रयोजन से उसी श्रेणी में रख दिया जाए और ऐसा करते समय संबंधित पदों के लिए निर्धारित ओहदे, वेतन और अर्हताओं को ध्यान में रखा जाए। इस प्रयोजन से, 20 से कम पदों के संवर्ग या ग्रेड या सेवा के डिवीजन को छोटा संवर्ग माना जाए। सामान्यतः इस प्रकार बनाए गए ग्रुप में 25 से कम पद नहीं होने चाहिए। ऐसा करने का यह उद्देश्य नहीं है, कि इक्के-दुक्के पदों को केवल अन्य इक्के-दुक्के पदों के साथ मिलाकर इनका एक ग्रुप बना दिया जाए। यदि कोई भी पद किसी ग्रुप में शामिल होने के संबंध में सभी शर्तें पूरी करता हो तो किसी इक्के-दुक्के पद को 20 पदों से अधिक पदों के सेवा के किसी संवर्ग ग्रेड या डिवीजन में जो स्वयं एक ग्रुप में शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए नीचे पैरा 5.5 में उल्लिखित शर्तों के आधार पर, ग्रुप के अनुसार आरक्षण किया जाएगा।

---

*कृपया अध्याय 4 के बाद देखिए।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० *9-11-1977 का का० ज्ञा० सं० 36024/8/76-स्था० (एस० सी० टी०)*।

5.2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती के लिए आरक्षण के उद्देश्य से पदों को वर्गीकृत करने संबंधी अनुदेश केवल सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के मामलों में लागू होंगे। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में यदि आरक्षण आदेश लागू होते हों, तो पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक ग्रेड या पद के संबंध में इन्हें अलग-अलग लागू किया जाए।

5.3. आरक्षण आदेशों के पालन के लिए सफाईवालों के पदों को चतुर्थ श्रेणी के अन्य श्रेणियों के इक्के-दुक्के पदों के साथ न मिलाया जाए चाहे किसी कार्यालय/स्थापन में सफाईवालों के पद कम ही क्यों न हों।

5.4. पदों के वर्गीकरण के प्रस्ताव कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को पूर्वानुमति के लिए भेजे जाएं। जिन पदों के वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा गया हो उनके बारे में निम्नलिखित ब्यौरा सभी प्रस्तावों के साथ दिया जाए :—

(i) प्रत्येक पद का पदनाम और संख्या ।

(ii) ये पद किस समूह (श्रेणी) के हैं अर्थात् ग्रुप क, ख, ग या घ (श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III या श्रेणी IV) ।

(iii) प्रत्येक पद का वेतन-मान ।

(iv) भर्ती-नियमों में बताए अनुसार प्रत्येक पद पर भर्ती करने की पद्धति ।

(v) प्रत्येक पद पर सीधी-भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं ।

कार्मिक और प्र० सू० विभाग का तारीख 11-11-71 का का० ज्ञा० सं० 1-4-70-स्था० (एस० सी० टी०) ।

5.5. ऊपर दिए अनुसार समूह के आधार पर आरक्षण किए जाएंगे फिर भी सामान्यत: इस प्रकार वर्गीकृत पदों/सेवाओं में भरी जाने वाली कुल रिक्तियों के 50% से अधिक रिक्तियों का आरक्षण नहीं किया जाएगा अर्थात् एक वर्ष में किसी विशिष्ट पद/सेवा में भरी जाने वाली रिक्तियों में से केवल 50% रिक्तियों का ही आरक्षण किया जा सकेगा ।

का० तथा प्र० विभाग का दिनांक 23-7-85 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/17/85 स्थापना (एस० सी० टी०) ।

5.6. आरक्षण को निर्धारित करने के उद्देश्य से समूह के विभिन्न घटकों में होने वाली रिक्तियों की योजना रोस्टर पर पूर्णत: तैथिक क्रम में अर्थात् रिक्ति होने की तारीखों के क्रम से बनाई जाए ।

---

*कृपया अध्याय 14 के बाद देखिए ।

अध्याय 5 में

कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

का० ज्ञा० सं० 42/21/49-(एन० जी० एस०) 28-1-52
अध्याय 4 के बाद

का० ज्ञा० सं० 1/4/70-स्था० (एस० सी० टी०) 11-11-71

का० ज्ञा० सं० 8/1/74-स्था० (एस० सी० टी०) 20-12-74

का० ज्ञा० सं० 36024/8/76-स्था० (एस० सी० टी०) 9-11-77
अध्याय 14 के बाद

का० ज्ञा० सं० 36011/17/85-स्था० (एस० सी० टी०) 23-7-85

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का ता० 11 नवम्बर, 1971 का का० ज्ञा० सं० 1/4/70 स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :— सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करने संबंधी आदेशों के प्रयोजनार्थ पदों का वर्गीकरण ।

वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान, गृह मंत्रालय के तारीख 28 जनवरी, 1952 के का० ज्ञा० सं० 42/21/49-एन० जी० एस० के पैरा 6 में दिए गए उपबन्धों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि इक्के-दुक्के पदों या छोटे संवर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करने संबंधी आदेशों के कार्यान्वियन के प्रयोजनार्थ समान श्रेणी और वेतन वाले पदों को वर्गीकृत किया जा सकता है ।

2. "डाक तार महानिदेशालय, **बनाम** एम० नटराजन व अन्य" मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने पदों के वर्गीकरण की वैधता के बारे में निम्नलिखित विचार प्रकट किये है :—

> "संघ सरकार, अपने प्रशासनिक प्राधिकार का प्रयोग करते हुए, संविधान की धारा 16(4) को प्रभावी बनाने के लिए अनुसूचित जातियों को प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजनार्थ सेवा के संवर्गों का वर्गीकरण करने की निश्चित रूप से हकदार थी, परन्तु ऐसा इस नियमानुसार होगा, कि यह प्रतिनिधित्व बहुत अधिक नहीं होना चाहिये । "एम० आर० बालाजी **बनाम** मैसूर राज्य" और "देवदासन **बनाम** भारतीय संघ सरकार" मामले में, उच्चतम न्यायालय का यह विचार था कि अनुसूचित जातियों के लिए, किसी भी समय, भरी जाने वाली रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक, आरक्षित प्रकार का प्रतिनिधित्व, अनुचित और बुरा होगा ।"

इन टिप्पणियों को करते हुए न्यायालय का विचार था कि वर्ग की सेवाओं में से सेवा में, एक वर्ष के दौरान भरी जा रही रिक्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व काफी ज्यादा और बुरा था, यद्यपि वर्गीकृत सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किये गए आरक्षण, समस्त रूप से सेवाओं के उस वर्ग में भरी जाने वाली रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं थे ।

3. इस मामले पर आगे विचार करके यह निर्णय किया गया है कि यद्यपि तारीख 28-1-52 के का० ज्ञा० में की गई व्यवस्थानुसार पदों के वर्गीकरण द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण जारी रहेंगे, तथापि इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस प्रकार वर्गीकृत पदों/सेवाओं में से किसी में किया गया कुल आरक्षण किसी एक भर्ती वर्ष में इसमें भरी जाने वाली रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो । इस प्रकार अग्रेनित आरक्षण अब किसी पद/सेवा में आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या के अनुसार वर्गीकृत पद में से किसी एक में किये जाएंगे जोकि उस वर्ष के दौरान उक्त पद/सेवा में भरी जाने वाली रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस का० ज्ञा० को अपने अधीनस्थ सभी नियुक्त प्राधिकारियों के ध्यान में लाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 20-12-1974 का का० ज्ञा० संख्या 8/1/74-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन करने के लिए इक्के-दुक्के पदों का वर्गीकरण ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 28-1-1952 के का० ज्ञा० सं० 42/21/49-एन जी एस के पैरा 6 और परिशिष्ट (क) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी व्यवस्था है कि जब भी सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले सेवा के किसी संवर्ग या ग्रेड या प्रभाग में 20 से कम पद हो, तब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करने के लिए गृह मंत्रालय (अब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का पूर्वानुमोदन लेकर सेवा: मंत्रालय अथवा कार्यालय में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समान पदों के साथ उनका वर्गीकरण करने के उपाय किये जाएं । पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर भी आरक्षण योजना लागू किये जाने पर यह पूछताछ की गई कि क्या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में भी इसी प्रकार पदों का वर्गीकरण किया जाए । इस विभाग ने सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को परामर्श दिया है कि चूंकि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर वर्गीकरण योजना लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयां होंगी अत: वर्गीकरण केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में ही किया जाए और पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामलों में वर्गीकरण आवश्यक नहीं है । सभी संबंधितों की जानकारी के लिए अब यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के प्रयोजनार्थ पदों के वर्गीकरण संबंधी अनुदेश सीधी

भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर ही लागू होते है । पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में, आरक्षण आदेश जहां कहीं भी लागू हों वहां प्रत्येक ग्रेड या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद पर अलग-अलग लागू किए जाएं । परन्तु पिछले मामलों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 23 जुलाई, 1985 का का० ज्ञा० सं० 36011/17/85-स्थापना (अनु० जा०)

विषय :—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों के प्रयोजन से एकल पदों के समूहीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को विदित ही है कि विद्यमान आदेशों में यह व्यवस्था है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में एकल पदों तथा छोटे संवर्गों को आरक्षण आदेशों के प्रयोजन से संदर्भाधीन पदों के लिए निर्धारित स्तर, वेतन तथा अर्हताओं को ध्यान में रखते हुए उनका उसी श्रेणी के पदों के साथ समूहीकरण कर दिया जाए । इस मंत्रालय के ध्यान में ऐसे उदाहरण आए हैं कि विशिष्ट मार्गदर्शनों के अभाव में, उन पदों का आरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रोस्टर में इस समूह के विभिन्न घटकों में होने वाली रिक्तियों की योजना बनाने के लिए भिन्न-भिन्न कार्यविधियां अपनाई जा रही हैं ।

2. इस संबंध में एक समान प्रक्रिया निर्धारण करने के प्रश्न पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, समूह के विभिन्न घटकों में होने वाली रिक्तियों की योजना रोस्टर पर पूर्णतः तैथिक क्रम में अर्थात रिक्ति होने की तारीखों के क्रम से बनाई जाए । इसके अतिरिक्त चूंकि समूह के विभिन्न घटकों में होने वाली स्थायी रिक्तियों के लिए स्थायीकरण करते समय आरक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से रोस्टर रखना होता है, इसलिए उनका आरक्षण सुनिश्चित करते समय केवल संयुक्त-विभिन्न घटकों में स्थायीकरण के लिए उपलब्ध स्थायी रिक्तयों को भी रोस्टर में तैथिक क्रम से योजनाबद्ध किया जाएगा ।

3. इस प्वाईंट को नीचे दिए उदाहरण में स्पष्ट किया गया है

समूहीकृत पद :—

(i) अवर श्रेणी लिपिक

(ii) आशुलिपिक

(iii) रिकार्ड कीपर

(iv) केया-टेकर

रिक्तियां होने की तारीख :

अवर श्रेणी लिपिक	2-3-84
रिकार्ड कीपर	4-5-84
आशुलिपिक	7-8-84
आशुलिपिक	9-10-84
केयर-टेकर	11-11-84

रोस्टर में पद :

(मानो कि यह रोस्टर प्वाइंट 1 से शुरू हो रहा है)

1. अवर श्रेणी लिपिक
2. रिकार्ड कीपर
3. आशुलिपिक
4. आशुलिपिक
5. केयर-टेकर

3. यह भी अनुरोध है कि जहां कहीं रोस्टर के रखरखाव के प्रयोजन से एकल पदों का समूहीकरण किया गया है, तो वहां भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले संपर्क अधिकारी को रोस्टर दिखाना होगा तथा सम्पर्क अधिकारी को रोस्टर के अभ्युक्ति कालम में यह भी प्रमाणित करना होगा कि विभिन्न घटकों में रिक्तियां तैथिक क्रम से दिखाई गई हैं ।

4. उपर्युक्त अनुदेश, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ भर्ती की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी गई है, इन आदेशों के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

5. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों को मार्गदर्शन तथा अनुपालन के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में लाएं ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट और रियायतें

आयु सीमा

गृह मंत्रालय का ता० 25.6.52 का संकल्प संख्या 42/19/51 एन० जी० एस० और ता० 30-4-55 का सं० 15/1/55(एस० सी०टी०) और कार्मिक विभाग का ता० 8-12-71 का का० ज्ञा० सं० 21/9/70 स्थापना (एस० सी० टी०) कार्मिक और प्र० सं० विभाग का ता० 8-4-81 का का० ज्ञा० सं० 15012/2/81-स्था० (घ) ।

6.1 **सीधी भर्ती.**—किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष बढ़ा दी जाएगी ।

पदोन्नति

6.2 यदि किसी सेवा/पद पर पदोन्नति के लिए अधिकतम ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित हो तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी । किन्तु यह छूट "कठिन क्षेत्र कार्यों या संक्रियात्मक सुरक्षा तथा अर्द्ध सैनिक" संगठनों के पदों के लिए नहीं दी जाएगी ।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्रालय का दिनांक 1-7-85 का का० ज्ञा० संख्या 36013/3/84-स्थापना (एस० सी० टी०) ।

परीक्षा/चयन के लिए शुल्क.—

6.3 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भर्ती परीक्षा में प्रवेश/चयन के लिए कोई फीस नहीं ली जाती ।

भर्ती

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 5-9-1975 का का० ज्ञा० सं० 27/10/72 स्थापना (एस० सी० टी०)

6.4 **सीधी भर्ती में अनुभव अर्हता में छूट.**—यदि किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता के रूप में अनुभव की कुछ अवधि निर्धारित हो और यदि संबंधित मंत्रालय/विभाग की राय में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट देने से कार्य-कुशलता में कोई अन्तर न पड़ता हो, तो संगत भर्ती नियमावली की अनुसूची के कालम 7 में निर्दिष्ट (अनिवार्य) अर्हता में नीचे (क) या (ख) में बताए अनुसार एक उपबन्ध जोड़ दिया जाए ताकि संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी उक्त उपबन्धों में दी गई परिस्थितियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को (अनुभव) संबंधी अर्हता में छूट दे सकें :—

(क) यदि कोई पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो तो निम्नलिखित उपबन्ध जोड़ा जाए :—

"यदि चयन करते समय किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग" को ऐसा लगे कि इन समुदायों के लिये आरक्षित रिक्तियां भरने के उद्देश्य से उन समुदायों में अपेक्षित अनुभव के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल सकते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपने विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है ।

(ख) यदि कोई पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम "से न भर कर अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना" हो, तो इसमें निम्नलिखित उपबन्ध जोड़ा जाए :—

"यदि चयन करते समय किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को ऐसा लगे कि इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरने के उद्देश्य से इन समुदायों में अपेक्षित अनुभव के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं, मिल सकते हैं तो सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपने विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है ।

उक्त उपबन्ध के अनुसार मंत्रालयों/विभागों आदि को अपने अधीन समूह क, ख ग और घ (श्रेणी I, श्रेणी II, श्रेणी III, तथा श्रेणी IV) के अंतर्गत आने वाले सभी पदों की भर्ती नियमावली का पुनरीक्षण करना चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, ऊपर दी गई भर्ती नियमावली में उचित व्यवस्था करनी चाहिए ।

यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई पद विज्ञापित होते है या "रोजगार कार्यालय" को पदों की सूचना दी जाती है, तो विज्ञापन/मांग में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए कि भर्ती नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार यथास्थिति, संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अनुभव की निर्धारित अवधि में छूट दे सकते है । इस बात के उल्लेख करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिन उम्मीदवारों को अपेक्षित अनुभव से कुछ कम अनुभव हो उन्हें यह पता चल जाए कि उन्हें छूट मिल सकती है ।

का० और प्र० सु० विभाग का तारीख 21-5-81 का का० ज्ञा० सं० डी० 1458/81 स्था० (एस० सी० टी०)

अधीनस्थ विधायी समिति ने यह सिफारिश की है कि भर्ती नियमों के कालम 7 की पाद टिप्पणी का निम्नलिखित वाक्य जोड़ कर और आगे विस्तार किया जाना चाहिए "नियोक्ता प्राधिकारी ऐसा करते समय अनुभव से सम्बन्धित छुट के बाद में कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करेंगे ।"

गृह मंत्रालय का तारीख 25-7-70 का कार्यालय ज्ञापन सं० 1/1/70 स्थापना (एस० सी० टी०)

6.5 **सीधी भर्ती में उपयुक्तता स्तर में छूट.**—यदि सभी आरक्षित रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरते समय (चाहे परीक्षा द्वारा या अन्यथा) सामान्य मानक स्तर के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो इन समुदायों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां भरने के लिए इन समुदायों के ही उम्मीदवार चुने जाएं, बशर्ते कि वे इस पद/इन पदों के अयोग्य न हों । इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित जितनी रिक्तियां इस समुदाय के सामान्य मानक स्तर के इन समुदायों के उम्मीदवारों की नियुक्ति करके नहीं भरी जा सकती हों उनको भरने के लिए तथा इस प्रकार आरक्षित कोटे की कमी को पूरा करने के लिए सामान्य मानक में छूट दी जाए । बशर्ते कि यह उम्मीदवार इस पद/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों ।

गृह मंत्रालय की ता० 24/9/68 तक का का० ज्ञा० सं० 24/7/67(1) स्थापना (एस० सी० टी०) और का 31-10-69 का का० ज्ञा० सं० 16/8/69 स्था० (एस० सी० टी०)

6.6 **सीधी भर्ती में परीक्षा के माध्यम के अलावा समूह ग और घ (श्रेणी III और IV के गैर-तकनीकी और अर्द्ध तकनीकी पदों के लिए मानक में अतिरिक्त छूट.**—यदि समूह ग और घ (श्रेणी III और IV) के गैर-तकनीकी और अर्द्ध तकनीकी पदों को लिखित परीक्षा से न भर कर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो (अर्थात् आवेदन के आधार पर या रोजगार कार्यालय से नामांकन होने पर चाहे नामांकन के बाद साक्षात्कार होना हो या

न होना हो) और पैरा 7.5 में उल्लिखित रियायत देने के अतिरिक्त आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में, उपलब्ध न हो जो छूट देने के बावजूद मानक स्तर तक योग्यता रखते हों, तो चयन करने वाले प्राधिकारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर ऐसे उम्मीदवारों को चयन करना चाहिए जिनके पास भर्ती के नोटिस या विज्ञापन में दी गई न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हो । इन उम्मीदवारों को इन पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानक स्तर तक योग्य बनाने और प्रशासन में दक्षता बनाए रखने के लिए इन्हें सेवा-कालीन अवधि में प्रशिक्षण दिया जाए । नियुक्ति प्राधिकारी सेवा की अवधि में दिए जाने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था अपने कार्यालय में ही करे । ऐसे उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति के बाद परिवीक्षाधीन रखा जाएगा तथा उन पर परिवीक्षा संबंधी सभी नियम/आदेश लागू होंगे ।

मंत्रालयों/विभागों को अपने अधीन कार्य करने वाले सभी प्राधिकारियों को इस आशय के अनुदेश देने चाहिए कि वे समूह ग और घ (श्रेणी III और IV) के अंतर्गत आने वाले उन गैर-तकनीकी और अर्द्ध तकनीकी पदों की एक सूची तैयार करें जिनके मामले में उक्त आदेश लागू होते हैं । इन पदों की रिक्तियों को अधिसूचित या विज्ञापित करते समय इस बात का उल्लेख किया जाए कि ये पद समूह "ग" और "घ" (श्रेणी III और IV) के गैर तकनीकी या अर्द्ध तकनीकी पद हैं ।

का० तथा प्र० विभाग का दिनांक 29-5-85 तथा 17-10-86 का का० ज्ञा० संख्या 36011/8/84 स्था० (एस० सी० टी०)

जहां भर्ती नियमों में कोई शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई हो वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाती के उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों को उपर्युक्त शैक्षिक अर्हता पूरी करनी होगी । कभी-कभी भर्ती नियमों में शैक्षिक अर्हता के रूप में न्यूनतम अंक अथवा न्यूनतम ग्रेड भी निर्धारित किए जाते हैं, ऐसे मामलों में इस तरह निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक/ग्रेड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित, सभी उम्मीदवारों पर एक समान रूप में लागू होंगे ।

कार्मिक विभाग का दिनांक 23-12-70 का का० ज्ञा० संख्या 8/12/69-स्था० (एस० सी० टी०)

6.7 विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं और पुष्टिकरण के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में मानकों में छूट ।

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं "के आधार पर पदोन्नति और पुष्टिकरण के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं" में (यदि पुष्टिकरण के उद्देश्य से उम्मीदवार की उपयुक्तता की जांच "के लिए ऐसी परीक्षाएं निर्धारित" हों), ऐसे

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों की जो सामान्य मानक अर्हता प्राप्त न हों, पदोन्नति/पुष्टिकरण "के बारे में भी विचार किया जाए, बशर्ते, कि वे इस पदोन्नति/पुष्टिकरण के योग्य हों । उक्त मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति और जनजातियों के उम्मीदवारों के मामलों" में इन परीक्षाओं में मानक में छूट दी जाए ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 21-1-1977 का का० ज्ञा० सं० 36021/10/76 स्थापना (एस० सी० टी०)

6.8 **उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय अर्हक परीक्षाओं के मानकों में छूट ।**

उपयुक्त होने पर वरिष्ठता "के आधार पर की जाने वाली" ऐसी पदोन्नतियां (जिनके लिए पैरा 2. 1 (III) (ग)) के अनुसार "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों" के लिए आरक्षण हो और जिनमें उपयुक्तता की परख "के उद्देश्य" से अर्हक परीक्षा ली जाती हो "अनुसूचित जाति/जनजाति" के उम्मीदवारों को इन परीक्षाओं के अर्हक मानक में समुचित छूट दी जाए । तथापि, हर बार परीक्षा लेते समय छूट की सीमा नए सिरे से निर्धारित की जाए । छूट की सीमा निर्धारित करते समय (i) आरक्षित रिक्तियों की संख्या, (ii) ली गई परीक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों और आम उम्मीदवारों द्वारा प्रदर्शित योग्यता, (iii) किसी पद पर नियुक्ति "के लिए योग्यता का न्यूनतम मानक और, (iv) उस संवर्ग की कुल मद संख्या और उस संवर्ग" में अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों की संख्या और सभी संगत तथ्यों का ध्यान रखा जाए ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 19-4-1979 का का० ज्ञा० सं० 36011/6/79-स्था० (एस० सी० टी०) ।

6.8 (1) **पदोन्नति के लिए परीक्षा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मानकों में छूट ।**

यदि पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है और गुणावगुण का निर्धारण योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों में अर्हक परीक्षा (वरिष्ठता तथा उपयुक्तता द्वारा नहीं) द्वारा किया जाता है तो पदोन्नति के लिए भी ऐसी विभागीय अर्हक परीक्षाओं में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए मानकों में उसी प्रकार की छूट दी जाए । इन मामलों में हर बार अर्हक परीक्षा लेते समय छूट की सीमा नए सिरे से निर्धारित की जाए । छूट की सीमा निर्धारित करते समय उपर्युक्त पैरा 7.8 के (i) से (iv) में उल्लिखित सभी संगत तथ्यों का ध्यान रखा जाए ।

गृह मंत्रालय का ता० 31-7-70 का का० ज्ञा० सं० 1/1/70 स्था० (एस० सी० टी०) ।

6.9 "अनुसूचित जाति और जनजाति" के उम्मीदवारों के लिए अलग साक्षात्कार (इंटरव्यू) की व्यवस्था ।

जिस तारीख को सामान्य उम्मीदवार का इंटरव्यू लिया जाना हो उस तारीख को या चयन समिति की उसी बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू न लिया जाए जिससे सामान्य उम्मीदवारों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की तुलना न हो जाए । इन्टरव्यू लेने वाले प्राधिकारी/बोर्ड स्पष्टत: यह जान लें कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों का चयन अपेक्षित मानकों में ढील देते हुए किया जाना है ।

कार्मिक विभाग का ता० 30-1-1973 का का० ज्ञा० सं० 27/14/71 स्थापना (एस० सी० टी०) ।

6.10. इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या ।

सामान्यत: परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों को छोड़ कर अन्य पदों पर प्रत्येक आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए जिस समुदाय के लिए वह पद आरक्षित हो उस समुदाय के 6 से 7 तक उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएं । बशर्ते, कि ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध हो जिनके पास उस पद के लिए निर्धारित अर्हताएं हों । यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध हों तो भर्ती करने वाला प्राधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक आरक्षित रिक्ति के लिए संबंधित श्रेणी के 10 से 12 उम्मीदवारों को इंटरव्यू/चयन के लिए बुला सकता है ।

वित्त मंत्रालय का तारीख 6-5-60, 21-9-60, 23-11-60, 22-7-63 और 19-6-72 का का०ज्ञा०सं० 5/25 ई IV (बी)/60 और ता० 25-1-75 का का०ज्ञा०सं० 19014(2)-ई IV (ख)/74 और तारीख 27-10-1977 का का०ज्ञा०सं० 19014/2/77-ई IV (ख) ।

6.11 यात्रा भत्ता

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है वे अपने सामान्य निवास लौटने के लिए रेल का II दर्जे का एक किराया पाने का हकदार हैं ।

यदि समूह "ग" और समूह "घ" (श्रेणी III और श्रेणी IV) के ऐसे विज्ञप्ति पदों पर नियुक्ति के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है/जिन पर विभागीय उम्मीदवारों की भर्ती होती है, (संघ लोक सेवा द्वारा होने वाली भर्ती को छोड़कर) तो यथास्थिति, भर्ती

करनेवाले प्राधिकारी या चयन आयोग इन उम्मीदवारों को गाड़ी का दूसरी श्रेणी का रेल किराया देंगे । रेल का यह किराया उम्मीदवार के सामान्य निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन अथवा जिस स्थान से उन्होंने वास्तव में यात्रा आरंभ की हो दोनों में से जो भी निकट हो, वहां से इंटरव्यू के स्थान तक तथा उस स्टेशन के वापसी के लिए सबसे छोटे मार्ग के लिए दिया जाएगा । बशर्ते, कि प्रत्येक ओर की यात्रा की दूरी पचास मील से अधिक हो । गाड़ी में सीट/सोने के लिए बर्थ रिजर्व करवाने के लिए, यदि कोई अतिरिक्त खर्च किया गया हो, तो उसके लिए कोई अदायगी नहीं की जाएगी । यदि ऐसे स्टेशनों के बीच यात्रा करनी पड़ी हो, जो रेल द्वारा जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वास्तविक बस किराया या पूरक नियमावली के अधीन सरकारी कर्मचारियों को देय निम्नतम दर पर सड़क मील दूरी भाड़ा दोनों में से जो भी कम हो; दिया जा सकता है बशर्ते कि सड़क द्वारा प्रत्येक तरफ की दूरी 20 मील से अधिक हो । यह रियायत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को भी दी जाएगी जिन्हें समूह "ग" और समूह "घ" (श्रेणी III और श्रेणी IV)के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा के उद्देश्य से बुलाया गया हो । लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा-भत्ता इस शर्त पर दिया जाएगा कि लिखित परीक्षा और साथ ही इंटरव्यू (यदि आवश्यक हुई) दोनों की व्यवस्था एक ही स्थान पर, एक दिन अथवा उस दिन के आस-पास किसी दिन की जाएगी ताकि चयन के स्थान तक जाने और वापसी के लिए उम्मीदवार को दो बार यात्रा-भत्ता न देना पड़े ।

ये आदेश अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों पर भी लागू होंगे जिन्हें समूह "ग" और "घ" (श्रेणी III और श्रेणी IV) के पदों पर जिन पर विभागीय स्तर से भर्ती की जाती है नियुक्त करने के उद्देश्य से रोजगार कार्यालय द्वारा इंटरव्यू/लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है ।

वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का दिनांक 17-2-78 का का० ज्ञा०सं० 19014/3/77-ई-IV (ख)

उपर्युक्त रियायतें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी जो केन्द्रीय/राज्य सरकार, केन्द्रीय राज्य सरकार के निगम, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय सरकारी संस्था अथवा पंचायत में सेवा नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसे समूह "क" और "ख" पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाता है जिन पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न करके अन्यथा की जाती है । (संघ लोक सेवा आयोग से की गयी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार इस विषय पर अलग आदेशों के अन्तर्गत यात्रा भत्ता पाते रहेंगे) ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपर्युक्त आदेशों के अन्तर्गत यात्रा भत्ते के हकदार होंगे भले ही साक्षात्कार/परीक्षा उनके लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए हो अन्यथा अन्य पदों के लिए हो ।

वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का दिनांक 2-11-82 का का०ज्ञा०सं० 19014/2/80-स्था०-IV

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उस स्थिति में भी यात्रा भत्तों के हकदार हैं यदि भर्ती विभागीय तौर पर की जाती है परन्तु शर्त यह है कि पहले 30 किलोमीटर का किराये का वहन उम्मीदवारों द्वारा किया जाता है ।

6.12 सफाई कर्मचारी, फराश, चौकीदार इत्यादि को चपरासी के पद पर तैनात करना ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 16-1-1976 का का०ज्ञा०सं० 42015/3/75 स्थापना (ग) और ता० 2/2/77 का का०ज्ञा०सं० 42015/1/76 स्थापना

चपरासी के ग्रेड की 25 प्रतिशत रिक्तियां उन सफाई कर्मचारियों, फराशों और चौकीदारों इत्यादि की तैनाती द्वारा भरने के लिए आरक्षित रखी जाएगी जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो चाहे उनके पास उस पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हों या न हों । तथापि ये सफाई कर्मचारी, चौकीदार और फराश साक्षर होने चाहिए तथा उन्हें अंग्रेजी या हिन्दी या किसी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने संबंधी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए ।

अध्याय 6 में कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

संकल्प सं० 42/19/51—एन०जी०एस०	25-6-52
का०ज्ञा०सं० 15/1/55—(एस०सी०टी०)	30-4-55
का०ज्ञा०सं० 24/7/67(1)स्था० (एस०सी०टी०)	24-9-68
का०ज्ञा०सं० 1/1/70—स्था० (एस०सी०टी०)	25-7-70
का०ज्ञा०सं० 1/1/70—स्था० (एस०सी०टी०)	31-7-70 अध्याय 9 के बाद
का०ज्ञा०सं० 8/12/69—स्था० (एस०सी०टी०)	23-12-70
का०ज्ञा०सं० 21/9/70—स्था० (एस०सी०टी०)	8-12-71
का०ज्ञा०सं० 27/14/71—स्था० (एस०सी०टी०)	30-1-73
वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा०सं० 5/25/ई IV(ख)/60	6-5-60
वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा०सं० 5/25/ई IV(ख)/60	21-9-60
वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा०सं० 5/25/ई IV(ख)/60	23-11-60
वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा०सं० 5/25/ई IV(ख)/60	22-7-63
वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा०सं० 5/25/ई IV(ख)/60	10-6-72
वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा०सं० 19014/(2)ई IV(ख)/74	25-1-75
का०ज्ञा०सं० 27/10/71—स्था० (एस०सी०टी०)	5-9-75
का०ज्ञा०सं० 42015/3/75—स्था० (ग)	16-1-76
का०ज्ञा०सं० 36021/10/76—स्था० (एस०सी०टी०)	21-1-77
का०ज्ञा०सं० 36011/9/76—स्था० (एस०सी०टी०)	14-7-76
का०ज्ञा०सं० 42015/1/76—स्था० (ग)	2-2-77
वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा०सं० 19014/2/77—ई IV(ख)	27-10-77
वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा०सं० 19014/3/77—ई IV(ख)	17-2-78
का०ज्ञा०सं० 36011/6/79—स्था० (एस०सी०टी०)	19-4-79
का०ज्ञा०सं० 15012/2/81—स्था० (घ)	8-4-81
सं० डी/1458/81—स्था० (एस०सी०टी०)	21-5-81
वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा०सं० 19014/2/80—ई IV	2-11-82
का०ज्ञा०सं० 36011/8/84—स्था० (एस०सी०टी०)	29-5-85
का०ज्ञा०सं० 36013/3/84—स्था० (एस०सी०टी०)	1-7-85
का०ज्ञा०सं० 36011/8/84—स्था० (एस०सी०टी०)	17-10-86

गृह मंत्रालय का तारीख 25 जून, 1952 का संकल्प सं० 42/19/51—एन० जी० एस०

सेवाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के संबंध में भारत सरकार की नीति गृह मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प सं० 42/21/49-एन० जी० एस० में निर्धारित की गई है, संकल्प के पैरा 4(3) में यह व्यवस्था है कि किसी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में तीन वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा। भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अधिकाधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए अधिकतम आयु सीमा में और अधिक छूट देने की आवश्यकता है। अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में किसी अराजपत्रित सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पांच वर्ष तक बढ़ाया जायेगा।

गृह मंत्रालय का तारीख 30 अप्रैल, 1955 का संकल्प सं० 15/1/55-एस० सी० टी०

सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए, अराजपत्रित सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तारीख 25 जून, 1952 के संकल्प सं० 42/19/51-एन० जी० एस० द्वारा इन जातियों और जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में पांच वर्ष की वृद्धि की गई थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि यह रियायत केन्द्रीय सेवाओं के राजपत्रित पदों पर नियुक्तियों के संबंध में भी दी जाए। सभी अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के मामले में इन आदेशों के लागू करने पर अलग से विचार किया जा रहा है।

2. उपर्युक्त निर्णय तत्काल लागू होगा। संघ लोक सेवा आयोग इस संबंध में सहमत हो गया है कि जिन मामलों में उनके जारी किये हुए विज्ञापनों में यह अपेक्षित होता है कि उम्मीदवारों के आवेदन पत्र, आयोग के पास इस संकल्प की तारीख से 15 दिनों के अन्दर अन्दर किसी भी तारीख को पहुंच जाने चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख में, दो सप्ताह बढ़ा दिये जाएंगे। भारत सरकार के अन्तर्गत पदों पर भर्ती करने वाले अन्य अधिकारी भी जहां आवश्यक हो ऐसी ही कार्रवाई करेंगे।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 24 सितम्बर, 1968 का कार्यालय ज्ञापन सं० 24/7/67-(1)-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों को भूमि के आवंटन और सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के संबंध में किये गये उपायों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए गठित कार्यदल की सिफारिश सं०-13—सेवा के दौरान प्रशिक्षण । अनुसूचित जातियों को भूमि के आवंटन और सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व के संबंध में किए गए उपायों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए श्री एम० आर० यर्दी, अपर सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित कार्य दल में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें हैं :—

सिफारिश सं० 13

"प्रायोगिक कार्रवाई के रूप में यह वांछनीय होगा कि चयन के लिए जिन उम्मीदवारों के संबंध में विचार किया जा रहा है उनमें सर्वोत्तम उम्मीदवारों को चुना जाए और उन्हें सेवा प्रशिक्षण दिया जाए, तथा अपेक्षित प्रवीणता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें अपने पदों पर स्थायी किया जाये । प्रारम्भिक अवस्था में इस प्रकार की कार्रवाई केवल या गैर तकनीकी और तकनीकीवत् पदों के लिए सीमित रखी जा सकती है ।"

2. प्रतियोगिता परीक्षा अथवा अर्हक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती से संबंधित वर्तमान आदेशों के अधीन नियोक्ता प्राधिकारियों को मानकों में छूट देकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को स्वविवेक से चुनने का अधिकार है । इस संबंध में सही स्थिति इस मंत्रालय के तारीख 8 फरवरी, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं० 16/17/67-स्था० सी० (प्रति संलग्न) के पैरा 3 और 4 में स्पष्ट की गई है । इन पैराओं के उपबंधों की ओर मंत्रालयों, विभागों और अन्य भर्ती प्राधिकारियों का ध्यान फिर से आकृष्ट किया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि इस विषय से संबंधित आदेशों का दृढ़ता के साथ पालन किया जाता है ।

3. उपर्युक्त पैरा-1 में उध्दृत कार्य दल की सिफारिश पर सरकार ने विचार किया है और इसे सीधे भर्ती द्वारा भरी जाने वाली गैर-तकनीकी और तकनीकीवत् श्रेणी III और श्रेणी IV की सेवा/पदों के संबंध में स्वीकार करने का निर्णय किया गया है । इसमें लिखित परीक्षा को छोड़ कर अन्यथा सीधी भर्ती से अर्थात् आवेदन पत्रों और रोजगार कार्यालय के नामांकन के आधार पर साक्षात्कार के साथ अथवा साक्षात्कार के बिना सीधी भर्ती से भरे जाने वाली सेवाएं और पद शामिल हैं । तदनुसार ऊपर पैरा-2 में उल्लिखित वर्तमान रियायतें देने के अतिरिक्त यह निर्णय किया गया है कि इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख से आगामी आदेशों तक जिन मामलों में अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के निम्नतम स्तर वाले उम्मीदवार भी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों, वहां नियुक्ति प्राधिकारी लिखित परीक्षा को छोड़कर अन्यथा भरी जानेवाली गैर तकनीकी और तकनीकीवत् श्रेणी III और श्रेणी IV में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर इन समुदायों के उम्मीदवारों में से उन सर्वोत्तम उम्मीदवारों को चुन सकते हैं जिनके पास भर्ती की सूचना/विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं हैं और इन उम्मीदवारों को इन पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए और प्रशासन की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए सेवागत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । सेवागत् प्रशिक्षण की व्यवस्था नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अपने कार्यालयों में की जाएगी । ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्त किए जाने के बाद परिवीक्षाधीन रखा जाएगा और उन पर परिवीक्षा संबंधी नियम/आदेश लागू होंगे ।

4. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी प्राधिकारियों को इन अनुदेशों की जानकारी दें ।

5. जहां तक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये अनुदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का ता० 25 जुलाई, 1970 का का० ज्ञा० सं० 1/1/70-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—आरक्षित रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को चयन मानकों में छूट ।

इस मंत्रालय के ता० 8 फरवरी, 1968 के का० ज्ञा० सं० 6/17/67-स्था० (ग) के साथ पठित ता० 15 मई, 1967 के का० ज्ञा० सं० 8/10/66-स्था० (ग) में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार, यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को, सीधी भर्ती के लिए हुई परीक्षा में उनकी सामान्य स्थिति के अनुसार, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम पद मिलें, तो, इस कमी को पूरा करने के लिए चयन अधिकारी इस परीक्षा में निम्न स्तर प्राप्त करने वाले इस समुदाय के उम्मीदवारों का चयन स्वविवेक से कर सकते हैं बशर्ते कि वह प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि उनके मामले में प्रशासनिक कुशलता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक का पूरा ध्यान रखा गया है । इसी प्रकार, परीक्षा के अलावा अन्य प्रकार से सीधे भर्ती

में, यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सामान्य मानकों के आधार पर उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम पद मिले तो इस कमी को पूरा करने के लिए चयन अधिकारी अनुसूचित जातियों/जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं जो अन्य समुदाय के उम्मीदवारों के मानक से कम मानक के हों बशर्ते ऐसे उम्मीदवार प्रशासन की दक्षता बनाये रखने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानदण्ड पूरे करते हों । परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती अथवा परीक्षा के अलावा अन्य प्रकार से भर्ती के मामलों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों की उपयुक्तता आंकते समय मानकों में किस सीमा तक छूट दी जाए प्रत्येक वर्ग के पद या पदों के मामले में इस बात का निर्णय वर्तमान चयन प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा । इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि परीक्षा द्वारा या अन्य प्रकार से की जाने वाली सीधी भर्ती द्वारा यदि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां भरने के लिए इस समुदाय के अन्य उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाए बशर्ते कि वे इस पद या इन पदों के लिए अयोग्य न पाए जाए । अतः अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित जितनी रिक्तियाँ सामान्य मानक के आधार पर न भरी जा सकती हों तो वर्तमान आरक्षित कोटे की कमी को पूरा करने के लिए निर्धारित मानक में छूट देकर उपर्युक्त जातियों के उम्मीदवारों को लिया जा सकता है बशर्ते कि ये उम्मीदवार सम्बद्ध पद/पदों में नियुक्ति के लिए पात्र हों ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उक्त आदेश सरकारी उपक्रमों और सांविधिक, अर्ध सरकारी और स्वायत्त निकायों सहित उनके अधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में लाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 23 दिसम्बर, 1970 का का० ज्ञा० सं० 8/12/69-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—पदोन्नति के लिये विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं और विभागीय स्थायीकरण परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए योग्यता मानकों में छूट ।

वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान, गृह मंत्रालय के तारीख 25 जुलाई, 1970 के का० ज्ञा० सं० 1/1/70-स्था० (एस० सी० टी०) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था है, कि परीक्षा द्वारा या अन्यथा सीधी भर्ती के द्वारा यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये, सामान्य योग्यता मानक के आधार पर ये उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध

न हों, तो उनके लिये आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिये, इन समुदायों के उम्मीदवारों का चयन निर्धारित मानकों में छूट देकर किया जा सकता है । बशर्ते कि, उन्हें ऐसे पद या पदों पर नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त न पाया गया हो । यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा की गई पदोन्नतियां और विभागीय स्थायीकरण परीक्षाओं में उसी आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को योग्यता मानकों में छूट दी जा सकती है, जहां स्थायीकरण के लिये, उम्मीदवारों की उपयुक्तता निश्चित करने के लिए ऐसी परीक्षाएं निर्धारित हैं । मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करके यह निर्णय किया गया है कि ऐसी परीक्षाओं के परिणामस्वरूप की जाने वाली पदोन्नतियों/स्थायीकरणों के लिए, इन परीक्षाओं में सामान्य अर्हक मानक न प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों पर भी पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि उन्हें इन पदोन्नतियों/स्थायीकरणों के लिए अनुपयुक्त न पाया गया हो । दूसरे शब्दों में, उपर्युक्त मानदण्ड के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए इन परीक्षाओं के अर्हक मानकों में छूट दी जा सकती है ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 8 दिसम्बर, 1971 का का० ज्ञा० सं० 21/9/70 स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आयु सीमा में छूट ।

गृह मंत्रालय के तारीख 25 जून 1952 के संकल्प सं० 42/19/51 एन० जी० एस० और तारीख 30 अप्रैल 1955 के संकल्प सं० 15/1/55 एस० सी० टी० के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है । सीधी भर्ती से भरी जाने वाली सभी सेवाओं/पदों के संबंध में यह रियायत दी जाती है । पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों/सेवाओं के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से की गई पूछताछ से पता चलता है कि या तो ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई या जिन मामलों में ऐसी सीमा निर्धारित की गई है, वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पहले ही से पांच वर्ष की छूट दी जा रही है । यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है कि क्या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उन मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये छूट दी जा

सकती है जिनमें फिलहाल यह छूट नहीं दी जा रही है । अब यह निर्णय किया गया है कि जिन मामलों में सेवा पद पर उन्नति के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित है वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी । परन्तु यह निर्णय उन पदों पर लागू नहीं होगा, जो कि कठिन क्षेत्रीय कार्य या संक्रियात्मक सुरक्षा से संबंधित है और जो सैनिक संगठनों में है ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने अधीन सभी अधिकारियों के ध्यान में उपर्युक्त निर्णय को लायें और यथावश्यकता, भर्ती नियमों में संशोधन के लिए समुचित कार्रवाई करें ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 30 जनवरी, 1973 का० ज्ञा० सं० 27/14/71 स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों का भरा जाना—साक्षात्कार के लिये बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय के तारीख 31 जुलाई 1970 के का० ज्ञा० सं० 1/1/70 स्था० (एस० सी० टी०) के पैरा 2(ड) के अनुसार साक्षात्कार के साथ परीक्षा द्वारा की गई सीधी भर्ती या परीक्षा को छोड़कर किसी अन्य तरीके से की गई सीधी भर्ती के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार किसी दूसरे दिन या चयन समिति की अलग बैठक में किया जाए ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की परख सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में न की जाए और साक्षात्कार प्राधिकारी/बोर्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निर्धारित योग्यता मानकों में छूट देते हुए जांचने की जरूरत से विशेष रूप से परिचित हो इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के पास सभी निर्धारित योग्यता थी, तथापि कभी-कभी उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था । इस मामले पर विचार करके यह निर्णय किया गया है कि सामान्यतः परीक्षा के अलावा अन्य तरीके से भरे जाने वाले पदों के संबंध में प्रत्येक आरक्षित रिक्ति के लिए उसी समुदाय के उम्मीदवारों जिसके लिए पद आरक्षित है । उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यताएं रखने वाले छः से सात उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता हैं । यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के काफी उम्मीदवार उपलब्ध हो तो भर्ती

प्राधिकारी प्रत्येक उम्मीदवार के गुणावगुण को देखते हुए साक्षात्कार/चयन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक आरक्षित रिक्ति के लिए संबंधित वर्ष के 10 से 12 तक उम्मीदवार बुला सकते है ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में उपर्युक्त हिदायतें लाएं ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का तारीख 6 मई, 1960 का कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 5/25/एफ IV(ख)/60

विषय :—विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मंत्रालयों आदि द्वारा इन्टरव्यू के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को भेजे गए गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञा० सं० 515(2)/59 एस० सी० टी०(1) तारीख 18 नवम्बर, 1959 की ओर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में इन्टरव्यू के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के परामर्श से विचार किया गया है । राष्ट्रपति ने यह निर्णय किया है कि जब श्रेणी III और IV के ऐसे विज्ञापित पदों पर जिनकी भर्ती विभागीय रूप से की जाती है (अर्थात संघ लोक सेवा आयोग को छोड़कर अन्यथा) नियुक्ति के सम्बन्ध में इन्टरव्यू के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को बुलाया जाए तब नियोक्ता प्राधिकारी उन्हें एक व्यक्ति के लिए सवारी गाड़ी का तृतीय श्रेणी का रेल किराया दे सकते हैं । रेल का यह किराया उम्मीदवार के निवास के सामान्य स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन अथवा जिस स्टेशन से यात्रा वास्तव में प्रारम्भ की गई हो, दोनों में से जो भी निकट हो, वहां से लेकर इन्टरव्यू के स्थान तक और उसी स्टेशन तक वापसी के लिए सब से छोटे मार्ग के लिए दिया जाएगा बशर्ते कि प्रत्येक ओर की यात्रा की दूरी पचास मील से अधिक हो गाड़ी में सीट/सोने का बर्थ रिजर्व करवाने के लिए यदि कोई अतिरिक्त खर्च किया गया होगा तो उसके लिए कोई अदायगी नहीं की जाएगी ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का दिनांक 21 सितम्बर, 1960 का का० ज्ञा० सं० एफ 5/25/ई-IV(ख)/60

विषय :—विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मंत्रालयों, आदि द्वारा इन्टरव्यू पर बुलाए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/25/ई-IV/(बी)/60 तारीख 6 मई, 1960 की ओर ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि यह प्रश्न उठाया गया है कि श्रेणी III और श्रेणी IV के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में इन्टरव्यू के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यदि ऐसे स्टेशनों के बीच यात्रा करनी पड़ती है जो रेल द्वारा संबद्ध नहीं है तो क्या ऐसी स्थिति में उन्हें सड़क दूरी भाड़ा मिल सकता है । यह निर्णय किया गया है कि जो स्टेशन रेल द्वारा संबद्ध नहीं है, उनके बीच सड़क यात्रा के लिए नियोक्ता प्राधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को वास्तविक बस भाड़ा अथवा पूरक नियमावली के अधीन सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य निम्नतम दर पर सड़क दूरी भाड़ा दोनों में जो भी कम हो, उसे दे सकते है बशर्ते कि प्रत्येक ओर की सड़क द्वारा यात्रा की दूरी 20 मील से अधिक हो ।

2. यह भी निर्णय किया गया है कि इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञा० सं० 5/25/ई-IV(बी)/60 तारीख 6 मई, 1960 और ऊपर पैरा I के उपबन्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जिन्हें श्रेणी III और श्रेणी IV के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा । लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता इस शर्त के साथ दिया जायेगा कि लिखित परीक्षा के साथ यदि किसी प्रकार की इन्टरव्यू की आवश्यकता होगी तो लिखित परीक्षा और इन्टरव्यू दोनों की व्यवस्था एक ही स्थान पर और एक ही दिन अथवा आस-पास के दिनों पर की जायेगी ताकि प्रवरण स्थान तक जाने और वापसी के लिए उम्मीदवार को एक ही यात्रा के लिए यात्रा भत्ता मिले ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का दिनांक 23 नवम्बर, 1960 का का० ज्ञा० सं० 5/25/ई-IV(ख)/60

विषय :—मंत्रालयों आदि द्वारा रोजगार कार्यालय के माध्यम से लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता ।

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 6 मई, 1960 और 21 सितम्बर, 1960 के कार्यालय ज्ञा० सं० एफ 5/25-ई-IV(ख)/60 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विज्ञापित पदों, जिन पर विभागीय तौर पर भर्ती की जानी है, पर नियुक्ति के लिए, भर्ती प्राधिकारियों द्वारा साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते के भुगतान के लिए आदेश जारी किए थे । कतिपय क्षेत्रों से इस प्रकार की पूछताछ की गई कि क्या भर्ती प्राधिकारी द्वारा रोजगार कार्यालय के माध्यम से साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को इन आदेशों के अधीन रियायत दी जाए अथवा नहीं । यह निर्णय किया गया है कि श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों, जिन पर विभागीय तौर पर भर्ती की जानी है, पर नियुक्ति के लिये रोजगार कार्यालय के माध्यम से बुलाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों पर भी उपर्युक्त आदेश लागू होंगे ।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का दिनांक 22 जुलाई, 1963 का का० ज्ञा० सं० एफ 5/25/ई-IV(ख)/60

विषय :—भारत सरकार के अधीन श्रेणी III और श्रेणी IV के विज्ञापित पदों, जिन पर विभागीय तौर पर भर्ती की जानी है, पर नियुक्ति के लिए मंत्रालयों आदि द्वारा साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 6 मई, 1960, 21 सितम्बर, 1960 और 23 नवम्बर, 1960 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञा० की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है, कि एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या इसमें स्वीकृत रियायतें केन्द्रीय/राज्य सरकारी सेवाओं में पहले से ही कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भी दी जाती है । इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित "उम्मीदवार" शब्द में वे उम्मीदवार शामिल नहीं है जो पहले से केन्द्रीय/राज्य सरकारी सेवाओं में है । तदनुसार कथित रियायतें उन उम्मीदवारों को नहीं दी जाती है, जो पहले से ही केन्द्रीय/राज्य सरकार की सेवाओं में है ।

2. ये आदेश उपर्युक्त आदेशों की अपनी-अपनी तारीख से लागू होते हैं, किन्तु किन्ही पुराने मामलों में इन्ही आदेशों के अधीन, ऐसे उम्मीदवारों को अदायगी की जा

चुकी है जो केन्द्रीय/राज्य सरकार की सेवा में थे तो ऐसे मामलों को फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सम्बोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का तारीख 19-6-72 का का० ज्ञा० सं० एफ 5/25/ई-IV(बी०)/60

विषय :—मंत्रालयों आदि द्वारा रोजगार कार्यालय के माध्यम से साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता ।

मुझे इस मंत्रालय के तारीख 6 मई, 1960 और 21 सितम्बर, 1960 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिनमें तीसरी और चौथी श्रेणियों के विज्ञापित पदों, जिन पर विभागीय तौर पर भर्ती की जानी है, पर नियुक्ति के लिए, भर्ती प्राधिकारियों द्वारा साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते के भुगतान के लिये आदेश जारी किये गए है ।

2. यह प्रश्न उठाया गया है कि मुख्य भूमि और द्वीप समूह केन्द्रों में तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार/परीक्षा में बैठने के लिए लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों से अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा की गई समुद्री यात्रा के लिए कितना यात्रा भत्ता दिया जाए । यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त समुद्री यात्राओं के संबंध में, सब से छोटे दर्जे के समुद्री भाड़े (जिसमें भोजन आदि पर होने वाला खर्च शामिल नहीं है) की प्रतिपूर्ति कर दी जाए, बशर्ते कि दोनों तरफ से की गई प्रत्येक समुद्री यात्रा की दूरी तीस किलोमीटर से अधिक हो ।

3. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के संबंध में इन आदेशों के लागू किये जाने का सम्बन्ध है, इन्हें भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किया गया है ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सम्बोधित वित्त मंत्रालय का तारीख 25-1-75 का का० ज्ञा० सं० 19014(2)ई-IV(बी)/74

विषय :—मंत्रालयों आदि द्वारा इन्टरव्यू/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता ।

मुझे इस मंत्रालय के तारीख 22-7-63 के का० ज्ञा० सं० एफ०5(25)ई-IV/(बी)/60 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है. जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पहले से केन्द्रीय/राज्य सरकार की सेवाओं के अधीन कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उस रियायत के हकदार नहीं है जो इस मंत्रालय के तारीख 6-5-1960, 21-9-1960 और 23-11-1960 के का० ज्ञा० सं० एफ० 5(25)-ई-IV(बी)/60 के अनुसार दी गई है ।

अब यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले से केन्द्रीय/राज्य सरकार, निगम, सरकारी उपक्रम, स्थानीय सरकार, संस्थाओं और पंचायतों आदि में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को भी यह रियायत नहीं दी जाएगी ।

जिन पुराने मामलों में पहले ही अदायगी की जा चुकी है उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

ये आदेश भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए है ।

सभी मंत्रालयों आदि को भेजा गया कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 5 सितम्बर, 1975 का का०ज्ञा०सं० 27-10-71-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा पद पर अनुभव संबंधी अपेक्षा—अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए छूट का प्रश्न ।

इस विभाग के तारीख 28 अगस्त, 1971 के का०ज्ञा०सं० 27-10-71-स्था०(एस०सी०टी०) द्वारा सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में भर्ती के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र या पद के लिए अपेक्षित अनुभव संबंधी अपेक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाती के उम्मीदवारों के लिए छूट के प्रश्न पर मंत्रालयों/विभागों के विचार आमंत्रित किये गए थे । मंत्रालयों/विभागों के विचारों को दृष्टि में रख कर और संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लेकर, इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है । अब यह निर्णय किया गया है, कि जहां एक पद पर सीधी भर्ती के लिए कुछ समय का अनुभव अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित किया गया हो और सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग की राय में अनुभव में छूट देने से कार्यकुशलता में कोई असंगत प्रभाव नहीं पड़े । सम्बन्धित भर्ती नियमों की अनुसूची के खाना 7 में अनिवार्य योग्यता के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए जैसा कि नीचे (क) या (ख) में दिया गया है ताकि संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उन परिस्थितियों में जिनका उपबंध में उल्लेख किया गया है, अनुभव संबंधी योग्यता में छूट दे सकें ।

(क) यदि पद पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती होनी हो तो निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा :—

यदि चयन की किसी भी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग की राय में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार उनके लिए आरक्षित रिक्तियाँ भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उमीदवारों के लिए अनुभव सम्बन्धी योग्यता में संघ लोक सेवा आयोग छूट दे सकता है ।

(ख) जहां पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न भरे जाकर किसी दूसरे माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएं, वहां उपबंध में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी :—

1. यदि चयन की किसी भी अवस्था में सक्षम प्राधिकारी की राय में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव सम्बन्धी योग्यता में छूट दे सकता है ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वह अपने अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के सभी पदों के भर्ती नियमों का पुनरीक्षण करें और जहां आवश्यक हो पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित भर्ती नियमों में उपयुक्त उपबंध जोड़े ।

3. जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियां विज्ञापित की जाएं या रोजगार कार्यालय को भेजी जाएं तो विज्ञापन मांग पत्र में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएं कि संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक से भर्ती नियमों में की गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (जैसी भी स्थिति हो) के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अवधि के अनुभव में छूट दे सकता है । इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित अनुभव मे थोडा कम अनुभव भी रखता है तो वह छूट मिलने की सम्भावना के बारे में जान सकें ।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि ऊपर दिए गए अनुदेशों को सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के ध्यान में लाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 16 जनवरी, 1976 का का०ज्ञा०सं० 42015/3/75-स्था० (ग)

विषय :—सफाई वालों, फराश आदि के पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की चपरासी के पदों पर नियुक्ति ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को मालूम है कि सफाई वाले और फराश आदि जो कि समाज के निम्नतम स्तर पर है तथा पहले से ही सेवाओं में है, उनके कार्य करने के वातावरण में सुधार के लिए इस विभाग के तारीख 5 सितम्बर 1975 के सम संख्यक का०ज्ञा० द्वारा मंत्रालय/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अधीन चपरासी के पदों के भर्ती नियमों में इस विभाग के परामर्श से, संशोधन करें ताकि जिन सफाईवालों और फराशों आदि के पास चपरासी के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता हों उन्हें जितनी संख्या में वे उपलब्ध हों, चपरासी के पद पर स्थानान्तरण पर नियुक्त किया जा सके ।

2. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की छठी बैठक में इस प्रश्न पर आगे विचार किया गया तथा यह कहा गया कि इनके मामले में न्यूनतम शिक्षा संबंधी योग्यता का आग्रह न किया जाएं क्योंकि वर्तमान सफाई वालों व फराश इस स्थिति में नहीं हैं कि उन योग्यताओं को प्राप्त कर सकें जो चपरासी के पद के लिए निर्धारित है । अत: उच्च स्तरीय समिति ने निर्णय लिया कि अगर वे प्रारंभिक तौर पर साक्षर हों तथा हिन्दी पढ़ सकने का प्रमाण दे सकते हों तो उनके मामले में शिक्षा संबंधी योग्यता की छूट पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए । इस प्रश्न पर ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि चपरासी के संवर्ग में होने वाली रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद ऐसे सफाईवालों, फराशों, चौकीदारों आदि के लिए आरक्षित किए जाएं, जो पिछले 5 वर्षों से सेवा कर रहे हों तथा चपरासी की सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता पूरी न करते हों, किन्तु प्रारंभिक तौर पर साक्षर हों और हिन्दी पढ़ने की योग्यता का प्रमाण दे सकते हों । यह निश्चय करने के लिए कि क्या ऐसे सफाईवालों, फराशों, चौकीदारों आदि जो प्रारंभिक तौर पर साक्षर है और हिन्दी पढ़ने की योग्यता रखते है, यह आवश्यक होगा कि एक साधारण लिखित परीक्षा ले ली जाएं । अतएव मंत्रालय/विभाग से अनुरोध है कि वे अपने अधीन चपरासी के पदों के भर्ती नियमों में इस विभाग के परामर्श से संशोधन करें तथा चपरासी के संवर्ग में होने

वाली रिक्तियों के 25 प्रतिशत पद ऐसे सफाईवालों, फराशों, चौकीदारों आदि के लिए आरक्षित करें जो चपरासी के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते हों, किन्तु प्रारंभिक तौर पर साक्षर हों और हिन्दी पढ़ने की योग्यता का प्रमाण देते हों और मूल संवर्ग में 5 वर्ष की सेवा कर चुके हों।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्र०सु० विभाग का दिनांक 14-7-76 का का०ज्ञा०सं० 36011/9/76-स्था०(एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को आयु-सीमा में छूट देना—भर्ती नियमावली में उपबन्ध।

गृह मंत्रालय के दिनांक 25-6-1952 के का०ज्ञा०सं० 42/19/51 एन० जी० सी० और दिनांक 30-4-1955 के का०ज्ञा०सं० 15/1/55 एस० सी० टी० में अन्तर्निहित अनुदेशों के संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में किसी सेवा में या पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा 5 वर्ष बढ़ा दी गई है। आगे कार्मिक और प्र०सु० विभाग के दिनांक 8-12-1971 के का०ज्ञा०सं० 21-9-70 स्था० (एस०सी०टी०) के अनुदेशों के अनुसार, जिन मामलों में किसी सेवा/पद पर पदोन्नति के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक निर्धारित नहीं है वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। परन्तु यह निर्णय उन पदों पर लागू नहीं होगा, जो कि कठिन क्षेत्रीय काम ड्यूटी या परिचालन संबंधी सुरक्षा से संबंधित है और जो पद सैनिक संगठनों में है। किसी सेवा अथवा पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु-सीमा में कतिपय विशेष वर्गों के व्यक्तियों को अर्थात इस सम्बंध में जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगला देश) से प्रवासी, पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवासी और कुछ मामलों में भूतपूर्व सैनिकों को छूट दी गई है। गृह मंत्रालय के दिनांक 12 फरवरी 1955 के का०ज्ञा०सं० 4/1/55 आर/पी०एस० में दिए गए अनुदेशों के अनुसार केवल उन्हीं मामलों में आयु-सीमा में छूट दी जानी चाहिए जिनमें ऐसी छूट के लिए भर्ती नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ किसी पद सेवा के लिए निर्धारित आयु-सीमा में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाना चाहिएं —

> "बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के उम्मीदवारों के मामलों में निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जाए"।

किन्तु अधीनस्थ विधायी समिति ने अपनी 12वीं रिपोर्ट के पैरा 182 में बताया है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों के अधीन पदों के लिए भर्ती नियमावली में उपर्युक्त परन्तुक शामिल नहीं है । समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी मंत्रालय/विभाग अपनी भर्ती नियमावली में संशोधन करने की आवश्यक कार्रवाई करें ताकि जहां कहीं उसमें परन्तुक पहले शामिल नहीं किया गया हो, वहां उपर्युक्त तरीके से उसमें परन्तुक शामिल किया जा सके । तदनुसार समिति की सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में लाई जाती हैं । मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने अधीन पदों की भर्ती नियमावली की पुनरीक्षा करें और जहां आवश्यक हो, वहां उपर्युक्त तरीके से उसमें एक परन्तुक शामिल करें ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 21 जनवरी, 1977 का का०ज्ञा०सं० 36021/10/76-स्था०(एस०सी०टी०)

विषय :—उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर ऊंचे ग्रेड़ों में पदोन्नति के लिए अर्हक परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में निर्धारित योग्यता स्तर में छूट ।

मुझे इस विभाग के तारीख 23 दिसम्बर, 1970 के का०ज्ञा०सं० 8/12/69-स्था०(एस०सी०टी०), का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की गई पदोन्नति में और विभागीय स्थायीकरण परीक्षाओं में, यदि सामान्य योग्यता स्तर के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियां को भरने के लिए उनकी पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो इन समुदायों के उन उम्मीदवारों की जिनके पास सामान्य निर्धारित योग्यता नहीं है, पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए भी विचार किया जाये, बशर्ते कि वे इस प्रकार की पदोन्नति/स्थायीकरण के लिए अनुपयुक्त न पाये गए हों । एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उसी आधार पर, उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों के मामले में, जहां अर्हक परीक्षाओं के आधार पर उपयुक्तता का निर्णय किया जाता है, निर्धारित योग्यता स्तर में छूट दी जाए । इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और अब यह निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में, जिनमें इस विभाग के तारीख 27 नवम्बर, 1972 के का०ज्ञा० सं० 27-2-71-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुसार अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है, और जहां इस प्रकार की पदोन्नति

के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए अर्हक परीक्षा होती है, वहां ऐसी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित योग्यता स्तर में उपयुक्त छूट दी जाए । परन्तु प्रत्येक अवसर पर, जब भी ऐसी परीक्षा हो, (i) आरक्षित रिक्तियों की संख्या (ii) परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों तथा सामान्य उम्मीदवारों का कार्य निष्पादन (iii) पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर तथा (iv) संवर्ग में पदों की कुल संख्या तथा उस संवर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कुल संख्या आदि सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर छूट की सीमा का निश्चय किया जाना चाहिए ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय को सभी संबंधित प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

सभी मंत्रालयों/विभागों को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 2-2-77 का का०ज्ञा०सं० 42015/1/76-स्था० (ग)

विषय :—सफाई कर्मचारियों, फराशों आदि के पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों की चपरासी के पद पर नियुक्ति ।

मुझे कार्मिक और प्र० सु० विभाग के तारीख 16 जनवरी, 1976 के का०ज्ञा०सं० 42015/3/75-स्था० (ग) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें ऐसे सफाई कर्मचारियों, फराशों, चौकीदारों आदि से स्थानांतरण करके भरे जाने वाले चपरासियों के संवर्ग में 25 प्रतिशत पदों का आरक्षण है जिन्होंने 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा कर ली है किन्तु जिनके पास चपरासी के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं नहीं हैं परन्तु जो प्रारम्भिक तौर पर साक्षर हैं और हिन्दी पढ़ सकने का प्रमाण दे सकते हैं ।

2. तथापि यह अनुभव किया गया कि "हिन्दी में पढ़ने की योग्यता सम्बन्धी शर्त अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्यालयों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों, फराशों आदि के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकती है । तदनुसार यह मामला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की 12 नवम्बर 1976 को हुई बैठक में दोबारा विचार करने के लिए लाया गया और यह निर्णय लिया गया कि पेश आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए, 16-1-76 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिये गए अनुदेशों में यह संशोधन कर लिया जाए कि जिन सफाई कर्मचारियों, फराशों आदि को प्रारम्भिक साक्षरता का ज्ञान है और जो अंग्रेजी

या हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने की योग्यता का प्रमाण दे सकते हों, उन पर संवर्ग में 25 प्रतिशत आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस विभाग से परामर्श करके चपरासी के पद के लिए अपने भर्ती नियमों में तदनुसार संशोधन कर लें ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सम्बोधित वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का तारीख 27-10-77 का का०ज्ञा०सं०19014/2/77-स्था० IV (ख)

विषय :—समूह "ग" और "घ" पदों पर नियुक्ति के लिए अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते का भुगतान ।

मुझे इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित तारीख 6 मई, 1960 के कार्यालय ज्ञा०सं० 5/25/स्था०-IV (ख)/60 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें श्रेणी III और श्रेणी IV (समूह "ग" और "घ") के विज्ञापित पदों, जिन पर विभागीय उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है, पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार पर बुलाये जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता देने की व्यवस्था है अब यह निर्णय किया गया है कि भारत सरकार के अंतर्गत समूह "ग" और "घ" के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भी उपर्युक्त आदेशों के अधीन यात्रा भत्ता दिया जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्र०सु० विभाग का ता० 19 अप्रैल, 1979 का का०ज्ञा०सं० 36011/6/79-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—पदोन्नति के लिए अर्हक परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में मानदण्डों में छूट दिया जाना ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 21-1-1977 के कार्यालय ज्ञा०सं० 36021/10/76-स्थापना (एस०सी०टी०) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिनमें यह व्यवस्था की गई है कि उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए इस विभाग के दिनांक 27-11-1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27-2-71-स्थापना (एस०सी०टी०) के अनुसार

आरक्षण किया जाता है और जहां ऐसी पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए अर्हक परीक्षा ली जाती है वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में ऐसी परीक्षाओं के अर्हक स्तर में उपयुक्त छूट दी जानी चाहिए । प्रत्येक अवसर पर ऐसे मामले में छूट की सीमा का निर्णय (I) आरक्षित रिक्तियों की संख्या (II) उस परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों तथा सामान्य उम्मीदवारों के कार्यनिष्पादन (III) उक्त पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर और इसके साथ ही (IV) संवर्ग की कुल पद संख्या और उस संवर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है । यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या मानदण्डों में इसी प्रकार की छूट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए विभागीय अर्हक परीक्षाओं के उन मामलों में दी जा सकती है जिनमें पदोन्नति चयन द्वारा की जाती है । (न कि उपयुक्तता के अद्यतन वरिष्ठता के आधार पर) । अब यह निर्णय किया गया है कि चयन के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय अर्हक परीक्षाओं के मामले में भी जिनमें इस विभाग के दिनांक 11-7-68 के कार्यालय ज्ञा० सं० 1/12/67—स्था० (ग) तथा दिनांक 20-7-74 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/41/73—स्थापना (एस०सी०टी०) संगत संशोधन आदेशों के साथ पठित अर्थात् दिनांक 25-3-70 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/25/68—स्थापना (एस०सी०टी०) तथा दिनांक 25-2-76 के का०ज्ञा०सं० 36021/7/75—स्थापना (एस०सी०टी०) के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया जाता है, उक्त विभागीय अर्हक परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में उपयुक्त छूट दी जाए । जब भी कोई अर्हक परीक्षा ली जाए तो प्रत्येक अवसर पर ऐसे मामलों में छूट की सीमा का निर्णय उन सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाए जिनका उल्लेख इस कार्यालय ज्ञापन में मद (I) से (IV) पर किया गया है ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 8-4-1981 का का०ज्ञा०सं०15012/2/81—स्थापना (घ)

विषय :—विभागीय उम्मीदवारों की अपने ही विभागों में समूह (ग) और (घ) पदों पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट ।

इस विभाग के दिनांक 20 जुलाई, 1976 के कार्यालय ज्ञापन सं० 4/4/74—स्था० (घ) की शर्तों के अनुसार, समूह "ग" तथा "घ" पदों/सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए उन

व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी जो उसी लाईन के अथवा सम्बद्ध संवर्गों के पदों पर कार्य कर रहे हैं और जहां यह सम्बद्धता सिद्ध की जा सके कि उक्त विभाग में की गई सेवा उसी विभाग के अन्य वर्गों के पदों की इयूटियों के कुशल निष्पादन के लिए भी लाभदायक होगी बशर्ते कि उक्त आयु सीमा में छूट केवल तभी स्वीकार्य होगी जबकि किसी कर्मचारी ने उसी विभाग में कम से कम तीन वर्षों की लगातार सेवा पूरी कर ली हो ।

यह पूछताछ की गयी है कि क्या उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार भर्ती के उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित विभागीय उम्मीदवार भी 35 वर्ष की आयु के बाद 5 वर्ष की रियायत के पात्र होंगे । यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 40 वर्ष की आयु तक छूट होगी ।

कार्मिक और प्र०सु० विभाग का तारीख 21-5-81 का का०ज्ञा०सं० 1458/81—स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा पद के लिए अनुभव से सम्बन्धित शर्तें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में छूट के प्रश्न के सम्बन्ध में आगे स्पष्टीकरण ।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 5 सितम्बर, 1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/10/71—स्था० (अनु०जा०) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा किसी पद की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य अर्हता में छूट के लिए संगत भर्ती नियमों की अनुसूची के कालम 7 में "अनिवार्य" अर्हता के नीचे एक उपबन्ध जोड़ा जाना चाहिए । अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की है कि भर्ती नियमों के कालम 7 में निम्नलिखित वाक्य जोड़कर फूटनोट का और विस्तार किया जाना चाहिए :—

"ऐसा करते समय नियुक्ति प्राधिकारी को अनुभव के सम्बन्ध में अर्हताओं की छूट के कारण लिखित रूप में रिकार्ड करने होंगे" ।

मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त सिफारिश सभी सम्बन्धितों के ध्यान में ला दें ।

वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का दिनांक 17-2-1978 का का०ज्ञा०सं० 19014/3/77—स्था० IV(ख)

विषय :—मंत्रालय आदि द्वारा साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा-भत्ता ।

मुझे समय-समय पर यथा संशोधित इस मंत्रालय के दिनांक 6 मई, 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/25/संस्था० IV (ख)/60, का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय किया है कि जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार केन्द्रीय/राज्य सरकार, केन्द्रीय/राज्य सरकार के निगम, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय सरकारी संस्था अथवा पंचायत में सेवा नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसे समूह 'क' और 'ख' पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाए, जिन पर भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न करके अन्यथा की जाती है, तो इन आदेशों के उपबंध उन पर भी लागू होंगे । संघ लोक सेवा आयोग से की गयी भर्ती के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार इस विषय पर अलग आदेशों के अंतर्गत यात्रा भत्ता पाते रहेंगे ।

2. यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या उपर्युक्त आदेशों में उल्लिखित रियायतें केवल आरक्षित रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति करने के लिए साक्षात्कार/लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को स्वीकार्य होंगी ? एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपर्युक्त आदेशों के अंतर्गत यात्रा भत्ते के हकदार होंगे भले ही साक्षात्कार/परीक्षा उनके लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए हो अथवा अन्य पदों के लिए ।

3. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किए गए हैं ।

वित्त मंत्रालय व्यय विभाग का दिनांक 2-11-82 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ०—19014/2/80—स्था० IV

विषय :—विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 6-5-1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 5(25)/संस्था-IV (ख)/60 और दिनांक 21-9-1960 के का०ज्ञा०संख्या एफ० 5(25) संस्था-IV (ख)/60 का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने निर्णय किया है कि विज्ञापित पदों पर नियुक्ति, जिनकी भर्ती विभाग द्वारा की जाती है, के संबंध में साक्षात्कार के लिए बुलाये गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को उनके सामान्य निवास स्थान, अथवा जहां से उन्होंने वास्तव में यात्रा की हो, इनमें से जो भी साक्षात्कार के स्थान के नजदीक हो, उसके निकटस्थ रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड से और वापस उसी स्टेशन तक, सबसे छोटे रूट से द्वितीय श्रेणी के रेल किराये या बस किराये की प्रतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते कि दोनों (अर्थात रेल या रोड) के मामले में पहले 30 किलो मीटर (तीस किलो मीटर) के किराये का वहन उम्मीदवारों द्वारा किया जाए और दोनों ओर प्रतिपूर्ति को 30 कि०मी० से ऊपर शेष दूरी के किराये तक सीमित रखा जाए ।

2. भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक से परामर्श कर लिया गया है ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 29 मई, 1985 का कार्यालय ज्ञापन सं० 36011/8/84-स्थापना (अनु० जा०)

विषय :—भर्ती नियमों में निर्धारित की गई शैक्षिक अर्हताओं तथा शैक्षिक स्तरों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों के लिए छूट की व्यवस्था ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषय पर इस मंत्रालय में इस आशय के संदर्भ प्राप्त होते रहे हैं कि क्या संगत भर्ती नियमों में निर्धारित किए गए शैक्षिक स्तरों में (अर्हक शैक्षिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता में) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए कोई ढील दी जा सकती है या नहीं ।

2. इस मामले पर इस मंत्रालय में सावधानीपूर्वक विचार किया गया है । यह निर्णय किया गया है कि जहां कहीं भी भर्ती नियमों में न्यूनतम शैक्षिक स्तर निर्धारित किया गया है उसे शैक्षिक अर्हता के एक भाग के रूप में माना जाए और चूंकि शैक्षिक अर्हता के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई छूट अनुज्ञेय नहीं हैं अतः शैक्षिक स्तर के मामले में भी ऐसी कोई छूट अनुज्ञेय नहीं हैं । उदाहरण के लिए, यदि किसी विशेष पद के लिए भर्ती नियमों में 60 प्रतिशत अंकों के

साथ स्नातक की डिग्री विशिष्ट रूप से निर्धारित की गई है तो नियुक्ति के लिए विचार करने के उद्देश्य से सभी उम्मीदवारों को जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार भी शामिल है पात्रता की इस शर्त का एक आशिथलनीय शैक्षिक अर्हता के रूप में पालन करना होगा तथा कर्मचारियों के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए न तो ऐसी कोई विशेष छूट विद्यमान है और न ही शैक्षिक अर्हता (जो कि स्नातक है) तथा शैक्षिक स्तर (जो कि 60 प्रतिशत) के संबंध में ऐसी कोई छूट दी जानी है ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस का० ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में ला दें ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक पहली जुलाई, 1985 का का० ज्ञा० संख्या 36013/3/84-स्था० (अनु० ज० जाति)

विषय :—किसी भी भर्ती परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनु०जा०/अनु०ज० जाति के उम्मीदवारों द्वारा देय शुल्क में पूर्ण छूट देना ।

गृह मंत्रालय आदि को विदित ही है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में किसी परीक्षा/भर्ती में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क घटा कर एक-चौथाई कर दिया जाता है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 1979-80 के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

सिफारिश संख्या 423 (पैरा 9.186)

> "आयोग ने सिफारिश की कि किसी भी भर्ती परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा देय शुल्क में पूर्ण छूट की अनुमति दे दी जाए ताकि उनकी आर्थिक कठिनाईयां कम की जा सकें ।"

उपर्युक्त सिफारिश पर मंत्रालय के परामर्श से इस मंत्रालय में विचार किया गया है और अब यह निर्णय किया गया है कि विद्यमान आदेशों के आशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को किसी भर्ती परीक्षा/चयन में प्रवेश करने के लिए कोई शुल्क देना आवश्यक नहीं होगा ।

ये आदेश 1 जुलाई, 1985 से लागू होंगे । किन्तु ऐसी भर्ती के संबंध में जिससे सम्बद्ध सूचनाएं/विज्ञापन 30 जून, 1985 से पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं या होंगे, शुल्क का

मुगतान गृह मंत्रालय के दिनांक 13-9-1950 के संकल्प सं० 42/21/49-एन०जी०एस० के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

गृह मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त विषय-वस्तु को सभी संबंधितों की जानकारी में ला दें ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 17 अक्तूबर, 1986 का का०ज्ञा० संख्या 36011/8/84-स्था०(एस०सी०टी०)

विषय :—भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा स्तर-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए छूट ।

गृह मंत्रालय के दिनांक 25-7-1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/70-स्था० (अनु०जा०) में आरक्षित रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के चयन के संबंध में अनुदेश जारी किए गए थे । उसके पश्चात् कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के दिनांक 29-5-85 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/8/84-स्था०(अनु०जा०/जनजाति) में कुछेक स्पष्टीकरण जारी किए गए थे । इस संबंध में कई ऐसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह पूछताछ की जा रही है कि क्या दिनांक 25-7-70 के कार्यालय ज्ञापन को दिनांक 29-5-85 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा संशोधित अथवा परिशोधित कर दिया गया है । यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 29-5-85 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिनांक 25-7-70 के कार्यालय ज्ञापन को संशोधित अथवा परिशोधित नहीं किया गया है, फिर भी सभी संदेह दूर करने के प्रयोजन से दिनांक 29-5-85 के कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करने का निर्णय किया गया है और साथ ही सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को रियायत देने से संबंधित सही स्थिति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया है :—

(i) जहां भर्ती नियमों में कोई शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई हो वहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों को उपर्युक्त शैक्षिक अर्हता पूरी करनी होगी । कभी-कभी भर्ती नियमों में शैक्षिक अर्हता के रूप में न्यूनतम अंक अथवा न्यूनतम ग्रेड भी निर्धारित किए जाते हैं । ऐसे मामलों में इस तरह निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक/ग्रेड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों सहित, सभी उम्मीदवारों पर एक समान रूप में लागू होंगे ।

(ii) किसी परीक्षा अथवा साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती के मामले में चयन प्राधिकारी, चयन के प्रयोजन से परीक्षा अथवा साक्षात्कार में ही न्यूनतम स्तर निर्धारित करेगा ।

(iii) यह चयन परीक्षा में अथवा साक्षात्कार में प्राप्त किए गए स्थान अथवा रैंक के अनुसार किया जाएगा बशर्ते कि उम्मीदवार उपर्युक्त न्यूनतम स्तर को पूरा करता हो ।

(iv) फिर भी यदि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए न्यूनतम स्तर पूरा करने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उस स्थिति में जितनी रिक्तियां बिना भरे रह गए हों, उतनी रिक्तियों पर न्यूनतम स्तर में ढ़ील देते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है परन्तु शर्त यह है कि ऐसे उम्मीदवारों को पद धारित करने के लिए अयोग्य न समझा जाए ।

आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई

गृह मंत्रालय का तारीख 28-1-52 का का० ज्ञा० सं० 42/21/49-एन०जी०एस० का पैरा 5(6), तारीख 5-7-69 का का० ज्ञा० सं० 27/2/69-स्थापना (एस०सी०टी०), तारीख 10-4-68 का का० ज्ञा० सं० 14/12/67-स्थापना (घ) और ता० 5-6-70 का का० ज्ञा० सं० 27/6/70-स्थापना (एस०सी०टी०)

गृह मंत्रालय का तारीख 5-7-69 का का० ज्ञा० सं० 27/2/69-स्थापना (एस०सी०टी०)

कार्मिक विभाग का ता० 27-11-71 का का० ज्ञा० सं० 14/17/71-स्था० (घ)

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23-4-77 का का० ज्ञा० संख्या 36014/3/77-स्थापना (एस०सी०टी०)

7.1 सीधी भर्ती (संघ लोक सेवा आयोग या विज्ञापन के माध्यम से की जाने वाली भर्ती, जिसकी कार्यविधि अध्याय 8 में दी गई है) द्वारा भर्ती की जानेवाली आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने से पहले इनकी सूचना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्य को देने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाए :—

(I) रोजगार कार्यालय

(क) सभी रिक्तियों की अधिसूचना स्थानीय या क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय को परिशिष्ट 10 में दिए गए मांग फार्म में दी जाए ।

(ख) रोजगार कार्यालय को उम्मीदवारों के नाम भेजने के लिए कम से कम 15 दिन पहले सूचना दी जाए ।

(ग) रोजगार कार्यालय को भेजे जाने वाले मांग के फार्म में मद-6(क) के सामने कुल अधिसूचित रिक्तियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए । मांग की मद संख्या 9 के नीचे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र भी दिया जाए :—

"प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कालम 6(क) में बताए अनुसार अनुसूचित जातियों/जन जातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए निर्धारित कोटे के अनुरूप है ।"

(घ) यदि स्थानीय रोजगार कार्यालय किसी उपयुक्त उम्मीदवार का नामन न कर सके तो इस रिक्ति या इन रिक्तियों की सूचना केन्द्रीय रोजगार कार्यालय, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को दी जाए । 425 रू० या इससे अधिक वेतनमान की वैज्ञानिक और तकनीकी रिक्तियां केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को अधिसूचित की जाती हैं तथा देश के समस्त रोजगार कार्यालयों में परिचालित की जाती हैं । रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अखिल भारतीय आधार पर समेकित विज्ञापन भी दिए जाते हैं साथ ही रोजगार समाचार में भी विज्ञापन दिए जाते हैं ।

(II) **समाचार-पत्रों में विज्ञापन**

(क) अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवारों के लिए जितनी रिक्तियां आरक्षित हैं उतनी रिक्तियों के लिए इस समुदाय से यदि पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों और यदि रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय ने इन रिक्तियों को पहले विज्ञापित न किया हो तो नियोक्ता प्राधिकारी इन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से विज्ञापित करे । ऐसे पदों और सेवा की रिक्तियों को जिनके लिए अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाती है (पैरा 2.1(1)देखें) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय इस उद्देश्य से अनुमोदित समाचार पत्रों में विज्ञापित करे ।

(ख) समूह ग और घ (श्रेणी III और IV) के पदों की ऐसी रिक्तियां जिनके लिए सामान्यतः एक स्थान या एक क्षेत्र के उम्मीदवार आवेदन भेजते हैं, विज्ञापन ऐसे समाचार-पत्रों में दिए जाएं जिन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय इस उद्देश्य से उपयुक्त समझता हो ।

(ग) विज्ञापन की प्रतियां क्षेत्रीय या स्थानीय रोजगार कार्यालय को पृष्ठांकित की जाएं ।

(III) **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की संस्थाएं (एसोसिएशन) और संगठन**

रिक्तियों को विज्ञापित करने के साथ-साथ इनकी सूचना यथास्थित परिशिष्ट II में दी गई सूची में शामिल अनुसूचित जाति/जन जाति के संगठनों को दी जाए । ऐसा करते समय इन संगठनों को यह स्पष्ट बता दिया जाए कि इस संबंध में उनका कर्तव्य केवल प्रस्तावित भर्ती के लिए अनुसूचित

जाति/जन जाति के उम्मीदवारों की सूचना देने तक सीमित है तथा वे किसी व्यक्ति विशेष के लिए सिफारिश या आग्रह नहीं करेंगे। उम्मीदवारों को नियुक्ति प्राधिकारी को यथास्थिति सीधे या रोजगार कार्यालय के माध्यम से आवेदन देना चाहिए।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 7-8-76 का का० ज्ञा० सं० 36022/4/76-स्थापना (एस०सी०टी०) तथा तारीख 11-2-80 का का० ज्ञा० सं० 36011/28/79-स्था० (एस०सी० टी०)।

(IV) आकाशवाणी के स्टेशनों के माध्यम से रिक्तियों की घोषणा

जब कभी आरक्षित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों के नाम सुझाने के उद्देश्य से इनकी अधिसूचना स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जाए और विज्ञापन के लिए भेजी जाए तो उसी समय संबंधित प्राधिकारी रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय को चाहिए कि उक्त आरक्षित रिक्तियों की परिशिष्ट-17 में सूचीबद्ध आकाशवाणी के स्टेशन अधिक स्टेशनों से प्रसारण के लिए उक्त स्टेशन (स्टेशनों) को भेजे। आकाशवाणी के स्टेशनों से आरक्षित रिक्तियों संबंधी घोषणा में उम्मीदवारों को यह सूचना दी जाए कि वे अपने नाम अपने क्षेत्र के रोजगार कार्यालय में दर्ज करा दें और अन्य सभी प्रकार की कार्रवाई के लिए रोजगार कार्यालय की सहायता लें।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 24-2-78 का का० ज्ञा० सं० 36034/2/77-स्था० (एस०सी० टी०)

(V) अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की सूचना अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण के निदेशकों या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण विभाग के निदेशकों को देना

यदि रोजगार कार्यालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के उद्देश्य से उम्मीदवारों के नाम भेजने के बारे में असमर्थता प्रकट की हो तो नियुक्ति प्राधिकारी इन रिक्तियों की सूचना अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण संबंधित निदेशक या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समाज कल्याण निदेशक को दे।

गृह मंत्रालय का तारीख 10-4-68 का कार्यालय ज्ञापन सं० 14/12/67-स्था० (घ)

7.2. अनुसूचित जाति/जन जाति के जिन उम्मीदवारों के नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए हों उनकी नियुक्ति होने या न होने संबंधी सूचना एक मास के भीतर उस रोजगार कार्यालय में भेज दी जाए। यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई भी रिक्ति रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उक्त तीनों

श्रेणियों के उम्मीदवारों (तीनों श्रेणियों में अलग अलग) द्वारा न भरी गई हो तो रोजगार कार्यालय को उसके (रो० का०) द्वारा भेजे गए उम्मीदवार को नियुक्त न करने के कारण बताए जाएं ।

गृह मंत्रालय का तारीख 31-7-70 का का० ज्ञा० संख्या 1/1/70-स्था०(एस०सी०टी०)

7.3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का परस्पर आदान-प्रदान

यदि आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों पर ऊपर पैरा 7.1 में दी गई कार्यविधि से भर्ती की जानी हो तथा इस रिक्ति/रिक्तियों में ऐसी रिक्ति/रिक्तियां शामिल हों जो लगातार तीन वर्ष तक आगे लायी गई हों (इसमें मूल आरक्षण का वर्ष और ऐसा वर्ष/ऐसे वर्ष जिसमें/जिनमें कोई रिक्ति नहीं हुई शामिल नहीं है) तो अनुसूचित जाति और जन जाति के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जाए लेकिन मांग/विज्ञापन इत्यादि में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों पर नियुक्ति करते समय अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब अनुसूचित जाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों और इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नियुक्त करने के संबंध में तभी विचार किया जाएगा जब अनुसूचित जन जाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों ।

गृह मंत्रालय का तारीख 31-7-70 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/70-स्थापना (एस०सी०टी०)

7.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का अलग साक्षात्कार (इन्टरव्यू)

ऊपर पैरा 7.1 में दी गई कार्यविधि के अनुसार सीधी भर्ती करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का इंटरव्यू ऐसे दिन या चयन समिति की ऐसी बैठक में नियत किया जाए जब सामान्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू न लिया जाना हो । जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की तुलना आम उम्मीदवारों से न हो जाए । इंटरव्यू प्राधिकारी/बोर्ड इस बात को स्पष्टत : जान लें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों का मूल्यांकन निर्धारित मानकों में ढील देते हुए किया जाना है ।

अध्याय 7 में कार्यालय ज्ञापनों आदि की प्रतियां

का०ज्ञा०सं० 42/21/49-एन०जी०एस० 28-1-52 अध्याय 4 के बाद

का०ज्ञा०सं० 14/21/67-स्था०(डी०) 10-4-68

का०ज्ञा०सं० 27/2/69-स्था०(एस०सी०टी०) 5-7-69

का०ज्ञा०सं० 27/6/70-स्था०(एस०सी०टी०) 5-6-70

का०ज्ञा०सं० 1/1/70-स्था०(एस०सी०टी०) 31-7-70 (अध्याय 9 के बाद)

का०ज्ञा०सं० 14/17/71-स्था०(डी०) 27-11-71

का०ज्ञा०सं० 36022/4/76-स्था०(एस०सी०टी०) 7-8-76

का०ज्ञा०सं० 36014/3/77-स्था०(एस०सी०टी०) 23-4-77

का०ज्ञा०सं० 36034/2/77-स्था०(एस०सी०टी०) 24-2-78

का०ज्ञा०सं० 36011/28/79-स्था०(एस०सी०टी०) 11-2-80

का०ज्ञा०सं० 42012/1/81-स्था०(एस०सी०टी०) 26-3-81

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 10 अप्रैल, 1968 का का०ज्ञा०सं० 14/21/67-स्था० (घ)

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियां ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को पता है कि गृह मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प सं० 42/21/49-एस०जी०एस० के अनुसार सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों का कुछ प्रतिशत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रखा गया है । गृह मंत्रालय के 4 जुलाई, 1966 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/26/64-स्थापना (डी) के अनुसार श्रेणी-III और श्रेणी-IV के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली रिक्तियों का कुछ प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षित किया गया है । इस मंत्रालय की जानकारी में यह लाया गया है कि संबंधित रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करते समय भेजे गए मांग-पत्र में कभी-कभी इस तथ्य का उल्लेख/निर्देश नहीं किया जाता है कि कोई रिक्ति विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार कार्यालय द्वारा आरक्षित रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवार प्रायोजित नहीं किए जाते हैं । अनुरोध है कि रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करते समय अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना होगा कि रिक्तियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है या नहीं । यदि कोई रिक्ति आरक्षित न भी हो तो भी इस तथ्य का मांग-पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए । उपरोक्त तथ्य संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में लाये जाएं और उन्हें ये भी अनुदेश दिए जाएं कि रोजगार कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए परिणामों की सूचना एक महीने के अन्दर उस कार्यालय को दी जाए । यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोई भी रिक्ति, रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए संबंधित वर्ग के उम्मीदवार द्वारा नहीं भरी गई है, तो उसके विशेष कारणों से रोजगार कार्यालय को अवगत कराना चाहिए ।

सभी मंत्रालयों आदि को भेजा गया गृह मंत्रालय का तारीख 5 जुलाई, 1969 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/69-स्था०(एस०सी०डी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को रोजगार—रिक्तियों के संबंध में रोजगार कार्यालयों को पर्याप्त नोटिस ।

इस मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि नियुक्ति कार्यालयों द्वारा रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जन जातियों के

उम्मीदवारों को नामित करने में कठिनाई होती है । इसलिए यह आवश्यक है कि नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षित रिक्तियों के संबंध में उपयुक्त उम्मीदवारों के नामन के लिए रोजगार कार्यालयों को पर्याप्त समय पहले सूचित करें । रोजगार कार्यालयों को भेजी जाने वाली मांगों के संबंध में अधिकतम उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी नियुक्ति प्राधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि आरक्षित रिक्तियों के संबंध में उम्मीदवारों को प्रायोजित करने के लिए रोजगार कार्यालयों को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 5 जून, 1970 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/6/70-स्था०(एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करना—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की पांचवीं रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 3 (पैरा 2.13) ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 3 (पैरा 2.13) ।

"समिति को इस बात पर खेद है कि 1968 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए अधिसूचित की गई आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या, में से केवल लगभग 41% रिक्तियां ही वास्तव में भरी गई । उन्हें इस बात का भी खेद है कि 1968 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के संबंध में केवल 2.3% रिक्तियां अधिसूचित की गई । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए अधिसूचित की गई आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या का प्रतिशत बहुत कम है, इसलिए समिति की यह इच्छा है कि मंत्रालय/विभाग और अन्य प्राधिकरण यह सुनिश्चित करें कि रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों के प्रतिशत का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया है" ।

इस संबंध में इस मंत्रालय के तारीख 10 अप्रैल, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/21/67-स्था०(डी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें

मंत्रालयों आदि से अनुरोध किया गया था कि रोजगार कार्यालयों को रिक्तियां अधिसूचित करते समय, मांग-पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं या नहीं और यदि कोई रिक्ति आरक्षित की गई हो तो भी मांग पत्र में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाए । संसदीय समिति की उक्त सिफारिश वित्त मंत्रालय आदि की जानकारी में लाई जाती है । उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि इस मंत्रालय के तारीख 10-4-1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14/21/67-स्था०(डी) में जारी किए गए अनुदेशों का वे और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय सख्ती से पालन करें ।

सभी मंत्रालयों को संबोधित कार्मिक विभाग का तारीख 27 नवम्बर, 1971 का का०ज्ञा० सं०14/17/71-स्था० (डी)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की चौथी रिपोर्ट—सिफारिश संख्या 32—मांगपत्र में शामिल आरक्षित रिक्तियों की संख्या संबंधी प्रमाण पत्र ।

मुझे केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पहले की अपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में गृह मंत्रालय के तारीख 7 मई, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/11/55-आर पी एस (तारीख एक जुलाई 1955 और 6 जुलाई, 1956 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों द्वारा यथासंशोधित) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि 7 मई, 1955 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-II के तौर पर दिए गए मांग फार्म में निम्नलिखित संशोधन तत्काल किए जाएं :—

1. मद 6(क) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए :—

भरे जाने वाले पदों की संख्या :

(i)	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	— प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने वाले ।
	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	— प्राथमिकता के आधार पर न भरे जाने वाले ।
(ii)	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	— प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने वाले ।

	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	—	प्राथमिकता के आधार पर न भरे जाने वाले ।
(iii)	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित	—	—
(iv)	अनारक्षित	—	प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने वाले ।
	अनारक्षित	—	प्राथमिकता के आधार पर न भरे जाने वाले ।

2. मद 9 के नीचे दिए गए प्रमाण पत्र फार्म के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए ।

"प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कालम 6(क) में उल्लिखित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, इन वर्गों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण कोटे के अनुसार है ।"

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 7 अगस्त, 1976 का का०ज्ञा० संख्या-36022/4/76-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आकाशवाणी से प्रसारण—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए गठित संसदीय समिति की 41वीं रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 15 ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए गठित संसदीय समिति ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

सिफारिश संख्या 15 (पैरा 2.11)

"समिति ने सिफारिश की है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से ऐसी योजना तैयार करे जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से नियमित रूप से प्रसारित या

विज्ञापित हुआ करें तथा इस प्रसारण का समय निश्चित किया जाए ताकि जिन क्षेत्रों में समाचार-पत्र सरलता से नहीं मिलते हैं वहां रहने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को इन रिक्तियों की सूचना मिल सके।"

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय से परामर्श करके उक्त सिफारिश पर विचार किया गया है और इसे कार्यान्वित किए जाने के लिए स्वीकार किया गया है। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की घनी आबादी हो उन क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी के केन्द्रों की राज्यवार सूची इस विवरणिका के साथ संलग्न है। इन केन्द्रों के केन्द्र निदेशकों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अनुदेश दिए हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बारे में सूचना प्रसारित करें। अब वित्त मंत्रालय, इत्यादि से निवेदन किया जाना है कि वे अपने नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के नियुक्ति प्राधिकारियों इत्यादि को यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि ग्रुप ग और घ के पदों में अनुसूचित जातियों और अनु० जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां आकाशवाणी के संबंधित केन्द्र निदेशक को उन केन्द्रों से प्रसारण के लिए अधिसूचित करें। इस संबंध में निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाए :—

(i) जब स्थानीय रोजगार कार्यालयों को ऊपर उल्लिखित रिक्तियों के लिए नाम भेजने के उद्देश्य से सूचना भेजी जाए, उसी समय संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी इन रिक्तियों की सूचना ऊपर उल्लिखित सूची में दिए गए आकाशवाणी के एक या एक से अधिक केन्द्रों को भी विधिवत रूप से दें।

(ii) यदि स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नहीं मिलते हों, तो इन रिक्तियों की सूचना केन्द्रीय रोजगार कार्यालय को दी जाए। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय समाचार-पत्रों में दिए जाने वाले अपने आवधिक विज्ञापनों में या नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से इनका प्रसार करेगा। ऊपर पैरा (I) में बताई गई क्रियाविधि अनुसार आकाशवाणी के केन्द्रों को रिक्तियों की सूचना देने के साथ-साथ रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय/संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी इन आरक्षित रिक्तियों की सूचना ऊपर उल्लिखित सूची में दिए गए आकाशवाणी के दूसरे केन्द्रों को भी भेजेगा और समाचार-पत्रों में भी इनको विज्ञापित करेगा।

(iii) आकाशवाणी केन्द्रों से आरक्षित रिक्तियों का प्रसारण करते समय भावी उम्मीदवारों को यह सूचना भी दी जाए कि वे अपने नाम अपने क्षेत्र के रोजगार कार्यालय में दर्ज करवा दें और इसी कार्यालय से अन्य सहायता भी लें ।

3. वित्त मंत्रालय इत्यादि से यह निवेदन किया जाता है कि वे सभी संबंधित व्यक्तियों को मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए उक्त अनुदेशों की सूचना दें ।

अनुबंध

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र

राज्य का नाम	अनुसूचित जाति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित आकाश-वाणी केंद्र	अनुसूचित जन-जाति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित आकाश-वाणी केंद्र	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित आकाश-वाणी केंद्र	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	कडप्पा	विशाखापत्तनम	—	—
2. असम	—	डिबरूगढ़, सिलचर	गोहाटी	—
3. बिहार	पटना	रांची	—	—
4. गुजरात	अहमदाबाद	—	—	—
	बड़ौदा	—	—	—
	राजकोट	—	—	—
5. जम्मू और कश्मीर	जम्मू	—	—	—
6. केरल	त्रिवेन्द्रम	कालीकट	—	—
	त्रिचूर	—	—	—

	आलीप्य	—	—	—
7. मध्य प्रदेश	ग्वालियर	इन्दौर	भोपाल	—
	—	—	जबलपुर	—
	—	—	रायपुर	—
8. महाराष्ट्र	सांगली	—	पुणे, परभनी	—
9. मणिपुर	—	इम्फाल	—	—
10. मेघालय	—	शिलांग	—	—
11. कर्नाटक	धारवाड़	—	बंगलौर	—
	गुलबर्गा	—	—	—
12. नागालैंड	—	कोहिमा	—	—
13. उड़ीसा	कटक	जयपुर	संबलपुर	—
14. पंजाब	जालंधर	—	—	—
15. राजस्थान	बीकानेर	—	जयपुर	—
	जोधपुर	—	उदयपुर	—
	अजमेर	—	—	—
16. तमिलनाडु	तिरूचिरापल्ली	—	—	—
	तिरूनेलवेली	—	—	—
	कोयम्बतूर	—	—	—

1	2	3	4	5
17. त्रिपुरा	—	—	अगरतला	—
18. उत्तर प्रदेश	लखनऊ	—	—	—
	इलाहाबाद	—	—	—
	मथुरा	—	—	—
	रामपुर	—	—	—
	गोरखपुर	—	—	—
19. पश्चिम बंगाल	—	—	कुर्सियोंग	—
	—	—	सिलीगुड़ी	—
20. संघ राज्य क्षेत्र	चंडीगढ़	तेजू	—	—
	पांडिचेरी	ऐजवाल	—	—
	—	त्वांग	—	—

हिमाचल प्रदेश (आकाशवाणी शिमला)
जम्मू व कश्मीर (आकाशवाणी लेह)
संघ राज्य क्षेत्र अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा गोवा (आकाशवाणी पोर्टब्लेयर तथा आकाशवाणी पणजी)
असम (आकाशवाणी पासीघाट)

योजना आयोग से उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार आकाशवाणी केंद्रों में या इधर-उधर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का कोई बाहुल्य नहीं है । इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोष्ठकों में प्रत्येक के सामने जैसा उल्लेख किया गया है । तथापि विद्यमान प्रबंध के अनुसार ये केन्द्र नियमित रूप से भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियां के लिए आरक्षित रिक्तियों की उद्घोषणाएं प्रसारित करते है ।

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांके 23-4-1977 का का० ज्ञा० सं० 36014/3/77-स्था० (अनु० जा०)

विषय :—आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करने के प्रयोजन से मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एसोसिएशन ।

मुझे सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका (चतुर्थ संस्करण, 1975) के पैरा 26(iii) तथा परिशिष्ट-II का हवाला देते हुए, जिसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को अधिसूचित करने के प्रयोजन से मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों की सूची दी गई है, यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, जो मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों में से एक है, की नवीनरूपता तथा इसकी मान्यता प्राप्त शाखाओं के पते संलग्न विवरण में दिए गए है ।

सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व से सम्बद्ध आदेशों के प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के रूप में मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के पते

कार्यालय सचिव, भारतीय डिप्रेस्ड क्लास लीग, 13-सी फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली तथा इसकी शाखाएं नीचे दर्शाई गई है :—

1. **आन्ध्र प्रदेश**
   आंध्र प्रदेश डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, 125, हैदर बस्ती, सिकंदराबाद (आ० प्र०)

2. **असम**
   आल असम शैडूल्ड कास्ट एसोसिएशन, उजान बाजार, सती राधिका शान्ति रोड़, गोहाटी (असम)

3. **बिहार**
   बिहार स्टेट डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, 8/20, आर ब्लाक, पटना (बिहार)

4. **गुजरात**
   गुजरात प्रदेश डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, 12, रोहित नगर सोसाइटी, नीयर न्यू सिविल हास्पिटल, सही बाग, अहमदाबाद-4

5. **जम्मू एण्ड कश्मीर**
   जम्मू एण्ड कश्मीर डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, कनालव्यू बंगला, कनाल रोड, जम्मू
6. **केरल**
   केरल स्टेट डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, कांग्रेस हाऊस, इरनाकुलम, कोचीन-11
7. **कर्नाटक**
   कर्नाटक स्टेट डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, आदिजाम्बावे होस्टल, मगदी रोड़, बंगलौर
8. **मध्य प्रदेश**
   मध्य प्रदेश डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, 5/3, प्रोफेसरस कालोनी, भोपाल
9. **महाराष्ट्र**
   महाराष्ट्र स्टेट डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, 112, मीडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1
10. **तमिल नाडू**
    तमिलनाडू स्टेट डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, 3, प्रडदेत गार्डन स्ट्रीट, रोयापेट्टाइ, मद्रास-14
11. **उड़ीसा**
    उड़ीसा स्टेट डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, गांधी भवन, स्टेशन रोड़, भुवनेश्वर
12. **पंजाब**
    पंजाब स्टेट डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, बाल्मीकी भवन, 158-आर० माडलटाउन, होशियारपुर (पंजाब)
13. **राजस्थान**
    राजस्थान स्टेट डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, आर-13, अशोक नगर, सी-स्कीम, जयपुर
14. **उत्तर प्रदेश**
    उत्तर प्रदेश डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, 104 रायल होटल, लखनऊ
15. **पश्चिम बंगाल**
    बंगाल प्रोविन्शियल डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, 12, आरपुली लेन, कलकत्ता-12

16. **दिल्ली**

दिल्ली स्टेट डिप्रेस्ड क्लासिस लीग, 13-एफ, शंकर मार्केट, नई दिल्ली-1

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 24-2-1978 का का० ज्ञा० संख्या 36034/2/78-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—आरक्षित रिक्तियों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण निदेशकों को सूचित किया जाना ।

मुझे सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी पुस्तिका (चौथा संस्करण, 1975) के पैरा 26 में दिए गए अनुदेशों का उल्लेख करने का निदेश हुआ है जिनके अनुसार रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के संबंध में यदि इन वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में इन वर्गों के उम्मीदवार रोजगार कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को समाचार-पत्रों में विज्ञापित करना आवश्यक है तथा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संगठनों की जानकारी में भी लाना होता है । इसके अतिरिक्त, इस विभाग के दिनांक 7-8-76 के का०ज्ञा० संख्या 36022/4/76-स्थापना (एस०सी०टी०) में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, उपर्युक्त उपायों के अतिरिक्त, आरक्षित की गई रिक्तियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी के चुने गए स्टेशनों को भी अधिसूचित करना होता है । आरक्षित की गई रिक्तियों का और व्यापक प्रचार किए जाने की दृष्टि से तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित की गई रिक्तियों के लिए इन वर्गों के और अधिक उम्मीदवार प्राप्त करने की संभावना की खोज करने के लिए अब यह निर्णय किया गया है कि जब रोजगार कार्यालय उसे भेजी गई रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार जुटाने में असमर्थ रहे, तो नियोक्ता प्राधिकारी को ऊपर बताए गए उपायों के अतिरिक्त, आरक्षित की गई रिक्तियों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण निदेशक अथवा समाज कल्याण निदेशक को भी सूचित करना चाहिए । इस उपाय के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों/जनजातियों के जो उम्मीदवार उपलब्ध हों, उनके लिए इन वर्गों के अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ आरक्षित रिक्तियों हेतु विचार किया जाना चाहिए ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों को अपने अधीन सभी नियोक्ता प्राधिकारियों की जानकारी में लाए ।

सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 11 फरवरी, 1980 का का०ज्ञा० संख्या 36011/28/79-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की आकाशवाणी द्वारा घोषणा ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 7-8-1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/4/76-स्थापना (एस०सी०टी०) के संदर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औरंगाबाद-परभनी श्रृंखला में औरंगाबाद मुख्य केंद्र बन जाने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की घोषणा अब परभनी की बजाए आकाशवाणी केन्द्र औरंगाबाद से की जा रही है । इसलिए दिनांक 7-8-1976 के उपर्युक्त का० ज्ञा० के साथ भेजी गई आकाशवाणी केन्द्रों की राज्यवार सूची में आवश्यक संशोधन करके परभनी के स्थान पर औरंगाबाद किया जाए । महानिदेशक, आकाशवाणी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन केन्द्रों के केन्द्र निदेशकों को भविष्य में परभनी की बजाए आकाशवाणी केन्द्र, औरंगाबाद पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से संबंधित प्रसारण की सामग्री स्वीकार करने के अनुदेश दे दिए है । वित्त मंत्रालय आदि से अब अनुरोध है कि वे अपने सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों को सलाह दे कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों से संबंधित घोषणा की सामग्री आकाशवाणी केन्द्र, परभनी की बजाए आकाशवाणी केन्द्र, औरंगाबाद को भेजी जानी चाहिए ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपर्युक्त संशोधन को सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं और उनसे यह अनुरोध करें कि आकाशवाणी केन्द्रों की सूची में आकाशवाणी केन्द्र परभनी के स्थान पर औरंगाबाद प्रतिस्थापित करें ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 26-3-1981 का का०ज्ञा० संख्या 42012/1/81-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्वैच्छिक एसोसिएशनों को अधिसूचित किया जाना ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार की जानकारी में यह बात लायी गई है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्वैच्छिक एसोसिएशनों को अधिसूचित नहीं किया जाता है । यह उल्लेखनीय है कि आरक्षित रिक्तियों का व्यापक प्रचार करने के लिए अनेक स्वैच्छिक एसोसिएशनों को मान्यता प्रदान की गई है ताकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के अधिक से अधिक व्यक्ति इन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन पत्र भेज सकें । मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन एसोसिएशनों को आरक्षित रिक्तियां अधिसूचित करें ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं ।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा या विज्ञापन द्वारा आरक्षित रिक्तियां भरने की कार्यविधि

आरक्षित रिक्तियां (जिन पर मुख्यत: विज्ञापन के माध्यम से भर्ती होती हो) भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मांग-पत्र भेजते समय या विज्ञापन भेजते समय निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाए :—

गृह मंत्रालय का तारीख 31-7-70 का का०ज्ञा० सं० 1-1-70-स्थापना (एस०सी०टी०)

8.1 परीक्षा को छोड़कर अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की आरक्षित रिक्तियों का विज्ञापन

(क) पहला विज्ञापन

यदि केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों पर (किसी अनारक्षित रिक्ति/रिक्तियों के लिए नहीं) सीधी भर्ती (परीक्षा को छोड़कर) की जानी हो तो इसके लिए पहली बार दिए जाने वाले विज्ञापन में यथास्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएं, सामान्य उम्मीदवारों से नहीं ।

(ख) दूसरा विज्ञापन

यदि उपर्युक्त उप पैरा (क) के अनुसार विज्ञापन देने के बाद रिक्तियों पर अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नहीं चुने जाते हैं, तो शेष आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों को पुन: विज्ञापित किया जाए किन्तु इस बार सामान्य उम्मीदवार भी आवेदन देने के पात्र होंगे । किन्तु सामान्य उम्मीदवारों की बाबत केवल तभी विचार किया जाएगा जब आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए यथास्थिति अनुसूचित जाति या जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों । विज्ञापन में इस तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए ।

(ग) आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों प्रकार की रिक्तियों के लिए भर्ती का विज्ञापन

यदि कभी एक ही समय आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों प्रकार की रिक्तियों पर सीधी भर्ती (परीक्षा द्वारा भर्ती को छोड़कर) की जानी हो तो उस स्थिति में आरक्षित तथा

अनारक्षित रिक्तियों के लिए एक विज्ञापन दिया जा सकता है किन्तु इस विज्ञापन में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाए । यदि अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित रिक्तियां न भरी जा सकी हों तो ऐसी स्थिति में उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से न भरकर पुनः विज्ञापित किया जाए और इन्हें ऊपर के उप पैरा (ख) में बताए अनुसार भरा जाए ।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्ति

यदि किसी आरक्षित रिक्ति को (जिसे चयन द्वारा भरा जाना है) उपर्युक्त उप पैरा (क), (ख) या (ग) में दी गई विधि से भरना आवश्यक हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी इस आरक्षित रिक्ति पर यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्ति कर सकता है । जिन पदों पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जानी है उन पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के विनियम 4(1) (परामर्श से छूट) के अधीन होगी ।

8.2 परीक्षा के माध्यम से भरे जाने वाले ऐसे पदों की रिक्तियों का विज्ञापन जिन पर सीधी भर्ती की जानी है

यदि आरक्षित तथा अनारक्षित दोनों प्रकार की रिक्तियों के लिए परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती की जानी हो तो इसके (भर्ती) लिए ली जाने वाली परीक्षा के उद्देश्य से एक विज्ञापन जारी किया जाए किन्तु इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई रिक्तियों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख हो । यदि निर्धारित मानक में ढील देने के बावजूद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए इन समुदायों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो इस रिक्ति/इन रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के बाद शेष रिक्तियां सामान्य उम्मीदवारों से भरी जा सकती हैं । परन्तु यह जरूरी है कि ये आरक्षण अपेक्षानुसार आगे लाए गए हों ।

8.3 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों का परस्पर आदान-प्रदान

यदि पैरा 8.1 और 8.2 में उल्लिखित आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों में कोई ऐसी रिक्ति/रिक्तियां शामिल हों, जिन्हें लगातार तीन भर्ती वर्षों (इनमें मूल आरक्षण का वर्ष

या ऐसे वर्ष शामिल नहीं हैं जिनमें कोई रिक्ति न हुई हो) तक आगे ले जाया गया हो तो इस स्थिति में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के उम्मीदवारों से आवेदन मंगवाए जाएं किन्तु विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया जाए कि अनुसूचित जाति के आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की बाबत केवल तभी विचार किया जाए जब अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों तथा इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के बारे में केवल तभी विचार किया जाएगा जब अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों ।

8.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का अलग इंटरव्यू

उपर्युक्त पैरा 8.1 में दी गई कार्यविधि के अनुसार की जाने वाली सीधी भर्ती और परीक्षा द्वारा की जाने वाली भर्ती (उक्त पैरा 8.2 देखें) (जिसमें बाद में इंटरव्यू लिया जाता है) के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का इंटरव्यू सामान्य उम्मीदवारों के इन्टरव्यू की तारीख को या प्रवरण समिति की बैठक में न लेकर किसी अन्य तारीख को या अन्य बैठक में लिया जाए जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का मूल्यांकन सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में न किया जाए तथा इंटरव्यू प्राधिकारी/बोर्ड इस बात को स्पष्ट जान लें कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का मूल्यांकन निर्धारित मानकों में ढील देते हुए किया जाए ।

आठवें अध्याय में कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

[का०ज्ञा० संख्या 1/1/70-स्था०(एस०सी०टी०) 31-7-70] .

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 31 जुलाई 1970 का का०ज्ञा० सं० 1/1/70-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों में उनके उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रक्रिया — विज्ञापन जारी करना और उनके लिए अलग साक्षात्कार करना ।

मुझे इस मंत्रालय के तारीख 27 मार्च, 1963 के का०ज्ञा० संख्या 31/10/63-एस०सी०टी० (1) और ता० 20 सितम्बर, 1967 के का०ज्ञा० संख्या 1/6/67-स्था० (सी) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में उनकी उपयुक्तता के स्तर में छूट देने के बावजूद उचित उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर आरक्षित पदों को अनारक्षित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है । जब ऐसी किन्हीं रिक्तियों को अनारक्षित किया जाता है और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाता है तो इस मंत्रालय के तारीख 25 मार्च 1970 के कार्यालय ज्ञापन सं० 27/25/68-स्था० (एस०सी०टी०) के पैरा 2 के अनुसार आरक्षित पदों को बाद के तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेनीत किया जाता है चूंकि कुछ सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों में उनके उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जा सकता इसलिए ऐसी रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति की संभावनाओं को बढावा देने के लिए कुछ और उपाय करने के बारे में विचार किया है और इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया है :

2. **(क) केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों (परीक्षा के अलावा अन्य तरीके से सीधे भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां) का विज्ञापन**

केवल अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती (परीक्षा के माध्यम से भर्ती के अलावा) की जानी हो (और किसी अनारक्षित रिक्ति/रिक्तियों के लिए नहीं) तो यथास्थिति केवल अनुसूचित जातियों और/या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा और उसमें सामान्य उम्मीदवारों से आवेदन नहीं मांगे जाएंगे । लेकिन यदि उपर्युक्त रिक्तियों में ऐसी आरक्षित रिक्ति, या रिक्तियां सम्मिल्लित हों जो भर्ती के तीसरे वर्ष में अग्रेनीत की गई हों तो इस मंत्रालय के तारीख 25 मार्च, 1970 के का०ज्ञा० संख्या 27/25/68-स्था० (एस० सी० टी०) के पैरा 3 के

अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरने के बारे में विचार किया जा सकता है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरने के बारे में भी विचार किया जा सकता है । तदनुसार भर्ती के तीसरे वर्ष में अग्रेनीत इन आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए जारी किए गए विज्ञापन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएं लेकिन विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया जाए कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरने के प्रश्न पर तभी विचार किया जाएगा जब अनुसूचित जातियों के उचित उम्मीदवार उपलब्ध न हों और इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरने के बारे में तभी विचार किया जाएगा जब अनुसूचित जनजातियों के उचित उम्मीदवार उपलब्ध न हों ।

(ख) आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए पुनः विज्ञापन

उपर्युक्त उप पैरा (क) में उल्लिखित प्रक्रिया अपनाने के बाद यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का आरक्षित पद या पदों पर अपेक्षित संख्या में चयन न हो पाए, तो शेष आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों का पुनः विज्ञापन दिया जाएगा, लेकिन इस बार सामान्य उम्मीदवार भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे । लेकिन सामान्य उम्मीदवारों के बारे में केवल तभी विचार किया जाएगा जबकि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के, जैसा भी हो, कोई उपयुक्त उम्मीदवार अब भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों । विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए । यदि किसी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने के बाद इस पर किसी सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति की जाए तो आरक्षण इस बारे में दिए गए आदेशों के अनुसार अग्रेनीत किया जाएगा ।

(ग) ऐसे विज्ञापन जिनमें आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार की रिक्तियों के लिए भर्ती करनी हो :

यदि किसी एक अवसर पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों प्रकार की रिक्तियों के लिए परीक्षा के अलावा किसी अन्य तरीके से सीधे भर्ती करनी हो, तो ऐसी आरक्षित और अनारक्षित रिक्तियों के लिए एक ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है किन्तु उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का विशेष रूप से स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि उपयुक्त आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों में भर्ती के तीसरे वर्ष में अग्रेनीत कोई रिक्ति या रिक्तियां सम्मिलित हों तो

इस बात का भी विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि यदि अनुसूचित जातियों के उपर्युक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हुए हों तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से भरने के मामलों पर विचार किया जाएगा और उपर्युक्त उप पैरा (क) में उल्लिखित ढंग से विलोमतः भी ऐसा ही किया जाएगा । यदि कोई आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपर्युक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने कारण न भरी जाएं तो उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से नहीं भरना चाहिए बल्कि उन्हें पुनः विज्ञापित करना चाहिए और उपर्युक्त उप पैरा (ख) में उल्लिखित ढंग से भरा जाना चाहिए ।

(घ) **परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती :**

यदि आरक्षित तथा अनारक्षित रिक्तियों के लिए परीक्षा के माध्यम से सीधे भर्ती की जाए तो ऐसी परीक्षा के लिए एक ही विज्ञापन जारी किया जाएगा लेकिन इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा और यदि अनुसूचित जातियां अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों के लिए स्तर में छूट देने के बावजूद भी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो ऐसी शेष आरक्षित रिक्ति या रिक्तियों के अनारक्षित करने के बाद सामान्य उम्मीदवारों से भरा जा सकता है । इस प्रकार अनारक्षित की गई रिक्ति या रिक्तियों को इस बारे में दिए गए आदेशों के अनुसार अग्रेनीत किया जाएगा ।

(ङ) **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का अलग से साक्षात्कार करना :**

(i) यदि उपर्युक्त उप पैरा (ख) या (ग) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा के माध्यम के अलावा किसी अन्य प्रकार से सीधे भर्ती करनी हो तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार चयन समिति द्वारा किसी ऐसे दिन या ऐसी बैठक में किया जाए जिसमें सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार न किया जाता हो ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में न हो और साक्षात्कार लेने वाले प्राधिकारी/बोर्ड को स्पष्ट रूप से इस तथ्य का ध्यान रहे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की योग्यता की जांच स्तर में छूट देकर करनी है ।

(ii) परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार द्वारा की जाने वाली सीधी भर्ती के मामलों में भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार उपर्युक्त उप पैरा (i) में दी गई प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(च) **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्ति :**

यदि उपर्युक्त (क), (ख) या (ग) उप पैरों में दी गई पद्धति के अनुसार किसी आरक्षित रिक्ति का चयन किए जाने के समय तक के लिए उसे भरना आवश्यक हो तो नियुक्त करने वाला प्राधिकारी उस रिक्ति के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की यथास्थिति, तदर्थ नियुक्ति कर सकता है । जिन पदों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की जाती है उन पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की तदर्थ नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श करने से छूट) विनियमावली के विनियम 4(1) के अधीन होगी ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेश नियुक्ति करने वाले अपने-अपने सभी प्राधिकारियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त संस्थाओं की जानकारी में लाएं ।

पदोन्नतियां—आरक्षण और रियायतें

9.1 सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नति

गृह मंत्रालय का ता० 11-7-68 का का० ज्ञा० सं० 1/12/67-स्था० (ग) और ता० 25-3-70 का संकल्प सं० 27/25/68-स्थापना (एस०सी०टी०) और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 25-2-1976 का का० ज्ञा० सं० 36021/7/75-स्थापना (एस०सी०टी०)

जिन ग्रेडों या सेवाओं में 66⅔ प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती (यदि कोई हो) न होती हो उनके ग्रुप ख, ग और घ (श्रेणी II, III और IV) के पदों पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होने वाली पदोन्नति में पैरा 2.1 (III) (क) में दिए अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15% और 7½% रिक्तियां आरक्षित होंगी। (इन आरक्षित रिक्तियों के भरने संबंधी विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट-13 में दिए गए हैं।)

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख *23-12-70 का का० ज्ञा० संख्या 8/12/69-स्थापना (एस०सी०टी०)

विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नतियां करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में भी विचार किया जाए जिन्होंने सामान्य अर्हक मानक प्राप्त नहीं किया है बशर्ते कि वे इन पदोन्नतियों के लिए अनुपयुक्त न हों। उपर्युक्त कसौटी को ध्यान में रखते हुए ऐसी परीक्षाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अर्हक स्तर में छूट दी जाए।

इन पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों की संख्या निर्धारित करते समय ता० 22-4-70 के का० ज्ञा० सं० 1/11/69-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुबंध-I में विहित रोस्टर के समान एक अलग रोस्टर तैयार किया जाए (इस अनुबंध में क्र० सं० 1, 8, 14, 22, 28 और 36 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और क्र० सं० 4, 17 और 31 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं) तथा इसके आधार पर पदोन्नतियां की जाएं।

@कृपया अध्याय II के बाद देखें।

*कृपया अध्याय 7 के बाद देखें।

गृह मंत्रालय का तारीख 26-3-70 का का० ज्ञा० सं० 1/9/69-स्थापना (एस०सी०टी०) और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23-12-74 का का० ज्ञा० सं० 1/10/74-स्थापना (एस०सी०टी०)

9.2 चयन द्वारा पदोन्नति

9.2 (क) ग्रुप क (श्रेणी-I) में चयन द्वारा पदोन्नतियां

ग्रुप क (श्रेणी-I) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे पदों पर जिनका अन्तिम वेतन 2,000 रु० प्रतिमास या इससे कम है (संशोधित वेतनमान के अनुसार 2,250 रु० या इससे कम है) के लिए आरक्षण नहीं होता है, किन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन अधिकारियों के नाम पर्याप्त वरिष्ठ होने के कारण पदोन्नति के विचार क्षेत्र में और रिक्तियों की चयन सूची में आते हों तो उन्हें इस सूची में शामिल किया जाएगा बशर्ते कि उन्हें पदोन्नति के अनुपयुक्त न माना जाए। लेकिन चयन सूची में उनकी स्थिति वही होगी जो पदोन्नति समिति ने उनके सेवा के रिकार्ड के आधार पर निश्चित की है। इस उद्देश्य से उन्हें उनके सेवा के रिकार्ड के आधार पर उन्हें जिस श्रेणी में रखा गया हो उससे उच्चतर श्रेणी में नहीं रखा जाएगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को ग्रुप क (श्रेणी-I) के पदों पर उच्चतर श्रेणियों में जाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए :

(i) ग्रुप क (श्रेणी-I) की सेवा/पदों पर काम कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को संस्थागत प्रशिक्षण देने या सेमिनार/परिसंवाद/सम्मेलनों में भाग लेने के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद आदि में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है; और

(ii) श्रेणी-I के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के आसन्न उच्च अधिकारियों का यह विशेष उत्तर दायित्व होगा कि वे इस समुदाय के अधिकारियों को अपने कार्य में सुधार करने के लिए सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करें।

का० तथा प्रशा० सुधार विभाग का तारीख 20-7-74 का का० ज्ञा० संख्या 10/41/75-स्था० अनु० ज्ञा० तारीख 7-5-75 का का० ज्ञा० संख्या 38011/6/75-स्था० अनु० ज्ञा० तथा तारीख 25-2-1976 का का० ज्ञा० संख्या 36021/7/75-स्था० अनु० ज्ञा०

9.2 **(ख) चयन द्वारा ग्रुप ख से ग्रुप ख में ही और ग्रुप ख से ग्रुप क के सबसे नीचे के दर्जे में (श्रेणी-II से श्रेणी-II में और श्रेणी-II से श्रेणी-I की सबसे नीचे के दर्जे में पदोन्नति)**

जिन ग्रेडों/सेवाओं में सीधी भर्ती यदि कोई होती हो और वह 62½ प्रतिशत से अधिक न हो उनमें पैरा 2.1(iii)(ख) में बताए अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रुप ग से ग्रुप ख में, ग्रुप ख में और ग्रुप ख से ग्रुप क की सबसे नीचे के दर्जे या वर्ग में (श्रेणी-III से श्रेणी-II श्रेणी-II में और श्रेणी-II से श्रेणी-I के सबसे नीचे के दर्जे में) चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में क्रमशः 15% और 7½% रिक्तियों का आरक्षण होगा ।

इन पदोन्नतियों को भरते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरते समय निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाए :—

का० तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 25-12-80 की कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/3/76-स्थापना (घ)

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर केवल उन्हीं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों में से भरती की जाएगी, जो का० तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 24-12-1980 के का० ज्ञा० संख्या 22011/3/76-स्था० (घ) द्वारा निर्धारित सामान्य विचार क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आते हैं । जहाँ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार पसंद के सामान्य क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है तो इसे रिक्तियों की संख्या से 5 गुना बढ़ा दिया जाए तथा पसंद के बढ़ाए गए क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (न कि अन्य कोई) के उम्मीदवारों पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विचार किया जाना चाहिए ।

(ii) यदि वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए विशेष योग्यता के उसी आधार पर जिस आधार पर अन्य उम्मीदवार प्राप्त हुए हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या इस समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम हो, तो इस कमी को इन समुदायों के ऐसे उम्मीदवारों का चयन करके पूरा किया जाए, जो उस विचार क्षेत्र

के अंतर्गत आते हैं तथा जो पदोन्नति के योग्य हों चाहे उनमें कोई विशेष योग्यता हो या न हो ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 2-5-83 का का०ज्ञा० संख्या 36011/13/83-स्था० (अनुसूचित जनजाति)

(iii) इसके बाद एक चयन सूची तैयार की जाए । इस सूची में चुने हुए सभी अधिकारियों के नाम शामिल किए जाएं । इनमें सामान्य तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों दोनों के अधिकारियों के नाम हों । गृह मंत्रालय के तारीख 16 मई, 1957 के का०ज्ञा० संख्या 1/4/55-आर०पी०एस० में निर्दिष्ट चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति के लिए सामान्य सिद्धांत के अनुसार इन्हें विशेष योग्यता तथा वरिष्ठता के क्रम से रख कर सूची तैयार की जाए, अर्थात इन नामों को तीन श्रेणियों में रखा जाए जैसे "उत्कृष्ट" "बहुत अच्छा" तथा "अच्छा" किन्तु ऐसा करते समय प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता में कोई गड़बड़ी न होने दी जाए । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे सराहनीय उम्मीदवार जो कि पसन्द के बढ़ाए गए क्षेत्र में है तथा चुन लिए जाते है, उनके मामले में विभागीय पदोन्नति समिति ने उन का जो क्रम निर्धारित किया है उस के अनुसार ही उन्हे पेनल में स्थान दिया जाना चाहिए इस के बाद वर्ष के दौरान जब भी रिक्तियां हो वे चयन किए हुए उम्मीदवारों से भरी जाएं ।

(iv) उद्देश्य से, तारीख 22 अप्रैल, 1970 के का०ज्ञा० संख्या 1/11/69-स्थापना (एस०सी०टी०) के अनुबंध-I (जिसमें पाइंट 1, 8, 14, 22, 28 और 36 अनुसूचित जातियों और पाइंट 4, 17 और 31 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं) में निर्दिष्ट रोस्टर के समान रोस्टर तैयार किया जाए । यदि यथास्थिति, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिले हों और उस आरक्षित रिक्ति का आरक्षण समाप्त करना आवश्यक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में तारीख[6] 16-11-79 के का०ज्ञा० संख्या 36011/25/79-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(v) तथापि, यदि किसी एक वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो इन आरक्षणों को प्रति वर्ष आगे नहीं ले जाया जाएगा ।

---

[6] कृपया अध्याय IV के बाद देखिए ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के ता० *3-2-1975 के का० ज्ञा० संख्या 10/37/74-स्था० (एस०सी०टी०) और तारीख *29-4-1975 का का० ज्ञा० संख्या 1/9/74-स्थापना (एस० सी०टी०)

(vi) यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल अपने अपने समुदाय के लिए आरक्षित रहेंगी । तथापि यदि आरक्षित रिक्ति यथास्थिति अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवार को नियुक्त करके न भरी जा सकी हो तो जिस वर्ष में आरक्षण हुआ हो उसी वर्ष में अनुसूचित जाति के अधिकारी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति पर और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति पर अनुसूचित जनजाति के अधिकारी नियुक्त करने के बारे में भी विचार किया जा सकता है ।

(vii) यद्यपि उपर्युक्त उप पैरा (v) के अनुसार उक्त पदोन्नतियों में आरक्षणों को प्रति वर्ष आगे नहीं ले जाया जाता है तथापि अपवाद के रूप में, रोस्टर जो रिक्ति आरक्षित हो उसे पदोन्नति के वर्ष में केवल एक रिक्ति होने के कारण अनारक्षित समझा जाएगा । इस प्रकार आरक्षित स्थान पर किए जाने वाले आरक्षण को बाद वाले तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाया जाए । ऐसे मामलों में जिस वर्ष में रिक्ति को आगे ले जाया जाएगा उस वर्ष में एक रिक्ति के आरक्षण संबंधी पैरा 11.2 के उपबंध लागू होंगे । इसी प्रकार पदोन्नति के आरंभिक वर्ष में एक ही रिक्ति होने के कारण आगे ले जाये गए आरक्षण को बाद वाले वर्ष (वर्षों) में होने वाली रिक्ति को आरक्षित मानकर समायोजित किया जाए चाहे बाद वाले वर्ष (वर्षों) में एक रिक्ति ही क्यों न हुई हो ।

(viii) जिन मामलों में उपर्युक्त पद्धति से होने वाली पदोन्नतियां पहले लम्बी अवधि के लिए स्थानापन्न आधार पर की गई हो, उनमें सामान्य नियम के अनुसार पुष्टिकरण किया जाए, उदाहरणार्थ जिस अधिकारी को चयन सूची में उसके स्थान के आधार पर पहले पदोन्नति स्थानापन्न आधार पर मिली है, तो उस अधिकारी का पुष्टिकरण भी पहले किया जाए, जिससे उसको मिला हुआ लाभ उसके पास ही रहे, बशर्ते कि वह गृह मंत्रालय के तारीख 17 फरवरी, 1955 के का०ज्ञा० सं० एफ-1/1/55 आर०पी०एस० के पैरा (iii) के अनुसार उपयुक्त स्तर बनाए रखे । किन्तु इस प्रकार

पदोन्नत अधिकारियों के पुष्टिकरण के समय आरक्षण का सिद्धांत दोबारा लागू नहीं होगा ।

---

*कृपया अध्याय 9 के बाद देखिए ।

*कृपया अध्याय 2 के बाद देखें ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 10-11-80 का का० ज्ञा० सं० 36011/12/80-स्था० (एस०सी० टी०)

(ix) कभी-कभी समूह "ख" (रु० 650-1200) से समूह "क" के वरिष्ठ वेतनमान (रु० 1100-1500) अथवा (रु० 1200-1600) में पदोन्नतियां सीधे ही कर दी जाती हैं । यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या इन स्थितियों में समूह "क" के वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 20-7-74 के आदेश में प्रयोग की गई अभिव्यक्ति "समूह क की निम्नतम सीढ़ी (रंग) अथवा वर्ग" के अंतर्गत आएंगे ।

उपर्युक्त स्थितियों में दिनांक 20-7-74 के आदेश लागू होंगे और जब दोनों ग्रेडों के बीच के किसी अन्तर्वर्ती ग्रेड (रु० 700-1300) को अधिक्रमित करते हुए, समूह "ख" से समूह "क" के वरिष्ठ वेतनमान में सीधी पदोन्नतियां दी जाएं तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत की दर से आरक्षण दिया जाएगा ।

9.2 (ग) समूह ग और घ (श्रेणी-III और IV) के पदों पर चयन द्वारा पदोन्नतियां

गृह मंत्रालय के तारीख 11-3-68* का का० ज्ञा० सं० 1/12/67-स्था० (घ) और तारीख *25-3-70 के संकल्प संख्या 27/25/68-स्था० (एस०सी०टी०) और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० *25-3-76 का का० ज्ञा० सं० 36012/1/75-स्था० (एस०सी० टी०)

पैरा 2.1 (III)(ख) में बताए अनुसार, ऐसे ग्रेडों या सेवाओं में जिनमें सीधी भर्ती, यदि कोई हो, 66⅔ प्रतिशत से अधिक न होती हो, उनके ग्रुप ग और घ (श्रेणी-III और IV) के पदों पर चयन द्वारा होने वाली पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित होती हैं ।

इन पदों पर आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की एक अलग चयन सूची तैयार की जाए । इन श्रेणियों के अधिकारियों के बारे में अलग से निर्णय किया जाए । अन्य अधिकारियों के साथ न किया जाए तथा यदि ये अधिकारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त हों, तो इन्हें चयन सूची में शामिल किया जाए । अन्य अधिकारियों की तुलना में इन अधिकारियों की योग्यता न

देखी जाए । आरक्षित रिक्तियों पर होने वाली पदोन्नतियां इसी शर्त पर होंगी कि उम्मीदवार के पास निर्धारित न्यूनतम स्तर की अर्हताएं हों ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के लिए ता० 22-4-70 के का०ज्ञा० संख्या 1/11/69-स्थापना (एस०सी०टी०) के अनुबंध-1 (जिसमें 1, 8, 14, 22, 28 और 36वां स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 4, 17, 31वां स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है) में विहित रोस्टर के समान एक रोस्टर तैयार किया जाए तथा इसके अनुसार आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित की जाए ।

इन पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के मामले में निम्नलिखित अनुदेशों का पालन किया जाए :— (कृपया नीचे टिप्पणी देखें)

(1)(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अधिकारी सामान्य विचार क्षेत्र के अंतर्गत आते हों, उनके बारे में भी अन्य अधिकारियों की पदोन्नति के प्रश्न पर विचार करते समय विचार किया जाए तथा उसी आधार पर मूल्यांकन किया जाए जिस आधार पर अन्य अधिकारियों के बारे में किया जाता है, उपर्युक्त आधार पर चुने गए अधिकारियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को इनके लिए बनी अलग-अलग चयन सूची में शामिल करने के साथ-साथ सामान्य चयन सूची में भी शामिल किया जाए ।

(ख) यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपर्युक्त सामान्य चयन सूची में उनके स्थान के आधार पर प्राप्त की संख्या इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों से कम हो तो इस कमी को क्रमशः अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए बनी अलग सूची से उम्मीदवार लेकर पूरा किया जाए ।

टिप्पणी:— दिनांक 11-7-1968 के का० ज्ञा०सं०1/12/67-स्था० 'ग' में दिए गए अनुदेश व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के मामलों पर लागू रहेंगे चूंकि उनका 24-12-1980 के अनुदेशों द्वारा अधिग्रहण नहीं किया गया है फिर भी वर्ष वार रिक्तियों के पहचानने की पद्धति, विचारण का क्षेत्र तथा वर्ष वार पैनल तैयार करना दिनांक 24-12-80 के कार्यालय ज्ञापन में दिए अनुसार अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए अलग पैनल तैयार करने के लिए भी उसी प्रकार लागू होंगे ।

(2) (I)अनुसूचित जातियों और (II) अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की तैयार की गई अलग-अलग सूचियों में यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का मूल्यांकन उन्हीं की सूची के उम्मीदवारों के साथ किया जाएगा, अन्य अधिकारियों के साथ नहीं तथा यदि इनका चयन हो जाए तो अन्य अधिकारियों की तुलना में इन अधिकारियों की योग्यता देखे बिना इन्हें संबंधित अलग चयन सूची में शामिल किया जाएगा । इस बात का उल्लेख करना अनावश्यक होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की अलग चयन सूची तैयार करते समय उसमें ऐसे अधिकारियों के बारे में विचार नहीं किया जाएगा जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं । उक्त अलग-अलग चयन सूचियों में शामिल करने के लिए विचार करने हेतु यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विचार क्षेत्र उतना ही होगा जितना सामान्य चयन सूची तैयार करने के लिए होता है । उदाहरण के तौर पर यदि सामान्य चयन सूची के लिए विचार क्षेत्र भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का पांच गुना हो तो अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की अलग सूची के लिए भी विचार क्षेत्र उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का पांच गुना होगा और इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए भी होगा । लेकिन इसमें शर्त यह होगी कि इस सीमा के अंतर्गत आने वाले अधिकारी पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर चुके हों ।

(3) यदि यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित रिक्ति का आरक्षण समाप्त करना आवश्यक हो जाए, तो दिनांक 16-1-79* के का०ज्ञा० संख्या 36011/25/79-स्थापना (एस०सी०टी०) के अनुसार कार्रवाई की जाए । बशर्ते कि आरक्षण बाद वाले तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाए जा रहे हों और पिछले जिस वर्ष तक आरक्षित रिक्तियां आगे लायी गई हों उसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों में परस्पर रिक्तियों का विनिमय हुआ हो ।

(4) यदि उक्त विधि से पदोन्नतियां पहले लम्बी अवधि के लिए स्थानापन्न आधार पर हुई हो, तो इनका पुष्टिकरण भी सामान्य नियम के अनुसार किया जाना चाहिए अर्थात् जिस अधिकारी का चयन सूची में उसके स्थान के आधार पर, पहले स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया हो उसका

पुष्टिकरण भी पहले किया जाए जिससे उसे मिला लाभ उसके पास बना रहे । बशर्ते कि वह गृह मंत्रालय के तारीख 17 फरवरी, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1/1/55 आर०पी०एस० के पैरा 1(III) के अनुसार उचित स्तर बनाए रखें । किन्तु इस प्रकार पदोन्नत उम्मीदवारों के पुष्टिकरण के समय आरक्षण का सिद्धांत दुबारा लागू नहीं होगा ।

---

*कृपया अध्याय 10 देखें ।

9.3 उपयुक्त होने पर, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां

कार्मिक विभाग का तारीख 27-11-72 का का० ज्ञा० संख्या 27/2/71-स्थापना (एस०सी० टी०)

और

तारीख 25-2-1976 का का० कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/7/75-स्था०(एस०सी० टी०)

जिन ग्रेडों और सेवाओं के ग्रुप-क, ग्रुप-ख, ग्रुप-ग और ग्रुप-घ (श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III, और श्रेणी-IV) के पदों पर सीधी भर्ती (यदि कोई हो) 66⅔ प्रतिशत से अधिक न होती हो, उन पदों पर योग्य होने पर वरिष्ठता के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऊपर पैरा 2.1(III) (ग) में बताए अनुसार क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत पद आरक्षित होते हैं ।

वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति में उपयुक्त होने की शर्त पर विचारण के क्षेत्र के सिद्धांत लागू नहीं होंगे । एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों पर उपयुक्तता तथा वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव विभागीय पदोन्नति समिति को भेजते समय उपर्युक्त आरक्षण नियमों के पालन के उद्देश्य से नीचे दी गई कार्यविधि अपनाई जाए :—

(I) किसी एक वर्ष में आरक्षित रिक्तियों की संख्या के निर्धारण के लिए गृह मंत्रालय के ता० 22-4-1970 के का०ज्ञा० संख्या 1/11/69-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुबंध-1 में निर्धारित तरीके (जिसमें 1, 3, 14, 22, 28 और 36वें स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 4, 17 और 31वें स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं) से 40 पाइंट वाला रोस्टर तैयार किया ।

(II) यदि रोस्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्वाइंट के आधार पर कुल रिक्तियां आरक्षित हों, तो यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों की एक अलग सूची तैयार की जाए । यह सूची उन उम्मीदवारों की मुख्य सूची में उनकी परस्पर वरिष्ठता के क्रम से तैयार की जाए ।

(III) विभागीय पदोन्नति समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की उपयुक्तता का निर्धारण अलग से करेगी ।

(IV) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सामान्य वर्ग और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की चयन सूचियां तैयार कर लेने के बाद इनको मिलाकर एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जाती है । इस सूची में सभी अधिकारियों अर्थात् सामान्य अधिकारियों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के नामों को जिस वर्ग या ग्रेड से अधिकारियों की पदोन्नति होनी हो, उस वर्ग या ग्रेड की मूल वरिष्ठता सूची में उनकी परस्पर वरिष्ठता के क्रम से रखे जाते हैं । इसके बाद वर्ष के दौरान जब भी रिक्तियाँ हों उन पर पदोन्नति करते समय इसी संयुक्त चयन सूची के क्रम से पदोन्नतियाँ की जाएगी ।

(V) यदि एक वर्ष की अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपलब्ध योग्य उम्मीदवारों की संख्या इन दोनों समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम हो तो अनारक्षण किए जाने के लिए कार्रवाई तारीख 16-11-79 के का०ज्ञा० संख्या 36011/25/79-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुसार की जानी चाहिए परन्तु शर्त यह है कि आरक्षित रिक्तियाँ बाद वाले तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जायी गई हों, तथा उस अन्तिम वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच रिक्तियों का परस्पर विनिमय हुआ हो ।

9.4 सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्तियाँ

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 12-9-74 का का०ज्ञा०सं० 8/11/73-स्थापना (एस०सी०टी०)

चूंकि सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति भी पदोन्नति ही है इसलिए इस अध्याय में उल्लिखित सेलेक्शन या उपयुक्तता और वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए हुए आरक्षणों/रियायतों संबंधी उचित आदेश, जो इस अध्याय में पहले दिए गए हैं, सेलेक्शन ग्रेड में होने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होंगे क्योंकि ये नियुक्तियां सेलेक्शन तथा वरिष्ठता और उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं ।

9.5 पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करते समय किन रिक्तियों का ध्यान रखा जाए

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 30-4-76 का का०ज्ञा०सं० 22011/2/76 स्थापना (घ०)

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रिक्तियां आरक्षित करने संबंधी अनुदेश केवल नियमित रिक्तियों पर पदोन्नति करते समय ही लागू होंगे अतएव यह जरूरी है कि रिक्तियों की संख्या का सावधानीपूर्वक और यथासंभव सही अनुमान लगाकर पदोन्नतियों के लिए चयन सूची तैयार की जाए। इस उद्देश्य से चयन सूची तैयार करते समय पूर्णतः अल्पावधि रिक्ति को इस सूची में शामिल न किया जाए और न ही अप्रत्याशित रिक्तियों के लिए चयन सूची में अतिरिक्त उम्मीदवार शामिल किए जाएं। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि रिक्तियों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ाई न जाए और अपेक्षित रिक्तियों से कम रिक्तियों के लिए चयन सूची तैयार न की जाए क्योंकि ऐसा करने से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नियुक्ति के अवसर कम हो जाएंगे। रिक्तियों की संख्या निर्धारित करते समय और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करते समय मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र और किन्हीं पदधारियों के एक पद/ग्रेड से उच्च पद/ग्रेड में पदोन्नति के कारण होने वाली नियमित रिक्तियों को भी ध्यान में रखा जाए। रिक्तियों की संख्या का निर्धारण करने संबंधी विस्तृत अनुदेश कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 30-4-76 के का०ज्ञा०संख्या 22011/2/76-स्थापना (घ) में दिए गए हैं।

9.6 तदर्थ पदोन्नतियों—दावों पर विचारण

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 15-7-1976 का का०ज्ञा०सं० 15034/2/76 स्थापना (घ)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण संबंधी अनुदेशों का पालन केवल नियमित रिक्तियों पर नियुक्तियां करते समय ही किया जाएगा। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सामने ऐसे मामले आये हैं जिनमें न्यायालय में मामले अनिर्णीत पड़े होने या विभाग में ही वरिष्ठता संबंधी विवाद होने के कारण मंत्रालयों/विभागों ने किसी विशिष्ट ग्रेड में नियमित रिक्तियों पर लम्बी अवधि के लिए बहुत सी तदर्थ पदोन्नतियां कर दी हैं। अतएव मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि अल्पकालिक रिक्तियों के अलावा अन्य किसी प्रकार की रिक्तियों पर तदर्थ नियुक्तियां न की जाएं। लम्बी अवधि के लिए तदर्थ पदोन्नतियां/नियुक्तियां करने से जो व्यक्ति उस पदोन्नति का वास्तविक हकदार हो, उसे लम्बी अवधि तक अपने हक से वंचित रहना पड़ता है और तदर्थ आधार पर पदोन्नत

व्यक्तियों में अपनी नियुक्ति को आगे जारी रखने के लिए निहित स्वार्थ की भावना जागृत होती है । यदि नियमित पैनल तैयार करने में कठिनाइयां हों, तो उचित स्तर के अधिकारियों की अंतर्विभागीय बैठकों में इन कठिनाइयों को दूर कर लिया जाए । यदि आवश्यक हो, तो इन बैठकों में संघ लोक सेवा आयोग का भी सहयोग लिया जाए । जहां न्यायालयों में मामले अनिर्णीत पड़े हों, वहां प्रशासनिक मंत्रालय न्यायालयों को शीघ्र निर्णय करने के लिए लिखें । कभी-कभी भर्ती नियमों के न बनने के कारण तदर्थ पदोन्नतियां लम्बी अवधि तक चलती रही हैं । इस बारे में होने वाले विलम्ब को दूर करना चाहिए । दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पकालिक रिक्तियों पर तदर्थ नियुक्तियां न की जाएं, समय कार्रवाई की जानी चाहिए ।

का० और प्र०सु० विभाग का ता० 20-4-78 का का०ज्ञा०सं० 36021/8/76-स्थापना (एस०सी०टी०) और ता० 16-4-79 का का०ज्ञा० सं० 36021/7/78-स्थापना (एस०सी०टी०)

9.6(1) यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाएं कि तदर्थ पदोन्नतियां कम से कम हों और ये नियुक्तियां लम्बी अवधि तक न चलें । ऐसे मामलों में जहां ऐसी तदर्थ पदोन्नतियां लोकहित में अनिवार्य हो जाती हैं तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंधित पात्र अधिकारियों के दावों पर भी अन्य पात्र अधिकारियों के साथ दिनांक 30-4-83 तथा 30-9-83 के का०ज्ञा०सं० 36911/14/83-स्था० (एस०सी०टी०) में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार विधिवत् विचार किया जाना चाहिए यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सामान्य आरक्षण नहीं होता है ।

का० और प्र०सु० विभाग का ता० 6-10-1976 का का०ज्ञा०सं० 36012/3/75-स्थापना (एस०सी०टी०) तथा का० तथा प्र०सु० विभाग का 28-1-82 का का० ज्ञा०सं० 36013/6/82-स्थापना (एस०सी०टी०)

9.7 **पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का अधिक्रमण**

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के ऐसे मामले (चयन द्वारा या वरिष्ठता या योग्यता के आधार पर) जिन पर पैरा 12.2(ख)(ग) और 12.3 के अनुसार आरक्षण संबंधी आदेश लागू होते हैं और जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध तो हैं, लेकिन आरक्षित रिक्तियों पर उनकी नियुक्ति में साथ ही साथ अनारक्षित चयन नहीं हुआ है उन मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी नीचे दी गई कार्यविधि अपनाएं :—

(I) **समूह-क के पदों पर पदोन्नतियां और समूह क में ही पदोन्नतियां.**—ऐसे मामले में यथास्थिति—मंत्री, संबंधित राज्यमंत्री/उप मंत्री के पास भेजे जाएं ।

(II) **समूह ख के पदों पर पदोन्नतियां और समूह ख में ही पदोन्नतियां** —ऐसे मामले यथास्थिति—मंत्री/संबंधित राज्य मंत्री/उपमंत्री को चयन सूची को अन्तिम रूप देने के बाद एक मास के भीतर भेजे जाएं ।

(III) **समूह ग के पदों पर पदोन्नतियां और समूह ग और समूह घ में ही पदोन्नतियां.**—यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष से नीचे के स्तर का हो, तो वे मामले विभागाध्यक्ष को भेजे जाएं । यदि विभागाध्यक्ष स्वयं नियुक्ति प्राधिकारी हो, तो ऐसे मामले प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के पास भेजे जाएं ।

टिप्पणी:—(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियाँ, इन समुदायों के उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र हैं अथवा नहीं इसका निर्णय पैरा 9.2(ख)(ग) और 9.3. में दिए अनुसार, यथास्थिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चयन/वरिष्ठता व योग्यता इत्यादि के आधार पर होने वाली पदोन्नतियाँ आरक्षण संबंधी उचित आदेशों के उपबंधों के अनुसार, किया जाए ।)

समूह-क (श्रेणी-1) के ऐसे पद जिनका पैरा 12.2(छ) के अनुसार अधिकतम वेतन प्रतिमास 2250 रु० या इससे कम हो और जिनमें आरक्षण नहीं होता, उन पर चयन द्वारा पदोन्नतियां करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अधिकारियों का नाम सूची में शामिल कर लिया जाएगा, जिन्हें पदोन्नति के अयोग्य न समझा गया हो बशर्ते कि पदोन्नति की सीमा में इतने वरिष्ठ हों कि पदोन्नतियों के लिए तैयार की गई चयन सूची में उनका नाम आरक्षित रिक्तियों की क्रम संख्या के अंतर्गत आ जाता हो । जिन मामलों में चयन सूची में उक्त समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनुपात में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार की वरिष्ठता सूची में उपलब्ध हो, लेकिन उनका चयन नहीं होता उन मामलों को यथास्थिति मंत्री, संबंधित राज्य मंत्री/उप मंत्री के पास भेजा जाए ।

9.8 **जिन मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णयों को सीलबन्द लिफाफों में रखा जाता है उनमें अपनाई जाने वाली कार्यविधि**

गृह मंत्रालय के तारीख 31 अगस्त, 1960 के का०ज्ञा०सं० 39/3/59-स्था० (क) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, जिन व्यक्तियों के मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति

के निर्णय कर्मचारियों के विलम्बित होने या उनके विरुध्द सतर्कता जांच होने के कारण सीलबंद लिफाफे में रखे जाते हैं, उनके लिए एक रिक्ति आरक्षित रखी जाए तथा विभागीय कार्यवाही पूरी होने तक इस पर स्थानापन्न आधार पर ही नियुक्ति की जाए । यदि जो अधिकारी पूर्णत: दोषमुक्त सिध्द हो जाए और उसके विरुध्द लगाए गए आरोपों का कोई भी औचित्य न हो तो तब उसे उस रिक्ति पर पदोन्नत किया जा सकता है जिस रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर भरा गया था तथा जो उसके लिए आरक्षित थी । इन मामलों में, उस ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम करने वाला अनिष्ठतम अधिकारी, अर्थात जिस व्यक्ति का नाम पेनल में सबसे आखिर में हो, तो उसे पदावनत कर दिया जाता है । जिस मामले में इस प्रकार पदावनत करना आवश्यक हो, उसमें पदावनति इस प्रकार की जाए कि चयन सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या कम न हो जाए ।

अध्याय 9 में कार्यालय ज्ञापनों आदि की प्रतियां

का०ज्ञा० सं० 5/4/55-एस० सी० टी० (I)	4-1-57	
का०ज्ञा० सं० 1/10/61-स्था० (घ)	8-11-63	
का०ज्ञा० सं० 1/12/67-स्था० (ग)	11-7-68	
का०ज्ञा० सं० 10/9/69-स्था० (एस० सी० टी०)	8-7-69	
का०ज्ञा० सं० 16/8/69-स्था० (एस० सी० टी०)	31-10-69	
संकल्प सं० 27/25/68-स्था० (एस० सी० टी०)	25-3-70	अध्याय 14 के बाद
का०ज्ञा० सं० 1/9/69-स्था० (एस० सी० टी०)	26-3-70	
का०ज्ञा० सं० 27/4(V)/70-स्था० (एस० सी० टी०)	3-9-70	
का०ज्ञा० सं० 8/12/69-स्था० (एस० सी० टी०)	23-12-70	अध्याय 6 के बाद
का०ज्ञा० सं० 27/2/71-स्था० (एस० सी० टी०)	27-11-72	
का०ज्ञा० सं० 10/41/73-स्था० (एस० सी० टी०)	20-7-74	
का०ज्ञा० सं० 8/11/73-स्था० (एस० सी० टी०)	12-9-74	
का०ज्ञा० सं० 1/10/74-स्था० (एस० सी० टी०)	23-12-74	
का०ज्ञा० सं० 10/37/74-स्था० (एस० सी० टी०)	3-2-75	
का०ज्ञा० सं० 1/9/74-स्था० (एस० सी० टी०)	29-4-75	अध्याय 1 के बाद
का०ज्ञा० सं० 36011/6/75-स्था० (एस० सी० टी०)	7-5-75	
का०ज्ञा० सं० 36021/7/75-स्था० (एस० सी० टी०)	25-2-76	
का०ज्ञा० सं० 22011/2/76-स्था० (घ)	30-4-76	
का०ज्ञा० सं० 15034/2/76-स्था० (घ)	15-7-76	
का०ज्ञा० सं० 36012/3/75-स्था० (एस० सी० टी०)	6-10-76	
का०ज्ञा० सं० 22011/4/77-स्था० (घ)	30-7-77	
का०ज्ञा० सं० 36021/8/76-स्था० (एस० सी० टी०)	20-4-78	

का०ज्ञा० सं० 36021/7/78-स्था० (एस० सी० टी०)	16-4-79	
का०ज्ञा० सं० 36011/6/79-स्था० (एस० सी० टी०)	19-4-79	अध्याय 7 के बाद
का०ज्ञा० सं० 36011/12/80-स्था० (एस० सी० टी०)	10-11-80	
का०ज्ञा० सं० 22011/3/76-स्था० (घ)	24-12-80	
का०ज्ञा० सं० 36013/6/80-स्था० (एस० सी० टी०)	28-1-82	
का०ज्ञा० सं० 30011/14/83-स्था० (एस० सी० टी०)	30-4-83	
का०ज्ञा० सं० 36011/18/83-स्था० (एस० सी० टी०)	2-5-83	
का०ज्ञा० सं० 36011/14/83-स्था० (एस० सी० टी०)	30-9-83	

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 4 जनवरी, 1957 का का०ज्ञा० संख्या 5/4/55-एस० सी० टी० (1)

विषय :—प्रतियोगी स्वरूप की विभागीय परीक्षाओं के आधार पर भरे गए पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षण ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को ज्ञात है कि सार्वजनिक सेवाओं में उन पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किए जाते हैं, जो कि खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, न कि उन पर जो कि विभागीय पदोन्नति से भरे जाते हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामले में खुले बाजार से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों और विभागीय पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के चयन करने हेतु पालन की जाने वाली कार्यविधि का उल्लेख इस मंत्रालय के तारीख 7 मई, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/11/55-आर पी एस में किया गया है । जिन मामलों में अनुपयुक्त व्यक्ति को अस्वीकार करके वरिष्ठता के सिद्धांत पर या अर्हक प्रकार की विभागीय परीक्षाओं के पास करने पर पदोन्नति की जाती हो, वहां ये हिदायतें हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और उनके बारे में लागू किए गए स्तर अनावश्यक रूप से ऊंचे न हो ।

2. समय-समय पर गृह मंत्रालय को यह अभ्यावेदन दिया गया है कि मौजूदा हिदायतें लोक सेवाओं के ऊंचे ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करती हैं । इसके फलस्वरूप, योजना के अन्तर्गत निर्धारित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-III में भर्ती के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के वास्ते सामान्य नियमों में छूट देते हुए, रिक्तियों के तदर्थ आरक्षण हेतु सहमति प्रकट की गई है । डाक व तार विभाग के कुछ काडरों में भी इसी प्रकार के आरक्षण हैं, जिन्हें निम्न ग्रेडों में कार्य कर रहे विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरा जाता है । व्यवहार और कार्यविधि में एकरूपता लाने के प्रयोजन से, अब यह निर्णय लिया गया है कि उन सभी सेवाओं के सभी ग्रेडों पर भी आरक्षण का सिद्धांत लागू किया जाए, जिन्हें विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा पदोन्नति से भरा जाता है और यह कि प्रत्येक मामले में उतने ही आरक्षण हो जितने कि खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा सीधी भर्ती से भरे गए पदों के लिए अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए 12½ प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित किए गए

हैं । परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती के मामले की तरह यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी संघ लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती करने वाला अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों की नियुक्ति करने या उनकी नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए पूर्णतया सक्षम होगा, जिन्होंने परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम दर्जे प्राप्त किए होंगे परन्तु ऐसा उन मामलों में नहीं किया जाएगा, जहां उक्त अधिकारी का यह विचार हो कि प्रशासन की कुशलता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर प्राप्त नहीं किया गया है । जहां उम्मीदवार इस तरह चुने जाते हैं, नियुक्ति प्राधिकारी उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण और अनुशिक्षण देने के लिए आवश्यक प्रबन्ध करेंगे, ताकि वे अपने साथ नियुक्त किए गए अन्य कर्मचारियों के स्तर तक पहुंच सकें ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 8 नवम्बर, 1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/61-स्थापना (घ)

विषय :—पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ।

विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर, इस मंत्रालय के तारीख 4 जनवरी, 1957 के का० ज्ञा० सं० 5/4/55-एस० सी० टी० (1) और तारीख 27 अप्रैल, 1962 के का० ज्ञा० सं० 1/2/61-एस० सी० टी० (1) के साथ जारी की गई विवरणिका के पैरा 3 (iii) के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों में क्रमशः 12½ प्रतिशत और 5 प्रतिशत आरक्षणों की व्यवस्था की गई थी । उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर और चयन द्वारा पदोन्नतियों के संबंध में किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी, परन्तु (समय-समय पर संशोधित) गृह मंत्रालय के तारीख 7 मई, 1955 के का०ज्ञा० सं० 2/11/55-आर० पी० एस०, तारीख 17 मार्च, 1958 के का०ज्ञा० सं० 1/1/58-आर० पी० एस०, तारीख 5 मार्च, 1960 के का०ज्ञा० सं० 1/4/60-आर० पी० एस० और उपर्युक्त विवरणिका के 20 और 21 पैरों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को कुछ रियायतें दी गई थीं ।

2. भारत सरकार ने, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षणों तथा उन्हें दी जाने वाली अन्य रियायतों संबंधी अपनी नीति की समीक्षा की है और इस बारे में सभी पूर्वदिशों के अधिक्रमण में निम्नलिखित निर्णय किया है :—

(1) **प्रथम श्रेणी और दूसरी श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां :**

(क) दूसरी श्रेणी या उच्च सेवा में अथवा पद पर पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं होगा, भले ही पदोन्नति वरिष्ठता-एवं-उपयुक्तता, चयन या विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर क्यों न की गई हो ।

(ख) परन्तु उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर प्रथम या दूसरी श्रेणी में की गई पदोन्नतियों के बारे में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के अधिक्रमण करने के मामले, संबंधित मंत्री या उपमंत्री के पूर्वानुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते रहेंगे ।

(2) **तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां :**

(क) जिन ग्रेडों या सेवाओं में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां सीधी भर्ती से नहीं होती, उन मामलों में (i) चयन, या (ii) केवल विभागीय उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए रिक्तियों का क्रमशः 12½ प्रतिशत और 5 प्रतिशत आरक्षण होगा ।

(ख) आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की सूचियां अलग-अलग तैयार की जाएं । इन वर्गों के अधिकारियों के मामले में दूसरे अधिकारियों से अलग विचार किया जाए और यदि वे पदोन्नति के लिए उपयुक्त हों, तो अन्य अधिकारियों की तुलना में उनकी स्थिति का विचार न करते हुए, उन्हें सूची में शामिल कर लिया जाए । आरक्षित रिक्तियों में होने वाली पदोन्नतियाँ, उम्मीदवारों के निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने पर ही की जाएंगी ।

(ग) उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से की गई नियुक्तियों में आरक्षण नहीं किया जाएगा, परन्तु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के अधिक्रमण करने के बारे में, यदि कोई मामले हों, तो उनकी सूचना, पहले ही की तरह, संबंधित मंत्री या उप मंत्री को उनकी जानकारी के लिए, एक महीने के अन्दर-अन्दर दी जाएगी ।

3. उन मामलों को छोड़कर, जिनमें पुराने आदेशों के अंतर्गत विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पहले ही से चयन किए जा चुके हैं या प्रतियोगिता परीक्षा के नियम प्रकाशित हो चुके हैं, उपर्युक्त निर्णय, इन आदेशों के जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगे ।

4. वित्त मंत्रालय आदि से, उपर्युक्त निर्णयों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने का अनुरोध है ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 11 जुलाई, 1968 का का० ज्ञा० संख्या 1/12/67-स्थापना (ग)

विषय :—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ।

इस मंत्रालय के तारीख 8-11-1963 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/61-स्थापना (च) के अनुसार जिन ग्रेडों अथवा सेवाओं में किसी प्रकार से सीधी भर्ती न की जाती थी उनमें (i) चयन, या (ii) विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले श्रेणी-III तथा IV के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 12½ प्रतिशत और 5 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की गई थीं । तारीख 8-11-1963 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में यह भी व्यवस्था की गई कि वरिष्ठता-सह-पात्रता, चयन अथवा विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली श्रेणी-II या उच्चतर सेवा अथवा पदों में नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा ।

2. पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए आरक्षणों तथा अन्य रियायतों के संबंध में भारत सरकार ने अपनी नीति का पुनरीक्षण किया है, और 8-11-63 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित आदेशों के अधिक्रमण में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं :

क. सीमित विभागीय परीक्षाओं द्वारा पदोन्नति

श्रेणी-II, III और IV के उन ग्रेडों/सेवाओं संबंधी पदों में जिनमें सीधी भर्ती 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती हो, विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 12½ प्रतिशत और 5 प्रतिशत का आरक्षण होगा ।

ख. चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति

(क) श्रेणी I और II की नियुक्तियां

श्रेणी III से श्रेणी II में और श्रेणी II के विभिन्न पदों में तथा श्रेणी II से श्रेणी I में या श्रेणी I के निम्नतम पद में चयन द्वारा भरी जाने वाली पदोन्नतियों में निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाएगी :—

चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियों में चयन सूची तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय के तारीख 16-5-1957 के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 1/4/55-आर० पी० एस० के अनुसार सामान्यत: चयन सूची के लिए निर्धारित रिक्तियों की संख्या से 5 या 6 गुना संख्या में पात्र कर्मचारी विचाराधीन होते हैं । पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त व्यक्तियों को छोड़ने के पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति बकाया पात्र उम्मीदवारों को 3 वर्गों में अर्थात् "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा" और "अच्छा" नामक तीन वर्गों में छांटती है । इसके पश्चात समिति एक चयन सूची तैयार करती है जिसमें "उत्कृष्ट" कर्मचारियों के नाम सबसे ऊपर और उनके पश्चात् क्रमश: "बहुत अच्छा" और "अच्छा" वर्ग के कर्मचारियों के नाम रखे जाते हैं, इसमें प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर रखे जाते हैं । सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के आशय से अब यह निर्णय किया गया है कि :—

(i) यदि पात्रता की परिधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कोई कर्मचारी हों, तो उनमें से पदोन्नति के लिए अपात्र व्यक्तियों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा छोड़ दिया जाएगा । इसके बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बकाया कर्मचारियों का विभागीय पदोन्नति समिति उनके सेवा संबंधी रिकार्ड के आधार पर अंकित वर्ग से एक उच्चतर वर्ग के लिए पुन: श्रेणीकरण करेगी अर्थात् यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी उम्मीदवार को उसकी सेवा संबंधी रिकार्ड के आधार पर "अच्छा" के लिए अंकित किया गया हो, तो समिति उसे "बहुत अच्छा" वर्ग में रखेगी और यदि "बहुत अच्छा" के लिए अंकित किया गया हो तो उसे "उत्कृष्ट" वर्ग में रखेगी । यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी कर्मचारी को उसके सेवा संबंधी रिकार्ड के आधार पर समिति "उत्कृष्ट वर्ग" के लिए अंकित करती है तो उसके पुन: श्रेणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी ।

उपर्युक्त रियायत किसी एक वर्ष में किसी विशिष्ट ग्रेड अथवा पद में चयन सूची से की जाने वाली कुल नियुक्तियों के 25 प्रतिशत तक ही लागू होगी । चयन सूची से पदोन्नति करते समय नियुक्ति अधिकारी यह जांच कर लें कि इस रियायत के आधार पर किसी एक वर्ष में उपर्युक्त कार्यविधि के अनुसार निर्मित चयन सूची से पदोन्नति होने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहे; और

(ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो उम्मीदवार पात्रता की परिधि में इतने वरिष्ठ हों कि, उनके नाम चयन सूची के लिए निर्धारित व्यक्तियों की संख्या के अन्तर्गत आते हों और यदि पदोन्नति समिति ने उन्हें अपात्र न समझा हो तो उन्हें चयन सूची में सम्मिलित कर लेना होगा और उन्हें सेवा संबंधी रिकार्ड के आधार पर अंकित वर्ग से एक उच्चतर वर्ग में रखा जाएगा तथा चयन सूची में उनका स्थान इस प्रकार दिए गए उच्च वर्ग के आधार पर ही निर्धारित किया जाए । इसका अर्थ यह होगा कि यदि किसी अवस्था में चयन सूची के निर्माण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न उत्कृष्ट वर्ग के उम्मीदवार ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों तो भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों को, जो पात्र उम्मीदवारों की सूची में इतने वरिष्ठ हों कि उनका नाम चयन सूची के लिए निर्धारित संख्या में हो तो यद्यपि वे केवल अच्छा वर्ग के लिए अंकित किए गए हों और उच्च वर्ग दिए जाने के पश्चात् "बहुत अच्छा" वर्ग में रखा गया हो, तो भी उन्हें चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा परन्तु उन्हें चयन सूची में सम्मिलित उत्कृष्ट उम्मीदवारों के नामों से नीचे रखा जाएगा ।

(ख) श्रेणी III और IV की नियुक्तियां

जिन ग्रेडों और सेवाओं में 50 प्रतिशत से अधिक सीधी भर्ती न होती हो, उनसे संबंधित श्रेणी III और IV के पदों में चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 12½ प्रतिशत और 5 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित की जाएंगी ।

आरक्षित रिक्तियों की भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की चयन सूचियां अलग से तैयार की जानी चाहिए, जैसाकि अब तक होता

रहा है । इन जातियों के अधिकारियों से संबंधित उपयुक्तता मूल्यांकन अन्य अधिकारियों के साथ न करके अलग से किया जाना चाहिए, और इन जातियों के अधिकारी यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त हों, तो अन्य अधिकारियों की तुलना में उनके स्थान का ध्यान न रखते हुए उन्हें चयन सूची में सम्मिलित कर लेना चाहिए । आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नतियों के लिए उम्मीदवार का निर्धारित न्यूनतम मानकों से युक्त होना अब भी आवश्यक होगा ।

(ग) उपयुक्तता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां

उपयुक्तता की शर्त के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कोई आरक्षण नहीं होगा । परन्तु श्रेणी-I और II की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के अधिक्रमण से संबंधित मामले अब की ही तरह संबंधित मंत्री अथवा उपमंत्री को पूर्वानुमति के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे । श्रेणी-III और श्रेणी-IV की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक्रमण से संबंधित मामलों की रिपोर्ट अब की ही तरह संबंधित मंत्री अथवा उपमंत्री को एक मास के भीतर सूचनार्थ भेजी जाएगी ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए आदेशों के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की भर्ती के संबंध में निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे : —

(1) (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के, जो अधिकारी विचारार्थ सामान्य क्रम के अंतर्गत आते हों, उनके संबंध में अन्यों के साथ ही पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए और अन्यों के आधार पर ही उनके बारे में निर्णय किया जाए । उपर्युक्त आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जो अधिकारी चुने जाएं उन्हें सामान्य चयन सूचियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की क्रमशः अलग चयन सूचियों के लिए भी इन अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिए ।

(ख) यदि उपर्युक्त सामान्य चयन सूची में अपनी स्थिति के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उनके

लिए आरक्षित रिक्तियों से कम स्थान मिले तो इस कमी की पूर्ति क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अलग चयन सूचियों में से इन समुदायों के उम्मीदवारों की नियुक्ति से की जाएगी।

(2) (i) अनुसूचित जातियों, और (ii) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए जो अलग चयन सूचियां तैयार की जाएंगी उन अधिकारियों का मूल्यांकन यथास्थिति उन्हीं में से परस्पर किया जाएगा, न कि अन्य अधिकारियों के साथ और यदि उनका चयन किया जाये तो अन्य अधिकारियों की तुलना में उनकी स्थिति का कोई ध्यान न रखते हुए संबंधित अलग चयन सूचियों में उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की अलग चयन सूचियां तैयार करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न समुदायों के अधिकारियों के नामों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त अलग चयन सूचियों में सम्मिलित करने के लिए विचार करने हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यथास्थिति विचारार्थ क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा जितना क्षेत्र कि सामान्य चयन सूचियों के लिए अर्थात् यदि सामान्य चयन सूचियों के लिए विचारार्थ उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या से 5 गुनी हो तो अनुसूचित जातियों के लिए अलग सूची के लिए विचारार्थ उम्मीदवारों की संख्या भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से 5 गुनी होगी और इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए, परन्तु यह आवश्यक होगा कि ये अधिकारी उम्मीदवार पदोन्नति के लिए विचारार्थ उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सेवाकाल आदि के आधार पर पात्रता के क्षेत्र में आते हों।

(3) इस कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित पदोन्नतियों में आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए यह निर्णय किया गया है कि तारीख 21 दिसम्बर, 1963 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/13/63-एस० सी० टी० (1) के अनुबंध-(1) में निर्धारित रोस्टर (जिसमें प्वाइंट 1, 9, 17, 25 और 33 अनुसूचित जातियों के लिए और प्वाइंट 4 तथा 21 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं) के आधार पर बनाये गए पृथक रोस्टर का अनुपालन किया जाए। यदि यथास्थिति अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण किसी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करना आवश्यक हो जाये, तो इस मंत्रालय को अनारक्षण के

बारे में सूचना दी जाए और उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए पात्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के संबंध में उपर्युक्त (1) तथा (2) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विचार किया गया है । जब यह मंत्रालय अनारक्षण के लिए सहमत हो जाए तो आरक्षित रिक्तियों में अन्य उम्मीदवार इस शर्त पर लिए जा सकते हैं, कि इस मंत्रालय के तारीख 2 सितम्बर, 1964 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/64-स्था० (एस० सी० टी०) (1) के अनुसार आगे दो भर्ती वर्षों तक वह आरक्षण अग्रेनीत किया जाएगा ।

(4) जिन मामलों में उपर्युक्त ढंग से पदोन्नतियाँ पहले दीर्घकालीन स्थानापन्न आधार पर की जाएं, उनमें स्थायीकरण सामान्य नियम के अनुसार किया जाना चाहिए अर्थात् जिस अधिकारी को चयन सूची में अपनी स्थिति के आधार पर स्थानापन्न पदोन्नति का अवसर पहले मिला हो और इस मंत्रालय के तारीख 17 फरवरी, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 1/1/55-आर० पी० एस० के पैरा 1 (iii) के अनुसार वह उपयुक्त योग्यता स्तर का अधिकारी हो, तो उसका स्थायीकरण भी पहले किया जाना चाहिए जिससे उसके लिए पहले पदोन्नति प्राप्त करने का लाभ बना रहे । परन्तु पदोन्नत व्यक्तियों के स्थायीकरण के समय आरक्षण का सिद्धांत दोबारा लागू नहीं होगा ।

4. जिन मामलों में पुराने आदेशों के अधीन विभागीय समिति द्वारा चयन किए जा चुके हों अथवा किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम प्रकाशित किये जा चुके हों, उनके अतिरिक्त, उपर्युक्त अनुदेश इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

5. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णयों की सूचना सभी संबंधित व्यक्तियों को दी जाए ।

6. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधीन कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों के संबंध में पृथक आदेश यथासमय जारी किए जाएंगे ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 8 जुलाई, 1969 का का०ज्ञा० संख्या 10/9/69-स्थापना (एस० सी० टी०)

विषय :—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ।

इस मंत्रालय के तारीख 11 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-स्था० (ग) के पैरा 2ख (क) (1) में यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों के जो कर्मचारी पदोन्नति के लिए अयोग्य समझे गए हों उनको छोड़कर विचारार्थ सामान्य क्रम के अंतर्गत आने वाले ऐसे कर्मचारियों को श्रेणी-III से श्रेणी-II के ही अंतर्गत, श्रेणी-II में और श्रेणी-II से श्रेणी-I की निम्नतम सीढी या प्रवर्ग में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए उन्हें विभागीय पदोन्नति समिति को उनके सेवावृत्त के आधार पर अन्यथा अंकित की जाने वाली कोटि से अगली उच्चतर कोटि दी जानी चाहिए । इस प्रकार यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी उम्मीदवार को उसके सेवावृत्त के आधार पर समिति ने "अच्छा" कोटि में रखा है तो समिति उसे "बहुत अच्छा" कोटि में रखेगी और यदि उसे "बहुत अच्छा" कोटि दी गई है तो समिति उसे "उत्कृष्ट" कोटि में रखेगी । उपर्युक्त रियायत किसी एक वर्ष, किसी ग्रेड विशेष में अथवा पद में चयन सूची से की जाने वाली नियुक्तियों के केवल 25 प्रतिशत पर ही लागू होगी । चयन सूची से पदोन्नत करते समय नियुक्ति प्राधिकारी यह जांच कर ले कि इस रियायत के आधार पर पदोन्नत होने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 25 प्रतिशत तक ही सीमित रहे । उक्त रियायत के प्रयोजन के लिए 25 प्रतिशत के सूत्र के आधार पर रिक्तियों की सही गणना कैसे की जाए, इस प्रश्न पर विचार किया गया और उस संबंध में निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट की गई है :—

गृह मंत्रालय के 11 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/12/67-स्थापना (ग) के पैरा 2 ख (क) (1) के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की एक उच्चतर कोटि देने की रियायत, प्रत्येक चार रिक्तियों के पीछे एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को दी जाएगी । इस प्रयोजन के लिए 11 जुलाई 1968 से भरी गई सभी रिक्तियों का निरन्तर रिक्तियों को दिखाने वाला एक लेखा रखा जाना चाहिए । यदि किसी वर्ष की रिक्तियों की संख्या चार से विभाज्य न हो तो शेष रिक्तियां इस गणना के प्रयोजन के लिए अगले वर्ष में अग्रेनीत की जानी चाहिए । उदाहरणार्थ यदि उन 1968 (11 जुलाई, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक) में 6 रिक्तियां थीं तो प्रथम चार रिक्तियों के पीछे एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को रियायत दी जाएगी और शेष 2 रिक्तियां सैद्धांतिक रूप से अगले वर्ष में अग्रेनीत होंगी । यदि अगले वर्ष अर्थात 1969 में, 3 रिक्तियां हों तो सन् 1968 से अग्रेनीत की गई 2 रिक्तियां इन 3 रिक्तियों में जोड़ दी जाएंगी और कुल योग 5 हो जाएगा और इन रिक्तियों में से 4 रिक्तियों के पीछे एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को रियायत दी जाएगी और पांचवीं रिक्ति अगले वर्ष के लिए अग्रेनीत होगी ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त निर्णय को सभी संबंधितों की सूचना में लाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 31 अक्तूबर, 1969 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/8/69-स्थापना (एस० सी० टी०) (1)

विषय : —अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती— श्रेणी-III और श्रेणी-IV के गैर तकनीकी और अर्द्ध-तकनीकी पद ।

मुझे इस मंत्रालय के तारीख 24 सितम्बर, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/7/67(1) स्थापना (एस० सी० टी०) की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है । इस ज्ञापन में यह व्यवस्था की गई है कि जिन मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित संख्या में निम्नतर मानकों को पूरा करने वाले इन समुदायों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों, उनमें नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित परीक्षा को छोड़कर अन्यथा सीधे भरे जाने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अपेक्षित संख्या की गैर तकनीकी और अर्द्ध-तकनीकी श्रेणी-III और श्रेणी-IV की रिक्तियों के भरने के लिए इन समुदायों के उन सर्वोत्तम उम्मीदवारों को चुनना चाहिए जिसके पास भर्ती की सूचना/विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं हैं और इन उम्मीदवारों को इन पदों के लिए आरक्षित न्यूनतम मानक तक लाने के लिए तथा प्रशासन की कार्यकुशलता को बनाये रखने के लिए सेवागत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए । वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ प्रत्येक ऐसे प्राधिकारी को उसके अपने अधीन आने वाले श्रेणी-III और श्रेणी-IV के उन गैर तकनीकी और अर्द्ध-तकनीकी पदों की सूची तैयार करने के लिए कहे जिसपर उपर्युक्त 24 सितम्बर, 1968 का कार्यालय ज्ञापन लागू होगा । मंत्रालय/विभाग और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में ऐसे पदों की समेकित सूची की एक-एक प्रति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली और गृह मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए ।

2. यह भी अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा-I में निर्दिष्ट पदों की रिक्तियों को अधिसूचित करते समय अथवा उनका विज्ञापन देते समय इस बात का उल्लेख करना चाहिए कि ये श्रेणी-III और श्रेणी-IV के गैर तकनीकी और अर्द्ध-तकनीकी पद हैं ।

गृह मंत्रालय का तारीख 26 मार्च 1970 का का० ज्ञा० संख्या 1/9/69-स्थापना (एस० सी० टी०)

विषय :—श्रेणी-1 की सेवाओं/पदों के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई छूटें ।

भारत सरकार के अधीन श्रेणी-1 की सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन रहा है । इस विषय में इस मंत्रालय के तारीख 11 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-स्था० (ग) में अन्य छूटों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रेणी-1 के निम्नतम वर्ग के पदों में चयन द्वारा पदोन्नति करने की कतिपय छूटें देने की व्यवस्था की गई है । अब यह निर्णय किया गया है कि श्रेणी-1 के पदों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए निम्नलिखित छूटें तथा सुविधाएं दी जाएंगी ।

2. श्रेणी-1 के 2000/- रु० अथवा कम वेतन वाले पदों में चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो अधिकारी रिक्त स्थानों के बारे में तैयार की गई चयन सूची में विचार किए जाने वाले व्यक्तियों में काफी वरिष्ठ हों, उन्हें उक्त सूची में सम्मिलित किया जाएगा बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अयोग्य नहीं समझे गए हों । तथापि चयन सूची में उनका स्थान वही होगा जो उनके सेवा अभिलेख के आधार पर उन्हें विभागीय पदोन्नति समिति ने दिया होगा । इस प्रयोजन के लिए उन्हें दिए जाने वाले ग्रेड के अतिरिक्त उच्चतर ग्रेड नहीं दिया जाएगा ।

3. श्रेणी-1 के पदों के उच्चतर वर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के चयन के अवसरों में सुधार लाने के लिए यह और निर्णय किया गया है कि :—

(i) श्रेणी-1 की सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को संस्था संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा गोष्ठियों/परिसंवादों/सम्मेलनों में, भाग लेने के लिए अधिक अवसर दिए जाने चाहिएं । इस संबंध में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी; राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, माउंट अबू; भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली; प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद, आदि में उपलब्ध सुविधाओं से लाभ उठाया जा सकता है, और

(ii) श्रेणी-1 के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के निकटतम उच्चतर अधिकारियों की यह विशिष्ट जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे उनकी कार्यक्षमता को सुधारने के लिए उन्हें परामर्श दें और उनका मार्गदर्शन करें ।

जिन मंत्रालयों/विभागों के अधीन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी-1 के अधिकारी काम कर रहे हों, वे यह सुनिश्चित करें कि इन निर्णयों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए । जिन मंत्रालयों/विभागों (अथवा विभागों के अध्यक्षों) के अधीन ऐसे अधिकारी सेवा कर रहे हों, उन्हें विशेष रूप से इन अधिकारियों की प्रगति पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि इन अधिकारियों के उच्चतर पदों में चयन के प्रयोजन के लिए उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए यथावश्यक समुचित उपाय किए जाएं ।

4. उपर्युक्त पैरा 2 में विहित आदेश, इन आदेशों के जारी होने के पहले किए गए चयन के मामलों को छोड़कर, शेष मामलों में इनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

5. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में लाएं ।

6. जहां तक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधीन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों का संबंध है, उनके लिए यथा समय-अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक विभाग का तारीख 3 सितम्बर, 1970 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/4/(V)/70-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक्रमण संबंधी मामलों के विषय में वार्षिक विवरण ।

इस मंत्रालय के तारीख 11-7-1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67- स्था० (ग) के अनुसार यद्यपि योग्यता की पूर्ति के साथ वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, फिर भी यदि श्रेणी-I तथा II की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का अधिक्रमण किया गया हो तो वे मामले पहले संबंधित मंत्री या उपमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पेश किए जाने

अपेक्षित हैं । श्रेणी-III तथा IV की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का अधिक्रमण किया गया हो, तो वे मामले एक महीने के अन्दर संबंधित मंत्री या उपमंत्री को सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाने चाहिएं । इन आदेशों के कार्यान्वयन की इस मंत्रालय द्वारा जांच करने की दृष्टि से और इसकी सूचना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पास भी भेजने के लिए मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक इस मंत्रालय तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के पास संलग्न प्रपत्र में वार्षिक विवरण भेजने की कृपा करें । वर्ष 1969 का विवरण 30 सितम्बर, 1970 तक भेज दिया जाए । मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे मूल मंत्रालय/विभाग तथा अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में एक समेकित विवरण भेजें ।

1 जनवरी, ... से 31 दिसम्बर, ... तक की अवधि में पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अधिक्रमण के मामलों के ब्यौरे दिखाने वाला विवरण

मंत्रालय/विभाग_____

कार्यालय का नाम	ग्रेड, जिसमें और जहां से पदोन्नति पर विचार किया गया		श्रेणी, जिससे कालम 2 में दर्ज पद संबंधित है	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या, जिनका अधिक्रमण हुआ है		प्रत्येक मामले में अधिक्रमण के कारण	क्या गृह मंत्रालय के तारीख 11-7-68 के का० ज्ञा० सं० 1/12/67-स्था० (ग) के पैरा 2(ग) में दर्ज आदेशों की अपेक्षानुसार, मंत्री/ उपमंत्री के पूर्वानुमोदन के लिए अधिक्रमण के मामले प्रस्तुत किए गए थे या उनकी सूचना मंत्री/उपमंत्री को दी गई थी	अभ्युक्ति
	____के ग्रेड में पदोन्नति	____के ग्रेड में पदोन्नति		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक विभाग का तारीख 27 नवम्बर, 1972 का का० ज्ञा० सं० 27/2/71-स्था० (एस०सी० टी०)

विषय :—पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—उपयुक्तता होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 11 जुलाई, 1968 के का० ज्ञा० संख्या 1/12/67-स्था० (ग) के पैरा 2 ग की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार उपयुक्तता होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, हालांकि पहली और दूसरी श्रेणी की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक्रमण संबंधी मामलों को, संबंधित मंत्री या उपमंत्री के पूर्वानुमोदन के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों संबंधी अधिक्रमण के मामलों की सूचना संबंधित मंत्री या उपमंत्री की जानकारी के लिए एक महीने के अंदर-अंदर देनी अपेक्षित है ।

2. उपयुक्तता होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए आरक्षण संबंधी नीति की समीक्षा करके अब यह निर्णय किया गया है कि तारीख 11 जुलाई, 1968 के का० ज्ञा० के उपर्युक्त पैरा ग में दर्ज आदेशों के अधिक्रमण में उन ग्रेडों या सेवाओं में सभी पहली, दूसरी, तिसरी और चौथी श्रेणी के पदों पर नियुक्तियों में उपयुक्तता होने पर वरिष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण किया जाएगा, जिनमें सीधी भर्ती का प्रतिशत, यदि कोई हो, 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।

3. गृह मंत्रालय के तारीख 16 मई, 1959 के का० ज्ञा० संख्या 1/9/58-आर०पी०एस० के पैरा I ख में उपयुक्तता होने पर वरिष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों के संबंध में अमल में लाई जाने वाली कार्यविधि का उल्लेख किया गया है, और इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे मामलों में उक्त पदोन्नति के लिए प्रत्येक अधिकारी की उपयुक्तता के बारे में अलग से निर्णय किया जाएगा हालांकि उनके गुणावगुणों के तुलनात्मक निर्धारण की जरूरत नहीं है, और किसी अधिकारी की पदोन्नति के लिए उपयुक्तता या अनुपयुक्तता का निर्णय, किसी एक अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाए । इसलिए किसी वर्ष के दौरान

होने वाली रिक्तियों के बारे में उपयुक्तता व वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति को प्रस्ताव भेजते समय उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित निर्णय को लागू करने के लिए निम्नलिखित कार्यविधि का पालन किया जाए :—

(i) गृह मंत्रालय के तारीख 22 अप्रैल, 1970 के का० ज्ञा० सं० 1/11/69-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुबंध-I में निर्धारित रोस्टर की तरह ही किसी वर्ष में आरक्षित रिक्तियों को निर्धारित करने के लिए एक अलग 40 प्वाइंट वाले रोस्टर पर अमल किया जाए, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए प्वाइंट 1, 8, 14, 22, 28 और 36 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्वाइंट 4, 17 और 31 आरक्षित हैं ।

(ii) रोस्टर में प्वाइंटों के अनुसार जहां कहीं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई रिक्तियां आरक्षित हों, वहां मुख्य सूची में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में, यथावस्था अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के पात्र अधिकारियों की अलग-अलग सूचियां तैयार की जाएं ।

(iii) विभागीय पदोन्नति समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की योग्यता का अलग अलग मूल्यांकन करेगी ।

(iv) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सामान्य वर्ग के अधिकारियों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की चयन सूचियां तैयार किए जाने के बाद इनकी एक संयुक्त चयन सूची बना दी जाये, जिसमें समान्य वर्ग और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के नाम, उस वर्ग या ग्रेड की उस वरिष्ठता मूल सूची में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएं, जहां से पदोन्नति की जा रही है । इसके बाद वर्ष के दौरान जब भी रिक्तियां हों, उन पर पदोन्नति करने के लिए इस संयुक्त चयन सूची पर अमल किया जाए ।

(v) इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची आम तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए ही प्रभावी रहती है, परन्तु इस अवधि में छः महीने और बढ़ाये जा सकते हैं ताकि इस बढ़ाई गई अवधि में नियुक्ति के लिए इस सूची में उन अधिकारियों को भी शामिल किया जा सके, जिन्हें एक वर्ष की सामान्य अवधि के दौरान उच्चतर पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सका था ।

(vi) यदि पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों की संख्या वर्ष के दौरान उनमें से किसी भी समुदाय के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम रह जाती है तो इस कमी की सूचना उन रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के प्रस्तावों (यदि कोई हों) के साथ इस विभाग को दी जाए । यदि इस बारे में प्रस्तुत आंकड़ों की जांच करने पर यह विभाग किसी आरक्षण को समाप्त करना स्वीकार कर लेता है तो अगले तीन वर्षों के लिए ऐसी आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने और उस अन्तिम वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों का आदान-प्रदान करने के बाद जिसमें आरक्षित रिक्तियां आगे ले जाई जाती हैं, गृह मंत्रालय के तारीख 25 मार्च, 1970 के का० ज्ञा० संख्या 27/25/68-स्था० (एस०सी०टी०) में दर्ज हिदायतों के अनुसार संयुक्त चयन सूची में शामिल किसी दूसरे उम्मीदवार को इस प्रकार की रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है ।

4. उपर्युक्त हिदायतें इन आदेशों के जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगी । परंतु यदि विभागीय पदोन्नति समिति ने उपयुक्तता व वरिष्ठता के आधार पर कोई चयन सूची बनाई हो और इन आदेशों के जारी किए जाने की तारीख से पहले उपयुक्त प्राधिकारी ने इसका अनुमोदन कर दिया हो, तो ऐसा नहीं होगा ।

5. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे कृपया उपर्युक्त निर्णयों को अपने अधीन सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा उन अर्द्ध सरकारी और स्वायत्त निकायों के ध्यान में लाएं जिनसे वे प्रशासनिक तौर पर संबंधित हैं ।

6. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, यथासमय अलग आदेश जारी किए जाएंगे ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 20 जुलाई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/41/73-स्था० (एस० सी० टी०) की प्रति

विषय :—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—श्रेणी-II, श्रेणी II के भीतर तथा श्रेणी-I के सबसे निचले ग्रेड में चयन द्वारा पदोन्नतियां ।

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है कि क्या चयन द्वारा पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षणों की

योजना को श्रेणी-II की सेवाओं तथा उससे ऊपर के पदों के लिए लागू किया जाए और यदि किया जाए तो किस सीमा तक किया जाए । गृह मंत्रालय के तारीख 11 जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-स्थापना (ग) के पैराग्राफ 2ख(क) में सन्निहित आदेशों का अधिक्रमण करते हुए अब यह निर्णय किया गया है कि श्रेणी-III से श्रेणी-II में और श्रेणी II के भीतर और श्रेणी-II से श्रेणी I के निम्नतम ग्रेड अथवा वर्ग (कैटेगरी) में उन ग्रेडों अथवा सेवाओं में जिनमें सीधी भर्ती का अंश, यदि कोई हो, 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, चयन द्वारा की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 7½ प्रतिशत होगा ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन में सन्निहित अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के भरे जाने के लिए निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे :—

(i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों में से किया जाएगा, जो सामान्य विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों ।

(ii) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार वरिष्ठता का समुचित ध्यान रखते हुए, योग्यताक्रम के आधार पर (उसी आधार पर जो कि अन्य उम्मीदवारों के लिए है) आरक्षित रिक्तियों पर उतनी संख्या में नियुक्त नहीं हो पाते जितनी रिक्तियाँ उनके लिए आरक्षित हैं तो इस अन्तर को इन जातियों के चुने गए उम्मीदवारों से पूरा किया जाना चाहिए जो विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, उनके योग्यता क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए किन्तु जो पदोन्नति के लिए योग्य हो, उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए ।

(iii) इसके बाद एक चयन सूची तैयार की जानी चाहिए जिसमें सामान्य और साथ ही साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के चुने गए सभी अधिकारियों के नामों को गृह मंत्रालय के तारीख 16 मई, 1957 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/55-आर० पी० एस० में चयन पदों पर पदोन्नति के लिए निर्धारित सामान्य सिद्धांतों के अनुसार योग्यताक्रम (मैरिट) तथा वरिष्ठता के आधार पर व्यवस्थित किया जाए अर्थात तीन वर्गों में, जैसे "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा" तथा "अच्छा" इस क्रम के

अनुसार नामों को रखा जाए ऐसा करते समय प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों की परस्पर वरिष्ठता में कोई परिवर्तन न किया जाए । इसके बाद वर्ष के दौरान जब कभी भी रिक्तियाँ हों, इसी चयन सूची के अनुसार पदोन्नतियाँ की जाएं ।

(iv) किसी चयन सूची में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के निर्धारण के लिए तारीख 22 अप्रैल, 1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/11/69-स्थापना (एस० सी० टी०) के अनुबंध-1(जिसमें पाइन्ट 1, 8, 14, 22, 28 तथा 36 अनुसूचित जातियों के लिए तथा पाइन्ट 4,17 तथा 31 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं) में निर्धारित रोस्टर के आधार पर एक पृथक रोस्टर रखा जाना चाहिए । यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (जैसी भी स्थिति हो) के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो और आरक्षित रिक्ति का आरक्षण सामान्य करना आवश्यक हो तो आरक्षण समाप्त किए जाने की बाबत इस विभाग को लिखा जाए और यह भी बताया जाए कि क्या आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों के दावों पर इस कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित ढंग के अनुसार विचार कर लिया गया है ।

(v) किन्तु यदि विशेष वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों सकें, तो आरक्षणों को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में आगे नहीं ले जाया जाएगा ।

(vi) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां इन्हीं समुदाय के लिए ही आरक्षित रहेंगी, किन्तु यदि आरक्षित रिक्ति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति (जैसी भी स्थिति हो) के, उम्मीदवार से नहीं भरा जा सकता हो तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर अनुसूचित जाति के किसी अधिकारी को और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को उसी वर्ष में जिसमें कि आरक्षण किया गया है नियुक्त करने के बारे में विचार किया जा सकता है ।

(vii) जहां उपर्युक्त ढंग से पदोन्नतियां सर्वप्रथम दीर्घकालीन के लिए स्थानापन्न आधार पर की जाती हैं, वहां स्थायीकरण सामान्य नियम के अनुसार किया

जाना चाहिए अर्थात् जो अधिकारी चयनसूची में अपने स्थान के आधार पर पहले स्थानापन्न रूप में पदोन्नत हुआ हो, उसे ही पहले स्थायी किया जाना चाहिए, और इस प्रकार वह प्राप्त लाभ को कायम रख सकेगा, बशर्ते कि वह गृह मंत्रालय के तारीख 17 फरवरी, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ 1/1/55-आर० पी० एस० के पैरा (iii) के अनुसार उपयुक्त स्तर को बनाए रखे। किन्तु आरक्षण का सिद्धांत पदोन्नत अधिकारियों के स्थायीकरण के समय फिर से लागू नहीं होगा।

3. उपर्युक्त अनुदेश, इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगे, किन्तु ये उन स्थितियों में लागू नहीं होंगे, जहां विभागीय पदोन्नति समिति ने इन आदेशों के जारी होने की तारीख से पहले ही पदोन्नति के लिए एक चयन सूची तैयार कर ली हो और साथ ही साथ इसे समुचित प्राधिकारी ने अनुमोदित कर दिया हो।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णयों को उन सभी के नोटिस में लाएं, जिनका इनसे संबंध हो।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे अधिकारियों का संबंध है, ये आदेश नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 12 सितम्बर, 1974 का कार्यालय ज्ञापन सं० 8/11/73-स्थापना (एस० सी० टी०)

विषय :—सैलेक्शन ग्रेड के पदों को पदोन्नति/नियुक्ति द्वारा भरने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के तारीख 27 नवम्बर, 1972 के का० ज्ञा० संख्या 27/2/71-स्थापना (एस० सी० टी०) के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7½% आरक्षण की व्यवस्था ग्रेड या सेवाओं में उन पदों के लिए की गई है जिन पर उपयुक्तता-व-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। परन्तु सीधी भर्ती (यदि कोई हो) 50% से अधिक न हो। गृह मंत्रालय के तारीख 25-3-1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/25/68-स्था० (एस० सी० टी०) के साथ पठित तारीख 11 जुलाई, 1968 के का० ज्ञा० संख्या 1/12/67-स्थापना (ग) और तारीख 20 जुलाई, 1974 के का० ज्ञा० संख्या 10/41/73-स्थापना (एस० सी० टी०) में यह

व्यवस्था है कि जिन ग्रेडों या सेवाओं में सीधी भर्ती (यदि कोई हो) 50% से अधिक नहीं है, उनमें चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के निम्नतम ग्रेड में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण क्रमश: 15 प्रतिशत तथा 7½ प्रतिशत होगा। गृह मंत्रालय के तारीख 26 मार्च, 1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/9/69-स्थापना (एस० सी० टी०) में श्रेणी-I के उन पदों पर चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल रिक्तियों की व्यवस्था की गई है जिनका अधिकतम वेतन प्रतिमाह 2000/- रु० अथवा इससे कम है। इस विभाग से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नतियों में आरक्षण/छूट संबंधी उपर्युक्त आदेश विभिन्न सेवाओं/पदों पर सैलेक्शन ग्रेड में की जाने वाली नियुक्तियों पर भी लागू होंगे। इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् स्पष्टीकरण दिया गया है कि सैलेक्शन ग्रेड में नियुक्ति भी पदोन्नति के समान ही है अत: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण/छूट संबंधी उपर्युक्त आदेश सैलेक्शन द्वारा पदोन्नति अथवा सैलेक्शन ग्रेड में वरिष्ठता के आधार पर उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगे, क्योंकि ये नियुक्तियां "सैलेक्शन" या "वरिष्ठता" एवं "उपयुक्तता" पर आधारित हैं।

2. सभी मंत्रालय/विभाग आदि कृपया ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण को उचित कार्रवाई करते समय ध्यान में रखें।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23-12-1974 का कार्यालय ज्ञापन सं० 1/10/74-स्थापना (एस० सी० टी०)

विषय :—श्रेणी-I में चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को दी गई छूटें।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 26 मार्च, 1970 के का० ज्ञा० संख्या 1/9/69-स्थापना (एस० सी० टी०) की ओर ध्यान आकृष्ट करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रेणी-I में उन पदों पर चयन द्वारा की जाने वाली पदोन्नतियों में, जिनका प्रतिमास अधिकतम वेतन 2000 रु० अथवा इससे कम है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र के अन्तर्गत अपनी वरिष्ठता के कारण आते हैं और इस प्रकार जितनी रिक्तियों के लिए चयन सूची तैयार की जाती है

उसमें उनका नाम भी आता तो उनका नाम भी उक्त सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते कि वे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न समझे गए हों । इसके साथ साथ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर श्रेणी-I के पदों के वेतन में संशोधन हुआ है, इसलिए तारीख 26 मार्च, 1970 के उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए आदेश श्रेणी-I के ऐसे पदों पर चयन द्वारा पदोन्नतियों के संबंध में लागू होंगे, जिनका अधिकतम वेतन 2250 रु० प्रतिमाह अथवा इससे कम है ।

2. वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णयों को सभी संबंधित व्यक्तियों के ध्यान में लायें ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 3 फरवरी, 1975 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/37/74-स्थापना (एस० सी० टी०)

विषय :—श्रेणी-III से श्रेणी-II में, श्रेणी II के भीतर और श्रेणी-II से श्रेणी-I के निम्नतम दर्जे में चयन द्वारा पदोन्नति करके भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का आगे लाया जाना ।

मुझे इस विभाग के तारीख 20 जुलाई, 1974 के का० ज्ञा० संख्या 10/41/73-स्थापना (एस०सी०टी०) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½% आरक्षण उन पदोन्नतियों के मामले में किए जाएंगे जो चयन के आधार पर तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी के भीतर तथा द्वितीय श्रेणी-I के सबसे नीचले दर्जे में की जाती हैं और जिनमें सीधी भर्ती (यदि कोई हो) 50% से अधिक नहीं होती । उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(v) के अनुसार यदि किसी एक विशेष वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार किसी एक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते, तो इस प्रकार की पदोन्नति में आरक्षणों को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में आगे नहीं ले जाया जाएगा । इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या उन मामलों में कोई अपवाद होना चाहिए जहां रोस्टर में आरक्षित पाइंट पर पड़ने वाली रिक्ति का आरक्षण केवल इस आधार पर समाप्त कर दिया जाता है कि उस वर्ष पदोन्नत किए जाने वाले वर्ष में केवल एक ही रिक्ति हुई है । अब यह निर्णय किया गया है कि तारीख 20-7-1974 के पैरा 2(v) का आंशिक संशोधन करते हुए पदोन्नति के उन मामलों में जहां कार्यालय ज्ञापन तारीख 20-7-1974 में दिए गए आदेश लागू होते हैं, रोस्टर के आरक्षित पाइंट पर यदि केवल एक रिक्ति पड़ती है, और उसका आरक्षण इस आधार पर समाप्त कर दिया जाता है कि

उस वर्ष केवल एक रिक्ति हुई है तो आरक्षित पाइंट पर आने वाले आरक्षण को बाद के तीन भर्ती वर्षों में आगे ले जाया जाए ।

2. तारीख 20-7-1974 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(vi) में दिए गए अनुदेश के अनुसार रिक्ति के आरक्षण वर्ष में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्ति पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की नियुक्ति करने की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । दूसरे शब्दों में, उन परिस्थितियों में जिनका ऊपर पैरा-1 में उल्लेख किया गया है यदि रिक्ति को आगे ले जाया जाता है और आगामी वर्ष में किसी रिक्ति को वस्तुत: "आगे लाए गए" आरक्षण के तौर पर आरक्षित माना जाता है तो ऐसे आरक्षणों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का परस्पर आदान प्रदान किया जा सकता है ।

मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 7 मई, 1975 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/6/75-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—श्रेणी-III से श्रेणी-II में, श्रेणी-II के भीतर तथा श्रेणी-I के निम्नतम दर्जे में चयन द्वारा की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—विचार क्षेत्र ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के तारीख 20 जुलाई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/41/73-स्थापना (एस० सी० टी०) के पैरा 2(1) में यह बताया गया है कि श्रेणी-III से श्रेणी-II में, श्रेणी-II के भीतर, और श्रेणी-II से श्रेणी-I के निम्नतम दर्जे में चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए चयन केवल उन्हीं अनुसूचित जातियों/जनजातियों के अधिकारियों में से किया जाएगा जो "सामान्य विचार क्षेत्र" के अंतर्गत आते हैं । इस विभाग से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या "सामान्य विचार क्षेत्र का अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों समेत सभी रिक्तियों के लिए एक ही विचार क्षेत्र होगा अथवा आरक्षित रिक्तियों की बाबत अलग विचार क्षेत्र होगा । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि श्रेणी-III से श्रेणी-II, श्रेणी-II के भीतर और श्रेणी-II से श्रेणी-I के निम्नतम दर्जे में चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामले में, आरक्षित रिक्तियों के लिए पृथक् विचार क्षेत्र नहीं है । अत: उन मामलों में वही विचार क्षेत्र होगा जो रिक्तियों की कुल संख्या (आरक्षित

रिक्तियों समेत), जिनके लिए चयन सूची तैयार की जा रही हो, को ध्यान में रखकर निश्चित किया गया है। आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा जो ऐसे सामान्य विचार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि (श्रेणी-II या उससे ऊपर पदोन्नति में) 30 रिक्तियों के लिए चयन किया जा रहा है, और उनमें 5 रिक्तियां आरक्षित हैं, तो कुल 30 रिक्तियों में से सभी 30 रिक्तियों के लिए एक ही विचार क्षेत्र, अर्थात् 30×5 या 6 गुणा उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की जाएगी। केवल 5 आरक्षित रिक्तियों के लिए (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का 5×5 या 6 गुणा) पृथक् विचार क्षेत्र नहीं होगा।

2. मंत्रालय/विभाग आदि से अनुरोध है कि वे उचित कार्रवाई के लिए उपर्युक्त स्पष्टीकरण ध्यान में रखें।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 22 अगस्त, 1975 का का० ज्ञा० संख्या 8/7/74-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—सरकार के औद्योगिक संस्थापनों में उद्योग कर्मचारियों के पद।

जैसे कि मंत्रालयों/विभागों आदि को मालूम ही है कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 335 के उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण करने की भारत सरकार की नीति रही है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर विभिन्न अनुदेश जारी किए गए हैं, जिनमें केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी गई सभी रिक्तियों में और कुछ स्थितियों में, वरिष्ठतम व उपयुक्तता और चयन दोनों के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण निर्दिष्ट किए गए हैं। इन आदेशों में सामान्यतः केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी-I, II, III और IV के पदों/ग्रेडों का जिक्र है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के अधीन विशेषतया भारत सरकार के अधीन औद्योगिक स्थापनाओं में, ऐसे पद/ग्रेड हो सकते हैं, जिनका मुख्यतया ऐतिहासिक कारणों से विशिष्ट रूप से श्रेणी I, II, III और IV में वर्गीकरण न किया गया हो। बहुत से मंत्रालय/विभाग तथा उनके कार्यालय ऐसे ग्रेडों और पदों पर नियुक्तियों में भी

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी अनुदेशों को आवश्यक परिवर्तन करके लागू कर रहे हैं । अब भी कभी-कभी जानकारी मांगी जाती है कि क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी योजना सरकार की औद्योगिक स्थापनाओं में उन पदों और ग्रेडों पर लागू होती है जिनका नियमत: श्रेणी I, II, III, IV के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया है ।

2. भारत सरकार का हमेशा यह इरादा रहा है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण योजना केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी पदों और ग्रेडों पर लागू हो चाहे उन का श्रेणी I, II, III और IV में वर्गीकरण किया गया है अथवा नहीं और यह आरक्षण योजना औद्योगिक स्थापनाओं के पद चाहे उनका वर्गीकरण किया गया है या नहीं पर भी लागू की जाए । औद्योगिक स्थापनाओं में पदों का वर्गीकरण चाहे किया गया हो या न किया गया हो, परन्तु उनमें काम करने वाले व्यक्तियों पर प्राय: श्रेणी-I, II, III और IV के पदों पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की भांति ही केन्द्रीय सरकार के सामान्य सेवा नियम व विनियम लागू होते हैं । औद्योगिक स्थापनाओं में इन अवर्गीकृत पदों पर काम करने वाले व्यक्ति भी श्रेणी-I, II, III और IV पदों पर काम करने वाले अन्य कर्मचारियों की तरह समान रूप से संविधान के अनुच्छेद 311 के अनुबंधों के द्वारा शासित होते हैं । अत: इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत सरकार की औद्योगिक स्थापनाओं और उन स्थापनाओं में पदों और ग्रेडों पर भी यह आरक्षण योजना लागू होती है । अत: इस विभाग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी विभिन्न अनुदेश आवश्यक परिवर्तन सहित इन पदों/ग्रेडों पर भी लागू होते हैं ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 25 फरवरी, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/7/75-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—पदोन्नति से भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—उन ग्रेडों या सेवाओं में आरक्षण लागू किया जाना जहां सीधी भर्ती का प्रतिशत 66.2/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है ।

पदोन्नति से भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की विद्यमान योजना को उन ग्रेडों या सेवाओं पर लागू करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है, जिन में सीधी भर्ती का प्रतिशत 66⅔ प्रतिशत (50 प्रतिशत की मौजूदा सीमा की तुलना में) से अधिक नहीं है । विद्यमान आदेशों के अधीन

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का क्रमश: 15 प्रतिशत और 7.1/2 प्रतिशत निम्नलिखित प्रकार से आरक्षित किया गया है :—

(i) ख, ग और घ ग्रुपों (पूर्ववर्ती श्रेणी-II, III और IV) में सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के जरिये पदोन्नति;

(ii) ख, ग और घ ग्रुपों (पूर्ववर्ती श्रेणी-II, III और IV) में और "ख" ग्रुप (श्रेणी-II) से "क" ग्रुप (श्रेणी-I) की निम्नतम दर्जे तक, चयन द्वारा पदोन्नति में; और

(iii) सभी ग्रुपों अर्थात् क, ख, ग और घ ग्रुपों में (पूर्ववर्ती श्रेणी-I, II, III और IV) (इन सभी मामलों में) उपयुक्त होने पर उन ग्रेडों या सेवाओं में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति में/जहां यदि कोई सीधी भर्ती है तो उसका प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

इस संबंध में गृह मंत्रालय (अब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के तारीख 25-3-1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/25/68-स्थापना (एस० सी० टी०), तारीख 27-11-72 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27-2-71-स्थापना (एस०सी०टी०) और तारीख 20-7-74 के, कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/41/73-स्थापना (एस० सी० टी०) के साथ पठित तारीख 11-7-68 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-स्था० (सी०) के 2 क और 2 ख(ख) पैरों में उल्लिखित आदेश देखें। इन आदेशों के आंशिक संशोधन में यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित विद्यमान योजना के अन्तर्गत पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में उन ग्रेडों या सेवाओं पर भी आरक्षणों को लागू किया जाए जहां यदि कोई सीधी भर्ती है तो वह 66.2/3 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

2. उपर्युक्त हिदायतें इन आदेशों के जारी किए जाने की तारीख से लागू होंगी। परन्तु ये हिदायतें उन मामलों में लागू नहीं होंगी जहां संबंधित आदेशों के अधीन पदोन्नति के लिए चयन सूची विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पहले ही तैयार कर ली गयी हो और इन आदेशों के जारी किए जाने की तारीख से पहले उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित करा ली गई हो।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित निर्णय सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 30 अप्रैल, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/2/76-स्थापना (घ)

विषय :—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पदोन्नति के लिए चयन सूची बनाते समय ध्यान में रखी जाने वाली रिक्तियां ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने 1971-73 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 73

"केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों की यह प्रवृत्ति है कि वे आरक्षण आदेशों को लागू करते समय लम्बी अवधि और अल्प अवधि के पदों का इकट्ठा पूल बना देते हैं । इसके परिणामस्वरूप संयुक्त चयन सूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को सबसे नीचे रखा जाता है और इस प्रकार पदोन्नति के आधार पर उनकी नियुक्ति केवल तदर्थ या अस्थायी आधार पर होती है और उनकी नियमित अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति नहीं हो पाती । एक ऐसे मामले की सूचना मिली थी और उसके बारे में फरवरी, 1970 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच पत्राचार हो रहा है और इसका अभी तक कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला । इसलिए केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में संबद्ध प्राधिकारियों को इस बारे में अपनाई जाने वाली सही प्रक्रिया बताते हुए उचित स्पष्टीकरण जारी करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है ।"

2. उपर्युक्त सिफारिश पर विचार किया गया है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदोन्नति से संबंधित रिक्तियों के आरक्षणों के अनुदेश केवल नियमित रिक्तियों पर लागू होते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि पदोन्नति के लिए चयन सूची यथासंभव रिक्तियों का ठीक-ठीक सावधानीपूर्वक अनुमान लगाने के बाद बनाई जाए । इस प्रयोजन के लिए बिल्कुल अल्पकालिक रिक्तियों को न तो हिसाब में लिया जाए और न ही अप्रत्याशित रिक्तियों की कमी को पूरा करने के लिए उसमें कोई

वृद्धि की जाए । इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रिक्तियों की संख्या अनावश्यक रूप से घटाई न जाए और चयन सूची में रिक्तियों की संख्या अपेक्षित रिक्तियों की संख्या से कम न हो क्योंकि ऐसा करने से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रोजगार के अवसरों पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा । रिक्तियों की संख्या निश्चित करते समय, मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्याग पत्र और पदधारी की एक पद/ग्रेड से उच्च पद/ग्रेड में दीर्घकालिक पदोन्नति के कारण होने वाली सभी स्पष्ट रिक्तियों और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भी हिसाब में लगाया जाए ।

3. जहां तक प्रतिनियुक्ति के कारण होने वाली रिक्तियों का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय के तारीख 8 जून, 1967 के का० ज्ञा० संख्या 2/4/67-स्था० (घ) में उल्लिखित उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि तीन वर्ष से अधिक अवधि की प्रतिनियुक्ति के कारण होने वाली रिक्तियां ही भर्ती के रोस्टर में दर्ज की जाएं । लेकिन यह व्यवस्था पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करने के संदर्भ से बिल्कुल संबंधित नहीं है, क्योंकि विचाराधीन कार्यालय ज्ञापन का प्रयोजन मुख्य रूप से यह देखना है कि अल्पावधि की प्रतिनियुक्ति संबंधी रिक्तियों में सीधे भर्ती न की जाए । इसलिए पदोन्नति के लिए चयन सूची बनाने के लिए और उसमें पिछले पैरा में उल्लिखित परिस्थितियों के कारण होने वाली सभी नियमित रिक्तियों के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की योजना के अनुसार रिक्तियों का आरक्षण करने के लिए एक वर्ष से अधिक अवधि वाली प्रतिनियुक्ति के कारण होने वाली रिक्तियों को भी हिसाब में लगाया जाए । लेकिन जिन व्यक्तियों के संवर्ग में वापस आने की संभावना हो और उनके लिए व्यवस्था करनी हो उनकी संख्या के बारे में एक टिप्पणी भी दे दी जाए ।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेश उनके अधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में लाए जाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 15 जुलाई, 1976 का० ज्ञा० सं० 15034/2/76-स्था० (घ)

विषय :—तदर्थ पदोन्नतियां—यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि केवल असाधारण परिस्थितियों में की जाती हैं और इन्हें अनावश्यक रूप से लम्बी अवधि तक जारी नहीं रखा जाता हैं ।

इस विभाग के नोटिस में ऐसे उदाहरण आए हैं जहां मंत्रालयों/विभागों में विशिष्ट ग्रेड में लम्बी अवधि के लिए नियमित रिक्तियों पर अधिक संख्या में तदर्थ

पदोन्नतियां इसलिए की गई थी क्योंकि या तो अदालतों में मामले विचाराधीन पड़े हुए थे और या विभाग में वरिष्ठता संबंधी विवाद के मामलों का समाधान नहीं हुआ था। जैसा कि सभी मंत्रालयों/विभागों को पता है अल्पकालीन रिक्तियों पर ही तदर्थ पदोन्नतियों/नियुक्तियों का सहारा लिए जाने से वैध व्यक्तियों को अपनी पदोन्नति से लम्बी अवधि तक वंचित रहना पड़ता है तथा तदर्थ आधार पर पदोन्नति व्यक्ति काफी देर तक उस पद पर बने रहने से उनका निहित स्वार्थ उत्पन्न होने की प्रवृत्ति आ जाती है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि यदि नियमित पैनल तैयार करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो उसे उच्च स्तरों पर की गई ऐसी अन्तर विभागीय बैठकों में ही छांट लिया जाए और आवश्यकता होने पर संघ लोक सेवा आयोग को भी सम्बध्द किया जा सकता है। जहां न्यायालयों में मामले विचाराधीन पड़े हुए हैं वहां प्रशासी मंत्रालय न्यायालयों में मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रयत्न करें। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय किये जाने चाहिए कि यथासंभव अल्पावधि की रिक्तियों को छोड़ कर, शेष रिक्तियों में तदर्थ नियुक्तियां बिल्कुल नहीं की जाए।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 6 अक्तूबर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/75-स्था०(एस०सी०टी०)

विषय:—पदोन्नति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का अधिक्रमण—मंत्री और अन्य प्राधिकारियों को मामले पेश करना/रिपोर्ट करना—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति की सिफारिश।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है (सिफारिश संख्या 26) कि जहां तक पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का संबंध है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के अधिक्रमण के सभी मामले रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के प्रस्तावों की जांच करने के लिए गठित किए जाने वाले अर्ध-न्यायिक अधिकरण को भेजे जाएं। सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है। सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आरक्षण समाप्त करने के प्रस्तावों की जांच करने या पदोन्नति

में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के अधिक्रमण के मामलों पर विचार करने के लिए एक अर्ध-न्यायिक अधिकरण का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिफारिश को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि चयन के मामले में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवारों के दावों पर उचित विचार किया गया है । तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में (चयन द्वारा या उपयुक्तता के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर) जहां भी आरक्षण संबंधी आदेश प्रयुक्त हो, ऐसे मामलों में जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उम्मीदवार यद्यपि उपलब्ध हैं, आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त न किए गए हों/चुने न गए हों, वहां निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई जाए :—

(i) समूह "क" पर और समूह "क" के भीतर पदोन्नति में—इस प्रकार के मामले यथा स्थित संबंधित मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को प्रस्तुत किए जाएं ।

(ii) समूह "ख" पर और समूह "ख" के भीतर पदोन्नतियों में—ऐसे मामले चयन-सूची को अन्तिम रूप देने के एक माह के भीतर, यथास्थिति, संबंधित मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री को रिपोर्ट किए जाएं ।

(iii) समूह "ग" और "घ" पर तथा उनमें पदोन्नति में—यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष के स्तर से नीचे के स्तर का हो तो ऐसे मामलों की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाए और जहां विभागाध्यक्ष स्वयं नियुक्ति प्राधिकारी हो, वहां उन मामलों की रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भेजी जाए ।

टिप्पणी :—आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण, यथास्थिति, चयन/वरिष्ठता व उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षणों से संबंधित उचित आदेशों के अनुसार किया जाए ।

2. समूह "क" के भीतर जिन पदों का अधिकतम वेतन 2250/- रु० या उससे कम है, उन पर जहां तक चयन द्वारा पदोन्नति का संबंध है और जहां कोई आरक्षण नही है, लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी पर्याप्त वरिष्ठ होने के कारण पदोन्नति के विचार क्षेत्र में जाते हैं और जितनी रिक्तियों की प्रवरण सूची बनायी जानी है, उसमें उनका नाम आता है तो उन्हें भी, उस सूची में शामिल किया जाएगा बशर्ते कि

उन्हें तारीख 23-12-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/10/74-स्था०(एस०सी०टी०) के साथ पठित तारीख 26-3-1970 के का०ज्ञा० संख्या 1/9/69-स्था०(एस०सी०टी०) द्वारा पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न माना गया हो । यदि किसी मामले में अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र उम्मीदवार उन रिक्तियों की संख्या के अन्तर्गत वरिष्ठता सूची उपलब्ध है, जिनके लिए प्रवरण सूची तैयार की गई है, लेकिन वे चुने नहीं जाते हैं तो उन मामलों को यथास्थिति संबंधित मंत्री/राज्यमंत्री/उप-मंत्री को प्रस्तुत किया जाए ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त कार्यविधि को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 30-7-77 का का०ज्ञा० संख्या 22011/4/77-स्थापना (घ)

विषय :—जिन मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफों में रखे जाते हैं उनके बारे में अपनाई जाने वाली कार्यविधि ।

मंत्रालयों/विभागों का ध्यान गृह मंत्रालय के 31 अगस्त, 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 39/3/59-स्था० (क) में दिए गए अनुदेश की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था है कि जिन व्यक्तियों के मामलों में, विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफों में रखे जाते हैं क्योंकि वे मुअत्तिल कर दिए गए है या उनके विरूद्ध सतर्कता जांच हो रही है, उनके लिए रिक्ति आरक्षित रखी जाए, और विभागीय कार्यवाही पूरी होने तक उसे स्थानापन्न आधार पर भर लिया जाए । यदि इस अधिकारी को पूर्णत: दोषमुक्त कर दिया गया है और उसके विरूद्ध लगाए गए आरोप पूरी तरह गलत सिद्ध हो गए हैं तो बाद में उसकी पदोन्नति उस रिक्ति पर कर दी जाए जो स्थानापन्न आधार पर भरी गई थी और उसके लिए आरक्षित थी ।

2. इस विभाग का यह अनुभव रहा है कि बहुत से मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार किए गए पैनलों (सूचियों) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का सबसे नीचे स्थान होता है, जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही के कारण किसी अधिकारी के बारे में विभागीय पदोन्नति समिति के निष्कर्ष सीलबन्द लिफाफे में रख दिए जाते हैं । यदि उस अधिकारी को पूर्णत: दोषमुक्त कर दिया जाता है तो संबंधित ग्रेड के सबसे कनिष्ठ स्थानापन्न अधिकारी का प्रत्यावर्तन करके उसकी सीधी पदोन्नति कर दी जाती है । ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सामान्यत: प्रत्यावर्तन किया जाता

है, क्योंकि उनका पेनल में सबसे नीचे स्थान होता है । इससे पेनल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व पर बुरा असर पड़ता है । यदि उस अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही न चल रही हो तो, वह पेनल में शामिल कर लिया जाता और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी भी पदोन्नति के लिए आरक्षण उपलब्ध होने के कारण पेनल में स्थान पा जाता । इस प्रकार वर्तमान अनुदेशों के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और पेनल में अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय का आरक्षण अनियमित हो जाता है ।

3. इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह निर्णय किया गया है कि जहां भी ऐसा प्रत्यावर्तन आवश्यक हो, प्रत्यावर्तन इस तरीके से किए जाएं कि चयन सूची में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की कुल संख्या कम न हो ।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखें और मार्गदर्शन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों के नोटिस में लाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 20-4-78 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/8/76-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—तदर्थ पदोन्नतियां—यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता कि तदर्थ पदोन्नतियां केवल न्यूनतम अवधि के लिए ही की जाती हैं और उन्हें लम्बी अवधि तक जारी नहीं रखा जाता ।

मुझे इस विभाग के तारीख 15-7-1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15034/2/76-स्थापना (घ) में दिए गए अनुदेशों की ओर ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिनमें यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि लम्बी अवधि के आधार पर तदर्थ पदोन्नतियों/नियुक्तियों का सहारा लिए जाने से वैध व्यक्तियों को अपनी पदोन्नति से लम्बी अवधि तक वंचित रहना पड़ता है तथा तदर्थ पदोन्नत व्यक्तियों में चलते रहने के लिए निहित स्वार्थ उत्पन्न होने की प्रवृत्ति होती है इसलिए यह देखे जाने की आवश्यकता है, कि यदि नियमित पैनल तैयार करने में कोई कठिनाइयां हों, तो उन्हें उचित स्तरों पर की गई ऐसी अन्तर विभागीय बैठकों में ही छाँट लिया जाए जिसमें आवश्यक होने पर संघ

लोक सेवा आयोग को भी सम्बद्ध किया जा सकता है । यह भी उल्लेख किया गया था कि जहां मामले न्यायालयों में अनिर्णीत हैं तो प्रशासी मंत्रालय मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयों में प्रयत्न करें । इसके अतिरिक्त इस बात पर भी जोर दिया गया था कि यह सुनिश्चित किए जाने के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए कि जहां तक संभव हो, अल्प अवधि की रिक्तियों को छोड़कर, तदर्थ नियुक्तियां बिल्कुल नहीं की जाएं । उपर्युक्त अनुदेशों को मंत्रालयों/विभागों की सूचना में पुनः लाया जाता है तथा उनसे अनुरोध है कि वे यह ध्यान रखें कि लम्बी अवधि की रिक्तियों में विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों के क्षेत्राधिकार के भीतर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में भर्ती नियमों के अनुसार केवल नियमित नियुक्तियां ही की जाएं । यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए कि जहां तदर्थ नियुक्तियां अनिवार्य हों, उन्हें केवल न्यूनतम संख्या में रखा जाए और लम्बी अवधियों तक जारी न रखा जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 16 अप्रैल, 1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/7/78-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—तदर्थ पदोन्नतियां—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के मामलों पर विचार ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 15 जुलाई, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15034/2/76-स्थापना (घ) तथा दिनांक 20-4-1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/8/76-स्था० (अनु०जा०) में जारी किए गए अनुदेशों का हवाला देने का निदेश हुआ है कि जिनमें मंत्रालयों/विभागों से यह देखने का अनुरोध किया गया था कि दीर्घकालीन रिक्तियों पर विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों के अधिकार क्षेत्र के भीतर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर, केवल नियमित पदोन्नतियां ही भर्ती नियमों के अनुसार की जाएं । इस बात पर भी बल दिया गया था कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं कि जहां कहीं तदर्थ पदोन्नतियां अनिवार्य हैं तो उन्हें नितान्त कम से कम संख्या में रखा जाता है और वे पदोन्नतियां लम्बी अवधि तक जारी नहीं रहतीं ।

2. सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती के मामले में कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में उच्चधिकार समिति की 20-10-1978 को हुई बैठक में तदर्थ पदोन्नतियों में आरक्षण के प्रश्न पर

आगे विचार किया गया था जबकि समिति ने यह टिप्पणी की थी कि कभी-कभी तदर्थ पदोन्नतियां एक वर्ष से अधिक समय तक भी बनी रहती हैं तथा कुछ मामलों में भर्ती नियमों के तैयार न किए जाने के कारण ऐसा होता है, तो भी समिति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि भर्ती नियमों के तैयार करने में होने वाली देरी को समाप्त किया जाए । समिति ने आगे यह भी टिप्पणी की थी कि साधारणतया कोई तदर्थ पदोन्नति न की जाए और यदि तदर्थ पदोन्नतियां की जाती हैं तो उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के दावों पर भी विचार किया जाए यद्यपि उनके लिए औपचारिक आरक्षण नहीं किए जा सकते । इस संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 22-12-1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14017/17/78-स्था०(आर०आर०) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अधीन तदर्थ नियुक्तियां रोकने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है । जबकि यह आशा की जाती है कि इन अनुदेशों का पालन करने में तदर्थ पदोन्नतियों के मामलों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा किन्तु कतिपय बहुत ही आपवादिक मामलों में फिर भी ऐसी पदोन्नति का सहारा लेना आवश्यक हो सकता है । ऐसी परिस्थितियों में जहां तदर्थ पदोन्नतियां लोक हित में अनिवार्य हो जाएं तो उक्त क्षेत्र में अन्य पात्र अधिकारियों के दावों के साथ ही अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र अधिकारियों के दावों पर भी यथोचित विचार किया जाए हालांकि तदर्थ पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई औपचारिक आरक्षण नहीं होगा ।

सभी मंत्रालयों/विभागों को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 24-12-1980 का का० ज्ञा० संख्या 22011/3/76-स्था० (घ)

विषय :—"चयन" पदों पर पदोन्नति के सिद्धांत ।

चयन के आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए पैनल तैयार करते समय विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर बहुत से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं । उठाए गए बहुत से मुद्दे इस प्रकार हैं :—

(1) विचार के क्षेत्र के निर्धारण के मामले में स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के अभाव में विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियों के बीच कार्यविधि में एकरूपता की कमी रह जाती है ।

(2) जैसा कि आवश्यक है बहुत से मामलों में विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित नहीं की जाती हैं हालांकि रिक्तियां होती हैं ।

जिसके परिणामस्वरूप बहुत सी रिक्तियां एकत्र हो जाती हैं, जो चुनाव के क्षेत्र को कड़ा बना देती है तथा अधिक्रमण के कारण, उच्च ग्रेड में सापेक्ष वरिष्ठता की स्थिति में गड़बड़ी पैदा कर देती है ।

(3) बहुत से मामलों में कुछ वरिष्ठ अधिकारी पदोन्नति के पैनल में शामिल होते हुए भी अपने मूल विभाग से दूर होने के कारण पदोन्नति नहीं ले पाते और साथ ही वे एक के लिए एक सूत्र के लागू होने के कारण, अथवा इस तथ्य के कारण कि वे पैनल में सब से कनिष्ठ हैं और पैनल में उनसे नीचे कोई कनिष्ठ अधिकारी नहीं है नेक्स्ट बिलो रूल के अधीन प्रोफार्मा प्रमोशन के लिए भी पात्र नहीं होते हैं और इसका यह परिणाम हुआ है कि अगली विभागीय पदोन्नति समिति को उन पर पुनर्विचार करना पड़ता है । इससे उन्हें वरिष्ठता की हानि उठानी पड़ी है ।

(4) जब पहले बनाया गया कोई पैनल अभी लागू हो और कुछेक मामलों में भर्ती नियमों में संशोधन कर दिए जाते हैं और इसलिए क्या इस संशोधन के बाद भी यह पैनल लागू रह सकता है ।

2. उपर्युक्त सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और निम्नलिखित अनुदेश सभी मंत्रालयों के मार्गनिर्देशन के लिए जारी किए जाते हैं ।

3. **चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति के लिए विचार का क्षेत्र**

गृह मंत्रालय (अब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के दिनांक 16-5-57 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/55-आर०पी०एस० की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें पदोन्नति के लिए कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं । इन सिद्धांतों के लागू होते हुए यह देखा गया है कि छाँट के क्षेत्र की स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाओं के अभाव में विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में एकरूपता की कमी रही है । इसी प्रकार यह महसूस किया गया है कि छाँट का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण अधिक अधिक्रमण होने की गुंजाइश हो सकती है । विभागीय पदोन्नति समितियों की फिर से प्रति वर्ष बैठकें बुलाए जाने के लिए सरकार के बार-बार अनुदेशों के बावजूद भी, विलम्ब के कुछ मामले हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप रिक्तियां एकत्रित हो गई हैं । इससे छाँट का क्षेत्र और भी अधिक बढ़ेगा और उन स्थितियों से उच्च पदों में सापेक्ष वरिष्ठता की स्थिति अस्त-व्यस्त हो जाएगी जो यदि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उचित समय पर हो गई होती तो इस हद तक नहीं पहुंचती । इन बातों को ध्यान

में रखते हुए इस विभाग के दिनांक 16-5-57 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/55-आर०पी०एस० का अधिक्रमण और इससे सम्बद्ध अन्य सभी ज्ञापनों जिनका इस मामले के निपटाने में कोई आधार है, करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया गया है :—

(क) विभागीय पदोन्नति समिति (वि०प०स०) ऐसे अधिकारियों की संख्या नियत करने के प्रयोजन के लिए जिन पर फीडर ग्रेड (ग्रेडों) में उन पात्र अधिकारियों में से विचार किया जाना चाहिए वर्ष में भरी जाने वाली प्रस्तावित स्पष्ट नियमित रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में, छाँट के क्षेत्र को निम्न प्रकार सीमित करेगा :

रिक्तियों की संख्या	ऐसे अधिकारियों की संख्या जिन पर विचार किया जाना है
(1)	(2)
1	5
2	8
3	10
4 या उससे अधिक	रिक्तियों की संख्या की तीन गुनी

(ख) फिर भी, जहां फीडर ग्रेड (ग्रेडों) में पात्र अधिकारियों की संख्या, उपर्युक्त कालम (2) की संख्या से कम है, वहां इस प्रकार पात्र हुए सभी अधिकारियों पर विचार किया जाना चाहिए ।

(ग) जहां उपर्युक्त चुनाव के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होती है, वहां छाँट के क्षेत्र को रिक्तियों की संख्या के पांच गुने तक बढ़ाया जा सकता है और चुनाव के बढ़ाए हुए क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के (न कि किसी अन्य के) संबंध में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर विचार किया जाना चाहिए । किन्तु, उपर्युक्त उप-पैराग्राफ के अधीन छाँट के बढ़ाए गए क्षेत्र में से पदोन्नति के लिए चुने गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों

के अधिकारियों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर, सामूहिक रूप से छाँट के सामान्य क्षेत्र में से, चयन किए गए अन्य सभी अधिकारियों से नीचे रखा जाएगा ।

4. जहां विभागीय पदोन्नति समितियों की कई वर्षों से बैठक नहीं हुई वहां उनके द्वारा वर्ष-वार सूचियों का बनाया जाना

(क) इस आशय के अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि प्रवर सूचियां बनाने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठक नियमित रूप से वार्षिक अन्तराल पर होनी चाहिए और जब किसी वर्ष में इस प्रकार की बैठक नहीं हुई हो, तब नियुक्ति प्राधिकारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र रिकार्ड करें कि वर्ष के दौरान भरी जाने वाली कोई रिक्तियां नहीं थीं । विभागीय पदोन्नति समितियों की नियमित बैठकों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों को आवधिक सूचना/प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिए ।

(ख) फिर भी, नियंत्रण के बाहर कारणों से उस वर्ष (अथवा वर्षों) की अवधि में रिक्तियों के उत्पन्न होने पर भी, जब किसी वर्ष/वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो सकी हो, तब उसके बाद होने वाली पहली विभागीय पदोन्नति समिति की निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए :—

(i) तत्काल पिछले वर्ष/वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उत्पन्न नियमित रिक्तियों की वास्तविक संख्या का तथा चालू वर्ष के दौरान भरी जाने वाली प्रस्तावित नियमित रिक्तियों की वास्तविक संख्या का निर्धारण करना ।

(ii) प्रत्येक वर्ष के संबंध में केवल उन्हीं अधिकारियों पर विचार किया जाना चाहिए जो कि सबसे पहले वर्ष से प्रारंभ होकर, प्रत्येक वर्ष की रिक्तियों के संदर्भ में चयन के क्षेत्र में आते हों ।

(iii) सबसे पहले वर्ष से प्रारम्भ करके प्रत्येक वर्ष के लिए एक-एक "प्रवर सूची" बनाना ।

(iv) पहले वर्ष की प्रवर सूची को ऊपर रखते हुए उसके बाद के वर्ष की प्रवर सूची तथा इसी प्रकार अगले वर्षों की सूची की समेकित "प्रवर सूची" बनाना ।

उदाहरण :—विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 1980 में बैठक होती है । वर्ष 1978 तथा 1979 में रिक्तियों की संख्या क्रमशः 8 और 7 थी । वर्ष 1980 के दौरान 9 और रिक्तियों को भी भरने का प्रस्ताव है । पात्र अधिकारियों की संख्या 100 है ।

वर्ष 1978 के लिए पैनल

रिक्तियों की संख्या	8
छांट क्षेत्र	24
लिए जाने वाले अधिकारी	1 से 24 तक
विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्गीकृत किए गए	क्रम संख्या 20 "उत्कृष्ट", तथा क्रम संख्या 7 और 15 "उपयुक्त नहीं" तथा बाकी "बहुत अच्छा"।
पैनल सूची इस प्रकार होगी	क्रम संख्या 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

वर्ष 1979 के लिए पैनल

रिक्तियों की संख्या 7, छांट का क्षेत्र 21, इनमें क्रम संख्या 7, 9 से 19, 21 से 29 (कुल-21) अधिकारी सम्मिलित हैं। विभागीय एदोन्नति समिति ने क्रम संख्या 7 को अभी उपयुक्त नहीं पाया तथा बाकी को "बहुत अच्छा" वर्गीकृत किया गया। पैनल में क्रम संख्या 9 से 15 तक के अधिकारी सम्मिलित होंगे।

1980 के लिए पैनल

रिक्तियों की संख्या 9 छांट का क्षेत्र 27 इनमें क्रम संख्या 7, 16 से 19 तथा 21 से 42 तक सम्मिलित होंगी। क्रम संख्या 40 को "बहुत अच्छा" तथा अन्यों को "अच्छा" वर्गीकृत किया जाता है।

समेकित प्रवर सूची

क्रम संख्याएं 20, 1 से 6, 8, 9 से 15, 40, 7, 16 से 19 तथा 21 से 23 तक।

(ग) जैसा कि उपर्युक्त खण्ड (ख) में निर्धारित किया गया है, किन्हीं पिछले वर्षों की सूची में शामिल किए जाने पर विचार किए जाने के लिए अधिकारियों की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए अधिकारियों का सेवा रिकार्ड केवल उसी रिकार्ड तक सीमित रखा जाना चाहिए, जो कि विभागीय पदोन्नति समिति को उसकी समुचित समय पर होने वाली बैठक के लिए उपलब्ध होता, जैसाकि वर्ष 1978 की रिक्तियों से संबंधित सूची बनाने के लिए केवल वर्ष 1978 तक के, न कि उसके बाद के अधिकारियों के सेवा रिकार्ड पर ही विचार किया जाना चाहिए। किन्तु, यदि वास्तविक

विभागीय पदोन्नति समिति की तारीख को (दृष्टांत में 1980) विभागीय कार्यवाहियां जारी हों और विद्यमान अनुदेशों के अधीन मुहरबन्द लिफाफा-प्रक्रिया का पालन किया जाना हो, तो ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए, भले ही उस वर्ष में ऐसी किसी कार्यवाही का अस्तित्व न हो, जिस वर्ष से उक्त रिक्ति का संबंध है, अर्थात् यदि दृष्टांत में, 1978 की किसी रिक्ति के लिए पैनल में शामिल किए गए अधिकारी संख्या 6 के संबंध में, चाहे प्रशासनिक कार्यवाहियां केवल 1980 (विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पूर्व) में ही शुरू की गई थीं, तो भी उसका नाम, कार्यवाहियों को अन्तिम रूप दिए जाने तक, मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाना है ।

(घ) हालांकि पदोन्नति समेकित प्रवर-सूची में दिए गए क्रम के अनुसार की जाएगी, फिर भी, ऐसी पदोन्नति उन मामलों में भी जहां रिक्ति किसी पूर्व-वर्ष से संबंधित है, केवल भविष्यलक्षी प्रभाव से ही लागू होगी ।

5. **विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसे अधिकारियों के मामलों पर विचार किया जाना जो बाहर प्रतिनियुक्ति पर हों और जिन्हें पहले ही विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पैनल में शामिल कर लिया गया हो लेकिन नेवस्ट बिलो रूल के अधीन लाभ के पात्र न हों ।**

इस विभाग के दिनांक 16 मई, 1957 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/55-आर०पी०एस० के अधीन पदोन्नति के प्रयोजन हेतु तैयार की गई प्रवर-सूची की समय-समय पर पुनरीक्षा होनी चाहिए और उन अधिकारियों के नाम जो पहले ही पदोन्नत हो चुके हों (किसी स्थानीय अथवा पूर्णत: अस्थायी आधार पर पदोन्नत अधिकारियों के अतिरिक्त) और स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हों, उन्हें पदोन्नत किया गया मानते हुए, सूची से हटा लिया जाना चाहिए और बाकी बचे हुए नामों और साथ में अन्य नामों, जिन्हें अब चयन के क्षेत्र में शामिल किया जाना है, पर उत्तरवर्ती अवधि के लिए प्रवर-सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाना चाहिए । इस विभाग के दिनांक 11-10-66 के का०ज्ञा० संख्या 1/25/65-स्थापना (घ) में पुन: यह निर्धारित किया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई प्रवर-सूची सामान्यत: केवल एक वर्ष तक ही लागू रहेगी और वह हर हालत में 18 महीनों के बाद अथवा जब तक नई सूची तैयार कर ली जाएगी, इनमें जो भी पहले हो, रद्द हो जाएगी ।

इन परिपत्रों का यह प्रभाव होगा कि पैनल में सम्मिलित किए गए ऐसे प्रत्येक अधिकारी पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी, जो पहले वाले पैनल की वैधता समाप्त होने के समय अथवा नई विभागीय पदोन्नति समिति के समय किसी नियमित पदोन्नति वाले पद पर कार्य न कर रहा हो, और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ऐसे

प्रत्येक अधिकारी पर इस तरह से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी जो इन निर्णायक तिथियों पर ऐसे किसी नियमित पद पर कार्य करता है ।

इस विभाग के दिनांक 30-12-1976 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/6/75-स्थापना (घ) के पैरा पांच (5) में यह निर्धारित किया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति को उन सभी अधिकारियों के दावों पर विचार करना चाहिए जो लोकहित में अथवा स्वेच्छा से प्रतिनियुक्ति पद अथवा विदेश सेवा में गए हुए हों । इस प्रकार संबंधित विभाग में पदों पर कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ इन व्यक्तियों के नामों पर भी उनके सेवा रिकार्डों के आधार पर पैनल में शामिल करने के लिए विचार किया जाएगा । किन्तु, दिनांक 30-12-1976 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा दस (10) में यह परिकल्पना की गई है कि ऐसे अधिकारियों को, जो लोकहित में प्रतिनियुक्ति/बाहय सेवा पर गए थे, इस बात की सुरक्षा होनी चाहिए कि अस्थायी तौर पर उच्चतर ग्रेड में अपनी वरिष्ठता से वंचित अधिकारी अपने संवर्ग में वापस आने पर, उसे पुनः प्राप्त कर लें । उन अन्य अधिकारियों के मामले में, इस तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है जो स्वेच्छा से संवर्ग-बाहय पदों पर गए हों, और उनके संबंध में पदोन्नति के लिए केवल तभी विचार किया जा सकता है, जबकि वे अपने मूल संवर्ग में वापस आ जाएं ।

इस विभाग के दिनांक 11 अक्तूबर, 1966 और 16 मई, 1967 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के लागू किए जाने से लोकहित में प्रतिनियुक्ति अथवा विदेश सेवा आदि पर जा रहे व्यक्तियों के मामले में, उच्चतर ग्रेडों में उनकी वरिष्ठता को सुरक्षित रखने के मामले में कतिपय असंगतियाँ उत्पन्न हो गई हैं । इससे उन अधिकारियों की पैनल वरिष्ठता को सुरक्षित रखने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी, जिन्हें प्रतिनियुक्ति/बाहय सेवा में रहते हुए, उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति की तारीखों के संदर्भ में नेक्स्ट बिलो रूल के अधीन प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाती है । अन्य मामलों में, जहां बाहर वाले अधिकारियों की संख्या उन कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या से अधिक हो जिन्हें संवर्ग के भीतर ही पदोन्नति दी जाती हो तो नेक्स्ट बिलो रूल निर्देशक सिद्धांतों के अधीन एक के लिए एक की तत्समानी शर्त को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट बिलो रूल के अधीन ऐसे सभी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रोफार्मा पदोन्नति नहीं दी जानी चाहिए ।

इसका यह परिणाम होगा कि ऐसे अधिकारी जो पैनल में उच्चतर रैंक में हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर गए हुए हैं और जिन्हें नेक्स्ट बिलो रूल नहीं दिया जा सका, वे निम्नतर पदों पर ही कार्यरत दिखाए जाते रहेंगे, जबकि विभाग के भीतर के कनिष्ठ

अधिकारियों को उच्चतर पदों पर दिखाया जाता रहेगा । किसी ऐसे मामले में, जहां यह स्थिति पैनल की विधिमान्य अवधि के बाद अथवा नई विभागीय पदोन्नति समिति के समय तक भी बनी रहती है तो वहां नई विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों पर विचार किया जाना आवश्यक नहीं होगा, जबकि विभागीय पदोन्नति समिति को ऐसे वरिष्ठ अधिकारी पर विचार करना होगा जिसे किसी निम्नतर पद पर दिखाया गया है और वास्तव में नेक्स्ट बिलो रूल के अन्तर्गत भी किसी उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं कर रहा है ।

ऐसी विसंगतिपूर्ण स्थिति से बचने के लिए यह निर्णय किया गया है कि इस विभाग के दिनांक 30 दिसम्बर, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/6/75-स्था० (घ) के पैरा (4) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं :—

"(4) यदि किसी पैनल में, अध्ययन छुट्टी पर गए किसी व्यक्ति सहित, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल है जो लोकहित में प्रतिनियुक्ति अथवा बाह्य सेवा पर गया हुआ है, तो संवर्ग में वापिस लौटने पर उसे उच्चतर ग्रेड में अस्थायी रूप से खोई हुई अपनी वरिष्ठता को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रावधान कर दिया जाना चाहिए । इसलिए उपर्युक्त उप-पैरा 3 के उपबन्ध तथा नीचे दिए गए पैरा XII के प्रावधान होते हुए भी, ऐसे अधिकारियों पर जब वे प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा/अध्ययन छुट्टी पर गए हों, बाद की किसी नई विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उस समय तक पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि पैनल में उनसे कनिष्ठ किसी अधिकारी पर नई विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या उसे नेक्स्ट बिलो रूल के अन्तर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ मिला है अथवा नहीं, विचार किया जाना आवश्यक नहीं होता । संघ लोक सेवा आयोग के सुझाव के अनुसार यही बात पैनल में शामिल किए गए ऐसे अधिकारी पर भी लागू होगी जो यदि प्रतिनियुक्ति पर न गया होता तो पैनल की अवधि के भीतर ही पदोन्नत हो गया होता ।

विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में, स्वेच्छा से किसी संवर्ग बाह्य पद पर गए किसी अधिकारी को, जब वह पदोन्नत होने वाला हो तो तत्काल अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित होना आवश्यक होता है और ऐसा न किए जाने पर, उक्त पैनल से उनका नाम हटा दिया जाएगा । दो वर्ष अथवा बढ़ायी गई अवधि, यदि कोई हो, के पश्चात् अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित होने पर, उसे पैनल के आधार पर उच्चतर ग्रेड में

पदोन्नति के लिए उनका कोई दावा नहीं रहेगा । जब अगला पैनल तैयार किया जाता है तो उन पर अन्य पात्र अधिकारियों के साथ-साथ सामान्य ढंग से विचार किया जाना चाहिए तथा उन्हें उच्चतर ग्रेड में नए पैनल में उनकी स्थिति के अनुसार पदोन्नत किया जाना चाहिए । उस अवस्था में उनकी वरिष्ठता उस नए पैनल में उन्हें दी गई स्थिति के अनुसार निर्धारित की जाएगी जिसके अनुसार उन्हें उच्चतर ग्रेड में पदोन्नत किया गया है । (यदि उस पैनल में अध्ययन छुट्टी पर गए किसी अधिकारी का नाम सम्मिलित है तो अध्ययन छुट्टी से लौटने पर उन्हें उच्चतर पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए । उन्हें भी वरिष्ठता उक्त पैनल में उनकी स्थिति के अनुसार दी जानी चाहिए न कि उनकी पदोन्नति की तारीख के आधार पर ।)" ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 10-11-80 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/12/80-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—श्रेणी II में, श्रेणी II के भीतर और श्रेणी I की निम्नतम सीढ़ी (रंग) तक चयन द्वारा पदोन्नति—"निम्नतम सीढ़ी" (रंग) शब्द का विस्तार और सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 20-7-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/41/73-स्था० (अनु०जा०) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था है कि श्रेणी III से श्रेणी II में, श्रेणी II के भीतर और श्रेणी II से श्रेणी I की निम्नतम सीढ़ी (रंग) अथवा वर्ग में, चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश: 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत आरक्षण होगा । इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कभी-कभी समूह "ख" (रु० 650—1200) से समूह "क" के वरिष्ठ वेतनमान (रु० 1100—1500) अथवा (रु० 1200—1600) में पदोन्नतियां सीधे ही कर दी जाती हैं । यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या इन स्थितियों में दिनांक 20-7-74 के आदेश में प्रयोग की गई अभिव्यक्ति के अन्तर्गत समूह "क" के वरिष्ठ वेतनमान को निम्नतम सीढ़ी (रंग) अथवा वर्ग में लाया जाएगा ।

2. मामले की सावधानीपूर्वक जांच की गई है । यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा-1 में उल्लिखित परिस्थितियों में दिनांक 20-7-74 के आदेश लागू होंगे और जब दोनों ग्रेडों के बीच किसी अन्तवर्ती ग्रेड (रु० 700—1300) को अधिक्रमित करते हुए, समूह "ख" से समूह "क" के वरिष्ठ वेतनमान में सीधी

पदोन्नतियां दी जाएं तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत की दर से दिया जाएगा ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त स्पष्टीकरणों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं । इस आदेश के प्रावधान इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 28-1-82 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36013/6/80-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार का अधिक्रमण—ऐसे मामलों का मंत्री और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत/रिपोर्ट किया जाना—वर्ष 1977-78 की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की सिफारिश ।

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1977-78 की अपनी 25वीं वार्षिक रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

"अनारक्षित रिक्तियों के लिए चयन के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में, विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को किए गए निम्न प्रवर्गीकरण के आधार पर कतिपय मामलों में उन्हें चयन सूची में शामिल न किया जाए । यह पूर्णरूप से महसूस किया जाता है कि अनारक्षित रिक्तियों पर भी चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अधिक्रमण संबंधी सभी मामले संबंधित मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री के समक्ष उनकी पूर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिएं ।"

2. इस संबंध में, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 6-10-76 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/75-स्थापना (अनु०जा०) (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें मंत्रालयों और विभागों से कहा गया था कि वे आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिक्रमण संबंधी मामलों को संबंधित मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष प्रस्तुत किया करें । सरकार ने आयुक्त की उपर्युक्त सिफारिश को स्वीकार करने का

निर्णय किया है । तद्नुसार यह निर्णय किया गया है कि अनारक्षित रिक्तियों पर भी पदोन्नति द्वारा भरे गए पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के अधिक्रमण, दिनांक 6-10-76 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/75-स्थापना (अनु०जा०) के अनुसार, मंत्री/राज्य मंत्री/उपमंत्री, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष रखे जाने चाहिए ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में ला दें ।

का० तथा प्र० सु० विभाग का दिनांक 30 अप्रैल, 1983 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/14/83-स्थापना (अनु०जा०)

विषय :—तदर्थ पदोन्नतियां=अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जाना ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के ता० 16-4-1979 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36021/7/78-स्थापना (अनु०जा०) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें मंत्रालयों तथा विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे तदर्थ आधार पर केवल तभी पदोन्नतियां करें जब यह लोकहित में अत्यंत आवश्यक हो और जब ऐसी पदोन्नतियां लोकहित में अपरिहार्य रूप से की जानी हो तो क्षेत्र में अन्य पात्र अधिकारियों के साथ साथ अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र अधिकारियों के दावों पर भी विधिवत् विचार किया जाना चाहिए यद्यपि ऐसी पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई औपचारिक आरक्षण नहीं था । अनेक मंत्रालयों/विभागों ने ऐसी तदर्थ पदोन्नतियां करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों पर विचार करने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यविधि के बारे में स्पष्टीकरण और इसके लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त, यदि कोई हों, मांगे हैं ।

2. इस बात पर पुन: बल दिया जाता है कि इस विभाग का आधारभूत दृष्टिकोण यह है कि तदर्थ पदोन्नतियों को यदि पूरी तरह समाप्त न भी किया जा सके फिर भी ये कम से कम की जाएं । तथापि यदि आपवादिक परिस्थितियों में ऐसी तदर्थ पदोन्नतियां की जानी हैं, जैसे अदालतों में मामलों के पेंडिंग रहने के दौरान, वरिष्ठता संबंधी लम्बे अर्से तक चलने वाले विवाद; भर्ती नियमों का न बनाया जाना; सीधी भर्ती में या नियुक्ति प्राधिकारियों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से विभागीय पदोन्नति समिति

को बैठक बुलाने में अप्रत्याशित विलम्ब आदि, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र अधिकारियों के दावों पर भी विधिवत् विचार किया जाता है, निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांत अपनाए जाएं :—

मार्गदर्शी सिद्धान्त :

(1) 45 दिन से अधिक की रिक्तियों पर ही तदर्थ पदोन्नतियां किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए ।

(2) ऐसे मामलों में जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेश लागू होते हैं, 45 दिन से अधिक अवधियों की सभी रिक्तियों को आवश्यकीय रूप से उपयुक्त रोस्टर में रखा जाना होता है, इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हिस्से में आने वाली रिक्तियां यदि इन रिक्तियों को नियमित आधार पर भरा जाना है, पहले मालूम की जानी चाहिए ।

3. तदर्थ पदोन्नतियां वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर की जाती हैं इसलिए ऐसी रिक्तियों की जिन पर तदर्थ पदोन्नतियां की जानी है कुल संख्या के भीतर सम्बद्ध वरिष्ठता सूची में आने वाले सभी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों पर ग्रेडेशन सूची के अनुसार सामान्य वरिष्ठता के क्रम में वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के सिद्धान्त पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उन्हें अनुपयुक्त न पाया जाए तो सभी को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए ।

4. यदि वास्तविक रिक्तियों की संख्या की सीमाओं में रहते हुए, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों की संख्या, रिक्त पदों की उस संख्या से कम हो, जो उनके हिस्से में आते थे, यदि रिक्त पद उपर्युक्त (2) के अनुसार, नियमित आधार पर भरे गये थे, तो जितनी संख्या में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त उम्मीदवारों की आवश्यकता थी, उतने उम्मीदवार वरिष्ठता सूची से नीचे के क्रम में चलते हुए मालूम किए जाएं, बशर्ते कि वे पात्र उम्मीदवार हैं, और ऐसी तदर्थ नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाये जाएं । तदर्थ नियुक्ति करने के प्रत्येक अवसर पर इस क्रियाविधि को अपनाया जाना चाहिए ।

5. उन सभी व्यक्तियों के स्थान पर जिनकी तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं, जल्दी से जल्दी नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों को लाया जाए । तदनुसार जब बाद में नियमित नियुक्तियां की जाएं, तब तदर्थ आधार पर नियुक्त हुए व्यक्तियों को वरिष्ठता सूची के ठीक उलटे क्रम से, प्रत्यावर्तित किया जाए । कनिष्ठतम उम्मीदवार को सबसे

पहले प्रत्यावर्तित किया जाए । ऐसा प्रत्यावर्तन करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को कोई विशेष रियायतें न दी जाएं ।

6. ऊपर जो कुछ बताया गया है, उससे स्पष्ट होगा कि तदर्थ पदोन्नतियों के लिए अलग कोई औपचारिक रोस्टर बनाए रखना आवश्यक नहीं है । आरक्षण उटाने, आरक्षण आदि को अग्रेनीत करने की संकल्पना तदर्थ नियुक्तियों के मामले में भी लागू नहीं होगी । तथापि तदर्थ नियुक्तियों का रिकार्ड रखने की सुविधा के लिए और प्रश्नास्पद पदों पर नियमित पदोन्नतियां किये जाने पर प्रत्यावर्तन उचित क्रम में करने को सुनिश्चित करने के लिए उन पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए तदर्थ पदोन्नतियां रजिस्टर नाम से एक साधारण रजिस्टर रखा जाए जिनके लिए तदर्थ नियुक्तियां की जाती हैं ।

7. अन्ततः की जाने वाली नियमित पदोन्नतियों के लिए वौशर में निर्धारित कार्यविधि और अनुदेश लागू रहेंगे ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को कड़ाई से अनुपालन के लिए अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और संबंधित सभी के ध्यान में लाएं ।

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 2-5-1983 का का०ज्ञा० संख्या 36011/13/83-स्थापना (अनु०जा०)

विषय :—चयन पदों में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों पर लागू सिद्धांतों के संबंध में और आगे स्पष्टीकरण ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 24 दिसम्बर, 1980 के का०ज्ञा० संख्या 22011/3/76-स्थापना (घ) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पसंद का क्षेत्र तथा चयन सूची तैयार करने की पद्धति को संशोधित किया गया है । उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो, पसंद के क्षेत्र को रिक्तियों की संख्या से पांच गुना तक बढ़ाया जा सकता है, परन्तु बढ़ाए गए क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन अधिकारियों के मामले पर विचार किया जाये, उन्हें सामूहिक रूप से बिलकुल नीचे रखा जायेगा । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामले में इस आदेशों को लागू किए जाने के बारे में विभिन्न मंत्रालय/विभाग विशेष रूप से इस विभाग के दिनांक 11

जुलाई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-स्थापना (ग) में दिए गए पहले के आदेशों के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं । मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात् निम्न स्पष्टीकरण दिए जाते हैं :—

(क) समूह "ग" तथा "घ" में चयन द्वारा पदोन्नतियों में इस विभाग के दिनांक 11-7-1968 के का० ज्ञा० संख्या 1/12/67-स्थापना (ग) में दिए गए पहले के अनुदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों पर लागू रहेंगे, चूंकि इन आदेशों ने 24-12-1980 के अनुदेशों का अतिक्रमण नहीं किया है । परन्तु वर्षवार रिक्तियों का पता लगाने तथा वर्षवार पैनलों को तैयार करने की जो क्रियाविधि दिनांक 24-12-1980 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग अलग पैनल तैयार करने के लिए भी उसी क्रियाविधि का अनुसरण किया जाएगा ।

(ख) जहां तक समूह "ग" से समूह "ख" में समूह "ख" के भीतर तथा समूह "ख" से समूह "क" के निम्नतम स्तर तक चयन द्वारा पदोन्नति का सम्बन्ध है, दिनांक 24-12-1980 के का० ज्ञा० में निरूपित सिद्धान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों पर इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सराहनीय उम्मीदवारों को, पसन्द के बढ़ाए गए क्षेत्र में भी सामान्य क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अपनी श्रेष्ठ योग्यता के कारण प्राप्त लाभ से वंचित न होना पड़े । अत: यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे सराहनीय उम्मीदवार जो कि पसन्द के बढ़ाए गए क्षेत्र में है तथा चुन लिए जाते हैं, उनके मामले में विभागीय पदोन्नति समिति ने उनका जो क्रम निर्धारित किया है, उसके अनुसार ही उन्हें पैनल में स्थान दिया जाना चाहिए । दिनांक 24-12-1980 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3(ग) को इस सीमा तक संशोधित हुआ समझा जाए ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इसे समुचित कार्रवाई के लिए अन्य मर्मी कार्यालयों में परिचालित कर दिया जाय ।

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 30 सितम्बर, 1983 का का० ज्ञा० संख्या 36011/14/83-स्था० (अनु०जा०)

विषय :—तदर्थ पदोन्नतियां—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया जाना--अतिरिक्त स्पष्टीकरण ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 30-4-1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/14/83-स्था० (अनु०जा०) का हवाला देने का अनुरोध हुआ है । दिनांक 30-4-1983 के उस कार्यालय ज्ञापन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों (3) और (4) के बारे में यह संदेह उत्पन्न हुआ है कि तदर्थ पदोन्नतियों के लिए जिस वरिष्ठता सूची से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का पता लगाया जाना चाहिए, उस सूची की बाहरी सीमा क्या हो ?

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो उम्मीदवार वास्तविक रिक्तियों की संख्या के भीतर हों, उनके मामलों पर वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के सिद्धान्त के आधार पर उनकी सामान्य वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाना चाहिए और यदि उन्हें अनुपयुक्त न पाया जाय तो उन सब को तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए ; तथापि, यदि वास्तविक रिक्तियों की सीमा के भीतर उपयुक्त पाए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या उनके हिस्से में आनेवाली निर्धारित रिक्तियों की संख्या से कम हो तो वरिष्ठता सूची में नीचे जाकर आवश्यक सीमा तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त उम्मीदवारों का पता लगाया जाना चाहिए, किन्तु अतिरिक्त उम्मीदवारों की यह संख्या किसी विशेष अवसर पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के पांच गुने के भीतर होनी चाहिए किन्तु शर्त यह है कि उम्मीदवार निश्चित रूप से पात्र और उपयुक्त हों ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में ला दें ।

अध्याय 10

आरक्षण समाप्त करना

गृह मंत्रालय का तारीख 27-3-63 का कार्या० ज्ञा० सं० 31-10-63—एस० सी० टी० (1) ता० 2-5-63 का सं० 31-10-63—एस० सी० टी० (1) ता० 20-7-65 का सं० 16/1/(1)/65-स्था० (ग) तारीख 20-9-67 का सं० 1-6-67—स्था० (ग) तारीख 13-3-68 का सं० 27-5-68—स्थापना (ग) तारीख 28-1-69 का सं० 8-1-69—स्था० (एस० सी० टी०) तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 11-8-1972 का का० ज्ञा० सं० 16-1-72—स्था० (एस०सी० टी० तारीख 26-4-74 का सं० 16-3-74—स्था० (एस०सी०टी०) तारीख 12-11-75 का का० ज्ञा० सं० 16-27-74 स्थापना (एस०सी०टी०)

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 16-11-79 का का०ज्ञा० सं० 36011/25/79-स्था० (एस० सी०टी०) और तारीख 7-4-81 का का०ज्ञा० सं० 36011/5/81-स्था० (एस०सी०टी०)

10.1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्ति को उस समय तक सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति करके नहीं भरना चाहिए जब तक निर्धारित कार्यविधि के अनुसार उसका आरक्षण समाप्त न कर दिया जाए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ऐसी रिक्तियां जिन्हें स्थायी नियुक्तियों तथा भविष्य में स्थायी होने वाली या अनिश्चित काल तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल किया गया हो, आरक्षण समाप्त करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पूर्वानुमोदन ले लिया जाए। किन्तु मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के बाद कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नियुक्त करने के संबंध में पैरा 8.1 से लेकर पैरा 8.4 में निर्धारित कार्रवाई विधिवत् रूप से कर ली गई है और अभी तक उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त नहीं हुए हैं, रोस्टर में शामिल ऐसी आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त कर सकता है जिन पर केवल अस्थायी नियुक्तियां की जानी हैं और जिनकी भविष्य में स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलने की संभावना नहीं है

10.2 भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों के पदोन्नति द्वारा की जाने वाली भर्ती में निम्नलिखित शर्तों के अधीन आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए स्वीकृति देने के संबंध में शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(1) संगत सेवा/भर्ती नियम/आदेशों में निर्धारित पोषित संवर्ग (संवर्गों) में न तो अनुसूचित जाति का ही और न ही अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार पदोन्नति के लिए उपलब्ध या पात्र हो।

(2) उपयुक्त रूप से निर्धारित प्रपत्र में अनारक्षण के लिए प्रस्ताव की एक प्रति (I) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को तथा (II) इस विभाग को सूचना के लिए तत्काल भेजी जाए ।

(3) अनारक्षण के लिए प्रस्ताव देख लिया है तथा मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारी द्वारा सहमति दे दी गई है ।

(4) अनारक्षण के प्रस्ताव पर सहमति ऐसे अधिकारी द्वारा दी जाए जिसका स्तर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (मूल) में भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी तथा संपर्क अधिकारी के बीच में असहमति होने की अवस्था में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की सलाह ली जानी है ।

अनारक्षण की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को, न कि किसी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय को, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव की एक-एक प्रति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भेजनी होगी । संबंधित मंत्रालय/विभाग को आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने से पहले ऐसे प्रस्ताव भेज देने के बाद कम से कम दो सप्ताह तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा आयुक्त की टिप्पणियों, यदि कोई हो, की प्रतीक्षा करनी होगी ।

का० तथा प्रशा-सनिक सुधार विभाग का तारीख 2-11-79 का का० ज्ञा० संख्या 36011/20/79-स्था० (अनु०ज०)

10.3 संबंधित मंत्रालय/विभाग रोस्टर में शामिल की गई स्थाई नियुक्तियों तथा भविष्य में स्थायी होने वाली या अनिश्चित काल तक चलने वाली ऐसी आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव उचित प्रोफार्मा में कार्मिक और प्रशिक्षण सुधार विभाग को भेजेगा । इसके लिए निम्नलिखित चार प्रोफार्मा निर्धारित हैं (कृपया परिशिष्ट 18 देखें) :—

प्रोफार्मा I(क) : संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए ।

प्रोफार्मा I(ख) : रोजगार कार्यालय इत्यादि के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए ।

प्रोफार्मा II : चयन/वरिष्ठता या उपयुक्तता/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए ।

प्रोफार्मा III : पुष्टिकरण के लिए (केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर) ।

मंत्रालय/विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आरक्षण समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव भेजते समय निम्नलिखित कार्यविधि अपनाएं :—

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 27-3-80 का का०ज्ञा० सं० 36011/20/79-स्था० (एस० सी०टी०) में पुनः दोहराया गया ।

(I) प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र हो कि मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारी को आरक्षण समाप्ति संबंधी जानकारी है और यह कार्रवाई उसकी सहमति से की गई है ।

(II) सम्बध्द/अधीनस्थ कार्यालयों इत्यादि के आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव सीधे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को न भेजे जाएं । ये प्रस्ताव उस प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भेजे जाएं जो इन प्रस्तावों की जांच करेगा । उक्त मंत्रालय/विभाग इस बात की तसल्ली करने के बाद कि इस संबंध में निर्धारित कार्यविधि अपनाई गई है, ये प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजेगा ।

(III) संबंधित मंत्रालय/विभाग आरक्षण समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव की एक प्रति (उचित प्रोफार्मा में) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, ब्लाक सं० 1, स्कन्ध सं० 7, पहली मंजिल, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-22 को पृष्ठांकित करेगा तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में इस तथ्य का उल्लेख करेगा ।

का० और प्र०सु० वि० का ता० 8-5-74 का का० ज्ञा० सं० 16/2/74-स्था० (एस०सी०टी०) ता० 25-9-76 का का० ज्ञा०सं० 36022/18/76-स्था० (एस०सी०टी०) और ता० 19-12-78 का सं० 36013/5/78-स्था० (एस०सी०टी०)

10.4 आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण को तभी तक रोका जा सकता है, जब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों । इस प्रकार मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा किसी रिक्ति को अनारक्षित किए जाने का निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इस विवरणिका के अध्याय 6, 7 और 8 में निर्धारित उपाय कर लिए गए हैं । इसी तरह पदोन्नति में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस विवरणिका के अध्याय 6 और 9 में निर्धारित उपायों का अनुपालन करना होगा. मंत्रालयों/विभागों द्वारा यह तभी किया जाना है जब किसी रिक्ति को अनारक्षित किया जाना आवश्यक हो जाता है । इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी आरक्षित रिक्ति सामान्य समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा तब तक नहीं भरी जा सकती जब तक उस रिक्ति को अनारक्षित न कर दिया जाए ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 22-1-77 का का० ज्ञा० सं० 36011/3/76-स्था० (एस०सी०टी०)

10.5 किसी विशेष भर्ती वर्ष में आरक्षित रिक्तियों में भर्ती के पिछले वर्षों से अग्रेनीत किए गए कुछ आरक्षण भी शामिल हो सकते हैं। अनुसूचित जतियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिलने के मामले में सभी आरक्षित रिक्तियों, जिनमें पिछले वर्षों से अग्रेनीत की जा रही रिक्तियां भी शामिल हैं अनारक्षित की जानी चाहिए तथा बाद के भर्ती वर्षों में अग्रेनीत की जाए।

10.6 पूर्णतः अस्थाई रिक्तियों का अनारक्षण

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 5-2-77 का का० ज्ञा० सं० 36034/16/76-स्था० (एस०सी०टी०)

चूंकि मंत्रालयों तथा विभागों को ऐसी किसी पूर्णतः अस्थायी प्रकृति की आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षण करने की शक्ति प्राप्त है, जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलने की कुछ भी संभावना नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को पैरा 10.3 में निर्दिष्ट यथोचित प्रपत्र में अनारक्षण किए जाने के आवश्यक कारण तथा ब्यौरे के साथ अनारक्षण किए जाने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रति वर्ष पहली जनवरी के बाद जहां तक संभव हो सके, किसी भी मामले में एक अप्रैल से पहले, मंत्रालयों/विभागों तथा उसके सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में परिशिष्ट 12 में दिए गए फार्म में पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल की गई आरक्षित रिक्तियों, जिन्हें पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मंत्रालयों/विभागों ने अपनी शक्तियों के अधीन अनारक्षित कर दिया था, एक समेकित विवरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजना चाहिए।

10.7 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन पदों/सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण समाप्त करना

गृह मंत्रालय का तारीख 20-12-76 का पत्र संख्या यू० 15038/35/76—योजना

प्राधिकारी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नियंत्रणाधीन पदों/सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की शक्तियों का प्रयोग इस संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 20-12-1976 के पत्र संख्या यू० 15038/35/76—योजना में निर्दिष्ट रीति से करेंगे।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 6-1-1981 का पत्र संख्या 36011/15/79--स्था० (एस०सी०टी०)

10.8 कई मंत्रालयों तथा विभागों ने अलग अलग निर्णय लिए हैं कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के मामले में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित नहीं किया जाएगा किन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध होने तक इन रिक्तियों को भरा नहीं जाएगा । यह विधि मंत्रालय की सहमति से निर्णय लिया गया था कि उक्त कार्य आबंटन नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में नीतियां निर्धारित करने के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ही सक्षम है तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों को उनका अनुपालन करना है । यदि अन्य विभाग कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित उक्त नीतियों से भिन्न नीति अपनाते हैं तो कार्य संचालन नियमों के उप नियम (4) की शर्तों के अनुसार उन्हें कार्मिक विभाग से परामर्श करना आवश्यक है अन्यथा कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित नीतियां उनके लिए बाध्यकारी हैं ।

अध्याय 10 में कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियाँ

का०ज्ञा० संख्या 31/10/63—एस०सी०टी० (1)	27-3-63	अध्याय 4 के बाद
का०ज्ञा० संख्या 31/10/63—एस०सी०टी० (1)	2-5-63	अध्याय 4 के बाद
का०ज्ञा० संख्या 16/1/(1)/65—स्था० (ग)	20-7-65	
का०ज्ञा० संख्या 1/6/67—स्था० (ग)	20-9-67	
का०ज्ञा० संख्या 27/5/68—स्था० (ग)	13-3-68	
का०ज्ञा० संख्या 8/1/69—स्था० (एस०सी०टी०)	28-1-69	
का०ज्ञा० संख्या 16/1/72—स्था० (एस०सी०टी०)	11-8-72	
का०ज्ञा० संख्या 16/3/74—स्था० (एस०सी०टी०)	26-4-74	
का०ज्ञा० संख्या 16/2/74—स्था० (एस०सी०टी०)	8-5-74	
का०ज्ञा० संख्या 16/27/74—स्था० (एस०सी०टी०)	12-11-75	
का०ज्ञा० संख्या 28/14/74—स्था० (एस०सी०टी०)	12-7-76	
का०ज्ञा० संख्या 36022/18/76—स्था० (एस०सी०टी०)	25-9-76	
गृह मंत्रालय सं० 15038/35/76—पी०एल०जी०	20-12-76	
का०ज्ञा० संख्या 36034/16/76—स्था० (एस०सी०टी०)	5-2-77	
का०ज्ञा० संख्या 36011/3/76—स्था० (एस०सी०टी०)	22-1-77	
का०ज्ञा० संख्या 36013/5/78—स्था० (एस०सी०टी०)	19-12-78	
का०ज्ञा० संख्या 36011/20/79—स्था० (एस०सी०टी०)	2-11-79	
का०ज्ञा० संख्या 36011/25/79—स्था० (एस०सी०टी०)	16-11-79	
का०ज्ञा० संख्या 36011/27/79—स्था० (एस०सी०टी०)	4-1-80	
का०ज्ञा० संख्या 36011/20/79—स्था० (एस०सी०टी०)	27-3-80	
का०ज्ञा० संख्या 36011/15/79—स्था० (एस०सी०टी०)	6-1-81	
का०ज्ञा० संख्या 36011/5/81—स्था० (एस०सी०टी०)	7-4-81	
का०ज्ञा० संख्या 36013/2/83—स्था० (एस०सी०टी०)	15-3-84	
का०ज्ञा० संख्या 36011/20/84—स्था० (एस०सी०टी०)	26-4-84	

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित, गृह मंत्रालय का तारीख 20 जुलाई, 1965 का का० ज्ञा० संख्या 16(1)/65—स्था० (ग)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—चयन के लिए साक्षात्कार ।

इस मंत्रालय के तारीख पहली अक्तूबर 1963 के का०ज्ञा० संख्या 16/3/63—एस०सी०टी० (1) में मौखिक साक्षात्कारों, कम से कम कनिष्ठ पदों के लिए ऐसे साक्षात्कारों के लिए जाने की पुरानी पद्धति समाप्त करने संबंधी, 1961-62 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट की सिफारिश के बारे में मंत्रालयों के विचार मांगे गए थे । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने 1962-63 की अपनी रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 213 में यह सुझाव दिया था कि मौखिक साक्षात्कारों, कम से कम कनिष्ठ पदों के लिए ऐसे साक्षात्कारों की पद्धति समाप्त करने के लिए पहली रिपोर्टों में दिए गए उसके सुझाव को उचित रूप से व्यवहार में लाया जाए । इस बारे में मंत्रालयों आदि द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को दृष्टि में रखते हुए, इस मंत्रालय ने आयुक्त की सिफारिशों पर ध्यान पूर्वक विचार किया है । स्थिति यह है कि जिन मामलों में समुचित प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती के लिए उनके व्यक्तित्व, मानसिक तत्परता और ऐसे गुणों के निर्धारण की आवश्यकता हो, जिन्हें केवल व्यक्तिगत साक्षात्कारों से ही परखा जा सकता है, वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों सहित किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के मामले में ऐसे साक्षात्कार समाप्त नहीं किए जा सकते, इसलिए जिन मामलों में मौखिक साक्षात्कार चयन के भाग के तौर पर निर्धारित हो, वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए इन साक्षात्कारों का रखना अनिवार्य है । अतएव उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार नहीं की जा सकती, परन्तु यह निर्णय लिया गया है कि जहां चयन के हिस्से के तौर पर साक्षात्कार निर्धारित हों, वहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार यथासंभव अलग समूह में और वरीयतः एक अलग दिन रखा जाए ताकि उनके चयन का निर्णय सामान्य उम्मीदवारों से तुलना करते हुए न किया जाए और इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के का०ज्ञा० संख्या 1/2/61—एस०सी०टी० (1) के साथ जारी की गई विवरणिका के पैरा 19(क) और (ख) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्तरों में ढील देने संबंधी आदेश, साक्षात्कार बोर्डों के ध्यान में स्पष्ट रूप से होने चाहिए ।

2. मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में उपर्युक्त निर्णय लाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 20 सितम्बर, 1967 का का० ज्ञा० सं० 1/6/67—स्थापना (ग)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण—के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की सिफारिश ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को ज्ञात है जब भी इस मंत्रालय के तारीख 27-3-63 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31/10/63—एस० सी० टी० (1) में उल्लिखित स्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में दर्ज अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति को अनारक्षित करना अपेक्षित हो, तो इस मंत्रालय को लिखकर अनारक्षण के लिए उसका पूर्वानुमोदन लेना होगा । परन्तु बिल्कुल अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल उन आरक्षित रिक्तियों को जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बाद स्वयं मंत्रालयों द्वारा अनारक्षित माना जा सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों को भर्ती के लिए इस मंत्रालय के तारीख 27-4-62 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61—एस० सी० टी० (1) के साथ जारी की गई विवरणिका के पैरा 16 में की गई व्यवस्था उपाय के अनुसार कार्रवाई की गई है और ऐसे उम्मीदवार अभी भी उपलब्ध नहीं हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने उपर्युक्त आदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 159

"गृह मंत्रालय को चाहिए कि वह पद के अनारक्षण के बारे में नियुक्ति अधिकारियों द्वारा गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपि इस संगठन को पृष्ठांकित न करने के बारे में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और संविधान में यथापेक्षित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, इस बारे में की गई सिफारिश स्वीकार कर ले । इसके अलावा यह जानकारी, आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट के लिए अपेक्षित है । इसलिए, यह विचारणीय है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अपने कार्यों को समुचित तौर पर निभाने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा मांगी गई जानकारी को देने से गृह मंत्रालय इनकार कर सकता है ।"

इस मंत्रालय में उपर्युक्त सिफारिश पर विचार किया गया है और उसे मंजूर करने का फैसला किया गया है । तदनुसार वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस ज्ञापन के जारी किए जाने की तारीख से, स्थायी नियुक्तियों और स्थायी हो सकने वाली अस्थायी नियुक्तियों या अनिश्चित काल तक चलने वाली नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों के अनारक्षण के लिए इस मंत्रालय को लिखते समय, पत्रादि की एक प्रति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, रामकृष्ण पूरम नई दिल्ली-22 को भी साथ साथ पृष्ठांकित की जाए और इस बारे में, इस मंत्रालय को लिखे गए पत्र में इसका उल्लेख कर दिया जाए । इसलिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के बारे में सभी पत्रादि, स्वत: पूर्ण अशासकीय टिप्पणी या का०ज्ञा० में भेजे जाएं जिससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को मामले के तथ्यों का स्पष्टीकरण मिल सके । इस मंत्रालय द्वारा ऐसे संदर्भों पर लिए गए निर्णय का पता आयुक्त उचित समय पर संबंधित मंत्रालय/विभाग से लगा सकता है ।

2. जब ऐसी पूर्णत: अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों, जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलते रहने की कोई संभावना नहीं है, को इस मंत्रालय के तारीख 27-3-1963 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित आदेशों के अनुसार स्वयं मंत्रालयों द्वारा अनारक्षित किया जाता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त को, अनारक्षण के बारे में सभी ब्यौरे देते हुए तथा ऐसे कारण बताते हुए सूचित किया जाना चाहिए जिसकी वजह से अनारक्षण करने की आवश्यकता हुई है ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वह अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में उपर्युक्त निर्णय लाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 13 मार्च, 1968 का का०ज्ञा० सं० 27/5/68—स्थापना (ग)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण—अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए भूमि के आबंटन और सेवा में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में किए गए उपायों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री एम० आर० यार्दी की अध्यक्षता में स्थापित कार्य दल की सिफारिश संख्या 14 ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के लिए भूमि के आबंटन और उनके उम्मीदवारों के लिए सेवा में प्रतिनिधित्व के बारे में किए गए उपायों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री एम० आर० यार्दी की अध्यक्षता में एक कार्यदल स्थापित किया गया था । कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों में एक सिफारिश नीचे दी गई है :—

सिफारिश संख्या 14

"गैर तकनीकी और तकनीकीवत पदों में अनारक्षण को केवल कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति होनी चाहिए और प्रत्येक ऐसे मामले की सूचना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को दी जाए जिसमें उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए भर्ती करने वाले प्राधिकारियों के प्रयत्नों का भी उल्लेख किया जाए ।"

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को ज्ञात है, इस मंत्रालय के तारीख 20 सितम्बर, 1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/66—स्था० (ग) में पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में यह अपेक्षित है कि वह स्थायी नियुक्तियों और स्थायी होने वाली अस्थायी नियुक्तियों का अनिश्चित काल तक चलने वाली नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के बारे में गृह मंत्रालय को लिखे गए अपने पत्र की एक प्रति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भी भेजेगा । जिन मामलों में मंत्रालय अपने अधिकारों के अनुसार रिक्तियों (अर्थात् स्थायी न होने पर या अनिश्चित काल तक न चलने वाली बिल्कुल अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों) का अनारक्षण कर सकते हैं, वहां उनके लिए आयुक्त को कारण सहित अनारक्षण के पूरे ब्यौरे और उसकी सूचना देना आवश्यक है । उपर्युक्त पैरा I में उल्लिखित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार, तारीख 20 सितम्बर, 1967 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के उपबन्धों के बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । यह अनुरोध है कि गृह मंत्रालय को अनारक्षण के बारे में लिखते समय (जिसकी प्रति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भेजी जानी अपेक्षित है) अनारक्षण के प्रस्ताव के समर्थन में पूरा-पूरा ब्यौरा अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव आदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदक उम्मीदवारों की संख्या, जहां आवश्यक हो वहां साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किए गए प्रयत्न और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपर्युक्त का चयन न होने के सही सही कारण आदि दिए जाएं । मंत्रालय/विभाग उन मामलों में ऐसा ही ब्यौरा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भी भेजेगा, जिनमें मंत्रालय/विभाग रिक्ति आरक्षित करने के लिए स्वयं सक्षम है । गैर-तकनीकी और तकनीकीवत पदों संबंधी आरक्षित रिक्तियों के बारे में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार की भर्ती के लिए यथा-संभव प्रयत्न किए जाएं और ऐसी रिक्तियों के लिए अनारक्षण का प्रस्ताव भी तभी किया जाए जबकि ऐसा करना अनिवार्य हो ।

को मामले के तथ्यों का स्पष्टीकरण मिल सके । इस मंत्रालय द्वारा ऐसे संदर्भों पर लिए गए निर्णय का पता आयुक्त उचित समय पर संबंधित मंत्रालय/विभाग से लगा सकता है ।

2. जब ऐसी पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों, जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलते रहने की कोई संभावना नहीं है, को इस मंत्रालय के तारीख 27-3-1963 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित आदेशों के अनुसार स्वयं मंत्रालयों द्वारा अनारक्षित किया जाता है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त को, अनारक्षण के बारे में सभी ब्यौरे देते हुए तथा ऐसे कारण बताते हुए सूचित किया जाना चाहिए जिसकी वजह से अनारक्षण करने की आवश्यकता हुई है ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वह अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में उपर्युक्त निर्णय लाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 13 मार्च, 1968 का का०ज्ञा० सं० 27/5/68—स्थापना (ग)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण—अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए भूमि के आबंटन और सेवा में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में किए गए उपायों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री एम० आर० यार्दी की अध्यक्षता में स्थापित कार्य दल की सिफारिश संख्या 14 ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के लिए भूमि के आबंटन और उनके उम्मीदवारों के लिए सेवा में प्रतिनिधित्व के बारे में किए गए उपायों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय के अपर सचिव श्री एम० आर० यार्दी की अध्यक्षता में एक कार्यदल स्थापित किया गया था । कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों में एक सिफारिश नीचे दी गई है :—

सिफारिश संख्या 14

"गैर तकनीकी और तकनीकीवत पदों में अनारक्षण को केवल कुछ विशेष मामलों में ही अनुमति होनी चाहिए और प्रत्येक ऐसे मामले की सूचना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को दी जाए जिसमें

उपयुक्त उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए भर्ती करने वाले प्राधिकारियों के प्रयत्नों का भी उल्लेख किया जाए ।"

2. जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को ज्ञात है, इस मंत्रालय के तारीख 20 सितम्बर, 1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/66—स्था० (ग) में पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में यह अपेक्षित है कि वह स्थायी नियुक्तियों और स्थायी होने वाली अस्थायी नियुक्तियों का अनिश्चित काल तक चलने वाली नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के बारे में गृह मंत्रालय को लिखे गए अपने पत्र की एक प्रति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भी भेजेगा । जिन मामलों में मंत्रालय अपने अधिकारों के अनुसार रिक्तियों (अर्थात स्थायी न होने पर या अनिश्चित काल तक न चलने वाली बिल्कुल अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों) का अनारक्षण कर सकते हैं, वहां उनके लिए आयुक्त को कारण सहित अनारक्षण के पूरे ब्यौरे और उसकी सूचना देना आवश्यक है । उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार, तारीख 20 सितम्बर, 1967 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के उपबन्धों के बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । यह अनुरोध है कि गृह मंत्रालय को अनारक्षण के बारे में लिखते समय (जिसकी प्रति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भेजी जानी अपेक्षित है) अनारक्षण के प्रस्ताव के समर्थन में पूरा-पूरा ब्यौरा अर्थात् अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, पद के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव आदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदक उम्मीदवारों की संख्या, जहां आवश्यक हो वहां साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किए गए प्रयत्न और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपर्युक्त का चयन न होने के सही सही कारण आदि दिए जाएं । मंत्रालय/विभाग उन मामलों में ऐसा ही ब्यौरा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भी भेजेगा, जिनमें मंत्रालय/विभाग रिक्ति आरक्षित करने के लिए स्वयं सक्षम है । गैर-तकनीकी और तकनीकीवत् पदों संबंधी आरक्षित रिक्तियों के बारे में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार की भर्ती के लिए यथा-संभव प्रयत्न किए जाएं और ऐसी रिक्तियों के लिए अनारक्षण का प्रस्ताव भी तभी किया जाए जबकि ऐसा करना अनिवार्य हो ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 28 जनवरी, 1969 का कार्यालय ज्ञापन सं० 8/1/69—स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवार नियुक्त करने के समय आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए गृह मंत्रालय का पूर्वानुमोदन ।

मुझे इस मंत्रालय के तारीख 27 मार्च, 1963 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31/10/63—एस० सी० टी० (1) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमे यह निर्दिष्ट किया गया है कि स्थायी नियुक्तियों और ऐसे अस्थायी नियुक्तियों, जिनके स्थायी बन जाने या अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना हो, के लिए एक समान रोस्टर रखा जाना चाहिए और जब कभी भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवार लगातार न मिल सकें और रोस्टर में शामिल किए गए पद को अनारक्षित करना आवश्यक हो जाए तो गृह मंत्रालय को अनारक्षण के बारे में उनका पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उन्हें लिखना चाहिए और इसमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों का भी उल्लेख करना चाहिए ।

2. इस मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ मंत्रालय/विभाग उचित रूप से वैसे रोस्टर नहीं रख रहे हैं जैसे उन्हें रखने चाहिए । यह भी देखा गया है कि कुछ मंत्रालय/विभाग गृह मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वयं ही रिक्तियों को अनारक्षित करने का निर्णय कर लेते हैं । ऐसे उदाहरण भी देखने में आए हैं जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां इस बहाने पर कर दी गई हैं कि उन जातियों के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे और कार्योत्तर अनुमोदन के लिए केवल बाद में ही गृह मंत्रालय को लिखा गया ।

3. अतएव यह निवेदन किया जाता है कि सभी मंत्रालय तथा विभाग अपने नियंत्रणाधीन प्राधिकारियों को आदेश दें कि वे रोस्टरों को उचित ढंग से रखें तथा रिक्तियों को अनारक्षित करने और उनके बदले में सामान्य उम्मीदवार नियुक्त करने से पहले गृह मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें । मंत्रालय/विभाग आदि उपर्युक्त हिदायतें अपने अधीन प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं और उनसे इनका पूर्ण रूप से पालन करने के लिए कहें ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक विभाग का तारीख 11-8-1972 का का० ज्ञा० सं० 16/1/72—स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण—अनारक्षण संबंधी मामलों में विस्तृत सूचना का प्रस्तुत किया जाना ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 13 मार्च, 1968 के का० ज्ञा० संख्या 27/25/68—स्थापना (ग) (प्रति संलग्न) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसके अनुसार गृह मंत्रालय अब कार्मिक विभाग को आरक्षण समाप्त करने के लिए लिखते समय (जिसकी प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को पृष्ठांकित करनी अपेक्षित होती है) इस प्रस्ताव के समर्थन में पूरा-पूरा ब्यौरा दिया जाए, जैसे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, पद के लिए निर्धारित योग्यताएं, अनुभव आदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों की संख्या, साक्षात्कार/परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या, जहां ऐसे आवश्यक था, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किए गए प्रयत्न, उनके न चुने जाने के सही-सही कारण आदि दिए जाएं । मंत्रालय/विभाग पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों के बारे में ऐसे ही विवरण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त को भी देंगे जिसके मामले में रिक्ति का आरक्षण समाप्त करने के लिए स्वयं मंत्रालय/विभाग सक्षम हैं । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अपनी 1969-70 की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 75

"इस बारे में गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के बावजूद कि आरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त करने के संबंध में विचारार्थ मामले भेजते समय पूरी-पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, यह देखा गया है कि इस प्रकार के विचारार्थ भेजे गए विवरणों में सदा ही महत्वपूर्ण सूचनाओं, विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के योग्य उम्मीदवारों के रद्द किए जाने के विशेष कारणों से संबंधित सूचनाओं का अभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ।"

इसलिए 13 मार्च, 1968 के उपर्युक्त का० ज्ञा० में दर्ज हिदायतों को मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में फिर से लाया जाता है । अनुरोध है कि कृपया इन हिदायतों के अनुपालनार्थ तत्काल कार्रवाई करें । मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारी

भी यह सुनिश्चित करें कि दोनों, इस विभाग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को ठीक समय पर पूरी-पूरी जानकारी दे दी जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 26 अप्रैल, 1974 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/3/74—स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करना—आरक्षण समाप्त करने के संदर्भ में ब्यौरेवार सूचना प्रस्तुत करना ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपनी वर्ष 1970-71 की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 54

"आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के प्रस्तावों में अवसर पूरे ब्यौरे नहीं दिए जाते हैं जिनके न होने के कारण आरक्षण समाप्त करने के प्रस्तावों की जांच करना कठिन हो जाता है । अत: इस बात को पुन: दोहराया जाता है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने का कोई मामला भेजते समय ब्यौरेवार सूचना भेजी जानी चाहिए ।"

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा वर्ष 1969-70 की अपनी रिपोर्ट (सिफारिश सं० 75) में की गई इसी प्रकार की सिफारिश के अनुसरण में, इस विभाग के तारीख 11 अगस्त, 1972 के का० ज्ञा० संख्या 16/1/72—स्थापना (एस० सी० टी०) (प्रति संलग्न) में अनुदेश जारी किए गए थे, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के प्रस्तावों को भेजते समय उन्हें पूर्ण ब्यौरे सहित भेजने की आवश्यकता पर बल दिया गया था । तारीख 11 अगस्त 1972 के उपर्युक्त का० ज्ञा० में सन्निहित अनुदेश को मंत्रालयों/विभागों आदि की सूचना में फिर से लाया जाता है । अनुरोध है कि इन अनुदेशों का पालन किए जाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजते समय हमेशा ही विस्तार से सूचना प्रस्तुत की जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 8 मई, 1974 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/2/74—स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व—आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने के पहले संगत—आरक्षण आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाना ।

मुझे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने की कार्यविधि के संबंध में गृह मंत्रालय के तारीख 20 सितम्बर, 1967 के का० ज्ञा० संख्या 1/6/67—स्थापना (एस०सी०टी०) (प्रति संलग्न) में सन्निहित अनुदेशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1970-71 की अपनी रिपोर्ट (सिफारिश सं० 55) में यह सिफारिश की है कि किसी आरक्षित रिक्ति का आरक्षण समाप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने से पहले संबंधित नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को आरक्षण समाप्त करने के बारे में भारत सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए । उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और तदनुसार वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि स्थायी नियुक्तियां और ऐसी अस्थायी नियुक्तियां जिनके स्थायी होने अथवा अनिश्चित काल तक चलते रहने की संभावना हो, उनके रोस्टर में सम्मिलित आरक्षित रिक्ति/रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए किसी मामले को उनके द्वारा इस विभाग को भेजने से पहले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की इन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए निरन्तर सभी निर्धारित कदम उठाए जाते हैं और संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनका पूरा पालन किया जाता है और यह भी देखें कि इन जातियों के पात्र उम्मीदवारों के दावों पर समुचित रूप से विचार किया गया है । आरक्षण समाप्त करने पर केवल तभी विचार किया जाए जब इस संबंध में निर्धारित कार्यविधि का पूरी तरह पालन करने के बाद आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा किया जाना अपरिहार्य हो जाए । ये कार्य विधियां (i) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका (1972 का तृतीय संस्करण) के पैरा 26 से 31 में तथा (ii) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में, गृह मंत्रालय के तारीख 11-7-1968 के का० ज्ञा० संख्या 1/12/67—स्थापना (ग) तथा कार्मिक विभाग के तारीख 27-11-72 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71—स्थापना

(एस०सी०टी०) में विस्तार से दी गई हैं । इसी प्रकार से ऐसी पूर्णतया अस्थायी नियुक्तियां जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलते रहने की कोई संभावना नहीं है, उनके रोस्टर में शामिल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को मंत्रालयों/विभागों द्वारा गृह मंत्रालय के तारीख 27 मार्च, 1963 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31/10/63—एस०सी०टी० (i) में विहित आदेशों के अनुसार आरक्षण समाप्त किए जाने से पहले, उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी सावधानी बरती जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 12 नवम्बर, 1975 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० 16/27/74—स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण—अनारक्षण का प्रस्ताव भेजने से पहले संबंधित सम्पर्क अधिकारी की सहमति

मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के आरक्षण समाप्त करने की कार्यविधि के बारे में गृह मंत्रालय के 20 सितम्बर, 1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/67—स्थापना (ग) में उल्लिखित अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने वर्ष 1971-72 और 1972-73 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

"अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा संरक्षण की समुचित क्रियाविधि सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने के बावजूद, कभी-कभी संबंधित आदेशों का समुचित कार्यान्वयन न होने के कारण वर्ष-प्रति-वर्ष बड़ी संख्या में रिक्तियों का आरक्षण समाप्त किया जाता है । अतः यह सुनिश्चित करना भी सम्पर्क अधिकारियों का कर्तव्य बना दिया जाए कि आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने की मांग करने से पहले इन जातियों के व्यक्तियों को आकर्षित करने के सभी विहित उपाय कर लिए गए हैं । भर्ती प्राधिकारियों को अनुदेश दिए जाएं कि वे आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव भेजते समय इस आशय का एक नोट दर्ज करें कि उक्त प्रस्ताव संबंधित सम्पर्क अधिकारी की पूरी जानकारी और सहमति से किया जा रहा है ।"

2. उपर्युक्त सिफारिश पर इस विभाग में विचार किया गया है । वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि भविष्य में जब कभी आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव इस विभाग को भेजा जाए (जिसकी एक प्रति अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयुक्त को भी भेजी जाती है) तो सदैव की भांति सूचना देने के अलावा, इस आशय का एक नोट भी दर्ज करें कि वह प्रस्ताव संबंधित सम्पर्क अधिकारी की पूरी जानकारी और सहमति से किया जा रहा है ।

3. वित्त मंत्रालय आदि कृपया उपर्युक्त निर्णय, अपने अधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों की जानकारी में लायें ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 12 जुलाई, 1976 का का० ज्ञा० सं० 28/14/74-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण—कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को अनारक्षण का प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोफार्मा जिसकी एक प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भी भेजी जाए ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय के तारीख 27 मार्च, 1963 के का० ज्ञा० संख्या 31/10/63-एस० सी० टी० (i) में दर्ज हिदायतों के अनुसार जब कभी स्थायी नियुक्तियों या स्थायी होने वाली अस्थायी नियुक्तियों या अनिश्चित काल तक चलने वाली नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल किसी ऐसी रिक्ति को अनारक्षित करना हो जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हो अर्थात उसे सामान्य उम्मीदवार द्वारा भरना हो तो उसके लिए विभाग की पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता होगी । इसके अलावा गृह मंत्रालय के तारीख 20 सितम्बर, 1967 के का० ज्ञा० संख्या 1/6/67-स्था० (ग) के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के अनारक्षण के बारे में सभी पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा स्वत: पूर्ण गैर-सरकारी पत्र या कार्यालय ज्ञापन के जरिए इस विभाग को भेजे जाएंगे और साथ ही साथ इसकी एक प्रति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-22 को पृष्ठांकित की जाएगी । इस विभाग के तारीख 11 अगस्त, 1972 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/1/72-स्था० (एस० सी० टी०) और तारीख 26 अप्रैल, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/3/74-स्था० (एस० सी० टी०) में भी आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के बारे में प्रस्ताव भेजते समय उसका पूरा विवरण देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । फिर भी यह देखा गया है कि

इस विभाग को भेजे गए अनारक्षण संबंधी प्रस्तावों में सदा पूरा विवरण नहीं दिया जाता और इसलिए अनारक्षण के प्रस्ताव पर विचार करने से पहले उन विवरणों को मंगाना पड़ता है । मूल मंत्रालय/विभाग में, इस विभाग में और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय में अनारक्षण संबंधी प्रस्तावों को यथाशीघ्र प्रभावी ढंग से तथा सुगमतापूर्वक छानबीन करने के विचार से इस विभाग को अनारक्षण संबंधी प्रस्ताव के लिए भेजे जाने वाले विभिन्न प्रोफार्मा को अब निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है जिनकी प्रतियां संलग्न हैं ।

प्रोफार्मा I (क) : संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए ।

प्रोफार्मा I (ख) : रोजगार कार्यालयों आदि के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए ।

प्रोफार्मा-II : चयन/वरिष्ठता व योग्यता/सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए ।

प्रोफार्मा-III : स्थायीकरण के लिए (केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में) ।

2. भविष्य में अनारक्षण के लिए सभी प्रस्ताव केवल उपरोक्त प्रोफार्मा में ही भेजे जाएं । मंत्रालय भी अनारक्षण के लिए प्रस्ताव भेजते समय निम्नलिखित बातों का पालन करें :

(i) सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि के अधीन पदों के बारे में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए प्रस्ताव इस विभाग को सीधे न भेजे जाएं । ऐसा प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भेजा जाए जो प्रस्ताव की जांच करेंगे और संतुष्ट होने पर कि विहित कार्यविधि का पालन किया गया है, उन्हें इस विभाग को भेज देंगे ।

(ii) आरक्षण को समाप्त करने के प्रस्ताव की (उपयुक्त प्रपत्र में) एक प्रति साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त को भी भेजी जाए ।

3. मंत्रालयों को सभी विहित उपाय करने के बाद, पूर्णतः अस्थायी रिक्तियों का, जिनके स्थायी होने अथवा अनिश्चित काल तक जारी रहने की कोई संभावना नहीं है, आरक्षण समाप्त करने के पहले ही अधिकार हैं । आरक्षण समाप्त करने की सूचना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त को भी भेजी जानी अपेक्षित है । इस

संबंध में, गृह मंत्रालय के 20 सितम्बर, 1967 के का० ज्ञा० संख्या 1/6/67-स्था० (ग) के पैरा 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने यह बात इस विभाग के ध्यान में लायी है कि उन्हें मंत्रालयों/विभागों से इस संबंध में यह सूचना लगातार नहीं मिल रही है । अतः यह अनुरोध है कि सभी मंत्रालय/विभाग कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त का० ज्ञा० में ऊपर उध्दृत पूर्णतः अस्थायी रिक्तियों के आरक्षण समाप्त करने संबंधी सूचना (उपर्युक्त पैरा 1 में विहित उपयुक्त प्रपत्र में) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त को भेजी जाती है ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 25 सितम्बर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/18/76-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करना — अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति की 41वीं रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 18—

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की हैं :—

सिफारिश संख्या 18

"समिति को यह जानकर खेद है कि वर्ष 1971-72 और 1973 के दौरान केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में बहुत सी आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बहुत से उम्मीदवार रोजगार से वंचित रह गए हैं । समिति यह मानने को तैयार नहीं है कि चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नही थे । समिति की आशंका है कि न तो इस विषय पर जारी किए गए वर्तमान आदेशों पर दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया गया है और न ही आरक्षित रिक्तियों के प्रति केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के गंभीरतापूर्वक प्रयत्न किए गए हैं । समिति का यह दृढ़ मत है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए

आरक्षित रिक्तियों का खासतौर से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण भी किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जाना चाहिए । प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के मामलों में रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए भी, इस विषय पर वर्तमान आदेशों को और अधिक कड़ा कर दिया जाए ताकि आरक्षण उसी हालत में समाप्त किया जाए जब ऐसा करना अपरिहार्य हो ।"

2. इस संबंध में, इस विभाग के तारीख 8/5/1974 के का० ज्ञा० संख्या 16/2/74-स्था० (एस० सी० टी०) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि इससे पहले कि वे स्थायी नियुक्तियों या अस्थायी नियुक्तियों जिनके स्थायी होने अथवा अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना है, के लिए रोस्टर में शामिल की गई आरक्षित रिक्ति(यों) का आरक्षण समाप्त करने के लिए इस विभाग को लिखें । वे यह सुनिश्चित कर लें कि आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नियुक्त करने के लिए दृढता से सभी उपाय किए जाते हैं, और संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उनका पूरी तरह अनुसरण करते हैं और इन समुदायों के उम्मीदवारों के दावों पर सम्यक विचार किया जाता है । आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव केवल तभी किया जाना चाहिए जब नियुक्ति प्राधिकारी को आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ऐसा करना अपरिहार्य हो जाए । मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के तारीख 12/11/1975 के का० ज्ञा० संख्या 16/27/75-स्था० (एस० सी० टी०) में दिए गए अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है जिनके अनुसार जब भी आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए इस विभाग को लिखा जाए, उसमें पूरी सूचना देने के अलावा इस आशय का एक नोट भी रिकार्ड कर दिया जाए कि यह प्रस्ताव संबंधित सम्पर्क अधिकारी की जानकारी और सहमति से किया जा रहा है । आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए इस विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिए एक प्रोफार्मा भी इस विभाग के तारीख 12-7-1976 के का० ज्ञा० संख्या 28/14/74-स्था० (एस० सी० टी०) में निर्धारित है ।

3. समिति की उपर्युक्त पैरा-1 में दी गई सिफारिश खास तौर पर मंत्रालयों/विभागों के नोटिस में लाई जाती है । आरक्षण समाप्त करने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से खत्म करना संभव नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सीधी भर्ती/पदोन्नति अथवा स्थायीकरण द्वारा भरे जाने वाले किन्हीं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी क आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए हमेशा पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि उपर्युक्त पैरा 2

में संदर्भित अनुदेशों का दृढ़ता से अनुसरण किया जाता है । आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव तभी किया जाए जब सभी विहित उपाय और सभी छूट निर्धारित मानकों में छूट देने के बाद भी आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ऐसा मार्ग अपनाना अपरिहार्य हो जाए ।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 20 दिसम्बर, 1976 का पत्र संख्या यू०-15038/35/76-पी०एल०जी०

विषय :—संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन पदों/सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के लिए कार्यविधि ।

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के तारीख 6 अगस्त, 1976 के समसंख्यक पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों (बिल्कुल अस्थायी रिक्तियों के अलावा) का आरक्षण समाप्त करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है । संघ राज्य क्षेत्रों में आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए अब तक कोई मार्गदर्शक सिद्धांत उपलब्ध नहीं थे । कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से अब यह निर्णय किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन पदों/सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित प्राधिकारी करेंगे :—

(i)	श्रेणी-III (ग्रुप "ग") और श्रेणी-IV (ग्रुप "घ") में रिक्तियों के लिए :—	
	(क) चण्डीगढ में	— गृह सचिव
	(ख) दादरा और नगर हवेली में	— कलैक्टर
	(ग) लक्षद्वीप में	— प्रशासक
	(घ) अन्य सभी संघ शासित क्षेत्रों के मामले में	— मुख्य सचिव
(ii)	श्रेणी-II (ग्रुप "ख") में रिक्तियों के लिए :— सभी संघ राज्य क्षेत्रों में	— प्रशासक
(iii)	डी०ए०एन०आई० सिविल सेवा और डी०ए०एन० आई० पुलिस सेवा संवर्गों में रिक्तियों के लिए	— गृह मंत्रालय

सभी मामलों में उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए जारी किए गए आदेशों की प्रतियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली को पृष्ठांकित की जाएं ।

2. संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/प्रशासनों, जहां नियुक्ति प्राधिकारी राष्ट्रपति है अथवा प्रशासक है, दोनों ही के अधीन सभी श्रेणी-I (ग्रुप क) पदों/सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने की शक्तियां, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श लेकर, पदों/सेवाओं से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रयुक्त की जाएंगी । श्रेणी-I (ग्रुप क) पदों/सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को भेजे गए प्रस्ताव साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त को पृष्ठांकित किए जाएं । इन प्रस्तावों का कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग को हवाला देने से पहले, प्रशासनिक मंत्रालय उन पर आयुक्त के विचारों की (यदि कोई हों) एक पखवाड़े तक प्रतिक्षा करें और उसके बाद उन विचारों को ध्यान में रखते हुए (यदि प्राप्त हुए हों), उन प्रस्तावों की जांच करें ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 5 फरवरी, 1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/16/76-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—पूर्णतः अस्थायी रिक्तियों के रोस्टर में शामिल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के बारे में वार्षिक विवरण ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 24 सितम्बर, 1968 के का०ज्ञा० संख्या 27/4/67-(II) स्था० (एस०सी०टी०) के साथ पठित तारीख 20 जुलाई, 1965 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/1(1)/65-स्था० (ग) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस विभाग को पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल ऐसी आरक्षित रिक्तियों की संख्या बताने वाला एक वार्षिक विवरण प्रतिवर्ष भेजा जाता है, जिनके 45 दिन या उससे अधिक समय तक बने रहने की संभावना है परन्तु उनके स्थायी होने अथवा अनिश्चित काल तक जारी रहने की कोई संभावना नहीं है, और उन्हें उत्तरवर्ती वर्ष में अनारक्षित मान लिया गया है । अनुरोध है कि सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित मंत्रालयों/विभागों के बारे में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार एक समेकित विवरण इस विभाग को यथाशीघ्र और अधिक से अधिक 1 अप्रैल, 1977 तक भेज दिया जाए ।

प्रपत्र

मंत्रालय/विभाग.....

(इसमें सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय भी शामिल हैं)

पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल की गई ऐसी आरक्षित रिक्तियों का विवरण, जिनकी 45 दिन या अधिक समय तक बने रहने की संभावना है, लेकिन जिनके स्थायी होने अथवा अनिश्चित काल तक जारी रहने की कोई संभावना नहीं है और जिन्हें मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनारक्षित मान लिया गया है

1 जनवरी से 31 दिसम्बर, ... तक

पद का समूह (श्रेणी)	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		संक्षेप में, अनारक्षित करने के कारण	अभ्युक्ति
	वर्ष के दौरान भरी गई अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या	कालम 2 में दिखाई गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या, जिसे अनारक्षित माना गया, अर्थात् जिन पर अनुसूचित जातियों से इतर व्यक्ति नियुक्त किए गए	वर्ष के दौरान भरी गई अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या	कालम 4 में दिखाई गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या जिसे अनारक्षित माना गया, अर्थात् जिन पर अनुसूचित जनजातियों से इतर व्यक्ति नियुक्त किए गए		
1	2	3	4	5	6	7
समूह क (प्रथम श्रेणी)						
समूह ख (द्वितीय श्रेणी)						
समूह ग (तृतीय श्रेणी)						
समूह घ (चतुर्थ श्रेणी)						

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 22 जनवरी, 1977 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/3/76-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—आरक्षण समाप्त करना तथा उन्हें आगे ले जाना ।

मुझे इस विभाग (गृह मंत्रालय) के तारीख 28 जनवरी, 1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/1/69-स्था० (एस०सी०टी०) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के नोटिस में ऐसे मौके आये हैं जहां आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने से पहले, इस पूर्वानुमोदन से कि न भरे गए आरक्षणों को केवल आगे ले जाना अपेक्षित है और आरक्षण समाप्त करने के लिए अनुमोदित रिक्तियां आगे ले जाने के तीसरे वर्ष समाप्त करने के लिए इस विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था । यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए सभी विहित उपाय करने के बाद भी यदि उस समुदाय का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता, तो उसे सामान्यतः उम्मीदवार द्वारा भरने से पहले उसका आरक्षण समाप्त करना जरूरी है । स्थायी नियुक्तियों व उन अस्थायी नियुक्तियों के जिनके स्थायी हो जाने अथवा अनिश्चित समय तक चलने की संभावना है, रोस्टर में शामिल आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए इस विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है । बिल्कुल अस्थायी नियुक्तियों के लिए रोस्टर में शामिल ये आरक्षित रिक्तियां जिनकी स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलने की कोई संभावना नहीं है, स्वयं मंत्रालयों द्वारा यह सुनिश्चित कर लेने पर कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए सभी विहित उपाय कर लिए गए हैं और ऐसे उम्मीदवार तक भी उपलब्ध नहीं हैं, आरक्षण समाप्त किया जा सकता है ।

2. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित कार्यविधि के अनुसार आरक्षित रिक्ति का आरक्षण समाप्त करने के बाद, आरक्षण अनुवर्ती तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाया जाए । आरक्षण को "आगे ले जाना" का अर्थ है कि अनुवर्ती वर्ष में, रोस्टर के अनुसार उस वर्ष में होने वाले सामान्य आरक्षणों के अतिरिक्त उतनी ही संख्या में रिक्तियों का और आरक्षण किया जाएगा । जिस वर्ष रिक्तियों को आगे ले जाया गया उस वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती सर्वप्रथम पिछले वर्षों के आगे लाए गए आरक्षणों पर की जाएगी और उसके बाद उस वर्ष में होने वाले सामान्य आरक्षणों पर की जाएगी । जब भी कोई रिक्ति जिसे आरक्षित माना जाता है, चाहे वह

आगे ले जाए गए आरक्षण के कारण हो और चाहे रोस्टर में नए आरक्षण प्वाइंट के कारण हों, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण (जैसी भी स्थिति हो), सामान्य उम्मीदवार द्वारा भरी जानी है तब भी उपर्युक्त पैरा-1 में उल्लिखित आरक्षण समाप्त करने की कार्यविधि का अनुसरण किया जाना चाहिए । आरक्षण तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाये जाने के बाद ही व्यपगत होगा । आरक्षित रिक्ति को आगे ले जाये जाने के तीसरे वर्ष के अन्त में व्यपगत करने के लिए इस विभाग के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है ।

3. जैसाकि उपर्युक्त पैरा 2 से ज्ञात होगा, ऐसी सभी रिक्तियाँ जिन्हें आरक्षित माना गया है, चाहे वे आगे लाए गए आरक्षणों के कारण हों और चाहे वे रोस्टर में नए आरक्षण प्वाइंट के कारण हों, उन पर नियुक्ति के लिए यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हो सके तो आरक्षण समाप्त करने के लिए इस विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है । आरक्षण समाप्त करने के लिए प्रस्ताव इस विभाग के तारीख 12 जुलाई, 1976 के का० ज्ञापन संख्या 28/14/74-स्थापना (एस०सी०टी०) में विहित प्रोफार्मा में भेजे जाने चाहिए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित का० और प्र०सु० विभाग का तारीख 19 दिसम्बर, 78 का का० ज्ञा० सं० 36013/5/78-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण—सभी निर्धारित कदम उठाए जाने की आवश्यकता और अनारक्षण किए जाने के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 की रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 41 और 42 ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

सिफारिश संख्या 41

तृतीय श्रेणी के पदों में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के बारे में अप्रिय प्रवृत्ति पाई गई हैं । इसलिए, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को आरक्षित पदों के अनारक्षण के लिए सहमति देने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को यह सलाह देनी चाहिए कि इस बात को सुनिश्चित किया

जाए कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित पुस्तिका में दी गई हिदायतों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए ।

सिफारिश संख्या 42

सामान्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करने से पहले आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के लिए पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के आदेश 1963 से मौजूद हैं, परन्तु किसी न किसी बहाने से इन आदेशों का उल्लंघन किए जाने के मामले ध्यान में आ रहे हैं । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को अपने आदेश फिर से बता देने चाहिएं और आरक्षित रिक्तियों को सामान्य उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने से पहले उनसे पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए ।

रिपोर्ट के पैरा 3.57 में, जिस पर उपर्युक्त सिफारिश संख्या 41 आधारित है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने टिप्पणी की है कि अनारक्षण के लिए प्रस्तावित अनुसूचित जनजातियों की कुल 1,515 रिक्तियों में से, श्रेणी-III के लिए ऐसी 254 रिक्तियों के लिए उपलब्ध अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया था और श्रेणी-III की रिक्तियों के मामले में ऐसा घटित होना एक आश्चर्यजनक बात थी जबकि ऐसे विशेष अनुदेश हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए मानदण्डों में छूट देकर मूल्यांकन किया जाए । उन्होंने यह भी टिप्पणी की है कि इस श्रेणी में, अधिकतर पद गैर-तकनीकी अथवा अर्ध-तकनीकी हैं जिनके लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 24-9-68 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/7/67(1)-स्थापना (एस०सी०टी०) द्वारा इस आशय का एक अतिरिक्त उपबन्ध विद्यमान है कि यदि सीधी भर्ती के कोटे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए मानदण्डों में छूट देने पर भी इन वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक उनमें से न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करने वाले सर्वोत्तम उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुन लिया जाए । प्रशासन की कुशलता को बनाए रखने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानकों तक लाने के उद्देश्य से ऐसे उम्मीदवारों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना है ।

2. इस संबंध में गृह मंत्रालय के दिनांक 24-9-68 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/7/67(1)-स्थापना (एस०सी०टी०) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । इस विभाग के दिनांक 8-5-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/2/74-स्थापना (एस०सी०टी०)

की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था कि स्थायी नियुक्तियों अथवा स्थायी होने की संभावना वाली अस्थायी नियुक्तियों या अनिश्चित काल के लिए बनी रहने वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए रोस्टर में शामिल की गई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए इस विभाग को हवाला भेजने से पूर्व आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा हमेशा ही सभी निर्धारित कदम उठाए गए हैं और उनका पूर्ण रूप से पालन किया गया है तथा इन समुदायों के पात्र उम्मीदवारों के दावों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है और अनारक्षण का प्रस्ताव केवल तभी किया जाए जब आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है । आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने हेतु इस विभाग को प्रस्ताव भेजने का प्रपत्र इस विभाग के दिनांक 12-7-1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/14/74-स्थापना (एस०सी०टी०) में निर्धारित किया गया है । सम्पर्क अधिकारी द्वारा एक ऐसी टिप्पणी लिखी जानी भी अपेक्षित है कि अनारक्षण का प्रस्ताव उनकी पूरी जानकारी तथा सहमति से किया गया है । इस संबंध में इस विभाग के दिनांक 25-9-76 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36022/18/76-स्थापना (एस०सी०टी०) में जारी किए गए अनुदेशों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश की ओर मंत्रालयों/विभागों आदि का ध्यान आकर्षित किया गया है ।

3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट में उपर्युक्त सिफारिश संख्या 42 के संदर्भ में, इस विभाग के दिनांक 28-1-1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/1/69-स्थापना (एस०सी०टी०) तथा दिनांक 22-1-1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/3/76-स्थापना (एस०सी०टी०) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित जिस रिक्ति के लिए सभी निर्धारित कदम उठाए जाने के बावजूद भी उस समुदाय का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो उस रिक्ति को सामान्य उम्मीदवार द्वारा भरे जाने से पहले अनारक्षित करना होता है तथा स्थायी नियुक्तियों और स्थायी होने की संभावना वाली अस्थायी नियुक्तियों या अनिश्चित काल के लिए बनी रहने वाली अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल की गई किसी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का पूर्वानुमोदन आवश्यक है ।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की उक्त दोनों सिफारिशें मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में विशेष रूप से लाई जाती हैं । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस संबंध में अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाता है और आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण का प्रस्ताव केवल तभी किया जाता है जब ऐसा करना अपरिहार्य हो जाता है और जहां कहीं अनारक्षण आवश्यक हो, उसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का पूर्वानुमोदन हमेशा प्राप्त किया जाता है ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 2 नवम्बर, 1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/20/79-स्थापना (अनु० जा०)

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण—कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को अनारक्षण के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए प्रपत्र जिसकी एक प्रति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त को भेजी जाए ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 12 जुलाई, 1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28/14/74-स्था० (अनु० जा०) की तरफ मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि यह आवश्यक समझा गया है कि अनारक्षण के लिए इस विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिए पहले से निर्धारित प्रपत्रों में कालमों को अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख के बाद जारी किए गए अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए, जांच की अतिरिक्त बातों (प्वाइंट्स) को भी जोड़ने के लिए संशोधन की आवश्यकता है । तद्नुसार 4 संशोधित प्रपत्र इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न हैं । वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि कृपया वे इसे अपने सभी अधीनस्थ नियोक्ता प्राधिकारियों की जानकारी में लायें और यह सुनिश्चित करें कि इसके बाद अनारक्षण के सभी प्रस्ताव समुचित रूप से संशोधित प्रपत्र में भेजे जाएं ।

2. प्राय: यह देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ प्राधिकारियों से प्राप्त अनारक्षण के प्रस्ताव मंत्रालयों/विभागों द्वारा बिना उचित जांच के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिए जाते हैं । ऐसा करने से इन प्रस्तावों के निपटाये जाने में निश्चित रूप से देर हो जाती है, क्योंकि कुछ सूचना और अन्य स्पष्टीकरण प्राय: मंत्रालयों से मंगाने पड़ते हैं, जिन्हें वे बाद में उसी सूचना को अपने अधीनस्थ संगठनों से मंगाते हैं ।

3. इस बात पर जोर दिये जाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों (मूल) के अधीनस्थ नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा आरक्षण आदेशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से मंत्रालयों/विभागों का है, इसलिए इस विभाग को अनारक्षण के लिए कोई भी प्रस्ताव भेजने से पहले मंत्रालय/विभाग और उसके सम्पर्क अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनारक्षण के प्रस्ताव वाले प्रपत्र में दी गई सूचना सभी प्रकार से पूर्ण और सही है और आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए संबंधित नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा सभी निर्धारित कदम उठाए गए हैं और सरकार के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अनारक्षण मांगने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं है । तद्नुसार वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि कृपया वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त प्रस्ताव इस विभाग को भेजने से पहले इन प्रस्तावों को मंत्रालय/विभाग (मूल) के सम्पर्क अधिकारी के परामर्श से पूर्ण रूप से जांच की जाती है और उसकी प्रतियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को पृष्ठांकित की जाती हैं ।

प्रपत्र 1 (क)

अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के लिए प्रस्ताव भेजे जाने का प्रपत्र

---

1. मंत्रालय/विभाग का नाम
2. उस सेवा/कार्यालय का नाम जिसमें रिक्तियां हैं ।
3. उस पद का पदनाम, वर्गीकरण, समूह और वेतनमान, जिसके संबंध में अनारक्षण का प्रस्ताव किया जाता है ।

3.1 पद नाम :

3.2 समूह (अर्थात् श्रेणी)

3.3 वेतनमान

2. कुल आरक्षण, रिक्तियों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकते । यदि आरक्षण अधिक हों तो उसे सीधे ही अगले भर्ती वर्ष में अग्रेनीत किया जाता है ।

3. किसी भी भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की 50% की सीमा केवल तभी बढ़ सकती है जबकि संबंधित संवर्ग/ग्रेड/पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व न हो ।

7.	यदि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की गई है तो कृपया निम्नलेखित का उल्लेख कीजिए :—		
7 1	परीक्षा के लिए नियमों के प्रकाशन की तारीख		
7.2	वह तारीख जिसको परीक्षा हुई थी		
7.3	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की	अनु० जाति	अनु०जन जाति
7.4	उपर्युक्त 7.3 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की संख्या जो साक्षात्कार के लिए (यदि कोई निर्धारित किया गया था) उपस्थित हुए ।	———	———
7.5	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की संख्या जो अन्तिम रूप से चुने गए । (क) अपनी योग्यता से (ख) उपयुक्तता के मानदण्डों में छूट दिए जाने पर (ग) योग	——— ———	——— ———
7.6	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की संख्या, जिन्होंने पद ग्रहण किया ।	अनु० जाति	अनु०जन जाति

8. **यदि भर्ती चयन द्वारा (अर्थात् प्रतियोगिता परीक्षा के अतिरिक्त) की गई है तो निम्नलिखित बातों का उल्लेख करें ।**

8.1 क्या रिक्तियों का प्रथम विज्ञापन पूर्ण रूप से केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के रूप में किया गया [देखिए दिनांक 31-7-70 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/70-स्था० (एस० सी० टी०) में दिए गए अनुदेश] और यदि रिक्तियां इस प्रकार विज्ञापित की गई थी तो निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए :—

	अनु० जाति	अनु० जनजाति
(i) विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख		
(ii) उपस्थित हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	———	———
(iii) छूट दिए गए मानदण्डों को लागू किए जाने के बाद उपयुक्त पाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या ।		

8.2 क्या रिक्तियां दुबारा विज्ञापित की गई थी और क्या साथ-साथ अन्य उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे, यदि ऐसा किया गया था तो

	अनु० जाति	अनु० जनजाति
(i) पुनः विज्ञापन की तारीख	———	———
(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या जिनका साक्षात्कार लिया गया ।		
(iii) छूट दिए गए मानदण्डों को लागू किए जाने के बाद उपयुक्त पाए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या।		

9. क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से लिया गया था अर्थात् उस दिन अथवा उस बैठक के अतिरिक्त जिस दिन अथवा चयन समिति की जिस बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था ।

10. क्या दूसरे विज्ञापन के परिणामस्वरूप सामान्य उम्मीदवारों का पहले ही चयन कर लिया गया है और वे उन आरक्षित रिक्तियों में, जिनके अनारक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है, नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं ।

11. यदि रिक्तियों के अनारक्षण के लिए कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव किया जा रहा है तो कृपया निम्नलिखित बातों का उल्लेख कीजिए :—

    (i) अनारक्षण के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त न किए जाने के कारण ।

    (ii) बिना पूर्व अनारक्षण के आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए किस स्तर पर निर्णय लिया गया ।

12. अतिरिक्त सूचना/अभ्युक्तियां, यदि आवश्यक हो (यदि इस पद को आरक्षण लागू करने के लिए अन्य पदों के साथ मिलाया जाता है तो कृपया यह निर्दिष्ट कीजिए कि क्या इन पदों के मिलाए जाने का कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अनुमोदन कर दिया है और क्या विवरणिका के पैरा 6.5 के उपबंधों को ध्यान में रखा गया है) ।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव मंत्रालय/विभाग (मूल) के सम्पर्क अधिकारी की पूर्ण जानकारी तथा सहमति से किया जा रहा है ।

2. इस प्रस्ताव की एक प्रति मंत्रालय/विभाग (मूल) द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22 को पृष्ठांकित कर दी गई है ।

*ह० _____

पदनाम _____

मंत्रालय/विभाग _____

टेलीफोन संख्या _____

1. कार्मिक और प्रशिक्षण सुधार विभाग—(एस०सी०टी० अनुभाग), भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, पश्चिमी खण्ड संख्या 1, स्कन्ध संख्या 7, प्रथम मंजिल, आर० के० पुरम, नई दिल्ली ।

मंत्रालय/विभाग _____

यू० ओ० संख्या _____ दिनांक _____

* मंत्रालय/विभाग (मूल) के अवर सचिव अथवा उसके उच्चतर स्तर के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

प्रपत्र 1 (ख)

स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर रोजगार कार्यालय आदि के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के प्रस्तावों को भेजने के लिए प्रपत्र

1. मंत्रालय/विभाग का नाम
2. उस सेवा/कार्यालय का नाम जिसमें रिक्तियां हैं ।
3. उस पद का पदनाम, वर्गीकरण और वेतनमान जिसके संबंध में अनारक्षण का प्रस्ताव किया जाता है ।

3.1 पद नाम

3.2 समूह (श्रेणी)

3.3 वेतनमान

3.4 तकनीकी/गैर-तकनीकी

4.1 उस राज्य/क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र का नाम जिसमें रिक्तियां हैं ।

4.2 रोस्टर में प्रयुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पाइंटों को निर्दिष्ट कीजिए यदि वे विवरणिका के परिशिष्ट 3 में दिए गए पाइंटों से भिन्न हैं ।

5. **कुल रिक्तियों के ब्यौरे**

5.1 वर्तमान भर्ती में भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की सं० _____

5.2 रोस्टर की चक्र संख्या (40 अथवा 100) निर्दिष्ट करें और ये रिक्तियां किन पाइंटों के अंतर्गत आती हैं । चक्र संख्या _____ प्वाइंट _____ से तक

6. आरक्षित रिक्तियों के ब्यौरे

6.1 उपर्युक्त कालम 5.1 में से आरक्षित रिक्तियों की संख्या — अनु०जा० _____ अनु०ज०जाति _____

(क) अग्रेनीत किए गए आरक्षणों के कारण (अग्रेनीत के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रथम रूप से) तृतीय वर्ष में _____
द्वितीय वर्ष में _____
प्रथम वर्ष में _____

(ख) रोस्टर के अनुसार नए आरक्षण किए जाने के कारण ।

(ग) 50 प्रतिशत का प्रतिबन्ध लागू किए जाने के बाद, उपर्युक्त (क) तथा (ख) में से वास्तविक आरक्षण (यदि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 27-12-77 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-16-3-73-स्था० (एस०सी०टी०) में निहित अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए लागू होता हो ।

	(घ) उपर्युक्त (ग) में से उन रिक्तियों की संख्या जिनका अग्रेनीत के तीसरे वर्ष में होने के कारण अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के बीच परस्पर आदान प्रदान किया जा सकता है ।	अनु०जा०	अनु० ज० जाति
6.2	6.1 (ग) में ऐसी रिक्तियों की संख्या, जिसके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध हो गए हैं ।	———	———
6.3	अनारक्षण के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या ।	———	———

टिप्पणियां :

(1) कालम 6.1 में उल्लिखित आरक्षित रिक्तियां भरते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पहले के वर्ष में अग्रेनीत किए गए आरक्षणों का पहले उपयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि कालम 6.1(ग) में 1975 और 1976 के भर्ती वर्षों से अग्रेनीत किए गए आरक्षण शामिल किए जाते हैं, तब 1975 से अग्रेनीत आरक्षणों का 1976 से अग्रेनीत किए गए आरक्षणों और चालू आरक्षणों से पहले उपयोग किया जाएगा । इसके अतिरिक्त कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 2-4-1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36013/2/79-स्था० (एस०सी०टी०) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(2) कुल आरक्षण, रिक्तियों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकते । यदि आरक्षण अधिक हो तो उसे सीधे ही अगले भर्ती वर्षों में अग्रेनीत किया जाता है ।

(3) किसी भी भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की 50% की सीमा केवल तभी बढ सकती है, जबकि संबंधित संवर्ग/ग्रेड/पद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व न हो ।

7.1 क्या रोजगार कार्यालय से गैर-उपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया था, यदि प्राप्त किया गया था तो उसकी तारीख लिखिए ------

7.2 क्या गैर उपलब्धता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद, आरक्षित रिक्तियों को विज्ञापित किया गया था और यदि रिक्तियां विज्ञापित की गई थी तो कब विज्ञापित की गई थी और उसके क्या परिणाम हुए ।

7.3 क्या आरक्षित रिक्तियों की सूचना निम्नलिखित को दी गई विज्ञापनों की प्रतियां पृष्ठांकित की गई थीं :—

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों [देखिए विवरणिका के संस्करण का पैरा 8.1 (iii)]; और

(ii) संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण निदेशक [देखिए उक्त विवरणिका का पैरा 8.1 (v)]।

7.4 क्या रिक्तियों की अधिसूचना रोजगार कार्यालय को देने तथा उन्हें समाचारपत्रों के माध्यम से विज्ञापित करने के साथ-साथ उन्हें रेडियों से प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी के समुचित केन्द्र को भी अधिसूचित किया गया था । यदि रिक्तियां रेडियो से अधिसूचित की गई थीं तो निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए :—

(i) रिक्तियों का प्रसारण आकाशवाणी के किस केन्द्र से किया गया था ।

(ii) प्रसारण की तारीख [देखिए उक्त विवरणिका का पैरा 8.1 (iv)]।

7.5 यदि भर्ती नियमों में कोई अनुभव, अर्हता निर्धारित की गई हो तो क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में छूट का कोई प्रावधान है ।
(देखिए उक्त विवरणिका का पैरा 7.4) ।

अनु० जाति	अनु०जन जाति

8.1 यदि कोई लिखित परीक्षा आयोजित की गई हो तो उन उम्मीदवारों की कुल संख्या जिन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण की ।

8.2 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन उम्मीदवारों की संख्या जिनका साक्षात्कार लिया गया (यदि साक्षात्कार निर्धारित किया गया हो) ।

8.3 25-7-1970 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/1/70-स्था० (एस०सी०टी०) में यथा-अपेक्षित मानदण्डों में छूट लागू किए जाने के बाद अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या ।

(i) अपनी योग्यता से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या —

(ii) छूट दिए गए मानदण्डों के लागू किए जाने के द्वारा —

योग :

9. क्या अनसुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से लिया गया था, अर्थात् उस दिन अथवा उस बैठक के अतिरिक्त जिस दिन अथवा चयन समिति की जिस बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था ।
(देखिए उक्त विवरणिका का पैरा 7.9)

10. जिन मामलों में अनारक्षण के लिए कार्योत्तर अनुमोदन करना पड़ता है, उनमें निम्नलिखित का उल्लेख करें —

(i) अनारक्षण के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त न किए जाने के कारण;

(ii) बिना पूर्व अनारक्षण के आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए किस स्तर पर निर्णय लिया गया ।

11. परीक्षा के माध्यम के अतिरिक्त अर्थात केवल साक्षात्कार के आधार पर भरे गए गैर तकनीकी

और अर्ध-तकनीकी समूह "ग" (श्रेणी-III) और समूह घ (श्रेणी-IV) पदों के मामले में कृपया निम्नलिखित भी निर्दिष्ट कीजिए :—

		अनु०जाति	अनु०जनजाति
(1)	उन उम्मीदवारों की कुल संख्या जिनके पास भर्ती नियमों में निर्धारित न्यूनतम अर्हता थी ।		
(2)	साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या ।	———	———
(3)	गृह मंत्रालय के दिनांक 24-9-1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/7/67(1) स्था० (एस०सी०टी०) और दिनांक 31-10-1969 के का०ज्ञा० सं० 16/8/69—स्था० (एस०सी०टी०) में विहित सिद्धांतों के लागू किए जाने के बाद चुने गए उम्मीदवारों की संख्या ।	———	———
(4)	शेष आरक्षणों के लिए न्यूनतम अर्हता वाले अनु० जा०/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं किया जा सका ? कारण बताएं ।	———	———
(5)	उपर्युक्त (3) में से उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने पद ग्रहण किए ।	———	———
12.	क्या उन रिक्तियों पर जिनको अनारक्षित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, नियुक्ति के लिए सामान्य उम्मीदवारों का पहले ही चयन कर लिया गया है ।	———	———
13.	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो (यदि इस पद को आरक्षण लागू करने के लिए अन्य पदों के साथ मिलाया जाता है तो कृपया यह निर्दिष्ट कीजिए कि क्या इन पदों के मिलाये जाने का कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अनुमोदन कर दिया है और क्या विवरणिका के पैरा 6.5 के उपबंधों को ध्यान में रखा गया है ।)	———	———

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव मंत्रालय/विभाग (मूल) के सम्पर्क अधिकारी की पूर्ण जानकारी तथा सहमति से किया जा रहा है ।

2. इस प्रस्ताव की एक प्रति मंत्रालय/विभाग (मूल) द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22 को पृष्ठांकित कर दी गई है ।

*ह० _____

पदनाम _____

मंत्रालय/विभाग _____

टेलीफोन संख्या_____

1. कार्मिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण सुधार विभाग (एस०सी०टी० अनुभाग) भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, पश्चिमी खण्ड संख्या 1, स्कन्ध संख्या 7, प्रथम मंजिल, आर० के० पुरम, नई दिल्ली ।

मंत्रालय/विभाग _____

यू०ओ०संख्या/पृष्ठांकन संख्या _____

दिनांक _____

---

* [मंत्रालय/विभाग (मूल) के अवर सचिव अथवा उससे उच्चतर स्तर के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं] ।

प्रपत्र-II

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण के प्रस्ताव भेजे जाने के लिए प्रपत्र

1. मंत्रालय/विभाग का नाम
2. उस कार्यालय/संगठन का नाम जिसमें रिक्तियां हैं ।
3. उस पद ग्रेड/सेवा के ब्यौरे जिनमें रिक्तियों को अनारक्षित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है ।

3.1 पद नाम :

3.2 समूह (श्रेणी) :

3.3 वेतनमान :

4. पदोन्नति की पद्धति अर्थात् क्या वह चयन, वरिष्ठता एवं उपयुक्तता द्वारा है अथवा विभागीय अर्हक अथवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा है ।

5. पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने के मानदण्ड (भर्ती नियमों में यथा निर्धारित)

6. कुल रिक्तियों के ब्यौरे :

6.1 वर्तमान भर्ती में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या

		चक्र संख्या	पाइंट से—तक
6.2	रोस्टर में चक्र तथा पाइंटों की संख्या जिनमें ये रिक्तियां होती हैं । (देखिए विवरणिका के परिशिष्ट एक में दिया गया रोस्टर)		
7.	आरक्षित रिक्तियों के ब्यौरे		
7.1	उपर्युक्त 6.1 में से आरक्षित रिक्तियों की संख्या :	अनु०जा०	अनु०ज०जा०
	(क) आरक्षणों को अग्रेनीत करने के कारण (अग्रेनीत किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग)		
	तृतीय वर्ष में	————	————
	द्वितीय वर्ष में	————	————
	प्रथम वर्ष में	————	————
	(ख) रोस्टर के अनुसार नए आरक्षण किए जाने के कारण ।	————	————
	(ग) इस विभाग के दिनांक 27-12-77 के का०ज्ञा०सं० 16/3/73-स्था० (एस०सी०टी०) की शर्तों के अनुसार लागू 50% का प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद उपर्युक्त (क) और (ख) के योग में से वास्तविक आरक्षण । (देखिए कालम 7.4 के नीचे टिप्पणी 2)		
	(घ) उपर्युक्त (ग) में से उन रिक्तियों की संख्या जिनका अनु०जा० और अनु०ज०जा० के बीच परस्पर आदान-प्रदान किया जा सकता है ।	अनु०जा०	अनु०ज०जा०

7.2 7(1)(ग) में से उन रिक्तियों की संख्या जिनके लिए अनु०जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध हो गए हैं । ———— ————

7.3 अनारक्षण के लिए प्रस्तावित रिक्तियों की संख्या

———— ————

टिप्पणी :

(1). कालम 7.1 में उल्लिखित आरक्षित रिक्तियों को भरते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पहले के किसी वर्ष से अग्रेनीत किए गए आरक्षणों का पहले उपयोग किया जाता है । उदाहरणार्थ, यदि कालम 6(1)(ग) में दिए गए आंकड़ों में 1975 और 1976 के भर्ती वर्षों से अग्रेनीत किए गए आरक्षण शामिल किए जाते हैं तब 1976 से अग्रेनीत किए गए आरक्षणों और चालू आरक्षणों का उपयोग किए जाने से पहले 1975 से अग्रेनीत आरक्षणों का पहले उपयोग किया जाएगा । इसके अतिरिक्त आदान-प्रदान किए जाने वाली रिक्तियों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय के दिनांक 25-3-70 के का०ज्ञा० संख्या 27/25/68-स्था० (एस०सी०टी०) और इस विभाग के दिनांक 2-4-79 के का०ज्ञा०संख्या 36013/2/79-स्था० (एस०सी०टी०) में दिए गए अनुदेशों को ध्यान में रखा जाए ।

(2). किसी भी भर्ती में रिक्तियों का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक केवल तभी हो सकता है जबकि संबंधित संवर्ग/ग्रेड में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं है ।

---

8. उपयुक्तता के अध्यधीन वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के मामले में :

(देखिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 27-11-72 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/71-स्था० (एस०सी०टी०)

8.1 क्या सामान्य वरिष्ठता सूची में निम्न स्थान रखने वालों सहित पदोन्नति के लिए पात्र अनु०जा०/अनु०ज०जा० के उम्मीदवारों पर आरक्षित रिक्तियाँ भरने के लिए उनकी अलग वरिष्ठता सूचियों के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया था ।

8.2	पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए अनु०जा०/अनु०ज०जाति के उम्मीदवारों की संख्या ।	अनु०जा०	अनु०ज०जा०
8.3	पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं समझे गए अनु०जा०/अनु०ज०जा० के उम्मीदवारों की संख्या ।	अनु०जा०	अनु०ज०जा०
8.4	यदि अनु०जा०/अनु०ज०जा० के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं तो किस तारीख को अनु०जा०/अनु०ज०जा० का वरिष्ठतम उम्मीदवार उक्त ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र बन जाएगा ।	———	———
9.	**समूह ग (श्रेणी-III) और समूह घ (श्रेणी-IV) में चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामले में** [देखिए गृह मंत्रालय का दिनांक 11-7-68 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-स्थापना (ग)]		
9.1	संबंधित पद पर पदोन्नतियां करने के लिए पालन किया गया सभी उम्मीदवारों के विचारण के लिए सामान्य क्षेत्र का आकार अर्थात् रिक्तियों की संख्या का 3 गुणा, 5 गुणा आदि ।		
9.2	विचारण के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनु०जा०/अनु०ज०जा० के उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें अन्य उम्मीदवारों की तरह समान आधार पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया । [देखिए ऊपर उल्लिखित दिनांक 11-7-1968 के का०ज्ञा० का पैरा 3(1)]	अनु०जा०	अनु०ज०जा०
9.3	अनु०जा०/अनु०ज०जा० के उन उम्मीदवारों की संख्या जो आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के अलग क्षेत्र में थे ।	———	———

(टिप्पणी : आरक्षित रिक्तियों के लिए अनु०जा०/अनु०ज०जा० के विचारण का क्षेत्र अलग है अर्थात् यदि सामान्य सूची के लिए विचारण का क्षेत्र भरी जाने वाली संभावित रिक्तियों की संख्या का 5 गुणा है तो अनु०जा०/अनु०ज०जा० की अलग सूचियों के लिए विचारण का क्षेत्र आरक्षित रिक्तियों की संख्या का 5 गुणा होगा, परन्तु यह शर्त होगी कि ऐसे क्षेत्र के अन्दर आने वाले अधिकारी यथा निर्धारित सेवा अवधि आदि से पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हों)

9.4	क्या अनु०जा०/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों की अलग सूचियां बनाई गई थीं और ऐसे उम्मीदवारों के गुणावगुण की अन्य अधिकारियों से तुलना किए बिना उन्हें चयन सूची में शामिल करने के लिए उनके बारे में अलग से मूल्यांकन किया गया था ।		हां/नहीं
9.5	पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए अनु०जा०/अनु०ज०जाति के उम्मीदवारों की संख्या । (उन उम्मीदवारों सहित जिनका उल्लेख उपर्युक्त कालम 9.2 में किया गया है) ।	अनु० जाति	अनु० जनजाति
9.6	पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझे गए अनु०जाति/अनु०ज०जाति के उम्मीदवारों की संख्या ।	----	----
9.7	यदि अनु०जा०/अनु०ज० जाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं थे तो किस तारीख को अनु०जा०/अनु०ज०जाति का वरिष्ठतम उम्मीदवार पदोन्नति के लिए पात्र बन जाएगा ।	----	----
10.	समूह ग (श्रेणी-III) से समूह ख (श्रेणी-II) में, समूह ख (श्रेणी-II) के भीतर और समूह ख (श्रेणी-II) से समूह क (श्रेणी-I) के वर्ग की निम्नतम सीढ़ी (रंग) में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में । (देखिए कार्मिक और प्र०सु० विभाग का दिनांक 20-7-74 का का०ज्ञा० संख्या 10/41/73-स्था० (एस० सी०टी०) ।		
10.1	सभी उम्मीदवारों के लिए विचारण क्षेत्र का आकार अर्थात रिक्तियों की संख्या का 3 गुणा, 5 गुणा आदि ।		
10.2	विचारण के सामान्य क्षेत्र में अनु०जाति/अनु०ज० जाति के उम्मीदवारों की संख्या (श्रेणी-II) में और श्रेणी-I की निम्नतम सीढ़ी (रंग) में चयन द्वारा पदोन्नतियों के लिए विचारण के सामान्य क्षेत्र के भीतर ही आने वाले अनु०जा०/अनु०ज० जाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाना है और अनु० जाति/अनु०ज० जाति के लिए विचारण के कोई अलग क्षेत्र नहीं हैं ।	अनु० जाति	अनु० जनजाति

10.3	पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए अनु०जा०/अनु०ज० जाति के उम्मीदवारों की संख्या ।	अनु० जाति	अनु० जनजाति
10.4	पदोन्नति के लिए उपयुक्त न समझे गए अनु० जा०/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या ।	अनु० जाति	अनु० जनजाति
10.5	अनु० जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जिन्हें अनु० जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया ।	————	————
	अनु० जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या जिन्हे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया ।	————	————

टिप्पणी : इस वर्ग की पदोन्नतियों में अनु० जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के बीच आरक्षणों का आदान प्रदान पहले वर्ष में ही हो सकता है ।

11.	विभागीय अर्हक अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति के मामले में :		
11.1	अनु०जा०/अनु०ज० जाति के उन उम्मीदवारों की संख्या जो परीक्षा में बैठे हैं ।	अनु० जाति	अनु० जनजाति
11.2	अनु० जा०/अनु०ज० जाति के उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने अपनी ही योग्यता के आधार पर परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है ।	————	————
11.3	अनु०जा०/अनु०ज० जाति के उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने छूट दिए गए मानदण्डों के आधार पर परीक्षा में अर्हता प्राप्त की है । (देखिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 23-12-70 के का०ज्ञा० संख्या 8/12/69-स्था० (एस०सी०टी०) दिनांक 21-7-77 के का०ज्ञा० संख्या 36021/10/76-स्था० (एस०सी०टी०) और दिनांक 19-4-79 के का०ज्ञा० संख्या 36011/6/79-स्था० (एस०सी०टी०)	————	————
12.	क्या अनारक्षित की जाने वाली रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए चयन सूची में अनुमोदित सामान्य वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध हैं और चयन सूची आरम्भ करने की तारीख क्या है ।		

13.1 क्या अनुपयुक्त समझे गए अनु०जा०/अनु०ज०जाति के उम्मीदवारों की गोपनीय रिपोर्टों में, जिन पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया था कोई प्रतिकूल प्रविष्टियां थीं ।

13.2 क्या ऐसा प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में अनु०जा०/अनु०ज०जाति के संबंधित अधिकारियों को समय पर सूचना दी गई थी, यदि सूचना नहीं दी गई तो सूचना न देने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ।

13.3 क्या आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त न पाए गए अनु०जा०/अनु०ज०जाति के पात्र उम्मीदवारों के मामले में, कार्मिक और प्र०सु० विभाग के दिनांक 6-10-76 के का०ज्ञा० संख्या 36012/3/75-स्था० (एस०सी०टी०) में निर्धारित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए हैं/रिपोर्ट किए गए हैं ।

14. जहां साक्षात्कार निर्धारित हैं उन मामलों में क्या अनु०जा०/अनु०ज०जाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार किसी अन्य दिन अथवा चयन समिति की उस बैठक के अलावा किसी अन्य बैठक में किया गया था जिस दिन/बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया गया था ।

15. (I) यदि रिक्तियों के अनारक्षण के लिए कार्योत्तर अनुमोदन मांगा जाना है तो वे कारण बताएं जाएं कि अनारक्षण करने से पूर्व प्रस्ताव क्यों नहीं किए गए और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ।

(II) वह स्तर जिस पर बिना पूर्व अनारक्षण के रिक्तियां भरने का निर्णय किया गया ।

16. अतिरिक्त सूचना (यदि कोई हो) ।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव मंत्रालय/विभाग (मूल) के सम्पर्क अधिकारी की पूर्ण जानकारी तथा सहमति से किया जा रहा है ।

2. इस प्रस्ताव की एक प्रति मंत्रालय/विभाग (मूल) द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-22 को पृष्ठांकित कर दी गई है ।

ह०* _____

पदनाम _____

मंत्रालय/विभाग _____

टेलीफोन संख्या _____

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एस०सी०टी०) अनुभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, पश्चिमी खण्ड-संख्या 1, स्कन्ध संख्या 7, प्रथम मंजिल, आर०के० पुरम, नई दिल्ली ।

मंत्रालय/विभाग _____

यू०ओ०संख्या/पृष्ठांकन संख्या _____ दिनांक _____

*मंत्रालय/विभाग (मूल) के अवर सचिव अथवा उससे उच्चतर स्तर के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं ।

अपत्र-III

केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों में स्थायीकरण के स्टेज पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के संबंध में प्रस्ताव भेजने का प्रपत्र । दिनांक 26-4-84 के का० ज्ञा० सं० 36011/20/84-स्था० (अनु० जनजाति) द्वारा

1. मंत्रालय/विभाग का नाम
2. रिक्तियां किस कार्यालय/सेवा की हैं, उसका नाम
3. जिस पद/सेवा के संबंध में अनारक्षण की मांग की गई है, उसका पदनाम, वर्गीकरण और वेतनमान :
   (क) पदनाम
   (ख) समूह (श्रेणी)
   (ग) वेतनमान

रिक्तियों के ब्यौरे :

(i) जिन स्थायी रिक्तियों पर स्थायीकरण किया जा रहा है तथा जिन पर विभाग में अस्थाई आधार पर पहले ही से लोग कार्य कर रहे है, उनकी कुल संख्या कितनी है । (स्थायी रिक्तियों में प्रत्यक्ष रिक्तियां और स्थायी रूप में परिवर्तित अस्थाई पद भी शामिल हैं)

(ii) किस तरह के रोस्टर का प्रयोग हो रहा है ?

(iii) रोस्टर के किस प्वाइंट पर रिक्तियां आ रही हैं ?	से	तक
	साइकिल	
(iv) नए आरक्षण कितने हैं ?	अनु०जा०	अनु० जनजा०

(v) अग्रेनीत आरक्षण, यदि कोई हो :

तीसरा वर्ष		
दूसरा वर्ष		
प्रथम वर्ष		

(vi) कुल रिक्तियां कितनी है और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी आरक्षित है (अर्थात् उपर्युक्त IV और V)	अ० जा०	अ० जन० जा०

5. (i) स्थायीकरण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति उपलब्ध हैं ?	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति

(ii) कितनी रिक्तियां अनारक्षित की जानी है ?

6. क्या स्थायीकरण के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं तो स्थायीकरण के लिए उन पर विचार न किए जाने के कारण निर्दिष्ट किए जाएं ।

7. यदि रिक्तियों के अनारक्षण के संबंध में कार्योत्तर मंजूरी मांगी जा रही हो तो कृपया यह निर्दिष्ट करें कि अनारक्षण के प्रस्ताव पहले क्यों नहीं किए गए थे ।

8. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो :

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव मंत्रालय/विभाग (मूल) के संपर्क अधिकारी की पूर्ण जानकारी से और उनकी सहमति से किया जा रहा है ।

2. इस प्रस्ताव की एक प्रति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, आर० के० पुरम, नई दिल्ली को पृष्ठांकित कर दी गई है ।

हस्ताक्षर*_____

पदनाम_____

_____मंत्रालय/विभाग

टेलीफोन_____

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक स्कन्ध-अनु० जा० अनुभाग), भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, वेस्ट ब्लाक नं० 1, विंग-7, प्रथम तल, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।

_____मंत्रालय/विभाग का दिनांक _____

का यू० ओ०/पृष्ठांकन संख्या_____

---

*प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अवर सचिव या उससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 16-11-79 का का० ज्ञा० संख्या 36011/25/79-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :— अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने की कार्यविधि का सरलीकरण—कुछ विशिष्ट मामलों में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को अनारक्षित करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाना ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जैसा कि इस विभाग के दिनांक 12-7-76 के का० ज्ञा० संख्या 28/14/74-स्था० (एस० सी० टी०) में स्पष्ट किया गया है, आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित माने जाने तथा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए उनका उपयोग किए जाने से पहले निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, उन सभी मामलों में इस विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होता है :—

(1) पूर्णतः अस्थायी पदों में आरक्षित रिक्तियां, जिनकी स्थायी बनाए जाने या अनिश्चित काल तक जारी रहने की कोई संभावना न हो ।

(2) वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों में आरक्षित रिक्तियां ।

2. हाल ही में यह महसूस किया गया है कि अनारक्षण के संबंध में इस विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी उपबन्ध के कारण प्रवर सूची में (इस तरह के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों सहित) अनुमोदित उम्मीदवारों को पदोन्नति देने में काफी विलम्ब होता रहा है और साथ ही साथ इस विभाग के ऊपर कार्य का भारी बोझ भी पड़ता रहा है । अतः यह आवश्यक समझा गया है कि कुछ चुनिंदा मामलों में कतिपय सुरक्षा के उपायों की शर्तों पर रिक्तियों को अनारक्षित करने के संबंध में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को स्वयं प्राधिकृत करने की संभावना का पता लगाया जाए । तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि इसके बाद भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग स्वयं ही निम्नलिखित शर्तों के अधीन केवल पदोन्नति द्वारा की गई भर्ती में आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने का अनुमोदन प्रदान करें :—

(1) संगत सेवा/भर्ती नियमों/आदेशों में निर्धारित पोषित संवर्गों (एस०) में न तो अनुसूचित जाति का ही और न ही अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार पदोन्नति के लिए उपलब्ध या पात्र है ।

(2) यथोचित निर्धारित प्रपत्र में अनारक्षण के लिए प्रस्ताव की एक प्रति

(i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त तथा

(ii) इस विभाग को सूचना के लिए तत्काल भेज दी गई हो ।

(3) अनारक्षण के लिए प्रस्ताव देख लिया है तथा मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारी द्वारा सहमति दे दी गई है ।

(4) अनारक्षण के प्रस्ताव पर सहमति ऐसे अधिकारी द्वारा दी जाए जिसका स्तर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग (मूल) में भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी तथा सम्पर्क अधिकारी के बीच में असहमति होने की अवस्था में इस विभाग की सलाह प्राप्त की जाए ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उपर्युक्त अनुदेशों को सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए । उन्हें यह विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया जाए कि उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करते हुए पदोन्नति पदों में आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षित करने के मामले को छोड़कर, रिक्तियों के अनारक्षण के सभी अन्य मामले पहले ही की भांति पूर्वानुमति के लिए इस विभाग को भेजे जाते रहेंगे ।

सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 4 जनवरी, 1980 का का० ज्ञा० संख्या 36011/27/79-स्थापना (एस० सी० टी०)

विषय :—विकेन्द्रीकृत केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को मालूम है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का केन्द्रीय सेवाएं प्रभाग विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के विभिन्न विकेन्द्रीकृत ग्रेडों की सीधी भर्ती तथा पदोन्नति का समन्वय कर रहा है जिसके विवरण निम्न प्रकार हैं ।

I. केन्द्रीय सचिवालय सेवा

(क) अनुभाग अधिकारी ग्रेड	(i)	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती ।
	(ii)	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभागीय परीक्षा ।
(ख) सहायक ग्रेड		संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती ।

II. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

(क) ग्रेड ख		संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभागीय परीक्षा ।
(ख) ग्रेड ग	(i)	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती ।
	(ii)	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभागीय परीक्षा ।
(ग) ग्रेड घ		कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती ।

III. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

(i) उच्च श्रेणी लिपिक		कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभागीय परीक्षा ।
(ii) अवर श्रेणी लिपिक	(क)	खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती ।
	(ख)	ग्रुप घ कर्मचारियों में से कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ।

उपर्युक्त परीक्षाओं के संबंध में, सामान्य उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां निर्दिष्ट करते हुए अनुभाग अधिकारी ग्रेड, सहायक ग्रेड तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड ख के अतिरिक्त जिनका रोस्टर केन्द्रीय सेवाएं प्रभाग द्वारा रखा जाता है (विभिन्न संवर्गों की आवश्यकताएं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले के वर्षों से

अग्रेनित की गई रिक्तियां भिन्न-भिन्न संवर्गों से एकत्रित की जाती हैं और संघ लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग को, जैसी भी स्थिति हो, उक्त सेवाओं में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन करने तथा सिफारिश करने के लिए सूचित की जाती हैं । सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, आरक्षित रिक्तियों का अपेक्षित सीमा तक अनारक्षण केन्द्रीय सेवाएं प्रभाग द्वारा इस विभाग के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रभाग तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के साथ मामले को उठाकर समेकित आधार पर कराना होता है । सामान्यत: जब स्वयं संवर्ग प्राधिकारियों से अनारक्षण की प्रत्याशा इस प्रमाण पत्र के साथ की जाती है कि ये प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारी की पूर्ण जानकारी से किए जा रहे हैं, तब ऐसे मामलो में यह निर्णय किया गया था कि उपर्युक्त विभिन्न ग्रेडों की भर्ती के संबंध में एक समेकित संदर्भ दिया जाए जिससे न केवल इस विभाग का कार्य कम होगा बल्कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय का भी कार्य कम होगा । अन्यथा यह मामला उसी प्रकार का होता है जैसा कि व्यक्तिगत संवर्गों को अनारक्षण के लिए संदर्भ देना पड़ता है और किसी ग्रेड/संवर्ग में जिन अनारक्षणों का सहारा किया जाता है उनकी मात्रा के बारे में भी सही तथा संपूर्ण जानकारी हो सकेगी ।

2. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के सम्पर्क अधिकारी जो केन्द्रीय सेवाएं प्रभाग द्वारा भेजे गए अनारक्षण प्रस्तावों के संबंध में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए यह कठिन है कि विकेन्द्रीकरण व्यवस्था में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अग्रेनित रिक्तियों के उपयोग के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकें । अत: विकेन्द्रीकृत संवर्गों में रिक्तियों के अनारक्षण से संबंधित क्रियाविधि की समीक्षा की गई है । यह महसूस किया गया है कि सामान्यत: नियोक्ता प्राधिकारियों के रूप में संवर्ग नियंत्रण एजेन्सियों की यह जिम्मेदारी है कि वे अनारक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव करें । फिर भी, यदि प्रत्येक संवर्ग प्राधिकारी इस विभाग को इस संबंध में कोई संदर्भ भेजता है तो यहां पर कार्य बहुत अधिक होगा और इसके अतिरिक्त विलम्ब भी होगा क्योंकि ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति केवल केन्द्रीय सेवा प्रभाग (संवर्ग प्रबंध के लिए नाडल एजेन्सी) द्वारा ही नहीं देनी होगी बल्कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रभाग (अनु० ज० जा० तथा अनु० जनजाति के लिए सरकार की आरक्षण संबंधी नीतियों के नाडल एजेन्सी) द्वारा भी देनी होगी । इसके साथ यह भी विचार किया गया है कि संवर्ग प्राधिकारियों के सम्पर्क अधिकारियों को आरक्षित कोटे के लिए सही भर्ती तथा आरक्षण आदेशों के लागूकरण के मामले में अधिक रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए । अत: दोनों ही बातों के पूरा किए

जाने के उद्देश्य से अर्थात् विद्यमान अनुदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की भर्ती हेतु आरक्षणों के सही नियमन के लिए संवर्ग प्राधिकारियों के सम्पर्क अधिकारी को जिम्मेदार बनाये जाने और आरक्षण कराने में जहां अपेक्षित हों, देरी को रोकने के लिए यह निर्णय किया गया है कि भविष्य में, नीचे निर्धारित की गई क्रियाविधि का अनुपालन किया जाए ।

(क) संवर्ग प्राधिकारी परीक्षा(ओं) के माध्यम से भर्ती के लिए रिक्तियां, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचित करते समय सामान्य रिक्तियां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पिछले वर्षों से अग्रेनीत की गई रिक्तियां तथा सभी अन्य संगत विवरण निर्दिष्ट करने की आवश्यकता को आवश्यक प्रमाण पत्र सहित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा उक्त सूचना संबंधित विभाग के माध्यम से कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न प्रपत्र में भेजी जाएगी ।

(ख) सूचित की गई रिक्तियों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के केन्द्रीय सेवा प्रभाग द्वारा समेकित किया जाएगा और परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवारों को सिफारिश किए जाने के लिए परीक्षा निकायों अर्थात संघ लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन-आयोग को जैसी भी स्थिति हो, भेजा जाएगा ।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर, के० से० प्रभाग द्वारा अनारक्षण के प्रस्ताव, आवश्यक होने पर, इस विभाग के अनुसूचित जाति तथा 'अनुसूचित जनजाति प्रभाग को किए जाएंगे, जो अग्रेनीत की गई रिक्तियों सहित आरक्षित रिक्तियों को ध्यान में रखकर सिफारिश किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वास्तविक उपलब्धता पर आधारित होंगे । विभिन्न संवर्ग प्राधिकरणों के संपर्क अधिकारी (अधिकारियों) से इस स्तर पर परामर्श नहीं किया जाएगा और न ही इस प्रयोजन के लिए कोई संपर्क अधिकारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में होगा ।

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रभाग से क्लिअरेंस प्राप्त होने पर, उम्मीदवारों का विभिन्न संवर्गों में आबंटन के० से० प्रभाग द्वारा किया जाएगा ।

(ङ) यदि नामांकित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्ति स्वीकार न करने से हुई कमी को पूरा करने के लिए किसी संवर्ग में अधिक उम्मीदवारों का आबंटन किया

जाता है तो सामान्य वर्गों से संबंधित ऐसे अधिपात्र उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की ऐसी कमी के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे में इन जातियों के निकल जाने से उत्पन्न रिक्तियों को भरा नहीं जाएगा बल्कि अगले वर्ष की रिक्तियों में जोड़ दिया जाएगा ।

3. तदनुसार, मुझे वित्त मंत्रालय आदि से यह अनुरोध करना है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, के जिन उपर्युक्त ग्रेडों में भर्ती को इस विभाग के के० से० प्रभाग द्वारा समन्वित किया जाता है उनमें आरक्षित रिक्तियों की भर्ती के संबंध में वे उपर्युक्त प्रणाली का अनुसरण करें । फिर भी, यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि 40 पाइंट रोस्टर को सावधानीपूर्वक बनाए रखने की जिम्मेदारी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी की होगी और इस विभाग के केन्द्रीय सेवाएं प्रभाग को सूचित की गई रिक्तियों के लिए भर्ती व्यवस्था करने से पहले संबंधित मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षण आदेशों को ठीक प्रकार से लागू किया गया है तथा संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा सूचित की जा रही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की गणना सभी प्रकार से ठीक है ।

अनुबंध

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग केन्द्रीय सेवाएं प्रभाग को रिक्तियों की संख्या रिपोर्ट किए जाने के लिए प्रपत्र

(1) संवर्ग का नाम :

(2) सेवा का नाम जिसमें भर्ती की जानी है :

(3) (क) भर्ती का तरीका :

(ख) निर्धारित किया गया कोटा यदि कोई हो :

(4) भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या :

(5) रोस्टर में वे प्वाइंट, जिनके अन्दर ये रिक्तियां आती हैं :

(6) ऊपर कालम (4) में अनु० जा० तथा अनु० ज० जा० के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(क) आरक्षण अग्रेनीत किए जाने के कारण वर्षवार विवरण देते हुए :		
अग्रेनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में रिक्तियां	----------	----------
अग्रेनीत किए जाने के दूसरे वर्ष में रिक्तियां	----------	----------
अग्रेनीत किए जाने के पहले वर्ष में रिक्तियां	----------	----------
कुल अग्रेनीत कि गई रिक्तियां	----------	----------
(ख) चालू रोस्टर प्वाइंट के अनुसार नवीन आरक्षण के कारण (देखिए ऊपर कालम 5)		
(ग) ऊपर (क) और (ख) के योग में से का० और प्रशा० सुधार विभाग के तारीख 27-12-1977 के का० ज्ञा० संख्या 16/3/73-स्था० (एस० सी० टी०) के अनुसार जहां कहीं लागू हो 50% का प्रतिबंध लागू करने के बाद, निवल आरक्षण । (कुल आरक्षण भर्ती के लिए उपलब्ध कुल रिक्तियों से अधिक नहीं होना चाहिए) ।		
(घ) ऊपर (ग) में से रिक्तियों की संख्या, जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में आपस में परस्पर विनियमित होती हैं ।		

तारीख . . . . . .

संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी
के हस्ताक्षर

सम्पर्क अधिकारी का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने ऊपर निर्दिष्ट विधि द्वारा उक्त कोटे (यदि कोई हो) के लिए केन्द्रीय सचिवालय . . . . . सेवा के संवर्ग प्राधिकारी द्वारा उक्त संवर्ग के संबंध में उपर्युक्त भर्ती के लिए रखे गए 40 प्वाइंट रोस्टर की जांच कर ली है और यह पाया है कि संवर्ग प्राधिकारी द्वारा ऊपर निर्दिष्ट की गई अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों के आरक्षण से संबंधित स्थिति सही है ।

(हस्ताक्षर)
सम्पर्क अधिकारी
मंत्रालय/विभाग

तारीख . . . . . .

सभी मंत्रालयों और विभागों आदि को संबोधित कार्मिक आ० प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 27-3-80 का का० ज्ञा० संख्या 36011/20/79 स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण-संशोधित प्रोफार्मा ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 2 नवम्बर, 1979 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन संख्या के संदर्भ में मंत्रालयों/विभागों का ध्यान दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के अधीन बहुत से अधीनस्थ कार्यालय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को जांच के लिए अनारक्षण के प्रस्तावों की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों को पृष्ठांकित करते हैं और प्रस्ताव सीधे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भेजते हैं ।

2. यह उल्लेख किया जाता है कि इस संबंध में सही पद्धति यह है कि अनारक्षण के सभी प्रस्तावों की इस विभाग में भेजने से पहले संबंधित मंत्रालयों/विभागों में जांच की जानी होती है । इस विभाग को ऐसे प्रस्ताव अग्रेषित करते समय, एक प्रति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भेजी जाए । फिर भी, जहां घोषित संवर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते वहां संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा पदोन्नति के पदों में रिक्तियों के अनारक्षण के संबंध में प्रस्तावों को अनुमोदित करना होता है । अनारक्षण के प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए उचित क्रियाविधि करने के संबंध में अनुदेश इस विभाग के तारीख

2-11-79 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/20/79 स्था० (एस०सी० टी०) तथा तारीख 16-11-79 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/25/79 स्था० (एस०सी० टी०) में पहले ही विद्यमान हैं ।

इन अनुदेशों को एक बार फिर से सभी मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में लाया जाता है ताकि इस बात पर बल दिया जाए कि कोई भी अधीनस्थ संगठन अनारक्षण के उन प्रस्तावों की प्रतियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को इस स्तर पर सीधे न भेजे, जिसकी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के स्तर पर ही आगे जांच की जानी है ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 6-1-1981 का पत्र संख्या 36011/15/79 स्थापना (एस० सी० टी०)

विषय :— अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों द्वारा किसी आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित करने और उसे सामान्य समुदाय के उम्मीदवार द्वारा भरने—आरक्षित रिक्तियों को उस समय तक न भरने जब तक आरक्षित वर्गों के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते—के संबंध में लिए गए निर्णय ।

उपर्युक्त विषय पर संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 29-1-79 के पत्र संख्या 16/12/(5)/78 आर० (सी० एण्ड० पी०) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिया गया उक्त निर्णय इस गलत धारणा पर आधारित प्रतीत होता है कि आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार के उपलब्ध न होने के परिणामस्वरूप यदि किसी आरक्षित रिक्ति को सामान्य वर्ग के उम्मीदवार द्वारा भर लिया जाता है तो वह रिक्ति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं रहती । परन्तु ऐसा नहीं होता क्योंकि प्रक्रिया यह है कि आरक्षणों को बाद के तीन भर्ती वर्षों तक अग्रेनीत किया जाता है । अनारक्षण, किसी आरक्षित रिक्ति को किसी अनारक्षित उम्मीदवार द्वारा भरने से पहले की प्रक्रिया है जबकि पदों का अग्रेनीत किया जाना अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने की विधि है । वास्तव में, मूल भर्ती वर्षो तथा पद के अग्रेनीत किए जाने के 3 वर्षो को गिनते हुए कुल मिलाकर चार भर्ती वर्षों तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार खोजने के लिए प्रयत्न करते रहना पड़ता है । आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए चार भर्ती वर्षों की अवधि को पर्याप्त लम्बी और युक्तिसंगत अवधि समझा जाना चाहिए । इस प्रकार अनारक्षण प्रक्रिया के तीन कार्य हैं, पहला यह कि आरक्षण को चार वर्ष तक कायम रखना चाहिए जिसके दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त

उम्मीदवारों को खोजने के प्रयत्न किए जा सकें । दूसरा यह कि इससे प्रशासन को इस कारण से हानि नहीं होती क्योंकि रिक्ति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की खोज के द्वारा भरे जाने तक के लिए रिक्त रखने की आवश्यकता नहीं होती और उसे सामान्य वर्ग के उम्मीदवार द्वारा भरा जा सकता है तथा तीसरा यह कि किसी आरक्षित रिक्ति पर सामान्य समुदाय के उम्मीदवार को भी नियुक्त किया जा सकता है जो कि जनहित में होगा लेकिन इससे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भी जब वे उपलब्ध नहीं होते, दीर्घकालीन हानि नहीं होगी ।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अत्याशा में न भरी गई रिक्ति को एक वर्ष से अधिक समय तक खाली रखने से आरक्षण रोस्टर के अनुरक्षण तथा प्रचालन पर अद्भुत बुरा प्रभाव पड़ा है । वर्तमान नियमों के अनुसार, रोस्टर में कोई अन्तर नहीं छोड़ा जा सकता और यदि आरक्षित रिक्तियों को कई वर्षों तक नहीं भरा जाता है तो रोस्टर में अद्भुत से अन्तराल पैदा हो जायेंगे । यदि कोई मंत्रालय/विभाग किसी विशेष वर्ष में आरक्षित रिक्ति को न भरी रखने का निर्णय करता है तो उक्त मंत्रालय अथवा विभाग को बाद के किसी वर्ष में भर्ती करने पर तब तक रोक लगानी होगी जब तक वे पिछले वर्ष की आरक्षित रिक्ति को नहीं भर लेते और रोस्टर में पाइंट को पूरा नहीं कर लेते । इस प्रकार मंत्रालयों/विभागों को यह निर्णय बाद के वर्ष में तब तक भर्ती न करने का खतरा उठाकर करना होगा जब तक पहले के वर्षों की आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से नहीं भर लिया जाता ।

3. अब प्रश्न यह रहता है कि क्या इस विभाग के इस संबंध के स्पष्ट अनुदेश होते हुए भी, मंत्रालयों/विभागों को ऐसे अलग-अलग निर्णय लेने का अधिकार है जो इस विभाग के आदेशों के अनुरूप नहीं है । समय समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के (कार्य आबंटन) नियम 1961 के अनुसार, कार्मिक विभाग ही एक ऐसा नोडल अभिकरण है जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के संबंध में निदेशात्मक नीति जारी करने का अधिकार रखता है । विधी मंत्रालय ने भी, जिससे इस मामले में परामर्श किया गया था, यह राय दी है कि उक्त कार्य आबंटन नियमों के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में नीतियां निर्धारित करने के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ही सक्षम है तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों को उनका अनुपालन करना है । यदि अन्य विभाग कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित उक्त नीतियों से भिन्न नीति अपनाते हैं तो कार्य संचालन नियमों के नियम 4 के उपनियम (4) की शर्तों के अनुसार उन्हें कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार

विभाग से परामर्श करना आवश्यक है अन्यथा कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित नीतियां उनके लिए बाध्यकारी हैं ।

4. मंत्रालयों आदि के निर्णय में एक दोष यह है कि मंत्रालयों आदि का यह विचार रहता है कि यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो रिक्ति भरने की आवश्यकता नहीं है जिसका संबंध लोकहित में पहले ही निर्णीत किसी पद की भर्ती की प्रशासनिक आवश्यकता उम्मीदवार के वर्गीय स्वरूप अथवा उसकी उपलब्धता से है जबकि वास्तविक रूप से रिक्ति को भरने की आवश्यकता स्वतंत्र रूप से निश्चित की जानी है और एक बार निश्चित कर लिए जाने के बाद आगे कार्रवाई की जानी चाहिए । तात्पर्य यह है कि प्रशासन को उस पद को भरने की आवश्यकता नहीं होगी जो रिजर्व प्वाइंट पर पड़ता है क्योंकि अनुसूचित समुदाय से उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने का परिणाम तथ्यों पर पुनर्विचार तथा तर्कों का पलटना होगा जो "लोकहित" की धारणा के सीमित विचार से भी अतिरिक्त होगा ।

5. इस प्रकार यह पता चलेगा कि अनुसूचि जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध होने तक आरक्षित रिक्तियों को न भरने के संबंध में व्यक्तिगत मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिए गए निर्णय से न तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों को सहायता मिलेगी जिनके हितों को विद्यमान नियमों द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है और न ही प्रशासन के लिए उपयोगी होगा क्योंकि उसे उन पदों का कार्य करने के लिए व्यक्ति नहीं मिलेंगे जिनके लिए भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी । दूसरी ओर; इससे ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी जिसे यदि तर्कसंगत परिणामों के लिए बढ़ाया जाता है तो आनुपातिक लाभ के बिना ही मामले अनिवार्यतः जटिल हो जाएंगे ।

6. उपर्युक्त स्थिति उन संबंधित मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में लाई जा रही है जिन्होंने इस संबंध में अलग से निर्णय ले लिए थे ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 7-4-1981 का का० ज्ञा० संख्या 36011/5/81—स्था० (अनु० जा०)

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण की प्रक्रिया का सरल बनाया जाना—अनारक्षण के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में स्पष्टीकरण ।

मुझे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 16-11-79 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/25/79-स्था० (एस० सी० टी०) जो पदोन्नति के मामलों में

भारी संख्या में शिकायतें/अभ्यावेदन अभी भी रूके पड़े हैं । अत: हम यह सुझाव देते हैं कि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों को इस प्रकार की शिकायतों/अभ्यावेदनों पर कार्रवाई करने में सर्वाधिक तत्परता दिखानी चाहिए जिससे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यावेदन यथा-संभव शीघ्र अपनी शिकायतों का निवारण करा सकें ।"

2. जहां तक सिफारिश संख्या 383 का संबंध है, "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की आरक्षण संबंधी विवरणिका" के अध्याय 5 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें मंत्रालयों/विभागों के लिये यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक कलैंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विभिन्न वार्षिक विवरण कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजें । अनुरोध है कि विभिन्न वार्षिक विवरण भेजे जाने के समय उनकी एक-एक प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली को भी भेजी जाए ।

3. जहां तक सिफारिश संख्या 391 का संबंध है, मंत्रालयों/विभागों आदि का ध्यान विवरणिका में किए गए प्रावधान की ओर दिलाया जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए विशेष सेल बनाए जाने चाहिए और संपर्क अधिकारी द्वारा रोस्टरों आदि का वार्षिक निरीक्षण भी किया जाना चाहिए । अनुरोध है कि इसके बारे में किए गए उपबंधों का अनुपालन करने के लिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अमल करने के लिए उपाय किए जाएं ।

4. जहां तक सिफारिश संख्या 403 का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि इस समय आरक्षण संबंधी प्रस्ताव कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जाता है और साथ ही साथ इस प्रस्ताव की प्रति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली को भेजी जाती है । अब यह निर्णय लिया गया है कि सीधी भर्ती और पदोन्नति के संबंध में आरक्षण के प्रस्ताव की प्रति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली को भी भेजी जाए । अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की टिप्पणियों के लिए प्रतीक्षा करने से संबंधित अन्य प्रावधान इस मामले में भी लागू होंगे ।

5. सिफारिश संख्या 438 के संबंध में यह अनुरोध है कि मंत्रालय और विभाग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर

पर्याप्त ध्यान दें जिससे कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों का कारगर ढंग से निवारण किया जा सके ।

6. वित्त मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु की जानकारी अपने सभी संबध्द और अधीनस्थ कार्यालयों को दे दें ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का 26-4-84 का का० ज्ञा० संख्या 36011/20/84-स्था० (अनु० जा०)

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनूसूचित जनजातियों के लिए स्थायीकरण में आरक्षण के संबंध में अतिरिक्त स्पष्टीकरण ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 12 मार्च, 1984 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36011/28/83-स्था (अनु० जा०) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अतिरिक्त स्पष्टीकरण के फलस्वरूप सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों में स्थायीकरण के स्टेज पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के संबंध में प्रस्ताव भेजने के विद्यमान प्रपत्र को संशोधित कर दिया गया है और उसकी प्रतिलिपि यहां संलग्न है । अतः भविष्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संबंध में स्थायीकरण में अनारक्षण के प्रस्ताव संशोधित प्रपत्र पर ही भेजे जाएं ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को इसकी जानकारी दे दें ।

आरक्षणों को आगे ले जाना तथा आरक्षणों का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में परस्पर आदान-प्रदान

गृह मंत्रालय का तारीख 4-12-63 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/24/63-स्था० (ध), तारीख 2-9-64 का का० ज्ञा० संख्या 1/4/64-एस० सी० टी० और गृह मंत्रालय का तारीख 25-3-1970 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/25/68 स्थापना (एस० सी० टी०)

11.1 आरक्षणों को आगे ले जाना

यदि आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातीयों के योग्य उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो अध्याय 10 में आरक्षण समाप्त करने के संबंध में दी गई कार्यविधि अपनाकर इन रिक्तियों का आरक्षण समाप्त किया जा सकता है और ऐसी आरक्षित रिक्तियों को अन्य समुदाय के उम्मीदवारों की नियुक्ति करके भरा जा सकता है । ऐसा अनारक्षण करने के पश्चात् समूह "ग" से समूह "ख" में, समूह ख में तथा समूह ख से समूह "क" की सबसे नीचे की सीढ़ी में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षणों के ऐसे मामलें को छोड़कर, जिनमें आरक्षित रिक्तियों को आगे लाने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है, आरक्षण अनुवर्ती तीन भर्ती वर्षों में आगे ले जाते हैं ।

का० और प्रशा० सुधार विभाग का तारीख 11-6-1974 का का० ज्ञा० सं० 16/3/74 स्था० (एस० सी० टी०) तारीख 29-4-75 का संख्या 1/9/74 स्था० (एस० सी० टी०)
तथा
गृह मंत्रालय का तारीख 25-3-70 का का० ज्ञा० सं० 27/25/68 स्था० (एस० सी० टी०)

टिप्पणी (1) : "भर्तीवर्ष" से अभिप्राय "कैलेण्डर वर्ष" से होगा और आरक्षित रिक्तियों को अग्रेनीत की तीन वर्षों की सीमा के प्रयोजनों के लिए यह भर्ती वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें वास्तव में भर्ती हुई हो ।

टिप्पणी (2) : जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल अवधि को एक से अधिक कैलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जाता है, तो पदोन्नति के मामलो में भर्ती वर्ष वह वर्ष होगा जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई प्रवर सूचि से प्रथम भर्ती की जाती है ।

का० और प्रशा० सुधार विभाग का 15-3-82 का का० ज्ञा० संख्या-36011.4.82 स्था० (एस० सी० टी०)

11.2 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में आरक्षणों का परस्पर आदान-प्रदान

यद्यपि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को केवल संबंधित समुदाय के लिए ही आरक्षित

माना जाता रहेगा तथापि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में जबकि रिक्ति को तीन भर्ती वर्ष आगे ले जाने के बाद भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से न भरा जा सके, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में इनके उम्मीदवार न मिलने पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। सामान्य व्यवस्था यह है कि विनियम केवल ऐसे आरक्षणों के लिए ही स्वीकार्य है जो तीसरे तथा अगले भर्ती वर्ष के लिए अग्रेनीत किया गया है। समूह "ग" से समूह "ख" में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में समूह "ख" के भीतर तथा समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम श्रेणी तक आरक्षणों को अग्रेनीत किए जाने की अनुमति नहीं है। भर्ती के उसी वर्ष में रिक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में परस्पर विनियमित की जा सकता है।

टिप्पणी (2): पहले पिछले वर्ष की आगे लाई गई तथा अनुसूचित जातियों और/अनुसूचित जनजातीयों के लिए आरक्षित रिक्तियों को उनके कालानुक्रम से भरा जाएगा। यदि सभी रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों और/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न हों तो सबसे पहले आगे लाई गई रिक्तियों को भरा जाए तथा अपेक्षाकृत बाद में आगे लाई गई रिक्तियों को आगे ले जाया जाए।

उदाहरणार्थ निम्नलिखित रीति से अग्रेनीत की गई और नई आरक्षित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए माना कि किसी विशेष भर्ती वर्ष के दौरान 50 रिक्तियां हैं जिसमें से 22 आरक्षित रिक्तियां अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातीयों के लिए आरक्षित है :—

		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
तीसरे वर्ष	—	1	5
दूसरे वर्ष	—	—	2
पहले वर्ष	—	1	1
नई	—	8	4
		10	12

अनुसूचित जातियों के लिए 10 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 आरक्षित रिक्तियों पर माना कि अनुसूचित जातियों के लिए 8 तथा अनुसूचित जन जातीयों के लिए एक उपलब्ध है । चूंकि सबसे पहले पुराने अग्रेनीत आरक्षण को पहले समायोजित किया जाना है, इसलिए सबसे पुराने अग्रेनीत अर्थात् तीसरे वर्ष की रिक्तियों पर अनुसूचित जनजाति के एक उम्मीदवार को समायोजित किया जाना होगा । अग्रेनीत तीसरे वर्ष के अनुसूचित जनजातियों की शेष बची हुई 4 रिक्तियां अनुसूचित जातियों में विनियमित हो सकती हैं । अनुसूचित जातियों के 8 उम्मीदवारों में से 4 विनियमित होने वाली रिक्तियों में समायोजित की जा सकेगी, अनुसूचित जातियों के लिए तीसरे वर्ष में से एक तथा अनुसूचित जातियों के लिए प्रथम वर्ष में से एक तथा अनुसूचित जातियों के लिए नए आरक्षण में से दो । अत: अनारक्षण अनुसूचित जातियों की 6 रिक्तियों के लिए तथा अनुसूचित जन जातियों की 7 रिक्तियों (दूसरे वर्ष की 2, पहले वर्ष की 1 नए आरक्षण के 4 पद) के लिए आवश्यक है ।

उस वर्ष में भरी गई आरक्षण की कुल संख्या कुल रिक्तियों के सामान्यत: 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए । जब 50 प्रतिशत की सीमा लागू की जाती है तो 50 प्रतिशत से ऊपर अधिशेष यदि कोई हो, तो अगले भर्ती वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जाएगा, किन्तु शर्त यह होगी कि विशिष्ट अग्रेनीत रिक्तियां उनके तीन वर्ष से अधिक होने के कारण समय बाधिक न हो पाए ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 9-2-1982 का का० ज्ञा० सं० 36012/3/78. स्था० (अनु० जा०)

का० और प्रशा० सुधार विभाग का दिनांक 29-4-75 का का० ज्ञा० संख्या-1/9/74. स्था० (एस० सी० टी०) का दिनांक 30-11-81 का का० ज्ञा० सं० 36011/29/81 स्था० (अनु० जा०)

11.3 किसी भर्ती वर्ष में होने वाली मात्र एक रिक्ति का आरक्षण तथा अग्रेनीत किया जाना ।

जब किसी प्रारम्भिक भर्ती वर्ष में मात्र एक रिक्ति उत्पन्न होती हो और तत्संबंधी रोस्टर प्वाइंट अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के किसी उम्मीदवार के लिए हो तो उक्त रिक्ति अनारक्षित मानी जानी चाहिए और उसे तदनुसार ही भरा जाना चाहिए, लेकिन अनुवर्ती वर्षों में भले ही एक मात्र रिक्ति हो उक्त रिक्ति प्रारंभिक भर्ती वर्ष से अग्रेनीत आरक्षण के स्थान पर "आरक्षित रिक्ति" मानी जानी चाहिए और यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोई उम्मीदवार उपलब्ध हो, तो उक्त रिक्ति पर नियुक्त किया जाना चाहिए, भले ही उक्त रिक्ति उस भर्ती वर्ष/वर्षों की एकमात्र रिक्ति ही क्यों न हो । यह व्यवस्था समूह "ग" से समूह "ख" में चयन द्वारा

पदोन्नति के मामले में, समूह "ख" के भीतर तथा समूह "ख" से समूह "क" की निम्नतम श्रेणी तक लागू होगी । जहां एकमात्र रिक्ति हो, उसे अनारक्षित माना जाए तथा आरक्षण को अनुवर्ती तीन भर्ती वर्षों तक अग्रनीत किया जाए, भले ही इस विशेष पदोन्नति के मामले में आरक्षणों को अग्रनीत किए जाने की अनुमति न हो ।

यदि कोई एकमात्र रिक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्वाइंट में आती है और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा उसकी अपनी योग्यता या वरिष्ठता के आधार पर भरी जाती है, तो उसे अनारक्षित मानने की आवश्यकता नहीं है और आरक्षण अग्रनीत नहीं किया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में दिनांक 29-4-75 के आदेशों के उपबंध लागू नहीं होंगे । इसके अतिरिक्त, यदि कोई एकमात्र रिक्ति अनुसूचित जातियों/जनजातियों संबंधी आरक्षित प्वाइंट में आती है और उसे अन्य आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार द्वारा उसकी अपनी योग्यता या वरिष्ठता जैसा भी मामला हो, के आधार पर भरी जाती है तो ये रिक्तियां अनारक्षित समझी और मानी जाएगी मानो कि उसे सामान्य प्रवर्ग द्वारा भरा जाता है और उक्त रिक्ति अग्रनीत भी की जाएगी । इन मामलों में ऊपर इस विभाग के दिनांक 29-4-1975 के ऊपर संदर्भित कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेश लागू होंगे ।

गृह मंत्रालय का तारीख 28-9-1977 और 29-9-77 का पत्र संख्या 13019/1/75-ए० पी०

11.4 **कुछ संघ राज्य क्षेत्रों की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच आरक्षणों का परस्पर विनिमय**

(i) अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों के पदों/सेवाओं में समूह "क" (श्रेणी-I) और समूह ख (श्रेणी-II) पर सीधी भर्ती और (ii) इन दो संघ राज्य क्षेत्रों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादरा तथा नागर हवेली में पदों/सेवाओं में जहां आरक्षण योजना लागू होती है, पदोन्नति करते समय पदों/सेवाओं के संबंधित वर्गों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित ऐसी रिक्तियों को जिन्हें भरा न जा सका हो, अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार की नियुक्ति करके प्रति वर्ष भरा जा सकता है, इन्हें भरने के लिए ऊपर पैरा 11.2 में उल्लिखित सामान्य अनुदेशों के अंतर्गत आगे ले जाने के तीसरे वर्ष में ही भरा जाना आवश्यक नहीं है ।

अध्याय ग्यारह में कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

का० ज्ञा० संख्या/1-7-62 (एस० सी० टी०) (1)	दिनांक 24-9-62
का० ज्ञा० संख्या 2/24/63-स्था०(घ)	दिनांक 4-12-63
का० ज्ञा० संख्या/1-4-64 (एस० सी० टी०) (1)	दिनांक 2-9-64
का० ज्ञा० संख्या 27/25/68 स्था०(एस० सी० टी०)	दिनांक 25-3-70
का० ज्ञा० संख्या 16/5/74 स्था०(एस० सी० टी०)	दिनांक 11-6-74
का० ज्ञा० संख्या 1/9/74 स्था०(एस० सी० टी०)	दिनांक 29-4-75
पत्र संख्या यू० 13019/1/75-ए० पी०	दिनांक 28-9-77
पत्र संख्या यू० 13019/1/75-ए० पी०	दिनांक 29-9-77
का० ज्ञा० संख्या 36013/2/79 स्था०(एस० सी० टी०)	दिनांक 2-4-79
का० ज्ञा० संख्या 36011/39/81 स्था०(एस० सी० टी०)	दिनांक 30-11-81
का० ज्ञा० संख्या 36012/3/78 स्था०(एस० सी० टी०)	दिनांक 9-2-82
का० ज्ञा० संख्या 36011/4/82 स्था०(एस० सी० टी०)	दिनांक 15-3-82

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रलय का ता० 24 सितम्बर, 1962 का कार्यालय ज्ञापन सं० 1/7/62 (एस० सी० टी०) (1)

विषय :—विवरणिका में दिए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी अनुदेश और इस संबंध में स्पष्टीकरण कि क्या अनुसूचित जनजाति के उम्मदवारों के लिए आरक्षित पदों के लिए अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की हालत में उन पदों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया जाए तथा क्या विलोमत: भी ऐसा किया जाए ।

इस मंत्रालय के तारीख 7 दिसम्बर, 1954 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/32/53-एन० जी० एस० (एस० सी० टी०) के पैरा 2 में यह उल्लेख किया गया था कि यदि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार काफी संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो अगले समायोजन के अधीन न भरी गई रिक्तियों को अनुसूचित जनजाति के लिए और विलोमत: आरक्षित समझा जा सकता था । अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग ने यह सिफारिश की थी कि संघ सरकार के उन मौजुदा आदेशों को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिनके अनुसार यदि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए उपयुक्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जातियों की नियुक्ति कर दी जाए ।

2. अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आयोग का सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के न मिलने पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के लिए और विलोमत: आरक्षित मानने के संबंध में तारीख 7-12-54 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए उपबन्ध को इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61-एस० सी० टी०-1 द्वारा जारी की गई विवरणिका में शामिल नहीं किया गया है और इस लिए अब लागू नहीं है । दूसरे शब्दों में अब स्थिति यह है कि उन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं माना जा सकता जिनके लिए अनुसूचित जनजतियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तथा विलोमत: भी ऐसे ही हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित उन रिक्तियों को उपर्युक्त विवरणिका के 15-17 पैरों के अनुसार अनारक्षित माना जा सकता है, जिनके लिए संबंधित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है ।

मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त स्पष्टीकरण को अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में लाने की कृपा करें ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का दिनांक 4 दिसम्बर, 1963 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (24)/63-स्था० (ब)

विषय :—केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के उपाय । "अग्रेनीत करने" संबंधी नियम की समीक्षा ।

मुझे इस मंत्रालय के 7 मई, 1955 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/11/55-आर० पी० एस० के पैरा II की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें "अग्रेनीत करने" संबंधी नियम का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार यदि किसी विशेष वर्ग में संबंधित वर्गों से आरक्षित रिक्तियों के लिए पात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार काफी संख्या में उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को, उस वर्ष के दौरान अनारक्षित रिक्तियां माना जाता है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की इस कमी को, आरक्षण के अन्तिम रूप से व्यपगत माने जाने से पहले, भर्ती के अगले दो वर्षों में अग्रेनीत किया जाना है । चूंकि इस नियम में, अगले दो वर्ष तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या को अग्रेनीत करने संबंधी किसी प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं है, अतएव ऐसे मामले भी देखने में आए हैं जिनमें आरक्षित रिक्तियों की संख्या, वर्ष के दौरान उपलब्ध रिक्तियों के पचास प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गई हैं । इस प्रकार "अग्रेनीत करने" संबंधी नियम से संविधान के अनुछेद 16(1) और (2) के उपबंधों का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि इससे आरक्षण बढ सकता है और जिससे अन्य समुदायों के सदस्य रोजगार के समुचित अवसर से बिल्कुल वंचित रह सकते हैं । यद्यपि संविधान में उस सीमा पर कोई विशेष प्रतिबंध की व्यवस्था नहीं है, जहां तक संविधान के अनुच्छेद 16(4) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, तथापि उस शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिससे संविधान के अनुछेद 16(1) और (2) के अंतर्गत दिए गए आश्वासन पूरे किए जा सके । दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 16(4) के विशेष उपबंध होने के कारण, उसका इस तरह प्रयोग नहीं किया जा सकता, जिससे अनुछेद 16(1) और (2) के उपबंधों की अवहेलना हो ।

2. इसलिए भारत सरकार ने अपनी नीति में संशोधन करके निम्नलिखित निर्णय लिया है :

यदि भर्ती के समय उपयुक्त वर्गों से, आरक्षित रिक्तियों के लिए पात्र योग्य उम्मीदवार काफी संख्या में उपलब्ध न हों, तो इन रिक्तियों को अनारक्षित रिक्तियां मानकर भरा जाए, परन्तु उन्हें आगामी भर्ती के

समय अग्रेनीत किया जाएगा । तथापि, किसी ऐसे अवसर पर, सामान्य आरक्षित रिक्तियों की संख्या और "अग्रेनीत" आरक्षित रिक्तियों की संख्या का जोड़, कुल रिक्तियों के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । इसके बावजूद, यदि केवल दो ही रिक्तियां हों, तो उनमें से एक रिक्ति को आरक्षित माना जा सकता है । परन्तु यदि केवल एक ही रिक्ति हो, तो उसे अनारक्षित माना जाएगा ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में इस सीमा के अनुसार "अग्रेनीत" रिक्तियों का नियतन इन दो जातीयों की कुल "अग्रेनीत" आरक्षित रिक्तियों के अनुपात में होगा ।

45 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त रिक्तियों को अगली भर्ती के लिए अग्रेनीत किया जाएगा, बशर्ते कि ये अग्रेनीत विशेष रिक्तियां, दो वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण कालातीत नहीं हो जाती ।

3. इस मंत्रालय के 7 मई, 1955 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दर्ज हिदायतों का उपरोक्त सीमा तक अधिक्रमण समझा जाए । ये आदेश जारी होने के तारीख से लागू होंगे, और इसके बाद की जाने वाली सभी नियुक्तियां, इस कार्यालय ज्ञापन के उपबंधों के अनुसार होंगी ।

सभी मंत्रालयों आदि को संशोधित गृह मंत्रालय का तारीख 2 सितम्बर 1964 का का० ज्ञा० सं० 1/4/64-एस० सी० टी०(1)

विषय :—केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण ।

इस मंत्रालय के तारीख 4 दिसम्बर, 1963 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/24/63-स्था० (घ) के पैरा 2 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी भर्ती के समय, सामान्य आरक्षित रिक्तियों की संख्या का जोड़ और "अग्रेनीत" आरक्षित रिक्तियों की संख्या का जोड़, रिक्तियों की कुल संख्या के 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि केवल दो ही रिक्तियां हों, तो उनमें से एक रिक्ति अनारक्षित होगी । इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण को भर्ती के प्रत्येक अवसर के स्थान पर भर्ती के वर्ष से संबंधित करना अधिक सुविधाजनक नहीं होगा । यह निर्णय लिया गया है कि इसके बाद आरक्षित रिक्तियों का नियतन "भर्ती वाले वर्ष" से सम्बद्ध

किया जाएगा । तदनुसार इस मंत्रालय के तारीख 4 दिसम्बर, 1963 के का० ज्ञा० सं० 2/24/63-स्था० (घ) के पैरा 2 में दर्ज निर्णय में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है :—

यदि आरक्षित रिक्तियों के लिए पात्र उपयुक्त उम्मीदवारों की काफी संख्या, भर्ती के किसी वर्ष में, उपयुक्त वर्गों से उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्तियों को अनारक्षित मान कर भरा जा सकता है, परन्तु उन्हें अगले भर्ती वाले वर्षों में अग्रेनीत किया जाएगा । परन्तु किसी भर्ती वाले वर्ष में सामान्य आरक्षित रिक्तियों की संख्या और अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियों की संख्या का जोड़ रिक्तियों की कुल संख्या के 45 प्रतिशत से अधिक न होगा । इसके बावजूद यदि दो ही रिक्तियां हों तो उनमें से एक रिक्ति को आरक्षित माना जाएगा । परन्तु यदि एक ही रिक्ति हो तो उसे अनारक्षित माना जाएगा । किसी भर्ती वाले वर्ष में, या अन्यथा पात्रता की शर्तें वही रहेंगी भले ही उस वर्ष में एक से अधिक बार भर्ती की जाती हो, अर्थात् किसी विशेष वर्ष की पहली जनवरी को पात्र व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, कि वह उस समय तक पात्र नहीं रहा था जबकि सम्बद्ध रिक्ति (जिस पर उसे नियुक्त किया जा सकता था) बाद में उस वर्ष निकली थी । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में उपर्युक्त सीमा के अन्दर अग्रेनीत रिक्तियों का नियतन दोनों वर्गों की कुल अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियों के अनुपात में होगा ।

45 प्रतिशत से अधिक पदों को इस शर्त पर भर्ती के अगले वर्ष तक अग्रेनीत किया जाएगा, कि कोई विशेष अग्रेनीत रिक्तियां दो वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण कालातीत नहीं हो जाती ।

टिप्पणी :—"भर्ती वाले वर्ष से कैलेंडर वर्ष" का और आरक्षित रिक्तियों के अग्रेनीत करने की दो वर्ष की सीमा संबंधी वर्ष से ऐसे वर्ष का तात्पर्य होगा, जिसमें, वस्तुतः भर्ती की जाती है ।

2. यह देखा जाएगा कि इन निर्णयों के अनुसार किसी भर्ती वाले वर्ष में होने वाली पहली रिक्ति निश्चित रूप से अनारक्षित मानी जाएगी, अर्थात् रोस्टर में उस प्वाइंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा जिस पर किसी वर्ष में पहली रिक्ति होती है । यदि (I) पहली रिक्ति आरक्षित प्वाइंट पर पड़ती है । और उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उसे अनारक्षित माना गया हो या (II) दूसरी रिक्ति साधारणतया रोस्टर में आरक्षित

प्वाइंट पर पड़ती हो तो दूसरी रिक्ति को फिर आरक्षित माना जाएगा । यदि तीसरी रिक्ति साधारणतया आरक्षित की जानी चाहिए थी तो आरक्षण वर्ष के लिए चौथे प्वाइंट पर आ जाएगा ।

3. मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णय अपने अधीनस्थ सभी भर्ती करने वाले अधिकारियों के ध्यान में लाएं । पहले आदेशों में जारी की गई हिदायतों और इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61-एस० सी० टी० (1) के साथ संलग्न विवरणिका को उपर्युक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक सीमा तक संशोधित समझा जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 25 मार्च, 1970 का का० ज्ञा० सं० 27/25/68-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—ऐसे आरक्षणों की प्रतिशत संख्याओं तथा आगे ले जाने की अवधि का पुनरीक्षण—अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनुसूचित जातियों के लिए उपयोग करना ।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की प्रतिशत संख्याओं का पुनरीक्षण

1961 की जनगणना के अनुसार बताई गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के अधीन पदों तथा सेवाओं में इन समुदायों के लिए आरक्षण की प्रतिशत संख्याओं के पुनरीक्षण करने का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन है । गृह मंत्रालय के तारीख 25 मार्च, 1970 के संकल्प संख्या 27/25/68-स्थापना (एस० सी० टी०) (प्रतिलिपि संलग्न) में बताए अनुसार इन प्रतिशत संख्याओं के पुनरीक्षण करने का अब निर्णय किया गया है ।

आरक्षणों को आगे ले जाने की अवधि

2. इस मंत्रालय के तारीख 2 सितम्बर, 1964 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/4/64-एस० सी० टी० (1) के अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षित रिक्तियाँ इन समुदायों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण उपयुक्त समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरी जा सकी है, उन्हें बाद में

भर्ती के दो वर्षों तक आगे ले जाना आवश्यक है । सरकार ने अब निर्णय किया है कि आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने की अवधि को बाद के भर्ती के दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया जाना चाहिए । तदनुसार, यदि मास सन् 1970 में होने वाली कोई रिक्ति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है और संबंधित समुदाय का कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो, तो भर्ती के आगामी वर्ष तक आरक्षण आगे ले जाया जाएगा तथा यदि उस वर्ष में भी संबंधित जाति का कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुआ, तो यह आरक्षण समाप्त होने से पहले इसी प्रकार भर्ती के आगामी दो वर्षों तक आगे ले जाया जाएगा ।

आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने के अन्तिम वर्ष में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में परस्पर रिक्तियों का विनिमय

3. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयोग करने तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का अनुसूचित जातियों के लिए उपयोग करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है तथा इस मंत्रालय के तारीख 24 सितम्बर, 1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/7/62-एस० सी० टी० (1) में दिए गए आदेशों का संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आरक्षित रिक्तियाँ केवल संबंधित जाति के लिए आरक्षित मानी जाती हैं और यदि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाने के तीसरे वर्ष में भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा नहीं भरा जा सका हो तो उक्त स्थान पर अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार नियुक्त करने के लिए विचार किया जाए । इसलिए जो रिक्तियां तीसरे वर्ष तक आगे ले जाई गई हों, उसे विज्ञापित करते अथवा अधिसूचित करते समय विज्ञापन मांग पत्र में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यद्यपि रिक्ति अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है परन्तु उपयुक्त अनुसूचित जाति का उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के बारे में विचार किया जा सकेगा । इसी प्रकार की व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में भी लागू होगी ।

4. उपर्युक्त पैरा 2-3 में उल्लिखित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख को अथवा बाद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जो भी रिक्तियां आरक्षित होंगी, परन्तु संबंधित जाति के सदस्यों द्वारा नहीं भरी जाएंगी, उन्हें वर्तमान स्थिति के अनुसार भर्ती के दो वर्षों की बजाए भर्ती के आगामी तीन वर्षों तक अग्रेनीत किया जाएगा । जो आरक्षित रिक्तियां इस

कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से पहले हुई थी और उन्हें एक वर्ष के लिए अग्रेनीत किया गया था, उन्हें अब भर्ती के दो और वर्षों तक अग्रेनीत किया जाएगा । इसी प्रकार जो आरक्षित रिक्तियां भर्ती के दो वर्षों तक अग्रेनीत की गई थी, उन्हें भर्ती के तीसरे वर्ष में भी अग्रेनीत किया जाएगा । आरक्षित स्थानों को अग्रेनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में, उपर्युक्त पैरा 3 के उपबंधों के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए विचार किया जाएगा ।

5. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णयों को अपने अधीन सभी प्राधिकारियों/प्राधिकरणों के ध्यान में लाएं । जिनमें वे सभी सरकारी उपक्रम तथा अर्द्ध सरकारी निकाय शामिल हैं, जिनके साथ उनका प्रशासनिक संबंध है ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 11 जुलाई, 1974 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/5/74-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण—ऐसे आरक्षणों को आगे लाए जाने की अवधि ।

मुझे गृह मंत्रालय (अब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के तारीख 2 सितम्बर, 1964 के का०ज्ञा० संख्या 1/4/64-एस०सी०टी० (1) तथा तारीख 25 मार्च, 1970 के का० ज्ञा० संख्या 27/25/68-स्थापना (एस०सी०टी०) में दिए गए अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित ऐसी रिक्तियों को, जो इन जातियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण भरी न जा सकी हों, अनुवर्ती तीन भर्ती वर्षों तक आगे लाया जाना आवश्यक है । इस प्रयोजन के लिए भर्ती वर्ष का अर्थ एक कैलेण्डर वर्ष है और आरक्षित रिक्तियों को आगे लाए जाने के लिए तीन वर्ष की सीमा के प्रयोजन के लिए, इसका अर्थ वह वर्ष है, जिसमें वस्तुतः भर्ती की जाती है ।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1970-71 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

लिए आगे ले जाने के वास्ते तीसरे वर्ष की अपेक्षा प्रत्येक वर्ष भर ली जाएं । इन मामलों में यदि कोई आरक्षित रिक्तियां न भरी गई हों तो उपर्युक्त आदान-प्रदान के बाद भी उनके आगे ले जाने की अवधि पहले की भांति तीन वर्ष ही रहेगी ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 2 अप्रैल, 1979 का सं० सं० संख्या 36013/2/79-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अग्रनीत किया जाना तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षणों के बीच आरक्षणों में तीसरे वर्ष में अदला-बदली ।

मुझे, गृह मंत्रालय के दिनांक 25-3-1970 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 27/25/68-स्था० (एस०सी०टी०) के पैरा 2 तथा 3 का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके अनुसार यद्यपि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को केवल उक्त संबंधित समुदायों के लिए ही आरक्षित माना जाता है, तो भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति जब अग्रनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा न भरी जा सकी हो तो उस रिक्ति पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाता है । उसी प्रकार यह व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के मामले में भी लागू होती है । इसके अतिरिक्त, यदि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार सभी रिक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं होते तो अग्रनीत की गई पुरानी रिक्तियां पहले भरी जाएं और बाद में अग्रनीत की गई रिक्तियों को और आगे अग्रनीत किया जाना चाहिए, (देखिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी पुस्तिका, पांचवा संस्करण, 1978 के पैरा 11.1 के नीचे टिप्पणी (2)) । इस विभाग की जानकारी में ऐसे उदाहरण आए हैं जिनमें यद्यपि अनुसूचित जनजातियों के लिए अग्रनीत आरक्षित रिक्तियां तीसरे वर्ष में उपलब्ध थीं अर्थात् वे अनुसूचित जातियों के पक्ष में अदला बदली योग्य थीं, तो भी ऐसी रिक्तियों के लिए उपलब्ध अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को समायोजित किए बिना इन रिक्तियों को व्ययगत माना गया था । एक उदाहरण उद्धृत किया जा सकता है, किसी नियोक्ता प्राधिकारी के अधीन 13 रिक्तियां अनुसूचित जातियों के लिए तथा 24 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं । अनुसूचित जनजातियों के लिए 24 रिक्तियों में से 22 रिक्तियां भर्ती के तीसरे वर्ष में

अग्रेनीत की गई थीं और अतः ये रिक्तियां अनुसूचित जातियों के पक्ष में अदला बदली योग्य थीं । वास्तव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 13 रिक्तियों के लिए उनके 23 उम्मीदवार उपलब्ध थे (और अनुसूचित जन जाति का कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था) नियोक्ता प्राधिकारी ने यह प्रस्ताव किया कि अदला बदली योग्य 22 आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुसूचित जाति के केवल 10 (23—13) अधिशेष उम्मीदवार ही समायोजित किए जाएं तथा तीसरे वर्ष में अग्रेनीत की गई अनुसूचित जनजातियों की शेष 12 रिक्तियां व्यपगत हुई मानी जाएं । नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उक्त आदेशों की उपर्युक्त ढंग से की गई व्याख्या सही नहीं थी और नियोक्ता प्राधिकारी को इसका उल्लेख अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त तथा इस विभाग द्वारा किया गया था । इस प्रकार के मामले में सही व्याख्या तो यह है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए तीसरे वर्ष में अग्रेनीत की गई रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों के 23 उम्मीदवारों में से 22 को पहले समायोजित किया जाए और अनुसूचित जाति के शेष एक उम्मीदवार को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की गई 13 रिक्तियों में से एक पर समायोजित किया जाए । इस प्रकार उद्धृत किए गए मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए अग्रेनीत की गई रिक्तियों में से कोई भी रिक्ति व्यपगत नहीं होनी चाहिए थी तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित प्रयोग में न लाई गई अर्थात् 12 रिक्तियों को अग्रेनीत कर दिया जाता । यह अनुरोध है कि आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती करते समय जब ऐसे मामले उत्पन्न हों तो ऊपर उल्लिखित आदेशों की सही व्याख्या को ध्यान में रखा जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 30 नवम्बर, 1981 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/39/81-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नति संबंधी रिक्तियों में आरक्षण—किसी भर्ती वर्ष में होने वाली एकमात्र रिक्ति—

इस विभाग के दिनांक 29-4-1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/9/74-स्थापना (एस०सी०टी०) की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें यह शर्त लगाई गई है कि जब किसी प्रारम्भिक भर्ती-वर्ष में मात्र एक रिक्ति उत्पन्न होती हो और तत्संबंधी रोस्टर प्वाइंट अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के किसी उम्मीदवार के लिए हो, तो उक्त रिक्ति अनारक्षित मानी जानी चाहिए और उसे तदनुसार ही भरा जाना

चाहिए और आरक्षण तीन भर्ती-वर्षों तक अग्रेनीत किया जाना चाहिए लेकिन परवर्ती वर्षों में भले ही एक-मात्र रिक्ति हो, उक्त रिक्ति प्रारम्भिक भर्ती वर्ष से अग्रेनीत आरक्षण के स्थान पर "आरक्षित रिक्ति" मानी जानी चाहिए, और यदि अनुसूचित जातियों/जनजातियों का कोई उम्मीदवार उपलब्ध हो, तो उसे उक्त रिक्ति पर नियुक्त किया जाना चाहिए, भले ही उक्त रिक्ति उस भर्ती-वर्ष/वर्षों में एकमात्र ही क्यों न हो।

2. यह संदेह उठाया गया है कि यदि कोई एक मात्र रिक्ति आरक्षित प्वाइंट में आती हो और वह आरक्षित वर्ग के किसी उम्मीदवार द्वारा उसकी अपनी योग्यता अथवा वरिष्ठता (सूची में वरिष्ठतम होने के कारण) के अनुसार, जैसा भी मामला हो, भरी जाती हो तो उसे एकमात्र रिक्ति कैसे माना जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई एकमात्र रिक्ति अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित प्वाइंट में आती है और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा उसकी अपनी योग्यता या वरिष्ठता के आधार पर भरी जाती है, तो उसे अनारक्षित मानने की आवश्यकता नहीं है और आरक्षण अग्रेनीत नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में दिनांक 29-4-75 के आदेशों के उपबंध लागू नहीं होंगे।

3. इसके अतिरिक्त यदि कोई एकमात्र रिक्ति अनुसूचित जातियों/जनजातियों संबंधी आरक्षित प्वाइंट में आती है और उसे अन्य आरक्षित समुदाय के उम्मीदवार द्वारा उसकी अपनी योग्यता या वरिष्ठता जैसा भी मामला हो, से भरी जाती है, तो रिक्तियां अनारक्षित मानी जाएंगी तथा इस तरह से मानी जाएंगी मानो उसे सामान्य प्रवर्ग द्वारा भरा जाता है और उक्त रिक्ति अग्रेनीत भी की जाएगी। इन मामलों में ऊपर संदर्भित इस विभाग के दिनांक 29-4-75 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेश लागू होंगे।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 9-2-1982 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/78-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण—किसी भर्ती वर्ष में कुल रिक्तियों के संदर्भ में नई तथा अग्रेनीत आरक्षणों के लिए 50 प्रतिशत की सीमा की शर्त।

मुझे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 27-12-1977 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/3/73-स्था० (एस०सी०टी०) का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अग्रेनीत आरक्षित रिक्तियां वर्तमान आरक्षित रिक्तियों

सहित उपयोग के लिए उपलब्ध होगी भले ही ऐसी आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या उस वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों के 50 प्रतिशत से आगे बढ़ जाती है, बशर्ते कि संबंधित ग्रेड अथवा संवर्ग की कुल पद संख्या में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का पूर्ण प्रतिनिधित्व अपर्याप्त पाया जाए अर्थात् उस ग्रेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता क्रमशः कुल प्रतिशतता तक नहीं पहुंच पायी हो ।

2. इस कार्यालय ज्ञापन की वैधता पर वर्ष 1979 की रिट याचिका संख्या 1041—1044 (अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ) में दिनांक 14-11-1980 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, पुनः विचार किया गया है । इस मामले में डिवीजन बैंच में सम्मिलित तीनों न्यायाधीशों ने यह मत व्यक्त किया है कि किसी विशिष्ट अवसर पर कुल आरक्षण समस्त रिक्तियों के 50 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए । अब दिनांक 27-12-1977 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों में आशोधन करते हुए, यह निर्णय किया गया है कि **भविष्य में अग्रेनीत आरक्षण सहित, नये आरक्षण किसी विशेष अवसर पर, उपलब्ध कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ने चाहिए ।**

3. ऐसा हो सकता है कि इस 50 प्रतिशत की सीमा के कारण, सभी आरक्षणों को जो अग्रेनीत सिद्धांत के कारण एकत्र हो गई हैं समायोजित करना संभव नहीं हो पाएगा । इसलिए 50 प्रतिशत के ऊपर की अधिशेष रिक्तियां अनुवर्ती भर्ती वर्षों के लिए अग्रेनीत की जाएंगी, किन्तु शर्त यह है कि वे "तीन भर्ती वर्षों से पुरानी" रिक्तियां नहीं होनी चाहिए जो वर्ष प्रतिवर्ष आरक्षणों के अग्रेनीत किए जाने के लिए अधिकतम सीमावधि है और जो बाद में समाप्त हो जाती है । इसलिए आरक्षणों की समाप्ति को बचाने के उद्देश्य से, यह उचित होगा कि सबसे पहले पुरानी अग्रेनीत रिक्तियों को पहले समायोजित किया जाए ।

उदाहरण के लिए 5 ऐसे अग्रेनीत आरक्षण हैं, जिनका समय विस्तार निम्न प्रकार से तीन पूर्ववर्ती भर्ती वर्षों में है :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
तीसरे वर्ष	1	—
दूसरे वर्ष	1	1
पहले वर्ष	—	2

माना कि परवर्ती वर्ष में 6 रिक्तियां होती हैं, 50 प्रतिशत की सीमा को ध्यान में रखते हुए 3 रिक्तियां आरक्षित की जानी चाहिए । चूंकि सबसे पुराने अग्रेनीत आरक्षण

को पहले समायोजित किया जाना है, इसलिए तीसरे वर्ष का अनुसूचित जाति का एक आरक्षण और दूसरे वर्ष का अनुसूचित जाति का एक और अनुसूचित जनजाति का एक आरक्षण, उपलब्ध 6 रिक्तियों में से आरक्षित किया जाना है। पहले वर्ष के दो अनुसूचित जनजाति के आरक्षणों को, अगले भर्ती वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जाएगा और उन पर अगले भर्ती वर्ष में अग्रेनीत के दूसरे वर्ष की तरह विचार किया जाएगा।

4. किन्तु यह आदेश इस विभाग के दिनांक 29-4-75 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/9/74-स्था० (एस०सी०टी०) पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, जो किसी भर्ती वर्ष में होने वाली एकल रिक्ति को भरने के संबंध में कार्यविधि को शासित करता है। मंत्रालयों/विभागों को आरक्षण के प्रस्ताव कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को भेजते समय उन्हें आवश्यक आशोधन करने चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उन आरक्षणों को, जिन्हें 50 प्रतिशत की सीमा के कारण किसी भर्ती वर्ष में समायोजित नहीं किया जा सका आगे अग्रेनीत करने के लिए कोई अनारक्षण किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

5. उपर्युक्त अनुदेश इन आदेशों के जारी होने की तारीख से लागू होंगे, सिवाए इसके कि जहां सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के चयन को इन आदेशों के जारी होने से पहले ही अन्तिम रूप दे दिया गया है।

6. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में उनके अनुपालन के लिए लाएं।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को संशोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 15-3-1982 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/4/82-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—जहां विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार किया गया पैनल दो कैलेंडर वर्षों तक जारी रहता है, वहां पदोन्नति के मामलों में भर्ती वर्ष की गणना।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाते रहे हैं कि जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार किया गया पैनल एक कैलेंडर वर्ष से अधिक जारी रहता है तो पदोन्नति के ऐसे मामलों में भर्ती वर्ष क्या होगा। उक्त मामले की इस विभाग में जांच की गई है तथा यह निर्णय

लिया गया है कि जिन मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रवर सूची किसी पहले वर्ष में तैयार की गई हो परन्तु उस सूची में से नियुक्ति अगले वर्ष की गई हो तो उन मामलों में पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गई प्रवर सूची में से प्रथम भर्ती की गई है । यह भी संभव है कि प्रथम नियुक्ति उसी वर्ष कर ली गई हो परन्तु अन्य नियुक्ति उसी प्रवर सूची से की जाती है जो सूची अगले कैलेण्डर वर्ष तक जारी रहे तो ऐसे मामलों में जहां तक इस विभागीय पदोन्नति समिति पैनल का सवाल है, जिस वर्ष में प्रवर सूची से प्रथम नियुक्ति की जाती है वह वर्ष आरक्षण अप्रेनीत, भर्ती वर्ष आदि की गणना किए जाने के प्रयोजन के लिए भर्ती वर्ष होगा । उदाहरण के लिए, यदि किसी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक रिक्तियों के लिए प्रवर सूची तैयार करने हेतु सितम्बर, 1981 मास में हुई और 1982 की प्रत्याशित रिक्तियों को भी ध्यान में रखा गया है तो वास्तविक नियुक्तियां 1982 तक जारी रहेंगी तथा यदि उक्त प्रवर सूची से नवम्बर, 1981 में पथम पदोन्नति की जानी है तो इस प्रयोजन के लिए भर्ती वर्ष 1981 होगा । किन्तु यदि सितम्बर, 1981 में तैयार की गई प्रवर सूची से प्रथम पदोन्नति जनवरी, 1982 में की जाती है, तो इस प्रयोजन के लिए भर्ती वर्ष 1982 होगा ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं ।

अध्याय 12

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा और सूची*

12.1 किसी व्यक्ति को यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना जाएगा, यदि वह उस जाति या जनजाति का है जिसे :—

(I) संविधान (अनुसूचित जतियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951, (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित)

(II) संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियों संबंधी आदेश, 1956

(III) संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश, 1959.

(IV) संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जातियों संबंधी आदेश, 1962

(V) संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश, 1962;

(VI) संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियों संबंधी आदेश, 1964.

(VII) संविधान (अनुसूचित जनजातियों) उत्तर प्रदेश के आदेश, 1967.

---

*परिशिष्ट 20 में दी गई है ।

(VIII) संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश, 1968.

(IX) संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश, 1968.

(X) संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश, 1970.

(XI) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियों संबंधी आदेश, 1978.

(XII) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश, 1978.

के अंतर्गत उस क्षेत्र का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का माना गया है तथा जिसका वह निवासी है ।

12.2 गृह मंत्रालय के (एस०सी०टी०) डिवीजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र देने के लिए शक्ति प्राप्त प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए उक्त प्रमाण-पत्र देने के समय ध्यान में रखने योग्य मुद्दों की एक सूची सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में परिचालित की है । इन मुद्दों का उल्लेख परिशिष्ट 16 में किया गया है । गृह मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रमाण-पत्र देने वाले प्राधिकारी प्रमाण-पत्र देने से पहले प्रमाण-पत्र लेने आये व्यक्ति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होने के बारे में भली-भांति सत्यापन कर ले ।

12.3 जिन मामलों में ऐसा संदेह हो कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति का है अथवा नहीं, उनके संबंध में कल्याण मंत्रालय (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति डिवीजन), शास्त्री भवन, स्कन्ध-ए, नई दिल्ली को लिखा जाए ।

अध्याय 13

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का सत्यापन

गृह मंत्रालय का ता० 28-1-52 * का का०ज्ञा० संख्या० 42/21/49-एन० जी०एस० का पैरा 5(7)

ता० 17-4-53 का का० ज्ञा०संख्या० 42/34/52-एन०जी०एस०
ता० 25-5-60 का का० ज्ञा०संख्या० 13/2/57-एस०सी०टी० (i)

ता० 18-11-61 का का० ज्ञा०संख्या० 13/2/61-एस०सी०टी० (i)

ता० 25-2-63 का का० ज्ञा०संख्या० 8/3/63-एस०सी०टी० (i)
ता० 23-7-63 का का० ज्ञा०संख्या० 13/3/63-एस०सी०टी० (i)
ता० 11-11-63 का का० ज्ञा०संख्या० 13/6/63-एस०सी०टी० (i)
ता० 11-5-66 का का० ज्ञा०संख्या० 6/4/66-स्था० (ग)
तथा
कार्मिक और प्र०सु० विभाग का ता० 31-10-75 का का०ज्ञा०सं० 36019/7/75-स्था० (एस०सी०टी०)
और

13.1 नियुक्ति प्राधिकारी, नीचे दिए गए प्रमाण-पत्रों को उम्मीदवार द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने के संबंध में प्रस्तुत किया गया प्रमाण मानेगी :—

(i) दसवीं कक्षा या स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र या जन्म का प्रमाण-पत्र, जिसमें उम्मीदवार की जाति या समुदाय और निवास स्थान दिया हो ;

(ii) परिशिष्ट 15 में दी गई सूची में उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा दिया गया तथा परिशिष्ट-14 में उल्लिखित फार्म में दिया गया प्रमाण-पत्र ।

13.2 यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार निर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न कर सकता हो तो वह अपने दावे के समर्थन में जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करे उसके आधार पर उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते कि वह यथोचित समय के भीतर निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे या अगर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में उसे कोई वास्तविक कठिनाई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी को स्वयं संबंधित जिला मजिस्ट्रेट से सम्पर्क स्थापित करके उसके दावे का सत्यापन करना चाहिए ।

तारीख 12-8-1976 का कार्यालय ज्ञापन सं० 13/2/74-स्थापना (एस०सी०टी०)

13.3 यदि नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक समझे तो किसी उम्मीदवार के दावे का सत्यापन उस स्थान के जिला मजिस्ट्रेट से कर सकता है जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार साधारणतः निवास करता है । यदि किसी विशेष मामले में नियुक्ति के बाद सत्यापन करने पर यह पता चले कि उम्मीदवार का दावा झूठा था तो संबंधित नियमों/आदेशों के अनुसार उसको नौकरी से निकाला जा सकता है ।

कार्मिक विभाग का ता० 10-9-1971 का कार्यालय ज्ञापन सं० 13/3/71-स्थापना (एस०सी०टी०)

13.4 चूंकि हिन्दू या सिख धर्म से इतर धर्म मानने वाला कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों का सदस्य नहीं माना जाएगा, इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दिए जाने वाले नियुक्ति पत्र में यह शर्त रखें कि उम्मीदवार को उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी धर्म परिवर्तन यदि कोई हो, की सूचना यथाशीघ्र नियुक्ति/प्रशासनिक प्राधिकारी को देनी होगी । सेवा में लगे अनुसूचित जाति के कर्मचारी को अनुदेश दिए जाएं कि वह अपने धर्म परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में अपने नियुक्ति/प्रशासनिक प्राधिकारियों को तुरंत सूचित करें ।

कार्मिक और प्र०सु० विभाग का तारीख 27-2-81 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/16/80-स्था० (एस०सी०टी०)

13.5 नियोक्ता प्राधिकारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर प्रारम्भिक नियुक्ति तथा पदोन्नति करते समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की जाति की जांच करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जाति तथा समुदाय से उसका आवास स्थान तथा राज्य का नाम सेवा पुस्तिका, वैयक्तिक फाईल अथवा कर्मचारी से संबंधित किसी अन्य कागजात के शीर्ष भाग पर चिपका देना चाहिए, जिससे कि ऐसा संस्थापन करने में सुविधा रहे । यह उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति का ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी अनुसूचित जाति के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति के बाद उसकी जाति को अनुसूची से निकाल दिया गया हो, पदोन्नतियों में आरक्षणों की सुविधा प्राप्त करने का हकदार नहीं है । कर्मचारी की कैरियर के प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर जाति स्टेटस का यह सत्यापन आवश्यक है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा रियायतों की अन्य योजना आदि की सुविधा सही हकदार को ही मिले न कि उन्हें जो इसके हकदार नहीं रह गए हैं ।

---

*कृपया अध्याय 2 के बाद देखें ।

अध्याय 13 में कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

का०ज्ञा०सं० 42/21/49-एन०जी०एस०	28-1-52 अध्याय 2 के बाद
का०ज्ञा०सं० 42/34/52-एन०जी०एस०	17-4-53
का०ज्ञा०सं० 13/2/57-एस०सी०टी०(i)	25-5-60
का०ज्ञा०सं० 13/2/61-एस०सी०टी०(i)	18-11-61
का०ज्ञा०सं० 8/3/63-एस०सी०टी०(i)	25-2-63
का०ज्ञा०सं० 13/3/63-एस०सी०टी०(i)	23-7-63
का०ज्ञा०सं० 13/6/63-एस०सी०टी०(i)	11-11-63
का०ज्ञा०सं० 6/4/66-स्था०(ग)	11-5-66
का०ज्ञा०सं० 13/3/71-स्था०(एस०सी०टी०)	10-9-71
गृह मंत्रालय का पत्र सं० 35/1/72 आर०यू० (एस०सी०टी०)	2-5-75
का०ज्ञा०सं० 36019/7/75-स्था०(एस०सी०टी०)	31-10-75
का०ज्ञा०सं० 13/2/74-स्था०(एस०सी०टी०)	12-8-76
गृह मंत्रालय का पत्र सं० बी०सी०12025/2/76-(एस०सी०टी०)	22-3-77
का०ज्ञा०सं० 36011/16/80-स्था० (एस०सी०टी०)	27-2-81
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का पत्र सं० 36012/6/76-स्था० (एस०सी०टी०)	29-10-77
का०ज्ञा०सं० 36011/16/80-स्था० (एस०सी०टी०)	27-2-81

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 17 अप्रैल, 1953 का का०ज्ञा० संख्या 42/34/52-एन०जी०एस०

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के (सदस्यों) के तौर पर माने जाने वाले उम्मीदवारों के दावों की जांच पड़ताल ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति के कुछ उम्मीदवारों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि भारत सरकार के कार्यालयों में नियुक्ति के लिए उनके चयन के बाद उन्हें अपने अपने जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों से ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने और उन्हें पेश करने के वास्ते कहा जाता है, जिनमें यह प्रमाणित किया गया है कि वे अनुसूचित जातियों के सदस्य हैं, और उन्हें अपना कार्यभार ग्रहण करने की तब तक अनुमति नहीं होगी, जब तक कि वे उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे । चूंकि अपेक्षित प्रमाण पत्र प्राप्त करने में उम्मीदवारों को बहुत समय लग जाता है अतएव वे काफी अर्से तक बिना रोजगार के रहते हैं और इस कारण उन्हें अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

2. इस संबंध में, गृह मंत्रालय के तारीख 9 अप्रैल, 1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/22/51-एन०जी०एस० द्वारा संशोधित उक्त मंत्रालय के तारीख 28 जनवरी, 1952 के कार्यालय ज्ञापन सं० 42/21/49-एन०जी०एस० के पैरा 5(7) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह नियुक्ति प्राधिकारियों का कर्तव्य है कि वे उन स्थानों के जिला मजिस्ट्रेटों की मारफत, नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के तौर पर माने जाने वाले उम्मीदवारों के दावों की जांच-पड़ताल करें, जहां ऐसे उम्मीदवार और/या उनके परिवार सामान्यतः रहते हैं और यह देखें कि राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित तथा संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या उप मंडल अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों को केवल विकल्पों के तौर पर ही निर्धारित किया गया है । इसलिए निवेदन है कि जिन मामलों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार होने का दावा करने वाले व्यक्ति, गृह मंत्रालय के तारीख 28 जनवरी, 1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/21/49-एन०जी०एस० के पैरा 5(7) और तारीख 9 अप्रैल, 1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/22/51-एन०जी०एस० में उल्लिखित प्रमाण पत्रों में से किसी एक प्रमाण पत्र को पेश नहीं कर सकते, उन मामलों में उन्हें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार होने को अपने दावे के समर्थन में पेश किए जा सकने वाले किसी भी प्रत्यक्षतः प्रमाण के आधार पर अनन्तिम तौर से नियुक्त कर दिया जाए और फिर इन दावों की जांच, उन स्थानों के जिला मजिस्ट्रेटों की मारफत कराई जाए, जहां वे

और/या उनके परिवार निर्धारित तरीके से रह रहे हैं । यदि किसी मामले में जांच-पड़ताल से यह पता चले कि उम्मीदवार का दावा झूठा है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाए ।

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त स्थिति को, वित्त मंत्रालय आदि के नियंत्रणाधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 25 मई, 1960 का का०ज्ञा० सं० 13/2/57-एस०सी०टी० (1)

विषय :—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों की जांच ।

उपर्युक्त विषय पर, इस मंत्रालय के तारीख 7 मई, 1957 के कार्यालय ज्ञापन सं० 8/12/56-एस०सी०टी० में यह उल्लेख किया गया था कि अपेक्षित जानकारी उपलब्ध होने पर राज्य सरकारों के अधिकारियों के विवरण, सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दिए जाएंगे । राज्य सरकारों से प्राप्त सामग्री से, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियुक्ति अधिकारियों की सूची तैयार करके, जानकारी के लिए संलग्न की गई है । इस मंत्रालय के तारीख 28 जनवरी, 1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/21/49 एन०जी०एस० के पैरा 7(क) में उल्लिखित मैट्रिकुलेशन (एस०एस०सी०)/जन्म संबंधी प्रमाण पत्र के अलावा, भविष्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार होने के संबंधी दावे के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण के तौर पर, सूची में उल्लिखित किसी अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को भी स्वीकार किया जा सकता है । परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी चाहें, तो वे उस स्थान के जिला मजिस्ट्रेट की मारफत किसी मामले में दावे की जाँच करा सकेंगे, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है ।

2. इस संबंध में इस मंत्रालय के तारीख 17 अप्रैल, 1953 के कार्यालय ज्ञापन सं० 42/34/52-एन०जी०एस० की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ, सरकार के अधीन पहली नियुक्ति के मामले में कुछ रियायत दी गई थी । जिन मामलों में, अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार, किसी निर्धारित अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते, वहां उन्हें अपने दावे के समर्थन में किसी भी प्रत्यक्ष प्रमाण के पेश करने पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है ।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा अभी तक प्रस्तुत किए गए जाति संबंधी प्रमाणपत्र, इस मंत्रालय के तारीख 28 जनवरी, 1952 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42/21/49-एन०जी०एस० के परिशिष्ट "घ" में निर्धारित फार्म में भरे जाने अपेक्षित थे । अब इस फार्म में संशोधन कर दिया गया है, और संशोधित फार्म की एक प्रतिलिपि जानकारी और मार्गदर्शन के लिए संलग्न है ।

4. मुझे वित्त मंत्रालय आदि से यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि वे इस विषय पर पहली हिदायतों के अधिक्रमण में इन हिदायतों को, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के ध्यान में लायें ।

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____
सुपुत्र/सुपुत्री _____
जो कि _____गाँव _____
जिला/मंडल _____राज्य के निवासी हैं _____
समुदाय के हैं, जिसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेशों (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार) अनुसूचित जातियों संबंधी आदेश, 1959 और संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जातियों संबंधी, 1956 के साथ पठित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी सूचियों (संशोधित) आदेश, 1956 के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के तौर पर माना गया है ।
श्री/श्रीमती/कुमारी _____
और/या उनका परिवार सामान्य तौर पर _____राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के _____जिला/मंडल में रहता है ।

स्थान..... हस्ताक्षर_____

तारीख..... कार्यालय की मोहर सहित पदनाम
_____राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विशेष ध्यान दीजिए—यहां इस्तेमाल किए गए "साधारणतया रहते है" शब्दों का वही अर्थ है, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जाति संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची :—

(1) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/समाहर्ता/डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त)/अपर उपायुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट/उप मंडलीय मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो कि प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से कम न हों) ।

(2) मुख्य प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट ।

(3) राजस्व अधिकारी, जो कि तहसीलदार के पद से कम न हों ।

(4) उस क्षेत्र के उप-मंडलीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य तौर पर रहता है ।

(5) केन्द्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ।

(6) प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्कादीप, मिनिकाय और अमीनदिवी दीपसमूह) ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित, गृह मंत्रालय का तारीख 18 नवम्बर, 1961 का का०ज्ञा० सं० 13/2/61-एस०सी०टी० (1)

विषय :—अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों की जांच पड़ताल ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के तारीख 25 मई, 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/57-एस०सी०टी० (1) की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उसमें दर्ज आदेशों के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी मामले में, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की मारफत अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य होने संबंधी दावे की जांच कर सकते हैं । यह अभ्यावेदन किया गया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बहुत से उम्मीदवारों को स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है । इस मुश्किल से बचने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारियों को उन मामलों में

संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की मारफत उक्त उम्मीदवारों के दावे की स्वयं ही जांच कर लेनी चाहिए, जहां उम्मीदवार यह अभ्यावेदन करे कि जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने में उसे कठिनाई हो रही है ।

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न जाति संबंधी प्रमाण पत्र के फार्म में "संविधान (अंडमान और निकोबार) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 और संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956" के शब्दों को "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956 के शब्दों" के साथ समाप्त होने वाले पहले वाक्य के बाद जोड़ दिया जाए ।

सभी मंत्रालय आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 25 फरवरी, 1963 का का० ज्ञा० सं० 8/3/63-एस०सी०टी० (1)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी विवरणिका में संशोधन—जांच प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों की सूची ।

मुझे इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के का०ज्ञा० संख्या 1/2/61-एस०सी०टी० (1) के साथ जारी किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवाओं में आरक्षण संबंधी विवरणिका के परिशिष्ट 16 के संदर्भ में यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित उसकी मद 5 में उल्लिखित प्रविष्टि को हटा दिया जाए ।

2. लक्कादीव मिनिकाय द्वीप समूह मद 6 पर की गई प्रविष्टि को मद 5 कर दिया जाए ।

प्रशासक लक्कादीव प्रशासन को संबोधित और सभी मंत्रालयों आदि को पृष्ठांकित गृह मंत्रालय का तारीख 23 जुलाई, 1963 का पत्र संख्या 13/3/63-एस०सी०टी० (1)

विषय :—लक्कादीव मिनिकाय और अमीनदिवी द्वीप समूह में जाति/समुदाय संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके तारीख 26 जून, 1963 के पत्र संख्या 6/147/63-सामान्य के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि यह मंत्रालय, नौकरी के प्रयोजनार्थ लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदिवी द्वीप समूह में अनुसूचित जनजातियों के लिए जांच पड़ताल संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की सूची में "विकास

अधिकारी" का नाम शामिल करने के बारे में सहमत है । इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61-एस०सी०टी० (1) के साथ जारी की गई विवरणिका के परिशिष्ट 16 में किया गया संशोधन बाद में जारी किया जाएगा ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित, गृह मंत्रालय का तारीख 11 नवम्बर, 1963 का का० ज्ञा० सं० 13/6/63-एस० सी० टी० (1)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों की जांच-पड़ताल—जाति प्रमाण-पत्र के फॉर्म में संशोधन ।

इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के का०ज्ञा० संख्या 1/2/61-एस० सी० टी० (1) के साथ जारी की गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी विवरणिका के परिशिष्ट-15 के अनुसार निर्धारित जाति-प्रमाण पत्र के फार्म में अब संशोधन कर दिया गया है । प्रमाण-पत्र का संशोधित फॉर्म जानकारी के लिए संलग्न है ।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति/जनजातियों (सूचियों) संबंधी आदेश, 1956; संविधान (जम्मू व कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956; संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह)* अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959; संविधान (दादरा व नागर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962; संविधान (दादरा और नागर हवेली)* अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 के अंतर्गत राज्य*/संघ राज्य क्षेत्र के जिला*/डिवीजन के गाँव/नगर के निवासी श्री/श्रीमती/कुमारी ..... सुपुत्र/सुपुत्री ..... अनुसूचित जाति* के तौर पर मान्यता प्राप्त जाति/जनजाति से संबंधित है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... और/या उनका परिवार सामान्यत: .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के ..... जिला/डिवीजन के ..... गाँव/शहर में रह रहे हैं ।

स्थान ..... राज्य* हस्ताक्षर .....

तारीख ..... संघ राज्य क्षेत्र पदनाम .....

(कार्यालय की मोहर)

*कृपया लागू न होने वाले शब्दों को काट दिया जाए ।

टिप्पणी :—यहां इस्तेमाल किए गए "साधारणतया रह रहे हैं" शब्दों का अर्थ वही होगा, जैसा कि जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित, गृह मंत्रालय का तारीख 11 मई, 1966 का का० ज्ञा० सं० 6/4/66-स्था० (ग)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण संबंधी विवरणिका में संशोधन-जांच-पड़ताल संबंधी प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की सूची ।

मुझे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण विवरणिका के परिशिष्ट-16, जिसे इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61-एस०सी०टी० (1) के साथ जारी किया गया है, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिशिष्ट की प्रविष्टि 1 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों में "प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट" के बाद "नगर मजिस्ट्रेट" जोड़ दिया जाए ।

सभी मंत्रालयों को संबोधित, कार्मिक विभाग का तारीख 10 सितम्बर, 1971 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/3/71-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के धर्म-परिवर्तन संबंधी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को देना ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आदेशों (संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा यथा संशोधित, संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 के अनुसार, हिन्दू या सिख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्मावलंबी को अनुसूचित जातियों का सदस्य नहीं माना जा सकता । परन्तु अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है । कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं, जिनमें हिन्दू और सिख धर्मों के अलावा, किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों ने, अपने धर्म-परिवर्तन के संबंध में नियुक्ति/प्रशासनिक प्राधिकारियों को सूचित नहीं किया था और अनुसूचित जातियों को प्राप्त होने वाली रियायतों/लाभों की मांग करते/लेते रहे थे । इसलिए उनके द्वारा ली गई रियायतों को पिछली तारीख से वापस लेना आवश्यक हो गया था । अब यह फैसला किया गया है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को जारी किए जाने वाले नियुक्ति पत्र में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा उन उम्मीदवारों को यह शर्त रखी जाए कि आगे से अपने धर्म-परिवर्तन के बारे में तत्काल

ही अपने नियुक्ति/प्रशासनिक अधिकारी को सूचित करना होगा । इसी प्रकार, अनुसूचित जाति के कार्यरत कर्मचारियों को, अपने धर्म-परिवर्तन के बारे में अपने नियुक्ति/प्रशासनिक प्राधिकारियों को तुरन्त सूचित करने की हिदायत की जाए । वित्त मंत्रालय आदि से इन हिदायतों को सभी संबंधियों के ध्यान में लाने का अनुरोध है ।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संबोधित, गृह मंत्रालय का तारीख 2 मई, 1975 का पत्र संख्या 35/1/72-आर० यू० (एस० सी० टी०) (V)

विषय :—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र जारी करना ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राय: इस किस्म की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र उन व्यक्तियों को जारी कर दिया जाता है जो वास्तव में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं होते । अत: यह आवश्यक है कि प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने से पहले उचित जांच कर लेनी चाहिए ।

2. इस संबंध में जो व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं उनके मार्गदर्शन के लिए यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए । यह प्रार्थना की जाती है कि इन अनुदेशों को उनमें परिचालित किया जाए ।

गृह मंत्रालय के तारीख 2 मई 1975 के परिपत्र सं० 35/1/72-आर० यू० (एस० सी० टी०) (V) का अनुलग्नक

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र जारी करना—ध्यान में रखने योग्य बातें :—

1. **सामान्य (सभी मामलों में लागू)**

जहां एक व्यक्ति अपने को जन्म से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बताता है वहां निम्नलिखित बातों का सत्यापन किया जाए—

(i) वह व्यक्ति और उसके माता पिता वास्तव में उसी जाति के हैं जिसका उसने अपने आपको बताया है ।

(ii) इस समुदाय को उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेशों में निर्दिष्ट किया गया है ।

(iii) वह व्यक्ति उस राज्य का और राज्य के उस क्षेत्र का निवासी है जिसके बारे में उस समुदाय को अनुसूचित किया गया है ।

(iv) यदि किसी व्यक्ति ने अपने आपको अनुसूचित जाति का बताया है तो उसे हिन्दू या सिख धर्म का अनुयायी होना चाहिए ।

(v) यदि व्यक्ति अपने आपको अनुसूचित जनजाति का बताता है तो वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है ।

2. प्रवास के मामले

(i) जब एक व्यक्ति राज्य के उस भाग से जहां उसकी जाति अनुसूचित है, और दूसरे भाग में जाता है जहां उसकी जाति अनुसूचित नहीं है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का माना जाता रहेगा ।

(ii) जब एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो वह उस राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का माना जाएगा जहां का वह मूलतः है । वह उस राज्य का नहीं माना जाएगा जहां वह गया है ।

3. शादी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा

मार्गदर्शक सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था वह केवल इसी आधार पर इस समुदाय का होने का दावा नहीं कर सकता कि उसने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया है ।

इसी प्रकार एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह विवाह के बाद भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का ही सदस्य माना जाएगा चाहे उसने उस व्यक्ति (स्त्री या पुरूष) से विवाह किया हो जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है ।

4. धर्म-परिवर्तन और पुनः धर्म-परिवर्तन के मामले

(i) जब अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति हिन्दू या सिख धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म का अनुयायी बन जाता है और पुनः हिन्दू या सिख धर्म अपना लेता है

तो वह अपनी मूल अनुसूचित जाति में लौटा हुआ समझा जाएगा यदि उस विशिष्ट जाति के सदस्य उसे अपनी जाति का सदस्य स्वीकार कर लें ।

(ii) अनुसूचित जाति के धर्म-परिवर्तित व्यक्ति के वंशज के लिए केवल हिन्दू धर्म या/सिख धर्म अपना लेने का तथ्य हो तो उसे अनुसूचित जाति या उसके पूर्वजों को जाति का होने का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है । उसे यह भी सिद्ध करना पड़ेगा कि वह धर्म-परिवर्तित व्यक्ति उस जाति वालों द्वारा जिसका उसने होने का दावा किया है, अपने में मिला लिया गया और इस प्रकार यह उस जाति का सदस्य हो गया है ।

5. गोद लेने के मामले

जिन मामलों में कोई व्यक्ति इस आधार पर अनुसूचित जाति का होने का दावा करता है कि उसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने गोद लिया है, उसमें अधिक सावधानी बरतनी होगी । जाति संबंधी कोई प्रमाण पत्र दिए जाने से पहले गोद लिए जाने की वैधता स्पष्ट रूप से सिद्ध की जानी है । अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा उस व्यक्ति को अपना दावा सिद्ध करना पड़ेगा : —

(i) वैध रूप से गोद लेने की अपेक्षाएं हिन्दू दत्तक ग्रहण और अनुरक्षण अधिनियम, 1956 की धारा 6 से 11 में दी गई हैं । बच्चे को वास्तविक रूप में गोद देना और लेना एक अनिवार्य अपेक्षा है और उसके बाद दत्तक बच्चा सभी प्रयोजनों के लिए अपने दत्तक माता पिता का बच्चा समझा जाता है और वह बच्चा अपने जन्म वाले परिवार से सभी संबंध विच्छेद कर लेता है । साधारणतया कोई भी बच्चा, जिसकी 15 वर्ष की आयु हो गई है या जो विवाहित है, गोद नहीं दिया जा सकता, जब तक कि संबंधित पक्षों में कोई ऐसा रीति रिवाज प्रचलित न हो ।

(ii) यह निश्चित करते समय कि गोद ग्रहण वैध है या नहीं, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी को इस बात का इतमीनान कर लेना चाहिए कि सभी कानूनी अपेक्षाओं का पालन किया गया है । उसे गोद ग्रहण के बाद बच्चे के व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वह वास्तविक रूप में अपने दत्तक माता पिता के साथ रहता है और वही उसका पालन पोषण करते हैं और अपने असली माता पिता से वह कोई वित्तीय सहायता तो प्राप्त नहीं करता है । इन शर्तों के पूरा न होने पर प्रमाण पत्र न दिया जाए ।

(iii) यदि किसी विवाहित व्यक्ति अथवा 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति को गोद लिया जाता है तो जिला मजिस्ट्रेट को प्रमाण-पत्र देना चाहिए । जिला मजिस्ट्रेट यह विधिवत् जांच करके कि गोद ग्रहण वैध है या नहीं और यह उन पक्षों के रीति रिवाज या प्रथा द्वारा अनुमत है या नहीं उस प्रमाण पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा । इस रीति रिवाज या प्रथा का उस क्षेत्र विशेष के हिन्दुओं या उस समुदाय या परिवार के समूह में बहुत समय से लगातार या समान रूप से पालन किया जाता रहा हो और उसे कानूनी मान्यता मिली हो । किन्तु वह रीति रिवाज या प्रथा निश्चित हो तथा अनुचित या सार्वजनिक नीति के विरूद्ध न हो और किसी विशिष्ट परिवार में यह रीति या प्रथा हो तो यह समाप्त न कर दी गई हो । इसके अतिरिक्त यह भी सत्यापित किया जाए कि वैध दत्तक ग्रहण की सभी शर्तें जिनमें गोद लिए गए व्यक्ति का दत्तक माता पिता के पास वास्तविक रूप से चला जाना और अपने असली माता पिता से सभी नातें तोड़ना भी शामिल है, पूरी की गई हो ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 31 अक्तूबर, 1975 का का० ज्ञा० संख्या 36019/7/75-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय : --पदों पर/सेवाओं में नियुक्ति प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का होने के दावे के समर्थन में, निर्धारित फॉर्म में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है जो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होता है । प्रमाण-पत्र के निर्धारित फॉर्म और निर्धारित प्राधिकारियों का उल्लेख सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका (चौथा संस्करण) के परिशिष्ट-14 और 15 में किया गया है । इस विषय में वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान, गृह मंत्रालय के तारीख 25 मई, 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/57-एस० सी० टी० (1) और तारीख 18 नवम्बर, 1961 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/61-एस० सी० टी० (1) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार किसी भी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

करने में असमर्थ है तो वह अपने दावे के समर्थन में जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत करे, उसके आधार पर उसे अनन्तिम रूप से इस शर्त पर नियुक्त कर लिया जाना चाहिए कि वह निर्धारित प्रमाण पत्र युक्ति संगत समय तक प्रस्तुत कर देगा । अगर प्रमाण पत्र प्राप्त करने में वास्तव में कोई कठिनाई हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी को स्वयं उसके दावे का सत्यापन संबंधित जिलाधीश के माध्यम से कर लेना चाहिए । ऊपर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों की ओर मंत्रालयों/विभागों आदि का ध्यान पुनः आकृष्ट किया जाता है ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 12 अगस्त, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 13/2/74-स्थापना (एस० सी० टी०)

विषय : —अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन करना—जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म का संशोधन ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 11-11-1963 के का० ज्ञा० संख्या 13/6/63-एस० सी० टी० (1) और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में विवरणिका (चौथा संस्करण 1975) के परिशिष्ट-14 का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के दावे को प्रमाणित करने के लिए जिस प्रमाण पत्र को दिखलाना आवश्यक है, उसके फॉर्म में कुछ मामूली मुद्रण की गलतियां पाई गई हैं । अब उन गलतियों को सुधार लिया है और संशोधित फॉर्म संलग्न है । यह फॉर्म राज्य सरकारों को भी भेज दिया गया है ताकि वे अपने अधीन के प्राधिकारियों का ध्यान इस ओर लाएं जिन्हें ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार प्राप्त है ।

2. वित्त मंत्रालय आदि कृपया संशोधित जाति प्रमाण पत्र के फॉर्म को अपने अधीन सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं ।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र का फार्म

जाति प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती*/कुमारी*.....

सुपुत्र/सुपुत्री .....

राज्य/संघ राज्य* क्षेत्र .....जिला/डिवीजन
गाँव/शहर .....
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं ।

इसे :—

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.

*संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951.

[अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1965, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा यथा संशोधित]

*संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

*संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959.

*संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962.

*संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962.

*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964.

*संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967.

*संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968.

*संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968.

*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* माना गया है ।

2. श्री/श्रीमती*/कुमारी* .....और अथवा* उसका* परिवार .....राज्य/संघ राज्य* क्षेत्र

के.....जिला/डिवीजन* के.....गाँव/शहर* में सामान्यतया रहता/रहती हैं ।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर) सहित ।

स्थान.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

तारीख.....

*जो शब्द लागू न हों उसे काट दें ।

टिप्पणी:— यहां प्रयुक्त "सामान्यत: रहते हैं" शब्द का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है ।

सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संबोधित गृह मंत्रालय का तारीख 22 मार्च, 1977 का पत्र संख्या श्री०सी० 12025/2/76-एस०सी०टी०(1)

विषय :—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में स्पष्टीकरण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय की जानकारी में ऐसे बहुत से मामले आये हैं, जिनमें किसी विशेष अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवार होने के प्रमाण-पत्र, ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने सम्बन्धी सिद्धान्तों के ठीक अनुसार जारी नहीं किये गए हैं । शायद यह, ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के "निवास" शब्द के कानूनी पहलू के पूरी तरह न समझने के कारण हुआ है ।

2. जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में अपेक्षित है, राष्ट्रपति ने, प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, और जहां किसी विशिष्ट राज्य का मामला है, सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति व, उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विभिन्न जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित करने के लिए समय-समय पर आदेश जारी किये हैं । अन्तर्राज्यीय क्षेत्र संबंधी पाबन्दियां सोच-समझकर लगायी गई हैं, ताकि किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले किसी विशिष्ट समुदाय के व्यक्ति, जिन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का समझा गया अपने लिए दी गई सुविधाओं का लाभ उठा सकें । चूंकि यह आवश्यक नहीं कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले एक ही जाति के लोग एक ही प्रकार से अभावग्रस्त हों, अतएव यह संभव है कि विभिन्न राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों में रहने वाले एक ही जाति के दो व्यक्तियों में से दोनों ही अनुसूचित जाति/जनजाति के न माने जाएं या दोनों ही अनुसूचित जाति/जनजाति के माने जाएं । इस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष का किसी स्थान-विशेष में "निवास" विशेष महत्व रखता है । इस "निवास" शब्द का शाब्दिक या साधारण अर्थ न लिया जाए । दूसरी ओर यह उस स्थान पर किसी व्यक्ति की जाति/जनजाति को अनुसूचित करने वाले राष्ट्रपति आदेशों की अधिसूचना की तारीख को, उसकी स्थायी रिहायश का द्योतक है । इस प्रकार जो व्यक्ति अपने बारे में लागू होने वाले राष्ट्रपति आदेशों की अधिसूचना के समय, अस्थायी तौर पर जैसे जीविकोपार्जन अथवा विद्यार्जन आदि के लिए, अपने स्थायी निवास-स्थान से दूर है, और यदि उसकी जाति/जनजाति को, उसके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संबंधी आदेश में शामिल किया गया है, तो उसे भी, यथा स्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का माना जा सकता है । परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि उनकी जाति/जनजाति का नाम उसके अस्थायी निवास स्थान वाले क्षेत्र के संबंध में किसी राष्ट्रपति आदेश में अनुसूचित कर दिया गया है, उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जा सकता ।

3. किसी व्यक्ति के स्थायी निवास स्थान और जाति/जनजाति, जिसका वह होने का दावा करता है, की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए ही, भारत सरकार ने ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में एक विशेष व्यवस्था की है । समुचित व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले उनका, मुख्यतया राजस्व-रिकार्ड के आधार पर और यदि आवश्यक हो तो विश्वसनीय जांच द्वारा उचित सत्यापन करा लिया जाए । चूंकि केवल राजस्व प्राधिकारी ही, सम्बद्ध राजस्व रिकार्ड को देखने के अलावा, विश्वसनीय जांच कर सकते हैं, अतएव भारत सरकार इन्हीं प्राधिकारियों का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर जोर देती है । इसलिए भारत सरकार (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के 5 अगस्त, 1975 के पत्र संख्या 13/2/74—स्था० (एस०सी०टी०) में उल्लिखित प्राधिकारी, जो उस इलाके से सम्बद्ध है जिसमें प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का, संगत राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना के समय स्थायी निवास था, इस प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम होगा । इसलिए एक जिले के राजस्व प्राधिकारी, दूसरे जिले के व्यक्तियों को ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम नहीं होंगे । न ही एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का प्राधिकारी, उन व्यक्तियों को ऐसे प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है, जिनका स्थायी निवास स्थान राष्ट्रपति के विशेष आदेश की अधिसूचना के समय, अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में रहा है । सम्बद्ध राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना की तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्तियों के मामले में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की

हैसियत पाने के लिए उनका निवास स्थान, राष्ट्रपति आदेश की अधिसूचना के समय, जिसके अनुसार वे उस जाति/जनजाति का होने का दावा करते है, उनके माता-पिता का स्थायी निवास स्थान ही है ।

4. पता लगा है कि कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों ने अपने सभी राजपत्रित अधिकारियों को इस प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करने के अधिकार दे दिये हैं । राजस्व प्राधिकारी भी राजपत्रित अधिकारियों, संसद सदस्यों, विधान सभाओं के सदस्यों आदि द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्रों के आधार पर भी प्रमाण-पत्र जारी करते हैं । यदि यह पद्धति अपनायी जाती है, तो गलत प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का पूरा-पूरा खतरा है, क्योंकि जांच पड़ताल करने के उचित तरीके न होने से यह प्राधिकारी ऐसे प्रमाण-पत्रों में उल्लिखित तथ्यों की मूल-भूत सत्यता का मुश्किल से ही पता लगा सकते हैं । झूठे प्रमाण-पत्रों के जारी किये जाने को रोकने के लिए, सत्यापन की आवश्यकता बढ़ गई है ।

5. अत: सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध है कि वे इस प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी करने की अपनी अपनी कार्यविधि उपर्युक्त और समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों के अनुसार सरल और कारगर बना लें । जहां राजस्व प्राधिकारियों को संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य, राजपत्रित अधिकारी आदि द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है, वहां उचित सत्यापन करने तथा उन प्रमाण-पत्रों की सच्चाई के बारे में सन्तुष्ट होने के बाद ही उन्हें प्रमाण-पत्र जारी करना चाहिए ।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 29-10-1977 का पत्र संख्या 36012/6/76-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों का सत्यापन—प्रमाण-पत्र के फार्म का संशोधन ।

मुझे, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के तारीख 12 अगस्त 1976 के पत्र संख्या 13/2/74—स्थापना (एस०सी०टी०) की ओर ध्यान आकर्षित करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण-पत्र फार्म में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 के लागू होने के परिणाम-स्वरूप आगे संशोधन कर दिया गया है । संशोधित फार्म की प्रति संलग्न है ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रार्थना पत्र के संशोधित फार्म को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधीनस्थ प्राधिकारियों के ध्यान में लाएं जिन्हें ये प्रमाण-पत्र देने का अधिकार दिया गया है ।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र का फार्म

जाति प्रमाण-पत्र का फार्म

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती*/कुमारी* .....
सुपुत्र/सुपुत्री* .....
राज्य/संघ राज्य* क्षेत्र .....जिला/डिविजन .....
गांव/शहर* .....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति * के हैं, जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत

*संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.
*संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951.
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951.
(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संशोधित सूची के अनुसार (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तरी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971* पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, *अनु० जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित)
*संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
*संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
*संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
*संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964.
*संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967.
*संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968

*संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968

*संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.

*अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति माना गया हैं ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी*.....और अथवा उसका परिवार .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ..... जिला/डिविजन.....गांव/शहर* में सामान्यत: रहता है ।

हस्ताक्षर.....

पदनाम .....

(कार्यालय की मुहर)

स्थान .....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

तारीख.....

*कृपया जो शब्द लागू न हो, उन्हें काट दें ।

टिप्पणी:—यहां प्रयुक्त "सामान्यत: रहते हैं" शब्द का वही अर्थ होगा जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है ।

कार्मिक और प्र० सु० विभाग का तारीख 27-2-81 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/16/80-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय:—अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की प्रारंभिक नियुक्ति के बाद उसे जाति की अनुसूची से निकाला जाना—अनुवर्ती पदोन्नतियां करते समय जाति का सत्यापन करने का प्रश्न ।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार की जानकारी में ऐसे दृष्टांत आए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी जाति बहुत पहले अनुसूची से निकाल दी गई है, आरक्षित-रिक्ति पर पदोन्नत किया गया था । हालांकि वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह गया था । सरकार की जानकारी में ऐसे दृष्टांत भी आए हैं, जिनमें हिन्दू धर्म तथा सिख धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अनुसूचित जाति की रिक्ति पर नियुक्त किया गया था, हालांकि हिन्दू तथा सिख धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म को मानने वाला होने के तथ्य से उसे अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधाओं के दावे का हक नहीं मिलता । स्पष्टत: ये घटनाएं, नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त अथवा पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्रों की जांच न किए जाने के कारण हुई है ।

2. अब यह निर्णय किया गया है कि नियोक्ता प्राधिकारी को अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए आरक्षित किसी रिक्ति पर प्रारंभिक नियुक्ति तथा पदोन्नति करते समय, अनु० जाति/जनजाति के अधिकारी की जाति की जांच करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए, अनु० जाति/जनजाति के व्यक्ति की जाति तथा समुदाय से उसका आवास स्थान तथा राज्य का नाम सेवा पुस्तिका, वैयक्तिक फाइल अथवा कर्मचारी से संबंधित किसी अन्य कागजात के शीर्ष भाग पर चिपका देना चाहिए, जिससे कि ऐसा सत्यापन करने में सुविधा रहे । यह उल्लेखनीय है कि अनु० जाति का ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी अनु० जाति के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति के बाद उसकी जाति को अनुसूची से निकाल दिया गया हो, पदोन्नतियों में आरक्षणों की सुविधा प्राप्त करने का हकदार नहीं है । कर्मचारी के कैरियर के प्रत्येक महत्वपूर्ण मोड़ पर जाति स्टेटस का यह सत्यापन आवश्यक है ताकि अनु० जाति/अनु० जनजाति के लिए आरक्षण तथा रियायतों की अन्य योजना आदि की प्रसुविधा सही हकदार को ही मिले न कि उन्हें जो इसके हकदार नहीं रह गये हैं ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त स्थिति को अपने अधीन सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में ला दें ।

वार्षिक विवरण

14.1 (क) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी यथा सम्भव प्रति वर्ष पहली जनवरी के बाद तथा अधिक से अधिक पहली मार्च तक संबंधित मंत्रालय/विभाग को निम्नलिखित विवरण भेजें :—

(i) वर्ष की पहली जनवरी को कुल सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या का परिशिष्ट 8 उल्लिखित फार्म में विवरण ।

(ii) कैलेण्डर वर्ष के दौरान हुई भर्ती का ब्यौरा और इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरे गए पदों की संख्या का परिशिष्ट 9 में उल्लिखित फार्म में विवरण इसके साथ ही प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भी विवरण की एक प्रति भेजेगा ।

(iii) नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा नियन्त्रित, संगठित सेवाएं, यदि कोई हो, के संबंध में पिछले वर्ष के पहले दिन सेवा के विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व, पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न ग्रेडों में भर्ती के ब्यौरे और चालू वर्ष की पहली जनवरी को इन सेवाओं में उनकी ग्रेड-वार प्रतिनिधित्व सम्बन्धी परिणामी स्थिति दर्शाते हुए परिशिष्ट 8-क में उल्लिखित फार्म में तीन भागों में विवरण ।

(iv) पूर्णतया अस्थायी नियुक्तियों के लिए रोस्टर में शामिल उन आरक्षित रिक्तियों, जिन्हें पूर्व वर्ष के दौरान अनुचित माना गया था, की श्रेणी-वार संख्या दर्शाते हुए परिशिष्ट 12 में एक विवरण ।

गृह मंत्रालय के ता० 13-12-66 का अर्द सरकारी पत्र सं० 29/47/66-स्था० (ग) और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार का ता० 17-1-1976 का का० ज्ञा० सं० 36027/7/75-स्थापना (एस० सी० टी०) और ता० 10-5-1976 का का० ज्ञा० सं० 36022/6/76-स्थापना (एस० सी० टी०) कार्मिक और प्र० सु० वि० का ता० 17-2-81 का का० ज्ञा० सं० 36027/1/81-स्था० (एस० सी० टी०) कार्मिक और प्र० सु० विभाग का दिनांक 16-11-78 का का० ज्ञा० सं० 36027/9/78-स्था० (एस० सी० टी०) ।

कार्मिक और प्र० सु० विभाग का ता० 18-11-78 का का० ज्ञा० सं० 36027/9/78-स्था०(एस० सी० टी०) ।

कार्मिक और प्र० सु० विभाग का ता० 1-2-1979 का का० ज्ञा० सं० 36027/1/79-स्था० (एस० सी० टी०) ।

(ख) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को निम्नलिखित विवरण भेजेगा :—

(i) अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों और स्थापनाओं का (इसमें उसका अपना कार्यालय शामिल है) परिशिष्ट में दिए गए फार्म में एक समेकित विवरण ;

(ii) अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों और स्थापनाओं का (इसमें उसका अपना कार्यालय शामिल है) परिशिष्ट 9 में दिए गए फार्म में एक समेकित विवरण;

(iii) अपनी स्थापना के बारे में परिशिष्ट 8 और 9 में दिए गए फार्मों में विवरण;

(iv) पिछले वर्ष की पहली जनवरी को मंत्रालय/विभाग द्वारा नियन्त्रित संगठित सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व की ग्रेड-वार स्थिति, पिछले वर्ष के दौरान सेवा के विभिन्न ग्रेडों में भर्ती के ब्यौरे और चालू वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व की सेवा में ग्रेड-वार स्थिति का परिशिष्ट 8-क में उल्लिखित फार्म में तीन भागों में एक समेकित विवरण ।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक, अर्द्ध सरकारी और स्वायत्त निकायों के सम्बध में सूचना, उपर्युक्त उप-पैरा (ख) में उल्लिखित समेकित विवरण में शामिल नहीं की जानी चाहिए । सांविधिक, अर्द्ध सरकारी और स्वायत्त निकाय, समेकित सूचना निर्धारित फार्म में प्रशासनिक मंत्रालय को भेजेंगे और इसकी एक प्रति इस विभाग को पृष्ठांकित करेंगे । जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सम्बन्ध है, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के दिनांक 17-12-75 के का० ज्ञा० सं० 6/33/75-बी० पी० ई० (आई० सी०) में दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाए ।

14.2 मंत्रालय/विभाग को मंत्रालय/विभाग में या अपने नियंत्रणाधीन सभी स्थापनाओं और सेवाओं के वार्षिक विवरणों की संवीक्षा करनी होगी । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वार्षिक विवरणों की नमूना जांच करेगा ।

14.3 मंत्रालयों/विभागों तथा विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में नामित संपर्क अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उनके अधीन कार्यालयों में प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा समय पर वार्षिक विवरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और इन विवरणों की संवीक्षा और समेकन हो गया है । इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि परिशिष्ट 8 और 9 में दिए गए समेकित विवरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भी समय पर प्रस्तुत किए जाते है । (अध्याय 15 में संपर्क अधिकारी के कार्यों का ब्यौरा दिया गया हैं) ।

कार्मिक और प्र० सु० विभाग का ता० 10-5-76 का का० ज्ञा० सं० 36022/6/76-स्था० (एस० सी० टी०) ।

14.4 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण की संसदीय समिति की 41वीं रिपोर्ट में निर्धारित समय पर वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने और उनकी समीक्षात्मक जांच संबंधी सिफारिशों की ओर मंत्रालयों/विभागों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया गया है । मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परिशिष्ट 8 और 9 में विहित फार्मों में भेजे जाने वाले विवरण समय पर प्रस्तुत किए जाएं और इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी नियुक्ति प्राधिकारी इस मामले में ढील न करें । बिना किसी वैध कारण के ये विवरण न प्रस्तुत करने के मामले मंत्रालय/विभाग के सचिव या विभागाध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन कार्यालयों के मामले में विभागाध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किए जाएं । इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालय/विभाग में आने पर इन वार्षिक विवरणों की समीक्षात्मक जांच तथा विश्लेषण किया जाता हैं तथा गलतियां (यदि कोई हों), पता लगाकर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को शीघ्र ही बता दी जाती है जिससे वे अविलम्ब आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर सकें ।

कार्मिक और प्र० सु० विभाग का ता० 9-11-77 का का० ज्ञा० सं० 36024/8/76-स्था० (एस० सी० टी०) ।

14.5 सेवाओं में (विभिन्न समूहों जैसे क, ख, ग और घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के आंकडे प्रस्तुत करते समय इसमें सफाई कर्मचारियों के पद शामिल न किए जाएं क्योंकि इन्हें शामिल करने से चतुर्थ श्रेणी (समूह घ) में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की संख्या बहुत बढ़ जाएगी । ऊपर के पैराग्राफ 14.1 में बताए अनुसार परिशिष्ट 8 में दिए गए वार्षिक विवरण में चतुर्थ श्रेणी (इसमें सफाई कर्मचारी शामिल नहीं हैं) के कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारियों) संबंधी जानकारी अलग से देनी होती है । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग या अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त के कार्यालय या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी जानकारी मांगे जाने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों संबंधी जानकारी में कार्यालय/स्थापना इत्यादि में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की संख्या शामिल न की जाए यदि आवश्यक हो तो सफाई कर्मचारियों/जमादारों संबंधी जानकारी अलग से दी जाएं ।

कार्मिक और प्र० सु० विभाग का ता० 21-1-1978 का का० ज्ञा० सं० 36127/77-स्था० (एस० सी० टी०) ।

14.6 मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसरण में प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गए पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की संख्या दिखाने वाला वार्षिक विवरण परिशिष्ट 19 के प्रपत्र में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेंगे । मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे मंत्रालय/विभाग जिसमें उनके सभी संबद्ध और अधीनस्थ इत्यादि कार्यालय भी शामिल हैं, के बारे में केवल एक समेकित विवरण भेजें ।

अध्याय 14 के कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

अर्द्ध सरकारी पत्र सं० 29/47/66-स्था० (ग) 13-12-66

कार्यालय ज्ञापन सं० 17/3/70-स्था० (एस० सी० टी०) 1-1-72

कार्यालय ज्ञापन सं० 36027/7/75-स्था० (एस० सी० टी०) 17-1-76

कार्यालय ज्ञापन सं० 36022/6/76-स्था० (एस० सी० टी०) 10-5-76

कार्यालय ज्ञापन सं० 36024/8/76-स्था० (एस० सी० टी०) 9-11-77

कार्यालय ज्ञापन सं० 36027/9/78-स्था० (एस० सी० टी०) 18-11-78

कार्यालय ज्ञापन सं० 36027/1/79-स्था० (एस० सी० टी०) 1-2-79

कार्यालय ज्ञापन सं० 36027/1/81-स्था० (एस० सी० टी०) 17-2-81

सभी मंत्रालयों को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 13 दिसम्बर 1966 का अर्ध सरकारी पत्र सं० 29/47/66-स्था० (सी०)

इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/2/61 एस० सी० टी० (1) द्वारा सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों के संबंध में, जारी की गई विवरणी के पैरा II(क)(ii) के अंतर्गत सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक नियुक्ति अधिकारी को विवरणिका (प्रतिलिपि संलग्न है) के परिशिष्ट 9 में दर्ज विवरण में ऐसी जानकारी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को भेजनी होती है जिसमें कैलेण्डर वर्ष में की गई भर्ती का ब्यौरा और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरे गये पदों की संख्या दिखाई जाती हैं। विवरणिका के पैरा 12 के अनुसार गृह मंत्रालय सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में से जांच पड़ताल के लिए 10 प्रतिशत से यह विवरणी मांगता है। परन्तु इस मंत्रालय के तारीख 19 मार्च, 1963 के कार्यालय ज्ञापन सं० 29/1(1)63-एस० सी० टी० (1) के बाद यह फैसला किया गया कि मंत्रालयों/विभागों के अधीन सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को विवरणिका के परिशिष्ट 9 में विवरण गृह मंत्रालय को भी प्रति वर्ष भेजने होंगे और 19 मार्च, 1963 के ये आदेश वर्ष प्रति वर्ष आधार पर बढ़ा दिये गये। [इस संबंध में सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा 1965 वर्ष के लिए परिशिष्ट 9 में विवरण भेजने के बारे में इस मंत्रालय के तारीख 7 जनवरी, 1966 के कार्यालय ज्ञापन सं० 29/47/65-स्था० (सी०) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।] इस तरह सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, इस मंत्रालय को विवरणिका के परिशिष्ट 9 में प्रति वर्ष विवरण भेज रहे हैं। मंत्रालय/विभाग भी विवरणिका के पैरा II(ग) के अनुसार स्वयं मंत्रालय/विभाग के बारे में परिशिष्ट 9 में विवरण इस मंत्रालय को भेज रहे हैं। मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से इस मंत्रालय में प्राप्त, परिशिष्ट 9 में इन सभी विवरणों की जांच पड़ताल करके पाई गईं गलतियों को, इस मंत्रालय द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में परिशुद्धि के लिए लाया जाता है।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में इस मंत्रालय में प्राप्त विभिन्न विवरणों की समीक्षा करने पर अब यह निर्णय किया गया है कि [विवरणिका के पैरा II(ग) के अनुसार] स्वयं मंत्रालयों/विभागों के बारे में विवरणिका के परिशिष्ट 9 में वार्षिक विवरण पहले ही की तरह इस मंत्रालय को भेजे जाते रहेंगे। जहां तक सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का संबंध है उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित 7 जनवरी 1966 के कार्यालय ज्ञापन के उपबन्ध इसके द्वारा लागू कर दिए गए हैं ताकि उनके अनुसार 1966 वर्ष और अगले वर्षों के लिये प्रति वर्ष 31 मार्च तक

सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए इस मंत्रालय को विवरण भेज दें । 7 जनवरी, 1966 के का० ज्ञा० के उपबंध इसके बाद वर्ष प्रति वर्ष आधार पर औपचारिक रूप से लागू नहीं किया जाएगा/इसके अलावा आगे से संबंधित मंत्रालय/विभाग आदि के अधीन सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में परिशिष्ट 9 में उन सभी विवरणों की जांच पड़ताल करना प्रत्येक मंत्रालय/विभाग आदि की जिम्मेदारी होगी जिन्हें उन्हें विवरणिका के पैरा II(क)(ii) के अनुसार उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो । प्रत्येक मंत्रालय/विभाग का संपर्क अधिकारी विवरणिका के पैरा 35 के संदर्भ में यह सुनिश्चित करेगा कि मंत्रालय/विभाग में यह जांच की जाती है और यदि कोई गलतियां पाई जाएं तो उनकी सूचना आवश्यक परिशुद्धि के लिए संबंधित अधिकारियों को दी जाती है ।

3. उपर्युक्त व्यवस्था 1966 वर्ष के वार्षिक विवरणों से लागू होगी । तदनुसार मंत्रालय/विभाग अपने सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को 31 मार्च, 1967 तक संबंधित मंत्रालय और गृह मंत्रालय को वर्ष 1966 के लिए परिशिष्ट 9 में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की हिदायत दें और यह सुनिश्चित करें कि सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों संबंधी विवरणों की जांच मंत्रालय/विभाग में ही की जाती है । कृपया मंत्रालयों आदि द्वारा जारी की गई हिदायतों की प्रतियां (उनके सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों की सूची सहित) इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाएं । प्रत्येक मंत्रालय/विभाग इस मंत्रालय को 31 मार्च, 1967 से पहले अपनी स्थापना के बारे में 1966 वर्ष के लिए परिशिष्ट 9 में वार्षिक विवरण भेजेगा ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक विभाग का तारीख 1 जनवरी, 1972 का का० ज्ञा० सं० 17/3/70-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय : —1971(1-1-72 को) के लिए परिशिष्ट 8 और 9 में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी वार्षिक विवरण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गृह मंत्रालय के ता० 22 दिसम्बर, 1969 के का० ज्ञा० सं० 1/1/69-स्था० (एस० सी० टी०) के साथ जारी की गई, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण संबंधी विवरणिका के पैरा II के अनुसार प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित मंत्रालय/विभाग के निम्नलिखित वार्षिक विवरण, यथाशीघ्र पहली जनवरी के बाद और अधिक से अधिक पहली मार्च तक भेज दें ।

(1) **परिशिष्ट 8 :** एक ऐसा विवरण जिसमें वर्ष की पहली जनवरी को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या दिखाई गई हो ।

(2) **परिशिष्ट 9 :** एक ऐसा विवरण, जिसमें कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई भर्ती का ब्यौरा और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के, भर्ती किये गये उम्मीदवारों की संख्या दिखाई गई हो । (प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को इस विवरण की प्रतिलिपि, साथ-साथ कार्मिक विभाग को भी भेजनी होगी) ।

मंत्रालयों/विभागों के लिए, अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों और स्थापनाओं के बारे में परिशिष्ट 8 और परिशिष्ट 9 में कार्मिक विभाग को समेकित विवरण भेजना जरूरी है । उनमें यह भी अपेक्षित है कि वे कार्मिक विभाग को अपनी स्थापना के बारे में, वार्षिक विवरण भेजें ।

2. परिशिष्ट 8 और 9 में दिये गये वार्षिक विवरणों का प्रोफार्मा अब संशोधित कर दिया गया है । संशोधित प्रोफार्मा की प्रतिलिपि संलग्न है । प्रोफार्मों के नीचे टिप्पणियां दी गई हैं, ताकि प्रोफार्मा को सही तौर पर भरा जा सके । वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को तत्काल हिदायतें जारी करें जिनमें उन्हें अधिक से अधिक पहली मार्च, 1972 तक मंत्रालय/विभाग को संशोधित प्रोफार्मों में 1971 वर्ष के लिए उपर्युक्त पैरा 1 में दिए अनुसार वार्षिक विवरणों और इस विभाग को परिशिष्ट 9 में उनकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से यह भी अनुरोध है कि वे अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों सहित मंत्रालय/विभाग के संबंध में (इस का० ज्ञा० के साथ संलग्न उसी प्रोफार्मा में) वर्ष 1971 के लिए परिशिष्ट 8 और परिशिष्ट 9 में एक समेकित विवरण इस विभाग को प्रस्तुत करें । कृपया समेकित विवरण यथाशीघ्र परन्तु अधिक से अधिक 31 मार्च, 1972 तक प्रस्तुत कर दें ।

सभी मंत्रालय आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 17 जनवरी, 1976 का का० ज्ञा० संख्या 36027/7/75-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय : —अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी वर्ष 1975 (1 जनवरी, 1976 को) का परिशिष्ट 8 और 9 में वार्षिक विवरण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण संबंधी विवरणी का (चौथा संस्करण, 1975) के पैरा 14 के अनुसार, प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित मंत्रालय/विभाग को निम्नलिखित वार्षिक विवरण यथाशीघ्र पहली जनवरी के बाद और अधिक से अधिक पहली मार्च तक भेज दें : —

---

* भाग II में परिशिष्ट 8 और 9 देखें ।

1. **परिशिष्ट 8 :** उस वर्ष की पहली जनवरी को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण ।
2. **परिशिष्ट 9 :** कैलेंडर वर्ष में की गई भर्ती का विवरण और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरे गए पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (इस विवरण की एक प्रति साथ ही साथ प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जानी चाहिए) ।

मंत्रालय/विभागों के लिए आवश्यक है कि वे अपने अधीन सभी कार्यालयों व स्थापनाओं के विषय में और परिशिष्ट 9 में दिए अनुसार एक समेकित विवरण कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजें । उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना का वार्षिक विवरण भी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजें । वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक प्रपत्र परिशिष्ट 8 और परिशिष्ट 9 (संशोधित) में संलग्न हैं । परिशिष्ट 9 के प्रपत्र को अब संशोधित कर दिया गया है ताकि उसमें आरक्षित रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सीधी भर्ती में और पदोन्नति द्वारा, भरे गए पदों की सूचना मिल सके ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को तत्काल अनुदेश जारी करें और उनसे कहें कि वे उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित 1975 का वार्षिक विवरण, संलग्न प्रोफार्मा में मंत्रालय/विभाग को भेजें और परिशिष्ट 9 में दिए गए विवरण की प्रति 1 मार्च 1976 तक इस विभाग को भेजें ।

3. यह देखा गया है कि मंत्रालय/विभागों (संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों सहित) के विषय में परिशिष्ट 8 और 9 में दी गई पिछली समेकित सूचना इस विभाग को नियत तारीख, अर्थात 31 मार्च तक प्राप्त नहीं हुई और अनेक स्मरण पत्र भेजने के बाद भी कुछ मंत्रालय/विभाग आवश्यक सूचना नहीं भेज सकें। कुछ मंत्रालय/विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त न होने के कारण इस संबंध में समस्त भारत सरकार के सांख्यिकीय आंकड़े संकलित करने में विलम्ब होता है। अत: यह अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय आदि, अपने अधीन सभी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों से यह आग्रह करें कि ये समय पर विवरण भेजने की आवश्यकता पर जोर दें। यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरे मंत्रालय/विभाग (सम्बध्द व अधीनस्थ कार्यालयों सहित) के विषय में 1975 के वर्ष का (1 जनवरी 1976 तक) समेकित विवरण, परिशिष्ट 8 और 9 में अलग अलग इस विभाग को 31 मार्च, 1976 के अंत तक अवश्य भेज दें।

4. संगठित सेवाओं, जैसे भारतीय सांख्यिकी सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा आदि, के बारे में परिशिष्ट 8 में सूचना संबंधित संवर्ग (काडर) प्राधिकारियों द्वारा, अर्थात उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा, जिनके अधीन ये अधिकारी सेवा कर रहे हैं, भेजी जानी चाहिए। यदि आरक्षण रोस्टर आदि संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है तो परिशिष्ट 9 के बारे में ये सूचना संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा भेजी जानी चाहिए। उन मामलों में जहां आरक्षण रोस्टर सेवाओं पर नियंत्रण रखने वाले मंत्रालय/विभाग द्वारा केन्द्रीय तौर पर रखा जाता है, वहां परिशिष्ट 9 में भेजी जाने वाली सूचना उन्हीं मंत्रालयों/विभागों द्वारा भेजी जानी चाहिए।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक, अर्ध-शासकीय और स्वायत्त निकायों संबंधी सूचना ऊपर दिए गए पैरा 3 के अनुसार समेकित विवरण में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए। सांविधिक, अर्ध-शासकीय अथवा स्वायत्त निकायों को आदेश दिया जाए कि वह परिशिष्ट 8 और परिशिष्ट 9 में 1975 के वर्ष का वार्षिक विवरण, इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न प्रोफार्मा में, मंत्रालय/विभाग को भेजें और उसकी एक प्रतिलिपि इस विभाग को प्रेषित करें। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में 1975 का वार्षिक विवरण, सार्वजनिक उद्यम द्वारा तारीख 17-12-1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/33/75-बी० पी० ई० (आई सी) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार भेजा जाए।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 10 मई, 1976 का का० ज्ञा० संख्या 36022/6/76-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—परिशिष्ट 8 और 9 में उल्लिखित सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशें ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं ।

सिफारिश संख्या 28 :

समिति की यह जानकारी है कि सभी नियुक्ति प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती आदि के बारे में वार्षिक विवरण सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग को भेजेंगे और मंत्रालय/विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह विवरणियां पुनः कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेंगे । समिति यह अनुभव करती है कि यदि यह विवरणियां समय पर न भेजी गईं तो वार्षिक विवरणियां भेजने का प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा । समिति कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा लोक उद्यम ब्यूरो से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा करती है कि नियुक्ति प्राधिकारी उपर्युक्त वार्षिक विवरणियां सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को भेजते रहें और सम्बद मंत्रालय/विभाग इन विवरणियों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग/लोक उद्यम ब्यूरो को निर्धारित समय के भीतर निश्चित रूप से भेजते रहें । समय पर विवरणियां प्रस्तुत न करना सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग के अध्यक्ष की गम्भीर अनियमितता समझनी चाहिए ।

सिफारिश संख्या 29 :

समिति का यह भी सुझाव है कि सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग/लोक उद्यम ब्यूरो में वार्षिक विवरणियों के प्राप्त होने के बाद इनकी आलोचनात्मक दृष्टि से जांच की जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए तथा उनमें यदि कुछ कमियों का पता लगे तो इसकी सूचना नियुक्ति प्राधिकारियों/मंत्रालयों/विभागों को तत्काल भेजी जाए

ताकि नियुक्ति प्राधिकारी और सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें ।

2. विवरणिका के पैरा 14 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक विवरणियां परिशिष्ट 8 और 9 में प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को यथा संभव पहली जनवरी के बाद तथा अधिक से अधिक पहली मार्च तक भिजवाना जरूरी है । मंत्रालयों/विभागों से उन सभी प्रतिष्ठानों और सेवाओं के बारे में, जो मंत्रालयों/विभागों के अधीन या नियंत्रण में हैं, वार्षिक विवरणियों की जांच पड़ताल करने की अपेक्षा की जाती है । मंत्रालयों/विभागों में और विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में नामित सम्पर्क अधिकारी अपने अधीन कार्यालयों के प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी से यह सुनिश्चत करें कि वार्षिक विवरणियां समय पर प्रस्तुत की जाएं और यह भी सुनिश्चित करें कि इन विवरणियों की छान बीन की जाए तथा इन्हें समेकित किया जाए । उन से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अपेक्षा की जाती है कि समेकित विवरणियां कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को समय पर प्रस्तुत की जाएं । समय-समय पर मंत्रालयों/विभागों से उनके अधीन नियुक्ति प्राधिकारियों पर वार्षिक विवरणियां समय पर प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ जोर देने को भी कहा गया है और यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि पूरे मंत्रालय/विभाग को समेकित विवरणियां निश्चित तारीख तक कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जाएं ।

3. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की उपर्युक्त सिफारिशें विशेष रूप से पुनः मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में लायी जाती हैं । यह सुनिश्चित किया जाए कि नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा परिशिष्ट 8 और 9 में वार्षिक विवरणियां निश्चित रूप से निर्धारित समयावधि में मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत की जाती हैं । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस बारे में कोई भी नियुक्ति प्राधिकारी पीछे न रहे । किसी उचित कारण के बिना इन विवरणियों को समय पर प्रस्तुत न करने का मामला मंत्रालय/विभाग में सरकार के सचिव/अपर सचिव अथवा विभाग अध्यक्ष के अधीन कार्यालयों के मामले में विभाग अध्यक्ष की जानकारी में लाया जाए । यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालय/विभाग में वार्षिक विवरणियां प्राप्त होने के बाद उनकी आलोचनात्मक दृष्टि से जांच की जाए और उनका विश्लेषण किया जाए तथा उनमें यदि कुछ कमियों का पता चले तो उसकी जानकारी सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियों को तत्काल दी जाए ताकि वे उसके लिए शीघ्र ही आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर सकें ।

4. जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक विवरणियों का संबंध है उन्हें लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन करना चाहिए ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को भेजा गया कार्मिक और प्रशासनिक विभाग का तारीख 9-11-77 का का० ज्ञा० सं० 36024/8/76-स्था० (एस० सी० टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—मेहतरों और झाड़ूकशों के पद, जिन्हें रोस्टर रखने के लिए अथवा सांख्यिकीय सूचना देते समय अन्य पृथक् श्रेणी IV पदों के साथ वर्गीकृत नहीं किया जाना है ।

मुझे इस विभाग के तारीख 20-12-1974 के का० ज्ञा० सं० 8/1/74-स्था० (एस० सी० टी०) के साथ पठित, गृह मंत्रालय के तारीख 28-1-1952 के का० ज्ञा० सं० 42/21/49-एन० जी० एस० के पैरा 6 और परिशिष्ट "ङ" का हवाला देने का निदेश हुआ है, जिनके अनुसार जब भी सेवा के किसी संवर्ग, ग्रेड या डिवीजन में, जिसमें सीधी भर्ती की जाती है, 20 से कम पद हों, तब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करने के लिए इस विभाग के पूर्वानुमोदन के सेवा/मंत्रालय या कार्यालय में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उसी प्रकार के पदों के साथ इन पदों का वर्गीकरण करने के लिए कार्रवाई की जाए । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने यह सुझाव दिया है कि सफाईवालों के पदों का, जो कि प्राय: उन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाते हैं, जो कि अनुसूचित जाति के माने गए हैं, अन्य श्रेणी IV पदों के साथ वर्गीकरण न किया जाए । इस पर विचार किया गया और इसे मान लेने का निर्णय किया गया है । अत: यह स्पष्ट किया जाता है कि आरक्षण आदेशों के पालन हेतु, सफाईवालों के पदों को श्रेणी IV के अलग पदों के अन्य वर्गों के साथ वर्गीकरण न किया जाए भले ही किसी कार्यालय/स्थापना में मेहतरों के पदों की संख्या आदि न हो । तदनुसार, श्रेणी IV पदों के मौजूदा वर्गीकरण की समीक्षा की जाए ।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने यह भी सुझाव दिया है कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्वों के आंकड़े भेजते समय (विभिन्न समूहों क, ख, ग और घ के अंतर्गत) सफाईवालों के पद शामिल न किये जाएं, क्योंकि ऐसा करने से श्रेणी IV में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े बढ़ जाएंगे । इस सुझाव की भी जांच की गई है और इसे मान लिया गया है । अब भी प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय को, वर्ष की पहली जनवरी को, सरकारी

कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या दिखाने वाला, इस विभाग द्वारा परिशिष्ट 8 में निर्धारित, (वार्षिक विवरण भेजते समय उसमें श्रेणी IV सफाईवालों के अलावा) और श्रेणी IV सफाइवालों के संबंध में अलग अलग सूचना दी जानी अपेक्षित है । इस विभाग या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में मांगी गई किसी अन्य सूचना में, श्रेणी IV के कर्मचारियों सम्बन्धी सूचना देते समय उसमें कार्यालय/स्थापना आदि में नियुक्त सफाईवालों की संख्या शामिल न की जाए । यदि आवश्यक हो तो सफाईवालों/झाड़ूकशों के बारे में इस प्रकार की सूचना अलग दी जाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 18-11-78 का का०ज्ञा० सं० 36027/9/78-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में वार्षिक विवरण—मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित प्रत्येक सेवा के सम्बन्ध में आंकड़े ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती से सम्बन्धित कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा करने के लिए उच्चाधिकार समिति की बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी और मुख्य रूप से सरकारी सेवाएं, सरकार के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यमों तथा कुछ संगठित सेवाओं को विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया । समिति ने इस प्रश्न पर गहराई से विचार करने का सुझाव दिया और यह निदेश दिया कि निर्धारित समय के भीतर उक्त कमी को दूर करने के उपायों के सम्बन्ध में, समिति द्वारा विचार किये जाने के लिए, उपर्युक्त सुझाव तैयार किये जाएं । समिति ने यह भी निदेश दिया है कि इस विषय का शीघ्रता से अध्ययन किये जाने के लिए वरिष्ठ सचिवों की एक समिति गठित की जाए । उच्चाधिकार समिति के उक्त निदेशों का पालन करने की दृष्टि से, इस विभाग को विभिन्न समूहों (समूह क, ख, ग और घ) का संवर्गवार तथा संगठित सेवाओं/संवर्गों के विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व का अध्ययन शीघ्र ही आरम्भ करना है । इस कार्य हेतु इस विभाग की संवर्ग स्थिति की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों

के श्रेणीवार (श्रेणी I, II, III और IV) प्रतिनिधित्व की सम्पूर्ण सूचना के अतिरिक्त उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में विस्तृत आंकड़ों की भी आवश्यता होगी ।

2. सेवाओं में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका (चतुर्थ संस्करण) के पैरा 14 के उपबन्ध के अधीन, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के लिए यह अपेक्षित है कि वह सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की एक जनवरी की स्थिति का प्रतिनिधित्व दर्शाते हुए एक समेकित वार्षिक विवरण (परिशिष्ट 8 और 9) तथा पिछले पंचांग वर्ष के दौरान की गई भर्तियों, तथा उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या के विवरण इस विभाग को भेजें । इन समेकित विवरणों में मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सूचना शामिल की जाए अर्थात् मुख्य मंत्रालय/विभाग तथा इसके प्रशासनिक नियंत्राणाधीन सभी सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि की सूचना भी दी जाए । जबकि इन विवरणों से इस विभाग को समूह क, ख, ग और घ (श्रेणी I, II, III और IV) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में समग्र जानकारी मिल जाती है किन्तु प्रत्येक संगठित सेवा के सम्बन्ध में अलग से सूचना नहीं मिलती । यह आवश्यक समझा गया है कि विभिन्न अलग-अलग सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़े भी एकत्र किये जाए ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी वाले विशेष क्षेत्रों का पता लगाया जा सके और उपयुक्त दुरुस्तियां समय पर की जा सकें ।

3. तद्नुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि परिशिष्ट 8 और 9 में वार्षिक विवरणों के अतिरिक्त, मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित सेवाओं के सम्बन्ध में भी सूचना इस विभाग को प्रत्येक वर्ष संलग्न प्रपत्र में भेजी जाए । जैसा कि प्रपत्र से पता चलेगा, उक्त विषयों पर निम्नलिखित तीन भागों में सूचना अपेक्षित हैं :—

उप खण्ड (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को पिछले वर्ष अर्थात् 1978 को एक जनवरी की स्थिति (संलग्न प्रपत्र का खण्ड क) ।

उप खण्ड (ख) वर्ष 1978 के दौरान भरी गई रिक्तियों के विवरण, जैसे कि आरक्षित रिक्तियों की संख्या, नियुक्त किये गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या ऐसी आरक्षित रिक्तियों की संख्या, जिन्हें अनारक्षित किया गया, अग्रेनीत की गई रिक्तियों की संख्या आदि ।

उप खण्ड (ग) पूरे वर्ष के दौरान अर्थात् 1978 में सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति आदि के कारण विभिन्न ग्रेडों में हुए सभी परिवर्तनों की गणना करते हुए जनवरी, 1978 की स्थिति ।

4. अनुरोध है कि मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों से अपेक्षित सूचना 15-1-1979 तक एकत्र कर ली जाए और प्रत्येक सेवा के सम्बन्ध में उपयुक्त मिलान तथा विश्लेषण करने के पश्चात सभी मंत्रालय उक्त सूचना की अधिक से अधिक 1 मार्च, 1979 तक इस विभाग को भेज दें । कहना न होगा कि यह कार्य ऊपर बताई गई समय अनुसूची के अनुसार प्रति वर्ष करना होगा । वर्ष 1980 और उसके बाद देय विवरणियां भेजते समय इस कार्यालय ज्ञापन के साथ अग्रेनीत नमूना प्रपत्र में गये वर्षों को उपयुक्त रूप से बदलने की आवश्यकता होगी ।

मंत्रालय/विभाग द्वारा नियन्त्रित प्रत्येक सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला विवरण

मंत्रालय/विभाग ----------

सेवा ----------

(क) पिछले वर्ष की पहली जनवरी की स्थिति

सेवा के ग्रेड (वेतनमान सहित)	श्रेणी	पदों की कुल संख्या	कर्मचारियों की कुल सं०	कर्मचारी किस समुदाय का है		
				अन्य समुदाय	अनुसूचित जाति	अनु० जन-जाति
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वेतनमान						
वरिष्ठ वेतनमान						
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड						
चयन ग्रेड						
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड						
स्तर II						
स्तर I						
वरिष्ठ समय वेतनमान (अखिल भारतीय सेवाओं के लिए)						

(ख) गत वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि के दौरान भर्ती के विवरण

सेवा का ग्रेड	श्रेणी	अवधि के दौरान अधिसूचित रिक्तियां			भरी गई रिक्तियां		
		अन्य समुदाय	अनु० जाति	अनु० जन-जाति	अन्य समुदाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ वेतनमान							
वरिष्ठ वेतनमान							
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड							
चयन ग्रेड							
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड							
स्तर II							
स्तर I							
वरिष्ठ समय वेतनमान (अखिल भारतीय सेवाओं के लिए)							

3 वर्ष के बाद समाप्त हुई रिक्तियां		अनारक्षित की गई आरक्षित रिक्तियां		अग्रेनीत की गई रिक्तियां		अनारक्षण के कारण
अनु० जा०	अनु० जन जा०	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति	
9	10	11	12	13	14	15

(ग) चालू वर्ष की पहली जनवरी की स्थिति (वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदच्युति आदि के कारण परिवर्तन दिखाने वाला विवरण)

सेवा का ग्रेड (वेतनमान सहित)	श्रेणी	पदों की कुल संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	अन्य कर्मचारी किस समुदाय का		
				अन्य समुदाय	अनु० जा०	अनु० जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वेतनमान						
वरिष्ठ वेतनमान						
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड						
चयन ग्रेड						
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड						
स्तर-II						
स्तर-I						
वरिष्ठ समय वेतनमान (अखिल भारतीय सेवाओं के लिए)						

नोट (1) अनारक्षण के विशेष कारणों का उल्लेख किया जाए । क्या सभी उपाय किए गए थे और क्या कोई व्यक्ति लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् साक्षात्कार में असफल रहा था ।

नोट (2) इस प्रपत्र खण्ड (क) के स्तम्भ (1) का सेवा/संवर्ग भिन्न-भिन्न हो सकता है । इसका आशय यह है कि संवर्ग से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित प्रत्येक मंत्रालय/विभाग उस संवर्ग से सम्बन्धित विद्यमान ग्रेडों का उल्लेख करेगा ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 1 फरवरी, 1979 का का०ज्ञा० सं० 36027/1/79-स्था० (अनु०जन०जा०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में प्रतिनिधित्व संबंधी वर्ष 1975 (1 जनवरी, 1979 का) का परिशिष्ट 8 और 9 में वार्षिक विवरण ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 10-5-76 के का०ज्ञा० सं० 36022/6/76-स्था० (अनु० जा०) की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक नियोक्ता प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह संबंधित मंत्रालय/विभाग को निम्नलिखित वार्षिक विवरण यथाशीघ्र पहली जनवरी के बाद और अधिक से अधिक पहली मार्च तक भेज दें :—

(1) **परिशिष्ट 8 :—**

उस वर्ष की पहली जनवरी को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण ।

(2) **परिशिष्ट 9 :—**

कैलेण्डर वर्ष में की गई भर्ती का विवरण और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरे गए पदों की संख्या दर्शाने वाला विवरण । (इस विवरण की एक प्रति साथ ही साथ प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जानी चाहिए) ।

मंत्रालयों/विभागों के लिए आवश्यक है कि वे अपने अधीन सभी कार्यालयों व स्थापनाओं के विषय में परिशिष्ट 8 और परिशिष्ट 9 में दिए अनुसार एक समेकित विवरण कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजें । उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे अपनी स्थापना का वार्षिक विवरण भी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजें । वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक प्रपत्र परिशिष्ट 8 और परिशिष्ट 9 (संशोधित) में संलग्न है ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को तत्काल अनुदेश जारी करें और उनसे कहें कि वे उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित 1978 का वार्षिक विवरण, संलग्न प्रपत्र में मंत्रालय/विभाग को भेजें और परिशिष्ट 9 में दिए गए विवरण की प्रति 31 मार्च, 1979 तक इस विभाग को भेजें ।

3. यह देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों (संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों सहित) के विषय में परिशिष्ट 8 और 9 में दी गई समेकित सूचना इस विभाग को नियत तारीख, अर्थात, 31 मार्च तक प्राप्त नहीं हुई और अनेक विवरण पत्र भेजने के बाद भी कुछ मंत्रालय/विभाग आवश्यक सूचना नहीं भेज सकें। कुछ मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक सूचना प्राप्त न होने के कारण इस संबंध में समस्त भारत सरकार के सांख्यिकीय आंकड़े संकलित करने में विलम्ब होता है। अत: यह अनुरोध है कि वित्त मंत्रालय आदि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें कि उनके अधीन सभी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी समय पर विवरण भेजते हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरे मंत्रालय/विभाग (संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों सहित) के विषय में 1978 वर्ष का (1 जनवरी, 1979 तक) समेकित विवरण, परिशिष्ट 8 और 9 में अलग-अलग इस विभाग को 31 मार्च, 1979 के अंत तक अवश्य भेज दें।

4. समेकित सेवाओं के बारे में ये सूचना विभाग के दिनांक 17-1-76 के का०ज्ञा० सं० 36027/7/75-स्था० (अनु०जा०) के पैरा 3 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार संकलित किया तथा भेजा जाए।

5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक, अर्धशासकीय और स्वायत्त निकायों संबंधी सूचना ऊपर दिए गए पैरा 3 के अनुसार समेकित विवरण में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए। जहां तक सांविधिक, अर्धशासकीय अथवा स्वायत्त निकायों का संबंध है उनसे यह कहा जाए कि वे परिशिष्ट 8 और परिशिष्ट 9 में वर्ष, 1978 का वार्षिक विवरण इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न प्रोफार्मा में अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को भेजें और उसकी एक प्रति इस विभाग को पृष्ठांकित की जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में 1978 का वार्षिक विवरण सार्वजनिक उद्यम द्वारा तारीख 17 दिसम्बर, 1975 के का०ज्ञा० सं० 6/33/75-बी०पी०ई० (आई०सी०) में दिए गए अनुदेशों के अनुसार भेजी जाए।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 17 फरवरी, 1981 का का०ज्ञा० सं० 36027/1/81-स्था० (अनु० जा०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में वर्ष 1980 (1-1-1981 की स्थिति के अनुसार) के लिए परिशिष्ट 8 और 9 में वार्षिक विवरण।

मुझे इस विभाग के दिनांक 10-5-1976 के कार्यालय ज्ञापन सं० 36022/6/76-स्था० (अनु०जा०) की ओर ध्यान आकर्षित करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि

प्रत्येक नियोक्ता प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में वार्षिक विवरण संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी के बाद यथासंभव शीघ्र तथा हर हालत में अधिक से अधिक पहली मार्च तक भेज दें। मंत्रालयों/विभागों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों/अपने नियंत्रणाधीन संगठनों सहित मंत्रालय/विभाग के संबंध में समेकित विवरणियां परिशिष्ट 8 तथा 9 में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजें।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को अनुदेश शीघ्र जारी करें जिनमें उनसे यह कहा जाए कि वे वर्ष 1980 (1-1-81 की स्थिति के अनुसार) के लिए उपर्युक्त वार्षिक विवरण संलग्न संशोधित प्रपत्र में मंत्रालय/विभाग को भेज दें और विवरण की एक प्रति परिशिष्ट 9 में इस विभाग को अधिक से अधिक 31-3-81 तक भेज दें। यह सुनिश्चित किया जाए कि सम्पूर्ण मंत्रालय/विभाग (इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित) के बारे में वर्ष 1980 के लिए (1-1-81 की स्थिति के अनुसार) प्रत्येक परिशिष्ट 8 तथा 9 में समेकित विवरण इस विभाग को अधिक से अधिक 31 मार्च, 1981 तक भेज दिया जाता है।

3. पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि मंत्रालय/विभाग के बारे में परिशिष्ट 8 तथा 9 में समेकित विवरण नियत तारीख अर्थात् 31 मार्च तक इस विभाग में प्राप्त नहीं हुए थे और कई अनुस्मारकों के बाद भी मंत्रालय/विभाग अपेक्षित सूचना भेजने की स्थिति में नहीं थे। कुछ मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित सूचना न मिलने के कारण, सम्पूर्ण भारत सरकार के संबंध में आंकड़े संबंधी सूचना संकलित करने में देरी हो गई थी। ये आंकड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति तथा गृह मंत्रालय के लिए आवश्यक है। सूचना के उपलब्ध न कराए जाने से संसदीय कार्य को निपटाने में भारी बाधा होती है और सूचना न भेजने वाले मंत्रालयों की निःसंदेह बदनामी होती है। अतः इस कार्य को समुचित रूप से वास्तविक महत्व दिया जाना चाहिए। अतः यह सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रभावशाली प्रयत्न किए जाने चाहिए कि समेकित रूप में ये विवरण 31-3-1981 तक इस विभाग को भेज दिए जाते हैं।

परिशिष्ट 8

_____मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

1-1-1981 की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

समूह श्रेणी	स्थायी/अस्थायी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	कुल कर्मचारियों के संदर्भ में प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति	कुल कर्मचारियों के संदर्भ में प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
समूह क	श्रेणी (I) स्थायी					
	(i) श्रेणी I की निम्नतम सीढ़ी के अतिरिक्त					
	(ii) श्रेणी I की निम्नतम सीढ़ी					
	कुल.....					
	(II) अस्थायी					
	(i) श्रेणी I की निम्नतम सीढ़ी के अतिरिक्त					
	(ii) श्रेणी I की निम्नतम सीढ़ी					
	कुल.....					
समूह ख	श्रेणी (II) स्थायी					
	अस्थायी					
समूह ग	श्रेणी (III) स्थायी					
	अस्थायी					
समूह घ सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त	श्रेणी (IV) स्थायी					
	अस्थायी					
समूह घ सफाई कर्मचारी	श्रेणी (IV) स्थायी					
	अस्थायी					

अभ्युक्ति	तीन वर्ष अग्रेनीत किए जाने के बाद समाप्त की गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या		अनुसूचित जनजाति के नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या	पिछले वर्ष से अग्रेनीत की गई अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या	अग्रेनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	3 वर्ष तक अग्रेनीत किए जाने के बाद समाप्त की गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या	अभ्युक्तियां
		कालम 2 से	कालम 3 से					
8	9	10	11	12	13	14	15	16

हस्ताक्षर .....

पदनाम.....

टिप्पणी :—

(1) यह विवरण व्यक्तियों से सम्बन्धित है न कि पदों से इसलिए रिक्तियों को इसमें शामिल न किया जाये ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी के उधारकर्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय की स्थापना में शामिल किया जाये मूल कार्यालय में नहीं ।

(3) एक ग्रेड में स्थायी किन्तु उच्चतर ग्रेड में अस्थायी व्यक्तियों को उच्चतर ग्रेड के आंकड़ों में शामिल किया जाए ।

परिशिष्ट 9

———————— मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में (वर्ष 1980 के दौरान) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई आरक्षितियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

श्रेणी	अनुसूचित जाति				नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या	पिछले वर्ष से अग्रेनीत की गई अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या	अग्रेनीत किए जाने के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर गिनी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या
	रिक्तियों की कुल सं.		आरक्षित रिक्तियों की संख्या				
	अधिसूचित की गई	भरी गई	कालम 2 से	कालम 3 से			
1	2	3	4	5	6	7	8
श्रेणी I						I. सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद	
(i) की निम्नतम सीढ़ी							
(ii)							
(iii)							
(iv) (सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त)							
(iv) (सफाई कर्मचारी)							
(iv)							
2. श्रेणी I						II. पदोन्नति द्वारा भरे गए पद	

1	2	3	4	5	6	7	8
(i) की निम्नतम सीढ़ी							
(ii)							
(iii)							
(iv) (सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्त)							
(iv) (सफाई कर्मचारी)							

टिप्पणी : (1) प्रत्येक समूह (श्रेणी) के अन्तर्गत समेकित आंकड़ें दिये जाने चाहिए ।

(2) कालम 2-3 में से वास्तव में आरक्षित रिक्तियों की संख्या, चाहे आगे लाए गये आरक्षित रिक्तियां हो अथवा वर्ष के सामान्य रिक्तियां आरक्षित रिक्तियां कालम 4, 5 और 9, 10 में दिखाई जानी चाहिए ।

(3) समूह "ग" से समूह "ख" में, समूह "घ" में तथा समूह "ख" से समूह "क" के निम्नतम दर्जे (श्रेणी III से श्रेणी II में तथा श्रेणी II से श्रेणी I में के निम्नतम दर्जे) में चयन पदोन्नति के मामले में, कालम 7 और 12 के शीर्षक में "आगे से जाने के तीसरे वर्ष में" और कालम 8 और 13 के शीर्षक में "तीन वर्षों तक ले जाने के बाद" शब्द लागू नहीं होंगे । ये कालम तदनुसार भर लिए जाएं ।

(इस विभाग के तारीख 20 जुलाई, 1974 के का०ज्ञा०सं० 10/41/73-स्था०(एस०सी०टी०), 3 फरवरी, 1975 के का०ज्ञा०सं० 10/37/74-स्था०(एस०सी०टी०) और 29 अप्रैल, 1975 के का०ज्ञा०सं० 1/9/74-स्था०(एस०सी०टी०) देखें ।

प्रमाणित किया जाता है कि आरक्षित रिक्तियों के मामलों में जहां कहीं भी गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार नियुक्ति किए गए (क) स्थायी नियुक्तियों और अस्थायी नियुक्तियों जिनकी स्थायी होने अथवा अनिश्चित काल तक जारी रहने की संभावना थी, के लिए रोक शामिल की गई रिक्तियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया था और (ख) पूर्णतया अस्थायी नियुक्ति किए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका के पैरा 8.1 में विहित उपाय किये गए थे ।

स्थान _____

राज्य _____

तारीख _____

हस्ताक्षर _____

पद _____

अध्याय 15

सम्पर्क अधिकारी

गृह मंत्रालय की तारीख 10-4-68 का का०ज्ञा० सं० 16/17/67-स्था० (ग) और ता० 19-4-69 का का०ज्ञा०सं० 27/22/68-स्था० (एस०सी० टी०) और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 27-5-76 का का०ज्ञा०सं० 36022/5/76-स्था० (एस०सी० टी०) और ता० 11-10-79 का 36028/1/79-स्था० (एस०सी० टी०)

15.1 प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में प्रशासन का प्रभारी उप सचिव (अथवा उप सचिव के रैंक का कोई अन्य अधिकारी जिसे इस कार्य के लिए नामित किया गया हो) मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी स्थापनाओं और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को प्रतिनिधित्व देने संबंधी मामलों में संपर्क अधिकारी का कार्य करेगा । संपर्क अधिकारी विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा :

(i) वह यह सुनिश्चित करेगा कि अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, रिक्तियों के आरक्षण तथा उनको स्वीकार्य अन्य लाभों संबंधी अनुदेशों और आदेशों का पालन कर रहे हैं ।

(ii) वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि :

(1) मंत्रालय/विभाग के अधीन कार्य कर रहा प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी अपने मंत्रालय/विभाग को प्रतिवर्ष पहली जनवरी को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों और अनु० जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या बताने वाला विवरण प्रस्तुत करता (परिशिष्ट-8 में दिये गये फार्म में) है;

दिनांक 18-1-85 का का०ज्ञा०सं० 36022/2/84-स्था० (अनु०जाति)

(2) मंत्रालय/विभाग का प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी मंत्रालय/विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को कैलेंडर वर्ष के दौरान हुई भर्ती और भर्ती करते समय नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या दिखाने वाला एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना है (परिशिष्ट 9 में दिये गये फार्म में) है; और

(3) मंत्रालय और विभाग में और उसके अधीन सभी स्थापनाओं और सेवाओं के उक्त वार्षिक विवरणों की संवीक्षा और समेकन किया जाता है और ये समेकित विवरण परिशिष्ट-8 में और 9 में दिये गये फार्मों में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजे जाते हैं ।

दिनांक 18-8-83 का का०ज्ञा० संख्या 36011/22/82-स्था० (अनु०जा०)

(4) दिनांक 10-8-81 के अनुदेशों के अधीन सम्पर्क अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वस्तुतः बुलाने से पहले विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल करने के लिए अनु०जा०/अनु० जनजाति के अधिकारी के उपलब्ध न होने की बात निर्दिष्ट करनी होती है । अतः सम्पर्क अधिकारियों की एक जिम्मेदारी यह भी होगी कि वे विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियों की भविष्य में होने वाली बैठकों की तारीखों की जानकारी समय से प्राप्त कर लें । उसे कुछ सहयोगी मंत्रालयों/विभागों के अनु०जा०/अनु० जनजाति से संबंधित विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की सूची भी अपने पास तैयार रखनी चाहिए । जब कभी आवश्यकता पड़े विभागीय पदोन्नति समिति के अन्य सदस्यों के स्तर के अनुरूप तथा जिस नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जानी है उस नियुक्ति के स्तर के अनुरूप अनु० जाति/अनु० जनजाति के समुचित स्तर के अधिकारी को एक सदस्य के रूप में सदैव सहयोजित किया जा सकता है । सम्पर्क अधिकारियों द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक स्कन्ध से अनौपचारिक रूप से परामर्श करके ऐसी सूची तैयार की जा सकती है ।

कार्मिक विभाग का ता० 11-8-72 का का०ज्ञा०सं० 16/1/72-स्था० (एस०सी० टी०) और तारीख 12-11-75 का का० ज्ञा०सं० 16/27/74-स्था० (एस०सी०टी०)

(iii) स्थायी नियुक्तियां और ऐसी अस्थायी नियुक्तियां जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलने की संभावना हो उनके रोस्टर में शामिल आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजते समय या पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों के रोस्टर में शामिल आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने संबंधी मामलों की सूचना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त को भेजते समय आरक्षण समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव की पुष्टि में पूरा ब्यौरा (पैरा 10.2 देखें) दिया जाता है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने संबंधी भेजे गए प्रस्तावों में इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाए कि यह प्रस्ताव संपर्क अधिकारी की सहमति से रखा गया है और संपर्क अधिकारी को इस बारे में पूरी जानकारी है ।

गृह मंत्रालय का तारीख 27-4-70 का का०ज्ञा०सं० 16/8/69-स्था० (एस०सी० टी०) तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 27-6-78 का का० ज्ञा०सं० 36024/1/78-स्था० (एस०सी० टी०) गृह मंत्रालय का ता० 3-9-70 का का०ज्ञा०सं० 27/4/(ii)70-स्था० (एस० सी०टी०) तथा कार्मिक विभाग का ता० 22-4-71 का का०ज्ञा०सं० 8/8/71-स्था० (एस० सी०टी०)

(iv) आयुक्त को भेजी गई सेवा संबंधी मामलों की शिकायतों की जांच पड़ताल में तथा वार्षिक रिपोर्ट के लिए सूचनाएं एकत्र करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को आवश्यक सहायता दी जाती है ।

(v) संपर्क अधिकारी मंत्रालय/विभाग के नियंत्रण के अधीन कार्य करने वाले मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में रखे जाने वाले रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण संबंधी अनुदेशों का उचित अनुपालन किया जाता है । रोस्टरों के निरीक्षण का प्रोफार्मा परिशिष्ट-7 में दिया गया है ।

(vi) संपर्क अधिकारी मंत्रालय/विभाग और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के बीच अन्य जानकारी देने, प्रश्नों के उत्तर देने और आरक्षण संबंधी आदेशों के बारे में शंकाओं का समाधान करने के लिए संपर्क अधिकारी का काम करता है ।

गृह मंत्रालय का तारीख 19-4-69 का का०ज्ञा०सं० 27/22/68-स्थापना (एस०सी० टी०)

15.2 मंत्रालयों और विभागों को चाहिए कि वे अपने मंत्रालय/विभाग में संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में एक सेल स्थापित करें । इस सेल का मुख्य कार्य संपर्क अधिकारी को उसका कार्य अच्छी तरह करने में सहायता करना है ।

गृह मंत्रालय का तारीख 10-4-68 का का०ज्ञा०सं० 16/17/67-स्था० (एस०सी० टी०) (ग)

15.3 प्रत्येक विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य के लिए एक संपर्क अधिकारी नामित किया जाए । इन विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में संपर्क अधिकारियों के वही कार्य होंगे, जो उनके अधीन कार्यालयों में ऊपर बताए अनुसार होते हैं ।

(कृपया अध्याय 4 के बाद देखें)

कार्मिक विभाग का तारीख 24-3-72 का का०ज्ञा०सं० 27/2/71-स्था० (एस०सी० टी०)

15.4 संपर्क अधिकारियों के माध्यम से या अन्यथा निरीक्षण करने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुपालन में जहां कहीं उपेक्षा बरतने या गलतियां होने का पता चला है उन मामलों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव/अतिरिक्त सचिव के पास भेजा जाए तथा विभागाध्यक्ष केनियंत्रणाधीन कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को भेजा जाए । संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन करें इसलिए इन रिपोर्टों पर सचिव/अतिरिक्त सचिव/विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाए ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 6-3-76 का का०ज्ञा०सं० 36011/1/76-स्थापना (एस० सी०टी०)

दिनांक 7-12-81 का का०सा०ज्ञा० सं० 36013/6/81-स्था० (अनु०जा०)

15.5 संपर्क अधिकारी को चाहिए कि रोस्टर इत्यादि का निरीक्षण भी करें तथा इस प्रकार किए गए निरीक्षणों और रिपोर्टों का सही ढंग से रिकार्ड रखा जाए । मगर निगम, सहकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक अभिकरणों, जो सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, सहित, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सांविधिक तथा अर्द्ध सरकारी निकाय, स्वायत्त निकाय/संस्था को अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के संबंध में यह प्रयत्न करना चाहिए कि वहां भी संपर्क अधिकारी उसी रीति से हो जैसे कि मंत्रालयों/विभागों में होते हैं और जैसे कि प्रशासन के प्रभारी उप सचिव को संपर्क अधिकारी नामित किया जाता है ।

अध्याय 15 में कार्यालय ज्ञापनों आदि की प्रतियां

का०ज्ञा०सं० 16/17/67-स्था०(ग) 10-4-1968
का०ज्ञा०सं० 27/22/68-स्था० (एस०सी०टी०) 19-4-69
का०ज्ञा०सं० 16/8/69-स्था० (एस०सी०टी०) 31-10-69 अध्याय 6 के बाद
का०ज्ञा०सं० 16/8/69-स्था० (एस०सी०टी०) 27-4-70
का०ज्ञा०सं० 27/4(i)/70-स्था० (एस०सी०टी०) 3-9-70
का०ज्ञा०सं० 27/4(ii)/70-स्था० (एस०सी०टी०) 3-9-70
का०ज्ञा०सं० 8/8/71-स्था० (एस०सी०टी०) 22-4-71 अध्याय 4 के बाद
का०ज्ञा०सं० 27/2/71-स्था० (एस०सी०टी०) 24-3-72
का०ज्ञा०सं० 16/1/72-स्था० (एस०सी०टी०) 11-8-72 अध्याय 10 के बाद
का०ज्ञा०सं० 16/27/74-स्था० (एस०सी०टी०) 12-11-75 अध्याय 10 के बाद
का०ज्ञा०सं० 36011/1/76-स्था० (एस०सी०टी०) 6-3-76 अध्याय 4 के बाद
का०ज्ञा०सं० 36022/5/76-स्था० (एस०सी०टी०) 27-5-76
का०ज्ञा०सं० 36024/1/78-स्था० (एस०सी०टी०) 27-6-78
का०ज्ञा०सं० 36028/1/79-स्था० (एस०सी०टी०) 11-10-79
का०ज्ञा०सं० 36013/6/81-स्था० (एस०सी०टी०) 7-12-81
का०ज्ञा०सं० 36011/22/82-स्था० (एस०सी०टी०) 18-8-83
का०ज्ञा०सं० 36022/2/84-स्था० (एस०सी०टी०) 18-1-85

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का 10 अप्रैल, 1968 का का०ज्ञा०सं० 16/17/67-स्थापना (ग)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य के लिए संपर्क अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 1965-66 वर्ष की रिपोर्ट के अध्याय 2 की सिफारिश सं० चौदह ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपनी 1965-66 वर्ष की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

अध्याय 2

सिफारिश सं० (iv)

"गुजरात सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को अनुदेश जारी किए हैं कि यदि आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन न करने के संबंधित किन्हीं घटनाओं का राज्य सरकार को पता लगा तो इस त्रुटि के लिए सम्बद्ध अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा । यह उपयोगी कार्रवाई केवल सभी अन्य राज्य सरकारों को ही नहीं, अपितु भारत सरकार को भी करनी चाहिए ।"

इस मंत्रालय ने उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार किया है । विभिन्न मंत्रालयों के सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को इस मंत्रालय द्वारा सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का सख्ती से पालन करना चाहिए । इसके अलावा मंत्रालयों और विभागों द्वारा उप-सचिव के पद के अधिकारियों को सम्पर्क अधिकारियों के तौर पर कार्य करने के लिए नामित किया गया है जिन्हें अपने मंत्रालयों और उनके अधीन सम्बद्ध और अधीनस्थ मंत्रालयों/कार्यालयों में विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य करने के लिए पूरा भार सौंपा गया है, और वे यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि इस संबंध में अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है । सम्पर्क अधिकारियों के कर्तव्य इस मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61-एस०सी०टी०(आई०) के साथ जारी की गई विवरणियों के पैरा 33 में दिए गए हैं । मंत्रालयों/विभागों को इस मंत्रालय के तारीख 13 दिसम्बर, 1966 के अर्ध-सरकारी पत्र संख्या 29/47/66-स्था०(सी०) द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग आदि की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने मंत्रालय/विभाग आदि के

अधीन संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में की गई भर्ती के ब्यौरों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या को दिखाने वाली विवरणिका के परिशिष्ट 9 में वार्षिक विवरणों की जांच पड़ताल करें, और यह भी कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के संपर्क अधिकारी विवरणिका के पैरा 33 के संदर्भ में यह सुनिश्चित करें कि मंत्रालय/विभाग में इन विवरणों की संवीक्षा की गई हो और यदि कोई त्रुटियां हों, तो उनके निराकरण के लिए उनकी सूचना सम्बद्ध अधिकारियों को दी गई है। आयुक्त की उपर्युक्त सिफारिशों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सम्पर्क अधिकारियों को नामित करने की पद्धति विभागाध्यक्षों पर भी लागू की जाए। तद्नुसार वित्त मंत्रालय आदि से यह निदेश देने के लिए अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित ज़नजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य को देखने के लिए कोई प्राधिकारी नामित किया जाए। नामित किए गए सम्पर्क अधिकारियों के भी वहीं कर्तव्य होंगे जो उपर्युक्त मंत्रालयों/विभागों के वर्तमान संपर्क अधिकारियों के अपने प्रभार के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के संबंध में हैं। प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में अपने मंत्रालय/विभाग और उनके सभी सम्बद्ध और अधिनस्थ कार्यालयों के लिए संपर्क अधिकारियों को गृह मंत्रालय तथा मंत्रालय विभाग के मध्य संपर्क कार्य करने के लिए जारी रहेगी।

२. नामित किए गए संपर्क अधिकारियों के नाम और पदनाम और जिन कार्यालयों/संगठनों के लिए उन्हे नामित किया गया है, उन सभी के बारे में सूचना इस मंत्रालय को दी जाए।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 19 अप्रैल, 1969 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/22/68-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं और पदों में आरक्षण के आदेशों के अनुपालन के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक छोटे एकक की स्थापना करने पर विचार।

गृह मंत्रालय के तारीख 27 अप्रैल, 1962 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/2/61-एस०सी०टी० (1) के साथ जारी की गई विवरणिका के पैरा 33 के अनुसार मंत्रालयों/विभागों के लिए यह आवश्यक है कि वे सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के लिए मंत्रालय में प्रशासन के प्रभारी उप-सचिव को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के वर्ष 1965-66 की रिपोर्ट में की गई सिफारिश के बाद यह भी निर्णय किया गया था कि सम्पर्क अधिकारी को नामित किये जाने की पद्धति का

विभागों के अध्यक्षों तक भी विस्तार कर दिया जाए । इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 16/17/67-स्था०(सी०) तारीख 10 अप्रैल, 1968 में वित्त मंत्रालय आदि से तद्नुसार निदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया था । इन सुझावों के अनुपालन में कुछ मंत्रालयों/विभागों ने संपर्क अधिकारियों की पहले ही नियुक्ति कर ली है और अन्य मंत्रालयों/विभागों के सम्बन्ध में अलग से कार्रवाई की जा रही है । भारत सरकार के अधीन सेवाओं/पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भर्ती के मामले में दिए गए कार्य की समीक्षा के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने 29 अक्तूबर, 1968 को हुई अपनी बैठक में इस विषय पर भी विचार किया था और यह अनुभव किया गया था कि प्रत्येक मंत्रालय में इस काम के लिए एक छोटे सेल की स्थापना करना वांछनीय होगा । यह सेल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए समय-समय पर जारी किये गये आरक्षण संबंधी आदेशों का अनुपालन किया जाता है, इन श्रेणियों के कर्मचारियों को शिकायतों का तुरन्त निपटान किया जाता है तथा अपने नियंत्रणाधीन सभी विभागों से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा परिचालित विहित फार्म में छानबीन की जाती है और उन्हें समेकित किया जाता है । इस सेल का कार्य मुख्य रूप से संपर्क अधिकारी को अपनी ड्यूटियों का प्रभावी ढंग से पालन करने में सहायता देना होगा । संपर्क अधिकारियों की ड्यूटियों का उल्लेख संलग्न टिप्पणी में विस्तृत रूप से किया गया है ।

वित्त मंत्रालय, आदि से अनुरोध किया जाता है कि इस मंत्रालय के पहले के सुझावों के अनुपालन में उनके द्वारा नियुक्त किए गए अथवा किए जाने वाले सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण के अधीन मंत्रालय में एक सेल की स्थापना की जाए । इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना इस मंत्रालय को शीघ्र दी जाए ।

सम्पर्क अधिकारी :

प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में प्रशासन का प्रभारी उप-सचिव (या इस प्रयोजन के लिए नामित कोई अन्य अधिकारी) मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी स्थापनाओं और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामलों में संपर्क अधिकारी के रूप में ही कार्य करेगा । वह विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा :—

(i) इस बात को सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण और उनको ग्राह्य अन्य सुविधाओं से संबंधित आदेशों और अनुदेशों का अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उचित रूप से पालन किया जाता है ।

(ii) सुनिश्चित करना कि :—

(1) मंत्रालय/विभाग के अधीन आने वाले प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मंत्रालय/विभाग को पहली जनवरी को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या का वार्षिक विवरण (गृह मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61-एस०सी०टी०(i) तारीख 27-4-62 के साथ जारी की गई विवरणिका के परिशिष्ट-8 में दिए गए फार्म में, प्रस्तुत किया जाता है;

(2) मंत्रालय/विभाग के अधीन आने वाले प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मंत्रालय/विभाग को और गृह मंत्रालय को वर्ष के दौरान की गई भर्ती तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों से भरी गई रिक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण (गृह मंत्रालय का तारीख 27-4-62 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61-एस०सी०टी०(आई०) के साथ जारी की गई विवरणिका के परिशिष्ट-9 में दिये गए फार्म में) प्रस्तुत किया जाता है;

(3) मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन सभी स्थापनाओं और सेवाओं के संबंध में उपर्युक्त वार्षिक विवरणों की छानबीन और समेकन किया जाता है तथा गृह मंत्रालय को समेकित विवरण भेजे जाते हैं; और

(4) आरक्षण आदेशों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में अन्य सूचना देने, प्रश्नों और पूछताछ का उत्तर देने तथा आशंकाओं के निवारण के लिए मंत्रालय/विभाग और गृह मंत्रालय के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में काम करता है ।

टिप्पणी : विभागाध्यक्षों के अधीन आने वाले कार्यालयों के संपर्क अधिकारियों के कर्तव्य वही होंगे जिनका उनके प्रभार के कार्यालयों के संबंध में ऊपर उल्लेख किया गया है ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 27 अप्रैल, 1970 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/8/68-स्था०

विषय :—सेवाओं के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को मिली शिकायतों की जांच—मंत्रालयों द्वारा सहायता—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को वर्ष 1967-68 की रिपोर्ट में सिफारिशें ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1967-68 की अपनी रिपोर्ट के पैरा 2.16 में अन्य बातों के

साथ-साथ यह सिफारिश भी की है कि जिन सम्पर्क अधिकारियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के लिए मंत्रालयों आदि में नामित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को सेवा के मामलों में प्राप्त शिकायतों की जांच में आवश्यक सहायता देनी चाहिए । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की यह सिफारिश कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में लाई जाती है । इस मंत्रालय के ता० 10 अप्रैल, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/17/67-स्थापना (सी०) में दर्ज हिदायतों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों तथा विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में नामित सम्पर्क अधिकारियों को उक्त सिफारिश नोट करने वाला तथा उसका अनुपालन करने के लिए कहा जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक विभाग का तारीख 3 सितम्बर, 1970 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/4/(i)/70-स्था०(एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के आदेशों के अनुपालन के लिए मंत्रालयों/विभागों में एकक की व्यवस्था—संसदीय समिति की चौथी रिपोर्ट की सिफारिश सं० 5 ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 19 अप्रैल 1969 के कार्यालय ज्ञापन सं० 27/22/68-स्था०(एस०सी०टी०) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के समुचित अनुपालन के लिए मंत्रालयों में सम्पर्क अधिकारी के नियंत्रण में एकक की स्थापना के लिए वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध किया गया था । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति ने अपनी चतुर्थ रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

सिफारिश सं० 5 (पैरा 1.31)

"समिति यह भी सुझाव देती है कि गृह मंत्रालय को इन एककों के कर्तव्य निर्धारित कर देने चाहिए ताकि वे प्रारंभ से ही समुचित और व्यवस्थित रूप से कार्य कर सकें । संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्ट में एकक के कार्यों के बारे में टिप्पणी देनी चाहिए ।"

तारीख 19 अप्रैल, 1969 के उपर्युक्त ज्ञापन में एकक के कर्तव्य पहले ही निर्दिष्ट किए जा चुके हैं । तथापि वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे एकक के कार्यों के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक टिप्पणी भी जोड़ें ।

सभी मंत्रालय आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 3 सितम्बर, 1970 का कार्यालय ज्ञापन सं० 27/4/(ii)70-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को कार्यान्वित करने के लिए रोस्टर रखना—संसदीय समिति की चौथी रिपोर्ट की सिफारिश सं० 10 ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश सं० 10 (पैरा 2.24)

"सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए रोस्टर रखने के संबंध में समिति ने गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों पर ध्यान दिया है । समिति को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ये रोस्टर ठीक प्रकार से नहीं रखे जाते हैं । समिति का सुझाव है कि गृह मंत्रालय समय-समय पर इन रोस्टरों के निरीक्षण के लिए कोई पद्धति बनाए । इन रोस्टरों को रखने के संबंध में यदि कोई त्रुटियां ध्यान में आयें तो उनके निराकरण के लिए और संबंधित आदेशों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को लिखा जाना चाहिए ।"

उपर्युक्त सिफारिश पर इस विभाग में विचार किया गया है । प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी को चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए आरक्षण और रोस्टर रखने से संबंधित आदेशों का कड़ाई से पालन करें । मंत्रालयों/विभागों में और विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में नामित संपर्क अधिकारियों को यह देखना चाहिए कि तारीख 22-12-1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/69-स्था०(एस०सी०टी०) के साथ जारी की गई विवरणिका के पैरा 3 के अधीन इन आरक्षणों से संबंधित आदेशों का ठीक-ठीक अनुपालन किया जाए । रोस्टरों के निरीक्षण के संबंध में समिति की सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । भविष्य में संपर्क अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आरक्षण से संबंधित आदेशों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मंत्रालय/विभाग/विभागाध्यक्ष के कार्यालय में रखे गये रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करें । वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि सभी संबंधितों को इस निर्णय की सूचना भेजी जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 24 मार्च, 1972 का का०ज्ञा०सं० 27/2/71-स्था०(एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य के लिएं संपर्क अधिकारी द्वारा रोस्टरों आदि का निरीक्षण ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को ज्ञात है, मंत्रालय/विभाग के अन्तर्गत सभी नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में उपसचिव के पद के अधिकारियों को संपर्क अधिकारियों के तौर पर नामांकित किया जाना अपेक्षित है । विभागीय अध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में भी संपर्क अधिकारियों का नामांकन किया जाना आवश्यक है । मंत्रालयों/विभागों और विभागीय अध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में संपर्क अधिकारियों को, दूसरे कार्यों के साथ-साथ, मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में रखे गए रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, ताकि इस विभाग के तारीख 3 दिसम्बर 1970 के का०ज्ञा०सं० 27(4)(ii)/70-स्था०(एस०सी०टी०) में उल्लिखित आरक्षण नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके । इस विभाग के तारीख 22 अप्रैल, 1971 के का०ज्ञा०सं० 8/8/71-स्था०(एस०सी०टी०) में निर्धारित रोस्टरों के वार्षिक निरीक्षण के लिए भी प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है । परन्तु कुछ ऐसे मामले भी ध्यान में आए हैं, जहां रोस्टर ठीक तरह से नहीं रखे गये थे या आरक्षण संबंधी आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था । इसलिए वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण और अन्य आदेशों के कड़ाई से पालन किए जाने की जरूरत के बारे में नियुक्ति प्राधिकारियों पर फिर जोर दें ।

संपर्क अधिकारीयों द्वारा या अन्यथा किये गये निरीक्षणों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण और उनसे संबंधित अन्य आदेशों के पालन करने में मालूम हुई लापरवाही या भूल चूक के मामलों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सरकार के सचिव/अपर सचिव को और विभागीय अध्यक्ष के अधीन कार्यालयों के बारे में विभागीय अध्यक्ष को सूचित किया जाये । संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए, ऐसी रिपोर्टों पर सचिव/अपर सचिव/विभागीय अध्यक्ष के निदेशानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाये ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 27 मई, 1976 का का० ज्ञा० संख्या 36022/5/76-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधित कार्य के लिए मंत्रालयों/विभागों में नामित संपर्क अधिकारीगण—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की 41वीं रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 31.

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 31 (पैरा 4.20)

"समिति यह अनुभव करती है कि चूंकि संपर्क अधिकारी उच्च पद के नहीं होते, इसलिए वे इस कार्य को करने के योग्य नहीं होते और आवश्यक कागजात और रिकार्ड उन्हें उपलब्ध नहीं किए जाते । समिति की यह इच्छा है कि संपर्क अधिकारी मंत्रालय/विभाग में निदेशक के पद के होने चाहिएं ।"

2. गृह मंत्रालय के तारीख 27-4-1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61-एस०सी०टी० (1) द्वारा जारी की गई विवरणिका के प्रथम संस्करण के पैरा 33 के अनुसार मंत्रालय/विभाग सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के लिए मंत्रालय/विभाग में प्रशासन के प्रभारी उप सचिव (या इस प्रयोजन के लिए नामित कोई अन्य अधिकारी) को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित करेंगे । कुछ मंत्रालयों/विभागों को छोड़कर जहां अवर सचिव के पद के किसी अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया हो, सभी मंत्रालयों/विभागों ने उप सचिव या इनके समकक्ष पद के अथवा इनसे ऊंचे पद के अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में पहले ही नामित कर दिया है । संसदीय समिति की उपर्युक्त सिफारिश पर भारत सरकार ने विचार किया है । निदेशक के पद के किसी अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में (उप सचिव के अलावा) नामित करना सदा संभव नहीं है और इसके अलावा निदेशों के पद केवल सिलेक्शन ग्रेड पद है या वे उप सचिव होते हैं और इनके कार्य आपस में परिवर्तनशील होते हैं । निदेशकों के पदों की संख्या भी कम होगी और संभवतः किसी मंत्रालय/विभाग में निदेशक का कोई पद न हो । फिर भी संसदीय समिति की सिफारिश की जानकारी मंत्रालयों/विभागों को दी जाती है और यह

अनुरोध है कि जहां अभी किसी मंत्रालय/विभाग में उप सचिव से निचले पद का कोई अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में नामित हो, वहां कम से कम उप सचिव के पद के किसी अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया जाए ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 27 जून, 78 का का० ज्ञा० सं०36024/1/78-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—(I) कार्यालयों/संगठनों के विशेष अध्ययनों तथा

(II) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा सेवा के मामलों में प्राप्त शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 27-4-1970 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/8/69-स्थापना (एस०सी०टी०) में दिए गए अनुदेशों का हवाला देने का निदेश हुआ है । जिनमें मंत्रालयों/विभागों तथा विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के लिए नामजद संपर्क अधिकारियों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्तों को यह सिफारिश नोट करने के लिए कहें कि संपर्क अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सेवा से संबंधित मामलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा प्राप्त शिकायतों की जांच पड़ताल में आयुक्त को आवश्यक सहायता करें । इन अनुदेशों को मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में पुनः लाया जाता है तथा उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि जब कभी भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा सेवा से संबंधित व्यक्तिगत अभ्यावेदनों के किन्हीं भी ऐसे मामलों को जिनमें तथ्य, टिप्पणियां आदि मांगी गई हों, उन्हें भेजा जाता है तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की उत्तर/रिपोर्ट भेजने के लिए उन पर यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

2. रखे गए रोस्टरों तथा कुछ कार्यालयों/संगठनों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित अन्य आदेशों के कार्यान्वयन के विशेष अध्ययन भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर किए जाते हैं । मंत्रालयों विभागों से अनुरोध है कि जब कभी ऐसे अध्ययन किए जाएं तो आयुक्त की सहायता की जाए तथा उन आवश्यक रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी यथाशीघ्र की जाए । इन रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की सूचना जब कभी आवश्यक हो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को भी दी जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 11 अक्टूबर, 1979 का का०ज्ञा० सं० 36028/1/79-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित कार्य के लिए सम्पर्क अधिकारियों का नामांकन ।

गृह मंत्रालय के दिनांक 27 अप्रैल 1962 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61-एस०सी०टी०-1 के द्वारा जारी ब्राछर के पैरा 33 के अधीन, सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा मंत्रालय/विभाग के प्रशासन प्रभारी उप-सचिव को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया जाना आवश्यक था । वर्ष 1965-66 की रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त की सिफारिशों के अनुसरण में, आगे यह निर्णय किया गया था कि सम्पर्क प्रणाली विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में भी लागू की जानी चाहिए । इस मंत्रालय के दिनांक 10 अप्रैल, 1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/17/67-स्थापना (ग) में वित्त मंत्रालय आदि के तदनुसार निदेश जारी करने का अनुरोध किया गया था । उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में मंत्रालयों से यह भी अनुरोध किया गया था कि नामित सम्पर्क अधिकारियों के नाम तथा पदनाम और जिन कार्यालयों/संगठनों के लिए उन्हें नामित किया गया है, की सूचना इस मंत्रालय को दी जाए ।

2. फिर भी, यह देखा गया है कि कुछ मामलों में सम्पर्क अधिकारियों में समय-समय पर किए गए परिवर्तनों के बारे में सूचित नहीं किया गया है अत: वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों सहित प्रत्येक मंत्रालय विभाग (मूल) द्वारा नामित वर्तमान सम्पर्क अधिकारी का नाम तथा पदनाम इस विभाग को तत्काल सूचित करें । सम्पर्क अधिकारी का नाम तथा पदनाम इस विभाग को तत्काल सूचित करें । संपर्क अधिकारियों के नामों और पदनामों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों की सूचना भी दी जानी चाहिए ताकि यह विभाग सम्पर्क अधिकारियों की सूची को अद्यतन रख सकें ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सम्बोधित का० और प्र०सु० विभाग का तारीख 7-12-1981 का का०ज्ञा० सं० 36013/6/81-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—वर्ष 1977-78 के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आयुक्त की 25वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिश संख्या 37, 38, तथा 39 ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त ने वर्ष 1977-78 की अपनी 25वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की थी :—

सिफारिश संख्या 37

"सभी मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी जानी चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों, अर्द्ध सरकारी निकायों आदि जिनके लिए आरक्षण आदेश लागू करना आवश्यक है वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के लिए सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति तथा विशेष सेल स्थापित करने से संबंधित अनुदेश कार्यान्वित करें। मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारियों द्वारा अपने अधीन संगठनों के कार्यकरण को मोनिटर करना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवा सुरक्षा के कार्य को कारगर रूप से कार्यान्वित किया जा सके।"

सिफारिश संख्या 38

"उसी प्रकार, नगर निगमों, सहकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि सहित स्वायत्त निकायों/संस्थाओं में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने चाहिए तथा विशेष सेल स्थापित करने चाहिए।"

सिफारिश संख्या 39

"सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली स्वेच्छिक एजेंसियों को भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवा सुरक्षा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करने चाहिए तथा सेल स्थापित करने चाहिए।"

2. सरकार ने आयुक्त की उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है। तदनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति तथा पदोन्नति से संबंधित तथा सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले नगर निगमों सहकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, स्वैच्छिक एजेंसियों सहित सार्वजनिक उपक्रमों, सांविधिक तथा अर्द्ध सरकारी निकायों, स्वायत्त निकायों/संस्थाओं को उसी प्रकार सम्पर्क अधिकारी रखने का प्रयत्न करना चाहिए जिस प्रकार मंत्रालयों/विभागों में रखे जा रहे हैं जहां प्रशासन के प्रभारी उप-सचिव को संपर्क अधिकारी नामित किया जाता है।

3. मंत्रालय/विभाग अपने प्रभाराधीन उपर्युक्त संगठनों में लघु सेल के रूप में सम्पर्क अधिकारी को समुचित आधारित संरचनात्मक समर्थन प्रणाली भी प्रदान करें। यह सेल सम्पर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रण में होगा तथा उसके कार्यों (ड्यूटी) को

कारगर रूप से निष्पादित करने में सहायता करेगा । सम्पर्क अधिकारी के कार्य (ड्यूटी) समुचित सरकारी आदेशों में पहले ही निर्दिष्ट कर दिए गए हैं । देखिए सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण से संबंधित पुस्तिका (ब्रोछर) का अध्याय 15 (5वां संस्करण) ।

4. यह बात ध्यान में लाई गई है कि सम्पर्क अधिकारी तथा सेल की संस्थाओं को नेमी प्रकार की संस्थाएं माना जाता है तथा इनमें नामांकन मात्र औपचारिकता पूरी करने के समान समझा जाता है । इस बात पर एक बार पुन: जोर दिया जाता है कि जहां सख्ती किए जाने के अभाव में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के हितों पर प्रभाव पड़ता हो वहां निचले स्तर पर, आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन तथा रोस्टरों के रख-रखाव का प्रभावशाली ढंग से निरीक्षण करने के लिए सम्पर्क अधिकारी की प्रणाली संस्थात्मक सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण तथा वास्तव में अनिवार्य अंग है । इसलिए मंत्रालयों/विभागों की सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्पर्क अधिकारी रोस्टरों के निरीक्षण की वार्षिक रिपोर्ट अवश्य दें तथा अपने आपका इस बात से संतुष्ट करने के बाद अनारक्षण प्रस्ताव भी प्रमाणित करें कि ऐसे अनारक्षण अपरिहार्य है तथा इस संबंध में निर्धारित सभी उपाय ईमानदारी से किए गए है ।

5. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु अपने नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं तथा इन संगठनों द्वारा अनुदेशों का उचित अनुपालन किए जाने के लिए प्रयत्न करें ।

दिनांक 18 अगस्त, 1983 का का० ज्ञा० संख्या 36011/22/82-स्था० (अनु०जा०)

विषय :—विभागीय पदोन्नति समिति—विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों का शामिल किया जाना ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यान दिनांक 10-8-1981 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 41013/16/80-स्था० (अनु०जा०) (प्रति संलग्न है) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है ।

2. इस विभाग को मंत्रालयों/विभागों से इस आशय के संदर्भ प्राप्त होते रहे है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऐसे अधिकारियों की एक सूची परिचालित

की जाए जिन्हें विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियों तथा चयन बोर्डों में शामिल किया जा सकता है । यद्यपि यह विभाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अधिकारियों की ऐसी सूची तैयार करने की स्थिति में नहीं है जो कि सम्पूर्ण देश में तैनात है साथ ही इस प्रकार की सूची तैयार करना इस दृष्टि से व्यावहारिक भी नहीं होगा कि देश के किसी एक हिस्से में स्थित कोई विशेष कार्यालय, सूची में उल्लिखित अन्य क्षेत्रों के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हो सकता ।

3. दिनांक 10-8-1981 के अनुदेशों के अधीन सम्पर्क अधिकारी जो सामान्यत: उप सचिव अथवा निदेशक (प्रशा०) स्तर के होते हैं, को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वस्तुत: बुलाने से पहले, विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल करने के लिए अनु०जा०/अनु०जन जाति के अधिकारी के उपलब्ध न होने की बात निर्दिष्ट करनी होती है । अत: सम्पर्क अधिकारियों की एक जिम्मेदारी यह भी होगी कि वे विभिन्न विभागीय पदोन्नति समितियों की भविष्य में होने वाली बैठकों की तारीखों की जानकारी समय से प्राप्त कर लें । उसे कुछ सहयोगी मंत्रालयों/विभागों के अनु०जा०/अनु०जन जाति से संबंधित विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की सूची भी अपने पास तैयार रखनी चाहिए । जब कभी आवश्यकता पड़े विभागीय पदोन्नति समिति के अन्य सदस्यों के स्तर के अनुरूप तथा जिस नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जानी है उस नियुक्ति के स्तर के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के समुचित स्तर के अधिकारी को एक सदस्य के रूप में सदैव सहयोजित किया जा सकता है । सम्पर्क अधिकारियों द्वारा अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक स्कंध से अनौपचारिक रूप से परामर्श करके ऐसे सूची तैयार की जा सकती है ।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में भी लाएं ।

कार्मिक और प्रशासनिक विभाग का दिनांक 18 जनवरी 1985 का का० ज्ञा० 36022/2/84-स्था० (अनु०जा०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों के लागू किए जाने के लिए संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में एकक की स्थापना—संसदीय समिति ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (7वीं लोक सभा) के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी 46वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

"गृह मंत्रालय के दिनांक 10-4-1968 के कार्यालय ज्ञापन सं० 16/17/67-स्था० (ग) के अधीन यह अनुदेश जारी किए गए थे कि प्रत्येक विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में, ऐसे कार्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य के लिए एक संपर्क अधिकारी नामित किया जाना चाहिए । संपर्क अधिकारियों के अधीन संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में एककों के गठन के लिए कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं । संपर्क अधिकारी द्वारा दक्षता पूर्वक कार्य करने के लिए, यह आवश्यक है कि एकक के रूप में उसके कार्यों की पूर्ति में उसकी सहायता के लिए कर्मचारी विशिष्ट रूप से आबंटित कर दिए जाएं ।"

2. उपर्युक्त सिफारिश आदि को ध्यान में रखते हुए संपर्क अधिकारी की विद्यमान संख्या को मजबूत करने की आवश्यकता तथा इस उद्देश्य के लिए विशेष एककों के गठन पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में और आगे विचार किया गया है । अब यह निर्णय किया गया है कि :—

(i) मंत्रालय अथवा विभाग विशेष का संपर्क अधिकारी मंत्रालय/विभाग में आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा । किन्तु कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को वार्षिक विवरण भेजने के उद्देश्य से मंत्रालय अथवा विभाग विशेष का संपर्क अधिकारी/विभागाध्यक्ष सहित सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त विवरणों का समन्वय तथा संकलन करेगा तथा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को समेकित विवरण भेजेगा ।

(ii) प्रत्येक सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय में अलग से एक सम्पर्क अधिकारी होगा जो मंत्रालय अथवा विभाग विशेष में सम्पर्क अधिकारी से स्वतंत्र रह कर ऐसे कार्यालय में आरक्षण आदेश के कार्यान्वयन को देखेगा । परन्तु, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में सम्पर्क अधिकारी कार्यालय के संबंध में वार्षिक विवरण मंत्रालय अथवा विभाग विशेष के सम्पर्क अधिकारी को भेजेगा जिन्हें मंत्रालय अथवा विभाग विशेष के सम्पर्क अधिकारी द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जाने वाली वार्षिक अथवा ऐसी अन्य विवरणियों में समेकित किया जाएगा ।

(iii) विभिन्न विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में पृथक सम्पर्क अधिकारी बने रहेंगे किन्तु ऐसे कार्यालयों से संबंधित वार्षिक विवरण अथवा अन्य कोई

विवरणी अथवा सूचनात्मक ब्यौरे समेकन के उद्देश्य से तथा कार्मिक और प्रशासनिक विभाग को भेजे जाने के लिए मंत्रालय अथवा विभाग विशेष के सम्पर्क अधिकारी को भेजे जाएंगे ।

(iv) सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के प्रस्ताव मंत्रालय/विभाग विशेष के विशेष प्रभाग में जो ऐसे सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के लिए प्रशासनिक प्रभाग के रूप में कार्य करता है संबंधित उप सचिव/निदेशक द्वारा प्रपत्र में सही प्रमाणित किए जाएंगे तथा इस उद्देश्य के लिए उसका पदनाम सम्पर्क अधिकारी होगा । यह इसलिए आवश्यक समझा गया है क्योंकि उप सचिव/निदेशक (प्रशासन) जो कि मंत्रालय/विभाग के सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है सभी आरक्षण समस्याओं तथा मंत्रालय/विभाग के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के सभी मामलों पर गौर नहीं कर सकता है तथा इस कारण भी कि आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन के लिए रचनात्मक जिम्मेवारी संबंधित "सम्पर्क" प्रभाग की होनी चाहिए ।

3. और आगे यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के पक्ष में समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण आदेशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के संबंध में मंत्रालय/विभाग विशेष को भेजे जाने वाले सांख्यिकी ब्यौरे की जांच करने के लिए प्रत्येक सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय में एककों का गठन किया जाना चाहिए । एकक का मुख्य कार्य सम्पर्क अधिकारी को उसके कार्यों के प्रभावी निष्पादन में उसे सहायता प्रदान करना है । इसमें सन्देह नहीं कि एकक में कर्मचारियों की संख्या इसके कार्यभार और मानकों पर ही निर्भर करेगी परन्तु कार्य-परिमाण की आवश्यकता के अनुसार इसके कर्मचारी-वर्ग की संख्या को नजर-अंदाज करके एकक को पदनामित न करना अथवा एकक की स्थापना न करना समुचित नहीं होगा ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उक्त निर्णय को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी प्राधिकारियों की जानकारी में सूचनार्थ लाएं तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त निर्णय के अनुपालन में सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में एककों का गठन शीघ्र किया जाता है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन करना

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 3-5-1975 का का०ज्ञा० सं० 36011/5/1975-स्था० (एस० सी०टी०) और तारीख 1-11-1980 का का०ज्ञा० सं० 36011/7/80-स्था० (एस०सी०टी०)

16.1 मंत्रालयों/विभागों को चाहिए कि नियुक्ति प्राधिकारियों को सेवाओं में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए किए गए आरक्षण संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए जोर दे कर कहें । यदि किसी कार्यालय/स्थापना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए किये गये आरक्षण और इन समुदायों को दी जान वाली रियायतों संबंधी आदेशों के अनुपालन में भेदभाव या जानबूझ कर इन आदेशों का उल्लंघन करने के सुस्पष्ट मामले हो तो इन्हें उचित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाए जिससे वे इस संबंध में यथोचित कार्रवाई कर सकें । मंत्रालय/विभाग इत्यादि इस बात को सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के मामले जब कभी भी उपयुक्त अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं वे उन पर तत्परतापूर्वक समुचित कार्रवाई करें ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 8-9-1976 का का०ज्ञा० सं० 36022/20/76-स्थापना (एस० सी०टी०)

ता० 19-12-78 तथा का०ज्ञा०सं० 36013/5/78-स्था०(एस०सी०टी०)

दिनांक 29-8-84 का का०ज्ञा०सं० 36013/6/84-स्था०(अनु०जा०)

16.2 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरते समय निर्धारित कार्यविधि ही अपनाई जाए जिससे इनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर इन समुदायों के उम्मीदवारों की ही नियुक्ति हो । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव रखने पर विचार करने से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस संबंध में निर्धारित कार्यविधि का पूरी तरह और कड़ाई से पालन किया गया है परन्तु आरक्षण समाप्त करना अनिवार्य हो गया है । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि नियुक्त प्राधिकारियों और संपर्क अधिकारियों ने रोस्टर रखने और रोस्टर के आवधिक निरीक्षण के बारे में दिए गए अनुदेशों का कडाई से पालन किया है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों और अन्य आदेशों के पालन में हुई अवहेलना और भूलों पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाए तथा इन्हें संबंधित प्राधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया जाए । और इन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई की जाए ।

अध्याय 16 में कार्यालय ज्ञापनों आदि की प्रतियां

का०ज्ञा० सं० 36011/5/75-स्थापना (एस०सी०टी०) 3-5-1975

का०ज्ञा० सं० 36022/20/76-स्थापना (एस०सी०टी०) 8-9-1976

का०ज्ञा० सं० 36013/5/78-स्थापना (एस०सी०टी०) 19-12-1978 अध्याय 10 के बाद

का०ज्ञा० सं० 36011/7/80-स्थापना (एस०सी०टी०) 1-11-1980

का०ज्ञा० सं० 36013/6/84-स्थापना (एस०सी०टी०) 29-8-1984

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 3 मई, 1975 का का०ज्ञा०सं० 36011/5/75-स्था०(एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का दृढ़ता से पालन करना ।

इस विभाग के 24 मार्च, 1971 के का०ज्ञा०सं० 27/2/71-स्था०(एस०सी०टी०) में मंत्रालयों/विभागों से नियुक्ति प्राधिकारियों पर सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों तथा अन्य आदेशों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देने का अनुरोध किया था । उनसे यह भी कहा गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के आदेशों तक अन्य आदेशों के पालन में उपेक्षा तथा गलतियों के मामलों को जो सम्पर्क अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों के जरिए या अन्यथा ध्यान में आयें, उन्हें तत्संबंधी मंत्रालयों/विभागों में सरकार के सचिव/अपर सचिव को तथा विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । ऐसी रिपोर्टों पर सचिव/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष के निदेश पर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन आदेशों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित हो सके । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त ने सुझाव दिया था कि आरक्षण आदेशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी किये जाएं और इस बात पर जोर दिया जाए कि चूक करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी । सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने अपनी 9 अप्रैल, 1974 की बैठक में इन मामलों पर विचार किया । समिति ने यह मत प्रकट किया कि इस बारे में और अनुदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु किसी भी कार्यालय/स्थापना में भेदभाव या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण और रियायत संबंधी आदेशों के उल्लंघन के स्पष्ट मामले उचित कार्रवाई के लिए उपयुक्त अधिकारियों के नोटिस में लाये जाएं ।

2. उच्चाधिकार प्राप्त समिति का उपर्युक्त कथन मंत्रालयों/विभागों आदि की जानकारी में लाया जाता है । उनसे अनुरोध है कि जहां भी ऐसे मामलें उपयुक्त अधिकारियों के ध्यान में लाये जाए, उन पर तुरन्त उचित कार्रवाई की जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 8 सितम्बर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन सं० 36022/20/76-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों के आरक्षणों को प्रभावी बनाने के लिए आदेशों का दृढ़ता से पालन तथा रोस्टर का उचित अनुरक्षण नियमित अवधियों के बाद रोस्टरों की जांच-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कल्याण संसदीय समिति की सिफारिश ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कल्याण संसदीय समिति ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की है :—

सिफारिश संख्या 12 (पैरा 2-7)

समिति सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी-I तथा श्रेणी-II सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का बहुत कम प्रतिनिधित्व देखकर चिन्तित हैं । समिति को यह जानकर भी खेद हुआ है कि तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का प्रतिनिधित्व उनके लिए आरक्षित कोटे से काफी कम है । चतुर्थ श्रेणी में भी उनका प्रतिनिधित्व उनके आरक्षित कोटे से कम रहता है । इन भारी कमियों पर विचार करते हुए समिति इसी नतीजे पर पहुंची है कि न तो नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पूर्णत: पालन किया जा रहा है और न ही स्थिति को सुधारने के लिए समुचित ध्यान दिया जा रहा है । समिति की इच्छा है कि कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सरकारी उद्यम ब्यूरो यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियां वास्तव में उन्हीं समुदायों के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएं । इस सम्बन्ध में समिति का सुझाव है कि जिम्मेवारी निश्चित की जाए तथा जो अधिकारियों की लापरवाही के कारण अथवा अन्यथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण-आदेशों को पूर्णत: कार्यान्वित करने में असफल रहे उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए ।

सिफारिश संख्या 14 (पैरा 2-9)

समिति को न केवल शिकायतें ही प्राप्त हुई है बल्कि अपने दौरे के दौरान विभिन्न कार्यालयों तथा संस्थाओं के निरीक्षण के समय उन्होंने स्वयं देखा है कि विशेषतया सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में न तो रोस्टर ही उचित

तरीके से रखे जाते हैं और न ही उनकी नियमित रूप से जांच की जाती है । समिति को इस विषय पर जारी किये गए विस्तृत आदेशों के अनुसार रोस्टरों के समुचित अनुरक्षण और निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा नियमित अवधि के बाद उनकी जांच की आवश्यकता पर बल देने की जरूरत ही नही पड़नी चाहिए । समिति के विचार में सम्पर्क अधिकारियों की रोस्टरों के अनुरक्षण और निरीक्षण के बारे में प्रशिक्षण देने की वस्तुत: आवश्यकता है ।

जिन अधिकारियों को रोस्टरों के अनुसार नियुक्तियां करनी होती है, उनके हित के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार व निर्दिष्ट किये जाएं और चूककर्त्ताओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए ।

2. इस विभाग के तारीख 24 मार्च, 1972 के का०ज्ञा०सं० 27/2/71-स्था०(एस०सी०टी०) तारीख 3 मई, 1975 के का०ज्ञा०सं० 36011/5/75-स्था०(एस०सी०टी०) और तारीख 6 मार्च, 1976 के का०ज्ञा०सं० 36011/1/76-स्था०(एस०सी०टी०) द्वारा मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे नियुक्ति प्राधिकारियों को सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आरक्षण तथा अन्य आदेशों के पालन करने की आवश्यकता पर जोर देने को कहें । आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए एक सुनिश्चित कार्यविधि भी निर्धारित की गई है । इस सम्बन्ध में पहले दिये गए अनुदेशों के अतिरिक्त इस विभाग के तारीख 12 नवम्बर, 1975 के का०ज्ञा०सं० 16/27/74-स्था०(एस०सी०टी०) द्वारा मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि जब भी रिक्तियों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए इस विभाग को लिखा जाए (जिसकी एक प्रति अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जन जाति आयुक्त को भी भेजी जानी है) तब सामान्य रूप से सूचना देने के अलावा, एक नोट भी रिकार्ड किया जाए कि उक्त प्रस्ताव सम्बन्धित सम्पर्क अधिकारी की पूरी जानकारी तथा सहमति से किया जा रहा है । जहां तक रोस्टरों के समुचित रख रखाव और नियमित अवधि के बाद उनकी जांच का सम्बन्ध है, वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में विवरणिका (चौथा संस्करण 1975) में पैरा 9 से 13 की ओर आकर्षित किया जाता है जिनमें इस बारे में मार्गदर्शन किया गया है । रोस्टर का फार्म विवरणिका के परिशिष्ट 4 में दिया गया है । रोस्टर के रख-रखाव के लिए विस्तृत अनुदेश परिशिष्ट 5 में दिए हुए हैं । रोस्टर का काल्पनिक उदाहरण परिशिष्ट 6 में दिया गया है । मंत्रालयों/विभागों में तथा विभागाध्यक्षों के अधीन कार्यालयों में नामित सम्पर्क अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने अधीन कार्यालयों में रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करें। रोस्टर के निरीक्षण का प्रोफार्मा भी विवरणिका के परिशिष्ट 7 में दिया हुआ है ।

3. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति कल्याण संसदीय समिति की ऊपर दी गई सिफारिशें फिर से मंत्रालयों/विभागों के नोटिस में लायी जाती है । उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जाता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित कार्यविधियों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाए ताकि इस प्रकार की रिक्तियों पर केवल उन्हीं जातियों के उम्मीदवार नियुक्त हो जाएं । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के प्रस्ताव तभी किये जाएं अथवा उन पर तभी विचार किया जाए जब यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि इस बारे में निर्धारित सभी कार्यविधियों का दृढ़ता से तथा पूर्णतया पालन कर लिया गया और आरक्षण समाप्त करना अनिवार्य हो गया है । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि नियुक्ति प्राधिकारी तथा सम्पर्क अधिकारी रोस्टरों के रख-रखाव और आवधिक निरीक्षणों के लिए उपर्युक्त अनुदेशों का दृढ़ता से अनुपालन कर रहे है अथवा नहीं मंत्रालय/विभाग रोस्टरों के रख-रखाव अथवा निरीक्षण के बारे में कठिनाइयों और शंका के विषयों से (यदि कोई हो तो) इस विभाग को अवगत करा दें ताकि विशेष मुद्दों पर और मार्गदर्शक सिद्धान्तों पर (यदि कोई हो तो) इस विभाग में विचार किया जा सके ।

4. वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित इस विभाग के तारीख 24 मार्च, 1972, 3 मई, 1975 और 6 मार्च, 1976 के का०ज्ञा० में दिये गये अनुदेशों की ओर भी आकर्षित किया जाता है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण आदेशों तथा अन्य आदेशों के अनुपालन करने में उपेक्षा तथा चूक के मामलों पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाए और उन्हें उपयुक्त प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाएं और तत्काल उचित कार्रवाई की जाए ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 1-11-1980 का का० ज्ञा० संख्या 36011/7/80 स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व-निर्धारित प्रतिशतता तथा उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व में भारी अन्तर ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसद के पिछले सत्र में वर्ष 1977-78 की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की 25वीं रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के दौरान अनेक सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के

सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर चिन्ता व्यक्त की थी । कुछ सीमा तक नियुक्तियां करते समय आरक्षण के आदेशों के कार्यान्वित न किए जाने को इस अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । बहस का उत्तर देते समय गृह राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की प्रतिशतता का लक्ष्य तथा उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच अन्तर द्वारा प्रदर्शित बैकलाग को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे । तदनुसार मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में इस कमी को इस संबंध में निर्धारित प्रतिशतता के स्तर तक बढ़ा कर दूर करने का पूरा प्रयास करें ।

2. 1-1-79 को केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का वर्तमान प्रतिनिधित्व निम्नलिखित विवरण में दिया गया है :—

समूह (श्रेणी)	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता	अनुसूचित जन जाति	प्रतिशतता
	1-1-79 की स्थिति के अनुसार				
समूह क (श्रेणी-I)	46,434	2,204	4.75	435	0.94
समूह ख (श्रेणी-II)	56,287	4,150	7.37	579	1.03
समूह ग (श्रेणी-III)	17,18,576	2,15,762	12.55	53,460	3.11
समूह घ (श्रेणी-IV) (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	12,71,254	2,45,596	19.32	65,975	5.19
योग	30,92,551	4,67,712	15.12	1,20,449	3.89

हालांकि समूह घ सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता से कुछ संतोष किया जा सकता है, परन्तु अन्य सभी समूहों में उनका प्रतिनिधित्व अब भी निर्धारित स्तर से नीचे है । यद्यपि समूह ग में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधित्व के संबंध में गम्भीर चिन्ता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यदि वर्तमान प्रवृत्ति को भी बनाए रखा जाता है तो आशा है कि शीघ्र ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जायेगी, किन्तु समूह ख तथा क में जहां लक्ष्य स्तर का 50 प्रतिशत भी पूरा प्राप्त नही हुआ है, उनके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मामला काफी चिन्ताजनक है । अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के

प्रतिनिधित्व का स्तर सभी समूहों में कम है तथा इसकी स्थिति में तत्काल सुधार होने के प्राय: कोई आसार नहीं दिखाई देते । इसलिए, जब तक समूह ख तथा क में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के सभी समूहों (घ, ग, ख, तथा क) में प्रतिनिधित्व की समस्याओं की ओर और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु उनके भावी सदस्यों के लिए प्रभावशाली कार्यक्रमों को अपनाकर वर्तमान कमी को समाप्त करने के लिए गम्भीर तथा दीर्घकालीन प्रयास नही किया जाता है तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए "सुरक्षा" की नीति अप्रभावी कार्यान्वयन के झमेले में पड़ी रहेगी ।

3. सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबंधित सरकारी नीति के कार्यान्वयन के संबंध में, मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की आरक्षण संबंधी विवरणिका (5 वा संस्करण-1978) के अध्याय 8 तथा 9 में यथानिर्धारित आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक उपायों को ध्यान में रखें तथा उनका कड़ाई से अनुपालन करें । सभी नियोक्ता प्राधिकारियों को इस बात पर बल देना चाहिए कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उन्हीं समुदायों के सदस्यों द्वारा भरी जानी हैं तथा आरक्षित रिक्तियों का अनारक्षण अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को प्राप्त करने के लिए यथानिर्धारित गम्भीर तथा दीर्घकालीन प्रयास किए बिना तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को प्राप्त करने के सभी रास्ते बंद होने से पहले, सामान्य मामले के रूप में नहीं किया जाना चाहिए । किसी भी आरक्षित रिक्ति को सामान्य समुदाय के उम्मीदवारों द्वारा तब तक नहीं भरा जा सकता है, जब तक इसे अनारक्षित नहीं कर दिया जाता है तथा जहां कहीं लागू हो, "आरक्षण" को बाद के तीन भर्ती वर्षों में अग्रेनित नहीं किया जाता ।

4. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 3-5-75 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/5/75-स्थापना (अनु० जा०) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार नियोक्ता प्राधिकारियों को सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आरक्षण तथा अन्य आदेशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए । किसी भी कार्यालय या प्रतिष्ठान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पक्ष में आरक्षण तथा रियायतों से संबधित आदेशों के भेदभाव पूर्ण अथवा जानबूझ कर उल्लंघन से सुस्पष्ट दृष्टान्तों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों की जानकारी में तत्काल लाया जाए ।

मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कहीं इस प्रकार के मामले समुचित प्राधिकारियों की जानकारी में लाए जाए तो उन पर समुचित कार्रवाई भी तुरन्त की जानी चाहिए । यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियोक्ता प्राधिकारियों तथा सम्पर्क अधिकारियों द्वारा रोस्टरों के रख-रखाव तथा समय समय पर उनके निरीक्षण के अनुदेशों का कड़ाई से पालन किया जाता है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से संबंधित आरक्षण तथा अन्य आदेशों के पालन करने के मामले में जानबूझ कर की गई उपेक्षा अथवा गलती के लिए अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है । इस विभाग के अनुदेशों के अधीन अपेक्षित जहां अब तक "सेल" सृजित नहीं किए गए हैं, वहां उनका सृजन तत्काल किया जाना चाहिए तथा जहां पर विद्यमान हैं उन्हें क्रियाशील बनाया जाना चाहिए ।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण तथा अन्य रियायतों से संबंधित नियमों तथा क्रियाविधियों का कड़ाई से पालन किए जाने के अलावा जो बात आवश्यक है वह यह है कि इन समुदायों के सदस्यों द्वारा जिन वास्तविक समस्याओं का सामना किया जाता है उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक तथा सराहनीय दृष्टिकोण अपनाना और यदि इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की नीति इन समुदायों (जिसे स्वयं सामाजिक उत्तरदायित्व के एक अंश के रूप में देखा जा सकता है) के सदस्यों के सर्वांगीण विकास के लिए समग्र नीति का हिस्सा है, तो इस संबंध में और अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आसान होगा ।

6. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों को अपने अधीन सभी संबंधित प्राधिकारियों की जानकारी में एक बार फिर से लाएं ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 29 अगस्त, 1984 का का० ज्ञा० सं० 36013/6/84-स्था० अनु० जनजाति

विषय :—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आयुक्त द्वारा अपनी 27वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश ।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 62—

"कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से एक बार फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश जारी करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण के संबंध में सरकार की नीति की जो संविधान में किए गए प्रावधानों पर आधारित है, न्यायालयों के समक्ष उपयुक्त ढंग से व्याख्या की जाती है और मामलों का गलत ढंग से निर्णय न हो।"

2. सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त सिफारिश का कड़ाई से पालन किया जाए और जब कभी मामले न्यायालयों में दायर किए जाएं तो आरक्षण के संबंध में सरकारी नीति को सही रूप में प्रस्तुत किया जाए और ऐसे मामलों में बचाव के लिए यदि आवश्यक हो तो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से समुचित उपाय भी किए जाएं।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषयवस्तु को अपने सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लायें।

अन्य अनुदेश

17.1 प्रशासनिक निरीक्षण

[गृह मंत्रालय का तारीख 25-1-67 का का० ज्ञा० सं० 16/8/(1)/66-स्था० (ग)]

इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आवधिक रूप से होने वाले सामान्य प्रशासनिक निरीक्षणों से इस तथ्य का पता लग जाता है कि किसी कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरने संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन हुआ है या नहीं । प्रशासनिक निरीक्षणों के लिए निर्धारित फार्मों में (यदि कोई हों) ऐसे कालम रखे जाएं जिनसे संबंधित कार्यालयों के ऊपर उल्लिखित मामले संबंधी कार्य निष्पादन की सूचना प्राप्त हो जाए ।

(विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक स्थापना अनुभागों और भर्ती का कार्य करने वाले अन्य अनुभागों के लिए अनुपूरक निरीक्षण प्रश्नावली का संशोधित फार्म कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 22-9-1967 के का० ज्ञा० सं० 12/2/67-ए० आर० (टी०) के साथ परिचालित किया गया था) ।

17.2 पुष्टिकरण

[गृह मंत्रालय का तारीख 20-4-61 का का० ज्ञा० सं० 9/45/60-स्थापना (घ) और तारीख 12-9-68 का सं० 10/28/68-स्थापना (एस० सी० टी०)]

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में अस्थायी आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति और पुष्टिकरण करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए आरक्षण करना आवश्यक होता है । तथापि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नत व्यक्तियों के पुष्टिकरण के समय कोई आरक्षण नहीं होता है । ऐसी सेवा/पद जिसके मामले में गृह मंत्रालय के ता० 22-12-1959 के का० ज्ञा० सं० 9/11/55-आर० पी० एस० में दिए गए वरिष्ठता के सामान्य सिद्धांत लागू होते हैं, उस सेवा/पद पर कार्य कर रहे सभी स्थायी अधिकारियों को उस ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों से वरिष्ठ माना जाएगा । इस प्रकार 22-12-1959 के आदेशानुसार उस पुष्टिकरण के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी उस ग्रेड में अस्थायी/स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे अधिकारियों से और उस ग्रेड के स्थायी अधिकारियों से वरिष्ठ हो जाएंगे तथा उनकी वरिष्ठता पुष्टिकरण के क्रम से मानी जाएगी ।

[का० और प्र० सु० वि० का तारीख 6-8-81 का का० ज्ञा० सं० 36011/30/81-स्था० (एस० सी० टी०)]

17.3 जहां भर्ती नियमों में निर्धारित मुख्य विधि अर्थात् पदोन्नति के असफल होने के कारण सीधी भर्ती का सहारा लिया गया है और यदि भर्ती नियमों में सीधी भर्ती के लिए विशिष्ट कोटे की व्यवस्था नहीं है वहां सीधी भर्ती का सहारा केवल तभी लिया जाता है, जब मुख्य विधि असफल हो जाती है, तो ऐसे मामलों में स्थायीकरण के समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा । सीधी भर्ती के जो व्यक्ति भर्ती नियमों में जिसके "असफल होने पर" खण्ड के कारण नियुक्त किए जाते हैं वे पदोन्नत व्यक्तियों में अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी किए जाएंगे यद्यपि ऐसे मामलों में सीधी भर्ती के लिए एक अलग रोस्टर रखना होता है तो भी इस प्रकार की सीधी भर्ती वाले व्यक्ति आरक्षण का लाभ केवल नियुक्ति के समय ले सकेंगे और स्थायीकरण के समय नहीं । सीधी भर्ती के अन्य मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नियुक्ति तथा स्थायीकरण के दोनों अवसरों पर की जानी है ।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 17-11-1975 का का० ज्ञा० सं० 9/10/72-स्थापना (घ)]

टिप्पणी 1 : पुष्टिकरण करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण निर्धारित करने के कार्यविधि अध्याय-4 के पैरा 4.3 (III) और (IV) में दी गई है ।

टिप्पणी 2 : एक बार एक ग्रेड में सीधी भर्ती और पदोन्नति इत्यादी के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार नियुक्त विभिन्न व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित हो जाने के बाद उस ग्रेड में उन व्यक्तियों का पुष्टिकरण भी उनकी वरिष्ठता के क्रम से ही होगा चाहे संबंधित भर्ती नियमों में सीधी भर्ती और पदोन्नति इत्यादि के लिए कितना भी कोटा क्यों न विहित हो । तथापि इसके कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के पुष्टिकरण के मामलों में हुए आरक्षण और इन समुदायों को दी जाने वाली रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चाहे यह कार्रवाई केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार ही क्यों न की गई हो ।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 2-9-70 का का० ज्ञा० सं० 27/4 (iii)/70-स्थापना (एस० सी० टी०) और 23-5-1975 का का० ज्ञा० सं० 16/1/74-स्थापना (एम-सी० टी०)]

17.4 विभागीय पदोन्नति समितियां और चयन (सेलेक्शन) बोर्ड इत्यादि

(i) सामान्यतः जिस पद/जिन पदों पर भर्ती/पदोन्नति होनी हो, उसकी/उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उपयुक्त हैसियत और अनुभव वाले विभागीय अधिकारियों को आमंत्रित करके विभागीय पदोन्नति समितियां और चयन बोर्डों का गठन किया जाता है और भर्ती अधिकारियों को बुलाया जाता है । मंत्रालय/विभाग यथासंभव इस दिशा में प्रयत्न करें कि अपने अधीन पदों/सेवाओं के अन्तर्गत भर्ती/पदोन्नति के लिए विभागीय

पदोन्नति समितियों, प्रवरण बोर्डों आदि का गठन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी अवश्य नामित करें । विशेष रूप से यदि बहुत बड़ी संख्या में अर्थात 30 या इससे अधिक रिक्तियों पर चयन करना हो तो प्रवरण बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी शामिल करने के उद्देश्य से सभी संभव प्रयत्न किए जाएं ।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 8-4-1974 का का० ज्ञा० सं० 16/1/74-स्थापना (एस०सी० टी०)]

(ii) कार्मिक विभाग के ता० 29 जनवरी, 1973 के का० ज्ञा० सं० 1/9/72-स्थापना (घ) के अनुसार समूह ग या समूह घ (श्रेणी III या श्रेणी IV) के पदों के लिए गठित की जानेवाली विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष पर्याप्त उच्च स्तर का हो तथा इस समिति में एक सदस्य उस विभाग का अधिकारी हो जिसका उस विभाग से कोई संबंध न हो जिसमें पदोन्नति पर विचार होना हो । इस प्रकार चूंकि समिति के सदस्यों में एक सदस्य किसी अन्य मंत्रालय/विभाग का होना आवश्यक है अत: उपर्युक्त उप पैरा के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति के लिए अधिकारी नामित करते समय यदि आवश्यक हो तो यह प्रयत्न किया जाए कि यदि मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी उपलब्ध न हो, तो उसे किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से बुलाया जाए । इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

[कार्मिक और प्र० सु० वि० का तारीख 10-8-1981 का का० ज्ञा० संख्या 41013/16/81-स्था० (एस० सी० टी०)] और दिनांक 18-8-83 का का० ज्ञा० सं० 36011/22/83 स्था० (अनु० जा०)]

जहां किसी विभागीय पदोन्नति समिति में सदस्य के रूप में बाहर के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है, वहां निर्विवाद रूप से वह सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी होना चाहिए तथा जहां यह व्यवहार्य न हो वहां केवल विभागीय पदोन्नति समिति में उसी विभाग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नामित किया जाना चाहिए । जब विभागीय पदोन्नति समिति में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी न तो बाहर के प्रतिष्ठानों से और न उस विभाग में ही उपलब्ध हो तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने से पहले उक्त विभागीय पदोन्नति समिति के सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग कार्यालय के सम्पर्क अधिकारी से इस आशय का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए कि विभागीय पदोन्नति समिति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को ढूंढने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, परन्तु कोई सफलता नहीं मिली है ।

17.5 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समूह क (श्रेणी I) के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था

कार्मिक विभाग का ता० 15-11-71 का का० ज्ञा० सं० 1/9/69-स्था० (एस०सी०टी०) और का० ज्ञा० सं० 36013/18/77-स्थापना (एस० सी०टी०) ता० 4-9-78

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समूह-क (श्रेणी-1) के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं :—

(i) प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधान सीधी भर्ती द्वारा रखे गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समूह-क (श्रेणी-1) के अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के लिए, जो इस संबंध में सहायता चाहते हों, गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करें ।

(ii) विभिन्न विभागों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण-कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय/विभाग काफी बड़ी संख्या में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी नामित करें । इस उद्देश्य से मंत्रालय/विभाग एक समय सीमा निर्धारित करे, उदाहरणार्थ 3 वर्ष, जिसके भीतर इन अधिकारियों का उपयुक्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण पूरा हो जाए । विभिन्न संस्थाओं में ऐसे अधिकारियों को प्रायोजित करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाए । मंत्रालय/विभाग को पता लगाना चाहिए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को किस किस प्रकार का प्रशिक्षण देना जरूरी है और इसके बाद इस संबंध में निर्णय करना चाहिए कि इन अधिकारियों को किन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा जाए । जिन अधिकारियों को निर्धारित योग्यता स्तर में छूट देकर पदोन्नत किया गया हो उनके प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कि वे स्वयं को अपने कार्य के उपयुक्त सिद्ध कर सकें । आवश्यकता होने पर कार्मिक और प्रशासनिक विभाग का प्रशिक्षण डिवीजन उपयुक्त कार्यक्रम सुझाने और नये उचित कार्यक्रम तैयार करने में सभी प्रकार की सहायता करेगा ।

(iii) ऐसे प्रशिक्षण-कार्यक्रम तैयार करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उतने अधिकारी लेने की गुंजाइश रखी जाए जितने अधिकारियों के नाम मंत्रालय भेजे । जहां कहीं संभव हो वहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना ठीक रहेगा । यदि किसी विशिष्ट कार्यक्रम में ऐसा करना कठिन हो तो इन अधिकारियों को बाद वाले पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए या उनके लिए उस पाठ्यक्रम के विशेष सत्र की

व्यवस्था की जाए । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को विदेश में होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना भी लाभदायक होगा । इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा तथा उन्हें विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा । इससे इन समुदायों के अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा ।

(iv) प्रशिक्षण, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में अधिकारी भेजते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को तरजीह दी जाए ।

(v) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों को इन अधिकारियों के कार्य के दौरान प्रशिक्षण देने की ओर विशेष ध्यान देने और ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहना चाहिए जिनमें विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक हो तथा विभाग के प्रशिक्षण समन्वय कर्त्ता और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशिक्षण डिवीजन के परामर्श से इस प्रशिक्षण के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा जाए (मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षण आदेशों का कार्यान्वयन न किए जाने के संबंध में आयुक्त की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इन अनुदेशों को का० और प्र० सु० वि० के दिनांक 4-9-78 के का० ज्ञा० संख्या 36013/18/77-स्थापना (एस०सी०टी०) द्वारा दोहराया गया) ।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 10-12-73 का का० ज्ञा० संख्या 1/1/73-स्थापना (एस० सी०टी०) तथा 4-9-78 का का० ज्ञा० सं० 36013/18/77-स्था० (एस०सी०टी०)]

17.6 ऊपर के पैरा 17.5 में स्पष्ट की गई स्थिति में विभिन्न विभागों और प्रशिक्षण संस्थाओं में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के और विदेश में चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम या प्रशिक्षण, संगोष्ठियों और सम्मेलनों के लिए अधिकारियों को नामित करते समय इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि नामित अधिकारियों में कौन से अधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, जिससे संबंधित अधिकारी चयन के समय उन अधिकारियों के मामलों पर विधिवत् विचार कर सकें ।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 18-4-74 का का० ज्ञा० संख्या 16/4/74-स्थापना (एस० सी०टी०) तथा 4-9-78 का का० ज्ञा० सं० 36013/18/77-स्था० (एस०सी०टी०)]

17.7 ऊपर पैरा 17.5 में दिए अनुसार संगोष्ठियों/सम्मेलनों/गोष्ठियों इत्यादि में अधिकारियों को भेजते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

17.8 भरती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण देना

[गृह मंत्रालय तारीख 21-4-70 का का० ज्ञा० संख्या 27/2/70-स्थापना (एस० सी०टी०) और तारीख 31-3-70 का पत्र० सं० 21370-स्थापना (ख)]

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिन उम्मीदवारों का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निर्धारित स्तर में छूट देकर चयन हुआ हो उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे अन्य उम्मीदवारों के स्तर तक आ सकें । इस उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद तथा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान, नई दिल्ली को यह सलाह दी गई है कि वे अपनी-अपनी संस्थाओं में अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए उन विषयों की अतिरिक्त अनुशिक्षण कक्षाएं लगाएं जिनमें वे कमजोर हों, यदि कोई मंत्रालय/विभाग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्था चला रहा हो तो वह मंत्रालय/विभाग अपने अधीन ऐसी संस्थाओं को भी ऊपर उल्लिखित अनुदेश दे ।

17.9 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण-कार्यक्रम

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 14-9-76 का का० ज्ञा० 36022/13/76—स्था० (एस०सी०टी०)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण के बारे में संसदीय समिति की 41वीं रिपोर्ट में की गई निम्नलिखित सिफारिशों को सरकार ने मंजूर कर लिया है और मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया है :—

सिफारिश संख्या 21

"समिति ने यह नोट किया है कि मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के अनुदेश दिये जाए कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित योग्यता स्तर में छूट देने पर भी उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में, उपलब्ध न हों तो नियुक्ति प्राधिकारी इन समुदायों के उन्हीं उम्मीदवारों में से एक से सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करें, जिनमें उन पदों के लिए विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं हो और उन्हें उनके कार्यालयों में ही सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाए (पैरा 7.6 देखें) उक्त समिति ने सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए यह इच्छा प्रकट की है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षण-योजनाओं की रूप-रेखा स्पष्ट रूप से तैयार की जाए जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार इन प्रशिक्षण योजनाओं से अधिकतम लाभ उठा सकें । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार

विभाग प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की रूपरेखा की आवधिक जांच करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सकें कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया में एकरूपता रहे । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवधिक पुनरीक्षण भी करेगा । समिति आशा करती है कि प्रशिक्षण-योजनाएं तैयार करते समय मंत्रालय/विभाग अगले पांच वर्षों में होने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की रिक्तियों का ध्यान रखेंगे । संवर्ग-पुनरीक्षण समिति अगली योजना तैयार करते समय जांच संबंधी आवश्यकताओं का जिनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने है, अनुमान लगाने का कार्य भी करेगी ।"

मंत्रालय/विभाग विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करें, जिनमें से ऐसे सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हो, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके जैसे कि समिति ने सिफारिश की है । कार्यक्रम तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को उपर्युक्त संसदीय समिति के अभिमतों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रशिक्षण प्रभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में मंत्रालयों/विभागों की सहायता करेगा और जब भी आवश्यकता होगी इन प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की आवधिक जांच भी करेगा ।

गृह मंत्रालय ता० 19-3-1964 का का० ज्ञा० सं० 1/6/64—एस० सी० टी० और कार्मिक विभाग का ता० 2-9-1970 का का० ज्ञा० सं० 27-4-(iv) 70 स्था० (एस० सी० टी०)

17.10 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के आवेदन-पत्र अग्रेषित करना ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अस्थायी या स्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के किसी दूसरी नोकरी के लिए भेजे जाने वाले आवेदन-पत्र कुछ खास मामलों को छोड़कर जिनमें आवेदन-पत्र अग्रेषित न करना लोक-हित में हो, तत्काल अग्रेषित कर दिये जाएं ।

जिन मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के आवेदन-पत्र लोक-हित को ध्यान में रखते हुए मजबूरन न भेजे जा सके हो उनकी रिपोर्ट एक महीने के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में नामित सम्पर्क अधिकारी अथवा विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में की जाएं ।

तारीख 19-7-1965 के का० ज्ञा० सं० 10/1/65—स्थापना (घ) के साथ पठित गृह मंत्रालय का ता० 5-9-58 का का० सं० 54/6/53 सी० एस० (सी)

17.11 **कर्मचारियों की छंटनी संबंधी अनुदेश**

छंटनी संबंधी अनुदेशों के प्रयोजन से व्यक्तियों को नीचे दिए अनुसार वर्गीकृत किया गया है :—

जो व्यक्ति अपने ग्रेड में स्थायी नहीं हैं उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है :—

(क)(i) ऐसे व्यक्ति जिन्हें सी०सी०एस० (टी०एस०) नियमावली या अन्य तदनुरूपी नियमावली के अन्तर्गत ग्रेड में स्थायीवत घोषित किया गया हो ;

(ii) उस ग्रेड में पदोन्नत या स्थानांतरित ऐसे व्यक्ति जिनका सरकारी स्थायी पदों पर लियन है या जिन्हें अन्य पदों या ग्रेडों पर स्थायीवत् घोषित किया गया है तथा उन्होंने उस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष तक सेवा की है ।

(ख) वर्ग "क" के व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्ति :—

इन्हें दो समूहों में विभाजित किया गया है :—

(i) ऐसे व्यक्ति जिनके पास ग्रेड या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है तथा जो किसी अन्य वर्ग के हैं, और

(ii) शेष व्यक्ति ।

विभागीय पदोन्नति समितियों ने उपर्युक्त वर्ग-ख के ग्रुप (i) तथा (ii) में दिए गए व्यक्तियों को नीचे दिए अनुसार वर्गीकृत किया :—

(क) उत्कृष्ट,

(ख) उत्कृष्ट नहीं है लेकिन उस ग्रेड में स्थायी रूप से रखे जाने के योग्य है, या

(ग) स्थायी रूप से रखे जाने योग्य नहीं है ।

छंटनी होने पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को उनके पदों पर बनाए रखने के लिए निम्नलिखित रियायत दी जाती है :—

अनुदेश 7 :—(क) छंटनी संबंधी अनुदेश-3 में दी गई किसी भी बात की ओर ध्यान न देते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के ऐसे कर्मचारी, जो वर्ग ख (i) (क) और (ख) (i) (ख) के अन्तर्गत आते हों उन्हें इनमें से किसी भी वर्ग के

अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की तुलना में वरीयता देते हुए उन पदों पर तब तक रोके रखना चाहिए जब तक उनकी संख्या प्रत्यक्ष भरती किए गए व्यक्तियों में उतनी प्रतिशतता तक नहीं पहुंच जाती जितनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित की गई हैं । ऐसे ही वर्ग-ख (ii) (क) और (ख) (ii) (ख) के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को इन दो वर्गों में से किसी भी वर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा तरजीह दी जाए ।

(ख) छंटनी-अनुदेश संख्या-4 के अनुसार छंटनी आवश्यक होने पर इस अनुदेश में दी गई किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के किसी भी ऐसे कर्मचारी को जिसे शैक्षिक योग्यता-प्राप्त न हो पद पर रोक कर नहीं रखा जा सकता ।

अनुदेश 8 :—"छंटनी-अनुदेश-3 में दी गई किसी भी बात के बावजूद श्रेणी III और IV के ग्रेड या जिन सेवाओं में सीधी भर्ती नहीं होती है या जिनमें 8-11-1963 को या इसके बाद पदोन्नति जो (i) चयन द्वारा या (ii) केवल विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर, की गई हो उनमें वर्ग ख (i) (क) और (ख) (i) (ख) के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को इनमें से किसी भी वर्ग के अन्तर्गत आने वाले अन्य व्यक्तियों की तुलना में तब तक रोके रखा जाए जब तक सभी कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों और जन जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता चाहे वे 8-11-63 को अथवा इसके बाद चयन या विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर पदोन्नत हुए हों गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 1-10-61-स्थापना (घ) तारीख 8-11-1963 के पैराग्राफ 2(2) (क) में निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार नहीं हो जाती । इसी प्रकार वर्ग (ख) (ii) (क) तथा ख (ii) (ख) के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को इनमें से किसी भी वर्ग के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा तरजीह दी जाए ।"

टिप्पणी :—अनुदेश सं० 8 गृह मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० 1-12-67-स्थापना (ग) तारीख 11-7-1968 के संदर्भ में यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा ।

17.12 अधिशेष कर्मचारियों का अभ्यर्पण

गृह मंत्रालय तारीख 30-1-67 का का० ज्ञा० सं० 1/1/67-सी०सी० ।

गृह मंत्रालय के ता० 25-2-66 के का० ज्ञा० सं० 3/27/65-सी० एस०-II के अनुबन्ध I, पैरा (II) के अनुसार कर्मचारियों की संख्या निर्धारण के अध्ययन के परिणामस्वरूप अधिशेष कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (अधिशेष कर्मचारी) सेल को अभ्यर्पित करना

जरूरी होता है । यह अभ्यर्पण प्रभावित संवर्ग में वरिष्ठता के विपरित क्रम में, संवर्ग की घटाई गई नफरी का किया जाए । तथापि किसी संवर्ग में किसी विशेष ग्रेड में अधिशेष कर्मचारियों की घोषणा करते समय उस ग्रेड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को तब तक शामिल न किया जाए जब तक उस ग्रेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की संख्या संवर्ग के संबंधित ग्रेड में क्रमशः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षणों की निर्धारित प्रतिशतता जितनी न हो जाए ।

17.13. भर्ती नियमावली

कार्मिक विभाग का ता० 21-9-71 का का० ज्ञा० सं० 8/12/71-स्थापना (एस० सी० टी०) और ता० 7-3-78 का का० ज्ञा० सं० 36011/9/76-(एस० सी० टी०) ।

कार्मिक और प्र० सु० विभाग का दिनांक 29-8-84 का का० ज्ञा० सं० 36013/4/87-स्था० (अनु० जा०) ।

जिन सेवाओं/पदों पर आरक्षण-आदेश लागू होते हों उनकी भर्ती नियमावली में नीचे बताए अनुसार एक अलग नियम होना चाहिए :—

अपवाद :—"केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार इन नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसके अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष वर्गों के लिए किए गए आरक्षणों और दी गई अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव पड़े ।"

जब तक प्रारूपकार नियमावली के विशेष सेट के संदर्भ में इस नियम को अन्य किसी स्थान पर लिखना अधिक उपयुक्त न समझे तब तक सामान्यतः यह नियम नियमावली के अन्त में ही दिया जाएगा ।

यदि किन्हीं भर्ती नियमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों इत्यादि के व्यक्तियों के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, सामान्य या आयु के मामले में आरक्षण/रियायतें दी गई हों तो "गृह मंत्रालय" का संदर्भ देने के स्थान पर "केन्द्र सरकार" का संदर्भ दिया जाए ।

17.14. परीक्षाओं के लिए भर्ती नियम/विनियम

कार्मिक विभाग का ता० 19-10-71 का का० ज्ञा० सं० 8/12/71-स्था० (एस० सी० टी०) ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों को निर्धारित योग्यता स्तरों में छूट देने के लिए परीक्षाओं के लिए भर्ती नियमों/विनियमों के उपबन्धों को नीचे दिए गए शब्दों में रखा जा सकता है कि ताकि गृह मंत्रालय के तारीख 25-7-70 के का० ज्ञा० सं० 1/1/70-स्था०(एस० सी० टी०) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को निर्धारित स्तरों में छूट देने के संबंध में जो मानदण्ड हैं उन्हें इसमें शामिल किया जा सके :—

"अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए जितनी रिक्तियां आरक्षित हों, उन्हें यदि सामान्य मानक के आधार पर न भरा जा सकता हो तो जितनी रिक्तियां शेष हो उन्हें निर्धारित स्तर में छूट देकर आयोग अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने की सिफारिश कर सकता है चाहे परीक्षा में योग्यता के क्रम में उनको कोई भी स्थान क्यों न मिला हो और आरक्षित कोटे की कमी को पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि ये उम्मीदवार उस पद/सेवा में चुने जाने योग्य हों।"

आवश्यकता होने पर भर्ती नियमों/विनियमों के वर्तमान उपबन्धों के स्थान पर उक्त उपबन्ध जोड़े जाएं।

यदि यह भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न हुई हो तो ऊपर के उपबन्ध में उल्लिखित "आयोग" के स्थान पर "सक्षम प्राधिकारी" से सलाह ली जाए।

17.15. भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा के बारे में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को दी जाने वाली सूचना

कार्मिक विभाग का ता० 2-3-72 का कार्यालय ज्ञापन सं० 28/8/72-स्था० (एस० सी० टी०)।

विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को रोजगार देने संबंधी संभावनाओं की वृद्धि के लिए विभिन्न राज्यों में परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं लेने वाले प्राधिकारियों को बहुत पहले ही इन परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को परीक्षा की वास्तविक तारीख, आरक्षित रिक्तियों की संभावित संख्या, परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा के स्तर की सूचना देनी चाहिए। इससे परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र ऐसी प्रशिक्षण-योजना बनाने में सफल हो सकेंगे जिसका इस परीक्षा से सम्बन्ध होगा तथा इसके परिणामस्वरूप आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अधिक उम्मीदवार नियुक्त हो सकेंगे।

17.16. बैचों में होने वाली सीधी भर्ती का रोस्टर

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 24-5-74 का कार्यालय ज्ञापन सं० 10/52/73-स्था० (एस० सी० टी०)।

यदि सीधी भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा द्वारा सभी नियुक्तियां एक साथ न की जा सकती हो तो सही तरीका यह होगा कि नियुक्तियों के प्रत्येक बैच में रोस्टर के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या अलग से निर्धारित की जाए और उस बैच में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा सामान्य उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या में, नियुक्ति की जाए।

17.17. विदेशों में तैनाती के लिए व्यक्तियों का चयन

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 3-4-76 का कार्यालय ज्ञापन सं० 16/32/74-स्था० (एस० सी० टी०)।

चूंकि विदेशों में तैनाती के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को किसी विशेष प्रकार की छूट देना संभव नहीं होगा तथापि जब भी कोई मंत्रालय/विभाग इत्यादि विदेश स्थित अपनी यूनिट में तैनाती के लिए किन्हीं व्यक्तियों का चयन करे तब इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस तैनाती के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की बाबत भी विचार किया जाए।

17.18. मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्ट

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 3-9-70 का का० ज्ञा० सं० 27/4/(1)/70 स्था० (एस० सी० टी०), ता० 28-5-76 का का० ज्ञा० सं० 36022/5/(1)/76 स्था० (एस० सी० टी०), तथा ता० 7-6-77 का का० ज्ञा० सं० 36013/1/77-स्थापना (एस० सी० टी०)।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 2-8-85 का का० ज्ञा० सं० 36013/3/85—स्था० (अनु० जा०)।

मंत्रालय/विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में सम्पर्क अधिकारी के नियंत्रणाधीन उस मंत्रालय/विभाग के नियंत्रणाधीन स्थापनाओं और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व के मामलों में अपनी ड्यूटी पूरी करने में सहायता देने के लिए स्थापित सेल के कार्यकलापों के बारे में एक टिप्पणी लिखी जाए।

मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े भी दिए जाएं। इन रिपोर्टों में परिशिष्ट 8 और 9 में जानकारी दी जाए जो पैरा 5.1 के अनुसार प्रतिवर्ष मंत्रालयों/विभागों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में समेकित रूप में भेजनी होती है।

वार्षिक रिपोर्ट में मंत्रालय/विभाग के बारे में इसमें सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है, समेकित जानकारी देने के साथ-साथ एक विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन प्रत्येक संगठन स्थापना के बारे में जानकारी देना भी लाभकर होगा। इसी प्रकार वार्षिक रिपोर्टों में सांविधिक और अर्धसरकारी निकायों तथा मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के बारे में जानकारी दी जाए।

17.19. इस विभाग को यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात उनके सामाजिक उद्गम

के कारण उन्हें तंग किया जाता है तथा उनके प्रति भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया जाता है । यह भी बताया गया है कि अनु० जा०/अनु० ज० जाति के अधिकारियों को कभी-कभी दूर दराज के स्थानों में स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा साथ ही उन्हें गैर-महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाता है । इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कुछ मामलों में संबंधित उच्च अधिकारियों द्वारा इन अधिकारियों को इनकी तैनाती के स्थान पर स्वीकार नहीं किया जाता है ।

इस संबंध में इस बात पर बल दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को अनु० जा०/अनु० ज० जाति के समुदायों के सदस्यों के सामाजिक उद्गम के कारण उनके प्रति किसी भेद-भावपूर्ण कार्रवाई से दूर रहना चाहिए । यह भी अनुरोध किया जाता है कि मंत्रालयों/विभागों के सम्पर्क अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखें कि ऐसी कोई भी घटना बिलकुल न होने पाए । फिर भी यदि प्राधिकारियों की जानकारी में ऐसी कोई घटना आती है तो गलती करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए ।

अध्याय 17 में
कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

का० ज्ञा० सं० 54/6/53-के० से० (ग)	5-9-58
का० ज्ञा० सं० 9/45/60-स्था० (घ)	20-4-61
का० ज्ञा० सं० 1/6/64-अनु० जा० (I)	19-3-64
का० ज्ञा० सं० 16/8(1)66-स्था० (ग)	25-1-67
का० ज्ञा० सं० 1/1/67-सी० सी०	30-1-67
का० ज्ञा० सं० 10/28/68-स्था० (अनु० जा०)	12-9-68
पत्र संख्या 21/3/70-स्थापना (ख)	31-3-70
का० ज्ञा० सं० 27/2/70-स्था० (एस० सी० टी०)	21-4-70
का० ज्ञा० सं० 27/4/(iii)/70-स्था० (अनु० जा०)	2-9-70
का० ज्ञा० सं० 27/4/(iv)/70-स्था० (अनु० जा०)	2-9-70
का० ज्ञा० सं० 27/4/(i)/70-स्था० (अनु० जा०)	3-9-70 अध्याय 15 के बाद
का० ज्ञा० सं० 8/12/71-स्था० (अनु० जा०)	21-9-71
का० ज्ञा० सं० 8/12/71-स्था० (अनु० जा०)	19-10-71
का० ज्ञा० सं० 1/9/69-स्था० (अनु० जा०)	15-11-71
का० ज्ञा० सं० 28/8/72-स्था० (अनु० जा०)	2-3-72
का० ज्ञा० सं० 1/1/73-स्था० (अनु० जा०)	10-12-73
का० ज्ञा० सं० 16/1/74-स्था० (अनु० जा०)	8-4-74
का० ज्ञा० सं० 16/4/74-स्था० (अनु० जा०)	18-4-74
का० ज्ञा० सं० 10/52/73-स्था० (अनु० जा०)	24-5-74 अध्याय 4 के बाद
का० ज्ञा० सं० 35/1/72-आर० यू० (एस० सी० टी०)	2-5-75 अध्याय 13 के बाद
का० ज्ञा० सं० 16/1/74-स्था० (अनु० जा०)	23-5-75
का० ज्ञा० सं० 9/10/72-स्था० (घ)	17-11-75
का० ज्ञा० सं० 16/32/74-स्था० (अनु० जा०)	3-4-76
का० ज्ञा० सं० 36022/5(1)/76-स्था० (अनु० जा०)	28-5-76
का० ज्ञा० सं० 36022/13/76-स्था० (अनु० जा०)	14-9-76
पत्र सं० बी० सी० 12025/2/76-(अनु० जा०)	22-3-77 अध्याय 13 के बाद

का० ज्ञा० सं० 36013/1/77-स्था० (अनु० जा०)	7-6-77
पत्र सं० 36012/6/76-स्था० (अनु० जा०)	29-10-77 अध्याय 13 के बाद
का० ज्ञा० सं० 36011/9/76-स्था० (अनु० जा०)	7-3-78
का० ज्ञा० सं० 36013/18/77-स्था० (अनु० जा०)	4-9-78
का० ज्ञा० सं० 36011/30/81-स्था० (अनु० जा०)	6-8-81
का० ज्ञा० सं० 41013/16/80-स्था० (अनु० जा०)	10-8-81
का० ज्ञा० सं० 36013/4/82-स्था० (अनु० जा०)	29-8-84
का० ज्ञा० सं० 36026/3/85-स्था० (अनु० जा०)	24-6-85
का० ज्ञा० सं० 36013/3/85-स्था० (अनु० जा०)	2-8-85

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 5 सितम्बर, 1958 का का० ज्ञा० सं० 54/6/53-सी० एस० (सी०)

छंटनी संबंधी हिदायतें

पदों की संख्या में कमी की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों से प्रत्यावर्तन/सेवा मुक्ति आवश्यक हो, तो इस विषय पर सभी पूर्वदिशों के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणी-I, श्रेणी-II, श्रेणी-III, श्रेणी-IV के किसी भी ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों के प्रत्यावर्तन/सेवा मुक्ति के लिए निम्नलिखित सामान्य हिदायतें जारी की जाती हैं। ये हिदायतें उन संगठित सेवाओं के संबंध में लागू नहीं होंगी, जिनके लिए प्रत्यावर्तन/सेवा मुक्ति संबंधी हिदायतें विशिष्ट तौर पर निर्धारित हैं।

हिदायत 1:—(क) इन हिदायतों के प्रयोजनार्थ, किसी व्यक्तिको किसी ग्रेड के लिए "शैक्षणिक तौर पर योग्य" तब माना जाएगा, जबकि उसके पास स्थायी आधार पर ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। जिन ग्रेडों या पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, उस मामले में अगले निम्न ग्रेड या पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता माना जाएगा, जिसमें उक्त ग्रेड में या पद पर उन्नति हुई है।

(ख) कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्गों का उल्लेख "अपवाद श्रेणियों" के रूप में किया गया है :

(i) अन्तरण ब्यूरो या गृह मंत्रालय द्वारा किसी ग्रेड के लिए नामांकित या नामांकित समझे गए स्थायी विस्थापित सरकारी कर्मचारी।

(ii) ऐसे व्यक्ति, जिनका स्थायी पदों पर लियन है या उन पदों के अन्य ग्रेडों में स्थायीवत हैं, जहां से उस ग्रेड में पदोन्नतियां या तबादले, सामान्य तौर पर अनुज्ञेय हैं या वे व्यक्ति जोकि उस ग्रेड में या पद पर सेवा योजना के अन्तर्गत स्थायी रूप से समाए जाने के पात्र हैं।

(iii) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें गृह मंत्रालय की सहमति के अन्तर्गत या उसके द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं रखने से छूट दे दी गई है।

हिदायत 2:—जो व्यक्ति ग्रेड में स्थायी नहीं हैं, उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांट दिया जाए :

(क) (i) वे व्यक्ति जिन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली या अन्य तदनुरूप नियमों के अंतर्गत ग्रेड में स्थायीवत घोषित कर दिया गया है।

(ii) ग्रेड में पदोन्नत या अन्तरित व्यक्ति, जिनका सरकार के अंतर्गत स्थायी पदों पर लियन है या जिन्हें अन्य पदों पर या ग्रेडों में स्थायीवत् घोषित किया गया है और जिन्होंने ग्रेड में तीन वर्ष से कम सेवा नहीं की है ।

(ख) वर्ग (क) में उल्लिखित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्ति । इन्हें आगे दो अन्य समूहों में बांट दिया जाये ।

(i) जिन के पास ग्रेड या पद के लिए शैक्षणिक योग्यता हैं और जो कि उन वर्गों के हैं, जिन पर उपर्युक्त हिदायतें लागू नहीं होती, और

(ii) शेष ।

विभागीय पदोन्नति समितियां, उपर्युक्त वर्ग (ख) के (i) और (ii) समूहों के प्रत्येक समूह में दिए गए व्यक्तियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत करेंगी :

(क) उत्कृष्ट;

(ख) उत्कृष्ट नहीं, परन्तु ग्रेड में स्थायी तौर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है; या

(ग) स्थायी तौर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है ।

हिदायत 3 :—(क) ग्रेड में छंटनी के आवश्यक हो जाने पर, इसे निम्न क्रम से लागू किया जाए :

छंटनी का क्रम	वर्ग	(समूह) हिदायत 2 के अनुसार वर्गीकरण
(i)	ख (ii)	(ग)
(ii)	ख (ii)	(ख)
(iii)	ख (ii)	(क)
(iv)	ख (i)	(ग)
(v)	ख (i)	(ख)
(vi)	ख (i)	(क)
(vii)	क (i) और (ii) दोनों को इकट्ठा करके रखा गया है ।	

(ख) उपर्युक्त (i) से (vi) तक के प्रत्येक वर्ग में, ग्रेड में वरिष्ठता के उल्टे क्रम में छंटनी की जाए ।

(ग) क(i) और (ii) के वर्गों के व्यक्तियों को, एक ही समूह का माना जाए तथा ग्रेड में स्थायीकरण की अग्रता के क्रम में उनके नाम रखे जायें । ऐसे व्यक्तियों की छंटनी, इस दर्जे के उल्टे क्रम में की जाये ।

टिप्पणी :—प्रत्यावर्तन/सेवा-मुक्ति का उपर्युक्त क्रम उन मामलों में लागू नहीं होता है, जहां छंटनी में आए कर्मचारियों को समाए जाने के सुनियोचित प्रयत्न के साथ-साथ बडे पैमाने पर छंटनी की कार्यविधि पर अमल किया जाता है । ऐसे मामलों में ग्रेड में वरिष्ठता-क्रम में ही छंटनी की जाए अर्थात् सूची में ऊपर लिखे गए व्यक्तियों को नीचे लिखें गए व्यक्तियों से पहले किसी अन्य स्थान पर समाए जाने की व्यवस्था की जाए ।

[का० ज्ञा० सं० 10/1/63-स्था०(डी) तारीख 30-11-63]

हिदायत 4 :—मंत्रालय, वर्ग ख (ii) के अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति को हिदायत 3 की कड़ाई से पालन करने से छूट दे सकेंगे और उसे वर्ग ख (i) के अन्तर्गत आने वाले (विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के अलावा) व्यक्तियों पर तरजीह देकर रख सकेंगे, बशर्ते कि :—

(क) उसने निम्नलिखित हिदायत 5 में की गई परिभाषा के अनुसार ग्रेड में या किसी अन्य समकक्ष ग्रेड में तीन वर्ष से कम सेवा न की हो, और

(ख) हिदायत 2 के अंतिम उप-पैरा के अनुसार उसका वर्गीकरण, उन व्यक्तियों के वर्गीकरण से ऊंचा हो, जिन पर तरजीह देते हुए उसे रखा जाना है ।

हिदायत 5 :—उन मामलों को छोड़कर-जिनमें इस मंत्रालय के परामर्श से वरिष्ठता संबंधी एक अलग नियम निर्धारित किया गया हो या किया जा सकता हो, इन हिदायतों के प्रयोजनार्थ वरिष्ठता, इस मंत्रालय के तारीख 22 दिसम्बर, 1959 के का० ज्ञा० सं० 9/11/55-आर० पी० एस० के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

[का० ज्ञा० सं० 10/1/63-स्था०(डी) तारीख 30-11-63]

हिदायत 6 :—किसी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गए व्यक्तियों को सेवा मुक्त किये जाने के स्थान पर, उन्हें उस निचले ग्रेड में नियुक्ति-प्रस्ताव किया जाए, जहां से उस ग्रेड में सामान्य तौर पर पदोन्नतियां की जाती हैं । उस ग्रेड में नियुक्त होने पर, निचले ग्रेड की वरिष्ठता सूची में उनकी स्थिति ऊंचे ग्रेड में उनकी सेवा निचले ग्रेड में सेवा के तौर पर गिनने के बाद ही निर्धारित की जाए । निचले ग्रेड से अगली छंटनी के

प्रयोजनार्थ, 2 और 3 हिदायतों में उल्लिखित कार्यविधियों का, निचले ग्रेड के संबंध में फिर प्रयोग किया जाए । यदि ऊंचे ग्रेड में सेवा की अवधि को निचले ग्रेड में वरिष्ठता के लिए गिने जाने के बावजूद, संबंधित व्यक्ति निचले ग्रेड में भी छंटनी के अन्तर्गत आ जाते हैं, तो उन्हें सेवा में न रखा जाए या अगले निचले ग्रेड में नियुक्त न किया जाए ।

हिदायत 7 :—उपर्युक्त हिदायत 3 में दर्ज किसी भी बात के बावजूद, ख (i) (क) और ख (i) के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों को, इन वर्गों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाले अन्य व्यक्तियों पर तरजीह देते हुए तब तक सेवा में रहने दिया जाए, जब तक कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए निर्धारित किये गए मानक के अनुसार, सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों में उनकी प्रतिशतता पूरी नहीं हो जाती । ख (ii) (क) और ख (ii) (ख) वर्गों में से किसी वर्ग के अन्तर्गत आने वाले अन्य व्यक्तियों की तुलना में उपरोक्त वर्गों में से किसी भी वर्ग के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की भी उपरोक्त तरजीह दी जाएं ।

(ख) इस हिदायत के कारण, हिदायत 4 के अनुसार सेवा में बने रहने के लिए विचारार्थ, शैक्षणिक तौर पर अयोग्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के रास्ते में कोई रूकावट नहीं आएगी ।

हिदायत 8 :—हिदायत 3 में दर्ज किसी भी बात के बावजूद, श्रेणी-iii और श्रेणी-iv के ग्रेडों या सेवाओं के मामले में, जिनमें सीधी भर्ती नहीं है और जिनमें (i) चयन से या विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामस्वरूप 8-11-63 को या बाद में पदोन्नतियां की गई थीं, ख (i) (क) और ख (i) (ख) वर्गों के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को, तब तक इन वर्गों में से किसी एक के अंतर्गत आने वाले अन्य व्यक्तियों पर तरजीह देते हुए सेवा में रहने दिया जाएगा, जब तक कि इस मंत्रालय के तारीख 8-11-63 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/10/61-स्था० (डी) के पैरा 2(2) (क) में निर्धारित किये गए अनुसार, चयन द्वारा या विभागीय उम्मीदवारों तक सीमित प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणामस्वरूप 8-11-63 को या इसके बाद पदोन्नत कर्मचारियों की कुल संख्या में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या की अपेक्षित प्रतिशतता नहीं हो जाती । ख (ii) (क) और ख (ii) (ख) में से किसी एक वर्ग के अंतर्गत आने वाले अन्य व्यक्तियों की तुलना में इन वर्गों के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भी इसी प्रकार की तरजीह दी जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 20 अप्रैल, 1961 का का० ज्ञा० सं० 9/45/60-स्था० (डी)

विषय :—केन्द्रीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त जिन व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों सहित योग्यता के मूल क्रम से अलग क्रम में स्थायी किया गया हो, उन व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सामान्य सिद्धांत और उनकी व्याख्या ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर, इस मंत्रालय के तारीख 22 दिसम्बर, 1959 के कार्यालय ज्ञापन सं० 9/11/55-आर०पी०एस० के अनुबंध के 3 और 4 पैरों की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिनके अनुसार प्रत्येक ग्रेड के स्थायी अधिकारियों को उन व्यक्तियों से वरिष्ठ रखा जाएगा, जो कि उस ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं और इस उपबंध के बावजूद, सभी सीधे भर्ती किये गए कर्मचारियों के सम्बन्ध वरिष्ठता, उस योग्यता क्रम से निर्धारित की जाएगी, जिसमें उन्हें संघ लोक सेवा आयोग या अन्य चयन प्राधिकरण की सिफारिशों पर ऐसी नियुक्ति के लिए चुना जाता है। पहले चयन के फलस्वरूप नियुक्त व्यक्ति, बाद के चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे । इस मंत्रालय से समय समय पर यह पूछताछ की गई है कि क्या विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी आदेशों के अनुसार अपने स्थायीकरण के बाद, अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संबंधित ग्रेड के अन्य अस्थायी/स्थानापन्न अधिकारियों से वरिष्ठ माना जाएगा । भले ही अन्य अस्थायी/स्थानापन्न अधिकारियों की उस ग्रेड में भर्ती पहले हुई हो या अनुसूचित जातियों/जनजातियों की अपेक्षा उस चयन के गुणानुक्रम में उनकी बेहतर स्थिति हो ।

2. साधारणतया, स्थायीकरण का क्रम, गुणानुक्रम में उम्मीदवार की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, परन्तु जिस मामले में, सामान्य नियम से हटकर कार्य किया जाता है, और निचली स्थिति वाले कर्मचारी को स्थायीकरण के लिए तरजीह दी जाती है, उसमें वह वरिष्ठता के मामले में भी वैध रूप से विशेष रियायत की आशा कर सकता है । इसी प्रयोजन से, उपर्युक्त अनुबंध के पैरा 4 में इस आशय को परन्तुक जोड़ दिया गया है कि जिस मामले में अस्थायी आधार पर मूलत: भर्ती किये गए/पदोन्नत व्यक्तियों को, उनकी नियुक्ति के समय बताए गए गुणानुक्रम से भिन्न क्रम में बाद में स्थायी किया जाता है, उस मामले में वरिष्ठता, स्थायीकरण के क्रम में होगी और न कि गुण के मूल क्रम में । इसका मतलब यह है कि वरिष्ठता स्थायीकरण के अनुसार होती है ।

उपर्युक्त स्थिति के अलावा, अस्थायी नियुक्ति की अवधि के बाद स्थायीकरण उसी तरह किया जाता है, जैसा कि आरंभ से ही स्थायी नियुक्ति कर दी जाती है और इस तथ्य से कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की नियुक्ति, स्थायी होने से पहले अस्थायी हो, यह औचित्य नहीं ठहरता कि उसे सीधे ही, आरक्षित रिक्ति पर स्थायी तौर पर नियुक्त किये जाने की अपेक्षा कोई कम रियायत दी जाए । प्राय: ऐसा होता है कि गुणानुक्रम सूची में निचला स्थान पाने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की नियुक्ति स्थायी तौर पर कर दी जाती है, जबकि गुणानुक्रम सूची में उससे ऊपर दर्जा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उस समय नियुक्त भी नही किया जाता । यदि ऐसे उम्मीदवारों को अगले वर्ष नियुक्त किया जाता है, तो वे इस आधार पर अधिक वरिष्ठता के पात्र नहीं होंगे कि गत वर्ष गुणानुक्रम सूची में उनकी स्थिति बेहतर थी । यह स्थिति उस स्थिति से मूलत: भिन्न नहीं होगी, जबकि प्रारम्भिक नियुक्तियां उसी सूची से और उसी समय अस्थायी आधार पर की जाती हैं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को गुणानुक्रम सूची में उसकी निचली स्थिति के बावजूद विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी आदेशों के अनुसार पहले स्थायी कर दिया जाता है ।

3. ऊपर बताई गई स्थिति के अनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थायीकरण के बाद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, ग्रेड के अस्थायी/स्थानापन्न अधिकारियों से वरिष्ठ होंगे और उस ग्रेड के स्थायी अधिकारियों में उनकी वरिष्ठता उनके स्थायीकरण के क्रम में होगी । अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त स्पष्टीकरण को, मंत्रालयों के सभी संबंधित व्यक्तियों और उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए उनके ध्यान में लायें ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 19 मार्च, 1964 का का० ज्ञा० सं० 1/6/64-एस०सी०टी० (आई०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों का अन्यत्र नौकरी के लिए भेजा जाना ।

वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान, उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के तारीख 28 फरवरी, 1955 के कार्यालय ज्ञापन सं० 130/54-स्था० (क) आई० और तारीख 15 जून, 1959 के का० ज्ञा० सं० 28/3/59-स्था० (क) (प्रतियां संलग्न हैं) में दर्ज हिदायतों की ओर आकर्षित किया जाता है । "वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों" के अलावा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाली इन हिदायतों में यह व्यवस्था है कि

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के केन्द्रीय सरकार के अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के, दूसरी जगह नौकरी के लिये, आवेदन-पत्र तुरंत भेज दिये जायें, परन्तु कुछ विशेष मामलों में, जहां ऐसे आवेदन-पत्र रोक लेने के लिए लोक हितार्थ बाध्यकारी परिस्थितियां हों, ऐसा न किया जाए । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के मामले में उनके आवेदन-पत्रों का रोका जाना एक अपवाद होना चाहिए, न कि नियम, और इसलिये उन्हें अपना भविष्य सुधारने की प्रत्येक सुविधा दी जानी चाहिए । जहां तक "वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों" का संबंध है, इस मंत्रालय के तारीख 9 मई, 1960 के कार्यालय ज्ञापन सं० 70/10/60-स्था० (ए) और तारीख 25 फरवरी, 63 के का० ज्ञा० सं० 70/60/62-स्था० (क) में यथासंशोधित हिदायतों का पालन किया जाए ।

2. चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व, विशेष तौर पर बड़े पदों पर उनका प्रतिनिधित्व अभी भी कम है, अतएव अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को उनका भविष्य सुधारने के लिए सुविधाओं का दिया जाना उचित ही होगा । इसलिए वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे कृपया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के अन्यत्र नौकरी के लिए आवेदन-पत्र भेजने संबंधी उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापनों में दर्ज आदेशों का कड़ाई से पालन करने के बारे में संबंधित अधिकारियों को हिदायतें जारी करें ।

3. मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे यथासंभव कार्यकुशलता बनाये रखते हुए उपर्युक्त आदेशों का पालन करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (यदि कोई हो) को भी सलाह दे सकते हैं । उनका ध्यान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी इस मंत्रालय के तारीख 4 मार्च, 1964 के कार्यालय ज्ञापन सं० 5/1/63-एस०सी०टी० (1) की ओर आकर्षित किया जाता है ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित, गृह मंत्रालय का तारीख 25 जनवरी, 1967 का का० ज्ञा० सं० 16/8/(आई)/66—स्था० (सी)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण प्रशासनिक निरीक्षण—आरक्षित कोटा भरने सम्बन्धी कार्रवाई ।

योजना आयोग के तत्वाधान में फरवरी 1964 को नई दिल्ली में हुई, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्तियों के संबंध में संगोष्ठी में दूसरी बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की गई ।

सिफारिश सं० 20

"सामान्य प्रशासनिक निरीक्षणों में भी, आरक्षित कोटे भरने में कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए और निरीक्षण रिपोर्ट में, इस संबंध में स्थिति का विशेष उल्लेख किया जाए ।" अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1963-64 की अपनी रिपोर्ट की सिफारिश सं० 273 द्वारा संगोष्ठी की उपर्युक्त सिफारिश की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है ।

2. इस मंत्रालय में उपर्युक्त सिफारिश पर विचार किया गया है और उसे मंजूर कर लिया गया है । अतः वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें और अपने अधीन सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित हिदायतें जारी करें कि आवधिक तौर पर किये जाने वाले सामान्य प्रशासनिक निरीक्षणों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और इन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियां भरने संबंधी आदेशों का कड़ाई से पालन के मामलों में संबंधित कार्यालय के कार्य का निर्धारण दिखाया गया हो । यदि प्रशासनिक निरीक्षणों के लिए कोई फार्म निर्धारित किये गये हों तो, उपर्युक्त मामले में कार्यालय के काम का निर्धारण करने के कालम जोड़ने के लिए उनमें समुचित संशोधन भी किये जा सकते हैं ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 30 जनवरी, 1967 का का० ज्ञा० सं० 1/1/67-सी०सी०

विषय :—केन्द्रीय (अधिशेष कर्मचारी वर्ग) सेल-अधिशेष कर्मचारियों का अभ्यर्पण—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों का संरक्षण ।

मुझे गृह मंत्रालय के तारीख 25-2-66 के का० ज्ञा० सं० 3/27/65-सी०एस०-II के अनुबंध I के पैरा 11(III) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसके अनुसार अधिशेष कर्मचारियों को प्रभावित संवर्ग में वरिष्ठता के ठीक उल्टे क्रम के कम किए गए कर्मचारियों की संख्या के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारी सेल में अभ्यर्पित करना चाहिए । सेल में अधिशेष कर्मचारियों को अभ्यर्पित करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को संरक्षण देने संबंधी प्रश्न पर विचार किया गया है और अब यह निर्णय लिया गया है कि संवर्ग के किसी विशेष ग्रेड में कर्मचारियों को अतिरिक्त कर्मचारी घोषित करते समय, उस ग्रेड में अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अधिशेष कर्मचारियों की सूची में तब तक शामिल न किया जाए, जब तक कि उस ग्रेड के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की कुल संख्या संवर्ग के संबंधित ग्रेड में क्रमशः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षणों के निर्धारित प्रतिशतताओं के बराबर नहीं हो जाती ।

उपर्युक्त निर्णय सभी संबंधितों में परिचालित किया जाए । परन्तु अन्यथा निरूपित पिछले मामलों पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 12 सितम्बर 1968 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/28/68-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण अस्थायी कर्मचारी को स्थायी बनाना ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को जानकारी है कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में अस्थायी आधार पर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय तथा स्थायीकरण के समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करना आवश्यक है । पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में स्थायीकरण की अवस्था पर कोई आरक्षण नहीं है । इस संबंध में इस मंत्रालय के तारीख 11-7-68 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/12/67-स्था० (सी) का पैरा 3(4) देखें । वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध किया जाता है, कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सीधे भर्ती से भरे गए पदों/सेवाओं के संबंध में स्थायीकरण करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किए जाते हैं ।

2. चूंकि इस मंत्रालय के तारीख 22-12-1959 के कार्यालय ज्ञापन सं० 9/11/55-आर०पी०एस० में की गई व्यवस्था के आधार पर वरिष्ठता के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक ग्रेड के सभी स्थायी अधिकारियों को उस ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम कर रहे व्यक्तियों से वरिष्ठ स्थान दिया जाता है, इसलिए तारीख 20-4-1961 के कार्यालय ज्ञापन सं० 9/45/60-स्थापना (डी) (प्रति संलग्न है) में यह स्पष्ट किया गया था कि स्थायीकरण के बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारी उस ग्रेड के अस्थायी स्थानापन्न अधिकारियों से वरिष्ठ होंगे तथा उस ग्रेड के स्थायी अधिकारियों में उनकी वरिष्ठता उनके स्थायीकरण के क्रम से निश्चित होगी । मंत्रालयों आदि का ध्यान तारीख 20-4-61 प्रतिसंलग्न के उपर्युक्त ज्ञापन के अनुदेशों की ओर मार्ग-दर्शन और कड़ाई के साथ पालन के लिए आकर्षित किया जाता है ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेश सभी संबंधितों की जानकारी में लाएं ।

निदेशक, प्रशासन अकादमी, मसूरी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आबू और सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल, नई दिल्ली को भेजा गया गृह मंत्रालय का तारीख 31 मार्च, 1970 का पत्र सं० 21/3/70-स्था० (सी)

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग ने सिफारिश की है कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जिन उम्मीदवारों को चुना जाता है वे उन परीक्षाओं में अन्य उम्मीवारों के स्तर तक लाने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है । मंत्रालय में इस मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि प्रशिक्षण संस्थाओं के निदेशक जहां कहीं भी यह अनुभव करते हों कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार अपेक्षित स्तर के नहीं हैं वहां उन उम्मीदवारों को उन विषयों में अतिरिक्त प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जानी चाहिएं, जिनमें उनका स्तर कम समझा जाए । आपसे यह भी अनुरोध है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं की यथावश्यक व्यवस्था की जाये ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 21 अप्रैल 1970 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/2/70-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—संघ लोक सेवा आयोग की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट—आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए चुने गए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षिण और अनुशिक्षण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी 19वीं वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिन उम्मीदवारों को चुना जाता है, वे इन परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित स्तर तक हमेशा नहीं पहुंच पाते, इसलिए अन्य उम्मीदवारों के स्तर तक लाने के लिए उन्हें अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है । इस मंत्रालय में इस सिफारिश पर विचार किया गया है । राष्ट्रीय प्रशासन, अकादमी, मसूरी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आबू, और सचिवालय

प्रशिक्षण स्कूल, नई दिल्ली, से अनुरोध किया गया है कि इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उन विषयों में अतिरिक्त प्रशिक्षण-सुविधाओं की व्यवस्था की जाए जिनमें उनका स्तर कम समझा जाए। उपर्युक्त संस्थाओं को भेजे गए तारीख 31 मार्च, 1970 के पत्र संख्या 21/3/70-स्था० (बी०) की प्रति संलग्न है। यदि कोई मंत्रालय/विभाग अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्था चला रहा हो तो वह भी अपने अधीन ऐसी संस्थाओं को इसी प्रकार के अनुदेश जारी करे।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 2 सितम्बर, 1970 का कार्यालय ज्ञापन सं० 27(4)(iii)/70-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—चयन बोर्डों तथा विभागीय समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समिति की चौथी रिपोर्ट की सिफारिश सं० 14 और 36

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति ने अपनी चौथी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।

सिफारिश सं० 14

".....सभी चयन बोर्डों अथवा भर्ती प्राधिकारियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कम से कम एक सदस्य सम्मिलित होना चाहिए"।

सिफारिश सं० 36

"समिति अनुभव करती है कि इन विभागीय समितियों (पदोन्नति चयन आदि) को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा स्थापित की गई ऐसी प्रत्येक समिति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का अधिकारी भी शामिल करना चाहिए"।

समिति की उपर्युक्त सिफारिश पर विचार किया गया है। इन विभागीय पदोन्नति समितियों, चयन बोर्डों या भर्ती प्राधिकारियों का गठन सामान्यतया उस पद या

उन पदों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिनके लिए भर्ती या पदोन्नति की जानी है, उचित स्तर तथा अनुभव वाले विभागीय अधिकारियों में से किया जाता है, इसलिए उनमें अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को सम्मिलित करना पूर्णतया संभव नहीं हो सकेगा। तथापि, मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि अपने पदों/सेवाओं में भर्ती या पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों और चयन बोर्डों आदि में अधिकारियों का नामांकन करते समय यथासंभव समिति की उपर्युक्त सिफारिशें ध्यान में रखें।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 2 सितम्बर, 1970 का कार्यालय ज्ञापन सं० 27/4/(iv)/70-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय:—किसी अन्य स्थान पर नौकरी के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के आवेदन पत्र भेजना—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित संसदीय समिति की चौथी रिपोर्ट की सिफारिश सं० 30

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति ने अपनी उपर्युक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

सिफारिश सं० 30 (पैरा 2.109)

"समिति ने यह नोट किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अग्रेषित करने के सम्बंध में गृह मंत्रालय के आदेशों में यह व्यवस्था की गई है की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी तथा स्थायी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के किसी अन्य स्थान पर नौकरी के लिए आवेदन पत्र कुछ आपवादिक अवस्थाओं को छोड़कर जिनमें लोकहित की दृष्टि से ऐसे आवेदन पत्रों को रोकना नितांत आवश्यक हो, तुरन्त आगे प्रेषित किए जाएं। समिति चाहती है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों पर जोर डालें कि नौकरी के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अस्थायी या स्थायी कर्मचारियों को आवेदन पत्र सामान्यतया आगे प्रेषित करने चाहिए। जिन मामलों में आवेदन पत्र आगे प्रेषित न किए जा सकें उनके बारे में गृह मंत्रालय को लिखा जाए"।

इस संबंध में गृह मंत्रालय के तारीख 19-3-1964 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/6/64-एस०सी०टी० (1) में उल्लिखित आदेशों की ओर ध्यान दिलाया जाता है प्रति संलग्न है । यह निर्णय किया गया है कि यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के आवेदन पत्र लोकहित की दृष्टि से विवश परिस्थितियों के कारण अग्रेषित न किए जा सकते हों । प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग या विभागाध्यक्ष के अधीन कार्यालयों में नामित संपर्क अधिकारी को एक महीने के अन्दर ऐसे मामलों की सूचना देनी चाहिए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 21 सितम्बर, 1971 का का० ज्ञा० सं० 8/12/71-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के संबंध में भर्ती नियमावली में व्यवस्था ।

गृह मंत्रालय/कार्मिक विभाग ने, समय-समय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में विभिन्न आदेश जारी किये हैं । परन्तु विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए बनाए गए भर्ती नियमों जो कि सांविधिक नियम हैं कुछ मामलों में सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का हवाला नहीं है । इस बारे में, भर्ती नियमों में समुचित व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया गया है । आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसार सभी सेवाओं/पदों के भर्ती नियमों में निम्न प्रकार का एक अलग नियम होना चाहिए ।

> "व्यावृत्ति—इस नियम में दी गई किसी भी बात से केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस बारे में समय-समय पर जारी किये गए आदेशानुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दिए जाने वाले आरक्षणों और दी जाने वाली अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा" ।

जब तक ड्राफ्टसमैन विशेष नियमों के संदर्भ में अन्य स्थान को अधिक उपयुक्त न समझें ऐसे नियम को साधारणतया नियमावली के अन्त में ही रखना होगा ।

2. यदि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आदि के उम्मीदवारों के मामले में सामान्य तौर पर या आयु के बारे में आरक्षणों/रियायतों के संबंध में: किन्हीं भर्ती नियमों में कोई व्यवस्था हो, तो गृह मंत्रालय के स्थान पर केन्द्रीय सरकार लिखा जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 19 अक्तूबर, 1971 का का० ज्ञा० सं० 8/12/71-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—विभिन्न सेवाओं के लिए परीक्षा लेने संबंधी विनियम—अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में निर्धारित योग्यता स्तरों में छूट देने संबंधी उपबन्ध में संशोधन ।

वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान, गृह मंत्रालय के तारीख 25 जुलाई, 1970 के का० ज्ञा० सं० 1/1/70-स्था० (एस०सी०टी०) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि (परीक्षा से या अन्यथा) सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों/सेवाओं में यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य योग्यता स्तर के आधार पर उक्त उम्मीदवार काफी संख्या में उपलब्ध न हों तो, उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिये उन समुदायों के उम्मीदवारों को चुना जा सकता है । बशर्ते कि उन्हें ऐसे पदों पर सेवाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्त न पाया गया हो । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए निर्धारित योग्यता स्तरों में छूट देने संबंधी भर्ती नियमों/परीक्षा-विनियमों के विभिन्न उपबन्धों में संशोधन किया जाए ताकि उनके योग्यता स्तरों में छूट देने के लिए 25 जुलाई, 1970 के उपर्युक्त का० ज्ञा० में उल्लिखित मानदंड शामिल किये जा सकें । इसलिऐ यह सुझाव है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए योग्यता स्तरों में छूट देने के लिए परीक्षाओं संबंधी भर्ती नियमों/विनियमों में मौजूदा उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए ।

> "अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में से किसी भी जाति के उम्मीदवारों की, सामान्य योग्यता स्तर के अनुसार न भरी जा सकने वाली आरक्षित रिक्तियों की संख्या के अनुसार, आरक्षित कोटे की कमी को पूरा करने के लिए आयोग योग्यता स्तर में छूट देकर उनकी सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि परीक्षा में इन उम्मीदवारों के गुण क्रम का ध्यान रखे बिना, उन्हें पद/सेवा के लिए अनुपयुक्त न पाया गया हो" ।

यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती नहीं की जाती, तो उपर्युक्त उपबन्ध में संशोधन करके आयोग के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी लिखा जाए । वित्त मंत्रालय से यथावश्यकता भर्ती नियमावली/अधिनियमों में ऊपर दिए अनुसार संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध है ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 15 नवम्बर, 1971 का का० ज्ञा० सं०1/9/69-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ।

वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान गृह मंत्रालय के तारीख 26 मार्च, 1970 के का० ज्ञा० सं० 1/9/69-स्था०(एस०सी०टी०) के पैरा 3 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रथम श्रेणी की सेवा/पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए संस्थानात्मक प्रशिक्षण और सेमिनारों/परिसनारों/सम्मेलनों में शामिल होने के वास्ते अधिक अवसरों की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रथम श्रेणी के बड़े पदों के लिए उनके चयन की अधिक सम्भावनायें हो सकें । यह व्यवस्था की गई थी कि उनके काम में सुधार लाने के लिए उनके आसन्न अधिकारियों की यह विशेष जिम्मेदारी होगी कि वे उन्हें सलाह दें और उनका मार्गदर्शन करें ।

2. अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षणार्थ किये जाने वाले प्रबन्धों के सामान्य प्रश्न पर विचार किया गया है और निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया गया है :—

(I) प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीधे भर्ती किये गये प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ऐसी सहायता चाहने वाले अन्य अधिकारियों के साथ, यथावश्यकता अधिक गहन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए ।

(II) मंत्रालयों/विभागों को चाहिए कि वे विभिन्न विभागों और प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का काफी बड़ी संख्या में नामांकन करें । उन्हें ऐसी समयावधि निर्धारित कर देनी चाहिए, जैसे 3 वर्ष, जिसके अन्दर-अन्दर उपयुक्त क्षेत्रों में ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा हो जाना चाहिए । विभिन्न संस्थाओं में ऐसे अधिकारियों के प्रशिक्षणार्थ एक प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । मंत्रालयों/विभागों को चाहिए कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को समझ कर यह निश्चय कर ले कि किन-किन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इन अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है । निर्धारित योग्यता स्तरों में ढील

देकर पदोन्नति के लिए चुने गए ऐसे अधिकारियों के प्रशिक्षण की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि वे अच्छा कार्य कर सकें । कार्मिक विभाग का प्रशिक्षण प्रभाग, यथावश्यकता समुचित कार्यक्रमों के लिए सुझाव या सलाह देने के संबंध में भी सम्भव सहायता देगा ।

(III) ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय, मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिक से अधिक अधिकारियों को उनमें शामिल करने के लिए काफी गुंजाइश रखनी चाहिए । जहां भी संभव हो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के लिए 25 प्रतिशत स्थान रखना उपयोगी होगा । यदि किसी विशेष कार्यक्रम में ऐसा करना मुश्किल हो, तो ऐसे अधिकारियों को अगले पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया जाए या उनके लिए विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था भी की जा सकती है ।

विदेशों में चलने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को शामिल करना भी लाभदायक होगा । इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक होगा और उन्हें विशेष ज्ञान की भी उपलब्धि होगी । सम्भवतया, इससे इन समुदायों के अधिकारियों का मनोबल भी बढ़ेगा ।

(IV) प्रशिक्षण संगोष्ठियों और सम्मेलनों आदि में शामिल होने के लिए अधिकारियों को नामांकित करते समय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को तरजीह दी जाए ।

(V) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के बड़े अफसरों को, इन अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के बारे में विशेष ध्यान रखने, विशेष प्रशिक्षण के लिए आवश्यक समझे गए क्षेत्रों का पता लगाने और विभाग के प्रशिक्षण समन्वयकारी अधिकारी तथा कार्मिक विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग के परामर्श से ऐसे प्रशिक्षण के लिए समुचित उपाय करने हेतु कहा जाये ।

3. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णयों को सभी संबंधितों के ध्यान में लायें और सुनिश्चित करें कि इन निर्णयों का अनुपालन ध्यानपूर्वक तथा शीघ्र होगा ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक विभाग का तारीख 2 मार्च, 1972 का का० ज्ञा० सं० 28/8/72-स्था० (एस०सी०टी०) ।

विषय :—प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां—परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को ऐसी रिक्तियों की सूचना देने संबंधी कार्यविधि ।

जैसा कि वित्त मंत्रालय आदि को ज्ञात है कि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से भरी जाने वाली रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये की गई है । यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग और सचिवालय प्रशिक्षण एवम् प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं नियमित रूप से समय-समय पर समाचार पत्रों में समुचित रूप से विज्ञापित की जाती हैं, तथापि मंत्रालयों/कार्यालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के बारे में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के पास आमतौर पर ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं होती । प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने और मंत्रालयों/कार्यालयों के साथ उनका मेल बिठाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं लेने वाले प्राधिकारियों को चाहिए कि वे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों (जिसकी सूची संलग्न है) को परीक्षा की वास्तविक तारीख आरक्षित रिक्तियों की अनुमानित संख्या और परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा स्तर के बारे में काफी समय पहले ही सूचित करें । इससे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षण संबंधी योजनाएं तैयार करने में मदद मिलेगी, जिन्हें ऐसी परीक्षाओं के साथ समन्वित कर दिया जाएगा जिसके फलस्वरूप, आरक्षित रिक्तियों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में सुधार होगा ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन हिदायतों को अपने अधीनस्थ सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के ध्यान में लायें ।

अनुबन्ध

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची

क्र० सं०	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	केन्द्र का नाम और पता
		राज्य स्तर के केन्द्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बैजारा, हिल्स रोड नं० 012, हैदराबाद ।
2.	बिहार	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबादी रोड, रांची ।
3.	दिल्ली	अनुसूचित जाति परीक्षा पूर्व शिक्षण केन्द्र, डी-61/32 रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-5 ।
4.	हरियाणा	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, गवर्नमेंट पालीटेकनिक, पटियाला हाउस, अम्बाला शहर ।
5.	केरल	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, देवान्स रोड, मिल्सलेन, एर्नाकुलम, कोचीन-16 ।
6.	मध्य प्रदेश	परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, लाल बहादुर शास्त्री इन्स्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (निकट पुराना सचिवालय), भोपाल ।
7.	मैसूर	नेशनल कॉलेज, बासवनगुडी, बंगलौर-4 ।
8.	पंजाब	प्रादेशिक आई०ए०एस० आदि परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, आर्टस ब्लाक 3, दूसरी मंजिल पंजाबी विश्वविद्यालय कैम्पस, पटियाला ।
9.	उड़ीसा	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, रेवनशा कालेज, कटक-3 ।
10.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, 8-बी, बन्द रोड, अल्लुगंज, इलाहाबाद-2 ।
11.	पश्चिमी बंगाल	डब्ल्यू०बी०सी०एस० परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, मौलाना आजाद कालेज, कलकत्ता-13 ।

क्र० सं०	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	केन्द्र का नाम और पता
12.	गुजरात	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, छठी मंजिल, पंचायत भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद ।

अखिल भारतीय केन्द्र

(आई०ए०एस० आदि के लिए सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा)

1.	उत्तर प्रदेश	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अखिल भारतीय सेवा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, 40-डी मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद विश्वविद्यालय: इलाहाबाद ।
2.	तमिल नाडु	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, 22 माउंट रोड, वेस्ट सी-II, नगर, मद्रास-35.

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 10 दिसम्बर, 1973 का का०ज्ञा० सं०1/1/73-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षणार्थ प्रबन्ध ।

मुझे इस विभाग के तारीख 15 नवम्बर, 1971 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/9/69-स्था०(एस०सी०टी०) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षणार्थ किये गए उपायों का ब्यौरा दिया गया है । उपर्युक्त का०ज्ञा० में दूसरी बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि मंत्रालयों/विभागों को चाहिए कि वे विभिन्न विभागों और प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की काफी अधिक संख्या का नामांकन करें । उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को विदेशों में चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जाए तो उपयोगी होगा । उक्त कार्यालय ज्ञापन में यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रशिक्षण, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए अधिकारियों को प्रायोजित करते समय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को तरजीह दी जाए । अब यह अनुरोध है कि विभिन्न विभागों और प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों या विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण, संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए अधिकारियों को नामांकित करते समय, वित्त मंत्रालय आदि यह उल्लेख करें कि नामांकित अधिकारियों में से कौन कौन अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के है, ताकि चयन के समय, संबंधित अधिकारी उन के मामलों पर भली भांति विचार कर सकें ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से भी अनुरोध है कि वे प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के प्रयोजन के बारे में अपने विभागीय अध्यक्षों को उपर्युक्त प्रकार की हिदायतें जारी करें ताकि उपर्युक्त अधिकारी चयन के समय अनुसूचित जातियों/जनजातियों के मामलों पर समुचित रूप से विचार कर सकें ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 8 अप्रैल, 1974 का का०ज्ञा०सं० 16/1/74-स्था०(एस०सी०टी०)

विषय :—चयन बोर्डों और विभागीय समितियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिनिधित्व ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के तारीख 2 सितम्बर, 1970 के का०ज्ञा०सं०27(4)(iii)/70-स्था०(एस०सी०टी०) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है

कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने अपनी 1970-71 वर्ष की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की हैं :—

सिफारिश सं० 58

"यह सुझाव है कि कार्मिक विभाग अपने 2 सितम्बर, 1970 के आदेशों का स्पष्टीकरण जारी करें, जिसमें मंत्रालयों/विभागों को, उस मामले में अन्य मंत्रालयों/विभागों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक उपयुक्त अधिकारी को सम्बद्ध करने का आदेश दिया गया है, जहां स्वयं किसी विशेष मंत्रालय/विभाग में इस प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नहीं है।"

इस सम्बन्ध में मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के तारीख 29 जनवरी, 1973 का का०ज्ञा०सं०1/9/72-स्थापना (घ), की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि श्रेणी-III या श्रेणी-I के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का अध्यक्ष एक ऐसा अधिकारी हो जो पर्याप्त रूप से उच्च स्तर का हो और समिति का एक ऐसा सदस्य उस विभाग से संबंधित न हो, जिसमें पदोन्नतियां की जा रही हैं। समिति का एक सदस्य चूंकि ऐसा होना चाहिए जो किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से संबंधित हो, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि तारीख 2-9-1970 के उक्त का०ज्ञा० की व्यवस्था के अनुसार जिन विभागीय पदोन्नति समितियों के अधिकारियों का नामांकन करते समय मंत्रालय/विभाग में ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी उपलब्ध न हो तो जहां तक संभव हो, अन्य मंत्रालय/विभाग से ऐसे अधिकारी के नामांकन किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

सभी मंत्रालयों को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 18 अप्रैल, 1974 का का०ज्ञा०सं०16/4/74-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी-I के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1970-71 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 53

"जैसा कि 26 मार्च, 1970 में जारी किए गए गृह मंत्रालय के आदेशों में दिया गया है मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों

के श्रेणी-I के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए अधिक संख्या में भेजने और उन्हें अध्ययन गोष्ठियों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में अधिक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिए।"

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तारीख 15 नवम्बर 1971 के का०ज्ञा०संख्या 1-9-69-स्थापना (एस०सी०टी०) तथा तारीख 10 दिसम्बर, 1973 के का०ज्ञा०सं० 1/1/73 के साथ पठित गृह मंत्रालय के तारीख 26 मार्च 1970 के का० ज्ञा० संख्या 1/9/69-स्थापना (एस०सी०टी०) के अनुसार पहले से ही आदेश है जिसके अनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी-I के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजना तथा गोष्ठियों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों आदि में शामिल किया जाना अपेक्षित है। इन हिदायतों को मंत्रालयों/विभागों की सूचना में फिर से लाया जाता है और उनसे अनुरोध है कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की उपर्युक्त सिफारिश को ध्यान में रखें और ये सुनिश्चित करें कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए नामांकित करते अथवा उन्हें अध्ययन गोष्ठियों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि में शामिल करते समय उनके मामलों पर सहानुभूति से विचार किया जाए।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 23 मई, 1975 का का०ज्ञा०सं०एफ 16/1/74-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—चयन (सेलेक्शन) बोर्डों और विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का प्रतिनिधित्व।

मुझे इस विभाग के तारीख 2 सितम्बर, 1970 के का० ज्ञा० सं० 27(4)(III)/70-स्थापना (एस०सी०टी०) की ओर ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिसमें मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि उनके अधीन पदों/सेवाओं पर भर्ती/पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों, चयन बोर्डों आदि में अधिकारियों का नामांकन करते समय यथासंभव अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संसदीय समिति की चौथी रिपोर्ट में इस संबंध में की गई सिफारिश संख्या 14 और 36 को ध्यान में रखें। इन अनुदेशों को मंत्रालयों/विभागों आदि के ध्यान में दुबारा लाया जाता है। अनुरोध है कि वे अपने अधीन विभिन्न पदों/सेवाओं के लिए गठित चयन बोर्डों और विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के यथासंभव अधिक से अधिक अधिकारियों

को नामांकित करने का प्रयत्न करें । खासतौर पर, जब एक ही समय में अधिक संख्या में रिक्तियों अर्थात 30 या उससे अधिक रिक्तियों के लिए चयन किया जाना है, तब चयन बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के अधिकारियों को शामिल करने के लिए पूरे पूरे प्रयत्न किए जाने चाहिए ।

2. श्रेणी-III और IV पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों का ध्यान उपर्युक्त अनुदेशों के अलावा इस विभाग के तारीख 8 अप्रैल 1974 के कार्यालय ज्ञापन सं० 16/1/74-स्था०(एस०सी०टी०) में दिये गए अनुदेशों की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि क्योंकि श्रेणी-III या श्रेणी-IV पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों में से एक सदस्य अन्य मंत्रालय/विभाग का अधिकारी होना अपेक्षित है, उसी मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जाति/जन जाति का अधिकारी उपलब्ध न होने पर उसे दूसरे मंत्रालय/विभाग से अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारी को विभागीय पदोन्नति समिति में नामांकित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 17 नवम्बर, 1975 का का०ज्ञा०सं०9/10/72-स्था०(घ)

विषय :—केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का स्थायीकरण इस विषय में अनुदेश कि क्या किसी ग्रेड में स्थायीकरण भर्ती नियमों में विहित भर्ती के विभिन्न तारीखों से निर्धारित कोटे के अनुसार किया जाए या संबंधित ग्रेड में वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जाए ।

जैसा कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को विदित है, गृह मंत्रालय के तारीख 16 मई, 1959 के का०ज्ञा०सं०1/9/58-आर०पी०एस० के पैरा I(क) (घ) के अनुसार यदि सीधी भर्ती द्वारा लिये गए व्यक्तियों तथा विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों के स्थायीकरण के मामले विभागीय पदोन्नति समिति को एक साथ ही भेजे जाएं, तो उस समिति को भर्ती नियमों में निर्धारित कोटे के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा लिये गए व्यक्तियों तथा विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों के स्थायीकरण के लिये उपलब्ध स्थायी रिक्तियों की संख्या सूचित की जाए ताकि वह समिति सीधी भर्ती द्वारा लिये गए व्यक्तियों और विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग अपेक्षित संख्या के अनुसार सिफारिश कर सके । दूसरे शब्दों में, भर्ती नियमों के प्राख्यापन की तारीख के बाद स्थायीकरण के लिए, उन नियमों में निर्धारित कोटे के अनुसार ही स्थायीकरण करना आवश्यक था । चूंकि उपर्युक्त सिद्धान्त को अपनाने के

परिणाम स्वरूप, भर्ती नियमों के प्राख्यापन से पहले नियुक्त किये गए व्यक्तियों की वरिष्ठता अस्त व्यस्त हुई, इसलिए बाद में गृह मंत्रालय के तारीख 27 दिसम्बर 1963 के का०ज्ञा० संख्या 12/10/63-स्था०(च) द्वारा अनुदेश जारी किये गए कि भर्ती नियमों के प्राख्यापन के बाद स्थायीकरण अनिवार्यता भर्ती नियमों में विहित कोटे के अनुसार ही किया जाए । लेकिन यदि भर्ती नियमों के प्राख्यापन से पहले भर्ती किये गए व्यक्तियों का स्थायीकरण करने में विहित कोटे में कोई छूट देनी हो, तो इस आशय का एक अपवाद अनुबन्ध नियमों में ही शामिल करना आवश्यक होगा ।

2. इस विभाग की जानकारी में ऐसे उदाहरण आए हैं, जहां संबंधित भर्ती नियमों में सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित कोटे के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा लिये गये व्यक्तियों और विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों आदि के परिणामस्वरूप प्राय: उनकी वह वरिष्ठता अस्त व्यस्त हो जाती है जो उनकी उस ग्रेड में मूलत: भर्ती/पदोन्नति के समय निर्धारित की गई थी । जबकि किसी कारणवश (अर्थात् सेवा निवृत्ति, त्याग-पत्र, मृत्यु आदि) कोई सीधी भर्ती द्वारा लिए गये व्यक्ति अथवा पदोन्नत व्यक्ति को संबंधित ग्रेडों में नियुक्ति समाप्त हो जाती है । विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) से परामर्श लेकर इस विभाग में इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या किसी ग्रेड में स्थायीकरण, तत्संबंधी भर्ती नियमों में विहित भर्ती के विभिन्न तारीखों के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार किया जाए या संगत वरिष्ठता सूची में दर्शायी गई संबंधित व्यक्तियों की वरिष्ठता के अनुसार किया जाए । यह निर्णय लिया गया है कि जब एक बार किसी ग्रेड में सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार नियुक्त विभिन्न व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारित कर दी गई हो तो उस ग्रेड में उनका स्थायीकरण संबंधित भर्ती नियमों में सीधी भर्ती, पदोन्नति आदि के लिए विहित कोटे का ध्यान किये बिना, उनकी वरिष्ठता क्रम से किया जाए । परन्तु इस निर्णय का प्रभाव इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य व्यक्तियों के विशिष्ट वर्गों को दिये जाने वाला आरक्षण और अन्य रियायतों पर पड़ेगा ।

3. ये अनुदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे और इस आदेश के जारी होने की तारीख से पहले किये गये स्थायीकरण की समीक्षा नहीं की जाएगी । तथापि, जहां विभागीय पदोन्नति समिति ने संबंधित व्यक्तियों के स्थायीकरण के लिए अनुमोदन कर दिया हो, परन्तु उसके स्थायीकरण आदेश वास्तव में जारी न किये गये हों, वहां उपर्युक्त निर्णय की दृष्टि में उनकी समीक्षा की जा सकती है ।

4. भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों को अपने सम्बन्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 3 अप्रैल, 1976 का का० ज्ञा० संख्या एफ०16/32/74-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—विदेशों में तैनाती के लिए चयन करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के मामले पर विचार ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त ने वर्ष 1971-73 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या : 85

"विदेश में नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के दावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए ताकि वे विदेश स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर सकें । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए दो वर्ष तक किसी देश में रहना, अपने आप में, एक उपयोगी अनुभव होगा जिससे उन्हें व्यापक दृष्टिकोण बनाने और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उन्नति करने में बहुत सहायता मिलेगी । संघ के पूर्ति विभाग ने लंदन और वाशिंगटन स्थित भारतीय पूर्ति मिशन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने के बारे में विचार करते समय उनके स्तरों में कुछ छूट देने का निर्णय किया है । विदेशों में तैनाती के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सरकारी कर्मचारियों के स्तरों में छूट देने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को भारत सरकार से संबंधित अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ मामला उठाना चाहिए ।"

इस सिफारिश पर विचार किया गया है । हालांकि इस मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सरकारी कर्मचारियों को छूट देने के लिए कोई विशेष मापदण्ड निर्धारित करना संभव नहीं होगा, लेकिन मुझे सभी मंत्रालयों को यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि जब कभी उन्हें अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों को विदेश स्थित यूनिटों में तैनात करना हो, तो इस प्रकार की तैनाती के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के पात्र कर्मचारियों के मामलों पर भी अन्य कर्मचारियों के मामलों के साथ विचार किया जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 28 मई, 1976 का का० ज्ञा० संख्या 36022/5(I)/76-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों को लागू करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में से सैल-मंत्रालय/विभाग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट में सैल के क्रिया-कलापों को महत्व देना—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की 41 वीं रिपोर्ट में सिफारिश सं०32—

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अपनी 41 वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 32 (पैरा 4-21)

"समिति चाहती है कि मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्टों में कार्यान्वयन सैल के क्रियाकलापों को महत्व दिया जाए।"

सरकार ने उपरोक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है। इस संबंध में इस विभाग के तारीख 19 अप्रैल, 1969 के का० ज्ञा० संख्या 27/22/68-स्था० (एस०सी०टी०) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें वित्त मंत्रालयों आदि से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के लिए समय-समय पर जारी किए गए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों में संपर्क अधिकारी के सीधे नियंत्रणाधीन सैल स्थापित करने के लिए अनुरोध किया गया है। इस विभाग के तारीख 3 सितम्बर 1970 के का०ज्ञा० संख्या 27/4(I)/70-स्था०(एस०सी०टी०) के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति की चौथी रिपोर्ट की सिफारिश सं० 5 में अन्य बातों के साथ साथ यह भी कहा गया है कि सैल के क्रियाकलापों के बारे में एक टिप्पणी सम्बध्द मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में भी सम्मिलित की जाए, यह बात कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में लाई गई समिति की 41 वीं रिपोर्ट में उल्लिखित उपर्युक्त सिफारिश अब मंत्रालयों/विभागों की जानकारी में इस अनुरोध सहित लाई जाती है कि कार्यान्वयन सैल के क्रियाकलापों को उनकी वार्षिक रिपोर्टों में भी महत्व दिया जाए।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों के बारे में भी इस प्रकार की कार्रवाई करें।

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का सभी मंत्रालयों आदि को भेजा गया तारीख 14 सितम्बर, 1976 का का०ज्ञा० संख्या 36022/13/76-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति की 41 वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिश संख्या-2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या 21 (पैरा 2-36)

"समिति ने नोट किया है कि मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए है कि यदि निर्धारित योग्यता स्तर में छूट देने के बाद भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार उतनी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होते जिससे उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरा जा सके, तो प्राधिकारियों को उन पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षित योग्यता रखने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों में से सबसे अच्छे उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए चयन कर लेना चाहिए और उन्हें अपने कार्यालयों में ही सेवाकालीन-प्रशिक्षण देना चाहिए । समिति सरकार द्वारा किये गए प्रयत्नों की सराहना करती है । उनकी इच्छा है कि सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रतिपादित प्रशिक्षण योजनाओं की रूपरेखाएं बना ली जाएं ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अधिक से अधिक लाभ उठा पायें । कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की भी समय-समय पर जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशिक्षण के स्वरूप के बारे में कुछ एकरूपता हैं । कार्मिक तथा प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा भी की जानी चाहिए । समिति को आशा है कि प्रशिक्षण योजनाओं को तैयार करते समय मंत्रालय/विभाग आगामी, पांच वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए होने वाली रिक्तियों का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे । संवर्ग समीक्षा समितियों द्वारा प्रारंभ की जाने वाली अनुवर्ती

योजना बनाते समय ऐसी नौकरियों की आवश्यकताओं का भी अनुमान होना चाहिए, जिनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाएं जाने हैं।"

इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के तारीख 21-4-1970 के का०ज्ञा० संख्या 27-2-70-स्था० (एस०सी०टी०) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों को जिनका विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित योग्यता स्तरों में छूट देकर चयन किया जाता है, अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे अन्य उम्मीदवारों के स्तर पर आ सकें। गृह मंत्रालय के तारीख 24-9-1968 के का० ज्ञा० संख्या 24-7-67-(I) -स्था० (एस०सी०टी०) में दिये गए अनुदेशों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें यह व्यवस्था है कि लिखित परीक्षा के माध्यम को छोड़कर अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के गैर-तकनीकी और अर्ध-तकनीकी पदों पर यदि निर्धारित योग्यता स्तरों में अनूसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए स्वीकृत छूट देने पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उक्त समुदायों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो, तो प्राधिकारी आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों में से सबसे अच्छे उम्मीदवारों का चयन कर लें, और इस प्रकार चुने गए उम्मीदवारों को पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए, और प्रशासन में दक्षता बनाये रखने के लिए सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी उनके कार्यालयों में ही सेवाकालीन प्रशिक्षण दें।

2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति की उपर्युक्त पैरा-I में दी गई सिफारिश पर विचार किया गया है और सरकार ने उसे मान लिया है। वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य ऐसे विशेष कार्यक्रम तैयार करे जिनमें समिति के सुझाव के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सके। कार्यक्रम तैयार करते समय मंत्रालयों/विभागों से विशेष रूप से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पैरा-I में दिये गए समिति के विचारों को ध्यान में रखे। यदि मंत्रालयों/विभागों को कोई आवश्यकता हुई तो इस विभाग का प्रशिक्षण प्रभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में तकनीकी सहायता देगा और जब कभी आवश्यकता हुई, इस प्रकार के प्रशिक्षण-कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा करेगा।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 7-6-1977 का का०ज्ञा० संख्या 36013/1/77-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सांख्यिकीय सूचना का मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल किया जाना ।

मुझे इस विभाग के तारीख 19 अप्रैल, 1969 के का०ज्ञा० संख्या 27/22/68-स्था० (एस०सी०टी०) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसमें वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध किया गया था कि वे समय-समय पर जारी किये गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क अधिकारियों के सीधे नियंत्रण में मंत्रालय के अन्तर्गत एक सैल स्थापित करें । इस विभाग के तारीख 3 सितम्बर, 1970 के का०ज्ञा० सं० 27/4(i)/70-स्था० (एस०सी०टी०) में, वित्त मंत्रालय आदि से अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सैल के क्रियाकलापों पर एक टिप्पणी शामिल करने के लिए अनुरोध किया गया था । इसके अलावा, इस विभाग के तारीख 28 मई, 1976 के का०ज्ञा० संख्या 36022/5(i)/76-स्था० (एस०सी०टी०) में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति की 41वीं रिपोर्ट की सिफारिश संख्या 32 मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाई गई थी जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वे वार्षिक रिपोर्टों में कार्यान्वयन सैल के कार्यकलापों पर प्रकाश डालें ।

2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त, ने अपनी वर्ष 1973-74 की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है ।

> "यह आवश्यक है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी आकड़े संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में प्रकाशित किये जाएं ।"

सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश मान ली है और उसे कार्यान्वयन के लिए मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया गया है । मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी शामिल किये जाने वाले आंकड़ों में परिशिष्ट 8 और 9 की सूचना भी शामिल की जानी चाहिए जो कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का समेकित रूप में प्रति वर्ष भेजी जानी अपेक्षित है । परिशिष्ट 8 और 9 निम्नलिखित से सम्बद्ध हैं :—

परिशिष्ट 8 : वर्ष की पहली जनवरी को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या दिखाने वाला विवरण ।

परिशिष्ट 9 : किसी कैलेण्डर वर्ष के दौरान की गई भर्ती और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या दिखाने वाला विवरण ।

वार्षिक रिपोर्ट में अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित पूरे मंत्रालय/विभाग के बारे में समेकित सूचना के अलावा विभागाध्यक्ष के अधीन प्रत्येक संगठन/स्थापना संबंधी सूचना शामिल करना उपयोगी होगा । सांविधिक और अर्ध-सरकारी निकायों तथा मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में भी इसी प्रकार की सूचना वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की जाए ।

सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को भेजा गया कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 7-3-1978 का का०ज्ञा० संख्या 36011/9/76-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए आयु सीमा में छूट—भर्ती नियमों में उपबन्ध ।

मुझे इस विभाग के तारीख 14-7-1976 के का०ज्ञा० संख्या 36011/9/76-स्था० (एस०सी०टी०) की ओर ध्यान दिलाने का निदेश हुआ है जिसमें मंत्रालयों/विभागों आदि से उनके अधीन पदों के भर्ती नियमों की समीक्षा करने को कहा गया था, ताकि जहां कहीं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के बारे में आयु सीमा की छूट सम्बन्धी आवश्यक शर्तें पहले शामिल नहीं की गई थीं, उनमें उन्हें शामिल कर लिया जाए । कुछ मंत्रालयों/विभागों ने बताया कि तारीख 21-9-71 के का०ज्ञा० संख्या 8/12/71-स्था० (एस०सी०टी०) में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, आरक्षण आदेशों की सीमा में आने वाले सभी पदों/सेवाओं के भर्ती नियमों में शामिल किये जाने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण और अन्य रियायतों सम्बन्धी अपवाद खण्ड (सेविंग क्लाज) को ध्यान में रखते हुए भर्ती नियमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु सीमा में छूट सम्बन्धी अलग परन्तुक रखना आवश्यक नहीं है । इस मामले पर विचार किया गया है और इस विभाग के तारीख 14-7-1976 के का०ज्ञा० संख्या 36011/9/76-स्था० (एस०सी०टी०) में दिये गए अनुदेशों

में संशोधन करते हुए अब यह निर्णय किया गया है कि भर्ती नियमों में शामिल किया गया उपर्युक्त अपवाद खण्ड पर्याप्त होगा और आयु सीमा में छूट सम्बन्धी एक अलग परन्तुक जोड़ना आवश्यक नहीं हैं । लेकिन, इस विभाग के तारीख 21-9-71 के का०ज्ञा० संख्या 8/12/71-स्था० (एस०सी०टी०) में विहित मौजूदा अपवाद खण्ड में "आयु सीमा में छूट" शब्दों को जोड़ कर उसे इस प्रकार बढ़ा दिया जाए ।

अपवाद व्यावृत्ति :—इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में दी जाने वाली छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2. इसके बाद जो कोई भर्ती नियम बनाये जाएं तथा जब भी मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन किया जाना हो, उनमें उपर्युक्त विस्तृत अपवाद खण्ड सम्मिलित कर लिया जाए । नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा विशिष्ट वर्गों के उम्मीदवारों पर विचार करते हुए इन समुदायों के उम्मीदवारों को स्वीकृत आयु सीमा की छूट सहित विभिन्न रियायतों को हमेशा ध्यान में रखें ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 4-9-1978 का कार्यालय ज्ञापन सं० 36013/18/77-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समूह (क) (श्रेणी-I) के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रबन्ध—अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के आयुक्त की वर्ष 1973-74 की रिपोर्ट में सिफारिश संख्या 56.

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने वर्ष 1973-74 की रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

"भारत सरकार ने प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत तरक्की पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए अभी तक आदेश जारी नहीं किये हैं । परन्तु ऐसे अनुदेश हैं जिनके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को संस्थाओं में प्रशिक्षण और सेमिनारों/परिसंवादों/

सम्मेलनों आदि में शामिल होने के लिए और अधिक मौके दिए जाएं जिससे कि वे प्रथम श्रेणी के उच्च पदों पर चुने जाने के अपने मौकों का लाभ उठा सकें । यह देखा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के प्रशिक्षण का चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करने और तीन वर्ष की प्रस्तावित अवधि में ऐसे कार्यक्रम को पूरा करने की जरूरत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 25 प्रतिशत तक सीटें निर्धारित करने के संबंधित अनुदेशों पर उसी उत्साह के साथ अमल नहीं किया गया जिस उत्साह के साथ ये जारी किये गये थे । इसलिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दी जाये कि सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिये पहले से जो अनुदेश जारी किये हैं उसके लिए वे विशेष कदम उठायें ।"

इस सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय आदि का ध्यान इस विभाग के तारीख 15-11-1971 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/9/69-स्थापना (एस०सी०टी०), तारीख 10-12-1973 के का०ज्ञा० संख्या 1/1/73-स्थापना (एस०सी०टी०), तारीख 18-4-74 के का०ज्ञा० सं० 16/4/74-स्थापना (एस०सी०टी०) में दिये गये अनुदेशों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित श्रेणी-I (समूह-क) के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को ऊपर उद्धृत सिफारिश को सभी मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया जाता है और उनसे अनुरोध है कि वे इसे ध्यान में रखे और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समूह "क" (श्रेणी-I) के अधिकारियों की विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ऊपर निर्दिष्ट अनुदेशों की भावना के अनुसार ऐसे उपाय करे, जो आवश्यक समझे जाएं ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 6-8-1981 का का०ज्ञा० सं० 36011/30/81-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—जब मुख्य विधि के असफल होने पर सीधी भर्ती की पद्धति का सहारा लिया गया हो तो स्थायीकरण के समय आरक्षण आदेशों के लागू किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह पूछा गया है कि क्या स्थायीकरण के समय अनु०

जातियों/अनु० जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था ऐसे मामलों में भी करनी आवश्यक होगी जहां भर्ती नियमों में निर्धारित मुख्य विधि अर्थात् पदोन्नति के असफल होने के कारण सीधी भर्ती का सहारा लिया गया है । अब यह निर्णय किया गया है कि यदि भर्ती नियमों में क्रमश: पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के लिए विशिष्ट कोटे की व्यवस्था नहीं है और सीधी भर्ती का सहारा केवल तभी लिया गया है, जब पदोन्नति की मुख्य विधि असफल हो जाती है तो ऐसे मामलों में स्थायीकरण के समय अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए आरक्षण लागू नहीं होता । सीधी भर्ती के जो व्यक्ति भर्ती नियमों में जिसके असफल होने पर खण्ड के कारण नियुक्त किए जाते हैं वे पदोन्नत व्यक्तियों में अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी किए जाएंगे । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि ऐसे मामलों में सीधी भर्ती के लिए एक अलग रजिस्टर रखना होता है तो भी इस प्रकार की सीधी भर्ती वाले व्यक्ति आरक्षण का लाभ केवल नियुक्ति के समय ले सकेंगे और स्थायीकरण के समय नहीं । सीधी भर्ती के अन्य मामलों में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नियुक्ति तथा स्थायीकरण के दोनों अवसरों पर की जानी है ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस का०ज्ञा० की विषय वस्तु को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में ला दें ।

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 10-8-1981 का का०ज्ञा० संख्या 41013/16/80-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—विभागीय पदोन्नति समिति—विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी का शामिल किया जाना ।

कुछ समय पहले गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक में पदोन्नति के लिए विचार के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का प्रश्न विचार-विमर्श के लिए उठाया गया था । उस समय यह भी पाइन्ट उठाया गया था कि विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व सामान्यतया विभाग का ही कोई अधिकारी करता है, इसलिए वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अपने विचार निर्भीकता से व्यक्त करने में असमर्थ रहता है । इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि इस कमी को दूर किया जाना चाहिए ।

2. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच की गई है । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 2 सितम्बर, 1970 के कार्यालय ज्ञापन

संख्या 27/4(III)/70-स्था० (अनु०जा०) तथा दिनांक 23 मई, 1975 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/1/74-स्था० (अनु०जा०) में यह सुझाव दिया गया है कि मंत्रालय/विभाग अपने अधीन पदों/सेवाओं में भर्ती/पदोन्नतियों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति, चयन बोर्डों आदि का गठन करते समय जितना अधिक से अधिक हो सके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी को नामित करने का प्रयत्न करें। विशेष रूप से जब किसी चयन बोर्ड अथवा विभागीय पदोन्नति समिति को बड़ी संख्या में रिक्तियों अर्थात् एक समय में तीस अथवा इनसे अधिक के लिए, काफी लोगों का चयन करना हो तो चयन बोर्ड/विभागीय पदोन्नति समिति में शामिल करने के लिए, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को ढूंढने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। समूह 'ग' अथवा समूह 'घ' पद के लिए किसी विभागीय पदोन्नति समिति के संबंध में, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29 जनवरी, 1973 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/9/72-स्था०(घ) के अनुसार उक्त समिति का एक सदस्य ऐसे विभाग का कोई अधिकारी होना चाहिए, जिसका संबंध उस विभाग से न हो जिसमें पदोन्नतियों पर विचार किया जाना है। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 8 अप्रैल, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/1/74-स्था० (एस०सी०टी०) में यह व्यवस्था की गई है कि विभागीय पदोन्नति समिति में नामांकन के लिए मंत्रालय/विभाग में ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में, यथासंभव दूसरे मंत्रालय/विभाग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी को नामांकित करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. गृह मंत्रालय की परामर्श समिति में उठाए गए मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, अब यह निर्णय किया गया है कि जहां किसी विभागीय पदोन्नति समिति में सदस्य के रूप में बाहर के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है, वहां निर्विवाद रूप से वह सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई अधिकारी होना चाहिए तथा जहां यह व्यवहार्य न हो वहां केवल विभागीय पदोन्नति समिति में उसी विभाग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी नामित किया जाना चाहिए। जब विभागीय पदोन्नति समिति में नामांकन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी न तो बाहर के प्रतिष्ठानों से और न उस विभाग में ही उपलब्ध हो तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने से पहले उक्त विभागीय पदोन्नति समिति से सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के सम्पर्क अधिकारी से इस आशय का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए कि विभागीय पदोन्नति समिति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी को ढूंढने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, परन्तु कोई सफलता नहीं मिली है।

4. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इनके कड़ाई से अनुपालन के लिए इन्हें अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में भी लाएं ।

कार्मिक तथा प्र० सु० विभाग का दिनांक 29-8-1984 का का०ज्ञा० संख्या 36013/4/82-स्था० (अनु० जा०)

विषय :—भर्ती नियमों में व्यावृत्ति खण्ड की व्यवस्था किया जाना—अनु० जाति/अनु० जनजाति के आयुक्त की 26वीं रिपोर्ट की सिफारिश सं० 731 ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति आयुक्त ने वर्ष 1978-79 की अपनी 26वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश सं०-73

"हाल ही में कुछ उच्च न्यायालयों में ऐसे मामले आये हैं जिनमें सांविधिक भर्ती नियमों में संगत संशोधन किए बिना ही कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में किया गया आरक्षण का उपबन्ध समाप्त कर दिया गया था । यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के आरक्षण की वैधता का विरोध नहीं किया है बल्कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए आदेशों को इस तकनीकी आधार पर रद्द कर दिया है कि ये भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन जारी किए गए संगत नियमों के संशोधन द्वारा समर्थित नहीं है । अत: यह आवश्यक है कि आरक्षण तथा अन्य रियायतों आदि की व्यवस्था से संबंधित व्यावृत्ति खण्ड सभी भर्ती नियमों में शामिल कर दिया जाएं ताकि सांविधिक नियमों में ऐसे किसी उपबंध के अभाव में बाद में उत्पन्न होने वाली किसी परेशानी से बचा जा सके । जहां तक सेवाओं में आरक्षण का संबंध है, यदि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा भर्ती नियमों में व्यावृत्ति खण्ड लागू किए जाने के संबंध में सरकारी अनुदेशों का अनुपालन कर लिया जाता तो वास्तव में ऐसे प्रतिकूल निर्णयों से बचा जा सकता था ।"

2. इस संबंध में, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 21-9-71 के का०ज्ञा०सं० 8/12/71-स्था० (अनु० जा०) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें मंत्रालयों तथा विभागों से विभिन्न पदों के लिए निर्धारित भर्ती नियमों में व्यावृत्ति खण्ड

शामिल करने का अनुरोध किया गया था । स्पष्ट है कि अनुमानत: सभी मामलों में इस अनुदेश का पालन नहीं किया गया था जिससे अनु० जाति/अनु० जनजाति आयुक्त को यह सुझाव देना पड़ा कि मंत्रालयों तथा विभागों से अनुरोध किया जाए कि वे अपने भर्ती नियमों में व्यावृत्ति खण्ड को निरपवाद रूप से शामिल करें । इस बात को पुन: दोहराया जाता है कि यदि किसी मामले में ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है तो यह तत्काल की जाए ताकि सरकार को किसी विधि न्यायालय में परेशानी का सामना न करना पड़े ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियोक्ता प्राधिकारियों की जानकारी में ला दें ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 24 जून, 1985 का का०ज्ञा० संख्या 36026/3/85-स्था० (अनु० जा०)

विषय :—केन्द्रीय सरकारी सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को तंग करना तथा उनके विरुद्ध भेद- भाव ।

जैसा कि मंत्रालयों/विभागों को ज्ञात ही है, सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के सामान्य कल्याण के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करने के अलावा उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रसुविधाएं, रियायतें तथा छूटें भी दी हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को सरकार के सिविल पदों तथा सेवाओं में नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य इन जातियों से संबंधित कुछ व्यक्तियों को नौकरियां देना तथा सेवा में उनके प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना ही नहीं है बल्कि इन व्यक्तियों की सामाजिक रूप में ऊपर उठाना तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में समाहित करना भी है ।

2. फिर भी इस विभाग को यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् उनके सामाजिक उद्गम के कारण उन्हें तंग किया जाता है तथा उनके प्रति भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया जाता है । यह भी बताया गया है कि अनु० जा०/अनु० ज० जाति के अधिकारियों को कभी-कभी दूर-दराज के स्थानों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है तथा साथ ही उन्हें गैर-महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाता है । इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कुछ मामलों में संबंधित उच्च अधिकारियों द्वारा इन अधिकारियों को इनकी तैनाती के स्थान पर स्वीकार नहीं किया जाता है ।

3. इस संबंध में इस बात पर बल दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को अनु० जा०/अनु० ज० जाति के समुदायों के सदस्यों के सामाजिक उद्गम के कारण उनके प्रति किसी भेद-भावपूर्ण कार्रवाई से दूर रहना चाहिए । यह भी अनुरोध किया जाता है कि मंत्रालयों/विभागों के सम्पर्क अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखें कि ऐसी कोई भी घटना बिलकुल न होने पाए । फिर भी यदि प्राधिकारियों की जानकारी में ऐसी कोई घटना आती है तो गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए ।

4. तद्नुसार, वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में लाया जाए ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 2-8-1985 का कार्यालय ज्ञापन सं० 36013/3/85-स्थापना (अनु० जा०)

विषय :—सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण—अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की चतुर्थ रिपोर्ट की सिफारिश संख्या-17 के बारे में ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने वर्ष 1981-82 की अपनी चतुर्थ रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की है :—

सिफारिश संख्या-17

" - मंत्रालयों/विभागों को, वर्ष के दौरान सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की प्रगति के संबंन्ध में आंकड़े देने के साथ-साथ, अपनी-अपनी वार्षिक रिपोर्टों के उनके द्वारा अपनाए गए अन्य उपायों, जैसे कि विशेष एककों का गठन, सम्पर्क अधिकारियों द्वारा चालू किए गये निरीक्षण रोस्टर, विभिन्न स्तर के अधिकारियों और कर्मचारी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किये गये मूल्यांकन/अभिविन्यास पाठ्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण आदि पर भी विशेष महत्व देना चाहिए ।"

इस सम्बन्ध में पूर्णत: विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने "कर्मचारी एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किये गये मूल्यांकन/अभिविन्यास पाठ्यक्रमों" को

छोड़कर, जहां तक इसका सम्बन्ध उक्त सूचना को महत्व देने के बारे में है, उपर्युक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सरकार नीति के तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई किसी एसोसिएशन को मान्यता नहीं देती है ।

2. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 30 सितम्बर, 1970 के का०ज्ञा०सं० 27/4(1)/70-स्थापना (अनु० जा०) में पहले ही इस आशय की व्यवस्था है कि किसी मंत्रालय/विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में, किसी मंत्रालय/विभाग में सम्पर्क अधिकारियों के नियंत्रणाधीन स्थापित किये गये विशेष एकक के कार्यकलापों के बारे में टिप्पणी दी जानी चाहिए ।

3. पैरा 1 में यथा उल्लिखित सिफारिश को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, यह निर्णय किया गया है कि दिनांक 30-9-1970 के अनुदेशों की शर्तों को ध्यान में देखते हुए वार्षिक रिपोर्टों में जो कुछ शामिल किया जाना है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य की मदों को भी महत्व दिया जाना चाहिए, अर्थात :—

(i) मंत्रालय/विभागों/सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न सम्पर्क अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किये गये निरीक्षण रोस्टर,

(ii) विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए आयोजित किये गये मूल्यांकन/अभिविन्यास पाठ्यक्रम, और

(iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि वे इन अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करें और इन्हें अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में भी लाए ।

अध्याय 18

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की फाइलें व रिकार्ड मंगाने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन लेने से संबंधी शक्तियां और उसकी रिपोर्टों, पत्राचारों आदि पर शीघ्र कार्रवाई के सम्बन्ध में अनुदेश

18.1 संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए रक्षोपायों संबंधी सभी मामलों की जांच-पड़ताल करने और इन रक्षोपायों को कार्यरूप में परिणत करने के बारे में राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की नियुक्ति हुई है ।

गृह मंत्रालय का ता० 1-10-74 का का० ज्ञा० सं० 8/2/69 एस० सी० टी०(I) और इसी मंत्रालय का ता० 8-4-76 का का० ज्ञा० सं० 17016/1/76-एस० सी० टी० (I)

18.2 जिन मामलों में शिकायतें प्राप्त हुई हों उन मामलों संबंधी मूल रिकार्ड और फाइलें उक्त आयुक्त मंगवा सकता है या नहीं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी अपनी शिकायतें सीधे आयुक्त के पास भेज सकते हैं या नहीं, इस बारे में नीचे दिए अनुसार निर्णय हुआ :—

(क) आयुक्त द्वारा आरक्षित कोटे पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधी फाइलें मांगी जाने पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को उपलब्ध करवाई जाएं ।

(ख) अन्य सभी मामलों में, स्थिति स्पष्ट करने के लिए विस्तृत टिप्पणीयां तैयार करके उक्त आयुक्त के सामने प्रस्तुत की जाएं ।

(ग) यदि दिये गए स्पष्टीकरणों के बारे में आयुक्त की कोई अन्य राय हो या उसे कोई संदेह हो तो वह मामला गृह सचिव के पास भेजा जाए । गृह सचिव मूल रिकार्ड देखेगा और आयुक्त द्वारा उठाये गए प्रश्नों का उत्तर देगा । जहां भी संभव होगा गृह सचिव अपने उत्तर के साथ रिकार्ड भी भेजे ।

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारी आरक्षित कोटे पर हुई नियुक्तियों की बाबत सीधे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को लिख सकते हैं । इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को अपना अभिवेदन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को भेजने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं है ।

टिप्पणी :— "आरक्षित कोटा" अभिव्यक्ति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के पुष्टिकरण, पदोन्नति तथा उक्त समुदायों को दी जाने वाली अन्य रियायतों संबंधी मामलें शामिल हैं ।

गृह मंत्रालय का तारीख 27-4-70 का का० ज्ञा० सं० 16/8/69-स्था० (एस० सी० टी०) और का० और सु० विभाग का ता० 27-6-78 का का० ज्ञा० सं० 36024/1/78-स्था० (एस० सी० टी०) ।

18.3 मंत्रालयों/विभागों और विशेष रूप से सम्पर्क अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सेवा में सम्बन्धित मामलों में आयुक्त द्वारा प्राप्त मामलों की जांच-पड़ताल में आयुक्त की आवश्यक सहायता करते हैं । सेवा से सम्बन्धित मामलों में उनके द्वारा आयुक्त को भेजे गए व्यक्तिगत अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा तथ्य, टिप्पणियां आदि मांगने के लिए प्राप्त पत्रों का उत्तर शीघ्र दिया जाता है ।

का० और प्र० सु० विभाग का ता० 20-2-1979 का का० ज्ञा० सं० 36024/1/78-स्था० (एस० सी० टी०) । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 23-2-83 का का० ज्ञा० सं० 36034/2/83-स्था० (एस० सी० टी०) ।

18.4 मंत्रालयों/विभागों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित रखे गए रोस्टरों और नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित अन्य आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में आयुक्त द्वारा विशेष अध्ययन करने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए । ऐसे अध्ययनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, आयुक्त द्वारा दी गई रिपोर्टों/की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई छः महीने के भीतर पूरी करनी चाहिए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयुक्त के कार्यालय को दे दी जानी चाहिए । जब किसी मंत्रालय के लिए इस समय सारणी का पालन करना किसी कारण से सम्भव न हो, तो ऐसा न किए जाने के कारण की सूचना 6 महीने की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आयुक्त को दी जाए, जिसमें पहले की गई कार्रवाई के विवरण दिए जाएं तथा यह बताया जाए कि अपने अन्तिम उत्तर/रिपोर्ट भेजने के लिए कितना समय और लगने की सम्भावना है ।

अध्याय 18 में कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

कार्यालय ज्ञापन सं० 8/2/69 (एस० सी० टी०) 1-10-74

कार्यालय ज्ञापन सं० 17016/1/76-स्थापना (I) 8-4-76

कार्यालय ज्ञापन सं० 36024/1/78-स्थापना (एस० सी० टी०) 27-6-78

अध्याय 15 के पश्चात्

कार्यालय ज्ञापन सं० 36024/1/78-स्थापना (एस० सी० टी०) 20-2-79

कार्यालय ज्ञापन सं० 36034/2/83-स्थापना (एस० सी० टी०) 23-2-83

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय के तारीख 1 अक्तुबर, 1974 का का० ज्ञा० सं० 8/2/69-एस० सी० टी० (I)

विषय :—क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ऐसे विशेष मामलों में जहां उन्हें शिकायतें भेजी गई हों मूल रिकार्ड व मिसिल मंगा सकते हैं. या नहीं और क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारी उनसे सीधा पत्र व्यवहार कर सकते हैं या नहीं ।

संविधान के अनुच्छेद 338 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की नियुक्ति की गई है ताकि संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए जो पूर्वोपाय किए हैं उनसे संबंधित सभी मामलों की वे छानबीन करें और इन पूर्वोपायों के अनुसार कार्य करने की बाबत राष्ट्रपति को सूचित करें । सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति करने के पूर्वोपायों की बाबत आयुक्त ने निम्नलिखित दो प्रश्न उठाए है :—

(i) क्या वह विशेष मामलों में जहां उन्हें शिकायतें भेजी गई हों मूल रिकार्ड व मिसिल मंगा सकते हैं ताकि वह अपना इतमीनान कर सके कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका उल्लंघन तो नहीं हुआ और

(ii) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारी उन्हें सीधे लिखकर अपनी शिकायतों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं या नहीं ।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा मंत्रालयों/विभागों के मूल रिकार्ड व मिसिल देखने के बहुत ही कम अवसर होते हैं क्योंकि साधारणत: ऐसे विषयों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त द्वारा पूछताछ करने पर उन मामलों के पूरे पूरे तथ्य मंत्रालय/विभाग द्वारा भेजे जाते हैं फिर भी कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां आयुक्त इस बारे में अपना इतमीनान करने के उद्देश्य से कि कोई बेइन्साफी तो नहीं हुई है मूल रिकार्ड और मिसिल मंगा सकता है । साधारणत: आयुक्त को मूल रिकार्ड व मिसिल दिखलाने में कोई कठिनाई नहीं आती है किन्तु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में इन मिसिलों का लोक सुरक्षा इत्यादी की दृष्टि से दिखलाना संभव नहीं हो सकता ।

3. इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आंतरिक मामलों पर सचिवों की समिति की सलाह के आधार पर जिसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नियुक्त की गई उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अनुमोदित किया है, निम्नलिखित निर्णय लिये गए हैं :—

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा मांगे जाने पर आरक्षित कोटे पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति से संबंधित मिसिल भेज देनी चाहिए;

(ख) दूसरे सभी मामलों पर स्थिति को स्पष्ट करते हुए व्यापक टिपण्णी भेज देनी चाहिए;

(ग) यदि आयुक्त को दिए गए स्पष्टीकरणों के बारे में कोई संदेह हो तो वह उस मामले को गृह सचिव को भेज सकता है । गृह सचिव मूल रिकार्डों का निरीक्षण करके आयुक्त के प्रश्नों का उत्तर देगा । यदि संभव हो तो वह उत्तर के साथ रिकार्ड भी भेज सकता है, और

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को अनुमति होनी चाहिए कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को आरक्षित कोटे पर नियुक्ति के विषय में सीधे पत्रव्यवहार कर सकें ।

4. "आरक्षित कोटा" अभिव्यक्ति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पुष्टी, पदोन्नति और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर दी गई अन्य रियायतों के मामले शामिल हैं ।

5. कृपया सभी संबंधित प्राधिकारियों का इन निर्णयों की ओर ध्यान दिलाएं ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 8 अप्रैल, 1976 का का० ज्ञा० संख्या 17016/1/76-एस० सी० टी०-1

विषय :—जिन मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को शिकायतें की गई हैं, क्या वे उन विशिष्ट मामलों में मूल रिकार्ड और फाइलें मंगा सकते हैं और क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी उन्हें सीधे ही शिकायत कर सकते हैं ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजे गए इस मंत्रालय के तारीख 1-10-1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/2/69-एस० सी० टी०-1

के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय से इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया गया है कि क्या आरक्षित पदों पर भर्ती से संबंधित मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को संबंधित विभागों से पूर्व अनुमति लिए बिना सीधे ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त से पत्राचार करने की अनुमति दी जाए । इस संबंध में सामान्य सूचना के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को अपने प्रतिवेदन भेजने के लिए सरकार के सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से पूर्व अनुमति मांगना आवश्यक नहीं है ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 20-2-79 का का० ज्ञा० सं० 36024/1/78-स्थापना (एस० सी० टी०)

विषय : — (i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा कार्यालयों/संगठनों के विशेष अध्ययनों तथा

(ii) सेवा के मामलों में प्राप्त शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 27 जून, 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36024/1/78-स्थापना (एस० सी० टी०) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित रखे गए रोस्टरों का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के संगठन द्वारा विशेष अध्ययन करने तथा अन्य आदेशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को आवश्यक सहायता देने और ऐसे अध्ययनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट उनको देने तथा उनके द्वारा दिए गए हवालों का उत्तर यथाशीघ्र देने का भी अनुरोध किया गया था । जबकि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयुक्त की अध्ययन रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने तथा आयुक्त द्वारा भेजे गए अन्य हवालों का सावधानी पूर्वक तथा तत्परता से उत्तर दिए जाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे होंगे तो भी यह अवश्य महसूस किया गया है कि एक ऐसी विशिष्ट समय सीमा निर्धारित की जाए जिसके भीतर मंत्रालयों द्वारा आयुक्त की अध्ययन रिपोर्टों/सुझावों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई पूरी की जा सके तथा की गई कार्रवाई के विवरण उन्हें प्रस्तुत किए जा सके । सावधानी पूर्वक विचार करने के पश्चात यह निर्णय किया गया है कि आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई छः मास के भीतर पूरी की जाए तथा "की गई कार्रवाई" की रिपोर्ट आयुक्त को भेज

दी जाए और जब मंत्रालयों/विभागों के लिए इस समय सारिणी का पालन करना किसी कारण से सम्भव न हो तो ऐसा न किए जाने के कारणों की सूचना 6 मास की अवधि के समाप्त होने से पूर्व आयुक्त को दी जाए जिसमें पहले की गई कार्रवाई के विवरण दिए जाएं तथा यह बताया जाए कि अपने अन्तिम उत्तर/रिपोर्ट भेजने के लिए कितना समय और लगने की संभावना है ।

2. वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों को सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों की जानकारी में लाएं ।

सभी मंत्रालयों को सम्बोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 23-2-1983 का का० ज्ञा० संख्या 36034/2/83-स्था० (अनु० जा०)

विषय : —अनु० जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों द्वारा अनु० जाति/अनु० जनजाति आयुक्त के माध्यम से सेवा मामलों में भेजी गई शिकायतों पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई कार्रवाई ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 20-2-79 के का० ज्ञा० सं० 36034/1/78-स्था० (अनु० जा०) (प्रतिलिपि संलग्न) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें मंत्रालयों/विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अनु० जातियों तथा अनु० जनजातियों के आरक्षण से संबंधित रखे गए रोस्टरों को इन जातियों के आयुक्त द्वारा विशेष अध्ययन करने तथा अन्य आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में आयुक्त को आवश्यक सहायता देने और ऐसे अध्ययनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट उनको देने तथा उनके संदर्भों का उत्तर यथाशीघ्र देने में आवश्यक सहायता प्रदान करें । उक्त आदेश में यह भी व्यवस्था की गई थी कि अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई पूरी करके उस कार्रवाई की सूचना आयुक्त को छह मास के भीतर दी जानी चाहिए और जब मंत्रालय/विभाग के लिए इस समय सीमा का पालन करना किसी कारण से संभव न हो तो ऐसा न किए जाने के कारणों की सूचना छह मास की अवधि के समाप्त होने के पूर्व आयुक्त को दी जाए, जिसमें पहले की गई कार्रवाई के विवरण दिए जाए तथा यह बताए जाए कि अपना अन्तिम उत्तर/रिपोर्ट भेजने के लिए कितना समय और लगने की संभावना है ।

2. अनु० जाति/अनु० जनजाति आयुक्त ने इस विभाग के ध्यान में यह बात लाई है कि छह मास की समय सीमा का बहुत से मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता और कुछ मामलों में तो मंत्रालय/विभाग से जवाब ही नहीं मिलता । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति के आयुक्त के कार्यालय का

गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के अधीन किया गया है जो इस संविधान के अधीन अनु० जातियों/अनु० जनजातियों को उपलब्ध संरक्षणों के संबंध में सभी मामलों की जांच करके उन संरक्षणों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा । इसलिए यह देखा जा सकता है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति आयुक्त का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह संविधान के अधीन इन जातियों को उपलब्ध संरक्षणों के संबंध में मामलों की जांच करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे । इस प्रकार मंत्रालय/विभाग का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति आयुक्त के संदर्भों का उत्तर देकर उन्हें अपेक्षित सहायता प्रदान करें । इसके अतिरिक्त, अनु० जाति/अनु० जनजाति आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार की सम्पूर्ण आरक्षण योजना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्था है, जिसके पास अनु० जाति/अनु० जनजाति का कर्मचारी सेवा मामले में अपनी शिकायत के लिए सीधे ही जा सकता है । इसलिए यदि मंत्रालय/विभाग छह मास की समय सीमा के भीतर भी, जिसे यह विभाग इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त समय मानता है, आयुक्त के कार्यालय को टिप्पणियां अथवा तथ्य नहीं भेजते तो ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा जिसे यह विभाग आसानी से प्राप्त होने वाला समय सीमा समझता है इससे हर हालत में क्रमबद्ध समय सीमा निर्धारित हो जाएगी, फिर भी ऐसे प्रयत्न किए जा रहें हैं कि उस सीमा के भीतर पूरी सूचना, शायद किसी विलम्ब होने से पहले, प्राप्त कर ली जाएं । अतः अनुरोध है कि ज्यों ही आयुक्त के कार्यालय से कोई संदर्भ प्राप्त होता है तो इस पर समुचित रूप से ध्यान दिया जाए और मामले की स्थिति से आयुक्त को अवगत कराने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए । यह भी अनुरोध है कि यदि किसी वास्तविक कारण से छह मास के भीतर रिपोर्ट भेजना संभव नहीं है तो अनु० जाति/अनु० जनजाति आयुक्त को एक अंतरिम उत्तर भेज दिया जाए, जिसमें उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पूर्ण उत्तर अभी क्यों नहीं भेजा जा सका ।

3. वित्त मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इस का० ज्ञा० की विषय वस्तु को अपने सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में ला दें ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक और अर्ध सरकारी निकायों और ऐसी सरकार से अनुदान प्राप्त स्वैच्छिक एजेन्सियों के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

19.1 इस विवरणिका में सरकारी पदों/सेवाओं मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किए गए आरक्षणों के बारे में विभिन्न अनुदेश दिए गए हैं। सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक और अर्ध सरकारी निकायों इत्यादि को भी अपने अधीन सेवाओं में सरकारी सेवाओं के समान, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण करने के लिए कहा गया है। इस उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक और अर्ध सरकारी निकायों को अलग अनुदेश दिए गए हैं जो निम्नलिखित पैराग्राफों में उध्दृत किए गए हैं :—

19.2 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

गृह मंत्रालय का ता० 4-3-64 का का० ज्ञा० सं० 5/1/63 एस० सी० टी० (1)

गृह मंत्रालय के तारीख 4-3-64 के का० ज्ञा० सं० 5/1/63 एस० सी० टी० (1) में सभी मंत्रालयों से निवेदन किया गया था कि वे अपने नियंत्रण के अधीन आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी सेवाओं में केन्द्र सरकार की सेवाओं के समान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित करने के संबंध में उचित अनुदेश दें।

उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने अब संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने को कह दिया है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने प्रशासनिक मंत्रालयों को सार्वजनिक उपक्रमों को जारी करने के लिए नीचे दिये गये कार्यालय ज्ञापनों के साथ निदेश और पूरक निदेश भेजने की व्यवस्था की है :—

तारीख 18-9-1969 का कार्यालय ज्ञापन सं० 2 (115)/68 बी० पी० ई० (जी० एम०) तारीख 17-12-1970 का कार्यालय ज्ञापन सं० 2 (115)/68 बी० पी० ई० (जी० एम०) तारीख 10-5-74 का कार्यालय ज्ञापन सं० 6/1/73 बी० पी० ई० (जी० एम०)

19.3 सार्वजनिक और अर्ध सरकारी निकाय

गृह मंत्रालय का ता० 23-11-54 का का० ज्ञा० सं० 16/2/54 एस० सी० टी० और तारीख 3-2-1970 का का० ज्ञा० सं० 17/4/69-स्थापना (एस० सी० टी०)

सरकारी नियंत्रण के अधीन स्वायत्त निकायों जैसे सांविधिक और अर्ध सरकारी निकायों को भी अपनी सेवाओं में सरकारी सेवाओं के लिए जारी किये गए गृह मंत्रालय के तारीख 3-2-1970 के कार्यालय ज्ञापन सं० 17/4/69-स्थापना के साथ पठित इसी मंत्रालय के तारीख 23-11-1954 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/2/54-एस० सी० टी० में दिये गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण करना होगा ।

19.4 स्वायत्त निकाय/संस्थाएं इनमें नगर निगम, सहकारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय इत्यादि शामिल हैं

गृह मंत्रालय का ता० 30-9-74 का का० ज्ञा० सं० 39/40/74 (एस० सी० टी०)

संबंधित मंत्रालयों/विभागों को चाहिए कि गृह मंत्रालय को सूचना देते हुए ऐसे स्वायत्त निकायों/संस्थाओं, जिन्हें भारत सरकार से सहायता अनुदान मिलता हो, के कानूनों या संस्था की अंतर्नियमावली में उपयुक्त उपबंध जोड़कर संबंधित निकायों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने संबंधी कार्रवाई करें ।

19.5 सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सियां

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 7-10-74 का का० ज्ञा० सं० 27/12/73 -स्थापना (एस० सी० टी०)

जिन शर्तों पर स्वैच्छिक एजेन्सियों को सरकार की ओर से सहायता अनुदान दिया जाता है उन शर्तों में यह भी एक शर्त जोड़ दी जाए कि ये एजेन्सियां संगठन इत्यादि अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करें । यह शर्त नीचे दिये अनुसार हो सकती है :—

" ....(संगठन/एजेन्सी इत्यादि का नाम) भारत सरकार द्वारा बताए अनुसार अपने अधीन पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने के अनुदेशों का पालन करेगी ।"

(i) इन स्वैच्छिक एजेन्सियों इत्यादि की आरक्षण योजना को लागू करना आवश्यक होगा ।

(ii) मंत्रालय/विभाग स्वैच्छिक, एजेन्सियों इत्यादि द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी उपबंधों का पालन करने पर ही इन एजेन्सियों को सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान करें । सहायता अनुदान निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाए :—

(क) सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय में 20 से अधिक व्यक्ति नियमित आधार पर नौकरी कर रहे हों और इस निकाय का कम से कम 50% आवर्ती खर्च केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से किया जाता हो, और

(ख) यह निकाय पंजीकृत समिति या सहकारी संस्था हो, और इसे भारत की समेकित निधि से सामान्य उद्देश्य के लिए 2 लाख रु० या इससे अधिक राशि का वार्षिक सहायता-अनुदान मिलता हो ।

(iii) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग विभिन्न स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता अनुदान की मंजूरी देते समय उपर्युक्त निर्णयों का ध्यान रखे तथा इन एजेन्सियों को भावी अनुदान की मंजूरी देते समय इस बात का ध्यान रखे कि इन एजेन्सियों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अपनी सेवाओं में लगाने के संबंध में कितनी प्रगति की है । स्वैच्छिक एजेन्सियों इत्यादि को इस बात की सूचना दी जाए कि उनको आगामी सहायता अनुदान की मंजूरी देते समय उनके द्वारा, उनकी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नौकरी देने के संबंध में हुई प्रगति को ध्यान में रखा जाए ।

अध्याय 19 में कार्यालय ज्ञापन आदि की प्रतियां

का० ज्ञा० संख्या 16/2/54-एस० सी० टी०	23-11-54
का० ज्ञा० संख्या 5/1/63-एस० सी० टी० (1)	4-3-64
का० ज्ञा० संख्या 17/4/69-स्थापना (एस० सी० टी०)	3-2-70
का० ज्ञा० संख्या 39/40/74-एस० सी० टी० (1)	30-9-74
का० ज्ञा० संख्या 27/12/73-स्थापना (एस० सी० टी०)	7-10-74
का० ज्ञा० संख्या 17016/1/76-एस० सी० टी० (1)	8-4-76

गृह मंत्रालय का तारीख 23 नवम्बर, 1954 का का० ज्ञा० सं० 16/2/54-एस० सी० टी०

विषय :—सांविधिक निकायों के संबंध में सामुदायिक प्रतिनिधित्व—आदेश का लागू किया जाना ।

मुझे 1952 वर्ष के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की रिपोर्ट की धारा IX के पैरा 5 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिस में यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संलग्न सांविधिक निकायों से, अपने कार्यालयों में कर्मचारियों को भर्ती करते समय (गृह मंत्रालय के तारीख 13 सितम्बर, 1950 के संकल्प सं० 42/21/49-एन० जी० एस० में दर्ज) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन करने का अनुरोध किया जाए ।

2. इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या कोई सांविधिक निकाय आरक्षण आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे, मंत्रालयों से अन्य बातों के साथ साथ उनके उन प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक निकायों की सूची प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था, जो कि इस मंत्रालय के 20 जुलाई, 1954 के कार्यालय ज्ञापन सं० 28/9/54-एस० सी० टी० में दर्ज उन आदेशों का पालन कर रहे थे । उस कार्यालय ज्ञापन के पूरे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं परन्तु जिन मंत्रालयों के उत्तर प्राप्त हुए हैं उनसे मिली जानकारी से पता चलता है कि जब कि कुछ सांविधिक निकाय आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन कर रहे हैं, अन्य निकाय ऐसा नहीं कर रहे हैं । पिछले पैरे में उल्लिखित सिफारिश की जांच, उन सांविधिक निकायों के संबंध में की जानी चाहिए, जो कि आरक्षण सांविधिक आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं ।

3. गृह मंत्रालय ने ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, इस विषय में सिध्दांत रूप में सहमति प्रकट की है कि आरक्षण संबंधी आदेश उन सांविधिक निकायों पर भी लागू होने चाहिए जो कि इस समय उनका पालन नहीं कर रहे हैं । परन्तु, सम्बध्द कानून के आधार प्रत्येक मामले को इस प्रयोजन के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या भारत सरकार कोई ऐसा आदेश जारी कर सकती है, जिसमें यह निदेश दिया जाए कि आरक्षण के आदेश, संबंधित सांविधिक निकाय पर लागू होंगे । परन्तु यदि कानून में सरकार के लिए ऐसे निदेश देने की व्यवस्था न हो तो केवल यही रास्ता रह जाएगा कि इस मामले में सरकार की नीति को सांविधिक प्राधिकारी के ध्यान में लाकर यह सुझाव दिया जाए कि वे इस नीति के अनुसार समुचित नियम बनाये या अपने मौजूदा नियमों में संशोधन करें ।

4. इसलिए मैं वित्त मंत्रालय आदि से यह अनुरोध करूंगा कि वे आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन न करने वाले अपने संलग्न या प्रशासनिक नियंत्रणाधीन प्रत्येक सांविधिक निकाय के बारे में यह जांच करें कि क्या आरक्षण संबंधी आदेशों को उन निकायों पर भी औपचारिक रूप से लागू किया जा सकता है या पालन के लिए उनकी केवल सिफारिश ही की जा सकती है । ऐसी जांच के परिणाम और मामले में की गई कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र गृह मंत्रालय को दी जाए ।

5. वित्त मंत्रालय आदि से भी अनुरोध है कि वे अपने संलग्न सांविधिक निकायों को, इस मंत्रालय के तारीख 28 जनवरी, 1952 के कार्यालय ज्ञापन सं० 42/21/49 एन० जी० एस० में निर्धारित ढंग के अनुसार सामुदायिक विवरणियां प्रस्तुत करने के आदेश दें । ऐसी विवरणियों को, वित्त मंत्रालय आदि और उनके सम्बध्द तथा अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित विवरणियों सहित इस मंत्रालय को भेज दिया जाए । परन्तु सांविधिक निकायों को सूचना, विवरणियों के समेकित विवरणों में शामिल न की जाए ।

सभी मंत्रालयों आदि को सम्बोधित गृह मंत्रालय का तारीख 4 मार्च, 1964 का का० ज्ञा० सं 5/1/63-एस० सी० टी० (1)

विषय :—सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ।

गृह मंत्रालय के तारीख 14 नवम्बर, 1956 के का० ज्ञा० सं० 5/13/56-एस० सी० टी० (1) और तारीख 5 सितम्बर, 1957 के का० ज्ञा० सं० 5/13/56-एस० सी० टी० (1) (प्रतियां संलग्न हैं) मंत्रालयों से यह अनुरोध किया गया था कि वे यथासंभव कार्यकुशलता बनाये रखते हुये, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी आदेशों का पालन करने के लिये अपने नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हिदायतें जारी करें । तथापि, यह बात ध्यान में आई है कि कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अभी भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है । हाल ही में, हरिजन कल्याण संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सामने, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति का प्रश्न विचारार्थ आया था और उसके सदस्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी, कि ये उपक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को यथासंभव अधिक लाभ पहुंचा सकें । चौथी योजना में पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी कार्यदल ने भी अन्य बातों के साथ साथ

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने की सिफारिश की है । सभी सम्बध्द बातों और सरकारी क्षेत्र में रोज़गार के बढ़ते हुए अवसरों को ध्यान में रखते हुए, यह महत्वपूर्ण है कि जैसा कि सरकारी सेवाओं में नौकरी के मामले में किया जाता है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नौकरियों का समुचित हिस्सा दिया जाए ।

2. तदनुसार मंत्रालयों से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन उपक्रमों को केंद्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण पध्दति के अनुसार अपनी सेवाओं में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने के लिए समुचित हिदायतें जारी करें । उपक्रमों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, संबध्द वर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों के उपलब्ध होने पर ही किये जाएंगे परन्तु यदि किन्हीं आरक्षित पदों के लिए ऐसे उपयुक्त उम्मीदवार न मिले, तो ऐसे पदों को, अनारक्षित मानकर दूसरे उम्मीदवारों द्वारा भरा जाए । यदि कोई ऐसे मामले हों जहां सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों को आरक्षण संबंधी आदेशों पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से अमल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता हो, तो संबंधित मंत्रालय, उस मंत्रालय के परामर्श से आगे विचार कर सकते हैं ।

3. उपक्रमों को यह भी हिदायत दी जाए कि वे प्रति वर्ष पहली मार्च तक इस मंत्रालय और प्रशासनिक मंत्रालय को, संलग्न-I और II परिशिष्टों में दिये गये फार्मों में वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करें । कुछ उपक्रमों में, पदों का वर्गीकरण, केन्द्रीय सरकार की सेवा में प्रचलित पदों के वर्गीकरण के समान या सदृश नहीं हो सकता । ऐसे मामलों में, रोस्टर रखने और विवरणियां प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ पदों को निम्न प्रकार से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी श्रेणी के तौर पर माना जा सकता है :—

ऐसे पद, जिनका वेतन या वेतनमान "अधिकतम 950 रुपये से कम नहीं है ।"	पहली श्रेणी
ऐसे पद, जिनका वेतन या वेतनमान "अधिकतम 575 रुपये से कम नहीं है, परन्तु 950 रुपये से कम है ।"	दूसरी श्रेणी
ऐसे पद, जिनका वेतन या वेतनमान "अधिकतम 110 रुपये से अधिक है परन्तु 575 रूपये से कम है ।"	तीसरी श्रेणी
ऐसे पद, जिनका वेतन या वेतनमान "अधिकतम 110 रुपये या उससे कम है ।"	चौथी श्रेणी

4. कृपया उपर्युक्त 2 और 3 पैरों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जारी की गई हिदायतों की प्रतियां इस मंत्रालय को पृष्ठांकित करें ।

31—232 DP&T/ND/89

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित गृह मंत्रालय का ता० 3 फरवरी 1970 का का०ज्ञा०सं० 17/4/69-स्था० (एस०सी०टी०)

विषय :—स्वायत्त निकायों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण ।

गृह मंत्रालय के तारीख 23 नवम्बर, 1954 के का०ज्ञा०संख्या 16/2/54 एस०सी०टी० में यह कहा गया था, कि गृह मंत्रालय ने सिध्दान्तत: यह स्वीकार कर लिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेश सांविधिक निकायों पर भी लागू होने चाहिए । मंत्रालयों से संबंधित निकायों को यह आदेश देने का अनुरोध किया गया था कि यदि सम्बद्ध कानून में ऐसे निदेश दिए जाने की व्यवस्था हो तो वे आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन करें । उनसे, उनके अधीन या उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उस प्रत्येक सांविधिक निकाय के बारे में आरक्षण संबंधी आदेशों का औपचारिक रूप से पालन किए जाने के प्रश्न की जांच करने का भी अनुरोध किया गया था, जो आरक्षण संबंधी आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे । इस मंत्रालय से तारीख 4 मार्च, 1974 के का०ज्ञा०संख्या 5/1/63-एस०सी०टी०(1) में मंत्रालयों से, उनके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों को अनुदेश जारी करने के लिए अनुरोध किया गया था कि वे केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में आरक्षण किए जाने के आधार पर अपनी सेवाओं में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करें । इन अनुदेशों और इन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक और अर्ध सरकारी निकायों ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करना स्वीकार कर लिया है ।

2. लोक उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय ने अपने ता० 18 सितम्बर, 1969 के अर्धसरकारी पत्र संख्या 2(115)/68 बी०पी०ई०(जी०एम०) में मंत्रालयों को यह सूचित किया था कि वे इस विषय पर सरकारी उपक्रमों को एक मसौदा निर्देश जारी करें । कानून के अन्तर्गत निर्मित निकाय और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां जिन पर सरकार का नियंत्रण है इन निर्देशों के अधीन आ जाते हैं । इस प्रकार के सांविधिक निकायों और सरकारी उपक्रमों के अलावा बहुत से ऐसे स्वायत्त निकाय भी हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण है । उदाहरण के लिए कुछ ऐसे निकाय भी हैं जो सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन पंजीकृत हैं और अन्य संस्थाएं जिन पर सरकार का नियंत्रण है । इसलिए यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी आदेशों का इस प्रकार के स्वायत्त निकाय भी पूरी तरह पालन करें । इसलिए शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय आदि से

यह अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों को इस संबंध में अनुदेश जारी करें कि वे अनुबंध में दी गई योजना के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अपनी सेवाओं में आरक्षण करें ।

3. उपर्युक्त पैरा 2 के अनुपालन में स्वायत्त निकायों को जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रति इस मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाए ।

सभी मंत्रालय आदि को प्रेषित गृह मंत्रालय का तारीख 30 सितम्बर, 1974 का का०ज्ञा० संख्या 39/40/74-एस०सी०टी० (1)

विषय :—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वायत्त निकायों/संस्थाओं में आरक्षण ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से एक सुझाव प्राप्त हुआ था कि स्वायत्त निकाय जिसमें नगर निगम, सहकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालय आदि भी शामिल हैं, से कहा जाए कि वे अपने अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित करें । उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा कि यदि "राज्य" शब्द में जिसका ज़िक्र संविधान के अनुच्छेद 12 में किया गया है, इन निकायों को सम्मिलित नहीं माना गया है तो संविधान में उपयुक्त संशोधन कर देना चाहिए ।

2. इस प्रश्न पर विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श पर विशेष रूप से विचार किया गया है जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 12 में किया गया है । विधि मंत्रालय के मतानुसार संविधान के इस अनुच्छेद में दिए गए "राज्य" शब्द में नगर निगम को तो शामिल किया गया है किन्तु इसके अन्तर्गत दूसरे स्वायत्त निकाय, सहकारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय आदि नहीं आते हैं । ऐसे निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने के वास्ते संविधान में संशोधन करना आवश्यक नहीं है । संबंधित कानूनों या संस्था के अन्तर्नियमों में उपयुक्त उपबंध जोड़कर आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है ।

3. अतः यह अनुरोध है कि भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त स्वायत्त निकाय/संस्थाएं संबंधित कानूनों या संस्था की अन्तर्नियमावली में उपयुक्त उपबंध जोड़कर सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें तथा इस विषय में आवश्यक कार्रवाई करके इसकी सूचना मंत्रालय को दे ।

सभी मंत्रालयों आदि को संबोधित कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का तारीख 7 अक्तूबर, 1974 का का०ज्ञा०सं० 27/12/73-स्थापना (एस०सी०टी०)

विषय :—सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों के अधीन सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण ।

भारत सरकार की नीति यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सरकार के अधीन सेवाओं और पदों पर उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो । इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सरकारी उद्यम ब्यूरो ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने अधीन कार्य कर रहे उपक्रमों को ऐसे उपयुक्त निर्देश जारी करे जिनके अनुसार सरकार के अधीन आरक्षण की योजना के आधार पर सरकारी उपक्रमों के अधीन सेवाओं में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो सके ।

2. कुछ समय से सरकार के विचाराधीन यह प्रश्न रहा है कि सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त स्वयंसेवी एजेंसियों या संगठनों को सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयुक्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए । 9 अप्रैल, 1974 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति की पिछली बैठक में इस मामले पर भी विचार-विमर्श हुआ । जिसमें सरकार के अधीन पदों आदि पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के मामले में आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का पालन किए जाने की समीक्षा हुई । अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी मंत्रालय/विभाग उन शर्तों में उपयुक्त खंड जोड़ दें, जिनके अनुसार जिन स्वयंसेवी एजेंसियों/संगठनों आदि को सरकार से सहायता अनुदान मिलता है वे अपने अधीन सेवाओं और पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करें ।

यह उपबंध नीचे दिए अनुसार हो सकता है :—

> ".....(संगठन/एजेंसी इत्यादि) का नाम भारत सरकार द्वारा बताए गए ढंग से अपने नियंत्रणाधीन पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने के लिए सहमत है ।"

यह भी निर्णय किया गया है कि स्वयंसेवी एजेंसियां आदि आरक्षण योजना की केवल मुख्य मुख्य बातों का पालन करेंगी जैसा कि संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट है ।

3. यह भी निर्णय किया गया है कि मंत्रालय विभाग इस बात पर जोर दें कि स्वयंसेवी एजेंसियों आदि को सहायता अनुदान की मंजूरी इस शर्त पर दी जाएगी कि वे नीचे दिए अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से सम्बन्धित सभी उपर्युक्त उपबंधों का पालन करेंगी :—

(क) सहायता अनुदान लेने वाली संस्था में 20 से अधिक कर्मचारी नियमित रूप से कार्य करते हों तथा इसके आवर्ती व्यय का कम से कम 50% खर्च केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से किया जाता हो, और

(ख) वह संस्था पंजीकृत समिति या सहकारी संस्था हो तथा उसे सामान्य प्रयोजन के लिए 2 लाख रुपए या इससे अधिक की वार्षिक सहायता अनुदान भारत की समेकित निधि से, मिलती हो।

4. इसलिए वित्त मंत्रालय आदि से प्रार्थना है कि अपने अधीन विभिन्न स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता अनुदान की मंजूरी देने से पहले उपयुक्त निर्णय को ध्यान में रखें। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग इन एजेंसियों को भविष्य में अनुदान की मंजूरी देते समय इन एजेंसियों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नौकरी देने की प्रगति को भी ध्यान में रखें। स्वयंसेवी एजेंसियों आदि को भी विधिवत् सूचित किया जाए कि सरकार भविष्य में उन्हें सहायता अनुदान की मंजूरी देते समय उनके अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रगति को भी ध्यान में रखेगी।

अनुबंध

सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने की योजना के अधीन पालन की जाने वाली मुख्य-मुख्य बातें

स्वयंसेवी एजेंसियों के अधीन विभिन्न पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए :—

I. आरक्षण की प्रतिशतता

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
(i) अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती।	15%	7½%
(ii) ऐसे पदों पर सीधी भर्ती जिसमें आमतौर पर किसी एक इलाके या क्षेत्र से उम्मीदवार प्रार्थना पत्र भेजते हैं।	जैसा कि परिशिष्ट I में दिखाया गया है।	

II. **रोस्टर**

उपर्युक्त आरक्षणों को प्रभावी बनाने के लिए नीचे उल्लिखित मॉडल रोस्टर के अनुसार रिक्तियों को "आरक्षित" या "अनारक्षित" माना जाए ।

(i) अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती ।	परिशिष्ट I में दिए अनुसार 40 प्वाइंट का रोस्टर ।
(ii) ऐसे पदों पर सीधी भर्ती, जिसमें आमतौर पर किसी एक इलाके या क्षेत्र से उम्मीदवार प्रार्थना पत्र भेजते हैं ।	दिनांक 24-5-85 के का०ज्ञा० संख्या 36013/4/85-स्थापना (एस०सी०टी०) में दिखाए अनुसार 100 प्वाइंट का रोस्टर ।

परिशिष्टि III में दिए गए फार्म के अनुसार रोस्टर को रजिस्टर में रखना चाहिए । रोस्टर को चालू लेखे की तरह वर्षानुवर्ष रखना चाहिए । अर्थात् यदि किसी एक वर्ष में भर्ती प्वाइंट 6 पर रुक जाती है तो आगामी वर्ष में भर्ती प्वाइंट 7 से आरम्भ होगी । 40/100 प्वाइंट के हिसाब से नियुक्ति होने के बाद रोस्टर फिर प्वाइंट "एक" से आरम्भ होगा ।

III **आरक्षण समाप्त करने की कार्यविधि**

किसी भी आरक्षित रिक्ति का आरक्षण समाप्त करने और उस पर सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति करने से पहले शासी निकाय/कार्यकारी परिषद् की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

IV **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई**

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का ध्यान आरक्षित रिक्तियों की ओर लाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए :—

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए सभी रिक्तियां स्थानीय अथवा क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित करनी चाहिए ।

(ii) यदि रोजगार कार्यालय के माध्यम से उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो इस प्रयोजन से रिक्तियों का विज्ञापन उपयुक्त समाचार पत्रों में देना चाहिए ।

V. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की अलग इंटरव्यू की व्यवस्था

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार (इंटरव्यू) किसी अलग दिन अथवा भर्ती (चयन) समिति की अलग बैठक में लिया जाना चाहिए ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का मूल्यांकन सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में न किया जाए और इंटरव्यू लेने वाले प्राधिकारी को विशेष रूप से इस बात का बोध हो कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का मूल्यांकन निर्धारित स्तरों में देते हुए किया जाए ।

VI. आरक्षित रिक्तियों को आगे ले जाना तथा उनका व्यपगत होना

यदि किसी विशेष वर्ष में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित रिक्तियां न भरी जा सकती हों तो इनका आरक्षण समाप्त करके (ऊपर पैरा III के अनुसार) सामान्य उम्मीदवारों द्वारा रिक्तियों को भर लेना चाहिए, लेकिन इन रिक्तियों को व्यपगत करने से पहले आरक्षण को अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाया जाए । ऐसे आगे लाई जाने वाली रिक्तियों के तीसरे वर्ष में अनुसूचित जाति का उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार नियुक्त किया जा सकता है । इसी प्रकार अनुसूचित जनजाती के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है ।

VII. आयु-सीमा में छूट

किसी पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

VIII. मानक में रियायत

यदि सामान्य योग्यता स्तर के आधार पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो, तो उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए निर्धारित योग्यता स्तर में छूट देकर इन उम्मीदवारों की भर्ती की जाए, बशर्ते कि ये उम्मीदवार संबंधित पद/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों ।

भाग II

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का मॉडल रोस्टर

रोस्टर में प्वाइंट	पद अनारक्षित है या आरक्षित	रोस्टर में प्वाइंट	पद अनारक्षित है या आरक्षित
1	अनुसूचित जाति	21	अनारक्षित
2	अनारक्षित	22	अनुसूचित जाति
3	अनारक्षित	23	अनारक्षित
4	अनुसूचित जनजाति	24	अनारक्षित
5	अनारक्षित	25	अनारक्षित
6	अनारक्षित	26	अनारक्षित
7	अनारक्षित	27	अनारक्षित
8	अनुसूचित जाति	28	अनुसूचित जाति
9	अनारक्षित	29	अनारक्षित
10	अनारक्षित	30	अनारक्षित
11	अनारक्षित	31	अनुसूचित जनजाति
12	अनारक्षित	32	अनारक्षित
13	अनारक्षित	33	अनारक्षित
14	अनुसूचित जाति	34	अनारक्षित
15	अनारक्षित	35	अनारक्षित
16	अनारक्षित	36	अनुसूचित जाति
17	अनुसूचित जनजाति	37	अनारक्षित
18	अनारक्षित	38	अनारक्षित
19	अनारक्षित	39	अनारक्षित
20	अनारक्षित	40	अनारक्षित

परिशिष्ट II

रोस्टर रजिस्टर का फार्म

स्वयंसेवी एजेंसी, संगठन के नाम .....

पद/पदों का नाम .....

पिछले वर्षों से आगे लाए गए आरक्षण		की गई भर्ती का ब्यौरा			अग्रेनीत आरक्षण					
अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	भर्ती वर्ष	रोस्टर और रजिस्टर संख्या	लागू होने वाले रोस्टर के अनुसार आरक्षित है या अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है	नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, यदि नहीं है तो दोनों में से कोई नहीं लिखें	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	स्वयंसेवी एजेंसी/ संगठन के नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्टों की सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
(1)	(2)	(3)
1	(i) अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों, और (ii) पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का माडल रोस्टर	474
2	खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य तरीके से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का माडल रोस्टर	475
3	जहां भर्ती स्थानीय या क्षेत्रीय आधार पर की जाती है, वहां 100 पाइन्टों के रोस्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों (पाइंटों) की संख्या और उनकी प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण	476
4	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के उद्देश्य से रखे गए रोस्टर के अनुसार कार्य करने के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर का फार्म	481
5	रोस्टर रखने के बारे में विस्तृत अनुदेश	482
6	ऐसी रिक्तियों का काल्पनिक उदाहरण दर्शाने वाला विवरण, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित हैं, किन्तु उन्हें उक्त समुदायों के उम्मीदवारों से नहीं भरा जा सका है, तो उन्हें किस प्रकार अग्रेषित/व्यपगत किया जा सकता है	484-85
7	सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के उद्देश्य से रखे जाने वाले रोस्टरों का निरीक्षण करने के लिए प्रोफार्मा	492
8	पहली जनवरी को सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	494-95

(1)	(2)	(3)
8क	मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित प्रत्येक सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण	496-97
9	वर्ष के दौरान मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों द्वारा भरी जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	500-01
10	रोजगार कार्यालयों के माध्यम से होने वाली भर्ती के लिए मांग-पत्र का फार्म	504
11	सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के विशेष प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आदेशों के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त संघों आदि के पते	506
12	पूर्णत: अस्थायी नियुक्तियों, जिनके 45 दिनों या इससे अधिक दिनों तक बने रहने की सम्भावना है लेकिन जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना नहीं है, की रोस्टर में शामिल ऐसी आरक्षित रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण, जिनका मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया है	516
13	(i) श्रेणी-III तथा श्रेणी-IV में चयन द्वारा और (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के बारे में विस्तृत अनुदेश	517
14	उम्मीदवार द्वारा अपने अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का होने के दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म	519
15	सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों की सूची	521
16	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए मुद्दों की सूची	522
17	आकाशवाणी के उन केन्द्रों (जो ऐसे क्षेत्र में हों, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की घनी आबादी हो) की सूची, जिन्हें आरक्षित रिक्तियों की घोषणा करने के लिए ये रिक्तियां अधिसूचित की जानी हैं	527-28

(1)	(2)	(3)
18	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोफार्मा	530
19	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या और उन पदों पर नियुक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की संख्या के सम्बन्ध में विवरण (पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए)	550
20	विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूची को दर्शाने वाला विवरण	551

परिशिष्ट 1

अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का माडल रोस्टर (अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½% आरक्षण के उद्देश्य से)

(पैरा 4.1 (i) क)

जिन पदों पर आरक्षण संबंधी आदेश लागू होते हैं और जो पदोन्नति द्वारा भरे जाने हैं उन पदों के लिए नीचे बताए अनुसार अलग रोस्टर रखे जाएंगे [पैरा 4.1(iii)]

रोस्टर में प्वाइंट	अनारक्षित हैं या आरक्षित	रोस्टर में प्वाइंट	अनारक्षित हैं या आरक्षित
1.	अनुसूचित जाति	21.	अनारक्षित
2.	अनारक्षित	22.	अनुसूचित जाति
3.	अनारक्षित	23.	अनारक्षित
4.	अनुसूचित जनजाति	24.	अनारक्षित
5.	अनारक्षित	25.	अनारक्षित
6.	अनारक्षित	26.	अनारक्षित
7.	अनारक्षित	27.	अनारक्षित
8.	अनुसूचित जाति	28.	अनुसूचित जाति
9.	अनारक्षित	29.	अनारक्षित
10.	अनारक्षित	30.	अनारक्षित
11.	अनारक्षित	31.	अनुसूचित जन जाति
12.	अनारक्षित	32.	अनारक्षित
13.	अनारक्षित	33.	अनारक्षित
14.	अनुसूचित जाति	34.	अनारक्षित
15.	अनारक्षित	35.	अनारक्षित
16.	अनारक्षित	36.	अनुसूचित जाति
17.	अनुसूचित जन जाति	37.	अनारक्षित
18.	अनारक्षित	38.	अनारक्षित
19.	अनारक्षित	39.	अनारक्षित
20.	अनारक्षित	40.	अनारक्षित

टिप्पणी :—यदि किसी विशेष वर्ष में केवल एक ही रिक्ति हो जो रोस्टर में आरक्षित प्वाइंट पर पड़ती हो तो उसे पहले अनारक्षित समझा जाएगा और अनारक्षित समझकर ही भरा जाएगा । किन्तु वह आरक्षण बाद वाले वर्ष (वर्षों) में आगे ले जाया जाएगा और बाद वाले भर्ती वर्ष (वर्षों) में उसे उस वर्ष की रिक्ति मानकर उस पर आरक्षण का नियम लागू किया जाएगा चाहे बाद वाले वर्ष (वर्षों) में केवल एक ही रिक्ति क्यों न हुई हो ।

परिशिष्ट 2

खुली प्रतियोगिता को छोड़कर अन्य तरीके से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों का माडल रोस्टर (अनुसूचित जातियों के लिए 16⅔% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7½% आरक्षण) [पैरा 4.1 (i) (ख)]

रोस्टर में प्वाइंट	अनारक्षित हैं या आरक्षित	रोस्टर में प्वाइंट	अनारक्षित हैं या आरक्षित
1.	अनुसूचित जाति	21.	अनारक्षित
2.	अनारक्षित	22.	अनारक्षित
3.	अनारक्षित	23.	अनारक्षित
4.	अनुसूचित जन जाति	24.	अनारक्षित
5.	अनारक्षित	25.	अनुसूचित जाति
6.	अनारक्षित	26.	अनारक्षित
7.	अनुसूचित जाति	27.	अनारक्षित
8.	अनारक्षित	28.	अनारक्षित
9.	अनारक्षित	29.	अनुसूचित जन जाति
10.	अनारक्षित	30.	अनारक्षित
11.	अनारक्षित	31.	अनारक्षित
12.	अनारक्षित	32.	अनुसूचित जाति
13.	अनुसूचित जाति	33.	अनारक्षित
14.	अनारक्षित	34.	अनारक्षित
15.	अनारक्षित	35.	अनारक्षित
16.	अनारक्षित	36.	अनारक्षित
17.	अनुसूचित जन जाति	37.	अनुसूचित जाति
18.	अनारक्षित	38.	अनारक्षित
19.	अनारक्षित	39.	अनारक्षित
20.	अनुसूचित जाति	40.	अनारक्षित

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त रोस्टर के प्रत्येक तीसरे क्रम में 37वां स्थान अनारक्षित समझा जाएगा ।

2. यदि किसी विशेष वर्ष में केवल एक रिक्ति हो, जो रोस्टर में आरक्षित प्वाइंट पर पड़ती हो तो इसे पहले अनारक्षित समझा जाएगा और अनारक्षित रिक्ति के अनुसार भरा जाएगा । किन्तु इस आरक्षण को बाद वाले वर्ष (वर्षों) में आगे ले जाया जाए । बाद वाले भर्ती वर्ष (वर्षों) में उसे उस वर्ष में होने वाली आरक्षित रिक्ति मानकर उस पर आरक्षण संबंधी आदेश लागू किए जाएंगे चाहे बाद वाले उस वर्ष (उन वर्षों) में केवल एक ही रिक्ति क्यों न हुई हो ।

परिशिष्ट 3

जहां भर्ती स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर होनी हो वहां 100 प्वाइंटों के रोस्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले प्वाइंटों को दर्शाने वाले माडल रोस्टर :—

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम अनु०जाति/ अनु०ज०जाति के आरक्षण की प्रतिशतता		अनु०जाति/अनु०ज०जाति के लिए 100 प्वाइंटों के रोस्टर में आरक्षित किए जाने वाले वास्तविक प्वाइंट
1.	2.	3.	4.
1.	आन्ध्र प्रदेश	अनु०जाति	1, 8, 14, 20, 27, 33, 38, 44, 51, 57, 64, 70, 77, 84, 90
	15 अनु०जाति/ 6 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	4, 23, 40, 60, 79, 96
2.	अरूणाचल प्रदेश	अनु०जाति	4
	1 अनु०जाति/ 44 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	1, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 59, 61, 63, 65, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98.
3.	बिहार	अनु०जाति	1, 8, 14, 20, 27, 33, 39, 44, 51, 57, 64, 70, 77, 84, 90.

1.	2.	3.	4.
	15 अनु०जाति/ 9 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	4, 16, 25, 37, 48, 59, 68, 80, 93.
4.	गुजरात	अनु०जाति	4, 18, 32, 46, 60, 74, 88.
	7 अनु०जाति/ 14 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92.
5.	हरियाणा	अनु०जाति	1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91.
	19 अनु०जाति/ अनु०ज०जाति शून्य	अनु०ज०जाति	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	अनु०जाति	1, 6, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 93, 97.
	25 अनु०जाति/ 5 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	4, 23, 43, 63, 83.
7.	जम्मू और कश्मीर	अनु०जाति	1, 12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89.
	9 अनु०जाति/ अनु०ज०जाति शून्य	अनु०ज०जाति	शून्य
8.	कर्नाटक	अनु०जाति	1, 8, 14, 20, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 64, 70, 77, 84, 90.
	15 अनु०जाति/ 5 अनु०ज०जाति		
		अनु०ज०जाति	4, 29, 54, 79, 94.
9.	केरल	अनु०जाति	1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
	10 अनु०जाति/ 1 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	4.
10.	मध्य प्रदेश	अनु०जाति	4, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87.
	14 अनु०जाति/ 23 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	1, 6, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 90.

1.	2.	3.	4.
11.	महाराष्ट्र	अनु०ज़ाति	4, 18, 32, 46, 60, 74, 88.
	7 अनु०जाति/	अनु०ज०जाति	1, 12, 23, 34, 44, 56, 67, 79,
	9 अनु०ज०जाति		91.
12.	मणिपुर	अनु०जाति	4.
	1 अनु०जाति/	अनु०ज०जाति	1, 6, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29,
	27 अनु०ज०जाति		33, 37, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 67, 71, 75, 79, 83, 86, 89, 92, 95, 98.
13.	मेघालय	अनु०जाति	4.
	1 अनु०जाति/	अनु०ज०जाति	1, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 24,
	44 अनु०ज०जाति		27, 29, 31, 33, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 59, 61, 63, 65, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98.
14.	मिजोरम	अनु०जाति	शून्य
	शून्य अनु०जाति/	अनु०ज०जाति	1, 4, 7, 10, 12,14, 16, 18, 20, 22,
	45 अनु०ज०जाति		24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 96, 99.
15.	नागालैण्ड	अनु०जाति	शून्य
	शून्य अनु०जाति/	अनु०ज०जाति	1, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,
	45 अनु०ज०जाति		24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 96, 99.
16.	उड़ीसा	अनु०जाति	4, 11, 19, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 63, 71, 75, 83, 87, 95.
	15 अनु०जाति/	अनु०ज०जाति	1, 6, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37,
	23 अनु०ज०जाति		41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 90.
17.	पंजाब	अनु०जाति	1, 6, 10, 14, 17, 20, 23, 26, 29,
	27 अनु०जाति/		33, 37, 41, 46, 50, 54, 58, 62, 67, 71, 75, 79, 83, 86, 89, 92, 95, 98.
	अनु०ज०जाति शून्य		
		अनु०ज०जाति	शून्य

1.	2.	3.	4.
18.	राजस्थान 17 अनु०जाति/ 12 अनु०ज०जाति	अनु०जाति	1, 7, 13, 19, 26, 32, 38, 43, 50, 56, 62, 67, 74, 80, 86, 92, 98.
		अनु०ज०जाति	4, 11, 21, 28, 35, 45, 52, 59, 69, 76, 83, 94.
19.	सिक्किम 6 अनु०जाति/ 23 अनु०ज०जाति	अनु०जाति अनु०ज०जाति	4, 24, 42, 59, 77, 93. 1, 6, 10, 14, 18, 22, 27, 31, 35, 40, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 70, 75, 79, 83, 87, 91, 95.
20.	तमिलनाडु 19 अनु०जाति / 1 अनु०ज०जाति	अनु०जाति	1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91.
		अनु०ज०जाति	4.
21.	त्रिपुरा	अनु०जाति	4, 11, 18, 24, 31, 38, 45, 53, 59, 65, 72, 78, 84, 90, 96.
	15 अनु०जाति/ 29 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	1, 6, 9, 13, 15, 20, 22, 27, 29, 33, 36, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 61, 63, 68, 70, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 92, 94.
22.	उत्तर प्रदेश 21 अनु०जाति/ 1 अनु०ज०जाति	अनु०जाति	2, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 90, 95, 99.
		अनु०ज०जाति	4.
23.	पश्चिम बंगाल 22 अनु०जाति/ 6 अनु०ज०जाति	अनु०जाति	1, 6, 10, 14, 18, 22, 27, 31, 35, 40, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 70, 75, 79, 83, 87, 92.
		अनु०ज०जाति	4, 24, 43, 63, 85, 98.

संघ राज्य क्षेत्र

1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह शून्य अनु०जाति/ 12 अनु०ज०जाति	अनु०जाति	शून्य
		अनु०ज०जाति	1, 9, 17, 26, 34, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 94.

1.	2.	3.	4.
2.	चण्डीगढ़	अनु०जाति	1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92.
	14 अनु०जाति/ शून्य अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	शून्य
3.	दादर और नगर हवेली	अनु०जाति	4, 54.
		अनु०ज०जाति	1, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 51, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 95, 98.
	2 अनु०जाति/ 43 अनु०ज०जाति		
4.	दिल्ली		अखिल भारतीय आधार पर भर्ती के लिए विहित रोस्टरों के अनुसार किया जाए ।
5.	गोवा दमन और दीव	अनु०जाति	1, 50.
	2 अनु०जाति/ 1 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	4.
6.	लक्षद्वीप	अनु०जाति	शून्य
	शून्य अनु०जाति/ 45 अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	1, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 93, 96, 99.
7.	पाण्डेचरी	अनु०जाति	1, 7, 12, 20, 26, 32, 38, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93.
	16 अनु०जाति/ शून्य अनु०ज०जाति	अनु०ज०जाति	शून्य

परिशिष्ट 4

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के उद्देश्य से रखे गए रोस्टर के अनुसार कार्य करने के लिए रखा जाने वाला रजिस्टर का फार्म

(पैरा 4.4)

..... मंत्रालय/विभाग/कार्यालय

ग्रेड या ग्रुप या पद .....

स्थायी और लम्बी अवधि के अस्थायी/पूर्णतः अस्थायी पद

पिछले वर्ष के आगे लाये गए आरक्षण		की गई भर्ती का ब्यौरा					आगे लाए गए आरक्षण		नियुक्तियां प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
अनुसूचित जातियां	अनु०जन-जातियां	भर्ती वर्ष	चक्र सं० और प्वाइंट सं०	चालू रोस्टर के अनुसार अ०जा०/अ०ज० जाति के लिए अनारक्षित या आरक्षित	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	क्या वह व्यक्ति अ०जा०/अ०ज०जा० का है यदि इनमें से किसी समुदाय का नहीं है तो लिखें कि दोनों में से किसी समुदाय का नहीं है	अ०जाति	अनु० जन जाति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

परिशिष्ट 5

रोस्टर रखने के बारे में विस्तृत अनुदेश (पैरा 4.4)

1. प्रत्येक प्रकार की भर्ती के लिए परिशिष्ट 4 में दिए गए फार्म में एक अलग रोस्टर रखा जाए तथा इसमें भी इन आदेशों के प्रयोजन से, प्रत्येक ग्रेड या सेवा या बनाए गए पदों के ग्रुप के लिए अलग रोस्टर रखा जाए ।

2. पदों के प्रत्येक वर्ग में (i) स्थायी नियुक्तियों और ऐसी अस्थायी नियुक्तियों जिनके स्थायी होने की या अनिश्चित काल तक चलने की संभावना हो और (ii) पूर्णत: अस्थायी नियुक्तियों के लिए अलग अलग रोस्टर रखे जाएं ।

3. नियुक्ति करने के तुरन्त बाद नियुक्त व्यक्ति का ब्यौरा रजिस्टर के उचित कालम में दर्ज कर दिया जाए तथा इस प्रविष्टि पर नियुक्ति प्राधिकारी या जिस अधिकारी को हस्ताक्षर करने का प्राधिकार दिया गया हो उसके हस्ताक्षर करवाए जाएं ।

4. रोस्टर पूरा करते समय बीच में खाली स्थान न छोड़ा जाए । उदाहरणार्थ यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण 25वें स्थान की आरक्षित रिक्ति को अनारक्षित माना जाना हो तो इस स्थान (25वें) पर जिस व्यक्ति की वास्तव में नियुक्ति हुई हो उसे ही उस प्वाइंट पर दिखाया जाए । बाद में उस वर्ष में, किसी अनारक्षित स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार की भर्ती की गई हो तो उस उम्मीदवार का नाम उक्त स्थान पर दिखाया जाएगा ।

5. यह रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू लेखे के रूप में रखा जाएगा । उदाहरणार्थ, यदि एक वर्ष में होने वाली भर्ती चक्र के छठे स्थान तक हो तो उसके बाद वाले वर्ष में होने वाली भर्ती 7वें स्थान से आरम्भ होगी ।

टिप्पणी—रोस्टर में की जाने वाली प्रविष्टियां कार्यारम्भ करने की तारीखों से या उम्मीदवारों के गुणावगुण इत्यादि को ध्यान में रखकर की जाएं, इस विषय में ऊपर के अनुदेश संख्या और 4 के संदर्भ में यह बात ध्यान में रखी जाए कि यदि उस आधार पर प्रविष्टियां करने से आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के नाम रोस्टर में, अनारक्षित स्थानों पर दिखाने पड़ते हों तो इस स्थिति में पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति आरक्षित रिक्तियों पर हुई है उन्हें उनके कार्यभार ग्रहण करते ही उसी तारीख

से संबंधित आरक्षित स्थानों पर दिखाया जाए । यदि रोस्टर में एक स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखा गया हो और उस रिक्ति पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को नियुक्त करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई आरम्भ हो चुकी हो और उस पर आगे कार्य हो रहा हो तो उस आरक्षित स्थान को इस समुदाय के उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने तक या आरक्षित रिक्ति का आरक्षण समाप्त होने तक, कुछ समय के लिए खाली रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी । ऐसे मामले में यह न समझा जाए कि रोस्टर में खाली प्वाइंट छोड़ दिया गया है । ऊपर दिए गए अनुदेश संख्या 4 के अनुसार रोस्टर में खाली स्थान नहीं छोड़ा जाना चाहिए । अतएव यह आवश्यक होगा कि रिक्तियों को अधिसूचित करते समय रोस्टर के क्रम में आने वाले प्वाइंट को ही ध्यान में रखा जाए तथा बीच में कोई प्वाइंट खाली न छोड़ा जाए । पिछली भर्ती वास्तव में, जिस प्वाइंट पर समाप्त हुई हो उसके अगले प्वाइंट से नई भर्ती आरम्भ की जाए ।

परिशिष्ट 6

ऐसी रिक्तियों का काल्पनिक उदाहरण जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं किन्तु उन्हें उक्त समुदायों के उम्मीदवारों से नहीं भरा जा सका है तो उन्हें किस प्रकार अग्रेषित/व्यपगत किया जा सकता है (पैरा 4)

पदों का ग्रेड या ग्रुप :—तकनीकी सहायक—स्थायी पद और अस्थायी पद जिनके स्थायी होने की सम्भावना है

पिछले वर्ष से आगे लाये गए आरक्षण		की गई भर्ती का ब्यौरा			आगे से लाए गए आरक्षण				नियुक्ति अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	भर्ती वर्ष	चक्र सं० और स्थान संख्या	लागू रोस्टर के अनुसार अ०जा०/अ० ज०जा० के लिए अनारक्षित या आरक्षित पद	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	वह अ०जाति का है या अ० जन-जाति का है ? यदि दोनों का न हो तो लिखें कि दोनों में से किसी समुदाय का नहीं है	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1966		1. अनुसूचित जातियां	क	दोनों में से किसी समुदाय का नहीं है				
			2. अनारक्षित	ख	—वही—				
			3. —वही—	ग	—वही—				
			4. अनुसूचित जनजातियां	घ	अनुसूचित जन-जातियां				
			5. अनारक्षित	ङ	दोनों में से किसी जाति का नहीं है				
			6. —वही—	च	—वही—				
			7. —वही—	छ	—वही—				
			8. —वही—	ज	—वही—				
			9. अनुसूचित जातियां	झ	—वही—				
			10. अनारक्षित	ञ	—वही—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1967									मान लीजिए कि 1967 में कोई भर्ती नहीं हुई तो रिक्तियों को आगे ले जाये जाने और उनके व्यपगत होने के उद्देश्य से 1967 के वर्ष को नहीं गिना जाएगा ।
)66 का 2)		1968	11. अनारक्षित		ट	अनुसूचित जातियां अ				चूंकि अनुसूचित जाति के केवल एक उम्मीदवार की भर्ती हुई है अतः उसे 1966 से आगे लाये गए किसी एक आरक्षण के साथ समायोजित किया जाएगा ।
			12. —वही—		ठ	दोनों में से किसी जाति के नहीं				
			13. —वही—		ड	—वही—				
			14. —वही—		ढ	—वही—				
			15. —वही—		ण	—वही—				
			16. —वही—		त	—वही—				
			17. अनुसूचित जातियां		थ	—वही—				
			18. अनारक्षित		द	—वही—				
			19. —वही—		ध	—वही—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								(1966 का 1) (1968 का 1)		
(1966 का 1) (1968 का 1)			20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.	—वही— अनु० जनजातियां अनारक्षित —वही— —वही— अ०जातियां अनारक्षित —वही— —वही— —वही— —वही—	न प फ ब भ म य कक खख गग घघ	अ० जनजातियां दोनों समुदायों के नहीं हैं । —वही— —वही— —वही— —वही— —वही— —वही— —वही—				दो भर्ती वर्षों के बाद उदाहरणार्थ 1968 और 1969 के बाद 1966 का एक आरक्षण व्यपगत हो गया । (चूंकि 1969 का आरक्षण ता० 31-12-1969 को अर्थात् 25-3-70 के आदेश जारी होने से पहले, व्यपगत हो जाता है, अत: इस आरक्षण को तीसरे बाद वाले वर्ष में अर्थात् 1970 में, आगे ले जाने की आवश्यकता नहीं है)
								(1968 का 1) (1969 का 1)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1968 का 1)		1970	31.	अनारक्षित	ङ ङ	दोनों में से किसी जाति का नहीं				
(1969 का 1)			32.	—वही—	चच	—वही—				
			33.	अ० जातियां	छछ	—वही—				
									(1968 का 1) (1969 का 1) (24-3-70 तक 1970 का 1)	
(1968 का 1) (1969 का 1) (1970 का 1)		1970 (25-3-70 से)	1.	अ० जातियां	जज	दोनों में से किसी जाति का नहीं				
			2.	अनारक्षित	झझ	—वही—				
			3.	—वही—		—वही—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(24-3-70 तक)		4.	अ० जनजातियां	टट	अ० जनजातियां			1968 को ऐसी आरक्षित रिक्ति जो 1969 और 1970 के दौरान अ० जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति करके न भरी जा सकी हो उसे गृह मंत्रालय के ता० 25-3-70 के का०ज्ञा०सं० 27/25/68-स्थापना(एस० सी०टी०) के अनुसार तीसरे भर्ती वर्ष में अर्थात 1971 में आगे ले जाया जायेगा । 1969 का एक और एक आरक्षण और 1970 के 3 आरक्षण भी आगे ले जाये जाएंगे क्योंकि उन पर अनुसूचित जाति का उम्मीदवार नियुक्त नहीं हो पाया ।
			5.	अनारक्षित	ठठ	दोनों में से किसी भी जाति का नहीं ।				
			6.	—वही—	डड	—वही—				
			7.	—वही—	ढढ	—वही—				
			8.	अ० जातियां	णण	—वही—				
			9.	अनारक्षित	तत	—वही—				
			10.	—वही—	थथ	—वही—				
			11.	—वही—	दद	—वही—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1968 का 1 1969 का 1 1970 का 2			
1968 का 1 1969 का 1 1970 का 3		1971	12.	अनारक्षित	घघ	अनु० जनजाति				रिक्ति आगे ले जाने का तीसरा वर्ष होने और अनु० जाति व अनु० जनजाति के उम्मीदवारों का परस्पर विनिमय करने की अनुमति होने के कारण अनुसूचित जाति के 1968 के आगे ले जाये गए आरक्षण पर अनुसूचित जनजाति के एक उम्मीदवार की नियुक्ति की गई ।
			13.	अनारक्षित	नन	दोनों में से किसी जाति का नहीं ।				
			14.	अनु० जातियां	पप	—वही—				
			15.	अनारक्षित	फफ	—वही—				
			16.	अनारक्षित	बब	—वही—				
			17.	अ० जनजातियां	भभ	अ० जनजातियां				
			18.	अनारक्षित	मम	दोनों में से किसी जाति का नहीं ।				
			19.	अनारक्षित	यय	—वही—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								1969 का 1 1970 का 3 1971 का 1		
1969 का 1 1970 का 3 1971 का 1		1972	20. 21. 22. 23. 24. 25.	अनारक्षित अनारक्षित अनुसूचित जाति अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित	खक खख खग खघ खङ खच	अ० जाति अ० जाति अ० जाति दोनों में से किसी जाति का नहीं । —वही— —वही—				
								1970 का 1 1971 का 1 1972 का 1		

परिशिष्ट 8क

मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित प्रत्येक सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण

मंत्रालय/विभाग.....

सेवा.....

(क) 1-1-1986 की स्थिति के अनुसार :

सेवा का ग्रेड वेतनमान सहित	श्रेणी	पदों की कुल संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	निम्नलिखित से सम्बन्धित कर्मचारी		
				अन्य समुदाय	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वेतनमान 700-1300						
वरिष्ठ वेतनमान 1100-1600						
कनिष्ठ प्रशा० ग्रेड 1500-2000						
चयन ग्रेड 2000-2250						
वरिष्ठ प्रशा० ग्रेड						
स्तर (II) 2250-2500						
स्तर (I) 2500-2750						
अधिसमय वेतनमान 3000 तथा इससे अधिक (अखिल भारतीय सेवाओं के लिए)						

(ख) 1-1-86 से 31-12-86 की अवधि के दौरान भर्ती के ब्यौरे :

सेवा का ग्रेड	श्रेणी	अवधि के दौरान अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियां			भरी जाने वाली रिक्तियां		
		अन्य समुदाय	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	अन्य समुदाय	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8
कनिष्ठ वेतनमान							
वरिष्ठ वेतनमान							
कनिष्ठ प्रशा० ग्रेड							
चयन ग्रेड							
वरिष्ठ प्रशा० ग्रेड							
स्तर (II)							
स्तर (I)							
अधिसमय वेतनमान (अखिल भारतीय सेवाओं के लिए)							

3 वर्ष के बाद व्यपगत की गई रिक्तियां		अनारक्षित की गई आरक्षित रिक्तियां		अग्रेनीत की जाने वाली रिक्तियां		अनारक्षण के कारण
अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अनु० जाति	अनु० जनजाति	
9	10	11	12	13	14	15
कनिष्ठ वेतनमान						
वरिष्ठ वेतनमान						
कनिष्ठ प्रशा० ग्रेड						
चयन ग्रेड						
वरिष्ठ प्रशा० ग्रेड (स्तर-II)						
(स्तर-I)						
अधिसमय वेतनमान (अखिल भारतीय सेवाओं के लिए)						

(ग) 1-1-1987 की स्थिति के अनुसार (वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/बर्खास्तगी और पदोन्नति आदि के कारण परिवर्तन की स्थिति दिखाने वाला)

सेवा का ग्रेड (वेतनमान सहित)	श्रेणी	पदों की कुल संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	निम्नलिखित से सम्बन्धित कर्मचारी		
				अन्य समुदाय	अनु० जाति	अनु० जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ वेतनमान						
वरिष्ठ वेतनमान						
कनिष्ठ प्रशा० ग्रेड						
चयन ग्रेड						
वरिष्ठ प्रशा० ग्रेड						
(स्तर-II)						
(स्तर-I)						
अधिसमय वेतनमान (अखिल भारतीय सेवाओं के लिए)						

***टिप्पणी :** (1) अनारक्षण करने के विशेष कारणों को बताया जाए तथा यह भी बताया जाए कि क्या सभी कार्रवाई कर ली गई थी और क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, जो लिखित परीक्षा में पास हो गया हो परन्तु साक्षात्कार में फेल हो गया ।

(2) इस प्रपत्र की धारा (क) के कालम 1 में एक सेवा/संवर्ग से दूसरे सेवा/संवर्ग को भिन्न दिखाया जा सकता है । अभिप्राय यह है कि संवर्ग से सम्बन्धित प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उस संवर्ग से सम्बन्धित प्रचलित ग्रेडों को निर्दिष्ट करेगा ।

परिशिष्ट 9

(पैरा 14.1)

.....मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरे जाने वाली आरक्षित रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(.....वर्ष के दौरान)

पद की श्रेणी	कुल रिक्तियों की संख्या		आरक्षित रिक्तियों की संख्या		अनुसूचित जातियां		
	अधिकृत	भरी गई	कालम 2 में दी गई संख्या में से	कालम 3 में दी गई संख्या में से	नियुक्त किए गए अनु० जातियों के उम्मीदवारों की संख्या	पिछले वर्ष से आगे लाई गई अनु० जातियों के रिक्तियों की संख्या	आगे ले जाने के अगले वर्ष में अनु० जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त हुए अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

अनुसूचित जातियां				अनुसूचित जनजातियां			
तीन वर्ष में आगे ले जाने के बाद व्यपगत आरक्षणों की संख्या	आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त हुए अनु० जन-जातियों के उम्मीदवारों की संख्या	पिछले वर्ष से आगे लाई गई अनु० जन-जातियों की रिक्तियों की संख्या	आगे ले जाने के तीसरे वर्ष में अनु० जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त हुए अनु० जातियों के उम्मीदवारों की संख्या	तीन वर्ष में आगे ले जाने के बाद व्यपगत आरक्षणों की संख्या	अभ्यु-क्तियां
	कालम 2 में दर्शायी गई संख्या में से	कालम 3 में दी गई संख्या में से					
9	10	11	12	13	14	15	16

I—सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद

अन्य प्रथम श्रेणी

प्रथम श्रेणी की निम्नतम सीढ़ी

द्वितीय श्रेणी

तृतीय श्रेणी

चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)

चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारी)

II—पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

अन्य प्रथम श्रेणी
प्रथम श्रेणी की निम्नतम सीढ़ी
द्वितीय श्रेणी
तृतीय श्रेणी
चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)
चतुर्थ श्रेणी (सफाई कर्मचारी)

टिप्पणी : (1) प्रत्येक समूह (श्रेणी) के समेकित आंकडे दिए जाएं ।

(2) कालम 4, 5, 9 और 10 में कालम 2, 3 में दी गई आरक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या दी जाए तथा इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि यह संख्या आगे लाए गए आरक्षणों की है या वर्ष में हुए सामान्य आरक्षणों की ।

(3) समूह ग से समूह घ में, समूह ख में, और समूह ख से समूह "क" की लाइने नीचे की सीढ़ी में (श्रेणी III से श्रेणी II में तथा श्रेणी II से श्रेणी I के सबसे नीचे के वर्ष में (चयन द्वारा पदोन्नतियों के मामले में कालम 7 और 12 के शीर्षक में उल्लिखित "आगे ले जाये जाने के तीसरे वर्ष में" और कालम 8 और 13 के शीर्षक में उल्लिखित "तीन वर्ष के लिए आगे ले जाने के बाद" शब्द लागू नहीं होंगे तथा इन कालमों को तदनुसार भरा जाए । [कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का ता० 20 जुलाई, 1974 का का० ज्ञापन सं० 10/41/73-स्थापना (एस०सी०टी०) और 3 फरवरी, 1975 का का० ज्ञापन सं० 10/37/74-स्थापना (एस०सी०टी०) और ता० 29 अप्रैल, 1975 का का० ज्ञापन सं० 1/9/74-स्थापना (एस०सी०टी०)] ।

प्रमाणित किया जाता है कि (क) स्थायी नियुक्तियों और ऐसी नियुक्तियों के, जिनके स्थायी होने या अनिश्चित काल तक चलने की संभावना है, रोस्टर में शामिल रिक्तियों पर गैर-अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवार नियुक्त किए थे तब कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से पूर्वानुमति ले ली गई थी और (ख) पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार प्राप्त करने के लिए सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी विवरणिका के पैरा 7.1 में निर्धारित कार्रवाई की गई है ।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

स्थान.....

राज्य.....

तारीख.....

परिशिष्ट 10

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से होने वाली भर्ती के लिए मांग-फार्म

[पैरा 7.1 (i)]

1. कार्यालय/विभाग और पता .....
2. मांग करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम । .....
   दूरभाष संख्या .....
3. जिस अधिकारी के पास आवेदकों को जाना हो उसका नाम और पदनाम । .....
4. साक्षात्कार की तारीख, समय और स्थान .....
5. (क) जिस पद/जिन पदों को भरा जाना हो उसका/उनका पदनाम । .....
   (ख) वेतनमान और भत्ते .....
   (ग) कार्य का स्थान .....
6. (क) भरे जाने वाले पदों की संख्या :—
   (i) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित : .....
   प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने वाले पद । .....
   बिना प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने वाले पद । .....
   (ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद :
   प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने वाले पद । .....
   बिना प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने वाले पद । .....
   (iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित .....
   (iv) अनारक्षित :
   प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने वाले पद । .....
   बिना प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने वाले पद । .....

(ख) स्थायी रिक्तियों की अवधि	अस्थायी (तीन महीनों से कम अवधि की)	अस्थायी (3 महीने और एक वर्ष के बीच की अवधि)	अस्थायी (एक वर्ष से अधिक अवधि तक चलने वाली)

7. अपेक्षित अर्हताएं :
   (क) अनिवार्य .....
   (ख) वांछनीय .....
8. यदि स्थानीय आवेदक न मिल रहे हों तो क्या प्रतीक्षा करेंगे या अन्य रोजगार कार्यालयों के आवेदकों पर विचार करेंगे ? .....
9. संगत समझी जाने वाली कोई अन्य संबंधित जानकारी । .....

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर कालम 6(क) में बताए अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या सरकार द्वारा इन श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण-कोटे के अनुसार है ।

कार्यालय अध्यक्ष के
हस्ताक्षर

तारीख.....

सेवा में,
रोजगार अधिकारी,
रोजगार कार्यालय

टिप्पणियां : 1. कृपया प्रत्येक प्रकार के पदों के लिए अलग-अलग फार्म प्रयोग करें ।

2. यदि गृह मंत्रालय के तारीख 28-1-52 के का०ज्ञा०सं० 42/21/49-एन०जी०एस० के पैरा 5(6) में दिए गए सुझाव के अनुसार समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिए गए हों तो विज्ञापन की एक प्रति रोजगार कार्यालय को भेजे जाने वाले मांग-पत्र के साथ अवश्य भेजी जाए ।

परिशिष्ट 11

[पैरा 7.1 (iii)]

1. **आन्ध्र प्रदेश**
   आन्ध्र प्रदेश दलित वर्ग लीग, 125 हायटर बस्ती, सिकन्दराबाद (आं०प्र०) ।
2. **असम**
   सम्पूर्ण असम अनुसूचित जाति संघ, उजन बाजार, सती राधिका शांति रोड, गोहाटी (असम) ।
3. **बिहार**
   बिहार राज्य दलित वर्ग लीग, 8/20, आर-ब्लाक, पटना-1 (बिहार) ।
4. **गुजरात**
   गुजरात प्रदेश दलित वर्ग लीग, 12, रोहित नगर सोसाइटी, न्यू सिविल अस्पताल के पास, साहीबाग, अहमदाबाद-4 ।
5. **जम्मू और काश्मीर**
   जम्मू और काश्मीर राज्य दलित वर्ग लीग, कनाल व्यू बंगला, कनाल रोड, जम्मू ।
6. **केरल**
   केरल राज्य दलित वर्ग लीग, कांग्रेस हाऊस, एर्नाकुलम, कोचीन-1 ।
7. **कर्नाटक**
   कर्नाटक राज्य दलित वर्ग लीग, आदिजम्बावे होस्टल, मागदी रोड, बंगलौर ।
8. **मध्य प्रदेश**
   मध्य प्रदेश दलित वर्ग लीग, 5/3, प्रोफेसर्स कालोनी, भोपाल ।
9. **महाराष्ट्र**
   महाराष्ट्र राज्य दलित वर्ग लीग, 112, मैडोज स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-1 ।
10. **तमिलनाडु**
    तमिलनाडु राज्य दलित वर्ग लीग, 3, पुडपेट गार्डर स्ट्रीट, रोयमेट्टा, मद्रास-14 ।
11. **उड़ीसा**
    उड़ीसा राज्य दलित वर्ग लीग, गांधी भवन, स्टेशन रोड, भुवनेश्वर ।
12. **पंजाब**
    पंजाब राज्य दलित वर्ग लीग, बाल्मिकी भवन, 158-आर, माडल टाउन, होशियारपुर (पंजाब) ।

13. **राजस्थान**

राजस्थान राज्य दलित वर्ग लीग, आर-13, अशोक नगर, सी-स्कीम, जयपुर ।

14. **उत्तर प्रदेश**

उत्तर प्रदेश दलित वर्ग लीग, 104, रायल होटल, लखनऊ ।

15. **पश्चिम बंगाल**

बंगाल प्रांतीय दलित वर्ग लीग, 12 अर्पुली लैन, कलकत्ता-12 ।

16. **दिल्ली**

दिल्ली राज्य दलित वर्ग लीग, 13-एफ, शंकर मार्केट, नई दिल्ली-1 ।

क. सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व से संबंधित आदेशों के उद्देश्य के लिए अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त एसोसिएशन इत्यादि का पता ।

(i) महासचिव, हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-9 ।

(ii) महासचिव, दिल्ली अनुसूचित जाति कल्याण एसोसिएशन, अम्बेडकर भवन, रानी झान्सी रोड, नई दिल्ली ।

(iii) अध्यक्ष, अनुसूचित जाति उत्थान संघ, 10911-सत नगर, गली नं० 2, ब्लाक नं० 5 क, करोल बाग, नई दिल्ली-5 ।

(iv) कार्यालय सचिव, भारतीय दलित वर्ग लीग, 13-सी, फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली-1 तथा इसकी नीचे वर्णित की गई शाखाएँ ।

(v) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, 134, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली ।

(vi) हिन्दी सफाईवाला, सेवक समाज, गेस्ट रूम नं० 19, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली ।

(vii) डा० भीमराव अम्बेडकर कल्याण संघ, 8365, आर्य नगर, पहाड़ गंज, नई दिल्ली ।

(viii) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन, 39, पटोदी हाऊस, केनिंग लेन, नई दिल्ली ।

(ix) अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति युवक संघ, 10446, स्ट्रीट नं० 2, बगीची अलाउद्दीन, सदर थाना रोड़, पहाड़गंज, नई दिल्ली ।

(x) धोबी समाज सुधार समिति रेस कोर्स क्लब, नई दिल्ली-3 ।

(xi) बाल्मिकि समाज विकास परिषद् (मान्यता प्राप्त), टी-468/2, अहाता किडारा, पानी के टैंक के पास, दिल्ली-6 तथा बाल्मीकि समाज विकास परिषद की शाखाएं ।

(xii) आन्ध्र प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण संग, 10/ए, ओल्ड एम०एल०ए० क्वार्टर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद ।

(1) **दिल्ली**

1. 1316, बस्ती चैन सुख कला महल, दरियागंज, नई दिल्ली-2 ।
2. 340ए, राजनगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली-45 ।

(2) **उत्तर प्रदेश ।**

1. 14, पटेल मार्ग, गाजियाबाद ।
2. 220, सिविल लेन, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश ।
3. 205, जाटव पुरा, बरेली ।
4. 342, शिशम बाग (केन्ट), फतेहगढ़, जिला फरुखाबाद ।
5. 300, मोहल्ला दरीबा, गाँधी पार्क, मैनपुरी ।
6. 43, मोहम्मद गंज, मैनपुरी गेट, फिरोजाबाद-283203 ।
7. 242ए, नवाब गंज, कानपुर-2 ।
8. 86, मोहल्ला नक्काश, पीलीभीत ।
9. 39, डी०ए०वी० डानामल नगर, फिरोजाबाद, आगरा ।
10. 33, 1-1, बाजार कैन्ट, इलाहाबाद ।
11. महर्षि बाल्मिकि मन्दिर, मोदी नगर ।

(3) **राजस्थान**

1. आर्य भवन, बस स्टैंड के सामने, पाली, मारवाड़ ।
2. दादाभाई का अहाता, नसीराबाद रोड, अजमेर ।

(4) **महाराष्ट्र**

1. 333, रेलवे पोर्टर्स जन कल्याण, जिला थाना, बम्बई ।
2. चाल नं० डी-18, रुम नं० 8, माटुंगा लेबर कैम्प, बम्बई-400 019 ।

(5) **आन्ध्र प्रदेश**

1. 23-4-577, सुल्तान साही, हैदराबाद-500 265 ।

(6) **पंजाब**

1. सेक्टर-ए, कोठी नं० 5, चण्डीगढ़ ।
2. 508, ए, रणजीत एवेन्यू, इस्ट मोहन नगर, अमृतसर, पंजाब ।

(7) **बिहार**

15-ई टाइप, पी० तथा टी० कालोनी, किदवारी पुरी, पटना ।

(8) **पश्चिम बंगाल**

बाल्मिकि मंदिर, अर्दली बाजार, बरदेकपुर, 24 परगना ।

(9) **गुजरात**

19/10, ज़मनाकुंड, न्यू हरिजन हाउसिंग कालोनी, भाड़ नगर, गुजरात-364 001 ।

(10) हरियाणा

माता गेट, 12 बीसा, वी० तथा पी०ओ०, गुड़गांव ।

ख. सेवाओं में विशेष प्रतिनिधित्व संबंधी आदेशों के लिए अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्राप्त संघों के पते ।

सचिव, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डा० अम्बेडकर रोड, नई दिल्ली-55 तथा नीचे दी गई सम्बद्ध संस्थाओं के पते :—

आन्ध्र प्रदेश

1. सचिव, आन्ध्र राष्ट्र आदिम जाति सेवक संघ, रामासुब्यां स्ट्रीट, नेल्लोर-524 001 जिला-नेलोर (आन्ध्र प्रदेश) ।
2. सचिव, आर्य श्रमिक धर्म राज्य सभा, कोवूर, जिला पश्चिम गोदावरी, पिन कोड नं० 534 350 ।
3. महासचिव, आन्ध्र प्रदेश आदिम जाति सेवा संगम, रामान्नागुडेम, वाया पुट्टायागुडम (पोलावरम "ख" ब्लाक), जिला पश्चिम गोदावरी (आं०प्र०) ।

असम

4. सचिव, शक्ति आश्रम, डाक्टर शक्ति आश्रम, फकीराग्राम (गोलपाड़ा जिला) गोलपाड़ा (असम) ।
5. सचिव, वरामा आश्रम बराना, डाकघर बरामा-781 346, जिला कामरूप (असम) ।
6. सचिव, मिकिर हिल्स सेवा केन्द्र, सराहजन मिकिर हिल्स (असम) ।

बिहार

7. सचिव, आदिम जाति सेवा मंडल, रांची, डाकघर हिनो, रांची-834 001, जिला रांची (बिहार राज्य)
8. सचिव, संथाल पहाडिया सेवा मंडल, वेष्यनाथ-देवगढ़-814 112, जिला संथाल परगना (बिहार)
9. सचिव, मानभूम आदिम जाति सेवक संघ, गोसाईदिह, डाकघर गोविन्दपुर-828 109, जिला धनबाद (बिहार राज्य)
10. सचिव, बिहार राज्य गोंड महासभा, एल०आई०जी० फ्लैट सं० 11, कैकड बाग कालोनी, पटना-800 020 (बिहार राज्य)
11. सचिव, संथाल परगना आदिमजाति सेवक संघ, दुमका, जिला संथाल परगना, पिन कोड नं० 814 010 (बिहार राज्य)
12. सचिव, आदिम सबर जातीय सभा, छाटाशीला, सिंहभूम (बिहार)

गुजरात

13. सचिव, भील सेवा मंडल, दवोद, जिला पंचमहल, पिन कोड नं० 389 151 (गुजरात राज्य)
14. सचिव, रानी पराज सेवा सभा, वेदछिक, वाया बलौद, जिला सूरत (गुजरात)
15. सचिव, बड़ोदा जिला पचत वर्ग सेवा मंडल, बड़ोदा, सरदार भवन, बड़ोदा-390 001, गुजरात राज्य
16. सचिव, भड़ोच जिला आदिवासी सेवा संघ, राजपीपला, जिला भड़ोच (गुजरात)
17. सचिव, आदिवासी सेवा समिति, शामलाजी, डाकघर सर्वोदय केन्द्र-383 355, साबरकंठा (गुजरात)

हिमाचल प्रदेश

18. सचिव, पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ, सलोगरा, जिला सोलम (हि०प्र०)

केरल

19. सचिव, सर्वसेवा आश्रम, थोतुमुखयम, अक्वाये-683 103, जिला एंरणाकुलम (केरल)

मध्यप्रदेश

20. सचिव, म०प्र० वनवासी सेवा मंडल, मंडला, जिला मंडाला (म०प्र०)
21. सचिव, मालवा भील सेवा मंडल, मोती तबैला सं० 1, इन्दौर, जिला इन्दौर (म०प्र०)
22. सचिव, आदिवासी सेवा संघ, 54, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, झाबुआ जिला झाबुआ (म०प्र०)
23. सचिव, म०प्र० शारिया सेवा संघ, पटानकर का बाड़ा, जोकोब की परेड, लस्कर, जिला ग्वालियर (म०प्र०)
24. सचिव, म०प्र० शारिया सेवा संघ, बादी, डाकघर बादी, जिला रायसीना (म०प्र०)
25. सचिव, कल्याण आश्रम, जशपुरनगर, जिला रायगढ़ (म०प्र०)

महाराष्ट्र

26. सचिव, आदिवासी सेवा मंडल, 6-वीर नरीमन रोड, बम्बई-400 001
27. सचिव, पश्चिम खानदेश भील सेवा मंडल, नन्दुरबार-425 412, जिला धूलिया (महाराष्ट्र)

28. सचिव, डांग सेवा मंडल, नासिक-422 002, जिला नासिक (महाराष्ट्र)
29. सचिव, आदिवासी शिक्षण प्रसारक मंडल, यवोटमल, जिला यवोटमल, महाराष्ट्र-445 001
30. सचिव, आदिवासी सेवा समिति, नासिक, जिला नासिक-445 001 (महाराष्ट्र)
31. सचिव, मनेली ग्राम सेवा मंडल, तकली तेह, सेयोनीर, जिला नागपुर (महाराष्ट्र)
32. सचिव, अखिल भारतीय श्री गुरूदेव सेवा मंडल, गुरूकुर्ण आश्रम, जिला अमरावती-446 001 (महाराष्ट्र)
33. सचिव, गोखले शिक्षण सोसाइटी, कोसबाद केन्द्र, डाकघर कासबाद हिल्स, जिला थाना-401 703 (महाराष्ट्र)
34. सचिव, ग्राम बाल शिक्षा केन्द्र, कोसबाद हिल्स-401 703, जिला थाना (महाराष्ट्र)
35. सचिव, सत्यानिकेतन, 817 (न्यू) सदाशिव पेठ, पूना-410 030 (महाराष्ट्र)
36. सचिव, महात्मा गांधी विद्या मंदिर, मालेगांव कैम्प, डाकघर मालेगांव कैम्प, जिला नासिक (महाराष्ट्र)
37. सचिव, सातपुड़ा सर्वोदय सेवा मंडल, धड़गांव, जिला धुलिया (महाराष्ट्र)

उड़ीसा

38. सचिव, ठक्कर आश्रम, रायगढ़, जिला कोरीपुट (उड़ीसा)
39. सचिव, सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, बक्शी बाजार, कटक
40. सचिव, उत्कल नवजीवन उत्कल नवजीवन मंडल, अंगुल, जिला धेनकानाल (उड़ीसा)
41. सचिव, सर्वोदय सेवा समिति, कुंजहर, डाकघर सुकती, जिला कुंजहर (उड़ीसा)

राजस्थान

42. सचिव, राजस्थान सेवा संघ, डुंगरपुर, जिला डुंगरपुर (राजस्थान)
43. सचिव, बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतेपुर जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)
44. सचिव, राजस्थान मीना सेवक संघ, जयपुर (राज०)
45. सचिव, आदिमजाति सेवक संघ, जयपुर (राज०), सोदूलू, जमुना डेरी, चौथी मील, जयपुर ।

तमिलनाडू

46. सचिव, सदगुरु सेवा समराण संगम, गांधी नगर, कून्नूर, जिला नीलगिरि (तमिलनाडु)

47. सचिव, नीलगिरी आदिवासी कल्याण ऐसोसिएशन, कोटागिरि, जिला नीलगिरी (तमिलनाडु)
48. सचिव, सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, 8 वेस्ट कोट रोड, रायेपेट्यह, मद्रास-600 014

त्रिपुरा

49. सचिव, त्रिपुरा आदिमजाति सेवक संघ, सं०-111, 11 लेन जयनगर, अगरतला-799 001 (त्रिपुरा)

उत्तर प्रदेश

50. सचिव, अशोक आश्रम, डाकघर अशोक आश्रम, वाया डाक पत्थर, जिला देहरादून (उ०प्र०)
51. सचिव, सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पुरुषोत्तम दास टण्डन रोड, इलाहाबाद (उ०प्र०)
52. सचिव, वनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर, वाया तुरा, जिला मिरजापुर (उ०प्र०)
53. सचिव, आदिवासी सेवक संघ, कमरा सं० 111, रायल होटल, लखनऊ-226 001 (उ०प्र०)

पश्चिम बंगाल

54. सचिव, भारत महाजाति मंडल, 73/11, पालम एवेन्यू, कलकत्ता-700 001

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद् की निम्नलिखित शाखाओं को दिनांक 27-4-82 के का० ज्ञा० सं० 36014/3/82-स्था० (एस०सी०टी०) द्वारा मान्यता दी गई है :—

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्

अध्यक्ष,
अ० भा० अ० जा० परिषद्, पश्चिम बंगाल राज्य,
मार्फत पी-1115/1, बनारस रोड,
हावड़ा-710 008 (प० बंगाल)

अध्यक्ष/महासचिव,
अ० भा० अ० जा० परिषद्, महाराष्ट्र राज्य,
टी० एच० कटारिया मार्ग,
माहिम, बम्बई-400 016 (महाराष्ट्र)

संयोजक,
अ० भा० अ० जा० परिषद्, बिहार राज्य,
मार्फत 41, हार्डिंग रोड,
पटना (बिहार)

श्री एच० एल० हितैषी,
अध्यक्ष, अ० भा० अ० जा० परिषद्,
जम्मू तथा कश्मीर,
डाकघर भादरवाह,
जिला डोडा (जम्मू तथा कश्मीर)

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, बम्बई क्षेत्र,
सी-4, आजाद नगर, वडाला, बम्बई (महाराष्ट्र)

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, मध्य प्रदेश,
5, सिविल लाईन्स, भोपाल (म० प्रदेश)

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, हरियाणा राज्य,
सेक्टर नं० 23-क/103,
चण्डीगढ़

अध्यक्ष/महासचिव,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, हिमाचल प्रदेश,
132, ग्रांड होटल,
शिमला (हिमाचल प्रदेश)

अध्यक्ष/महासचिव,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, उड़ीसा राज्य,
क्वार्टर नं० 5/4, डी० एस०
एम० एल० ए० कालोनी,
भुवनेश्वर (उड़ीसा)

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, राजस्थान राज्य,
राज भवन मार्ग,
सिविल लाईन्स,
जयपुर (राजस्थान)

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, तमिल नाडु राज्य,
1, माण्डेन अनी,
सरकारी सम्पदा,
मद्रास-600 002 (तमिलनाडु)

अध्यक्ष/महासचिव,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य,
115, रायल होटल,
लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, दिल्ली राज्य,
18, अशोक रोड,
नई दिल्ली

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, पाण्डिचेरी,
119, महात्मा गांधी रोड,
पाण्डिचेरी

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्, गुजरात राज्य,
"द्वारकेश",
12, हेमन्त कुंज सोसाइटी,
फतेह नगर, साउथ पालदी,
अहमदाबाद-380 007 (गुजरात)

अध्यक्ष/महासचिव,
78, चर्च रोड, नरप्पा गार्डन,
बेनसन टाउन,
बंगलौर-560 046

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद्,
गोआ, दमन तथा दीव,
मेनड्रेम पेरनेम,
गोआ

महासचिव,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद,
मार्फत—नागसेन स्पोर्टिंग क्लब,
ऊंटखाना डाहीपुरा,
डाकघर अजनी,
नागपुर (महाराष्ट्र)

महासचिव,
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद,
1-1-750/1, गांधी नगर,
हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)

परिशिष्ट I2

[पैरा 10.5]

.....मंत्रालय/विभाग

(इसमें सम्बध्द और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है)

पूर्णतः अस्थायी नियुक्तियों के, जिनके 45 या अगले अधिक दिन तक बनी रहने की सम्भावना है, लेकिन स्थायी, धीमें या अनिश्चित काल तक रखने की संभावना नहीं है, रोस्टर में शामिल ऐसी आरक्षण रिक्तियों का विवरण जिनका मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया है

पहली जनवरी से 31 दिसम्बर .....तक

पद की श्रेणी	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां		आरक्षण समाप्त करने के संक्षिप्त कारण	टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान भरी गई अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या	कालम 2 की जिन आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है अर्थात् जो गैर अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरी गई हैं, उनकी संख्या	वर्ष के दौरान भरी गई अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या	कालम 4 में की जिन आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है अर्थात् जो गैर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार से भरी गई हैं, उनकी संख्या		
1	2	3	4.	5	6	7
श्रेणी—I						
श्रेणी—II						
श्रेणी—III						
श्रेणी—IV						

परिशिष्ट 13

(i) श्रेणी III और IV में चयन द्वारा, और

(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के बारे में विस्तृत अनुदेश ।

[पैरा (9.1 और 9.2(ग)] ।

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के मामले में निम्नलिखित अनुदेश लागू होंगे :—

(1) (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अधिकारी सामान्य विचार-क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आते हों उनको पदोन्नति करने के संबंध में भी अन्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाए तथा अन्य उम्मीदवारों की तरह ही उनके बारे में निर्णय किया जाए । उनमें जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हों तथा जिनका चयन इन समुदायों का होने के कारण हुआ हो उनके नाम क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तैयार की गई अलग चयन-सूची में शामिल करने के साथ-साथ सामान्य चयन-सूची में भी शामिल किए जाएं ।

(ख) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उपर्युक्त सामान्य चयन-सूची में अपनी स्थिति के आधार पर आरक्षित रिक्तियों से कम रिक्तियां प्राप्त हों तो इस कमी को इन समुदायों के उन चुने गए उम्मीदवारों से पूरा किया जाए, जिनके नाम क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की अलग-अलग चयन-सूचियों में शामिल हों ।

(2) (i) अनुसूचित जातियों, और (ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए तैयार की गई अलग चयन-सूचियों में यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का आपस में अलग-से मूल्यांकन किया जाएगा, अन्य अधिकारियों के साथ नहीं । यदि उन्हें चुन लिया गया तो उन्हें इस अलग चयन-सूची में शामिल किया जाएगा चाहे अन्य अधिकारियों की तुलना में उनके गुणावगुण कुछ भी रहे हों । यहां यह भी बता दिया जाए कि जो अधिकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के न हों उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तैयार की जाने वाली चयन-सूची में शामिल नहीं किया जाएगा । उपर्युक्त अलग चयन-सूची में

शामिल होने के लिए यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विचार-क्षेत्र उतना ही होगा जितना सामान्य चयन-सूची का होता है अर्थात यदि सामान्य चयन-सूची के लिए विचार-क्षेत्र भरी जाने वाली रिक्तियों का पांच गुना हो तो अनुसूचित जनजातियों की अलग चयन-सूची का विचार-क्षेत्र भी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों का पांच गुना होगा और इसी प्रकार अनुसूचित जनजातियों के मामले में भी होगा लेकिन इसके लिए यह शर्त होगी कि इस विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिकारी पदोन्नति के लिए निर्धारित सेवा-अवधि इत्यादि की दृष्टि से पात्र हों ।

(3) यदि यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण आरक्षित रिक्ति का आरक्षण समाप्त करना आवश्यक हो, तो आरक्षण समाप्त करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को लिखा जाए तथा इस बात का उल्लेख किया जाए कि आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के पात्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के दावों पर ऊपर के पैरा (i) और (2) में बताई गई विधि से विचार हुआ है या नहीं । यदि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग आरक्षण समाप्त करने के लिए सहमत हो जाए तब आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति की जा सकती है लेकिन इसके लिए यह शर्त होगी कि ये आरक्षण बाद वाले तीन वर्ष तक आगे ले जायें जायेंगे और जिस अन्तिम वर्ष तक आरक्षित रिक्तियां आगे ले जायी जायेंगी उस वर्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच रिक्तियों का विनिमय किया जाएगा ।

(4) यदि उपर्युक्त रीति से लम्बी अवधि के लिए स्थानापन्न आधार पर पहले पदोन्नतियां की जाती हैं वहां पुष्टियां भी सामान्य नियम के अनुसार की जाएं अर्थात जिस अधिकारी को पहले चयन-सूची में अपने ध्यान के आधार पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया हो उसकी पुष्टि भी पहले की जाए, जिससे उसको हुआ लाभ उसे मिलता रहे । बशर्ते कि गृह मंत्रालय के 17 फरवरी, 55 के का०ज्ञा०सं० एफ-1/1/55-आर०पी०एम० के पैरा 1(iii) के अनुसार वह उपयुक्त स्तर बनाए रखें । किन्तु आरक्षण के सिद्धांत इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियों के पुष्टिकरण के मामले में लागू नहीं होंगे ।

परिशिष्ट 14

उम्मीदवार द्वारा अपने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने के दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म (पैरा-13.1)

जाति संबंधी प्रमाण-पत्र का फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती*/कुमारी* - के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के - - - - - - - - - - - - - -जिले/डिवीजन* - - - - - - - - - - गांव/शहर* के निवासी - - - - - - - - - - - - - - - - - - के पुत्र/पुत्री* हैं तथा - - - - - - - - - - - /जनजाति के हैं/को हैं । यह जाति निम्नलिखित आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य है :—

* **संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950;**
* **संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950;**
* **संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ-राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951;**
* **संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ-राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951;**

  (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित;

* **संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;**
* **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959;**
* **संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;**
* **संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;**
* **संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964;**

* संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967;
* संविधान (गोआ, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;
* संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
* संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;

2. श्री/श्रीमती*/कुमारी* - - - - - - - - - - - - - - - - - और*/या *उनका परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के - - - - - - - - - - जिले/डिवीजन* के - - - - - - - - गांव/शहर* में सामान्यत: रहती/रहता है ।

हस्ताक्षर----------

पदनाम----------

(यहां कार्यालय की मुहर भी लगाएं)

राज्य

संघ राज्य क्षेत्र

स्थान----------

तारीख----------

---

* जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

टिप्पणी :—यहां प्रयुक्त "सामान्यत: रहते हैं" शब्दों का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया गया है ।

परिशिष्ट 15

सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों की सूची

(पैरा 13.1)

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/समाहर्ता/उप-आयुक्त/अपर आयुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/*सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।
2. मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट ।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे के रैंक का न हो ।
4. उस क्षेत्र का सब डिवीजनल अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है ।
5. प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षदीप द्वीप समूह)

---

*(प्रथम श्रेणी के वैतनिक मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे के रैंक का न हो)

परिशिष्ट 16

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की सूची [गृह मंत्रालय का ता॰ 2-5-1975 का परिपत्र संख्या 35/1/72-आर॰यू॰ (एस॰सी॰टी॰V)]

(पैरा 12.2)

(1) **सामान्य** : (सभी मामलों में लागू होते हैं)

यदि किसी व्यक्ति ने जन्म से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने का दावा किया हो, तो निम्नलिखित तथ्यों का सत्यापन किया जाए :—

(i) वह व्यक्ति और उसके माता-पिता वास्तव में उसी समुदाय के हैं जिस समुदाय का होने का उसने दावा किया है;

(ii) राष्ट्रपति के आदेशों में संबंधित राज्य की जिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शामिल किया गया है उनमें उक्त समुदाय को शामिल किया गया है;

(iii) वह व्यक्ति उस राज्य का और राज्य के उस क्षेत्र का है जिसमें उस समुदाय को अनुसूचित किया गया है;

(iv) यदि व्यक्ति ने अनुसूचित जाति का होने का दावा किया हो तो उसे अपना धर्म हिन्दू या सिख घोषित करना होगा;

(v) यदि किसी व्यक्ति ने अनुसूचित जनजाति का होने का दावा किया हो तो वह स्वयं को किसी भी धर्म का घोषित कर सकता है ।

(2) **प्रवास के मामले** :

(i) यदि कोई व्यक्ति राज्य के उस भाग से, जिसमें उसका समुदाय अनुसूचित है, उसी राज्य के किसी अन्य भाग में चला जाता है जहां उसका समुदाय अनुसूचित नहीं है, तब भी उसे उस राज्य के संदर्भ में, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या जनजाति का समझा जाता रहेगा ।

(ii) यदि कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो मूलत: वह जिस राज्य का हो केवल उसके संदर्भ में अनुसूचित जाति या जनजाति का होने का दावा कर सकता है, उस राज्य के संदर्भ में नहीं जिस राज्य में वह आया हो ।

(3) **विवाह के आधार पर दावे :**

इस सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धांत यह होगा कि जो व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है उसे केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह करने के कारण अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं समझा जाएगा;

इसी प्रकार यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य गैर-अनुसूचित जाति या गैर-अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेता है तो विवाह के बाद भी वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा ।

(4) **धर्म-परिवर्तन और पुनः धर्म-परिवर्तन के मामले :**

(i) यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति हिन्दू या सिख धर्म को छोड़कर अन्य किसी धर्म को अपना लेता है और कुछ अवधि के बाद फिर से हिन्दू या सिख धर्म अपना लेता है तो यह समझा जाएगा कि वह अपनी मूल अनुसूचित जाति का हो गया है । बशर्ते कि उसे उस विशिष्ट जाति के सदस्यों ने अपनी जाति का सदस्य स्वीकार कर लिया हो ।

(ii) अनुसूचित जाति के धर्म-परिवर्तन व्यक्ति के वंशज को केवल हिन्दी या सिख धर्म अपना लेने से ही उस अनुसूचित जाति का नहीं माना जाएगा जिस अनुसूचित जाति का उसका पूर्वज था । यह बात भी अधिप्रमाणित करनी चाहिए कि इस धर्म-परिवर्तित व्यक्ति ने जिस जाति का होने का दावा किया है उस जाति के सदस्यों ने उसे अपनी जाति के रूप में स्वीकार कर लिया है और इस प्रकार वह उस जाति का सदस्य बन गया है ।

(5) **गोद लेने के मामले :**

यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर अनुसूचित जाति का होने का दावा करे कि उसे किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने गोद लिया है तो ऐसे मामले में कार्रवाई करते समय अत्यधिक सावधानी बरती जाए । ऐसे व्यक्ति को अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र देने से पहले गोद लेने की वैधता का सही-सही पता लगा लिया जाए । इस आधार पर अनुसूचित जाति का होने का दावा करने वाले व्यक्ति का भी कर्तव्य होगा कि वह अपने दावे को सिद्ध करने के लिए अकाट्य और विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करे ।

(i) इस उद्देश्य से हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 6 से 11 में वैध रूप से गोद लेने संबंधी अपेक्षाओं का उल्लेख हुआ है । बच्चे को वास्तव में गोद देना और गोद लेना अधिदेशात्मक (मैनडेटरी) आवश्यकता

है और इसके बाद गोद लिया गया बच्चा सभी प्रयोजनों से गोद लेने वाले पिता या माता का बच्चा समझा जाएगा तथा बच्चे ने जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार से उसके सारे संबंध टूट जाएंगे । सामान्यत: जिस बच्चे की आयु 15 वर्ष हो चुकी हो या जिसका विवाह हो चुका हो उसे तभी गोद दिया जा सकता है जब गोद लेने और देने वालों के समुदाय में ऐसा रिवाज हो या ऐसा होता हो ।

(ii) गोद लेने का कार्य वैध रूप से हुआ है या नहीं इस बात का निर्णय करते समय प्रमाण-पत्र देने वाला प्राधिकारी इस बात की तसल्ली कर ले कि कानून संबंधी सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है । वह गोद लेने के बाद बच्चे का व्यवहार भी देखे जैसे वह उसके गोद लेने वाले माता-पिता के साथ वास्तव में रहता है या नहीं, उक्त माता-पिता उसका भरण-पोषण करते हैं या नहीं तथा उसे उसके मूल माता-पिता से आर्थिक सहायता तो नहीं मिलती । यदि किसी मामले में ये सभी शर्तें पूरी न होती हों तो प्रमाण-पत्र न दिया जाए ।

(iii) विवाहित या 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को गोद लेने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा । जिला मजिस्ट्रेट गोद लेने की वैधता की बाबत और रिवाज की बाबत कि गोद लेने की अनुमति है या तथा इस प्रकार गोद लिया जा सकता है या नहीं, इस संबंध में पूछताछ करने के बाद प्रमाण-पत्र पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा । इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उस विशिष्टि क्षेत्र के हिन्दुओं में या उस समुदाय, समूह या परिवार में उक्त रिवाज या परिपाटी लगातार और लम्बे समय से चली आ रही हो तथा उसे कानून का समर्थन प्राप्त हो बशर्ते कि यह रिवाज या परिपाटी निश्चित हो, उचित हो या लोक-नीति के विरुद्ध न हो । यदि यह रिवाज या परिपाटी किसी विशिष्ट परिवार की हो तो यह रिवाज या परिपाटी समाप्त न हो गई हो । इसके अलावा इस बात का सत्यापन किया जाए कि वैध रूप से गोद लेने संबंधी अन्य शर्तें पूरी की गई हैं । अन्य शर्तों में यह शर्त भी शामिल है कि जिन माता-पिता ने व्यक्ति को गोद लिया है वह उनके ही साथ रहता हो और उसने अपने मूल माता-पिता से सभी प्रकार के संबंध तोड़ दिए हैं ।

(6) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए "निवास" शब्द के बारे में स्पष्टीकरण । (गृह मंत्रालय के ता० 22-3-1977 के परिपत्र सं० बी०सी० 12025/2/76-एस०सी०टी०)

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार समय-समय पर प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र और जहां किसी विशिष्ट राज्य का मामला हो, उसमें सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनमें उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विभिन्न जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया है। इन आदेशों में अन्तरजातीय क्षेत्र संबंधी पाबंदियाँ जानबूझ कर लगायी गई हैं जिससे किसी विशिष्ट क्षेत्र में, जिसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र माना गया हो, रहने वाले विशिष्ट समुदायों के लोग ही इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकें। यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले लेकिन एक जाति के व्यक्ति समान रूप से असमर्थ हों, लेकिन यह संभव है कि एक ही जाति के दो व्यक्तियों को जो अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रहते हों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का न माना जाए और यही बात विपरीत क्रम से भी लागू हो सकती है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने का विशेष महत्व होता है। अतएव ऊपर उल्लिखित "निवास" शब्द को उसके शाब्दिक अर्थ या साधारण अर्थ में न समझा जाए। दूसरी ओर इस शब्द का यह अर्थ निकलता है कि राष्ट्रपति के आदेश अधिसूचित होने की तारीख से जो व्यक्ति उस क्षेत्र के निवासी के रूप में रह रहा हो, उसे उस क्षेत्र की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र माना गया है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का आदेश, जो उस व्यक्ति पर लागू होता हो, अधिसूचित होने के समय रोजगार के लिए या शिक्षा इत्यादि प्राप्त करने के लिए अपने स्थायी निवास स्थान से थोड़ी अवधि के लिए बाहर चला जाता है, तो उसे भी यथास्थिति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का माना जाएगा, बशर्ते कि उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्य के संदर्भ में उसकी जाति/जनजाति निर्धारित की गई हो। किन्तु अपने अस्थायी निवास-स्थान के संदर्भ में उसको वहां की किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जा सकता है, चाहे राष्ट्रपति के किसी आदेश में उस क्षेत्र में, उसकी जाति/जनजाति अनुसूचित ही क्यों न की गई हो।

भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए विहित प्रोफार्मा में इस उद्देश से विशेष व्यवस्था की है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी व्यक्ति के स्थायी निवास और उसकी जाति/जनजाति संबंधी दावे की सच्चाई को सुनिश्चित करना है। सही व्यक्तियों को ही उक्त प्रमाण-पत्र दिए जाएं। इस उद्देश्य से मुख्यत: राजस्व रिकार्डों के आधार पर ठीक-ठीक सत्यापन किया जाए और आवश्यक होने पर विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के बाद ये प्रमाण-पत्र दिए जाएं। चूंकि केवल राजस्व प्राधिकारियों को ही संबंधित राजस्व-रिकार्ड संबंधी जानकारी होती है अत: केवल ये ही विश्वसनीय जानकारी दे सकते हैं। भारत सरकार केवल इन्हीं प्राधिकारियों के प्रमाण-

पत्र प्रस्तुत करने पर बल देती है । अतएव इस विवरणिका के परिशिष्ट-15 में उल्लिखित उक्त प्रमाण-पत्र जारी करने वाला सक्षम प्राधिकारी वही व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति का संबंधित आदेश अधिसूचित होने के समय उस क्षेत्र से संबंधित हो जिस क्षेत्र में प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का स्थायी निवासस्थान हो । इस प्रकार एक जिले का राजस्व प्राधिकारी दूसरे जिले के व्यक्ति को उक्त आशय का प्रमाण-पत्र देने के लिए सक्षम नहीं होगा तथा न ही एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का राजस्व प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों को उक्त आशय का प्रमाण-पत्र दे सकेगा जो राष्ट्रपति के किसी विशेष आदेश की अधिसूचना के समय किसी अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास कर रहा हो । जिन व्यक्तियों का जन्म राष्ट्रपति के संबंधित आदेश—अधिसूचित होने की तारीख के बाद हुआ हो उनके मामलों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होने का प्रमाण राष्ट्रपति का आदेश अधिसूचित होने के समय उन व्यक्तियों के माता-पिता का स्थायी निवासस्थान होगा जिसके अधीन उन्होंने ऐसी जाति/जनजाति का होने का दावा किया था ।

परिशिष्ट 17

पैरा 7.1(iv)

आकाशवाणी के उन केन्द्रों (जो ऐसे क्षेत्र में हों जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की घनी आबादी हो) की सूची जिन्हें आरक्षित रिक्तियों की घोषणा करने के लिए वे रिक्तियां अधिसूचित की जानी हैं

राज्य का नाम	ऐसे क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी के केन्द्र जिनमें अ० जाति की घनी आबादी है	ऐसे क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी के केन्द्र जिनमें अ० जनजाति की घनी आबादी है	ऐसे क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी के केन्द्र जिनमें अ० जा० और अ० जनजाति दोनों की घनी आबादी हो	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	कुडपाह	विशाखापट्टनम	————	
2. असम	————	डिब्रूगढ़, सिल्चर	गोहाटी	
3. बिहार	पटना	रांची	————	
4. गुजरात	अहमदाबाद बड़ोदा-राजकोट	————	————	
5. जम्मू और कश्मीर	जम्मू	————	————	

1	2	3	4	5
6. केरल	त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, एलेप्पी	कालीकट		
7. मध्य प्रदेश	ग्वालियर	इन्दौर	भोपाल जबलपूर	
8. महाराष्ट्र	सांगली	————	पुणे औरंगाबाद	
9. मणिपुर	————	इम्फाल	————	
10. मेघालय	————	शिलांग	————	
11. कर्नाटक	धारवाड़ गुलबर्गा	————	बंगलोर	
12. नागालैण्ड	————	कोहिमा	————	
13. उड़ीसा	कटक	जैपुर	संबलपुर	
14. पंजाब	जालंधर	————	————	
15. राजस्थान	बीकानेर, जोधपूर, अजमेर	————	जयपुर, उदयपुर	
16. तमिलनाडु	तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेल्ली, कोयम्बतूर	————	————	
17. त्रिपुरा	————	————	अगरतला	

18. उत्तर प्रदश	लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा, रामपुर, गोरखपुर		
19. पश्चिम बंगाल	————	————	कुरसियांग, सिलीगुड़ी
20. संघ राज्य क्षेत्र	चंडीगढ़, पांडिचेरी	तेजु, एलवल, तवांग	————

हिमाचल प्रदेश (आकाशवाणी) शिमला, जम्मू और कश्मीर राज्य (आकाशवाणी) लेह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के संघ शासित क्षेत्र (आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर और आकाशवाणी पणजी) असम (आकाशवाणी पासीघाट)

योजना आयोग से प्राप्त जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोष्टक में बताए अनुसार इन आकाशवाणी केन्द्रों में या इनके आसपास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की घनी आबादी नहीं है । इसके बावजूद मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ये केन्द्र भी नियमित रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की घोषणाएं प्रसारित करते हैं ।

परिशिष्ट 18

(पैरा 10.2)

प्रोफार्मा 1 (क)

अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के प्रस्ताव भेजने के लिए प्रोफार्मा

1.	मंत्रालय/विभाग का नाम	
2.	उस सेवा/कार्यालय का नाम जिसमें रिक्तियां हों	
3.	जिस पद का आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव हो उसका पदनाम, वर्गीकरण, समूह और वेतनमान	
3.1	पदनाम	
3.2	समूह (अर्थात् श्रेणी)	
3.3	वेतनमान	
4.	भर्ती की पद्धति तथा लागू रोस्टर	
4.1	संघ लोक सेवा आयोग अथवा अन्य प्राधिकरण (कृपया संबंधित अन्य प्राधिकारी का नाम दें) द्वारा ली गई खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से (40 प्वाइंट रोस्टर देखें विवरणिका के परिशिष्ट 1 में)	हां/नहीं
4.2	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन द्वारा अन्यथा किसी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से (40 प्वाइंट रोस्टर देखें विवरणिका के परिशिष्ट 1 में)	हां/नहीं
4.3	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अन्यथा चयन के माध्यम से अथवा खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से (40 प्वाइंट रोस्टर देखें विवरणिका के परिशिष्ट II में)	हां/नहीं
5.	कुल रिक्तियों के ब्यौरे	
5.1	वर्तमान भर्ती में भरी जाने वाली रिक्तियों (आरक्षित और सामान्य) की कुल संख्या	————

		चक्र संख्या	प्वाइंट से	प्वाइंट तक
5.2	ये रिक्तियां 40 प्वाइंट रोस्टर में किस प्वाइंट पर है तथा वर्तमान चक्रों की संख्या			

		अनु० जाति	अनु० जनजाति
6.	आरक्षित रिक्तियों के ब्यौरे		
6.1	उपर्युक्त कालम 5.1 में से आरक्षित रिक्तियों की संख्या :		
	(क) आगे लाए गए आरक्षण के कारण (प्रत्येक वर्ष से आगे लाए गए आरक्षण के कारण अलग-अलग बताए जाएं)		
	तीसरे वर्ष में	———	———
	दूसरे वर्ष में	———	———
	प्रथम वर्ष में	———	———
	(ख) रोस्टर के अनुसार हुए नए आरक्षण के कारण	———	———
	(ग) जहां कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 27-12-77 के का० ज्ञा० सं० 16/3/73-स्था० (एस० सी० टी०) में दिए गए अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए लागू होता हो वहां 50% का प्रतिबंध लागू करने के बाद ऊपर के कालम (क) और (ख) के जोड़ में से निवल आरक्षण (कृपया नीचे दी गई टिप्पणी सं० 2 और 3 देखें)	———	———
	(घ) ऊपर के कालम (ग) में उल्लिखित रिक्तियों में से ऐसी रिक्तियों की संख्या जिनको आगे ले जाये जाने का तीसरा वर्ष होने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों में परस्पर विनिमय हो सकता है ।	———	———
6.2	कालम 6.1 (ग) में उल्लिखित ऐसी रिक्तियों की संख्या जिनके लिए अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवार मिल गए हों;	———	———
6.3	उन रिक्तियों की संख्या जिनका आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव हो (देखें नीचे दी गई टिप्पणी सं० 1)	———	———

टिप्पणियां :

(1) कालम 6.1 में उल्लिखित आरक्षित रिक्तियों को भरते समय इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि पिछले वर्ष के आगे लाए गए आरक्षणों पर पहले नियुक्ति कर ली जाय । उदाहरणार्थ, यदि कालम 6.1 (ग) में उल्लिखित आकड़ों में 1975 और 1976 भर्ती वर्षों में आगे लाए गए आरक्षण शामिल हों तो 1976 से आगे लाए गए आरक्षणों से पहले 1975 से आगे लाए गए आरक्षणों पर नियुक्तियां होंगी और इसके बाद चालू आरक्षणों पर नियुक्तियां होगी, इस संबंध में कृपया गृह मंत्रालय के तारीख 25-3-70 के का० ज्ञा० सं० 27/25/68-स्था० (एस० सी० टी०)के पैरा 3 और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 2-4-79 के का० ज्ञा० सं० 36013/2/79-स्था० (एस० सी० टी०) में दिए गए अनुदेशों को देखें ।

(2) कुल आरक्षण रिक्तियों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकता । यदि आरक्षण अधिक हो, तो अगले भर्ती वर्षों में आगे लाए जा सकते हैं ।

(3) किसी भी भर्ती में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की 50% सीमा केवल तभी बढ़ाई जा सकती है जब संबंधित संवर्ग/ग्रेड/पद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम हो ।

7.	यदि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जाती है तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें :—	
7.1	परीक्षा के लिए नियमों के प्रकाशन की तारीख	————————
7.2	जिस तारीख को परीक्षा ली जानी हो, वह तारीख	————————
7.3	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली हो	अनु० जाति अनु० जनजाति ——— ———
7.4	उपर्युक्त 7.3 में उल्लिखित संख्या में अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जो साक्षात्कार (यदि कोई निर्धारित हो) के लिए आए हों	——— ———
7.5	अन्तिम रूप से चुने गए अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या	अनु० जाति अनु० जनजाति
	(क) अपने गुणावगुण के आधार पर	——— ———
	(ख) उपयुक्तता के स्तर में छूट देकर	——— ———
	(ग) कुल	——— ———

7.6	अनु० जाति/अनु० जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने नियुक्ति स्वीकार कर ली थी	————	————
8.	यदि भर्ती चयन द्वारा (अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा को छोड़कर अन्य माध्यम से) हुई हो तो निम्नलिखित ब्यौरा दें :—		
8.1	क्या इन रिक्तियों के विज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि ये रिक्तियां केवल अनु० जाति/अनु० जनजातियों के लिए आरक्षित हैं [देखें दिनांक 31-7-70 का का० ज्ञा० सं० 1/1/70-स्था० (एस० सी० टी०) में उल्लिखित अनुदेश] और यदि ऐसा हुआ हो तो निम्नलिखित ब्यौरा दें :—		
	(i) विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख	————	
	(ii) चयन के लिए आरक्षित अनु० जाति/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या	अनु० जाति ————	अनु० जनजाति ————
	(iii) मानकों में छूट देने के पश्चात् उपयुक्त पाए गए अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या	————	————
8.2	क्या रिक्तियां पुनः विज्ञापित की गई थी तथा क्या अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों के साथ-साथ अन्य उम्मीदवारों से भी आवेदन मांगे गए थे, यदि हां, तो :		
	(i) पुनः विज्ञापन की तारीख	————	————
	(ii) साक्षात्कार के लिए आए अनु० जाति/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या	————	————
	(iii) मानकों में छूट देने के पश्चात् उपयुक्त पाए गए अनु० जाति/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या	————	————
9.	क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से हुआ था अर्थात अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार चयन समिति की उस तारीख अथवा उस बैठक के अतिरिक्त अन्य तारीख अथवा बैठक में हुआ था जिस तारीख को और जिस बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का चयन हुआ था		

10. क्या दूसरे विज्ञापन के परिणामस्वरूप सामान्य उम्मीदवार पहले से ही चुन लिए गए हैं और वे अनारक्षित की गई आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं

11. यदि रिक्तियों का अनारक्षण करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन मांगा गया हो तो :

    (i) कृपया अनारक्षण समाप्त करने के लिए पूर्व अनुमोदन न लेने के कारण बताएं :

    (ii) आरक्षण समाप्त करने से पूर्व ही आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्णय किस स्तर पर लिया गया

12. यदि आवश्यक हो, तो अतिरिक्त सूचना/अभ्युक्तियां । (यदि आरक्षण लागू करने के लिए इस पद को अन्य पदों के साथ मिलाया गया है तो कृपया यह बताएं कि क्या शामिल करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का अनुमोदन ले लिया गया है और क्या विवरणिका के पैरा 5.5 के उपबन्धों को ध्यान में रखा गया है

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मंत्रालय/विभाग (मूल) के सम्पर्क अधिकारी को इस प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी है और वह इस प्रस्ताव से सहमत है ।

2. इस मंत्रालय/विभाग (मूल) द्वारा इस प्रस्ताव की एक प्रति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110 022 को पृष्ठांकित की गई है ।

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....
मंत्रालय/विभाग .....
टेलीफोन नं० .....

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एस०सी०टी० अनुभाग) भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।

2. आयुक्त, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, वेस्ट ब्लाक-1, स्कन्ध सं० 7, पहली मंजिल, आर० के० पुरम, नई दिल्ली ।

.....मंत्रालय/विभाग का तारीख .....

.....का यू० ओ० सं० .....

*मंत्रालय/विभाग (मूल) के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर की हैसियत के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

प्रोफार्मा 1(ख)

स्थानीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली ऐसी रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए भेजे जाने वाले प्रस्तावों का प्रोफार्मा जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है ।

---

1. मंत्रालय/विभाग का नाम
2. उस सेवा/कार्यालय का नाम, जिसमें रिक्तियां हों
3. जिस पद का आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव हो, उसका पदनाम, वर्गीकरण और वेतनमान

3.1 पदनाम

3.2 समूह (श्रेणी)

3.3 वेतनमान

3.4 तकनीकी/गैर तकनीकी

4.1 जिसमें रिक्तियां हों वह राज्य/क्षेत्र/संघ शासित क्षेत्र

4.2 यदि विवरणिका के परिशिष्ट 3 में दिए गए रोस्टर से भिन्न रोस्टर का प्रयोग किया गया हो, तो उस रोस्टर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित प्वाइंट को दिखाएं

5. कुल रिक्तियों के ब्यौरे

5.1	वर्तमान भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या	.....	
5.2	रोस्टर (40 अथवा 100 प्वाइंट) के चक्र सं० तथा उस प्वाइंट को बताएं जिस पर ये रिक्तियां पड़ती हों	चक्र सं०	प्वाइंट से तक
		.....	
		.....	
6.	आरक्षित रिक्तियों के ब्यौरे		
6.1	ऊपर के कालम 5.1 में से आरक्षित रिक्तियों की संख्या :	अनु०जाति	अनु०जनजाति
		.....	.....
	(क) आगे ले जाये जाने वाले आरक्षणों के कारण (आगे ले जाए जाने के लिए प्रत्येक वर्ष के कारण अलग-अलग बताएं)		
	तृतीय वर्ष में		
	द्वितीय वर्ष में		
	प्रथम वर्ष में		
	(ख) रोस्टर के अनुसार हुए नये आरक्षणों के कारण		
	(ग) 50% का प्रतिबंध लागू करने के बाद ऊपर के कालम (क) और (ख) की कुल रिक्तियों में से निवल आरक्षण (यदि कार्मिक और प्र०सु० विभाग के दिनांक 27-12-1977 के का०ज्ञा० सं० 16/3/73-स्था० (एस०सी०टी०) में दिए गए अनुदेश लागू होते हों)		
	(घ) ऊपर के कालम (ग) में उल्लिखित रिक्तियों में से ऐसी रिक्तियों की संख्या, जिनका आगे ले जाये जाने का तीसरा वर्ष होने के कारण उनका अनु०जातियों और अनु०जनजातियों में विनिमय हो सकता है ।	.....	.....
6.2	कालम 6.1 (ग) में उल्लिखित ऐसी रिक्तियों की संख्या जिनके लिए अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध हों	.....	.....

6.3 उन रिक्तियों की संख्या जिनका आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव हो ।

टिप्पणियां :

(1) कालम 6.1 में उल्लिखित आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि पिछले वर्ष के आगे लाये गए आरक्षणों पर पहले नियुक्ति हुई है या नहीं । उदाहरणार्थ, यदि कालम 6.1 (ग) में उल्लिखित आकड़ों में 1975 और 1976 भर्ती वर्षों में आगे लाए गए आरक्षण शामिल हों तो 1976 से आगे लाए गए आरक्षणों पर नियुक्तियां होंगी । इस संबंध में कार्मिक और प्र०सु० विभाग के दिनांक 2-4-1979 के का०ज्ञा० सं० 36013/2/79-स्था० (एस०सी०टी०) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

(2) कुल आरक्षण रिक्तियों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकता । यदि आरक्षण अधिक हों, तो अगले भर्ती वर्षों में आगे लाए जा सकते हैं ।

(3) किसी भी भर्ती में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों के आरक्षण की 50% सीमा केवल तभी बढाई जा सकती है जब संबंधित संवर्ग/ग्रेड/पद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम हो ।

7.1 क्या रोजगार कार्यालय से उम्मीदवार उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है, यदि हां, तो उसकी प्राप्ति की तारीख .....

7.2 क्या उम्मीदवार उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद आरक्षित रिक्तियों को विज्ञापित किया गया था, यदि हां, तो कब और इसका क्या परिणाम रहा ? .....

7.3 क्या आरक्षित रिक्तियों की सूचना/विज्ञापनों की प्रतियां निम्नलिखित को भेजी गई थीं :

(i) अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मान्यता प्राप्त संघों को (देखें विवरणिका का पैरा 7.1(iii)); और

(ii) सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कल्याण/अनु० जाति तथा अनु० जनजाति के कल्याण निदेशक (निदेशकों) (देखें विवरणिका का पैरा 7.1(v))

7.4 क्या रिक्तियों की सूचना रोजगार कार्यालय तथा इसके साथ ही प्रेस के माध्यम से विज्ञापन के लिए भेजते समय आकाशवाणी के उचित स्टेशनों को दे दी गई थी ताकि रिक्तियों की घोषणा रेडियो से की जा सके, यदि हां, तो :

(i) उस आकाशवाणी स्टेशन का नाम जिसे रिक्तियों की घोषणा की गई थी .....

(ii) घोषणा की तारीख निर्दिष्ट करें (देखें वही पैरा 7.1(iv))

7.5 क्या भर्ती नियमों में अनुभव सम्बन्धी अर्हता में छूट की कोई व्यवस्था हैं, यदि हैं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था निर्धारित की गई है, तो उसका उल्लेख करें । (देखें विवरणिका का पैरा 8.4)

		अनु०जाति	अनु०जनजाति
8.1	ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या जिन्होंने लिखित परीक्षा यदि, कोई, ली गई हो, पास की है	.....	.....
8.2	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिनका साक्षात्कार लिया गया है (यदि साक्षात्कार निर्धारित है)	.....	.....
8.3	मानकों में छूट देने के पश्चात् अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों की संख्या (जैसे कि दिनांक 25-7-1970 के का०ज्ञा० सं० 1/1/70-स्था० (एस०सी०टी०) में अपेक्षित है) :	.....	.....
	(i) निजी गुणावगुण के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की संख्या	.....	.....
	(ii) मानकों में छूट लागू करके चुने गए उम्मीदवारों की संख्या	.....	.....
	कुल	.....	.....
		.....	.....

9. क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग से हुआ था अर्थात अनु० जातियों/अनु० जनजातियों के उम्मीदवारों का साक्षात्कार चयन समिति की उस तारीख अथवा उस बैठक के अतिरिक्त अन्य तारीख अथवा बैठक

	में हुआ था जिस तारीख को और जिस बैठक में सामान्य उम्मीदवारों का चयन हुआ था (देखें विवरणिका का पैरा 8.9)		
10.	यदि रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन मांगा जा रहा हो तो :		
	(i) आरक्षण समाप्त करने के लिए पहले अनुमोदन न लेने के कारण बताएं	अनु० जाति	अनु० जनजाति
	(ii) आरक्षण समाप्त करने से पूर्व ही आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए निर्णय किस स्तर पर लिया गया	.....	.....
11.	परीक्षा को छोड़कर अर्थात् केवल साक्षात्कार के आधार पर भरे जाने वाले समूह ग (श्रेणी-III) और समूह घ (श्रेणी-IV) के गैर-तकनीकी और अर्ध-तकनीकी पदों के मामले में निम्नलिखित जानकारी दें :—		
	(1) ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या जिनके पास भर्ती नियमों में विहित न्यूनतम अर्हताएं थीं	.....	.....
	(2) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या	.....	.....
	(3) गृह मंत्रालय के दिनांक 24-9-1968 के का० ज्ञा० सं० 24/7/67(i)-स्था० (एस०सी०टी०) और दिनांक 31-10-1969 के का०ज्ञा० सं० 16/8/69-स्था० (एस०सी०टी०) में दिए गए सिद्धान्तों के अनुसार चुने गए उम्मीदवारों की संख्या	.....	.....
	(4) शेष आरक्षित रिक्तियों पर न्यूनतम अर्हताएं रखने वाले अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों को न चुने जा सकने के कारण	.....	.....
	(5) ऊपर के कालम (3) में से ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिन्होंने नियुक्ति स्वीकार कर ली थी	.....	.....
12.	क्या अनारक्षित की जाने वाली रिक्तियों पर नियुक्तियों के लिए सामान्य उम्मीदवार पहले से ही चुन लिए गए है ।		

13. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो (यदि इस पद पर आरक्षण लागू करने के लिए अन्य पदों के साथ वर्गीकृत किया गया है तो कृपया यह बताएं कि क्या इसे वर्गीकृत करने के लिए कार्मिक और प्र०सु० विभाग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और क्या विवरणिका के पैरा 5.5 के उपबन्धों को ध्यान में रखा गया है)।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मंत्रालय/विभाग (मूल) के सम्पर्क अधिकारी को इस प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी है और उक्त अधिकारी इस प्रस्ताव से सहमत है

2. इस प्रस्ताव की एक प्रति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, आर० के० पुरम, नई दिल्ली को पृष्ठांकित की गई है।

हस्ताक्षर* .....
पदनाम .....
मंत्रालय/विभाग .....
टेलीफोन नं० .....

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एस०सी०टी० अनुभाग), भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।
2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, वेस्ट ब्लाक 1, स्कन्ध सं० 7, पहली मंजिल, आर० के० पुरम, नई दिल्ली।

मंत्रालय/विभाग का यू०ओ०/पृष्ठांकन सं० .....
दिनांक .....

*[मंत्रालय/विभाग (मूल) के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर की हैसियत के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए]

प्रोफार्मा II

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के प्रस्ताव भेजने का प्रोफार्मा

1.	मंत्रालय/विभाग का नाम		
2.	उस कार्यालय/संगठन का नाम, जिसमें रिक्तियां हैं ।		
3.	उस पद/ग्रेड/सेवा के ब्यौरे, जिनमें रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करना हो ।		
3.1	पदनाम		
3.2	समूह (श्रेणी)		
3.3	वेतनमान		
4.	पदोन्नति की पद्धति अर्थात् क्या पदोन्नति, चयन द्वारा, वरिष्ठता तथा उपयुक्तता अथवा किसी विभागीय अर्हक परीक्षा अथवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हुई है ।		
5.	पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने के मानदण्ड (जैसा कि भर्ती नियमों में विहित है) ।		
6.	**कुल रिक्तियों के ब्यौरे**		
6.1	वर्तमान भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या ।	चक्र सं०	प्वाइंट से तक
6.2	रोस्टर में उस चक्र और प्वाइंट की संख्या, जिस पर ये रिक्तियां पड़ती हों (देखें विवरणिका के परिशिष्ट-I में दिया गया रोस्टर)	.....	.....
7.	**आरक्षित रिक्तियों के ब्यौरे**		
7.1	उपर्युक्त कालम 6.1 में उल्लिखित रिक्तियों में से आरक्षित रिक्तियों की संख्या :	अनु०जा०	अनु०ज०जा०
	(क) आगे लाए गए आरक्षणों के कारण (प्रत्येक वर्ष से आगे लाए गए आरक्षण के कारण अलग-अलग बताए जाएं)		
	तृतीय वर्ष में	.....	.....
	द्वितीय वर्ष में	.....	.....
	प्रथम वर्ष में	.....	.....

(ख) रोस्टर के अनुसार हुए नए आरक्षणों के कारण	.....	.....
(ग) जहां इस विभाग के दिनांक 27-12-1977 के का०ज्ञा० सं० 16/3/73-स्था० (एस०सी०टी०) के अनुसार लागू होता हो, वहां 50% का प्रतिबंध लागू करने के बाद ऊपर के कालम (क) और (ख) में उल्लिखित कुल रिक्तियों में से निवल आरक्षण (देखें कालम 7.3 के नीचे दी गई टिप्पणी सं० 2)	.....	.....
(घ) ऊपर के कालम (ग) में उल्लिखित रिक्तियों में से ऐसी रिक्तियों की संख्या, जिनका अनु० जाति और अनु० जनजाति के बीच विनिमय हो सकता है ।	.....	.....
7.2 कालम 7.1(ग) में उल्लिखित ऐसी रिक्तियों की संख्या जिनके लिए अनु० जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवार मिल गए हों ।	.....	.....
7.3 ऐसी रिक्तियों की संख्या जिनका आरक्षण समाप्त करने का प्रस्ताव है ।	.....	.....

टिप्पणी :—

1. कालम 7.1 में उल्लिखित आरक्षित रिक्तियों को भरते समय यह बात सुनिश्चित कर ली जाए कि पिछले वर्ष से आगे लाए गए आरक्षणों पर पहले नियुक्तियां कर ली गई हैं । उदाहरणार्थ यदि कालम 6(i)(ग) में उल्लिखित आंकड़ों में वर्ष 1975 और 1976 भर्ती वर्षों से आगे लाए गए आरक्षण शामिल हों, तो 1976 से आगे लाए गए आरक्षणों से पहले 1975 से आगे लाए गए आरक्षणों पर नियुक्तियां होंगी और इसके बाद चालू आरक्षणों पर नियुक्तियां होंगी । गृह मंत्रालय के दिनांक 25-3-1970 के का०ज्ञा०सं० 27/25/68-स्था०(एस०सी०टी०) और इस विभाग के दिनांक 2-4-1979 के का०ज्ञा०सं० 36013/2/79-स्था० (एस०सी०टी०) में दिए गए अनुदेशों को विनिमय रिक्तियों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए ध्यान में रखा जाए ।
2. किसी भी भर्ती में आरक्षण रिक्तियों की संख्या से 50% से अधिक तभी हो सकती है जब सम्बन्धित संवर्ग/ग्रेड में अनु०जातियों/अनु० जनजातियों का प्रतिनिधित्व कम हो ।

8.	उपयुक्त होने पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के मामले में [देखें कार्मिक और प्र०सु० विभाग का दिनांक 27-11-72 का का०ज्ञा०सं० 27/2/71-स्था० (एस०सी०टी०)]		
8.1	क्या पदोन्नति के लिए पात्र अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों पर, इनमें ऐसे उम्मीदवार भी शामिल है जिनका नाम वरिष्ठता सूची में अपेक्षाकृत नीचे है, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उनकी अलग वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति के बारे में विचार किया गया था ।		
8.2	पदोन्नति के योग्य समझे गए अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या ।	अनु०जा०	अनु०ज०जा० .....
8.3	पदोन्नति के योग्य न समझे गए अनु० जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या ।	.....	.....
8.4	यदि पदोन्नति के लिए अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो उस ग्रेड में अनु०जाति/अनु०जनजाति का वरिष्ठतम उम्मीदवार किस तारीख को पदोन्नति का पात्र हो जाएगा ।	.....	.....
9.	समूह ग (श्रेणी-III) और समूह घ (श्रेणी-IV) पदों में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में [देखिए गृह मंत्रालय के दिनांक 11-7-1968 के का०ज्ञा०सं० 1/12/67-स्था०(ग)] ।		
9.1	सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य विचार क्षेत्र का आकार क्या है अर्थात् प्रश्नाधीन पदों पर पदोन्नतियां करने के लिए अपनाई गई रिक्तियों आदि की संख्या का तीन गुना, पांच गुना ।		
9.2	अनु०जाति/अनु०जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जो अन्यों के समान आधार पर पदोन्नति के योग्य पाए गए सामान्य विचार क्षेत्र में आते हैं [देखें ऊपर उद्धृत दिनांक 11-7-68 के का०ज्ञा० का पैरा 3(i)]	अनु०जा०	अनु०ज०जा० .....

9.3 अनु०जाति/अनु०जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिनके नाम आरक्षित रिक्तियों के अलग विचार क्षेत्र में शामिल है (**टिप्पणी**— अनु०जाति/अनु०जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों का अलग विचार क्षेत्र होता है अर्थात् यदि सामान्य सूची का विचार-क्षेत्र भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का पांच गुना हो तो अनु०जाति/अनु०जनजाति की अलग सूचियों का विचार-क्षेत्र आरक्षित रिक्तियों की संख्या का पांच गुना होगा । बशर्ते कि ऐसे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों की पदोन्नति की बाबत विचार करने के लिए वे निर्धारित सेवा अवधि संबंधी शर्त पूरी करते हों ।)

9.4 क्या अनु०जाति/अनु०जनजाति के लिए अलग सूचियां तैयार की गईं थीं और इन उम्मीदवारों को चयन-सूची में शामिल करने के लिए इनकी अर्हताओं की तुलना अन्य अधिकारियों की अर्हताओं से किए बिना इनका मूल्यांकन किया गया है ?

9.5 पदोन्नति के लिए योग्य समझे गए अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या (इसमें वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जो उपर्युक्त कालम 9.2 में उल्लिखित हैं)

9.6 पदोन्नति के योग्य न समझे गए अनु०जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या ।

9.7 यदि पदोन्नति के लिए अनु०जाति/अनु० जनजाति के पात्र उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो उस तारीख का उल्लेख करें, जिस तारीख को अनु०जाति/अनु०जनजाति का वरिष्ठतम उम्मीदवार पदोन्नति का पात्र हो जाएगा ।

10. समूह ग (श्रेणी-III) से समूह ख (श्रेणी-II) में, समूह ख (श्रेणी-II) में और समूह ख (श्रेणी-II से श्रेणी-I) के सबसे नीचे के दर्जे में चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में (देखें कार्मिक और प्र०सु०

विभाग का दिनांक 20-7-1974 का का०ज्ञा० सं० 10/41/73-स्था० (एस०सी०टी०) :

10.1	सभी उम्मीदवारों के लिए सामान्य विचार-क्षेत्र का आकार क्या है अर्थात् रिक्तियों आदि की संख्या का तीन गुना है या पांच गुना ।		
10.2	सामान्य विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या (द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के सबसे नीचे के दर्जे पर चयन द्वारा पदोन्नतियों के लिए अनु०जाति/अनु०जनजाति के केवल उन्हीं उम्मीदवारों के बारे में विचार होगा जो सामान्य विचार-क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों तथा अनु०जाति/अनु०जनजाति के लिए कोई अलग विचार-क्षेत्र नहीं होगा) ।	अनु०जा०	अनु०ज०जा० .....
10.3	पदोन्नति के लिए योग्य समझे गए अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या ।	.....	.....
10.4	पदोन्नति के योग्य न समझे गए अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या ।	.....	.....
10.5	उन रिक्तियों की संख्या—जो अनु०जातियों के लिए थीं किन्तु अनु०जनजातियों द्वारा भरी गईं :		
	—जो अनु०जनजातियों के लिए थीं किन्तु अनु०जातियों द्वारा भरी गईं :	.....	.....
	(टिप्पणी : इस वर्ग की पदोन्नतियों में आरक्षणों का प्रथम वर्ष में अनु०जाति और अनु०जनजातियों के बीच आदान-प्रदान स्वत: हो जाता है ।)	.....	.....
11.	विभागीय अर्हक अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जानी वाली पदोन्नति के मामले में :		
11.1	परीक्षा में बैठे अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या ।	अनु०जा०	अनु०ज०जा० .....
11.2	अनु०जाति/अनु०जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर परीक्षा पास की हो ।	.....	.....

11.3 अनु०जाति/अनु०जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों की संख्या, जिन्होंने निर्धारित मानकों में छूट के आधार पर परीक्षा पास की हो (देखें कार्मिक और प्र०सु० विभाग का दिनांक 23-12-70 का का०ज्ञा०सं० 8/12/69-स्था०(एस०सी०टी०), दिनांक 21-1-77 का का०ज्ञा०सं० 36021/10/76-स्था०(एस०सी०टी०) और दिनांक 19-4-79 का का०ज्ञा०सं० 36011/6/79-स्था० (एस०सी०टी०)

12. क्या अनुमोदित सामान्य वर्ग के उम्मीदवार आरक्षण समाप्त की जाने वाली रिक्तियों पर नियुक्तियों के लिए प्रवर सूची में उपलब्ध हैं और प्रवर सूची के प्रारम्भ होने की तारीख ।

13.1 क्या अनु०जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवार को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार की गई उनकी गोपनीय रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण अनुपयुक्त समझा गया ।

13.2 क्या ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि संबंधित अनु० जाति/अनु०जनजाति अधिकारी (अधिकारियों) को समय पर सूचित कर दी गई थी: यदि नहीं, की गईं, तो उन अधिकारियों के विरुध्द क्या कार्रवाई की गई जो ऐसी सूचना न भेजने के लिए जिम्मेदार हैं ।

13.3 क्या ऐसे मामलों की जिनमें अनु०जाति/अनु० जनजाति के उम्मीदवारों की आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के अनुपयुक्त पाया गया, कार्मिक और प्र०सु० विभाग के दिनांक 6-10-1976 के का०ज्ञा०सं० 36012/3/75-स्था०(एस०सी०टी०) में निहित प्राधिकारियों को भेज/सूचित कर दिया गया है ।

14. यदि साक्षात्कार होना हो तो क्या अनु० जाति/अनु०जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार उस तारीख या चयन समिति की उस बैठक के अलावा किसी अन्य तारीख या उक्त समिति की किसी अन्य बैठक में होगा, जिसमें सामान्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार हुआ था ।

15. (i) यदि रिक्तियों का आरक्षण समाप्त करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन मांगा गया हो तो कृपया बताएं कि आरक्षण समाप्त करने से पहले क्यों नहीं भेजे गए और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

(ii) आरक्षण समाप्त करने से पूर्व ही रिक्तियों को भरने के लिए निर्णय किस स्तर पर किया गया ।

16. अतिरिक्त अनुदेश (यदि कोई हो) :

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मंत्रालय/विभाग (मूल) के सम्पर्क अधिकारी को इस प्रस्ताव के बारे में पूरी जानकारी है तथा उक्त अधिकारी इस प्रस्ताव से सहमत है ।

2. मंत्रालय/विभाग (मूल) द्वारा इस प्रस्ताव की एक प्रति अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-22 को पृष्ठांकित की गई है ।

*हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

मंत्रालय/विभाग .....

टेलीफोन नं० .....

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एस०सी०टी० अनुभाग), भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आयुक्त, वेस्ट ब्लाक नं० 1, स्कंध सं० 7, पहली मंजिल, आर०के० पुरम, नई दिल्ली ।

मंत्रालय/विभाग का .....यू०ओ०/पृष्ठांकन सं०.....दिनांक.....

*मंत्रालय/विभाग (मूल) के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

प्रपत्र III

केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पदों में स्थायीकरण के स्टेज पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के संबंध में प्रस्ताव भेजने का प्रपत्र ।

1. मंत्रालय/विभाग का नाम
2. रिक्तियां किस कार्यालय/सेवा की हैं ।
3. जिस पद/सेवा के संबंध में अनारक्षण की मांग की गई है, उसका पदनाम, वर्गीकरण और वेतनमान ।
   (क) पदनाम
   (ख) समूह (श्रेणी)
   (ग) वेतनमान
4. रिक्तियों के ब्यौरे :
   (i) जिन स्थायी रिक्तियों पर स्थायीकरण किया जा रहा है तथा जिन पर विभाग में अस्थाई आधार पर पहले ही से लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है । (स्थायी रिक्तियों में प्रत्यक्ष रिक्तियां और स्थायी रूप में परिवर्तित अस्थाई पद भी शामिल हैं)
   (ii) किस तरह के रोस्टर का प्रयोग हो रहा है ?
   (iii) रोस्टर के किस प्वाइंट पर रिक्तियां आ रही हैं ?

	चक्र संख्या से	प्वाइंट तक
(iv) नए आरक्षण कितने हैं ?	अ०जा०	अ०ज०जा०
(v) अग्रेनीत आरक्षण, यदि कोई हो		
तीसरा वर्ष	.....	.....
दूसरा वर्ष	.....	.....
प्रथम वर्ष	.....	.....
(vi) कुल रिक्तियां कितनी हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी आरक्षित है (अर्थात उपर्युक्त IV और V)	.....	.....

5. (i) स्थायीकरण के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कितने व्यक्ति उपलब्ध हैं ? ....
   (ii) कितनी रिक्तियां अनारक्षित की जानी है ? ....
6. क्या स्थायीकरण के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं तो स्थायीकरण के लिए उन पर विचार न किए जाने के कारण निर्दिष्ट किए जाएं ।
7. यदि रिक्तियों के अनारक्षण के संबंध में कार्योत्तर मंजूरी मांगी जा रही हो तो कृपया यह निर्दिष्ट करें कि अनारक्षण के प्रस्ताव पहले क्यों नहीं किए गए थे ।
8. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो :

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रस्ताव मंत्रालय/विभाग (मूल) के संपर्क अधिकारी की पूर्ण जानकारी से और उनकी सहमति से किया जा रहा है ।

2. इस प्रस्ताव की एक प्रति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त, आर०के० पुरम, नई दिल्ली को पृष्ठांकित कर दी गई है ।

हस्ताक्षर* .....

पदनाम .....

.....मंत्रालय/विभाग

टेलीफोन .....

1. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अनु०जा० अनुभाग), भारत सरकार, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त, वेस्ट ब्लाक नं० I, विंग-7, प्रथम तल, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-22
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आयोग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली ।

.....

.....मंत्रालय/विभाग का दिनांक .....

का यू०ओ०/पृष्ठांकन संख्या.....

*प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अवर सचिव या उससे ऊपर के दर्जे के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए ।

पाराशष्ट 19

प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या और इन पदों पर नियुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या दिखाने वाला विवरण (पहली जनवरी.....19.....से..... 31 दिसम्बर.....19.....की अवधि के लिए)

.....मंत्रालय/विभाग* (इसमें सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ इत्यादि कार्यालय शामिल हैं)

(पैरा 3.7)

सेवा का समूह/श्रेणी	प्रतिनियुक्ति करके भरे गए पदों की कुल संख्या	अ०जाति/अ० जनजाति के ऐसे पात्र व्यक्तियों की संख्या, यदि कोई हो, जिनके नाम इस प्रतिनियुक्ति के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ अग्रेषित किए गए हों	कालम-2 में उल्लिखित पदों पर नियुक्त अ०जाति/अनु०जनजाति के व्यक्तियों की संख्या		अभ्युक्तियां
			अनु०जाति	अनु०ज०जा०	
1	2	3	4	5	6
I II III IV (सफाई वालों को छोड़कर)					

परिशिष्ट 20

(अनुसूचित जातियां)

आन्ध्र प्रदेश

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. अनामुक
4. आरे मालु
5. अरुंधतिय
6. अय माला
7. बारिकी
8. बावुरी
9. बेड़ जंगम, बुड़ग जंगम
10. बिंडल
11. बैगारा
12. चचटि
13. चलवादि
14. चमार, मोची, मुचि
15. चम्मार
16. चंडाल
17. डक्कल, डोक्कलवार
18. दण्डासि
19. ढोर
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पनो
21. एल्लमल्वार, येल्लमालवाण्डलु
22. घासी, हड्डी, रेल्लि चचन्डि
23. गोडागल्ली
24. गोडारी
25. गोसंगी
26. होलया
27. होलया दासरि
28. जग्गलि

29. जम्बुवुलु
30. कोलुपुलवाण्डलु
31. मदासी कुरुवा मदारि कुरुवा
32. मादिगा
33. मादिगा दासु, मष्टीन
34. महार
35. माला
36. माला दासरि
37. माला दासु
38. माला हन्नाई
39. माला जंगम
40. माल-मस्ति
41. माला साले, नेट्कानि
42. माला सन्यासी
43. मांग
44. मांग गारोडी
45. मन्ने
46. मष्टि
47. मातंगि
48. मेहतर
49. मिताअय्यलवार
50. मुक्ला
51. पाकि, मोटि, तोटि
52. पम्ब्रड, पम्बण्ड
53. पमिडी
54. पंचम, पेरिया
55. रेल्लि
56. सामगार
57. सम्बन
58. सप्रु
59. सिन्दोल्लु, चिन्दोल्लु

असम

1. बांसफर
2. भुईमाली, माली
3. वृत्तियाल बनिया, बनिया
4. धुपी, धोबी
5. डुगला, ढोली
6. हिरा
7. जालकेवट
8. झालो, मालो, झालो-मालो
9. कैबर्त, जालिया
10. लालबेगी
11. महार
12. मेहतर, भंगी
13. मुची, ऋषि
14. नामशूद्र
15. पटनी
16. सूत्रधार

बिहार

1. बतर
2. बाउरी
3. भोगता
4. भुईया
5. भूमिज (उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर खण्डों तथा संथाल परगना जिले को छोड़कर)
6. चमार, मोची
7. चौपाल
8. दबगर
9. धोबी
10. डोम, घनगद
11. दुसाध, धारी, धरही

12. धासी
13. हलालखोर
14. हाड़ी, मेहतर, भंगी
15. कंजर
16. कुरारियार
17. लालबेगी
18. मुसहर
19. नट
20. पान, स्वासी
21. पासी
22. रजवार
23. तुरी

गुजरात

1. अगेर
2. बाकड़, बण्ट
3. बावा-डेढ, डेढ-साधु
4. भाम्बी, भाम्भी, असादरु, असोदी, चमाडिया, चमार, चाम्भार, चमगार, हरलय्या, हरली, खालपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, नालिया, तेलगु मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार
5. भंगी, महतर, ओलगना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकी, कोरार, झाडमल्ली
6. चलवादि, चन्नय्य
7. चेन्ना दासर, होलेय दासर
8. डंगशिया
9. ढोर, कक्कया, कंकय्या
10. गरमातंग
11. गरोडा, गरो

12. हल्लीर
13. हलसार, हसलार, हुलास्वार, हलस्वार
14. होलार, वल्हार
15. होलेय, होलेर
16. लिंगाडेर
17. महार, तराल, धेगु मेगू
18. महायावंसी, धेड़, धेढ, वणकर, मरु वणकर, अन्त्यज
19. मांग, मातंग मिणिमादिग
20. मांग-गारुडी
21. मेघवल, मेघवाल, मेघवार
22. मुक्री
23. नाडिया, हाडी
24. पासी
25. सेनवा, शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत
26. शिमलिया
27. थोरी
28. तीरगार, तीरबन्द
29. तुरी
30. तुरी, बरोत, डेढ बरोत

हरियाणा

1. आद धर्मी
2. बाल्मीकि, चूहड़ा, भंगी
3. बंगाली
4. बराड़, बुराड़, बेराड
5. बटवाल
6. बौरिया, बावरिया
7. बाजीगर
8. मंजड़ा

9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी
10. चनाल
11. डागी
12. दरेन
13. देहा, घैया, घीआ
14. धानक
15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गि
16. डुमना, महाशया, डूम
17. गगड़ा
18. गंधीला, गण्डील, गोन्दोला
19. कबीरपंथी, जुलाहा
20. खटीक
21. कोरी, कोली
22. मरीजा, मरेचा
23. मजहबी
24. मेघ
25. नट
26. ओड़
27. पासी
28. पेरना
29. फरेरा
30. सनहाय
31. सनहाल
32. सांसी, भेड़कूट, मनेश
33. संसोई
34. सपेला
35. सरेड़ा
36. सिकलीगर
37. सिरकीबन्द

हिमाचल प्रदेश

1. आद धर्मी
2. बांधी, नागलू

3. बाल्मीकि, भंगी, चूहड़ा, चुड़ा, चूहड़े
4. बांधेला
5. बंगाली
6. बंजारा
7. बांसी
8. बरड़
9. बराड़, बुराड़, बेराड़
10. बटवाल
11. बौरिया, बावरिया
12. बाजीगर
13. भंजड़ा, भंजडे
14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, रामदासिया, मोची
15. चनाल
16. छिम्बे, धोबी
17. दागी
18. दरेन
19. दराई, दरयाई
20. दाउले, दावले
21. ढाकी, तूरी
22. धानक
23. धाओगरी, धुआई
24. धोगरी, धांगरी, सिग्गी
25. डूम, डूमना, डुमना, डुमने, महाशा
26. गगड़ा
27. गंधीला, गण्डील, गोण्डोला
28. हाली
29. हेसी
30. जोगी
31. जुलाहा, जुलाहे, कबीरपंथी, कीर
32. कमोह, डगोली

33. करोक
34. खटीक
35. कोरी, कोली
36. लोहार
37. मरीजा, मरेचा
38. मजहबी
39. मेघ
40. नट
41. ओड
42. पासी
43. परेना
44. फ्रेडा, फरेडा
45. रेहाड़, रेहाड़ा
46. सनहाई
47. सनहाल
48. सांसी, भेड़कूट, मनेश
49. संसोई
50. सपेला
51. सरड़े, सरेड़ा, सराड़े, सिरयाड़े, सरेहड़े
52. सिकलीगर
53. सिपी
54. सिरकीबन्द
55. तेली
56. ठठियार, ठठेरा

जम्मू तथा कश्मीर

1. बरवाला
2. बैस्थ
3. बटवाल
4. चमार अथवा रामदासिया
5. चूड़ा
6. ध्यार

7. डून अथवा महाश
8. गारदी
9. जुलाहा
10. मेघ अथवा कबीर पंथी
11. रताल
12. सरयारा
13. वटाल

कर्नाटक

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड
3. आदि कर्नाटक
4. आदीय (कुर्ग जिले में)
5. आगेर
6. आजिल
7. अनामुक
8. आर्य माला
9. अरुंधथियार
10. आर्वमाला
11. बैरा
12. बाकड़
13. बंट (बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ और उत्तरी कनारा जिलों में)
14. बकुड़ा
15. बालगाई
16. बण्डी
17. बंजारा, लम्बाणी
18. बथड़ा
19. वेड़ जंगम, बुडग जंगम
20. बेल्लारा
21. भंगी, मेहतर, ओलगाना रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकी, कोरार, झाडमाली

82. नलकडय
83. नलकेयव
84. नायाडि
85. पाले
86. पललन्
87. पम्बाड़ा
88. पंचम
89. पन्नियाडि
90. परइयान, परय्या
91. परवन
92. राणीयार
93. सामगार
94. सम्बन
95. सपरी
96. सिल्लेकियथस
97. सिंचोलू, चिंदोलू
98. सुडुगाडुसिद
99. तोटि
100. तीरगार, तीरबन्द
101. वल्लुवन

केरल

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आजिला
5. अरुन्थियार
6. अय्यनवर
7. बैरा
8. बकुडा
9. बंडी
10. बथंडा

11. बेल्लारा
12. भरतर
13. बोयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर]
14. चक्किलियान
15. चमार, मुची
16. चांडाल
17. चेरुमन
18. डोम्बन
19. गवार
20. गोडागली
21. गोड्डा
22. गोसंगी
23. हस्ला
24. होलेय
25. कडैयन
26. कक्कलन
27. कल्लाडी
28. कणक्कन्न, पद
29. करिम्पालन
30. कवर
31. कूसा
32. कुटन, कुडन
33. कुडुम्बन
34. कुरवन, सिद्धनार
35. मैला
36. मलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 (1956 का 37) की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में]

37. मण्णन
38. माविलन
39. मोगेर
40. मुण्डाला
41. नलकेयव
42. नलकाडय
43. नायाडी
44. पर्दन्नन
45. पल्लन
46. पल्लुवन
47. पाम्बाड़ा
48. पाणन
49. पंचम
50. परैयन, परयन, सांबवर
51. परवन
52. पतियन
53. पेरुमण्णन
54. पुलयन, चेरमर
55. पुलय वेटुवन
56. पुतिरई वण्णन
57. राणीयार
58. सामगार
59. सम्बन
60. सेम्मान
61. तण्डाल
62. थोटि
63. वल्लोन
64. वल्लुवन
65. वण्णन
66. वेलन
67. वेटन
68. वेट्टुवन

मध्य प्रदेश

1. औघलिया
2. बागरी, बागड़ी
3. बहना, बाहना
4. बलाही, बलाई
5. बांछडा
6. बरहर, बसोड
7. बरगुन्डा
8. बसोर, बुरुड़, बांसोर, बांसोडी, बांसफोड़, बसार
9. बेड़िया
10. बेलदार, सुनकर
11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालबेगी, धरकार
12. भानुमती
13. चडार
14. चमार, चमारी, बेरवा, भांबी, जाटव, मोची, रैगड़, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यबंशी, सूर्यरामनामी, अहिरवार, चमार मंगन, रैदास
15. चिदार
16. चिकवा, चिकवी
17. चित्तार
18. दहाइत, दहायत, दहात
19. देवर
20. धानुक
21. धेड, धेड़
22. धोबी (भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में)
23. डोहोर
24. डोम, डुमार, डोमे, डोमर, डोरिस

25. गांडा, गांडी
26. घासी, घसिया
27. होलिया
28. कंजर
29. कातिया, पथरिया
30. खटीक
31. कोली, कोरी
32. कोतवाल (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)
33. खगार, कनेरा, मिरधा
34. कुचबंधिया
35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टिकमगढ़ जिलों में)
36. महार, मेहरा, मेहर
37. मांग, मांग गारोडी, मांग गारुडी, दंखनी मांग, मांग महाशी, मदारी, गारुडी, राधे मांग
38. मेघवाल
39. मोघिया
40. मुसखान
41. नट, कालबेलिया, सपेरा, नवदिगार, कुबुतर
42. पारधी (भिंड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर, मुरैना, राजगढ, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन और विदिशा जिलों में)
43. पासी
44. रुज्झर

45. सांसी, सांसिया
46. सिलावट
47. झमराल

महाराष्ट्र

1. अगेर
2. अनामुक
3. आरे माला
4. आखामाला
5. बहना, बाहना
6. बाकड़, बंट
7. बलाही, बलाई
8. बसोर, बुरुड़, बांसोर, बांसोडी
9. बेडा जंगम, बुडगा जंगम
10. बेडर
11. भांबी, भंभी, असादरू, असोदी, चमाडिया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगार, सतनामी, सूर्यबंशी, सूर्यरामनामी
12. भंगी मेहतर, ओलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमाली
13. बिंदला
14. ब्यागरा
15. चलवादि, चन्नैया
16. चेन्नादासर, होलाय दासर, होलय दासरी
17. डक्कल, डोक्कलवार

18. ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या, डोहोर
19. डोम, डूमार
20. एल्लमलवार, येल्लम्मलावाण्डलु
21. गंदा, गंदी
22. गरोडा, गरो
23. घासी, घसिया
24. हल्लीर
25. हलसार, हसलार, हुल्स्वार, हलस्वार
26. होलार, वलहार
27. होलया, होलेर, होलेया, होलिया
28. कैकाडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में और राजुरा तहसील को छोड़कर चन्द्रपुर जिले में)
29. कटिया, पठारिया
30. खंगार, कनेरा, मिरधा
31. खाटिक, चिकवा, चिकवी
32. कोलुपुलवाण्डलु
33. कोरी
34. लिंगादार
35. मादगी
36. मादिगा
37. महार, मेहरा, तराल, धगु मेगु
38. माहयावंशी, घेड़, वणकर, मारूवणकर
39. माला
40. मालादासरी
41. माल हन्नै
42. माला जंगम
43. माला मस्ती
44. मालसाले, नैतकानि

45. माला सन्यासी
46. मांग, मातंग, मिनिमादिग, दंखनी मांग, मांग-महाशी, मदारी, गारुडी, राधे मांग
47. मांग गारोडी, मांग गारुडी
48. मन्ने
49. मश्ती
50. मेघवाल, मेंघवार
51. मिठा अय्यलवार
52. मुक्री
53. नाडीया, हाडी
54. पासी
55. सांसी
56. शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावतँ
57. सिंघौलू, चिंदोलू
58. तीरगार, तीरबन्द
59. तुरी

मणिपुर

1. धुपी, धोबी
2. लोई
3. मुची, रविदास
4. नामशूद्र
5. पाटनी
6. सूत्रधार
7. यैथिबि

मेघालय

1. बांसफोड़
2. भुईगाली, माली
3. बृत्तियाल बनिया, बनिया
4. धुपी, धोबी

5. डुगला, ढोली
6. हीरा
7. जलकेवट
8. झालो, मालो, झालो-मालो
9. कैबर्त, जालिया
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर, भंगी
13. मुची, ऋषि
14. नामशूद्र
15. पाटनी
16. सूत्रधार

उड़ीसा

1. आदि आन्ध्र
2. अमान्त, अमात
3. औधेलिया
4. बडैक
5. बाघेटी, बाघुटी
6. बाजीकर
7. बारी
8. बारीकी
9. बासोर, बुरुड
10. बाउरी
11. बाउटी
12. बावुरी
13. बेडिया, बेजिया
14. बेलदार
15. भाट
16. भोई
17. चचटी
18. चकली

19. चमार, मोची, मुची, सतनामी
20. चांडाल
21. चन्दाई मारू
22. चेरुआ, छेलिया
23. दंडासी
24. देवर
25. धनवार
26. धोबा, धोबी
27. डोम, डोम्बो, डुरीया, डोम
28. दोसघा
29. गंडा
30. घंटरघड़ा, घंटरा
31. घासी, घसिया
32. घोगिया
33. घुसुरिया
34. गोडागली
35. गोडारी
36. गोडरा
37. गोखा
38. गोराईत, कोराईत
39. हाड्डी, हाडी, हरी
40. ईरीका
41. जग्गली
42. कंडरा, कंडारा
43. कारुआ
44. कटिआ
45. केला
46. खडाल
47. कोडालो, खोडालो
48. कोरी
49. कुम्मारी
50. कुरुंगा
51. लवाण

52. लाहेरी
53. मदारी
54. मादिग
55. महूरिया
56. माला, झाला, माल्लो, झाला
57. मांग
58. मांगण
59. मेहरा, महार
60. मेहतर, भंगी
61. मेवार
62. मुंडपोड्डा
63. मुसहर
64. नगारची
65. नामशूद्र
66. पैडी
67. पैण्डा
68. पामीडी
69. पाण, पाणो
70. पंचम
71. पाणिका
72. पंका
73. पाणतन्ति
74. पाप
75. पासी
76. पटिआल, पाटीकर, पात्रतन्ति, पञ्जुआ
77. रजना
78. रेल्ली
79. सब्बाखिआ
80. समासी
81. सनेई
82. सपरी
83. सौतिया, सांतिया

84. सिघरिआ
85. सिंदूरिया
86. सियाल
87. टमाडिया
88. टमुडिया
89. तानला
90. तियार, तियोर
91. तुरी
92. उजीआ
93. वालमीकि, वाल्मीकि

यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार, केवल देवर समुदाय को ही सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है । किन्तु नारायण बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए कीबरा, केउटा, कैबर्त को देवर समुदाय जिसे उड़ीसा के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है, के समानार्थी नामों के रूप में मानना होगा । अनुसूचित जाति की सूची में इन नामों को औपचारिक रूप से केवल तभी शामिल किया जा सकता है जब संसद द्वारा इस संबंध में विधान अधिनियमित किया जाता है ।

पात्र व्यक्तियों को जारी किया गया अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तभी वैध होगा जबकि उन्हें राष्ट्रपति के आदेश में शामिल संगत नाम से अर्थात् देवर के नाम से जारी किया जाता है । ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने से पहले इस बात का भी सत्यापन करना होगा कि इन समुदायों से संबंधित व्यक्ति राष्ट्रपति के आदेश में निर्धारित की गई अन्य शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् व्यक्ति को राष्ट्रपति के आदेश आदि में अधिसूचित तारीख से संबंधित अनुसूचित जाति के संबंध में निर्दिष्ट स्थान का निवासी होना चहिए ।

पंजाब

1. आदि धर्मी
2. बाल्मीकि, चूड़ा, भंगी
3. बंगाली
4. बरड़, बुरड़, बेरड़
5. बटवाल

6. बौरिया, बावरिया
7. बाजीगर
8. मंजाड़ा
9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगढ़, रामदासी, रविदासी
10. चनाल
11. डागी
12. दर्द्दें
13. डेडा, दैया, ढेआ
14. धानक
15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी
16. डुमाज, महाशा, डूम
17. गगडा
18. गंढीला, गण्डील गोण्डोला
19. कबीरपंथी, जुलाहा
20. खटीक
21. कोरी, कोली
22. मरीजा, मरेचा
23. मजहबी
24. मेघ
25. नट
26. ओड
27. पासी
28. पेरना
29. फेरेरा
30. सनहाई
31. सनहाल
32. सांसी, भेड़कुट, मनेश
33. संसोई
34. सपोता
35. सरैड़ा
36. सिकलीगर
37. सिरकीबन्द

राजस्थान

1. आदि धर्मी
2. अहेरी
3. बादी
4. बागरी, बागड़ी
5. बैरवा, बेरवा
6. बाजगर
7. बलाई
8. बांसफोर, बांसफोड़
9. बावरी
10. बर्गो, वर्गी, त्रिर्गी
11. बावरिया
12. बेडिया, बेरिया
13. भांड
14. भंगी, चूड़ा, मेहतर, औलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकी, वाल्मीकी, कोरार, झाडमाली
15. बिदाकिया
16. बोला
17. चमार, भंभी, बंभी, भंबी, जटिया, जाटव, जाटवा, मोची, रैदास, रोहिदास, रेगड़, रैगड़, रामदासिया, असादरू, असोदी, चमाडिया, चम्भार, चामगार, हरलप्या, हराली, खलपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, तेलगु मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहित, सामगार
18. चांडाल
19. दबगर
20. धानक, धानुक
21. धानकिया

22. धोबी
23. ढोली
24. डोम, डूम
25. गांडिया
26. गरांचा, गांचा
27. गरो, गरुड़, गुर्डा, गरोडा
28. गवारिया
29. गोधी
30. जीनगार
31. कालबेलिया, सपेरा
32. कामड़, कामड़िया
33. कंजर, कुंजर
34. कपाड़िया, सांसी
35. खंगार
36. खटीक
37. कोली, कोरी
38. कूचबन्द, कुचबन्द
39. कोरिया
40. मदारी, बाजीगर
41. महार, तराल, धेगुमेगु
42. माहयावंशी, ढेड़, डेड़ा, वणकर, मारु वणकर
43. मजहबी
44. मांग, मातंग, मिनिमादिगा
45. मांग गरोडी, मांग गारुडी
46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेंघवार
47. मेहर
48. नट, नुट
49. पासी
50. रावल
51. सालवी
52. सांसी
53. सांतिया, संतिया

54. सरमंगी
55. सरगड़ा
56. सिंगीवाला
57. थोरी, नायक
58. तीरगार, तीरबन्द
59. तुरी

तमिलनाडु

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आजिला
5. अरुंततियार
6. अय्यनवर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
7. बैरा
8. बकुड़ा
9. बण्डी
10. बेल्लरा
11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
12. चक्किलियन
13. चलवादि
14. चमार, मुची
15. चाण्डाल
16. चेरुमान
17. देवेन्द्रकुलथन
18. डोम, डोम्बारा, पैड़ी, पानो
19. डोम्बन
20. गोडागली

21. गोइडा
22. गोसंगी
23. होलेय
24. जग्गाली
25. जम्बुवुलु
26. कडइयन
27. कक्कलन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
28. कल्लादि
29. कनक्कन, पाडन्ना (नीलगिरि जिले में)
30. करिम्पालन
31. कावरा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
32. कोलियन
33. कूसा
34. कूटन, कुड़न (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
35. कुडुम्बन
36. कुरवन, सिद्दनार
37. मदारी
38. मादिग
39. मैला
40. माल
41. मन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
42. मावीलान
43. मोगर
44. मुण्डाला

45. नलकेयव
46. नायाड़ी
47. पड़न्नेन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
48. पगाडै
49. पल्लन
50. पल्लुवन
51. पमवाड़ा
52. पानन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
53. पंचम
54. पन्नाड़ी
55. पन्नियांडी
56. परैयन, परयन, साम्बवर
57. परवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
58. पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
59. पुलयन, चेरमार
60. पुदिरैवन्नन
61. राणीयार
62. सामगार
63. सम्बन
64. सपरी
65. सेम्मन
66. तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
67. थोटी

14. बांसफोड
15. बरवार
16. बसोड़
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेरिया
20. भंतू
21. भुईया
22. भुईयार
23. बोरिया
24. चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव
25. चेरो
26. दबगर
27. धंगड़
28. धानुक
29. धरकार
30. धोबी
31. डोम
32. डोमर
33. दुसाध
34. धरामी
35. धसियो
36. गोंड
37. ग्वाल
38. हबूड़ा
39. हरी
40. हेला
41. कलाबाज
42. कंजर
43. कपड़िया
44. करवल
45. खराहा
46. खरवार (बनबासी को छोड़कर)

47. खटीक
48. खोरोट
49. कोल
50. कोरी
51. कोरवा
52. लालबेगी
53. मझवार
54. मजहबी
55. मुसहर
56. नट
57. पंखा
58. परहिया
59. पासी, तरमाली
60. पाटरी
61. रावत
62. सहारया
63. सिनौढिया
64. सांसिया
65. शिल्पकार
66. तुरैहा

पश्चिम बंगाल

1. बागड़ी, दुले
2. बहेलिया
3. बायती
4. बंतर
5. बौरी
6. बेलदार
7. भोगता
8. भुईमाली
9. भुइया
10. बिन्द

11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रूईदास, ऋषि
12. चौपाल
13. दबगर
14. दामाई (नेपाली)
15. धोबा, धोबी
16. दोयाई
17. डोम, धंगड़
18. दोसाध, दुसाध, धारी, धारही
19. घासी
20. गोनरही
21. हलालखोर
22. हरी, मेहतार, मेहतार, भंगी
23. जेलेया, कैबर्त
24. झालो मालो, मालो
25. कादर
26. कामी (नेपाली)
27. कांदरा
28. कंजर
29. कावरा
30. करेंगा, कोरंगा
31. कोर
32. केवट, केयोट
33. खैरा
34. खटीक
35. कोच
36. कोनाई
37. कोनवार
38. कोटाल
39. कुरारियर
40. लालबेगी
41. लोहार
42. महार

43. माल
44. मल्लाह
45. मुसहर
46. नामशूद्र
47. नट
48. नूनिया
49. पलिया
50. पान, सवासी
51. पासी
52. पाटनी
53. पोद, पोन्द्रा
54. राजवंशी
55. राजवार
56. शड़की (नेपाली)
57. सुनरी (साहा को छोड़कर)
58. तियर
59. तूरी

दिल्ली

पूरे संघ शासित क्षेत्र मे

1. आदि धर्मी
2. अगरिया
3. अहेरिया
4. बलाई
5. बनजारा
6. बावरिया
7. बाजीगर
8. भंगी
9. भील
10. चमार, चंवर, चमार/जाटव अथवा जाटव चमार, मोची, रामदासीया, रविदासी, रायदासी, रैगड अथवा रहगड

11. चोहरा (मंगी)
12. चुहड़ा (बाल्मिकी)
13. धानक अथवा धनुक
14. धोबी
15. डोम
16. घरामी
17. जुलाहा (कपड़े बुनने वाला)
18. कबीर पन्थी
19. कच्छंधा
20. कंजर अथवा गिरहा
21. खटीक
22. कोली
23. लालबैगी
24. मदारी
25. मल्लाह
26. मझबी
27. मघवाल
28. नारीबुत
29. नट (राणा)
30. पासी
31. पेरना
32. सांसी अथवा भेडकुट
33. सपेरा
34. सिकलिगर
35. सिगी वाला अथवा कालबेलिया
36. सिरकीबन्द

चण्डीगढ़

1. आदि धर्मी
2. बंगाली
3. बरार, बुरार अथवा बेरार
4. बटवाल

5. बहुरिया अथवा बावरिया
6. बाजीगर
7. बालिमकी, बुहड़ा अथवा भंगी
8. बनजारा
9. चमार जटिया, चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी
10. चनाल
11. डागी
12. दर्द
13. धानक
14. ढोगरी, टांगरी अथवा सिग्सी
15. डुमना, महाशय अथवा डूम
16. गगडा
17. गंढीला, अथवा गण्डीला, गोन्दोला
18. कबीर पन्थी अथवा जुलाहा
19. खटीक
20. कोरी, कोली
21. मरीजा अथवा मरेचा
22. मजहबी
23. मेघ
24. नट
25. ओड़
26. पासी
27. पेरना
28. फरेरा
29. सनभाई
30. सनहाल
31. सन्सोई
32. सांसी, भेड़कूट अथवा मनेश
33. सपेला
34. सरेड़ा
35. सिकलीगर
36. सिरकीबन्द

मिजोरम

सारे संघ शासित क्षेत्र में

1. बांसफोड
2. भुईमाली अथवा माली
3. बूत्तियाल बनिया अथवा बनिया
4. धुपी अथवा धोबी
5. डुगला अथवा ढोली
6. हीरा
7. जलकेवट
8. झालो, मालो अथवा झालो-मालो
9. केबर्त अथवा जालियां
10. लालबेगी
11. महरा
12. मेहतर अथवा भंगी
13. मुची अथवा ऋषि
14. नामशुद्र
15. पाटनी
16. सूत्रधार

अरूणाचल प्रदेश

सारे संघ शासित क्षेत्र में

1. बांसफोड
2. भुईमाली अथवा माली
3. बूत्तियाल बनिया अथवा बनिया
4. धुपी अथवा धोबी
5. डुगला अथवा ढोली
6. हीरा
7. जलकेवट
8. झालो, मालो अथवा झालो-मालो
9. केबर्त अथवा जालियां
10. लालबेगी

11. महरा
12. मेहतर अथवा भंगी
13. मुची अथवा ऋषि
14. नामशुद्र
15. पाटनी
16. सूत्रधार

दादर नागर हवेली

1. भंगी
2. चमार
3. महार
4. महायावंशी, धेड़

पांडेचरी

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. चार्ककलियान
4. जम्बुवुलु
5. कुरवन
6. मादिग
7. माला, मालमस्ती
8. पकी
9. पल्लन
10. परयन साबंवर
11. सम्बन
12. योटी
13. वल्यूवन
14. वेटन
15. वेट्टीघन

गोवा दमन और दीव

जाति/प्रजाति/जनजाति	समानार्थी
(1)	(2)
1. भंगी	हाड़ी
2. चमार	वनकोड़
3. महार	
4. महारवेशी	
5. मांग	

उपर्युक्त कालम (1) में विनिर्दिष्ट जातियां/प्रजातियां/जनजातियां और उनके समक्ष कालम (2) में विनिर्दिष्ट उनकी समानार्थी जाति/प्रजाति अथवा जनजाति यदि कोई हो तो संघ शासित क्षेत्र गोवा, दमन और दीव में रहने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में संविधान के प्रयोजन से अनुसूचित जातियां मानी जाएगी ।

बशर्ते कि हिन्दु अथवा सिक्ख धर्म से अन्यथा धर्म बतलाने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

सिक्किम

1. दामाई (नेपाली)
2. कामी (नेपाली) लुहार (नेपाली)
3. माझी (नेपाली)
4. शाड़की (नेपाली)

अनुसूचित जनजातियां

आन्ध्र प्रदेश

1. अन्ध
2. बगटा
3. भील
4. चेंचु, चेंचुवार
5. गडबास
6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड
7. गौड़ (अभिकरण भूखण्डों में)

8. ढिल रेड्डि
9. जातपूस
10. कम्भरा
11. कटुनायकन
12. कोलम, मन्नरवर्लु
13. कोंडा दोरा
14. कोंड कापुस
15. कोंडारेड्डिस
16. कोंधस, कोडि, कोदु, देसेय कोंध, डोंगरिया कोंध, कट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, बोन्टी कोंध
17. कोंटिया, पेंको कोंटिया, बारत्तिका, घुलिया, डुलिया, डाकव, पैको घुटिया, सन्योग, सिध्धाबेंडा
18. कोया गौड, राजा राश कोया, लिंगधारी कोया (साधारण) कोटटू कोया, भिणे कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. मालि (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीम नगर, खम्मम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और वरंगल जिलों को छोड़कर)
21. मन्नादोरा
22. मूखा दोरा, नूका दोरा
23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में)
24. परधाण
25. पुर्जा, पेरंगीपेर्जा
26. रेड्डि दोरा
27. रोणा, रेणा
28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
29. सुगाली, लम्बाडी

12. गोंड, राजगोंड
13. कथोडी, कटकारी, ढोर, कथोडी, ढोर कटकारी, सोन कथोडी, सोन कटकारी
14. कोकणा, कोकणी कुक्णा
15. कोली (कच्छ जिले में)
16. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्धा
17. कुन्बी (डांग्स जिले में)
18. नायकाडा, नायक, चोलीवाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना-नायक
19. पाधर
20. पराधी (कच्छ जिले में)
21. पर्धी, अदविचिन्चेर, फांनसे पर्धी (अमेरली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर)
22. पटेलिया
23. पोमला
24. रबरी (अलेच्छ, बराड़ा और गीर के जंगलों के नेसों में)
25. राथवा
26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में)
27. वाघेरी (कच्छ जिले में)
28. वारली
29. विटोलिया, कोटवालिया, बरोडिया

हिमाचल प्रदेश

1. भोट, बोढ़

2. गद्दी [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 की 31) की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट, लाहौल और स्पीती जिले से भिन्न राज्यक्षेत्रों को छोड़कर]
3. गुज्जर [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 की 31) की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों को छोड़कर]
4. जाद, लाम्बा, खम्पा
5. कनौरा किन्नारा
6. लाहौला
7. पंगवाला
8. स्वांगला

कर्नाटक

1. अदियन
2. बर्डा
3. बवचा, बम्चा
4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पवरा, वासव, वासवै
5. चेंचू, चेंचवार
6. चोधारा
7. दुबला, तालाविया, हलपति
8. गामिट, गमटा, गावित, मावचि, पदवी, वाल्वी
9. गोंड, नायकपोड, राजगोंड
10. गोण्डालू
11. हक्कीपिक्की

12. हासालारु
13. इरुलर
14. इरुलिगा
15. जेनु कुरुबा
16. काडू कुरबा
17. कम्मारा (दक्षिणी कनारा जिला और मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
18. कनियान, कन्यान (मैसूर जिले के कोल्लेगाल तालुक में)
19. काथोडी, काटकारी, ढोर, कथोडी, ढोर काटकारी, सोन कथोडी, सोन काटकारी
20. काट्टूनायकन्
21. कोंकण, कोंकणी, कुक्णा
22. कोली धोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्धा
23. कोंडा कापूस
24. कोरग
25. कोटा
26. कोया, भिने कोया, राजकोया
27. कुडिया, मेलकुडी
28. कुरुब (कुर्ग जिले में)
29. कुरुमान
30. महा मालासार
31. मलाई कुडी
32. मालासार
33. मालायेकान्डी
34. मालेरु
35. मराठा (कुर्ग जिले में)
36. मराटी (दक्षिण कनारा जिले में)
37. मेडा

38. नायकडा, नायक, भौंतीवाला, नायका, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
39. पलियान
40. पानियान
41. पार्धी, अडविचिन्चेर, पनसे पार्धी
42. पटेलिया
43. रावावा
44. शोलगा
45. सोलीगारु
46. तोडा
47. वरली
48. विटोलिया, कोतवालिया, बारोडिया
49. येरावा

केरल

1. आडियन
2. अरांडन
3. अरायालन
4. हिल पुलाया
5. इरुलार, इरुलान
6. कादर
7. कमार (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले के क्षेत्रों में)
8. कणिककारन्, काणिक्कर
9. काट्टुनायकन
10. कोच्चु वेलन
11. कोनडा कापूस
12. कोंडरेडि
13. कोरग

20. कंवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
21. कीर (भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में)
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कौलाम
27. कोरकू, बोपची, मवासी, निहाल, नाहुल, बौंधी, बौंडेया
28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. मीना (विदिशा जिले के सिरोंज उप-खण्ड में)
33. मुंडा
34. नगेसिया, नागासिया
35. उरांव, धानका, धनगढ़
36. पनिका (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी और टीकमगढ़ जिलों में)
37. पाव
38. परधान, पथारी, सरोती
39. पारधी (भोपाल, रायसेन तथा सिहोर जिलों में)
40. पारधी, अहेलिया, अहेलिलया, चिता पारधी, लंगोली, पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टकनकर टाकिया [(1) बस्तर, छिंदवाड़ा, मंडला, रायगढ़, सिवनी और सरगुजा जिलों में, (2) बालाघाट जिले की बैहर

तहसील में, (3) बैतूल जिले के बैतूल और मैंसदेही तहसीलों में (4) बिलासपुर जिले के बिलासपुर और कटघोरा तहसीलों में, (5) दुर्ग जिले की दुर्ग और बलोड तहसीलों में, (6) राजनन्द गांव जिले के चौकी मानपुर और महाला राजस्व निरीक्षकों के क्षेत्रों में, (7) जबलपुर जिले के मुरवारा, पाटन और सिहोर तहसीलों में, (8) होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों और नरसिंहपुर जिले में, (9) खंडवा जिले की हरसुद तहसील में, (10) रायपुर जिले की बिंद्रा नवगढ़, धमतरी और महासमुन्द तहसीलों में] ।

41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया, सोसिया, सोर
43. साओंता, सौंता
44. सौर
45. सावर, सवरा
46. सोनर

महाराष्ट्र

1. आंध
2. बैगा
3. बर्दा
4. बावचा, बामचा
5. मैना
6. मारिया भूमिया, भुईहार-भूमिया, पाण्डों
7. मतरा

8. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगली गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भूंजिया
10. बिंझवार
11. बिरद्दूल, बिरहोर
12. चौधरा (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, चन्द्रपुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, औरंगाबाद, भीर, नान्देड़, उस्मानाबाद और परभणी जिलों को छोड़कर)
13. धाणका, तडवी तेतारिया, वलवी
14. धनवार
15. धोंडिया
16 दुबला, तालविवा, हलपति
17 गामित, गामता, गावीत मावचि, पडवि
18. गोंड, राजगोड, अरख, आरखा अगारिया असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा भुता, कोईलाभुता, कोईलाभुती, भार, बिसोनहान, मारिया छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरु धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गैकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मदिया मारिया, माना, मन्नेवार, मोघया, मोगिया, मौंघया, मुदिया, मुरिया, नगारची नायकपाड, नागवंशी,

ओझा, राज, सोन्धारी, झरेका, थाटिया, थोटया, वाडेमारिया

19. हलवा, हलवी
20. कमार
21. काथोडि, कातकारी, ढोर काथोडी, ढोर कातकारी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
22. कदर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छत्री
23. खैरवार
24. खड़िया
25. कोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल
27. कोलाम, मन्नेवरलू
28. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कोंध, खौंड, कांध
32. कौरकू, बोंपची, मोवासी, निहाल, नाहुल, बोधी, बौधया
33. कोया, मिन्ने कोया, राजकोया
34. नगेसिया, नगासिया
35. नायकडा, नायका, चोलीवाला, नायक, कपाड़िया नायका, मोटा नायक, नाना नायक
36. औरांव, धनगड
37. परधान, पथारी, सरौती
38. पारधी, अडविचिंचेर, फंस पारधी, लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चित्तापारधी, शिकारी टाकनकार, टाकिया
39. परजा

40. पटेलिया
41. पोमला
42. राथवा
43. सावर, सावरा
44. ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-ठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकार
45. थोटी (औरंगाबाद, बीड़, नान्देड उस्मानाबाद और परभणी जिलो और चन्द्रपुर जिले की राजुरा तहसील में)
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया ,बरोडिया

मणिपुर

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिरु
5. चौथे
6. गंगते
7. काबुई
8. कच्चा नागा
9. खोइराओ
10. कोयरंग
11. कोम
12. लैमगैंग
13. माओ
14. मराम
15. मैरिंग
16. कोई मीजो (लुसाई) जनजातियां
17. मोन्सैंग
18. मायोन

19. पाइटे
20. पुरुम
21. राल्टे
22. सेमा
23. सिम्टे
24. सूहटे
25. तेंगखुल
26. थाडो
27. व्हाईफुं
28. ज़ाओ

मेघालय

1. चाकमा
2. डिमासा, कछारी
3. गारो
4. हाजंग
5. हमार
6. खासी, जैन्तिया, सिन्तेंग, प्नार, वार, भोई, लिंगाम
7. कोई कूकी जनजातियां जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :–
   (i) बियाते, बियेते
   (ii) चंगसान
   (iii) चंगलोई
   (iv) दोंगेल
   (v) गमल्हौ
   (vi) गंगते
   (vii) गुइते
   (viii) हैन्नंग
   (ix) हौकिप, हेपित
   (x) हौलाई
   (xi) हेंगना

(xii) ह्नौनसुध
(xiii) ह्नाग्खोवाल, रंगखोल
(xiv) जंग्बे
(xv) ख्यौचंग
(xvi) ख्यौल्लंग, खोतालंग
(xvii) खेल्मा
(xviii) खाल्हु
(xix) किपगेन
(xx) कूकी
(xxi) लेंथांग
(xxii) ल्हांगम
(xxiii) ल्हाजम
(xxiv) ल्हौब्रुन
(xxv) लुफेंग
(xxvi) मांजेल
(xxvii) मिसाल्क
(xxviii) रियांग
(xxix) सैरडैम
(xxx) सेल्नाम
(xxxi) सिंग्सन
(xxxii) सितल्हौ
(xxxiii) सुवत्ते
(xxxiv) थादो
(xxxv) थांग्न्यू
(xxxvi) उइबू
(xxxvii) व्हाइफे

8. लाखेर
9. मान (ताई बोलने वाली)
10. कोई मिजो (लुसाई) जनजातियां
11. मिकिर
12. कोई नागा जनजातियां
13. पावी
14. सिंतेंग

उड़ीसा

1. बागडा
2. बैगा
3. बणजारा, वणजारी
4. वाथुडी
5. भौत्तडा, धोत्तडा
6. भुइया, भूयां
7. भूमिआ
8. भूमिज
9. भूजीआ
10. बिंजाल
11. बिंझिया, बिंझोआ
12. बीरहोर
13. वोंडोपोरजा
14. चेन्चू
15. दाल
16. देसुआ भूमिज
17. धारूआ
18. दिदयी
19. गादबा
20. गांडिया
21. धारा
22. गोंड, गोंडो
23. हो
24. होलवा
25. जातपु
26. जुआंग
27. कंध गोड
28. कावार
29. खरीआ, खरीयां
30. खरवार
31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा, सीथा कन्धा

32. किसान
33. कोल
34. कोल्हा लोहार, कोल-लोहार
35. कोल्हा
36. कोली, मल्हार
37. कोन्डादोरा
38. कोरा
39. कोरूआ
40. कुटीआ
41. कोया
42. कुली
43. लोधा
44. मादिआ
45. माहालि
46. मांकिडी
47. मांकिरडिआ
48. माटिआ
49. मिर्धा
50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली
51. मुंडारी
52. औमनात्या
53. ओरांक्
54. पेरेंगा
55. परोजा
56. पेंटिया
57. राजुआर
58. सांताल
59. सवोरा, सवर, सौंरा, सहरा
60. शवर, लोधा
61. साउन्ती
62. थारूआ

राजस्थान

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा वसवा, वसावे
2. भील मीना
3. डामोर, डामरिया
4. घाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)
6. काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढौर कातकरी, सोन काथौडी, सोन कातकरी
7. कोकना, कोकनी, कुकणा
8. कोली, ढोर, टोकरे कोली कोलचा, कोलधा
9. मीना
10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक
11. पटेलिया
12. सेडारिया, सेहरिया, सहारिया

तमिलनाडु

1. अडियन
2. अरनाडन
3. एरुवल्लन
4. इरूलर
5. काडर
6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)

7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
8. कनियन, कन्यन
9. काट्टुनायक्कन
10. कोचुवेलन
11. कोन्डा कपूस
12. कोन्डारेड्डि
13. कोरागा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और तिरूनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेला कुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरूमान्स (नीलगिरि जिले में)
18. कुरूमान्स
19. महा मल्लेसर
20. मलै अरेयन
21. मालै पंडाराम
22. मलै बैडन
23. मलक्कुरवन
24. मल्लेसर
25. मल्याली (धर्मपुरी, उत्तरी अर्काट, पुडुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरूचिरापल्ली जिलों में
26. मलयेकंडी
27. मान्नन
28. मुडुगर, मुडूवन
29. मदुवन
30. पाल्लयन
31 पलियन
32. पल्लयर
33. पनियन

34 शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
36. उरली

त्रिपुरा

1. भील
2. भुटिया
3. चैमल
4. चकमा
5. गारो
6. हलाम
7. जमातिया
8. खसिया
9. कुकी जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित उप जनजातियां भी हैं —
   (i) बाल्टे
   (ii) बेललहुत
   (iii) छाल्य
   (iv) फुन
   (v) हजांगो
   (vi) जंगते
   (vii) खरेंग
   (viii) केफंग
   (ix) कुन्तेई
   (x) लाइफंग
   (xi) लोनतेई
   (xii) मिज़ेल
   (xiii) नमते
   (xiv) पाइतु, पाइते
   (xv) रंगचान
   (xvi) रंखल
   (xvii) थांग्लुया

10. लोप्चा
11. लुसाई
12. मग
13. मुन्डा, कौर
14. नोआतिया
15. ओरांव
16. रियांग
17. सन्थाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टीपरा
19. उचई

पश्चिमी बंगाल

1. असुर
2. बैगा
3. बेदिया, बिदिया
4. भूमिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते, तिब्बती, योलमो
6. बीरहड़
7. विर्जिया
8. चाकमा
9. चेरी
10. चिक बारैक
11. गारो
12. गोंड
13. गोड़त
14. हाजंग
15. हो
16. करमाली
17. खाड़वार
18. खौंड
19. किसान
20. कोड़ा

21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लीधा, खेड़िया, खाड़िया
24. लौहारा, लौहरा
25. मघ
26. माहली
27. महली
28. माल पहाड़िया
29. मेच
30. म्रू
31. मुंडा
32. नागेसिया
33. ओरांव
34. पाढ़ैया
35. रामा
36. सन्थाल
37. सौरिया पहाड़िया
38. सावर ।" ।

अनुसूचित जनजातियाँ

लक्षद्वीप

पूरे संघ शासित क्षेत्र में । लक्षद्वीप, मीनीकोय और अमिनदीवी द्वीप के वे निवासी जिनके माता पिता उन द्वीपों में पैदा हुए ।

मिज़ोरम

1. चकमा
2. डिनासा (कछारी)
3. गारो
4. हाजंग
5. हम्मार
6. खासी तथा जयान्तिया (खासी सिन्तेंग अथवा प्नार, वार, भाई अथवा लिंगनागम सहित)

अन्डमान और निकोबार द्वीप

1. अन्डमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो, येरे, कोडे, बीय, बालाबा, बोजीगियाब, जवाई, कोल
2. जराबा
3. निकोबार निवासी
4. ओंगे
5. सेंटीनेली
6. शोमपैन्स

दादर तथा नागर हवेली

1. धेडिया
2. दुनलाहलपति सहित
3. काथोडि
4. कोकना
5. कोली धोर कोलघा सहित
6. नायकड़ा अथवा नायक
7. बारली

उत्तर प्रदेश

1. भोटिया
2. बुकसा
3. जाऊनसारी
4. राजी
5. थारू

गोआ, दमन और दीव

जाति/जनजाति	समानार्थी
(1)	(2)
(1) धोड़िया	हलपति
(2) दुबला	तालविवा
(3) नायकड़ा	नायक
(4) सिद्दी	
(5) वारली	

गोआ, दमन और दीव में रहने वाले सदस्यों के सम्बन्ध में उपयुक्त कालम (1) में विनिर्दिष्ट जनजातियां/जनजातियां समुदाय तथा उनके सामने कालम (2) में विनिर्दिष्ट उनकी समानार्थी जनजाति समुदाय अनुसूचित जनजातियां मानी जाएगी ।

नागलैण्ड

(1) नागा
(2) कुकी
(3) कचारी
(4) निकरी
(5) गारो

सिक्किम

1. भुटिया (खुबिघ, घोपथामा, दुकपा, कगाते, शेरपा, तिब्बितियन, टोरम्मा योलमो)
2. लेप्चा

सूची

क्रम सं०	का० ज्ञापन संख्या	तारीख	पृष्ठ
1	संकल्प सं० 42/21/49-एन०जी०एस०	13-9-50	6
2	का०ज्ञा० सं० 42/21/49-एन०जी०एस०	28-1-52	32
3	संकल्प सं० 42/19/51-एन०जी०एस०	25-6-52	106
4	का०ज्ञा० सं० 42/34/52-एन०जी०एस०	17-4-53	317
5	का०ज्ञा० सं० 16/2/54-एस०सी०टी०	23-11-54	457
6	का०ज्ञा० सं० 15/1/55-एस०सी०टी०	30-4-55	106
7	का०ज्ञा० सं० 7/2/55-एस०सी०टी०	14-10-55	56
8	का०ज्ञा० सं० 5/4/55-एस०सी०टी०(1)	4-1-57	173
9	का०ज्ञा० सं० 54/6/53-के०से०(ग)	5-9-58	407
10	वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० सं० 5/25/ ई-IV(ख)/60	6-5-60	112
11	का०ज्ञा० सं० 13/2/57-एस०सी०टी० (1)	25-5-60	318
12	वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० सं० 5/25/ ई-IV(ख)/60	21-9-60	113
13	वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० सं० 5/25/ ई-IV(ख)/60	23-11-60	113
14	का०ज्ञा० सं० 9/45/60-स्था०(घ)	20-4-61	411
15	का०ज्ञा० सं० 13/2/61-एस०सी०टी०(1)	18-11-61	320
16	मंत्रिमण्डल सचिवालय (मंत्रिमण्डल कार्य विभाग) का का०ज्ञा० सं० 85/11/ सी०एफ०-61(1)	28-12-61	21
17	का०ज्ञा० सं० 1/7/62-एस०सी०टी०(1)	24-9-62	293
18	का०ज्ञा० सं० 8/3/63-एस०सी०टी०(1)	25-2-63	321
19	का०ज्ञा० सं० 31/10/63-एस०सी०टी०(1)	27-3-63	57
20	का०ज्ञा० सं० 31/10/63-एस०सी०टी०(1)	2-5-63	58
21	वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० सं० 5/25/ ई-IV (ख)/60	22-7-63	114
22	का०ज्ञा० सं० 13/3/63-एस०सी०टी०(1)	23-7-63	321
23	का०ज्ञा० सं० 1/10/61-स्था० (घ)	8-11-63	174

सूची

क्रम सं०	का० ज्ञापन संख्या	तारीख	पृष्ठ
24	का०ज्ञा० सं० 13/6/63-एस०सी०टी०(1)	11-11-63	322
25	का०ज्ञा० सं० 2/24/63-स्था० (घ)	4-12-63	294
26	का०ज्ञा० सं० 5/1/63-एस०सी०टी०(1)	4-3-64	458
27	का०ज्ञा० सं० 1/6/64-एस०सी०टी०(1)	19-3-64	412
28	का०ज्ञा० सं० 1/4/64-एस०सी०टी०(1)	2-9-64	295
29	का०ज्ञा० सं० 16/1/65-स्था० (ग)	20-7-65	228
30	का०ज्ञा० सं० 16/1(3)/65-स्था० (ग)	20-9-65	18
31	का०ज्ञा० सं० 6/4/66-स्था० (ग)	11-5-66	323
32	अर्ध शासकीय सं० 29/47/66-स्था० (ग)	13-12-66	341
33	का०ज्ञा० सं० 16/8(1)/66-स्था० (ग)	25-1-67	413
34	का०ज्ञा० सं० 1/1/67-सी०सी०	30-1-67	414
35	का०ज्ञा० सं० 1/6/67-स्था० (ग)	20-9-67	229
36	का०ज्ञा० सं० 16/2/67-स्था० (ग)	27-9-67	19
37	का०ज्ञा० सं० 27/5/68-स्था० (ग)	13-3-68	232
38	का०ज्ञा० सं० 14/21/67-स्था० (घ)	10-4-68	135
39	का०ज्ञा० सं० 16/17/67-स्था० (ग)	10-4-68	367
40	का०ज्ञा० सं० 27/2/69-(एस०सी०टी०)	5-7-68	
41	का०ज्ञा० सं० 1/12/67-स्था० (ग)	11-7-68	176
42	का०ज्ञा० सं० 10/28/68-स्था०(एस०सी०टी०)	12-9-68	415
43	का०ज्ञा० सं० 27/4/67(ii)-स्था० (एस०सी०टी०)	24-9-68	20
44	का०ज्ञा० सं० 24/7/67(i)-स्था०(एस०सी०टी०)	24-9-68	107
45	का०ज्ञा० सं० 8/1/69-स्था०(एस०सी०टी०)	28-1-69	234
46	का०ज्ञा० सं० 27/22/68-स्था०(एस०सी०टी०)	19-4-69	368
47	का०ज्ञा० सं० 27/2/69-स्था०(एस०सी०टी०)	5-7-69	135
48	का०ज्ञा० सं० 10/9/69-स्था०(एस०सी०टी०)	8-7-69	181
49	का०ज्ञा० सं० 16/8/69-स्था०(एस०सी०टी० (1)	31-10-69	183
50	का०ज्ञा० सं० 17/4/69-स्था०(एस०सी०टी०)	3-2-70	460
51	संकल्प सं० 27/25/68-स्था०(एस०सी०टी०)	25-3-70	8 & 297

सूची

क्रम सं०	का० ज्ञापन संख्या	तारीख	पृष्ठ
52	का०ज्ञा० सं० 27/25/68-स्था०(एस०सी०टी०)	25-3-70	8
53	का०ज्ञा० सं० 1/9/69-स्था०(एस०सी०टी०)	26-3-70	184
54	पत्र सं० 21/3/70-स्था० (ख)	31-3-70	416
55	का०ज्ञा० सं० 27/2/70-स्था०(एस०सी०टी०)	21-4-70	416
56	का०ज्ञा० सं० 1/11/69-स्था०(एस०सी०टी०)	22-4-70	59
57	का०ज्ञा० सं० 16/8/69-स्था०(एस०सी०टी०)	27-4-70	370
58	का०ज्ञा० सं० 27/6/70-स्था०(एस०सी०टी०)	5-6-70	136
59	का०ज्ञा० सं० 1/1/70-स्था०(एस०सी०टी०)	25-7-70	108
60	का०ज्ञा० सं० 1/1/70-स्था०(एस०सी०टी०)	31-7-70	153
61	का०ज्ञा० सं० 27/4(iii)/70-स्था०(एस०सी०टी०)	2-9-70	417
62	का०ज्ञा० सं० 27/4(iv)/70-स्था०(एस०सी०टी०)	2-9-70	418
63	का०ज्ञा० सं० 27/4(v)/70-स्था०(एस०सी०टी०)	3-9-70	185
64	का०ज्ञा० सं० 27/4(ii)/70-स्था०(एस०सी०टी०)	3-9-70	372
65	का०ज्ञा० सं० 27/4(i)/70-स्था०(एस०सी०टी०)	3-9-70	371
66	का०ज्ञा० सं० 8/12/69-स्था०(एस०सी०टी०)	23-12-70	109
67	का०ज्ञा० सं० 8/8/71-स्था०(एस०सी०टी०)	22-4-71	63
68	का०ज्ञा० सं० 13/3/71-स्था०(एस०सी०टी०)	10-9-71.	323
69	का०ज्ञा० सं० 8/12/71-स्था० (एस०सी०टी०)	21-9-71	419
70	का०ज्ञा० सं० 8/12/71-स्था० (एस०सी०टी०)	19-10-71	420
71	का०ज्ञा० सं० 1/4/70-स्था० (एस०सी०टी०)	11-11-71	93
72	का०ज्ञा० सं० 1/9/69-स्था० (एस०सी०टी०)	15-11-71	421
73	का०ज्ञा० सं० 14/17/71-स्था० (घ)	27-11-71	137
74	का०ज्ञा० सं० 21/9/70-स्था० (एस०सी०टी०)	8-12-71	110
75	का०ज्ञा० सं० 17/3/70-स्था० (एस०सी०टी०)	1-1-72	342
76	का०ज्ञा० सं० 28/8/72-स्था० (एस०सी०टी०)	2-3-72	423
77	का०ज्ञा० सं० 27/2/71-स्था० (एस०सी०टी०)	24-3-72	373
78	वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० सं० 5/25/ ई-IV(ख)/60	19-6-72	115

सूची

क्रम सं०	का० ज्ञापन संख्या	तारीख	पृष्ठ
79	का०ज्ञा० सं० 16/1/72-स्था० (एस०सी०टी०)	11-8-72	235
80	का०ज्ञा० सं० 27/2/71-स्था० (एस०सी०टी०)	28-10-72	10
81	का०ज्ञा० सं० 27/2/71-स्था० (एस०सी०टी०)	27-11-72	188
82	का०ज्ञा० सं० 27/14/71-स्था० (एस०सी०टी०)	30-1-73	111
83	का०ज्ञा० सं० 1/1/73-स्था० (एस०सी०टी०)	10-12-73	426
84	का०ज्ञा० सं० 16 1/74-स्था० (एस०सी०टी०)	8-4-74	426
85	का०ज्ञा० सं० 16/4/74-स्था० (एस०सी०टी०)	18-4-74	427
86	का०ज्ञा० सं० 16/3/74-स्था० (एस०सी०टी०)	26-4-74	236
87	का०ज्ञा० सं० 16/2/74-स्था० (एस०सी०टी०)	8-5-74	237
88	का०ज्ञा० सं० 1/3/72-स्था० (एस०सी०टी०)	15-5-74	65
89	का०ज्ञा० सं० 10/52/73-स्था० (एस०सी०टी०)	24-5-74	68
90	का०ज्ञा० सं० 16/5/74-स्था० (एस०सी०टी०)	11-6-74	299
91	का०ज्ञा० सं० 10/41/73-स्था० (एस०सी०टी०)	20-7-74	190
92	का०ज्ञा० सं० 8/11/73-स्था० (एस०सी०टी०)	12-9-74	193
93	का०ज्ञा० सं० 39/40/74-एस०सी०टी० (1)	30-9-74	461
94	का०ज्ञा० सं० 8/2/69-एस०सी०टी० (1)	1-10-74	448
95	का०ज्ञा० सं० 27/12/73-स्था० (एस०सी०टी०)	7-10-74	462
96	का०ज्ञा० सं० 8/1/74-स्था० (एस०सी०टी०)	20-12-74	94
97	का०ज्ञा० सं० 1/10/74-स्था० (एस०सी०टी०)	23-12-74	194
98	वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० सं० 19014(2) ई-IV(ख)/74	25-1-75	115
99	का०ज्ञा० सं० 10/37/74-स्था० (एस०सी०टी०)	3-2-75	195
100	का०ज्ञा० सं० 1/9/74-स्था० (एस०सी०टी०)	29-4-75	300
101	गृह मंत्रालय का पत्र सं० 35/1/72-आर०यू० (एस०सी०टी-V)	2-5-75	324
102	का०ज्ञा० सं० 36011/5/75-स्था० (एस०सी०टी०)	3-5-75	384
103	का०ज्ञा० सं० 36011/6/75-स्था० (एस०सी०टी०)	7-5-75	196
104	का०ज्ञा० सं० 16/1/74-स्था० (एस०सी०टी०)	23-5-75	428

सूची

क्रम सं०	का० ज्ञापन संख्या	तारीख	पृष्ठ
105	का०ज्ञा० सं० 9/2/73-स्था० (एस०सी०टी०)	23-6-75	22
106	का०ज्ञा० सं० 8/7/74-स्था० (एस०सी०टी०)	22-8-75	197
107	का०ज्ञा० सं० 27/10/71-स्था० (एस०सी०टी०)	5-9-75	116
108	का०ज्ञा० सं० 36021/6/75-स्था० (एस०सी०टी०)	9-10-75	24
109	का०ज्ञा० सं० 36019/7/75-स्था० (एस०सी०टी०)	31-10-75	327
110	का०ज्ञा० सं० 16/27/74-स्था० (एस०सी०टी०)	12-11-75	238
111	का०ज्ञा० सं० 9/10/72-स्था० (घ)	17-11-75	429
112	का०ज्ञा० सं० 42015/3/75-स्था० (एस०सी०टी०)	16-1-76	118
113	का०ज्ञा० सं० 36027/7/75-स्था० (एस०सी०टी०)	17-1-76	344
114	का०ज्ञा० सं० 36021/7/75-स्था० (एस०सी०टी०)	25-2-76	198
115	का०ज्ञा० सं० 36011/1/76-स्था० (एस०सी०टी०)	6-3-76	69
116	का०ज्ञा० सं० 16/32/74-स्था० (एस०सी०टी०)	3-4-76	431
117	का०ज्ञा० सं० 17016/1/76-स्था० एस०सी०टी० (1)	8-4-76	449
118	का०ज्ञा० सं० 22011/2/76-स्था० (घ)	30-4-76	200
119	का०ज्ञा० सं० 36022/6/76-स्था० (एस०सी०टी०)	10-5-76	346
120	का०ज्ञा० सं० 36022/5/76-स्था० (एस०सी०टी०)	27-5-76	374
121	का०ज्ञा० सं० 36022/5(1)/76-स्था० (एस०सी०टी०)	28-5-76	432
122	का०ज्ञा० सं० 28/14/74-स्था० (एस०सी०टी०)	12-7-76	239
123	का०ज्ञा० सं० 36011/9/76-स्था० (एस०सी०टी०)	14-7-76	119
124	का०ज्ञा० सं० 15034/2/76-स्था० (घ)	15-7-76	201
125	का०ज्ञा० सं० 36022/4/76-स्था० (एस०सी०टी०)	7-8-76	138
126	का०ज्ञा० सं० 13/2/74-स्था० (एस०सी०टी०)	12-8-76	328
127	का०ज्ञा० सं० 36022/20/76-स्था० (एस०सी०टी०)	8-9-76	385
128	का०ज्ञा० सं० 36022/3/76-स्था० (एस०सी०टी०)	14-9-76	433
129	का०ज्ञा० सं० 36022/18/76-स्था० (एस०सी०टी०)	25-9-76	241
130	का०ज्ञा० सं० 36012/3/75-स्था० (एस०सी०टी०)	6-10-76	202
131	गृह मंत्रालय का का०ज्ञा० सं० 15038/15/76-पी०एल०सी०	20-12-76	243

सूची

क्रम सं०	का० ज्ञापन संख्या	तारीख	पृष्ठ
132	का०ज्ञा० सं० 36021/10/76-स्था० (एस०सी०टी०)	21-1-77	120
133	का०ज्ञा० सं० 36011/3/76-स्था० (एस०सी०टी०)	22-1-77	246
134	का०ज्ञा० सं० 42015/1/76-स्था० (ग)	2-2-77	121
135	का०ज्ञा० सं० 36034/16/76-स्था० (एस०सी०टी०)	5-2-77	244
136	का०ज्ञा० सं० 36021/9/76-स्था० (एस०सी०टी०)	10-2-77	11
137	गृह मंत्रालय का पत्र सं० बी०सी० 12025/2/76-एस०सी०टी०(1)	22-3-77	330
138	का०ज्ञा० सं० 36014/3/77-स्था० (एस०सी०टी०)	23-4-77	144
139	का०ज्ञा० सं० 36011/11/75-स्था० (एस०सी०टी०)	30-5-77	70
140	का०ज्ञा० सं० 36013/1/77-स्था० (एस०सी०टी०)	7-6-77	435
141	का०ज्ञा० सं० 22011/4/77-स्था० (घ)	30-7-77	204
142	पत्र सं० यू० 13019/1/75-ए०पी०	28-9-77	303
143	पत्र सं० यू० 13019/1/75-ए०पी०	29-9-77	305
144	वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० संख्या 19014/2/77-ई-I (ख)	27-10-77	122
145	पत्र सं० 36012/6/76-स्था० (एस०सी०टी०)	29-10-77	332
146	का०ज्ञा० सं० 36024/8/76-स्था० (एस०सी०टी०)	9-11-77	348
147	का०ज्ञा० सं० 36012/7/77-स्था० (एस०सी०टी०)	21-1-78	25
148	वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० संख्या 19014/3/77-ई-IV (बी)	17-2-78	125
149	का०ज्ञा० सं० 36034/2/78-स्था० (एस०सी०टी०)	24-2-78	146
150	का०ज्ञा० सं० 36011/9/76-स्था० (एस०सी०टी०)	7-3-78	436
151	का०ज्ञा० सं० 36021/8/76-स्था० (एस०सी०टी०)	20-4-78	205
152	का०ज्ञा० सं० 36024/1/78-स्था० (एस०सी०टी०)	27-6-78	375
153	का०ज्ञा० सं० 36013/18/77-स्था० (एस०सी०टी०)	4-9-78	437
154	का०ज्ञा० सं० 36027/9/78-स्था० (एस०सी०टी०)	18-11-78	349
155	का०ज्ञा० सं० 36013/5/78-स्था० (एस०सी०टी०)	19-12-78	247
156	का०ज्ञा० सं० 36027/1/79-स्था० (एस०सी०टी०)	1-2-79	355

सूची

क्रम सं०	का० ज्ञापन संख्या	तारीख	पृष्ठ
157	का०ज्ञा० सं० 36024/1/78-स्था० (एस०सी०टी०)	20-2-79	450
158	का०ज्ञा० सं० 36013/2/79-स्था० (एस०सी०टी०)	2-4-79	306
159	का०ज्ञा० सं० 36021/7/78-स्था० (एस०सी०टी०)	16-4-79	206
160	का०ज्ञा० सं० 36011/6/79-स्था० (एस०सी०टी०)	19-4-79	122
161	का०ज्ञा० सं० 36011/20/79-स्था० (एस०सी०टी०)	2-11-79	250
162	का०ज्ञा० सं० 36028/1/79-स्था० (एस०सी०टी०)	11-10-79	376
163	का०ज्ञा० सं० 36011/25/79-स्था० (एस०सी०टी०)	16-11-79	273
164	का०ज्ञा० सं० 36011/27/79-स्था० (एस०सी०टी०)	4-1-80	274
165	का०ज्ञा० सं० 36011/28/79-स्था० (एस०सी०टी०)	11-2-80	147
166	का०ज्ञा० सं० 36011/20/79-स्था० (एस०सी०टी०)	27-3-80	280
167	का०ज्ञा० सं० 36011/7/80-स्था० (एस०सी०टी०)	1-11-80	387
168	का०ज्ञा० सं० 36011/12/80-स्था० (एस०सी०टी०)	10-11-80	215
169	का०ज्ञा० सं० 22011/3/76-स्था० (घ)	24-12-80	207
170	का०ज्ञा० सं० 36011/15/79-आर०डी०वाई०वाई०(डी०वी०वाई०)	6-1-81	281
171	का०ज्ञा० सं० 36027/1/81-स्था० (एस०सी०टी०)	17-2-81	356
172	का०ज्ञा० सं० 36011/16/80-स्था० (एस०सी०टी०)	27-2-81	334
173	का०ज्ञा० सं० 42012/1/81-स्था० (एस०सी०टी०)	26-3-81	147
174	का०ज्ञा० सं० 36011/5/81-स्था० (एस०सी०टी०)	7-4-81	283
175	का०ज्ञा० सं० 15012/2/81-स्था० (घ)	8-4-81	123
176	का०ज्ञा० सं० डी०1458/81-स्था० (एस०सी०टी०)	21-5-81	124
177	का०ज्ञा० सं० 36011/18/81-स्था० (एस०सी०टी०)	16-7-81	12
178	का०ज्ञा० सं० 36011/30/81-स्था० (एस०सी०टी०)	6-8-81	438
179	का०ज्ञा० सं० 41013/16/80-स्था० (एस०सी०टी०)	10-8-81	439
180	का०ज्ञा० सं० 36011/33/81-स्था० (एस०सी०टी०)	5-10-81	13 & 75
181	का०ज्ञा० सं० 36011/39/81-स्था० (एस०सी०टी०)	30-11-81	307
182	का०ज्ञा० सं० 36013/6/81-स्था० (एस०सी०टी०)	7-12-81	376
183	का०ज्ञा० सं० 36013/6/80-स्था० (एस०सी०टी०)	28-1-82	216

सूची

क्रम सं०	का० ज्ञापन संख्या	तारीख	पृष्ठ
184	का०ज्ञा० सं० 36011/46/81-स्था० (एस०सी०टी०)	4-2-82	71
185	का०ज्ञा० सं० 36012/3/78-स्था० (एस०सी०टी०)	9-2-82	308
186	का०ज्ञा० सं० 36011/4/82-स्था० (एस०सी०टी०)	15-3-82	310
187	का०ज्ञा० सं० 36014/3/82-स्था० (एस०सी०टी०)	27-4-82	
188	का०ज्ञा० सं० 36011/12/82-स्था० (एस०सी०टी०)	25-6-82	73
189	वित्त मंत्रालय का का०ज्ञा० सं० 19014/2/80-ई-IV	2-11-82	125
190	का०ज्ञा० सं० 36011/9/82-स्था० (एस०सी०टी०)	8-2-83	76
191	का०ज्ञा० सं० 36034/2/83-स्था० (एस०सी०टी०)	23-2-83	451
192	का०ज्ञा० सं० 36011/14/83-स्था० (एस०सी०टी०)	30-4-83	217
193	का०ज्ञा० सं० 36011/13/83-स्था० (एस०सी०टी०)	2-5-83	219
194	का०ज्ञा० सं० 36011/22/82-स्था० (एस०सी०टी०)	18-8-83	378
195	का०ज्ञा० सं० 36011/14/83-स्था० (एस०सी०टी०)	30-9-83	221
196	का०ज्ञा० सं० 36011/28/83-स्था० (एस०सी०टी०)	12-3-84	78
197	का०ज्ञा० सं० 36013/2/83-स्था० (एस०सी०टी०)	15-3-84	284
198	का०ज्ञा० सं० 36011/20/84-स्था० (एस०सी०टी०)	26-4-84	287
199	का०ज्ञा० सं० 36013/6/84-स्था० (एस०सी०टी०)	29-8-84	390
200	का०ज्ञा० सं० 36013/4/82-स्था० (एस०सी०टी०)	29-8-84	441
201	का०ज्ञा० सं० 36022/2/84-स्था० (एस०सी०टी०)	18-1-85	379
202	का०ज्ञा० सं० 36013/4/85-स्था० (एस०सी०टी०)	25-5-85	81
203	का०ज्ञा० सं० 36011/8/84-स्था० (एस०सी०टी०)	29-5-85	126
204	का०ज्ञा० सं० 36026/3/85-स्था० (एस०सी०टी०)	24-6-85	442
205	का०ज्ञा० सं० 36013/3/84-स्था० (एस०सी०टी०)	1-7-85	127
206	का०ज्ञा० सं० 36011/17/85-स्था० (एस०सी०टी०)	23-7-85	95
207	का०ज्ञा० सं० 36013/3/85-स्था० (एस०सी०टी०)	2-8-85	443
208	का०ज्ञा० सं० 36013/4/85-स्था० (एस०सी०टी०)	12-2-86	89
209	का०ज्ञा० सं० 36011/8/84-स्था० (एस०सी०टी०)	17-10-86	128